

प्रवचन-पीयूष-कलश

(बधन-मुक्ति/शाश्वत सुख-विषयक ३८ प्रवचनों का सकलन)

प्रथम कलश



प्रवचनकार

उपाध्याय, पंडित-रत्न श्री लालचन्द्र जी महाराज 'श्रमण-लाल'



सकलनकार

मुनि श्री नूतनचन्द्र जी महाराज 'नवरत्न'



सम्पादक

डॉ० पुरुषोत्तमचन्द्र जैन

एम० ए०, एम० ओ० एल०, पी-एच० डी०



प्रकाशक

जयध्वज प्रकाशन समिति, मद्रास

● जयध्वज प्रकाशन समिति ग्रंथमाला : पुष्प-१०

- ग्रन्थ प्रवचन-पीयूष-कलश
- विषय बन्धन-मुक्ति/शाश्वत सुख
- प्रवचनकार : उपाध्याय, पंडित-रत्न श्री लालचन्द जी महाराज
- सकलनकार ' मुनि श्री नूतनचंद्र जी महाराज
- संपादक डॉ० पुरुषोत्तमचन्द्र जैन
- सस्करण प्रथम (वि० स०, २०३७, सन् १९८०)
वीर सवत् २५०६
- प्रतिष्ठा ११००
- प्रकाशक जयध्वज प्रकाशन समिति,
१५१, टिप्लीकेन हाइ रोड,
मद्रास-६००००५
- मूल्य २१००
- मुद्रक शान्ति मुद्रणालय, दिल्ली-११००३२
- प्राप्त-स्थल (१) पूज्य श्री जयमल जैन ज्ञान भंडार
पीपाड शहर (जोधपुर-राजस्थान)
(२) अम्बालाल नाबरिया
जवाजा (अजमेर-राजस्थान)

समर्पण—समर्पण

पढमे दसणे दोण्णि,
समप्पेइ परुप्पर ।
गुरु-सीसो महाभागो,
लोगे लोगुत्तरा अहो ॥

गुरु और शिष्य—दोनों महाभाग प्रथम दर्शन में ही एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं । कितनी अद्भुतता है कि लोक में रहते हुए भी ये दोनों लोकोत्तर हैं ।

दाणाऽऽदाणेसु नाणस्स,
गुरुसीसाऽहिगारिणो ।
गिराएऽहिवई पुव्वो,
वीओ अन्नाण्हिसओ ॥

ज्ञान को प्रदान व ग्रहण करने में क्रमशः गुरु और शिष्य ही अधिकारी हैं । कारण यह है कि गुरु वाणी के अधिपति होते हैं एवं शिष्य अज्ञान का हिंसक / नाशक होता है ।

गुरुणा पप्पए नाण,
सीसेणारक्खए पुणो ।
सुव्वए मण्णए ज च्च,
लोए मज्झत्थभावओ ॥

गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है एवं शिष्य उस ज्ञान को सुरक्षित करता है । लोक में ज्ञान वही है जिसका मध्यस्थ-भाव से श्रवण एवं मनन किया जाए ।

सहेउमरिहतो जो,
 सिद्धो सेवाइ साधणे ।
 धम्मे आयरिओ मज्झ,
 उवज्झाओ वि सो मम ॥
 घन्तो तिवग्गससाह,
 गुरु एगो वि पचहा ।
 वदणिज्जो नमेयव्वो
 न मेयव्वो वि केण वि ॥ (जुम्म)

उपसर्गों को सहन करने में जो अरिहत थे, सेवा की साधना में जो सिद्ध थे, धर्म-पथ पर चलने-चलाने में जो मेरे आचार्य थे एवं सिद्धान्तों का अध्ययन कराने में जो उपाध्याय थे, त्रिवर्ग की सम्यक् साधना करने वाले ऐसे मेरे गुरु वास्तव में धन्य थे जा एक होकर भी पाँचों प्रकार के थे । वे वदनीय एवं नमनीय हैं । किसी भी वस्तु से उनको मापा नहीं जा सकता ।

सो वरतावरमल्लवखो,
 सव्वो सव्वगुणोदही ।
 किं समप्पेमि ह तस्स,
 ह जेणाकिंचणीकओ ॥

‘वरतावरमल्ल’ नाम के वे मेरे गुरु सर्वज्ञों के प्रतिनिधि एवं सर्वगुणों के समुद्र थे । मैं उनके लिए क्या समर्पण करूँ, जिन्होंने कि मुझे प्रथमतः ही अकिंचन बना दिया है ।

पूरिओ ऽ नप्पसोहाहि,
 सज्जिओ सम्मईहि य ।
 पुणोऽह हत्थकज्जेसु,
 गथरूवे समप्पिओ ॥

हाँ ! उन्हीं के द्वारा अनेक शोभाओं से परिपूरित एवं सन्मति (महावीर) के सिद्धांतों से सुसज्जित मैं स्वयं पुनः उनके हस्तकमलों में इस ग्रंथ के रूप में समर्पित हूँ ।

भूमिका

महामहनीय महर्षियों के, सम्यग्दष्टि साधु-सन्तो के, ज्ञान-विज्ञान की गरिमा के घनी महान् चिन्तकों के, गुरु-चरण कमल-चचरीक चारित्र्य-चूडामणियों के, मनीषा के महान् महारथियों के, धर्म के धुरन्धर धनियों के, आध्यात्मिक-ज्ञान के समर्थकों के, ससार की निःसारता के कदयकों के, कर्मों की करुणापूर्ण कहानी के कोविदों के, युग के प्रवर्तकों के, योग के समर्थकों के, साधनापथ के उपाध्यायों के, सदाचार-सहिता के आचार्यों के अतीत में असत्य प्रवचन, व्याख्यान और भाषण भरी सभाओं में मुखरित हुए, होते आ रहे हैं और हो रहे हैं। जिनको शिष्यों ने, प्रशिष्यों ने, समर्थकों ने और जिज्ञासुओं ने लेखबद्ध कर लिया वे अवशिष्ट रह गए, बच गए काल की कराल-कालिमा से, भावी पीढ़ियों की तमसावृत-पगडंडी पर प्रकाश की रश्मियों की ज्योति जगाने के लिए और जो मानव-संस्कृति के दुर्भाग्य से लिपिवद्ध नहीं किये जा सके वे विश्व की तमसाकुल तामसी के तमस के परमाणुओं में समा गये, एकाकार हो गये और तिरोहित हो गये किसी अज्ञात दिशा के वातावरण की तरंगों में। जो खो गये, वे आज अज्ञात हैं। जिस संस्कृति के मानवों को उन अमृत के कणों के पान का सौभाग्य प्राप्त हुआ वे पुण्यवान् थे, जो वंचित रह गए सो रह गए, अतीत की पीढ़ी के भी और वर्तमान के भी।

ज्ञान जीवन का सारभूत उपादेय तत्त्व है। वह प्रचार की, विस्तार की और प्रसार की अपेक्षा रखता है। किसी भी मानव-संस्कृति का प्रबुद्ध मानव एव जागरूक जिज्ञासु अपने युग की चिन्तनधारा को और उस चिन्तनधारा से प्रभावित जनमानस की प्रवृत्ति को अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। अपेक्षा की भावना न उसके लिए हितकर होती है और न ही उसके भावी जगत् के लिए। अपने युग की मानवीय एव आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को स्थायित्व प्रदान करना ही जागृत चेतना का लक्षण है। पूणरूपेण सुसभ्य, सुसंस्कृत एव सुप्रतिष्ठित व्यक्ति तो वही होता है जो अपने पूर्ववितारों, महामानवों, पूर्व-आचार्यों, सर्वज्ञों एव युगप्रवर्तकों के चरणचिह्नों पर चलता है। उन चरण-

चिह्नो की निर्देश-प्रक्रिया उनकी पावन वाणी में निहित होती है। उत्तराधिकारियों द्वारा उनकी वाणी को ग्रन्थों के रूप में सुरक्षित रखना अपेक्षित होता है। कहीं भी कभी भी किसी विद्वान् सन्त-महात्मा की, महर्षि की या तत्त्ववेत्ता की वाणी से प्रसूत मूल्यवान् ज्ञान-निधि कहीं अमुक युग की अमुक सभा के श्रोताओं तक ही सीमित न रह जाये, उसका लाभ भावी पीढ़ियों को भी निरन्तर उपलब्ध होता रहे इस बात का ध्यान युग की जागृत पीढ़ी के जागरूक विद्वानों को होना चाहिए। उक्त प्रेरणा के परिणामस्वरूप, हम 'प्रवचन-पीयूष कलश' शीपक ग्रन्थ को परिष्कृत-मस्तिष्क-पटल के पाठको के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस ग्रन्थरूपी कलश को अपने प्रवचन रूपी पीयूष से पूरित करने वाले हैं—वर्तमान युग की आध्यात्मिक एवं धार्मिक चेतना के प्रबुद्ध सन्तरत्न, उपाध्याय प्रवर, मुनि श्री लालचन्द जी महाराज। आपका जैन-जैनेतर आगमो पर, धर्म-शास्त्रों पर एवं दर्शनो पर अमाधारण अधिकार है। व्याख्यान कला में तो आप बहुत ही लब्धप्रतिष्ठ हैं। आपका बौद्धिक-ज्ञान तर्क की कसौटी पर सदा खरा उतरा करता है और आपके प्रवचन आपके शास्त्रीय ज्ञान की गहनता की गरिमा के प्रतीक होते हैं। श्रीमज्जैमाचार्य, पूज्य श्री जयमल जी महाराज के नवम पट्टधर, आचार्य-प्रवर श्री जीतमल जी महाराज सा० की निश्चा के आप मनीषी सन्त हैं। ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध दोनों शब्द आप पर चरितार्थ होते हैं। अब तब आपने अनेक बड़े-बड़े नगरो (बम्बई, बंगलौर, अमरावती नागपुर, मद्रास, जयपुर, जोधपुर आदि) में अनेक प्रवचन दिये किन्तु श्रावको या जिज्ञासुओं की असावधानी से वे लिपिवद्ध नहीं हो पाये। तात्कालिक लाभ, स्थायित्व का रूप धारण नहीं कर पाया। इस उपेक्षा की ओर मेरा और उन्हीं के प्रतिभा-सम्पन्न सन्त श्री नूतनमुनि जी महाराज का ध्यान आकर्षित हुआ। आचार्य-प्रवर श्री जीतमल जी महाराज की प्रेरणा के जल से सिंचित होकर, हमारी भावना का अकुर इस ग्रन्थ के रूप में पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन प्रवचनों का संग्रह है, वह मुनि श्री जी के ग्राम 'डेह' (जि० नागौर) में किये गये सन् १९७६ के चातुर्मासिक अवस्थान का है। इन प्रवचनों का अकन कर्मठ अध्यवसायी मुनि श्री नूतन जी महाराज ने बड़ी ही लगन एवं एकाग्रता से करके मुझे सौंप दिया था। सम्पादन में यत्र तत्र कहीं भी कोई भूल हो गयी हो तो उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। विद्वान् पाठक यदि किसी त्रुटि की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा।

इस ग्रन्थ में अड़तीस प्रवचनों का सकलन है। सभी प्रवचनों के सारभूत तत्त्वों पर तो यहाँ विस्तार-भय से प्रकाश डालना सम्भव नहीं है किन्तु इतना

अवश्य निर्देश किया जा सकता है कि सबका सम्बन्ध शाश्वत-गुण या वन्दन-मुक्ति से है। प्रायः प्रत्येक प्रवचन का आरम्भ शाश्वत गुण से होता है और समग्र प्रवचन का अन्त कमबन्धन की मुक्ति से होता है। शाश्वत गुण या वन्दन मुक्ति - ये दोनों आगमशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र के विषय हैं। उपाध्याय-प्रवर, मुनि श्री लालचन्द्र जी महाराज को आगमशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र—दोनों का गभीर अध्ययन और चिन्तन-मनन होने के कारण, विवेचनीय विषय का कोई भी पहलू उपेक्षित नहीं रहने पाया है। वृत्त-से प्रवचनों में तो वे चिन्तन के क्षेत्र में इतने गहर उतर गये हैं जहाँ सामान्य श्रावकों की बुद्धि नहीं पहुँच सकती। उनके प्रवचनों की यह विशेषता है कि जब ऐसे कठिन शास्त्रीय प्रकरण आ जाते हैं तो वे तुरन्त समझ जाते हैं कि उपस्थित श्रोता उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे प्रकरण को और सरल बनाकर श्रोताओं के लिए बुद्धिगम्य बना देते हैं। शास्त्रज्ञान सभी के लिए तो रक्षिक नहीं होता, कभी-कभी श्रावकों की बुद्धि की अपेक्षा ने तोरस प्रकरण भी आ जाते हैं। उनको रोचक बनाने के लिए वे किसी ऐसी सरल एवं कौतूहलपूर्ण कहानी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे नोरस लगने वाला विषय भी सरस बन जाता है। आपके प्रवचनों की शैली अत्यन्त सरल, सजीव, रोचक एवं प्रसाद गुण-युक्त है। प्रवचनों के समग्र तो पाठकों ने अनेक पढ़े होने किन्तु उपाध्याय मुनि श्री लालचन्द्र जी महाराज की शैली अपनी विशिष्ट मौलिकता लिये हुए है। आपके अधिकतर प्रवचन, आलोचना-शास्त्र के अनुसार व्यास शैली के हैं।

इस पीरूप-कलश को पावन वेदी पर प्रतिष्ठित करने में अनेक सज्जनतिमात्रो का उत्साह एवं उत्कठापूर्ण योगदान रहा है। आचार्य-प्रवर श्री जीतमल जी महाराज सा० की परम पावन प्रेरणा, सौजन्यमूर्ति श्री शुभचन्द्र मुनि जी महाराज की एतदय शुभकामना, पारसमणिसम मंगलकारी मुनि श्री पाश्वचन्द्र जी महाराज का कलश-प्रतिष्ठान में अपूर्व योगदान, प्रतिभाशाली मुनि नूतनचन्द्र जी महाराज की कलश के कलामय कलन में कमनीय कर्मठता, परम अध्यवसायी कर्म-मर्मज्ञ मुनि श्री गुणवन्त जी महाराज द्वारा कलश की गुण-ग्राहकता और स्वाध्याय-निरत मुनि श्री भद्रिक जी महाराज की भद्रिकता सभी का अभूतपूर्व योगदान ही कलश की प्रतिष्ठा की सम्पन्नता में हमें समर्थ बना सका है। आप सबके योगदान के लिए, गुण-गान के लिए और सम्मान-पहचान के लिए जिन विशेषणों की आवश्यकता है, उन्हें मैं खोज नहीं पा रहा हूँ अपने सचित शब्द कोष में।

३०-४-१९८०

व्यावर (राजस्थान)

नम्रनिवेदक

पुरुषोत्तमचन्द्र जैन

विषयानुक्रमणिका

	पृष्ठ
१ बन्धन मुक्ति-शाश्वत-सुख	१
२ अप्रशस्त और प्रशस्त राग-द्वेष	६
३ जाकी रही भावना जैसी	१२
४ जब जागो तभी सवेरा	१७
५ बिना पाप के अपराधी	२२
६ वीतरागता और सरागता	२६
७ जिस सुख माही दुख बसे वह सुख भी दु खरूप	३४
८ तेल के कटोरे में केन्द्रित मन	३६
९ कर्ममुक्त बनो, पुण्यवान् नही	४७
१० तीन मित्रों में सच्चा कौन ?	५३
११ आदमी, पुरुष, मानव, मनुष्य, नर और सुख-दु ख	६५
१२ जाति-चाण्डाल और कर्म-चाण्डाल	७१
१३ शाश्वत सुख की पृष्ठभूमि	७६
१४ मैं एकाकी कोई न मेरा	८४
१५ नवतत्त्व-विवेचन और तपश्चर्या	९२
१६ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व-विवेचन	१००
१७ क्या हास्य कषायों का बीज है ?	१०६
१८ चमत्कार को नमस्कार	११५
१९ सिद्धि पुरुषार्थ में है, मनोरथ में नहीं	१२२
२० आराधना का आधार—आज्ञा पालन	१२६
२१ दूध में पानी जूती में तेल, इनका कैसा होता मेल	१३६
२२ मूलगुण और उत्तरगुण—विश्लेषण	१४३

२३ आत्मा के तीन रूप	१५१
२४ मुक्ति में बन्धन या बन्धन में मुक्ति	१५८
२५ क्या श्रद्धा मुक्ति की सोपान है ?	१६५
२६ वस्तु स्वरूप और अज्ञानवाद	१७३
२७ वस्तु, भावना और सिद्धि	१८१
२८ क्या मिथ्यात्व भी गुण का स्थान है ?	१८६
२९ मनुष्य-जन्म दुर्लभ क्यों ?	१९७
३० आयुष्य-बन्ध और समुद्रघात	२०४
३१ आत्मा और परमात्मा	२१३
३२ साँच को आँच नहीं	२२१
३३ होनहार भी हितकर होती	२३०
३४ परतत्रता ही बन्धन है	२३८
३५ आत्म विकास की पद्धति	२४५
३६ धर्मक्रियाएँ और धर्मध्यान	२५५
३७ त्याग ही वास्तविक जीवन है	२६३
३८ धर्मध्यान और शाश्वत सुख	२७०

“सम्यक्त्वमूलो विनयप्रधानो,
नयैर्विशोध्यो विबुधा हि लोके ।
धर्मो निरुवत सुखदो हि येन,
स शासनेशो जयतात्सदैव ॥”

—शासनेश वर्धमान की सदा जय-विजय हो, जिन्होंने सर्व-सुखप्रद धर्म का निरूपण किया । उस धर्म का मूल 'सम्यक्त्व' है, 'विनय' उसका प्रधान तत्त्व है एवं निश्चित ही वह विविध नयो से अन्वेषक विज्ञानो की विशेष शोध का विषय है । 'भ्रमण-लाल'

प्रकाशकीय

प्रवचन-साहित्य की दृष्टि से सर्वप्रथम किंतु अन्यान्य प्रकाशनो की शृंखला में समिति का यह दशम पुष्प आपके हाथों में है 'प्रवचन-पीयूष-कलश'—प्रथम कलश। इसमें महामहिम आचार्य-प्रवर पूज्य श्री जीतमलजी महाराज की निश्रा के प्रमुखतम सत, आगमव्याख्याता, पंडित-रत्न, उपाध्याय-प्रवर श्रीलालचन्दजी महाराज के डेह-चातुमसि में प्रोक्त ३८ प्रवचनो का सकलन है।

इधर बहुत वर्षों से श्रद्धालु भक्तजनो एव जिज्ञासु श्रावको को यह माग अवश्य थी कि पूज्य उपाध्याय-प्रवर के प्रवचनो का सुदर सकलन संपादन शीघ्र प्रकाशित हो, किंतु इसके कार्यान्वयन की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। समवत सर्वप्रथम प्रस्तुत कलश के संपादक श्री डॉक्टर पुरुषोत्तमचन्द्र जैन ने ही सध का ध्यान इस ओर खींचा एव स्वयं ने भी योजनाबद्ध रीति से प्रवचनो के इस पीयूष-कलश का कलन सुचारु संपन्न किया। समिति डॉक्टर जैन को अनेको धन्यवाद प्रदान करती हैं एव उनके प्रति आभार प्रकट करती हैं।

पूज्य उपाध्याय-प्रवर की ओजस्वी वाणी, उनका गहन शास्त्रीय अध्ययन-अनुशीलन, भाषा-व्याकरण का प्रखर पांडित्य, चमत्कारिक स्मरणशक्ति, आशु-कवित्व एव अद्भुत वर्णन शैली आदि अनेक गुणो से श्रोतप्रोत उनके एक-एक प्रवचन में वह क्षमता है कि आस्वादमात्र से मोहनिद्रा में सुषुप्त प्राणियो के प्राणो में पीयूष-प्रवाह-सा उमडने लगता है एव नूतन जीवन का संचार हो जाता है। इस दृष्टि से ग्रथ का नाम 'प्रवचन-पीयूष-कलश' भी सार्थक है एव प्रवचनकार का 'उपाध्याय' पद भी सार्थक है।

विद्वज्जनों का आशीर्वाद एव श्रद्धालु पाठको का सहयोग बना रहा तो समिति यह कह सकती है कि निकट भविष्य में ही द्वितीय कलश भी पाठक वृंद के समक्ष होगा।

प्रस्तुत कलश में आकलित सभी प्रवचनो में प्रायः बधन-मुक्ति एव शाश्वत सुख' विषयक विवेचन है। वपाय, वध या वधन, का कारण है एव वधन,

भवभ्रमण को कारण है। भवभ्रमण से छुटकार पाना ही मुक्ति है जिसका परिणाम शश्वैत सुखों की उपलब्धि है। भगवान् महावीर के दिव्य सदेश मुखरित करते हुए पूज्य उपाध्याय श्री ने जन-जन का आह्वान किया है कि वे मोहजनित सासारिक बधनों की शृंखलाओं को तोड़ डालें एवं मुक्ति पथ पर अपने चरण बढायें, जिससे कि जीवन सदा के लिए सुखमय बन सके।

जिज्ञासु पाठक यदि ग्रथ को पढकर जिन वाणी के मारभूत ज्ञान से यत्किञ्चित् भी सुपरिचित होंगे तथा उस ज्ञान को जीवन या आचार में ढाल कर अपने जीवन को सुविकसित बनायेंगे तो निश्चित ही समिति का यह प्रकाशन अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता सिद्ध होगा।

१५१, ट्रिप्लीकेन हाइ रोड,

मद्रास-६००००५

दिनांक १७ नवंबर, १९६०

निवेदक

सुगालचंद सिंघी

मन्त्री



बन्धन-मुक्ति : शाश्वत-सुख

मुक्ति शाश्वत सुखो की निधि है। जीव त्री दो प्रकार की अवस्थाएँ होती है १ वृद्धावस्था और २ अवृद्धावस्था। दोनों अवस्थाओं से संपृक्त प्राणी पृथक् पृथक् नामों से जाने जाते हैं। एक को 'ससारी' एवं दूसरे को 'मुक्त' कहा जाता है। कर्म बन्धन से बद्ध ससारी कहलाता है और कर्मों की निजरा करने वाला मुक्त कहलाता है। 'ससारी' शब्द की निरुक्ति के अनुसार ससार में समरण-भ्रमण करने वाला इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जिधर भी आकर्षण हो, उधर चला जाने वाला ससारी होता है। कमबद्ध जीवों का आकर्षण के अनुसार इधर-उधर जाना तो स्वाभाविक ही होता है किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि बन्धन में बंधे होने पर भी जीव बन्धन के ज्ञान से हीन होते हैं। ज्ञानाभाव के कारण ही वे बन्धन से छूटने का किंचित् प्रयास भी नहीं कर सकते। वे बन्धन के इतने आदी हो जाते हैं कि बन्धन बुरा लगने के स्थान पर उन्हें अच्छा लगने लगता है। यही कारण है कि बन्धन से छुटकारा पाने के स्थान पर वे बन्धन को और अधिक दृढ़ बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। वास्तव में, वे बन्धन को बन्धन नहीं, अचलम्बन समझने लगते हैं। मानव के अतिरिक्त, बन्धन की आसक्ति का उदाहरण पशु-जगत् में भी देखा जा सकता है। लोग पशुओं को पालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं और सूटे से बँधकर रखते हैं। उन्हें चरने के लिए चरागाह में भेज देते हैं। राय चरने के पश्चात् दूध्त होकर पशु पुनः अपने खूँटे के पास आकर खड़े हो जाते हैं, बन्धन के लिए। स्वामी द्वारा तिरस्कृत होकर भी पशु भागते नहीं, कारण कि वे बन्धन को सुख का कारण मानने लगते हैं। उन्हें हिताहित का विवेक नहीं होता। मानव होकर भी क्या हमने कभी इस विषय का चिन्तन किया है ?

ठीक पशुओं के समान, मानव को भी बन्धन प्रिय लगता है। शास्त्र-कारों ने बन्धन के दो भेद किये हैं—१ राग और २ द्वेष। आवश्यक सूत्र में

“पडिककमामि दोहि बधर्णाह”

—ऐसा विधान है। राग का अर्थ 'प्रेम' है। 'मोह' राग से भिन्न है। उसमें अठाईस बातों का समावेश है। हँसना, रोना, क्रोध करना आदि सभी उसके अन्तर्गत आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में मोह अठाईस प्रकार से जीव को रमाता है और वहलाता है। जब हम एक काम से उकता जाते हैं, तो वह दूसरे काम में उलझा देता है। राग और द्वेष भी इसी मोह में समाविष्ट हैं। राग में अनु-राग भी रहता है जो कि प्रेम का प्रतीक है। मराठी भाषा में तो क्रोध को भी राग कहा है। राग का रंग लाल माना गया है। पुत्र को भी लाल कहते हैं। प्यार और स्नेह का रंग भी लाल बताया गया है। उक्त सत्य की पुष्टि में साहित्य-दर्पणकार पंडित विश्वनाथ कहते हैं

“रवनी च क्रोधरागो”

—कि क्रोध और राग दोनों लाल वर्ण वाले होते हैं। राग में क्रोध और प्रेम दोनों का अस्तित्व है। द्वेष क्रोध का सहचर है। जिस वस्तु से हमें प्यार होता है, उसे हम एकत्रित करते हैं और छिपाकर रखते हैं। राग से माया और लोभ दोनों का जन्म होता है। द्वेष से भी क्रोध और मान नाम के कपाय उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष—इनको एक सिक्के के दो पहलू ही कहना चाहिए। जहाँ राग है वहाँ द्वेष अवश्य रहता है। राग का अभाव हो तो द्वेष का भी अस्तित्व नहीं होता। राग की उत्पत्ति पहले होती है। किसी भी वस्तु के सग्रह के पीछे राग छिपा रहता है। सगृहीत वस्तु को कोई क्षति पहुँचाता है तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। आपका कोई लडका यदि किसी कुसंगति में पड़ जाये तो आपको दुःख इसलिए होता है कि आपको पहले उससे राग है। यदि आपके समझाने-बुझाने पर भी वह कुसंगति से विरत नहीं होना तो आप उस पर क्रुद्ध होते हैं। इससे स्पष्ट है कि राग ही द्वेष का जनक है।

शास्त्रकारों के कथनानुसार, हम राग के बन्धन को बन्धन न मानकर सहायक मानते हैं। जिसके प्रति हमारा लगाव या स्नेह कुछ कम होता दिखाई पड़ने लगे, उसे हम येन-केन-प्रकारेण दृढ़ और स्थायी बनाने का प्रयत्न किया करते हैं। एक प्राचीन जैनाचार्य के अनुसार “हम जितनी ही सख्या प्रेमियों की बढ़ाते हैं, उतनी ही सख्या की कीलें मानो अपनी छाती में गाड़ते हैं।” जितना डर हमें मित्र से होता है, उतना शत्रु से नहीं। शत्रु से तो हम सदा सावधान रहते हैं किन्तु मित्र पर तो पूरा भरोसा रहता है, इसलिए उसके सामने सावधान के स्थान पर हम स्वच्छन्द हो जाते हैं। इसी कारण नीतिकारों ने कहा है कि मित्र शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है। मित्र हमारी दुर्बलताओं से भलीभाँति परिचित होता है और अच्छी तरह जानता है कि हम पर

किस प्रकार प्रहार किया जा सकता है। लोग विश्वास के स्थान से ही अधिक धोखा खाया करते हैं।

मित्र बनाते समय कम से कम इस बात का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए कि वह मूर्ख न हो। मूर्ख मित्र से तो विद्वान् शत्रु भला होता है। हितोपदेश में इसी सत्य को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है

“पण्डितोऽपि वर शत्रुर्न मूर्खो हितकारकः ।”

इसी प्रसंग में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं

एक बार एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए गया। वह चोर अवश्य था किन्तु था विद्वान्। निर्धनता से लाचार होकर वह चोरी करने गया था। राजमहल में प्रवेश करते ही उसने एक विचित्र दृश्य देखा। राजा पलंग पर सो रहा था और उसकी रक्षा के लिए एक बन्दर तैनात था। बन्दर तलवार लिए था। जहाँ राजा सोया हुआ था, उसके ऊपर की छत के छिद्र से एक सर्प नीचे की ओर लटक रहा था। सर्प की छाया प्रकाश में राजा पर पड़ रही थी। बन्दर ने राजा के ऊपर प्रतिविम्बित सर्प की छाया को देखकर सोचा कि सर्प राजा को डसना चाहता है। वह तलवार से छाया-सर्प को मारने के लिए उद्यत हो गया। बन्दर ने सोचा था कि राजा को डसने से पूर्व ही सर्प को मारना उचित होगा। छाया-सर्प को मारने के लिए उसने तलवार उठाई। राजमहल में चोरी करने के लिए प्रविष्ट हुआ विद्वान् चोर यह सारा दृश्य देख रहा था। उसने सोचा, “छाया-सर्प पर बन्दर द्वारा चलाई गई तलवार से सर्प तो मरने वाला नहीं किन्तु राजा अवश्य मर जायेगा। मेरा इस समय कर्तव्य है कि मैं राजा के इस मूर्ख मित्र से राजा की रक्षा करूँ।” चोर ने झपटकर बन्दर का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। बन्दर चिल्लाया तो राजा की नीद खुल गई। उसने बन्दर और चोर में रस्साकशी को देखा। राजा को कारण ममभङ्गे में देर न लगी। राजा ने चोर से पूछा, “तुम कौन हो?” “चोर हूँ, हुजूर। चोरी करने के लिए राजमहल में आया था। भूखा था, भूखा प्राणी क्या-क्या पाप करने के लिए उतारू नहीं हो जाता, ‘बुभुक्षित कि न करोति पापम्।’ सोचा था कि सामान्य जन के घर में क्या चोरी करना। राजा के महल में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, वही चोरी करना ठीक रहेगा। यहाँ आकर तो बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। कर्तव्य-पालन ने चोरी की भावना पर विजय प्राप्त की। मैं चोर होकर भी भला अपने राजा के प्राणों को सकट में कैसे देख सकता था? यह मूर्ख बन्दर आप पर तलवार का वार करना चाहता था। मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक दिया, इसलिए यह चिल्ला रहा है।”

चोर ने नम्र शब्दों में राजा को उत्तर दिया ।

उपर्युक्त कहानी से यह सिद्ध होता है कि मूर्ख मित्र से विद्वान् शत्रु अच्छा । किसी विद्वान् का कथन है कि रागी अवगुण नहीं लखा करता । उसे मित्र के दोष दृष्टिगोचर नहीं होते और शत्रु के गुण दिखाई नहीं देते । कहा भी है

‘रागी अवगुण नहीं लखे, यही जगत की चाल ।
परतिख काला किसन जी, ज्या ने कहे कन्हैया लाल ।’

राग और द्वेष का अपनी तीव्रता पर पहचान ही मित्यात्व है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है—राग और द्वेष दोनों बन्धन हैं । रागी को अवगुण न दिखने से बन्धन है तो द्वेषी को गुण न दिखने से भी बन्धन ही है । इसके अतिरिक्त ये दोनों रागी और द्वेषी, कमश अवगुण को गुण और गुण को अवगुण के रूप में देखने लगते हैं । यही राग और द्वेष की तीव्रता है और इसी कारण ये दोनों मित्यात्वी माने जाते हैं । मित्यात्व से आवृत मानव-प्रकृति न राग को मिटाना चाहती है और न द्वेष को । बहुत समझाने पर भी व्यक्ति बन्धन को बन्धन न मानकर उसे अपनी प्रतिष्ठा का साधन मानने लगता है ।

राग और द्वेष को जब तक महान् पाप एवं दुष्काट्य बन्धन नहीं समझा जाता, तब तक आत्मकल्याण कदापि सम्भव नहीं है । राग और द्वेष के बन्धन रस्सी और साँकल के बन्धन जैसे नहीं हैं । रस्सी और साँकल के बन्धन तो बाह्य बन्धन हैं । इन बन्धनों से हम पूरे नहीं बँध सकते । फिर ये बन्धन तो हमें इन्द्रियो से भी दिखाई दे जाते हैं । थोड़े-से प्रयत्नों के फलस्वरूप बाह्य बन्धनों से मुक्ति मिल सकती है किन्तु राग और द्वेष के बन्धन ऐसे नहीं हैं । ये तो आन्तरिक बन्धन हैं । इन्होंने आत्मा के एक एक प्रदेश को जकड़ रखा है, बाँध रखा है । आत्म प्रदेशों से एकाकार होकर, ये हमें इधर-उधर, नीचे-ऊपर भटकाने का काम करते हैं । फिर ये बन्धन हमें बन्धन के रूप में दृष्टिगोचर भी नहीं हो सकते । इसके लिए तो आत्मा की जागृति एवं सावधानी ही आवश्यक है । बिना आत्मजागृति के हमें विभिन्न दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ता है एवं असह्य दुःख भोगने पड़ते हैं । बाह्य बन्धन केवल अशमात्र को बाँधते हैं । उनसे हमारे किसी काम में बाधा नहीं पड़ती । उदाहरण के लिए जब एक हाथ बंध जाये तो दूसरा हाथ, दोनों हाथ बँध जायें तो पैर, हाथ, पैर बँध जायें तो शरीर के अन्य भाग मुँह, दाँत आदि अपनी-अपनी क्षमताओं से शरीर को बन्धन से मुक्त कर सकते हैं । यह बाह्य बन्धन इतना हानिकारक नहीं है । किन्तु राग-द्वेष का बन्धन तो ऐसा बन्धन है जिससे हमारा रोम-रोम बँध जाता है । यहाँ, तक कि राग-द्वेष के विरुद्ध हमारे सोचने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है । हमारे मन, वचन और काय सभी उसमें बँध जाते

है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अनादिकालीन अर्थार्थ दृष्टिकोण को बदलें। बन्धन को सुख का माधन न मानकर बन्ध के रूप में ही जानने का प्रयत्न करें एवं फिर उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करें। तभी हम शाश्वत सुखों की ओर अग्रसर हो सकेंगे। शाश्वत सुख या मोक्षप्राप्ति के लिए राग-द्वेष के बन्धनों से मुक्ति परमावश्यक है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

७ जुलाई, १९७६





अप्रशस्त और प्रशस्त राग-द्वेष

शाश्वत सुखो की उपलब्धि के लिए, जीव को बन्धनो से मुक्त होना परमावश्यक है। बन्धन क्या है और बन्धन से मुक्ति किस प्रकार सम्भव है, इस पर हम आज कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। बन्धन राग का भी होता है और द्वेष का भी। कहने में ये बन्धन दो प्रकार के प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में ये एक ही हैं। उदाहरण के लिए दो डोरियाँ प्रथम अलग-अलग बटी जाती हैं और पश्चात् बटकर दोनों एक रूप धारण कर लेती हैं, और दृढता लानी हों तो उस बटी हुई डोरी को दोहरा करके पुनः बट दे दिया जाता है। ऊपर से देखने में तो डोरी एक ही दीखती है परन्तु उसके अन्दर अनेक बन्धनो की परम्परा निहित है। ठीक इसी प्रकार तीव्र-राग और तीव्र-द्वेष ये दो ऊपर से भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु 'मिथ्यात्व' नामक शब्द में दोनों का समावेश हो जाता है। या यो भी कह सकते हैं कि मिथ्यात्व दोनों का सम्मिलित एक रूप है। यह मिथ्यात्व का बन्धन अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारी आत्मा अनादिकाल से इस मिथ्यात्व के बन्धन में बँधी हुई है। मिथ्यात्व या तीव्र राग और तीव्र-द्वेष से मुक्त हुए बिना आत्मा का बन्धन से छुटकारा सम्भव नहीं है। अनादिकाल से जिन वस्तुओं के साथ हमारा आत्मा राग करता आया है, उनसे अब भी निरन्तर राग या आसक्ति का बना रहना तीव्र-राग है। इसी प्रकार तीव्र-द्वेष में जीव अनादिकाल से जिन वस्तुओं से द्वेष करता आया है, उनसे निरन्तर द्वेष ही बना रखना चाहता है। यदि हम थोड़ी सी विपरीत स्थिति अपना लेते तो बड़ा लाभ हो सकता था। उदाहरण के लिए जिन वस्तुओं या बातों के साथ हमने तीव्र-राग किया उनके साथ यदि थोड़ा-सा द्वेष कर लिया होता, तो हमारे तीव्र-राग के अन्दर थोड़ा शैथिल्य आ गया होता। जिनके साथ हमने तीव्र-द्वेष किया उनके साथ तनिक राग करने से तीव्र-द्वेष में शिथिलता आ गई होती। निःसन्देह यह कठिन कार्य है किन्तु अध्यवसायी के लिए क्या असम्भव है? अनादिकाल से हम धन से, परिवार से तथा अन्य अनेक भौतिक पदार्थों से, जो मन को अच्छे लगते हैं, तीव्र-राग

करते आये हैं। वह राग कभी मन्द नहीं पडा किन्तु उत्तरोत्तर बढ़ता ही आया है। जिन वातों से हमने द्वेष किया है जैसे ममत्व का त्याग, अविद्वृत वस्तु का त्याग, मन को भाने वाली वस्तुओं का त्याग आदि में हमारी द्वेष भावना रही है या उन पर तीव्र-द्वेष रहा है। यदि वह द्वेष अल्प समय के लिए भी मन्द पड गया होता या शिथिल पड गया होता तो तीव्रता में निश्चित रूप से शिथिलता आ जाती। दूसरे शब्दों में मित्यात्व पतला पड जाता। किन्तु ऐसा नहीं हो सका इसका मुख्य कारण यही है कि जिन वातों से हमने राग किया, उनके साथ निरन्तर हमारा राग भाव ही बना रहा और जिनसे द्वेष किया उनके प्रति द्वेष ही चलता रहा।

आत्मा के उत्थान के लिए देव, गुरु और धर्म ये तीन माध्यम हैं। देव, गुरु और धर्म—ये तीनों मध्यस्थ शब्द हैं। इन तीनों की भी कोटियाँ हैं कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, सुगुरु, सुदेव, सुधर्म, सामान्य गुरु, सामान्य देव और सामान्य-धर्म। प्रथम तीन त्याज्य हैं, अगले तीन आदरणीय एवं अतिम तीन केवल जानने योग्य हैं। चौथा कोई भी विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि यह वाणी तीन कालों—भूत, भविष्यत्, वर्तमान—के ज्ञाता सर्वज्ञों की है। इसमें किञ्चित् भी सन्देह नहीं किया जा सकता।

देव तीन प्रकार के होते हैं जानने योग्य, छोड़ने योग्य और आदरने योग्य। इसी प्रकार गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं जानने योग्य, छोड़ने योग्य और आदरने योग्य। इसी प्रकार धर्म भी जानने योग्य, छोड़ने योग्य और आदरने योग्य होता है। मात्र देव, गुरु और धर्म ही नहीं किन्तु ससार के प्राय सभी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह भाव और स्पष्ट हो जायेगा। एक व्यक्ति बाजार से धान की बोरी खरीद कर लाता है। लाकर अपनी पत्नी को सौंप देता है। बोरी को खोलकर उसकी पत्नी सारा धान पृथ्वी पर डाल देती है। बाजार से बोरी के रूप में केवल एक नग आया था किन्तु अब बोरी और धान, दो नग बन गये। गृह-स्वामिनी अब धान का सोहना-सोघन करती है। 'पहले सोहै फिर पोवै'। यह एक पुरानी कहावत है। सोहना प्राकृत का शब्द है, संस्कृत में इसका रूप शोधन बन जाता है जिसका अर्थ है शुद्ध करना। धान के अन्दर अनेक वस्तुएँ—मिट्टी, ककर, घास, फूस और कचरा मिले होते हैं। इन वस्तुओं का खलिहान में धान के साथ मिल जाना इतना बुरा नहीं है जितना कि इनको जान-बूझकर धान में मिलाना है। हमें तो यह सुनने में आया है कि लालच के बशीभूत होकर व्यापारी लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए उक्त वस्तुओं का धान में मिश्रण कर देते हैं। ऐसा करके व्यापारी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की जिन्दगी के साथ खेलते हैं। क्या यह महापाप और महापराध नहीं है? केवल धान में ही नहीं...

धियो में भी लोग मिश्रण करते हैं जिनके फलस्वरूप अनेक रोगी प्रतिवर्ष मृत्यु का शिकार बनते हैं। ऐसा महापाप करनेवाले लोग कठोर से कठोर दण्ड के पात्र हैं। हमने अनेक बार समाचारपत्रों में पढ़ा है कि अमुक व्यक्ति या व्यापारी मिलावट के अपराध में पकड़ा गया और उसे कठोर कारावास का दण्ड मिला, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सब कुछ होते हुए भी मिलावट करने वाले व्यापारी अपने अपराध-कर्म को निरन्तर करते चले आ रहे हैं। इसलिए मिलावट से उत्पन्न होने वाले जहर से त्राण पाने के लिए यह परमावश्यक है कि प्रत्येक पदार्थ का उपयोग उसे शुद्ध करके ही किया जाये।

इसी बात को ध्यान में रखकर स्त्री, धान से कूड़ा करकट निकालकर उसे शुद्ध करती है। इतना कूड़ा-करकट निकला कि एक पात्र पूरा भर गया। अब एक नग से तीन नग बन गये बोरी, धान और कचरा। इन तीनों में से बोरी जानने योग्य है। संस्कृत में इसको ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञेय शब्द बड़ा सारगर्भित है। ज्ञेय शब्द का अर्थ जानने योग्य तो है किन्तु क्या जो कुछ हम जानते हैं सभी जानने योग्य है? इसका उत्तर निषेधात्मक है। बहुत सी बातें तो हमारे मस्तिष्क में कचरे के समान तुच्छता लिए हुए हैं, वे ज्ञेय न होकर हेय हैं, इसलिए उनका त्याग करना होगा। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि "जिस गाँव में जाना नहीं उसका मार्ग क्यों पूछना?" हमारा जो गन्तव्य स्थान है या उद्दिष्ट लक्ष्य है उसी की जानकारी हमारे लिए अपेक्षित है। उससे भिन्न जानकारी हमें अपने लक्ष्य से च्युत कर सकती है।

लक्ष्य से च्युत करने वाले सभी विचार कचरे के समान हैं। हमें उनको मस्तिष्क में भरकर अपने मस्तिष्क को कचरा पेटी नहीं बनाना चाहिए। आपके सामने यदि कोई व्यक्ति किसी की निन्दा या बुराई करता है तो आपको तुरन्त उसका प्रत्याख्यान करके कहना चाहिए कि 'हमारा मस्तिष्क कचरे की पेटी' नहीं है। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क अनुचित बातों के कचरे से बचा रहेगा, शुद्ध रहेगा और शान्त रहेगा। अनुचित विकृति से दूर रहकर आप स्थिरमति बन जायेंगे और आप में इतनी महान सामर्थ्य उत्पन्न हो जायेगी कि आप पर बड़े से बड़े भ्रंशावात भी असर नहीं कर पायेंगे। उस स्थिरमत्तित्व की स्थिति में आप यही सोचेंगे, "अपना-अपना क्षयोपशम है, अपने अपने गुणावगुण हैं, मेरा उनसे क्या सम्बन्ध है?"

तो मैं आपको अभी बता रहा था कि जानने योग्य बातों को ज्ञेय कहते हैं। आज के युग में तो प्रत्येक वस्तु के विषय में थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। इसको General Knowledge या सामान्य ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। सामान्य ज्ञान बुरा नहीं है किन्तु उसमें समग्रता नहीं है, वैशिष्ट्य नहीं है, इस कारण उसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता।

किसी विद्वान् ने इस प्रसंग पर ठीक ही तो कहा है

खण्डे खण्डे तु पाण्डित्य, ऋयकीत च मैथुनम् ।
भोजन च पराधीन, तिस्र पसा विडम्बना ॥

अर्थात्—

थोड़ा-थोड़ा ज्ञान, खरीदा हुआ सभोग और पराधीन भोजन—इन तीनों बातों को जीवन की विडम्बनायें ही समझना चाहिए ।

अल्प ज्ञान तो अल्प ज्ञान ही है, उसमें पूरी और वास्तविक जानकारी कहाँ हो पाती है ? अल्प ज्ञान के कारण ही लोग उचित प्रमगों में अनुचित टाँग अडायी करते हैं ।

ज्ञेय के भाव को और स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता है । हम एक हजार व्यक्तियों के नाम जानते हैं या उनसे परिचित हैं । उस बड़ी संख्या में से केवल पाँच व्यक्ति ही हमारे काम आते हैं या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । तो सार यह निकला कि वे पाँच व्यक्ति ही ज्ञेय—जानने योग्य हैं, शेष तो मस्तिष्क के लिए कचरारूप हैं, हेय हैं—त्यागने योग्य हैं । कचरे को निकालकर ही जानने योग्य वस्तु को जाना जा सकता है । ऊपर दिये बोरी के उदाहरण में बोरी जानने योग्य है, धान में मिले हुए ककर, पत्थर त्यागने योग्य हैं और धान कण आदरने योग्य हैं । विश्व के सभी पदार्थ ज्ञेय, हेय और उपादेय के भेद से तीन प्रकार के हैं । जानने योग्य को जानना चाहिए, त्यागने योग्य को त्याग देना चाहिए और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेना चाहिए ।

ज्ञानी पुरुषों ने देव, गुरु और धर्म, इन तीनों का विस्तृत वर्णन किया है । इनमें से कौन-सा देव, कौन-सा गुरु और कौन-सा धर्म ज्ञेय है, हेय है अथवा उपादेय है, यह जान लेना और भलीभाँति समझ लेना परमावश्यक है । सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म—ये सम्यक्त्व के प्रतीक हैं । कुदेव, कुगुरु और कुधर्म—ये मिथ्यात्व के प्रतीक हैं और मिथ्यात्व के बन्धन को दृढ़ता प्रदान करने वाले हैं । इनके द्वारा सांसारिक-भौतिक पदार्थों के प्रति हमारी लालसा बढ़ती है, रुचि उत्पन्न होती है और आकर्षण बढ़ता है । परिणामस्वरूप हम अधिकाधिक परवश होते जाते हैं । इसके विपरीत, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म हमें स्वावलम्बी बनाते हैं और स्वतन्त्र बनाते हैं । सुदेव, सुगुरु और सुधर्म कौन-से हैं—इस बात की पहचान करना सम्यक्त्वी व्यक्ति का कर्तव्य है । इस विषय पर ज्ञानी पुरुषों ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । सम्यक्त्व के विरले-पण से देव, गुरु और धर्म की व्याख्या करते हुए अरिहन्त को देव, निग्रन्थ को गुरु और अरिहन्त-प्रतिपादित धर्म को धर्म कहा गया है ।

अरिहन्त उसको कहते हैं जो सब प्रकार की योग्यताओं से सम्पन्न हो और जो सब प्रकार की प्रशंसा का पात्र हो। जिनमें सर्वज्ञता है, सर्वदर्शिता है, वीतरागता है, सर्वतत्र-स्वतत्रता है और सर्वगुणसम्पन्नता है, वे ही अरिहन्त कहलाते हैं। जिस व्यक्तित्व में उन्नत गुणों का अभाव है, उसकी यदि हम प्रशंसा करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम वैसा किसी स्वायत्तवश कर रहे हैं। स्वार्थ-वश दूसरे को बना रहे हैं और कभी-कभी स्वयं भी बन जाते हैं। बनाना शब्द लौकिक भाषा में व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त होता है। बनना बुरा है या बनाना बुरा है इस पर आपको विशेष कहना इसलिए उचित नहीं कि आप तो स्वयं अधिक सरया में बनिया हैं, फिर भला बनना बुरा कैसे हो सकता है ?

शास्त्रकारों ने 'बनना' शब्द पर बड़ा गम्भीर चिन्तन किया है। वर्तमान में जो जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, उससे भिन्न रूप में बनने की जिसकी योग्यता है, वह 'भव्य' कहलाता है। उसके जो विपरीत है वह 'अभव्य' कहलाता है। दूसरे शब्दों में — भव्य का अर्थ है होने योग्य और अभव्य का अर्थ है न होने योग्य। जिसे टाँची लगाकर नवीन आकार नहीं दिया जा सकता, वह अभव्य है। जो गढ़ा जा सकता है, जिसमें आकृति लाई जा सकती है वह भव्य है। भव्य में शिल्पी अपनी इच्छानुसार आकृति बना देता है। जो वस्तु बनाने वाले की प्रक्रिया को झेल लेती है वह पूजनीय बन जाती है। भगवान् का रूप धारण कर लेती है, लोग थढ़ा स उसे प्रणाम करने लगते हैं, पूजन करने लगते हैं। ठीक ही तो कहा है किसी कविवर ने

गुरु कारीगर सारिखा, टाँची बचन विचार ।

पत्थर की प्रतिमा रचे, पूजा करे ससार ॥

इसी को कहते हैं बनना या भव्य। जो भव्य होता है, गुरु की शिक्षा को धारण कर लेता है, अपने अनादिकाल के दुःस्वभाव को छोड़ देता है और अपने तीव्र-राग और तीव्र-द्वेष के बन्धनों को तोड़ देता है, उसका राग अब द्वेष का रूप ले लेता है और द्वेष राग का रूप धारण कर लेता है। वह अब तक जिससे राग करता आया है उससे द्वेष करने लगता है और जिससे द्वेष करता आ रहा था उससे राग करने लगता है। राग द्वेष से वह अब तर्क मुक्त नहीं हो पाया है, वे ज्यों के त्यों हैं किन्तु स्थान परिवर्तन के कारण राग-द्वेष अच्छे रूप में परिवर्तित हो गये। पहले उसका राग पुत्र, स्त्री, धन-सम्पत्ति तथा अन्य अनेक भौतिक पदार्थों पर था, अब गुरु के सदुपदेश से स्वयं को ओत-प्रोत करने के कारण उसका राग सद्गुरु, भगवान् और धर्म पर हो गया। जिनसे चिरकाल से द्वेष करता आ रहा था अब वह उन्हें अपने प्रिय समझने लगा, अपना हितैषी समझने लगा और कामना करने लगा कि जन्म-जन्मान्तर

मे मुझे इन्ही की सगति मिलती रहे, इनकी वाणी मेरे कानों को पवित्र करती रहे और मुझे इनकी शरण मिलती रहे जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो सके। मेरे इस विवरण से आप भलीभाँति समझ गए होंगे कि जो तीव्र राग और द्वेष पहले अप्रशस्त थे, वे स्थान-परिवर्तन के कारण प्रशस्त बन गये। सुगुरु, मुदेव, सुधर्म के प्रति राग होने लगा और कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के प्रति द्वेष रहने लगा। एक प्रशस्त राग बन गया और दूसरा प्रशस्त द्वेष बन गया। जो राग और द्वेष पहले अहितकारी थे वे अब इतने हितकारी बन गये कि जीव की राग द्वेष विमुक्ति के भी साधन बन गये।

पर मे जब काँटा लग जाता है तो वह काँटे के विरोधी फूल से तो नहीं निकाला जा सकता, वह तो काँटे से ही निकाला जा सकता है। तभी तो नीतिकार ने कहा है

“कण्टकेनैव कण्टकम्”

निकालने वाला काँटा लगने वाले काँटे से दृढतर होना चाहिए अन्यथा निकालने के स्थान पर वह स्वयं भी लग जायेगा। अप्रशस्त तीव्र-राग और अप्रशस्त तीव्र द्वेष रूपी काँटे अनादिकाल से हमारे शरीर में लगे हुए थे। प्रशस्त-राग और प्रशस्त-द्वेष रूपी दृढतर काँटों ने उनको निकालकर जीवन को परिवर्तित कर दिया। सक्षेप में, प्रशस्त-राग और प्रशस्त-द्वेष के द्वारा ही जीव का उद्धार सम्भव है, अन्यथा नहीं। सुगुरु, सुदेव और सुधर्म पर होने वाला राग धीरे-धीरे वीतरागता में बदल जाता है। इसको जीवन की महान् उपलब्धि समझना चाहिए।

जिस प्रकार निर्धनावस्था में ही व्यक्ति धनवान बनने का प्रयत्न करता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान् होने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वृद्धावस्था व्यक्ति को युवत होने के लिए उद्यमवान् बनाती है, ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व की कारा से मुक्ति पाने के लिए सम्यक्त्व की उपलब्धि का प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, “राग और द्वेष दो बन्धन हैं। ऊपर से दो दिखाई देते हैं, वास्तव में एक ही हैं।” प्रशस्त रूप में जब वे हमारे सामने आते हैं तो हमें श्रत, पञ्खान आदि मर्यादाओं व नियमों के प्रति हमें रुचि होने लगती है। फलस्वरूप हम सम्यक्त्व की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारे सञ्चित कर्मों का क्षय होने लगता है। सञ्चित कर्मों का क्षय ही शाश्वत सुख है जिसे आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष के नाम से पुकारा जाता है।

जैन-भवन, डेह(नागौर)

८ जुलाई, १९७६





जाकी रही भावना जैसी

शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए जीव सदा प्रयत्नशील रहता है। अजीव तो जड़ को कहते हैं, वह तो सुख और दुःख दोनों से विहीन होता है। अनुभूति की शक्ति केवल चेतन जीव में ही जड़ में नहीं। अब हमें जीव के लक्षण पर विचार करना है। कुछ लोगों के अनुसार, चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना, हिलना, डुलना, श्वास लेना आदि क्रियाओं से युक्त जीव कहलाता है, किन्तु वास्तव में वह लक्षण जीव पर घटित नहीं होता। चलती तो घड़ी भी है, साइकलें भी हैं, मोटरें भी हैं और वायुयान भी। उक्त सारी मशीनरी वैज्ञानिक शक्ति से क्रियाशील बनती है अपनी शक्ति से नहीं। इसी प्रकार बोलना भी है। घड़ी, ग्रामोफोन, टेपरिकाडर, रेडियो—बोलते तो वे भी हैं किन्तु वे जीव नहीं हैं। खाना-पीना भी जीव का लक्षण नहीं हो सकता। खाना पीना शरीर पर आधारित होता है। लोहे की मशीनरी भी कोयला, तेल, पेट्रोल, जल आदि खाती-पीती है, किन्तु वह जीव नहीं है। श्वास लेने मात्र से भी वस्तु जीव नहीं बन जाती। लोहार की धौकनी भी तो श्वास लेती है किन्तु वह जीव तो नहीं है।

तो फिर जीव का लक्षण क्या है? शास्त्र के अनुसार 'चेतनशक्ति से सम्पन्न होना' जीव का लक्षण है। चेतनशक्ति के कारण ही जीव जानता है और अनुभव करता है। अनुभव की विकसित शक्ति के अनुसार ही वह उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए सुख-दुःख का अनुभव करता है। सासारिक जीव को सुख और दुःख का अनुभव इंद्रियों की न्यूनाधिकता के आधार पर होता है। पचेन्द्रिय जीव अपने सुख-दुःख की अनुभूति दूसरों को भी करा देते हैं। एकेन्द्रिय जीव से यह सम्भावना नहीं की जा सकती। सुखरूप या दुःखरूप किसी भी प्रकार का अनुभव करना तो जीव का लक्षण है किन्तु अनुभव को ही प्रमाण मान लिया जाये तो सबको एक ही प्रकार का अनुभव होना चाहिए किन्तु ऐसा न होता ही है और न सम्भव ही है। बलवान् मनोबल वाले लोग बड़े से बड़े कष्ट को, आपत्ति को या सकट को दृढ़ता से सहन कर लेते हैं और

शिथिल शक्ति वाले कष्ट के आगे हथियार डाल देते हैं, तड़पने लगते हैं और कई बार दम भी तोड़ देते हैं। इससे स्पष्ट है कि सबसे अनुभव करने की शक्ति समान नहीं है। निःसन्देह अनुभव करना जीव का लक्षण है, जट रा नहीं। पदार्थों को देखना भी जीव का लक्षण है। शास्त्रीय दृष्टि में—

“ज्ञानदर्शनमयो जीव ।”

— ज्ञान और दर्शन—दोनों चेतना के ही दो भेद हैं। ‘मैं दुःखी हूँ अभाव-ग्रस्त हूँ’ आदि का आभास जिसे होता है, वही सुख के लिए प्रयत्न करता है और सुख के लिए लालायित रहता है। सच्चा सुख क्या है और झूठा सुख क्या है? इसको समझने की भी वह चेष्टा करता है। सच्चे सुख की पहचान होने पर वह सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सच्चे सुख का ही दूसरा नाम शाश्वत सुख है। अजीब या जड के लिए यह सब सम्भव नहीं है।

जैसा कि ऊपर भी सकेत किया जा चुका है जिसकी जितनी चेतना विकसित हुई है और जिसके पास जितना अनुभव का साधन है, उसके अनुसार ही वह अनुभूतियों का सग्रह करता है। जीवन दस बातों का योग है। वे दस बातें हैं दस प्राण। पच्चीस बोलों में इनका वर्णन है। पाँचों इन्द्रियों के बल प्राण, मन, वचन और काया के बल प्राण, श्वासोच्छ्वास का बल प्राण और आयुष्य का बल प्राण। ये सब सरया में दस हैं। इन दसों पर हमारा जीवन आधारित है। इन दसों में से एक के भी अघूरा रहने पर हमारा जीवन निर्बल हो जाता है। जीवन अपूर्ण रह जाता है। दस प्रकार के प्राणों की हमें उपलब्धि है। इनके द्वारा अनुभव करने की और पूर्ण रूप से जीने की सुविधा और सामग्री हमें प्राप्त है। हमने माता के गर्भ में आने के समय ही, अपने भावी लम्बे जीवन के यापन के लिए सामग्री प्राप्त कर ली थी। हमारा जीवन पर्याप्तक बन गया था।

जीवन दो प्रकार के होते हैं पर्याप्तक और अपर्याप्तक। हम पर्याप्तक हैं, अपर्याप्तक नहीं। अब हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। सासारिक जीवन जीने के लिए तो हमने सारे साधन जुटा लिये किन्तु भावी जीवन के लिए साधन नहीं जुटाये, ऐसे साधन जिनके द्वारा जन्म-मरण का बन्धन कट सके। इसके लिये हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। दृष्टिकोण तीन प्रकार के हैं वस्तु का जो स्वरूप है उसे ज्यों का त्यों मन में स्थिर करना ‘सम्यग् दृष्टिकोण’ कहलाता है। वस्तु के स्वरूप को उससे भिन्न मानना ‘मिथ्या दृष्टिकोण’ के नाम से जाना जाता है। वस्तु-स्वरूप के कुछ अंश को जैसा का तैसा मानना और कुछ अंश को उससे विपरीत मानना ‘मिश्र-दृष्टिकोण’ है। हम सम्यग् दृष्टि वाले हैं या मिथ्या दृष्टि वाले हैं, इस पर हमें विचार करना

चाहिए। जब हम इन तीनों दृष्टियों के वास्तविक स्वरूप को समझ लेंगे तभी हम यह निश्चय कर सकते हैं कि हमारी दृष्टि कौन-सी है।

ससार के समस्त पदार्थों का ज्ञान तो हमें नहीं है और ज्ञानाभाव के कारण हमारा उनसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है, अच्छा या बुरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। हम जब किसी पदार्थ के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करेंगे तभी तो वह हमें प्रभावित करेगा। जो पदार्थ जैसा है उसके प्रति वैसा ही विचार यदि हम स्थिर करेंगे तभी वह पदार्थ हमको लाभ पहुँचा सकेगा। उससे हानि की सम्भावना नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी पदार्थ को गलत ढंग से समझ लेते हैं, गलत धारणा उसके प्रति बना लेते हैं, तो उस पदार्थ से हमें हानि भी पहुँच सकती है। अति-दूरस्थ पदार्थ के प्रति भी यदि हम विपरीत विचार-धारा बना लेते हैं तो वह दूरस्थ पदार्थ भी हमें हानि पहुँचा सकता है। यदि जो पदार्थ जैसा है उसे हम वैसा ही 'सम्यग् दृष्टि' से अपने हृदय में धारण करते हैं तो वह पदार्थ दूरस्थ होता हुआ भी हमें लाभ पहुँचायेगा। इसमें रहस्य है कि विश्व का कोई भी पदार्थ, चाहे वह निकटस्थ हो या दूरस्थ, उसके प्रति जैसी विचारधारा स्थिर करते हैं उसके अनुरूप ही हमें फल मिलता है। कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष हमें हानि-लाभ पहुँचाने वाले नहीं है, वास्तव में तो हमारी भावना ही फलप्रद होती है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि विश्व का सारा तत्र आपके हाथ में है, आप जिस प्रकार का अपना भविष्य बनाना चाहें, जिस पदार्थ से जैसा काम लेना चाहें, ले सकते हैं। इस प्रसंग पर मुझे एक उदाहरण स्मरण हो आया है

दो व्यक्ति थे, अपने अपने गाँव से व्यापार के निमित्त दिसावर को रवाना हो गये। उन दोनों की अचानक एक स्थान पर मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। एक ने दूसरे से पूछा

“आप कहाँ जा रहे हैं ?”

“दिसावर जा रहा हूँ।” दूसरे ने उत्तर दिया।

“किस लिये ?”

“माल खरीदने के लिये।”

“और आप कहाँ जा रहे हैं ?” पहले ने कहा।

“मैं भी दिसावर जा रहा हूँ, माल खरीदने के लिये।”

“कौन-सा माल खरीदेंगे आप ?”

“चमड़ा।”

“और आप ?”

“घी।”

दोनों की मुलाकात स्टेशन पर हुई थी। गाड़ी आते ही दोनों गाड़ी के

एक ही कक्ष में चढ़ गये। कक्ष में कोई वार्तालाप नहीं हुआ। जबशन आते ही दोनों उतर गये। थोड़ी पहचान के कारण दोनों साथ-साथ हो लिये और दोनों ने एक साथ नगर में प्रवेश किया। अब दोनों के सामने भोजन की समस्या थी। एक बोंड पर पड़ा—

“शुद्ध और स्वादिष्ट भोजनशाला”

दोनों ने भोजनशाला में प्रवेश किया। प्रबन्धक ने पूछा—

“आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं और किस लिये जा रहे हैं ?” एक ने चमड़े की खरीद के लिये तथा दूसरे ने घी की खरीद के लिये दिसावर जाने की बात कही।

प्रबन्धक ने दोनों के भोजन की व्यवस्था कर दी। घी के व्यापारी की तो घर के अन्दर ही सुन्दर आसनादि द्वारा व्यवस्था की गयी। जबकि चमड़े के व्यापारी को सामान्यजन की तरह बाहर बरामदे में ही बैठा दिया गया। चमड़े का व्यापारी मन में सोच रहा था, “मैं चमड़े का व्यापारी हूँ, इसलिए सम्भवतः मुझे नीच समझकर बाहर ही बैठा दिया गया है और घी के व्यापारी को महाजन समझकर उसकी घर के अन्दर अच्छी व्यवस्था कर दी है।”

दोनों वहाँ भोजन करके अपने काम के लिये रवाना हो गये। दो मास तक दोनों भिन्न-भिन्न स्थानों में अपने-अपने माल की खरीदारी करते रहे। मालगाड़ियों में माल भेजकर दोनों उसी नगर में लौटे तो पुनः दोनों की भेंट हो गयी। दोनों ने अपने-अपने माल की खरीदारी की चर्चा की। दोनों भोजन करने की इच्छा से पहले वाले भोजनालय में ही गये। प्रबन्धक से परिचय था ही, दोनों का कुशल-मंगल पूछकर व्यापार की सफलता के विषय में पूछा। दोनों ने अपनी अपनी सफलता के लिए पूर्ण सन्तोष प्रकट किया। पूर्व की भोजन-व्यवस्था के विपरीत, प्रबन्धक ने अब की वार जो चमड़े का व्यापारी था उसके भोजन की व्यवस्था तो बड़े ही सुन्दर ढंग से भवन के अन्दर की और घी के व्यापारी को सामान्यजन की तरह बाहर बरामदे में बैठा दिया। दोनों व्यापारी बड़े आश्चर्यचकित थे, व्यवस्था की विपरीतता पर। भोजन की समाप्ति पर दोनों ने भोजन प्रबन्धक से कहा, “यदि आप वृत्त न मानें तो क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं ?” “बुरा मानने की क्या बात है ? आप बड़ी प्रसन्नता से पूछिये।” प्रबन्धक ने प्रत्युत्तर दिया। घी के व्यापारी ने कहा, “पहले जब हम दोनों यहाँ भोजन करने आये थे तो आपने मुझे तो मकान के अन्दर बैठाकर बड़े ही सुन्दर ढंग से भोजन कराया था और मेरे साथी को बाहर बरामदे में बैठाकर ही साधारण व्यक्ति के समान भोजन कराया

था। अब की बार यह सर्वथा विपरीत व्यवस्था की है। हम दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आप इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे ?” “रहस्य कुछ नहीं, यह तो एक सामान्य सी बात है। यदि आप दोनों इतनी छोटी-सी बात भी नहीं समझ पाये हैं तो क्या तो आप व्यापार करेंगे और कैसे जीवन की गाड़ी चलायेंगे।” तो सुनिये।

“जिम समय चमड़े का व्यापारी चमड़े की खरीद के लिए जा रहा था उम समय उसके मन में यह विचार था कि मुझे सस्ता से सस्ता चमड़ा मिले। सस्ता से सस्ता चमड़ा कब मिलता है ? जब प्राणी अधिक सरया में मृत्यु के ग्रास बनते हैं। गायें, भैंसें, बैल आदि अनेक पशु मरेंगे तभी तो चमड़ा सस्ता होगा। प्राणी कब मरते हैं, जब दुष्काल पडता है। दुष्काल पडने से केवल पशु ही नहीं मरते किन्तु मानव का जीवन भी फसल के नष्ट होने से भार बन जाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस समय चमड़े के व्यापारी के मन में अत्यन्त क्रूर और नीच भाव थे। ऐसी दूषित भावना वाले व्यक्ति को मैंने बाहर बैठाना ही उचित समझा था। तुम्हारे मन में भी यही भावना थी कि मुझे सस्ता से सस्ता घी मिले। सस्ता से सस्ता घी कब मिलता है, जब पशु घन हूँट-पुँट होता है, सर्वत्र खुशहाली होती है, फसले फूलती-फलती हैं और सुकाल होता है। तुम्हारे मन में उस समय जनकल्याण की भावना थी, इसलिये मैंने तुम्हें अन्दर बैठाकर भोजन कराया था। तुम्हारे साथी के मन में उस समय लोक के अमंगल की भावना थी, जग के विनाश की भावना थी इसलिए उसे मैंने बाहर बिठाया। अब स्थिति उसके विपरीत है। तुम्हारा साथी चमड़े का व्यापारी सोच रहा है कि कोई प्राणी मरे नहीं, जमाना खुशहाल रहे तभी मेरा खरीदा हुआ चमड़ा महंगा बिक सकता है। अब इसके मन में लोक कल्याण की भावना है इसलिए इसके भोजन की व्यवस्था अन्दर की गयी। तुम्हारे मन में यह भावना है कि मेरा घी महंगा बिके। महंगा घी तो तभी बिकेगा जब पशु-घन नष्ट हो जायेगा और दुष्काल पड जायेगा। तुम्हारे मन में दूषित भावना है, इसलिए तुम्हें बाहर बैठाया गया। साराश यह है कि मानव का उत्थान, पतन, आदर, निरादर, मान, अपमान सब भावना पर आधारित है।”

जैसा कि आरम्भ में सकेत किया जा चुका है जो पदार्थ जैसा है उसे उसी स्वरूप में देखना सम्यग्दृष्टि है और उसे विपरीत रूप में देखना मिथ्या दृष्टि है। सम्यग्दृष्टि में यथायता है। और मिथ्यादृष्टि में अयथार्थता है। एक में सत्य है दूसरे में अनृत है। शास्त्रकारों का कथन है कि जो प्राणी शाश्वत सुख या मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं और ससार के आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें सम्यक्त्व के मार्ग का आश्रय लेना चाहिए।



जब जागो तभी सवेरा

शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए ही इम मानव भव की प्राप्ति हुई है। लाखों योनियों में परिभ्रमण करने के पश्चात् ही यह मानव-भव मिलता है। ठीक ही तो कहा है किसी कवि ने

“नरतन के चोले का पाना बच्चो का कोई खेल नहीं।
जन्म-जन्म के शुभकर्मों का मिलता जब तक मेल नहीं ॥”

अर्थात्—अनेक जन्मों में किये गये शुभ-कर्मों का जब तक मेल नहीं मिल जाता तब तक मनुष्य-जन्म नहीं मिला करता। शास्त्रकार भी इसी सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जब आत्मा के अधिक से अधिक कर्मों का क्षय हो जाता है तो आत्मा ‘हलुकर्मी’ बन जाता है। हलुकर्मी बनने से ही आत्मा मानव योनि में आता है। हलुकर्मी, शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। कर्मों के हलके होने को ‘हलुकर्म’ कहा जाता है। ‘हलु’ अपभ्रंश भाषा का शब्द है और प्राकृत का शब्द इसके स्थान में ‘लहु’ है। ‘लहु’ शब्द का व्यत्यय होने से ‘हलु’ बन गया है। हलुकर्मी—हलके कर्मों वाला, संस्कृत में इसका विपरीतार्थक शब्द है ‘गुरुकर्मी’—भारी कर्मोंवाला। शास्त्र के अनुसार

“कम्माण तु पहाणाए”

कर्मों की जब प्रकर्ष से हानि हो जाती है और

“आणुपुब्बी कयाइ उ”

आत्मा अनुक्रम से शुद्ध होती जाती है। कर्मों के क्षय से जैसे-जैसे उत्तरोत्तर आत्मा शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे वह ऊर्ध्वगति की ओर अग्रसर होती है, इसके लिये शास्त्रों में तूम्बे का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार भगवान् से जब यह प्रश्न पूछा गया कि

“जीव का क्या स्वभाव है ?”

उन्होंने उत्तर में कहा

“जीव का स्वभाव बिल्कुल सीधा है। जीव का लक्षण चेतना है। जो चेतता है, वह ऊपर को उठता है। जो जड़ है, वह नीचे की ओर जाता है। यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। यह बात तो शास्त्रसंगत है और लोक-व्यवहार में भी भलीभाँति देखी जा सकती है। चूल्हे में अग्नि चेतती जाती है। ‘चूल्हा चेत गया’ का अर्थ लोकभाषा में होता है कि चूल्हे में अग्नि सुलग गई। जब चूल्हा चेतता है तो अग्नि जल उठती है। जो चेतता है वह ऊपर की ओर जाता है, प्रज्वलित अग्नि की शिखाएँ भी ऊपर की ओर गति-शील होती हैं। जो नहीं चेतता है वह नीचे की ओर जाता है। झाड़ की जड़ नीचे की ओर जाती है। झाड़ का अकुरित और पल्लवित होना उसका सुलगना ही समझना चाहिये।”

एक बार गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर स्वामी से पूछा

“भगवन्, जीव का स्वभाव क्या है ?”

भगवान् ने उत्तर दिया

“जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है।”

गौतम स्वामी ने पुन पूछा

“यदि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है तो मनुष्य मरकर कभी नरकलोक में जाता है और कभी पुन देवलोक में क्यों चला जाता है। उसे तो ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, नीचे की ओर क्यों ?”

भगवान् ने एक तूम्बे का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा

“तूम्बे को यदि तालाब के तल में छोड़ दिया जाये तो वह तुरन्त पानी के ऊपर आ जाता है। परन्तु उसी तूम्बे के ऊपर यदि चिकनी मिट्टी के चार लेप लगाकर धूप में सुखा दिया जाये, साथ ही उसे चार मूज के बन्धनों से भी कस दिया जाये और फिर तालाब में छोड़ दिया जाये तो वह निश्चित रूप से पानी के तल पर पहुँच जायेगा। तूम्बे का स्वभाव तो पानी के ऊपर रहना है फिर वह जल-तल में कैसे चला गया ? इसका उत्तर स्पष्ट है। तूम्बा मूज के बन्धनों से और मिट्टी के लेप से इतना भारी हो गया कि उसकी ऊपर आने की और तैरने की शक्ति नष्ट हो गई। ठीक तूम्बे के समान ही आत्मा पर आठ प्रकार के कर्मों के बन्धन लगे हुए हैं। उन कर्मों के बन्धन के भार से आत्मा ससार रूपी समुद्र में डूब रहा है। तूम्बे की मिट्टी ज्यो-ज्यो गीली होगी, शिथिल होगी, त्यों त्यों वह तूम्बे से हटती जायेगी और तूम्बा हल्का होता जायेगा। सारी मिट्टी के पानी में धुलते ही तूम्बा पानी के ऊपर आ जायेगा। मिट्टी के बन्धन से मुक्त होकर भला तूम्बा पानी के तल में कैसे रह सकता है ? तूम्बे के समान ही आत्मा का स्वभाव भी ऊपर उठने का है किन्तु कर्मों के बन्धन के कारण वह ऊपर नहीं उठ सकता। कर्मों के

बन्धन के कारण ही आत्मा को अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। जिस प्रकार लोग बैल के नाक में रस्सी डालकर उसे परतन्त्र बना देते हैं, उसकी स्वतन्त्रता छीन लेते हैं। बैल अपनी इच्छा से कहीं भी नहीं जा सकता। उसे तो नाथ की रस्सी पकड़कर किसान जहाँ चाहते हैं, ले जाते हैं। बैल की इच्छा के विपरीत किसान उसे चाहे हल में जोत ले, गाड़ी में जोत ले और चाहे रहट में। ठीक इसी प्रकार की दशा कर्मों के बन्धन में वधे आत्मा की भी है। कर्म उसे कभी नीचे ले जाते हैं और कभी ऊपर। वह कर्मों का दास है। आनुपूर्वी नाम का कर्म आत्मा को जहाँ ले जाता है वही उसको जाना पड़ता है। आनुपूर्वी नामक कर्म, नाम-कर्म का ही एक भेद है। नाम-कर्म की ६३ प्रकृतियों में से 'आनुपूर्वी' भी एक प्रकृति है। इसके चार भेद हैं। चार गतियों के नामों के अनुसार ही इनके नाम हैं। जैसे, नरकानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। कर्मविपाक नामक प्रथमकर्म-ग्रन्थ में इसका सविस्तार वर्णन है। "जीव को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न गतियों में परिभ्रमण कराना"—वस, यही काय है आनुपूर्वी नामक कर्म का। नाम-कर्म आत्मिक गुणों का तो घात नहीं करता किन्तु शरीर सवधी प्रकृतियों पर अपना प्रभाव अवश्य डालता है। शरीर की लम्बाई-चौड़ाई, गौरवर्ण-कृष्णवर्ण, सौन्दर्य विद्रूपता आदि सब इसी कर्म के अधीन हैं। ६३ प्रकार से शरीर की प्रकृतियों का बन्ध होता है। शरीर का शक्तिशाली होना, ढीला होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना आदि आदि नाम-कर्म की ६३ प्रकृतियाँ हैं।

आत्मा के गुणों का घात तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय—ये चार कर्म ही करते हैं। इसलिए इन्हें 'घातक कर्म' भी कहते हैं। घातक कर्मों में भी सर्वाधिक आत्म-गुण घातक मोहनीय कर्म है। उसकी २८ प्रकृतियाँ हैं। सब प्रकृतियों में 'मिथ्यात्व' नाम की प्रकृति बहुत प्रबल है। मोह सब कर्मों का राजा है। तभी तो आगमकार फरमाते हैं

“जहा मत्थए सुइए, हताए हम्मइ तले ।

एव कम्माणि हम्मति, मोहणिज्जे खय गये ॥”

—दसासुयवक्खध सुत्त, ५/११

— कि जिस प्रकार ताड़ के वृक्ष के मस्तक पर सूई की नोक का प्रहार करने से वह निर्जीव होकर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि केवल मोहनीय कर्म का विनाश कर दिया जाय तो शेष कर्म अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। आगम का यह वचन बड़ा ही सारगर्भित है।

ताड़ का वृक्ष बड़ा ही लम्बा, चिकना और दृढ़ होता है। उसे काटना

अत्यन्त कठिन है। कोई व्यक्ति उसकी चोटी पर चढ़कर यदि चोटी के ठीक मध्य-भाग में सूई चुभो दे तो ताड़ के वृक्ष का जीव वहाँ से च्यव जाता है—अर्थात् निकल जाता है। मकान से पानी टपकने को भी च्यवना कहते हैं। जैसे पानी 'चवता' है—एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चला जाता है ठीक इसी प्रकार हमारा जीव भी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चला जाता है। दूसरे शब्दों में वह एक शरीर का त्याग करके इतर शरीर में चला जाता है। मरना और चत्रना दोनों एकार्थवाचक शब्द हैं। शरीर से मुख्य जीव के चले जाने से शरीर में स्थित अन्य जीव भी चले जाते हैं। ताड़ के वृक्ष के मुख्य जीव के चले जाने से शनै-शनै वह जीर्ण-शीर्ण होता हुआ पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो जाता है। जीव के आठ कर्मों का सम्मिलित रूप ताड़-वृक्ष के समान है जिसका मर्मस्थल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के नष्ट होने से सम्पूर्ण कम धीरे-धीरे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह आठ कर्मों का ताड़-वृक्ष बड़ा ही शक्तिशाली और दृढ़ है। इसका काटना सरल नहीं है। इसको कहीं से काटकर नष्ट करना है—इसका ज्ञान परमावश्यक है। पहले ज्ञानावरण कर्म को नष्ट करना या अन्तरायकर्म को यह रहस्य सामान्य बुद्धि-गम्य नहीं है।

जैसा कि हम ऊपर संकेत कर आये हैं, आगम का कथन है कि मोहनीय कर्म सबका राजा है और उसकी २८ प्रकृतियों, २८ अग्ररक्षकों में मिथ्यात्व बलिष्ठ है या सेनापति है।

सेनावइमि निहते जहा सेणा पणस्सइ ।

एव कम्माणि नस्सति मोहणिज्जे खय गये ॥

दसासुयक्खध सुत्त, दसा, ५/१२

सेनापति को नष्ट करने पर जैसे सेना स्वतः नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के प्रधान सेनापति 'मिथ्यात्व' को नष्ट कर देने पर, सभी कर्मों की प्रकृतियाँ धीरे-धीरे स्वतः नष्ट हो जाती हैं और आत्मा सर्व-तत्र-स्वतत्र बन जाता है। परन्तु मोहकर्म से लोहा लेना और मिथ्यात्व को छोड़ना कोई सरल काम नहीं है। यहाँ धर्म-सभा में उपस्थित श्रावक अपने अन्दर दृष्टि डालकर देखें कि क्या वे छोड़ने लायक बातों को छोड़ रहे हैं और वास्तव में ग्रहण करने लायक बातों को ग्रहण कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर निषेधात्मक ही मिलेगा। साधुओं में अटूट और असीम श्रद्धा रखने वाले श्रावकों को साधुओं ने कितनी बार शिक्षा दी है कि क्रोध का त्याग करो, वैमनस्य का त्याग करो, भूल के लिए और गलतफहमी के लिए एक दूसरे से क्षमायाचना करके परस्पर मधुर व्यवहार रखो, परन्तु कौन सुनने वाला है। हमने इसीलिए अभी कहा कि मोह और मिथ्यात्व का त्याग करना मानव के

लिए आसान काम नहीं है।

हम तो सदा से कहते आ रहे हैं कि “श्रावको ! क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग करो परन्तु त्याग के स्थान पर वह तो आपमें दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।” कभी कभी तो श्रावक साधुओं को यह कहते सुने गये हैं “हम आपका व्याख्यान सुन लेते हैं, धर्म-ध्यान कर लेते हैं, और भी जो आप आज्ञा देते हैं उसका अनुसरण करते हैं। यह तो हमारा अन्तरंग मामला है, इसमें हस्तक्षेप करते आप शोभा नहीं देते।” यदि यही भावना है तो गुरुओं के उपदेश का क्या अर्थ हुआ ? यह तो गुरुओं के प्रति उपेक्षाभाव की अभिव्यक्ति है। धर्म की अवहेलना है। आगम का कथन है कि क्षमा का धर्म सबसे बड़ा है।

“खतिसूरा अरिहता”

—ठाण सुत्त, ४/३/३६३

अर्थात्—अरिहन्त क्षमा में शूरवीर होते हैं। जिन अरिहन्तों की हम शरण लेते हैं उन्होंने ही क्षमा को सर्वोत्कृष्ट धर्म माना है। क्षमा धर्म को न अपना कर हम अरिहन्तों के वचनों की अवहेलना नहीं तो और क्या करते हैं ? अरिहन्तों को हम देव मानते हैं, निर्गन्धों को गुरु मानते हैं, अरिहन्तों द्वारा उपदिष्ट धर्म को स्वीकार करते हैं किन्तु व्यक्तिगत मामले में देव, गुरु और धर्म की आज्ञा को हस्तक्षेप मानते हैं तो हमारा देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा किस भूमिका पर आश्रित है, इस पर आप स्वयं विचार कर देखें। हमारा यह दोहरा दृष्टिकोण निश्चय ही मिथ्यात्व का प्रतीक है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम मिथ्यात्व छोड़ना चाहते हैं। सम्यक्त्व की भावना का स्थान आपके हृदय में कहा रह गया ? आपकी अपने देव, गुरु और धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, इस बात को भी कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि अनेक भवों में मनुष्य जन्म पाकर परिग्रह के लिए, परिवार के लिए और अन्यान्य सासारिक वस्तुओं के लिए आज तक हम जो कार्य करते आये हैं वे ही यदि इस जन्म में भी करते रहेंगे तो हम मानव जीवन को सफल नहीं बना सकते। यह भी अन्य भवों के सामान व्यर्थ चला जायेगा। मारवाड़ी भाषा की उक्ति ‘लाली रे लेखे गया’ इसी सत्य की पुष्टि करती है। कुछ लोगों का यह कथन कि ‘इतना तो बीत गया अब क्या हो सकता है’ ठीक नहीं है। मनुष्य जब भी चेत जाये, सावधान हो जाये, वही से अपने सुन्दर जीवन का आरम्भ कर सकता है।

“जब जागो तभी सवेरा”

की उक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए।



बिना पाप के अपराधी

शाश्वत सुखो की प्राप्ति का आधार धर्म है। सासारिक अशाश्वत सुख तो पुण्य से भी प्राप्त हो सकते हैं। पुण्य अलग चीज है और धर्म अलग। नव तत्त्वों में पुण्य का स्थान तीसरा है। पहला जीव है, दूसरा अजीव है, तीसरा पुण्य है और चौथा पाप है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वध, मौक्ष— इन नव प्रकार के तत्त्वों में धर्म तत्त्व का नाम नहीं है। परन्तु सवर नाम के तत्त्व में धर्म का समावेश हो जाता है। सवर के बीस भेद बताये गये हैं, जिनमें व्रत-सवर का भी उल्लेख है। व्रत कहने से भी सवर का बोध हो जाता है। व्रत का अभाव आस्रव कहलाता है। आस्रव और सवर ये दोनों विरोधी तत्त्व हैं। जैसे दिन का विरोधी रात है, अँधेरे का विरोधी प्रकाश है, चोर का विरोधी साहूकार है और रोग का विरोधी औषधि है, ठीक इसी प्रकार आस्रव तत्त्व का विरोधी सवर तत्त्व है।

चारों ओर से स्रव-भर जाने को आस्रव कहते हैं। ऊपर से जो पानी भरता है उसे चूना कहते हैं, नीचे से जो आता है उसे उबकना कहते हैं, तिरछे से जो आता है उसे भरना कहते हैं। भर जाना ही आस्रव है। पनडुब्बी नाम के जहाज का नाम तो आपने सुन ही रखा है। पनडुब्बी चारों ओर से बन्द होती है। मछली जैसे आकार की होती है वह। वह समुद्र के अन्दर पानी में भी चलती है और समुद्र के तल पर भी। प्रायः उसका उपयोग युद्ध के समय में किया जाता है। उसमें अनेक आदमी बैठे होते हैं। उनके पास श्वास लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन रहती है। पनडुब्बी का काम समुद्र के ऊपरी भाग पर चलने वाले शत्रु के जहाज को तारपीडों द्वारा नष्ट करना होता है। उस पनडुब्बी में यदि छिद्र हो जायें, जैसे चलनी में होते हैं, तो छिद्रों से पानी आने के कारण वह डूब जाती है। हमारी आत्मा ठीक उस पनडुब्बी के समान है। यह 'ससार' समुद्र के समान है। इस ससाररूपी समुद्र में जन्म, मरण, रोग, शोक आदि का पानी भरा हुआ है या दूसरे शब्दों में कम-वगणाओं का जल भरा हुआ है। वग के समूह को 'वगणा' कहा जाता है। एक एक वर्ग में अनन्तान्त

परमाणु है और अनन्तानन्त वर्गों की एक वर्गणा होती है, ऐसी अनेक वर्गणाएँ हैं। कर्म-वर्गणाएँ आत्मा के साथ आकर चिपक जाती हैं। किसी एक स्थान विशेष पर कर्म वर्गणाएँ बँधती हैं और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है, ऐसी बात नहीं है।

यह ससार-समुद्र बहुत विशाल है। इसका हिसाब या विवरण सुनने से मस्तिष्क चक्कर खाने लगता है। तीन करोड़, इक्यासी लाख, नौ हजार, सात सौ सत्तर मन वजन का एक लोहे का गोला ऊपर से छोड़ा जाये और वह छह मास, छह दिन, छह पहर, छह घड़ी, और छह पल परिमाण समय में ऊपर से नीचे आता हुआ जितना क्षेत्र तय करे, उस क्षेत्र का नाम है—'राजू'। यह लोक ऊपर से नीचे तक चौदह राजू परिमाण है। लोक की चौड़ाई सब तरफ से एक जैसी नहीं है। इस लोक के तल भाग का वृत्त सात राजू परिमाण है। वह ज्यो-ज्यो ऊपर जाता है, त्यो त्यो सकुचित होता जाता है। तल भाग से एक एक आकाश-प्रदेश न्यून होता जाता है। एव असरय आकाश-प्रदेशों के ऊपर के चलय भाग का वृत्त सात राजू से असरय प्रदेश न्यून हो जाता है। 'आकाश-प्रदेश' जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। यह क्षेत्र के सूक्ष्मतम माप का सूचक है। इस प्रकार एक-एक आकाश-प्रदेश कम होते-होते जहाँ हम बैठे हैं वहाँ अर्थात् मध्यलोक में एक राजू परिमाण वृत्त रह जाता है। सात राजू से कुछ अधिक भाग हमारे नीचे है। लोक का आकार एक पुरुष के समान बताया गया है। कमर पर हाथ रखकर, पैर फँलाकर खड़े हुए मनुष्य के समान इस लोक का आकार है। नाभि की जगह मनुष्य-लोक है। ४५ लाख योजन के क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं। इसमें अर्द्धाई द्वीप है—जम्बूद्वीप, घातकीखण्डद्वीप और अर्धपुष्कर द्वीप। एक राजू के इस क्षेत्र में असरयात द्वीप और असख्यात समुद्र है। सात राजू से कुछ कम अपने ऊपर का भाग है जिसमें सर्वप्रथम ज्योतिष्चक्र है जो सूर्य, चन्द्र और तारों के रूप में विद्यमान है। उसके बाद वारह देवलोक हैं, नौ अश्वेयक हैं और पाँच अनुत्तर विमान हैं। तत्पश्चात् सिद्धशिला है जहाँ मुक्तात्माएँ निवास करती हैं। मनुष्य-लोक के ऊपर का भाग पुन शनै-शनै विस्तृत होता जाता है। जहाँ पर पाँचवाँ देवलोक स्थित है, वहाँ परलोक का वृत्त पाँच राजू परिमाण हो जाता है। पाँचवें देवलोक के ऊपर लोक फिर सकुचित होने लगता है। लोक के सर्वोपरि भाग का वृत्त एक राजू परिमाण माना जाता है। इसी लोकाग्रभाग में सिद्धशिला की स्थिति है।

इस लम्बे-चौड़े ससार-समुद्र में अनन्तानन्त कर्मण वर्गणाएँ हैं। कोई भी आत्मा वही पर भी जो जो अच्छे-चुरे काम करती है, तदनुसार उसके साथ कर्मण वर्गणाएँ चिपक जाया करती हैं। ये कर्मण वर्गणाएँ पानी के समान हैं और हम पनडुब्बी के समान हैं। इस पनडुब्बी में एक-दो छेद नहीं किन्तु चलनी

के समान अनेक छेद है। इन छेदों से कर्मवर्गणाएँ पानी के समान आती रहती है, ठीक उसी प्रकार जैसे चलनी से पानी आता रहता है। जो कर्मवर्गणाएँ आती है उन्हीं का नाम आस्रव है, दूसरे शब्दों में यह कर्मों के प्रवेश का मार्ग है। इस आस्रव के स्थूलरूप में बीस भेद बताये गये हैं। इनमें अन्नत नाम का भी एक आस्रव है। यदि हमारे जीवन में कोई व्रत नहीं, पचखान नहीं, सौगन्ध नहीं, तो इससे भी कर्मवर्गणाएँ आ मा में इकट्ठी होती रहती है।

जीव की हिंसा—प्राणात्तिपात—यह पहला पाप है। हमने किसी भी जीव को नहीं मारा किन्तु जीव को मारने का त्याग भी नहीं किया तो हमें जीव हिंसा का आस्रव लग जाता है। पाप करने पर तो पाप लगता ही है किन्तु बिना पाप किये भी त्याग के अभाव में आस्रव लगना है, कर्मवर्गणाएँ हमारी आत्मा से चिपक जाती है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने व्रतों की व्यवस्था की है। तुम व्रत लो, प्रत्याख्यान लो, जिससे कि तुम्हें आस्रव नहीं लगने पाये। जिस बात का तुम प्रत्याख्यान कर लोगे तत्सम्बन्धी आस्रव तुम्हें नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए यदि तुमने जीव हिंसा के त्याग का व्रत ले लिया तो तुम्हें विश्व-भर में होने वाले जीव-हिंसा-जन्य पाप का आस्रव नहीं लगेगा। इसी प्रकार असत्य भाषण का त्याग कर लिया जाये तो सर्वत्र होने वाले असत्य-भाषण का पाप नहीं लगेगा। त्याग के अभाव में आत्मा के साथ कितनी दूर-दूर की कर्म-वर्गणाएँ चिपक जायेंगी—इसका तुम अनुमान भी नहीं कर सकते। यह आवश्यक नहीं है कि जितना क्षेत्र हमने देख रखा है, सुन रखा है, जान रखा है, उतने ही क्षेत्र की कर्मवर्गणाएँ आकर हमको लगेंगी। हमारी जानकारी में जो क्षेत्र नहीं है, हमने जिसके विषय में कुछ सुन भी नहीं रखा है, ऐसे स्थान पर भी जो हिंसा हो रही है उसका पाप भी हमें लगेगा। भूठ बोलने का त्याग न करने से बिना भूठ बोले भी भूठ बोलने का पाप लग जाता है। हमको चोरी करना सवथा पसन्द नहीं हो, हम जानते तक न हो कि चोरी कैसे की जाती है किन्तु चोरी का त्याग करने की प्रतिज्ञा न लेने से ससार में जहाँ भी चोरी होती है उसके पाप के भागी हम बन जाते हैं, और उसकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है।

त्याग, व्रत व पचखान के अभाव में आस्रव का द्वार खुला रहने के कारण बिना कर्म किये भी हमें क्रिया लग जाती है एवं उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। सबज्ञों ने इस विषय पर बहुत चिन्तन के पश्चात् यह निणय दिया है कि पाप के दुष्परिणाम से बचने के लिए मनुष्य को व्रत, प्रत्याख्यान आदि का आश्रय अवश्य ले लेना चाहिए। आत्मा को बोझिल बनाने वाले सर्वत्र आते हुए कर्मों के निरोध के लिए सर्वज्ञों ने व्रत, प्रत्याख्यान आदि के रूप में वज्रमयी दीवारों से युक्त एक ऐसा दुर्ग और परकोटा बना दिया है जिसके

संरक्षण में आत्मा कर्मवर्गणाओ से बची रह सकती है । उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था तो बना दी है, उसका पालन करना, न करना यह हमारे ऊपर निर्भर है । भोजन बनाने वाले ने भोजन बनाकर तैयार कर दिया, परोसने वाले ने परोस दिया, भोजन लाकर सामने रख दिया, अब ग्रास तोडकर मुंह में डालना और उसे गले उतारना तो हमारा काम है । शास्त्रकारों ने सारे विश्व का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा को किस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण कर्मों के भार से बोझिल बनाना पड रहा है फिर भी हम न चेतें और अपनी आत्मा को अनियन्त्रित रखें तो इसमें हमारा ही दोष माना जायेगा । इस प्रसंग पर एक उदाहरण याद आ गया है

एक नगर था । आधी रात का समय था, सब सो रहे थे किन्तु चोर जाग रहा था । किसी कवि ने कहा भी है

“पहले पोहरे सब कोई जागे, दूजे पोहरे भोगी ।
तीजे पोहरे तस्कर जागे, चौथे पोहरे योगी ॥”

रात्रि के पहले पहर में तो सभी लोग जागते होते हैं किन्तु भोगी तो दूसरे पहर में भी जागता है । तीसरा पहर चोर के लिए अनुकूल पडता है । उस समय वह चोरी का अवसर ढूँढता रहता है । चोरी करने के लिए वह प्राय इसी प्रहर में जगा रहता है । रात के चौथे पहर में योगी जागता है ।

निकल पडा एक चोर चोरी करने के लिए । उसने एक बहुत बडी हवेली में प्रवेश किया । यह हवेली ठाकुर साहब की थी । बडे धनवान् थे ठाकुर साहब । खजाना बडे सुरक्षित स्थान में था । वहाँ चोर की पहुँच संभव नहीं थी । ठाकुर साहब स्वयं भी खजाने के पास वाले कक्ष में ही सो रहे थे । प्रयत्न करने पर भी जब चोर के कुछ भी हाथ न आया तो चोर ने खूँटी पर लटकती हुई ठाकुर साहब की तलवार को चुरा लिया और चलता बना । तलवार भी इसलिए चुरानी पडी कि चोर को खाली हाथ जाना उचित नहीं लगा । उसने सोचा, चोरी के श्रीगणेश में ही कुछ हाथ न लगा तो आगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । ठाकुर साहब की नीद खुली तो देखा खूँटी से तलवार गायब है । उन्होंने यहाँ-वहाँ, अन्दर-बाहर सबत्र देखा । पृथ्वी पर पडे पैरों के चिह्नो से वे जाने गये कि कोई चोर घुस गया था जो तलवार लेकर चम्पत हो गया । पुलिस में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई कि दरबारी लोग कही यह न कहने लग जाये कि ‘जो अपनी तलवार की भी रक्षा नहीं कर सकता वह जनता की रक्षा क्या करेगा ?’ ठाकुर साहब के पास तो अनेक तलवारें थी, एक चली गई तो उन्होंने दूसरी निकाल ली ।

के समान अनेक छेद है। इन छेदों से कर्मवर्गणाएँ पानी के समान आती रहती है, ठीक उसी प्रकार जैसे चलनी से पानी आता रहता है। जो कमवर्गणाएँ आती है उन्हीं का नाम आस्रव है, दूसरे शब्दों में यह कर्मों के प्रवेश का मार्ग है। इस आस्रव के स्थूलरूप में बीस भेद बताये गये हैं। इनमें अन्नत नाम का भी एक आस्रव है। यदि हमारे जीवन में कोई व्रत नहीं, पचखान नहीं, सौगन्ध नहीं, तो इससे भी कमवर्गणाएँ आ मा में इकट्ठी होती रहती है।

जीव की हिंसा—प्राणातिपात—यह पहला पाप है। हमने किसी भी जीव को नहीं मारा किन्तु जीव को मारने का त्याग भी नहीं किया तो हमें जीव हिंसा का आस्रव लग जाता है। पाप करने पर तो पाप लगता ही है किन्तु बिना पाप किये भी त्याग के अभाव में आस्रव लगना है, कमवर्गणाएँ हमारी आत्मा से चिपक जाती है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने व्रतों की व्यवस्था की है। तुम व्रत लो, प्रत्याख्यान लो, जिससे कि तुम्हें आस्रव नहीं लगने पाये। जिस बात का तुम प्रत्याख्यान कर लोगे तत्सम्बन्धी आस्रव तुम्हें नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए यदि तुमने जीव हिंसा के त्याग का व्रत ले लिया तो तुम्हें विश्व-भर में होने वाले जीव-हिंसा-जन्य पाप का आस्रव नहीं लगेगा। इसी प्रकार असत्य भाषण का त्याग कर लिया जाये तो सर्वत्र होने वाले असत्य-भाषण का पाप नहीं लगेगा। त्याग के अभाव में आत्मा के साथ कितनी दूर-दूर की कर्म-वर्गणाएँ चिपक जायेंगी—इसका तुम अनुमान भी नहीं कर सकते। यह आवश्यक नहीं है कि जितना क्षेत्र हमने देख रखा है, सुन रखा है, जान रखा है, उतने ही क्षेत्र की कर्मवर्गणाएँ आकर हमको लगेंगी। हमारी जानकारी में जो क्षेत्र नहीं है, हमने जिसके विषय में कुछ सुन भी नहीं रखा है, ऐसे स्थान पर भी जो हिंसा हो रही है उसका पाप भी हमें लगेगा। भूठ बोलने का त्याग न करने से बिना भूठ बोले भी भूठ बोलने का पाप लग जाता है। हमको चोरी करना सवथा पसन्द नहीं हो, हम जानते तक न हो कि चोरी कैसे की जाती है किन्तु चोरी का त्याग करने की प्रतिज्ञा न लेने से ससार में जहाँ भी चोरी होती है उसके पाप के भागी हम बन जाते हैं, और उसकी सजा भी हमें भूगतनी पडती है।

त्याग, व्रत व पचखान के अभाव में आस्रव का द्वार खुला रहने के कारण बिना कर्म किये भी हमें क्रिया लग जाती है एव उसका फल भी हमें भोगना पडता है। सर्वज्ञो ने इस विषय पर बहुत चिन्तन के पश्चात् यह निर्णय दिया है कि पाप के दुष्परिणाम से बचने के लिए मनुष्य को व्रत, प्रत्याख्यान आदि का आश्रय अवश्य ले लेना चाहिए। आत्मा को बोझिल बनाने वाले सबत आते हुए कर्मों के निरोध के लिए सर्वज्ञो ने व्रत, प्रत्याख्यान आदि के रूप में वज्रमयी दीवारों से युक्त एक ऐसा दुर्ग और परकोटा बना दिया है जिसके

संरक्षण में आत्मा कर्मवगणाओं से बची रह सकती है । उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था तो बना दी है, उसका पालन करना, न करना यह हमारे ऊपर निर्भर है । भोजन बनाने वाले ने भोजन बनाकर तैयार कर दिया, परोसने वाले ने परोस दिया, भोजन लाकर सामने रख दिया, अब ग्रास तोड़कर मुँह में डालना और उसे गले उतारना तो हमारा काम है । शास्त्रकारों ने सारे विश्व का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा को किस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण कर्मों के भार से बोझिल बनाना पड़ रहा है फिर भी हम न चेतें और अपनी आत्मा को अनियन्त्रित रखें तो इसमें हमारा ही दोष माना जायेगा । इस प्रसंग पर एक उदाहरण याद आ गया है

एक नगर था । आधी रात का समय था, सब सो रहे थे किन्तु चोर जाग रहा था । किसी कवि ने कहा भी है

“पहले पोहरे सब कोई जागे, दूजे पोहरे भोगी ।
तोजे पोहरे तस्कर जागे, चौथे पोहरे योगी ॥”

रात्रि के पहले पहर में तो सभी लोग जागते होते हैं किन्तु भोगी तो दूसरे पहर में भी जागता है । तीसरा पहर चोर के लिए अनुकूल पड़ता है । उस समय वह चोरी का अवसर ढूँढता रहता है । चोरी करने के लिए वह प्रायः इसी प्रहर में जगता रहता है । रात के चौथे पहर में योगी जागता है ।

निकल पडा एक चोर चोरी करने के लिए । उसने एक बहुत बड़ी हवेली में प्रवेश किया । यह हवेली ठाकुर साहब की थी । बड़े धनवान् थे ठाकुर साहब । खजाना बड़े सुरक्षित स्थान में था । वहाँ चोर की पहुँच संभव नहीं थी । ठाकुर साहब स्वयं भी खजाने के पास वाले कक्ष में ही सो रहे थे । प्रयत्न करने पर भी जब चोर के कुछ भी हाथ न आया तो चोर ने खूँटी पर लटकती हुई ठाकुर साहब की तलवार को चुरा लिया और चलता बना । तलवार भी इसलिए चुरानी पड़ी कि चोर को खाली हाथ जाना उचित नहीं लगा । उसने सोचा, चोरी के श्रीगणेश में ही कुछ हाथ न लगा तो आगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । ठाकुर साहब की नींद खुली तो देखा खूँटी से तलवार गायब है । उन्होंने यहाँ-वहाँ, अन्दर-बाहर सबत्र देखा । पृथ्वी पर पड़े पैरों के चिह्नों से वे जाने गये कि कोई चोर घुस गया था जो तलवार लेकर चम्पत हो गया । पुलिस में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई कि दरबारी लोग कही यह न कहने लग जाये कि 'जो अपनी तलवार की भी रक्षा नहीं कर सकता वह जनता की रक्षा क्या करेगा ?' ठाकुर साहब के पास तो अनेक तलवारें थी, एक चली गई तो उन्होंने दूसरी निकाल ली ।

दो मास के पश्चात् वही चोर पुन चोरी करने के लिए निकला । इस बार वह नगर-सेठ की हवेली में घुस गया । सेठ साहब बड़ी गहरी नीद में सोये हुए थे । चोर ने तिजोरी खोली और मनचाहे हीरे जवाहरात पाकर वह फूला न समाया । अपने कम्बल में सब बाँधकर वह चलता बना, हवेली में किसी को भी पता न चल पाया । चलते समय बहुत धन-माल के पाने की खुशी में वह चोर एक माह पूर्व चुराई हुई ठाकुर साहब की तलवार को वही भूल गया । प्राण हुआ, सेठ साहब की नीद खुली, कुछ शक हुआ और पता चला कि कोई चोर सारी तिजोरी खाली कर गया है । मकान इतना साफ-सुथरा था कि कहीं पर चोर के पैरों का निशान भी नहीं पडा । सहसा सेठ की दृष्टि पर्श पर पडी, उस तलवार पर पडी । तलवार उठाई, म्यान से निकाली, देखा तो उस पर 'ठाकुर रणजीतसिंह' नाम खुदा हुआ था और साथ साथ ही अकित था घर का पता-ठिकाना भी । तलवार पर यह सब पढकर सेठ साहब को बडा आश्चर्य हुआ और दुःख भी हुआ कि इतने बडे सम्पन्न, धनवान ठाकुर होकर भी वे चोरी करते है । उनको लज्जा आनी चाहिए ऐसा घृणित काम करते हुए । सेठ साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि काम ठाकुर का है । स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर कुछ अन्य ठाकुरो को साथ लेकर बडे राजा के दरबार में जो ठाकुरो या जागीरदारो के भी स्वामी होते ह, सेठ साहब पहुच गये । दरबार साहब ने सेठ साहब का बडा सत्कार किया और अपने पास के आसन पर बिठाया । सेठ साहब ने कहा, "अन्नदाता, मैं बैठने को नहीं आया हूँ, किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ ।" "कहिये क्या अत्यावश्यक काय है ?" दरबार साहब ने पूछा ।

"क्या बताऊँ अन्नदाता, आज मेरे घर में चोरी हो गई है ।" सेठ साहब ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया ।

"चोरी हो गई और आप मुस्करा रहे हे, कोई सामान्य वस्तु चली गई होगी ।"

"नहीं हजूर, सब कुछ लुट गया है ।" सेठ ने कहा ।

"तो फिर आप मुस्करा कैसे रहे ह ?" राजा ने पूछा ।

"मुस्करा इसलिए रहा हूँ कि चोर का पता चल गया है ।" सेठ ने कहा ।

"कौन है वह चोर ?" राजा ने बडे आश्चर्य से पूछा ।

"वह कोई सामान्य चोर नहीं है, वह तो ऐसा चोर है जिस पर आपकी पूर्ण कृपा है ।"

सेठ ने निर्भीकता से उत्तर दिया । सेठ की बात को सुनकर राजा क्रोध से भर गया और बोला

“क्या हम चोरो पर कृपा करने वाले हैं ? चोरो को पालने वाले हैं ? आप तो हम पर आक्षेप कर रहे हैं। साफ-साफ बात क्यों नहीं बता देते कि चोर कौन है ?”

राजा ने क्रोधपूर्ण मुखमुद्रा में सेठ को डाँटते हुए कहा ।

“नहीं अन्नदाता ! आप तो पट्टेदार समझकर उन पर कृपा करते हो किन्तु वे आपकी कृपा का अनुचित लाभ उठाया करते हैं।” सेठ ने बड़ी ही विनम्रवाणी में राजा को उत्तर दिया ।

“तो फिर कौन है वह चोर ?” राजा ने पुनः अपने शब्द दुहराये ।

“हुजूर, वह चोर आपसे दूर कैसे रह सकता है ? वह तो आपके पास ही बैठा है। वह चोर है ठाकुर रणजीतसिंह।”

सेठ ने ठाकुर रणजीतसिंह की ओर इशारा करते हुए निर्भीक शब्दों में उत्तर दिया ।

राजा के समीप में ही बैठे हुए ठाकुर रणजीत सिंह सेठ की बात सुनकर हक्के बक्के रह गये और सेठ को सम्बोधित करके कहने लगे, “हमारी व आपकी, सेठ साहब ! किसी भी प्रकार जान-पहचान नहीं है, न कभी एक दूसरे के घर आना-जाना है। हँसी-मजाक की भी कोई सीमा होती है ! हँसी-मजाक भी होता है तो किसी स्थान विशेष पर होता है, राजदरवार तो ऐसी बात के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। आप जरा मुँह संभालकर बात कीजिये !”

“मैं तो संभलकर ही बात कर रहा हूँ, जरा आप संभलकर बात करें।” सेठ ने कहा। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे पर क्रुद्ध हो गये। राजा ने दोनों के क्रोध को शान्त करते हुए सेठ से कहा, “ठाकुर साहब के चोर होने का प्रमाण पेश कीजिये।”

उसी समय सेठ ने राजा को तलवार पेश की। राजा ने तलवार को बड़े ध्यान से देखा और म्यान से निकाला तो उस पर लिखा था ‘ठाकुर रणजीतसिंह।’ राजा ने ठाकुर रणजीतसिंह की ओर बड़े गौर से देखते हुए कहा, “क्यों ठाकुर साहब ! यह सब क्या मामला है ?”

ठाकुर साहब बोले, “अन्नदाता ! यह तलवार कुछ दिन पूर्व मेरे घर में चोरी में चली गई थी।”

“यदि चोरी चली गई थी तो तुम्हारा काम था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने। रिपोर्ट दर्ज न कराने से ही यह प्रमाणित हो जाता है कि चोरी आपने की है। या तो स्वयं चोरी स्वीकार करो और यदि आपकी तलवार चोरी चली गई थी तो चोर को पकड़ो। यदि ऐसा नहीं करते तो तुम्हें वही सजा सुनाई जायेगी जो चोर को सुनाई जाती है।”

राजा ने ठाकुर को डाँटते हुए कहा, “हम इस बात को भली भाँति जानते हैं कि ठाकुर साहब ने चोरी नहीं की थी लेकिन चोरी गई चीज की यदि वे पुलिस में रिपोर्ट करा देते तो चोरी के इल्जाम से बच जाते। रिपोर्ट करने से उस वस्तु का उनसे सम्बन्ध समाप्त हो जाता। गुरु की साक्षी में जब हम किसी चीज की सौगन्ध लेते हैं, उस समय कहते हैं

“अप्पाण वोसिरामि”

अर्थात् मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूँ। त्याग का अर्थ है, उस वस्तु से सम्बन्ध विच्छेद करना। जब सम्बन्ध कट जाता है तो वस्तु से प्राप्त होने वाले अपराध में हमें बन्दी नहीं बनना पड़ता। ठाकुर साहब का क्या बना या नहीं बना इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। समझने की बात तो यह है कि हम गुरु के समक्ष जिस किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं, उसे बुरा मानकर उसका प्रत्यारयान करते हैं तो उससे लगने वाले पाप से या अन्नत से हम अपने-आपको बचा लेते हैं। उपयुक्त दृष्टान्त से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य बिना अपराध के भी अपराधी बन जाया करता है। त्याग के अभाव में ही यह सब होता है।

शास्त्रकारों ने जो व्रतों की व्यवस्था बनाई है उसका भी यही आशय है कि व्रत नेने से हमारी आत्मा आस्रव से प्रभावित न हो। जब व्रत से कर्म-बन्धन का छुटकारा हो सकता है तो बिना पाप किये पाप के भागी क्यों बना जाये? आत्मा अनादि काल से इसी प्रकार असावधान रही है। सौगन्ध, व्रत, पचखान ग्रहण न करके वह अपने को कर्मबन्धन से बोझिल बनाती आ रही है। यदि किसीको त्याग का उपदेश दिया जाता है तो वह सोचने लगता है कि “आज तो मेरे पास अल्प है, कल करोड़ रुपया हो गया तो।” इस ‘तो तो’ के चक्कर में फँसकर हम अपनी आत्मा को कर्मास्रवों से भारी बनाते जा रहे हैं। सारी सैद्धान्तिक बातें मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं।

नव तत्त्वों के ऊपर श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है

“तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्”

नव तत्त्व और उनके प्रयोजन-अर्थ, दोनों पर श्रद्धा होना परमावश्यक है। हम यदि तत्त्वों पर तो श्रद्धा कर लेते हैं किन्तु उनके प्रयोजन और उद्देश्य की उपेक्षा कर देते हैं तो इससे हमें तत्त्वों का ज्ञान मात्र तो हो जाता है किन्तु उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। बिना श्रद्धा के सम्यक्त्व की सोपान पर नहीं चढ़ा जा सकता और बिना सम्यग्दर्शन के शाश्वत सुख की उपलब्धि संभव नहीं है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)



11 जुलाई, 1979



वीतरागता और सरागता

वीतरागता जीव के विकास की चरमावस्था है। ससार में ऐसे लोगों की सरया बहुत कम है जो इसके महत्त्व को समझते हैं। मानव जो भी क्रिया-कलाप जीवन में करता है, वह वीतरागता से दूर रहकर करता है। वह वीतरागता को न समझकर सरागता को समझता है। जहाँ कहीं भी वह देखता है कि उसके रागभाव में कमी आ गई है तो वह उसे पूरी करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। वह जो भी त्याग करता है सरागता के लिए करता है, वीतरागता के लिए नहीं। ऐसा वह इसलिए करता है कि जितने लोगों के साथ वह सम्बन्ध बढ़ायेगा या मित्रता स्थापित करेगा, वे उचित अवसर पर उसके काम आर्येंगे। ऐसा सोचकर वह अपने रागियों की सरया बढ़ाता जाता है। परन्तु उसका ऐसा सोचना उसके कुछ भी काम नहीं आया करता। मित्रों की सरया समय आने पर व्यर्थ सिद्ध हो जाया करती है क्योंकि वे समय पर या आपत्तिकाल में काम नहीं आते। जो समय पर काम न आये वह कैसा दोस्त? इस पर एक कवि की उक्ति है

“वक्त पर काम आये दोस्त उसको जानिये ।
वरन् रहता अय जफर यहाँ काम किसका बन्द है ॥”

इसी प्रकार संस्कृत के भी एक कवि ने मित्र के लक्षणों का निर्देश करते हुए लिखा है

“शुचित्व त्यागिता शौर्यं,
सामान्य सुख-दुःखयो ।
वाक्षिण्य चानुरक्तिश्च,
सत्यता च सुहृद्गुणा ॥”

अर्थात्—

हृदय की निर्मलता, दानशीलता, वीरता, सुख-दुःख में समता की भावना,

सरलता, प्रेम और सत्यता—ये गुण जिसमें हों, उसको सच्चा मित्र समझना चाहिए।

संसार के लोगो ने अपनी अनुभूतियों में दोस्त या मित्र में उक्त गुणों का अभाव देखा होगा तभी उक्त भावों को ऋविताओं में अभिव्यक्ति दी। अब थोड़ा 'दोस्त' शब्द की निष्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इस शब्द के गहन अर्थ पर प्रकाश डालते हुए एक कवि ने लिखा है

“दोष तीन कर दे अलग, हीर्ष हवस और दाम।
दो सत्यवादी जहाँ मिलें, दोस्त उसी का नाम ॥”

अर्थात्

हीर्ष—तृष्णा, हवस—अभिलाषा और दाम—धन, ये तीन प्रकार के दोष हैं, जो दोस्ती में नहीं होने चाहिए। कोई रूपवान् है या रूपवती है तो उससे अपनी वासना की तृप्ति का भाव मन में रखना—यह पहला दोष है। दूसरा सम्पन्न है, धनवान है और उदार है तो उससे कुछ प्राप्ति की अभिलाषा रखना—यह दूसरा दोष है। हमारे जीवन की गाड़ी किसी कारणवश रुक जाये तो उसको चलाने के लिए सहायता की आशा करना—यह तीसरा दोष है। इन तीन प्रकार के दोषों से मुक्त जो दो सज्जन हों उनको दोस्त कहते हैं। 'दो' शब्द इस बात का प्रतीक है कि उक्त तीन प्रकार के दोष दोनों में नहीं होने चाहिये। तभी वे दोनों सच्चे दोस्त हो सकते हैं। इसी दोस्त शब्द को यदि हम संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो कहेंगे कि जो भाव समान रूप में दोनों में स्थित रहे—वे दोस्त होते हैं। या दूसरे शब्दों में दोनों का सत्यवादी होना परमावश्यक है, 'दो सत्यवादी जहाँ मिलें दोस्त उन्हीं का नाम' ऐसी दोस्ती नहीं है तो फिर दोस्ती किस काम की! नादान की दोस्ती तो जीव का जजाल ही होती है। तो हम आपको बता रहे थे कि दोस्त वही होता है जो विपत्ति में काम आता है

“आपद्गत न जहाति”

वही सच्चा मित्र होता है। दोस्त शब्द की यह निरुक्ति भी हो सकती है कि दु—अर्थात् दुःख में जो, स्थ—यानी अपने पास रहे वह दोस्त है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी दोस्त होने का दम भरते हैं, वास्तव में दोस्त तो वे हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साथ देते हैं। तभी तो रहीम ने कहा है

“रहिमन विपदा हू भली जो थोरे दिन होय।
हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय ॥”

अर्थात्—

जीवन में कुछ समय के लिए विपत्ति का समय अवश्य आना चाहिए क्योंकि उसी समय तो पता चलता है कि कौन अपना हित-मित्र है और कौन अनहित पराया है या शत्रु है।

आखिर हम मित्र बनाते क्यों हैं ? इसका उत्तर एक ही है—अपने लाभ के लिए, अपने कार्यों के सम्पादन के लिए और अपने हित के लिए। इस पर एक संस्कृत के विद्वान् ने प्रकाश डालते हुए लिखा है

“पापान्निवारयति योजयते हिताय,
गुह्यानि गूहति गुणान् प्रकटीकरोति ।
आपद्गत च न जहाति ददाति काले,
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त ॥”

अर्थात्—

अच्छा मित्र हमारे लिए क्या-क्या नहीं करता। वह हमें पापकर्म करने से रोकता है, हित के कार्यों की ओर हमें प्रवृत्त कराता है, हमारे जीवन की जो गुप्त बातें हैं, उनको छिपाकर रखता है, वह हमारे गुणों का गान करता है, हम आपत्ति से घिर जाते हैं तो हमारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाता, समय आने पर आर्थिक सकट में हमारी सहायता भी करता है—सज्जन-आत्माओं ने ऐसे मित्र को ही अच्छा और योग्य मित्र कहा है।

इससे यह स्पष्ट है कि मित्र बनाने में व्यक्ति के अपने प्रयोजन अपेक्षित रहते हैं। काम की निष्पन्नता उपादान है और उसमें मित्र के रूप में सहयोगी का मिलना निमित्त है। शास्त्र में कार्य की निष्पन्नता को आन्तरिक शक्ति माना है और उसमें किसी के सहयोग को बाह्य शक्ति। इन दोनों प्रकार की शक्तियों में आन्तरिक शक्ति का महत्त्व है। दोनों प्रकार की शक्तियों में कौन सी शक्ति बलवत्तरा है—इसका पता हमें वीतरागियों की वाणी से ही चलता है।

वे वीतराग क्या और कैसे हैं, कुछ इस पर भी यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक है। लौकिक-भाषा में हम वीतराग का यह अर्थ करेंगे कि ऐसी आत्मा जिसका दो पार्टियों में से किसी के साथ भी सम्बन्ध न हो। दोनों पार्टियों की न तो किसी विधि के अन्दर और न निषेध के अन्दर ही कोई हाथ हो। दूसरे शब्दों में हम वीतराग को मध्यस्थ या समदर्शी भी कह सकते हैं। इसका कारण है कि वह दोनों पक्षों के साथ पमता की भावना रखता है। दोनों ही पक्षों को वह उनके वास्तविक स्वरूप में देखता है। किसी से भी उसका कोई लगाव नहीं होता। लगाव से तो दृष्टि में मन्दता आ जाती है।

एकान्तता आ जाती है। वीतराग तो सर्वज्ञ है, वे तो सब प्रकार की इकाइयों से परे है, और अनेकता के प्रतीक है। लोग यदि ऐसी कल्पना करें कि ऐसे वीतराग से ससार को क्या लाभ जो ससार का कुछ भी उपकार नहीं कर सकता, जो ससार की सब प्रकार की समस्याओं से परे है। यह बात युक्तिसंगत नहीं कही जा सकती क्योंकि वीतराग से हमें या ससार को जो लाभ है वह प्रत्यक्ष है। हम अभी आपके सामने दो पार्टियों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि वीतराग का किसी भी पक्ष से कोई लगाव नहीं होता, वे तो मध्यस्थ होते हैं। वर्तमान जीवन में भी मध्यस्थ का बड़ा महत्त्व होता है। मध्यस्थ उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो दोनों पार्टियों का पूर्ण विश्वासपात्र होता है, जिसके निर्णय की दोनों पार्टियों के सदस्य अपेक्षा नहीं कर सकते, प्रतिवाद नहीं कर सकते और मानने से इन्कार नहीं कर सकते। इसका कारण है कि दोनों पक्षों को उस पर यह अटूट श्रद्धा होती है कि वह अन्यायपूर्ण निर्णय नहीं दे सकता। ठीक ऐसे ही वीतराग है और वीतराग की वाणी है। उसके समझने के लिए मानव में प्रतिभा, जिज्ञासा और श्रद्धा तीनों अपेक्षित हैं। सबज्ञ की वाणी जिसको सन्मार्ग प्रदर्शित करने वाली हो, सत्कर्मों में प्रवृत्त कराने वाली हो, अज्ञानान्धकार से प्रकाश में ले जाने वाली हो, हमारी प्रवृत्ति को पावनता प्रदान करने वाली हो, हमारी कुरुचि को सुरुचि में परिवर्तित करने वाली हो और हमें अज्ञानान्धकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने वाली हो तो फिर हमें और किस बात की आकांक्षा है ?

शास्त्रों का कथन है कि ससारी लोगों के हृदयों में सरागता बड़ी गहराई से घर कर चुकी होती है। इसी कारण उनकी प्रवृत्ति वीतराग की वाणी को सुनने की नहीं होती। परिणामस्वरूप हमने सरागता का विकास करके अपनी आत्मिक शक्ति को क्षीण ही किया है, उन्नत नहीं। सरागता का अर्थ है प्रेमियों की सरया अधिक बढ़ाना। हमने यह कभी नहीं सोचा कि जितने हमारे चाहने वाले अधिक बड़ेंगे उतने ही हमारे बन्धनों की वृद्धि होगी। बन्धनों की वृद्धि जीव के विकास में उत्तरोत्तर रुकावट डालती चली जायेगी। उसकी अपनी स्वतंत्रता समाप्त होती चली जायेगी। वीतराग के ये वचन हैं कि हमारी आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। जब स्वयं में अनन्त शक्ति विद्यमान है तो फिर दूसरों की मित्र के रूप में या सहायक के रूप में सहायता ढूँढने की क्या आवश्यकता है ? क्यों हम व्यर्थ में ही सरागता के शिकार बनकर अधिकाधिक व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध जोड़ा करते हैं ? शास्त्र कहते हैं कि सरागता को महत्त्व देकर और वीतरागता के महत्त्व को भूलकर हमने अपनी दुर्बलता स्वयं उत्पन्न की है। यदि हमारे द्वारा सरागता को सबथा त्यागना संभव न भी हो तो भी हमारा कर्तव्य है कि आत्मकल्याण के निमित्त हम सरा-

दोगे तो क्या अन्तर पडने वाला है ?” यह बात सही नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिस वस्तु को आप महत्त्व नहीं देते, निश्चित रूप से आपकी विचारधारा में कभी न कभी उस वस्तु के प्रति उपेक्षाभाव उत्पन्न हो जायेगा। आप स्वयं यह अनुभव करने लगेंगे कि आपकी कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए, जिसकी कमी है। आप उस कमी को पूरा करेंगे। वस, फिर क्या है, आप सरागता से वीतरागता की ओर बढ़ने लगेंगे। जिस दिन विचार, प्रचार और आचार तीनों सही हो जायेंगे उसी दिन हमारी आत्मा शुद्ध बन जायेगी। आत्मा के साथ फिर किसी विकृत तत्त्व का मिश्रण नहीं रह सकेगा। उस अवस्था में पहुँची हुई आत्मा ही परमात्मा कहलाती है। उसके लिए सर्व-प्रथम सम्यक्त्व की आवश्यकता है। सम्यक्त्व के बिना आत्मा का परमात्मा होना अशक्य है। सम्यक्त्व का अर्थ है - सम्यग् दृष्टिकोण। लोक में अनंत वस्तुएँ हैं। उन सब वस्तुओं से भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त न कर सकें किंतु यदि उन वस्तुओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही है, यथार्थ है, तो हम निश्चित रूप से उन वस्तुओं द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जब हम समझने लगेंगे, तभी हमारा वस्तुमात्र के साथ सही संबन्ध स्थापित हो सकेगा। आदरणीय वस्तुओं को ग्रहण करके हम लाभान्वित हो जायेंगे तथा त्याज्य वस्तुओं से बचकर हम लाभ उठा सकेंगे। यह सब तभी संभव है जब सम्यक्त्व आ जाये। सम्यक्त्व जब आता है तो शनं शनं मनुष्य की जानकारी, मान्यता और आचरण, सभी ठीक हो जाया करते हैं। इसी बात को शास्त्रकार निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करते हैं

“नत्थि चरित्त समत्तविहूण”

अर्थात्—

सम्यक्त्व के बिना चारित्र्य का क्या महत्त्व है ? चारित्र्य में सम्यक्त्व का अस्तित्व अनिवार्य है। दर्शन के साथ तो चारित्र्य की 'भजना' है और चारित्र्य के साथ सम्यक्त्व की 'नियमा' है। सम्यक्त्व और चारित्र्य या तो ये दोनों एक साथ रहते हैं या फिर पहले सम्यक्त्व और बाद में चारित्र्य का स्थान आता है। शास्त्रकारों ने इस विषय पर बड़ा गम्भीर चिन्तन किया है। जब वीतरागता के परिणामस्वरूप निष्पक्षता की भावना हमारी आत्मा में आ जाती है तो हमारे अन्दर सभी वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सब वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना ही शाश्वत सुखो की आरम्भिक सोपान है।

जैन-भवन, डेहू (नागौर)

१२ जुलाई, १९७६





जिस सुख माँही दुख बसे, वह सुख भी दुख रूप ॥

शाश्वत सुख का अर्थ ही नित्य सुख या सार्वकालिक सुख होता है । शाश्वत सुख में परिवर्तन भी नहीं हुआ करता । वह तो तीनों कालों में समरस रहता है । शाश्वत सुख न तो उत्पन्न ही होता है और न ही उसका कभी अन्त ही हुआ करता है । “जो आत्मा मुक्तावस्था में पहुँच गया उसको तो शाश्वत सुख मिल गया परन्तु मुक्तावस्था से पूर्व तो उसमें शाश्वत सुख की सत्ता विद्यमान नहीं थी, ऐसी स्थिति में शाश्वत सुख की निरन्तर प्रवहमान धारा के सद्भाव को कैसे स्वीकार किया जाये ?” किसी का इस प्रकार का तर्क व्यक्त सापेक्ष है, उसे सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया जा सकता । सैद्धान्तिक दृष्टि से मोक्ष का स्थान तो प्रथम है । अमुक एक आत्मा जब मुक्त हुआ तभी से मोक्ष का क्रम आरम्भ हुआ—ऐसा कथन मिथ्या है क्योंकि मोक्ष को शास्त्रकार अनादि और अनन्त मानते हैं । शास्त्र में ससार के सभी क्रिया-कलापों को चार भागों में विभक्त किया गया है (१) सादि सान्त, (२) अनादि सान्त, (३) सादि अनन्त और (४) अनादि अनन्त ।

इन चारों में पहली स्थिति है—‘सादि सान्त’ जिसका अर्थ है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका आदि-आरम्भ भी है और अन्त भी है । उदाहरण के लिए जीव जन्म लेता है और अपनी आयु पूर्ण करके चला भी जाता है । वह सादि भी है और सान्त भी । दूसरी स्थिति है ‘अनादि सान्त’ की । अनादि सान्त उस वस्तु को कहते हैं जिसका कोई आरम्भ तो है नहीं किन्तु अन्त अवश्य होता है । जैसे जीव अनादि काल से जन्म लेता आया है, छद्मस्थावस्था में भ्रमण भी करता आया है । तो हमें यह कहना पड़ेगा कि यह छद्मस्थावस्था अनादि है और जब यह सर्वज्ञावस्था में पहुँचेगा तो छद्मस्थावस्था का अन्त हो जायेगा । तीसरी स्थिति है ‘सादि अनन्त’ की जिसका आशय है कि वस्तु का आरम्भ तो है किन्तु अन्त नहीं है । आत्मा को जब केवलज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ से उसकी सवज्ञता का आरम्भ हो जाता है एव यह सर्वज्ञता

सिद्धि के बाद भी बनी रहती है अर्थात् उसका अन्त कभी नहीं होता । चौथी स्थिति है—‘अनादि अनन्त’ की । इसमें न तो आरम्भ ही होता है और न कभी समाप्ति ही । आत्मा या जीव का न तो कभी आरम्भ ही होता है एव न ही यह जीव कभी समाप्त ही होता है । इस प्रकार जीव चिरन्तन तत्त्व होने के कारण अनादि भी है और अनन्त भी है ।

जीव वैसे तो अनादि और अनन्त है किन्तु मनुष्य रूप में या अन्य किसी योनि में शरीरधारी के रूप में वह द्रव्य का एक पर्याय है । यह पर्याय तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है । मनुष्यादि पर्याय तो आत्मा रूपी अनादि-अनन्त महासागर के अन्दर से उद्वेलित लहरों के समान है । माता के गर्भ में आते ही मानव-पर्याय आरम्भ हो जाता है । गर्भ में आते ही, मात्र अन्त-मूर्द्धन्त में गर्भस्थ को छह पर्याप्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उसका उत्तरोत्तर विकास आरम्भ हो जाता है ।

इस तरह आत्मा की अपेक्षा से तो जीव या आत्मा अनादि और अनन्त है किन्तु एक भ्रू की अपेक्षा से यदि उसे देखा जाये वह सादि भी है और सान्त भी । छद्मस्थ की अपेक्षा से वह अनादि और सान्त है, और केवल ज्ञानी की अपेक्षा से वह सादि और अनन्त सिद्ध होता है । शाश्वत आत्मा का मुक्तिस्थान भी शाश्वत है और उसका अनन्त सुख भी शाश्वत है ।

सिद्धावस्था का भी कोई आदि और अन्त नहीं है । सिद्ध के रूप में शाश्वत सुख की यदि कोई आदि है तो उसे एक आत्मा की अपेक्षा से ही समझना चाहिए । व्यक्तिगत बात होने के कारण इस बात को प्रामाणिक रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता । सैद्धान्तिक रूप भी इसे प्रदान नहीं किया जा सकता । सिद्धान्तों के सामने व्यक्ति का मूल्य नगण्य है । जो सिद्ध हो जाये अर्थात् तर्क की कसौटी पर खरा उतरे वह सिद्धान्त होता है । आत्मा के स्वाभाविक रूप की पहचान में जो सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्धान्त कहते हैं । वे सिद्धान्त भी परिवर्तनहीन एव शाश्वत होते हैं । परिवर्तन परिस्थितियों में हुआ करता है, सिद्धान्तों में नहीं । उदाहरण के लिए “पानी से प्यास की तृप्ति त्रिकाल सत्य है ।” जो व्यक्ति अवसर देखकर अपने रूप बदलता रहता है, वह सिद्धान्तहीन माना जाता है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता । जो भयानक परिस्थितियों में पडकर भी अपने सैद्धान्तिक पथ से टसमस नहीं होता वही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर सकता है और प्रशंसा का पात्र बन सकता है ।

यहाँ सिद्धान्त शब्द से हमारा संकेत वीतराग की वाणी में प्रस्फुरित सिद्धान्तों से है । जो व्यक्ति उनको भलीभाँति समझ लेता है उसके मन में उनके प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो जाती है । उस अटूट श्रद्धा के कारण वह किसी के भी तर्क-कुतर्कों के प्रभाव में आकर अपने सिद्धान्तों से डगमगा नहीं सकता । वीतराग

की वाणी पर इस प्रकार की अटूट श्रद्धा रखना ही सम्यक्त्व है। जो इस सम्यक्त्व का अधिगमन कर लेता है, उसके जीवन में तो सदा आनन्द ही आनन्द निवास करता है।

दुखों के अत्यन्ताभाव का ही दूसरा नाम शाश्वत सुख या आनन्द है। सुख-दुख की परिभाषा क्या है? दुखों के अभाव को सुख कहते हैं और सुखों के अभाव को दुख कहते हैं। मनुष्य का सासारिक मन अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति से अपने को सुखी मानता है। परन्तु तात्त्विक दृष्टि से देखा जाये तो उसकी यह सुख की धारणा काल्पनिक है। सासारिक पदार्थों से और सासारिक विषय-वासनाओं से मिलने वाले सभी सुख क्षणिक, नश्वर व स्वप्न-समान मिथ्या है। निःसन्देह आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनोरथों की सिद्धि के लिए और वस्तुओं की उपलब्धि के लिए भगीरथ प्रयत्न करने हों, अपनी शक्ति के बाहर जाकर भी प्रयास करते और बड़े से बड़ा खतरा भी कई बार मोल ले लेते हैं, किन्तु तनिक शान्त मन से सोचिये कि क्या उससे आपके मन को शान्ति मिल पाती है, क्या उससे आपकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती तो नहीं जाती? एक तृष्णा से अनेक तृष्णाओं का जन्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे जल की एक तरंग अनेक तरंगों को जन्म देती है। एक व्याधि से अनेक व्याधियाँ बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए आपने अथक परिश्रम करके अच्छी-बड़ी धनराशि एकत्रित कर ली। एकत्र करने मात्र से आपकी व्याकुलता समाप्त नहीं हो जाती। एकत्रित किए धन की चोरी से, डाकुओं से रक्षा करने की व्याकुलता आपको फिर भी घेरे रखती है। आपका मन और मस्तिष्क चिन्ता से कहाँ मुक्त हो पाया? धनार्जन की इसी अवस्था को देखकर नीतिकारों का कथन है

धन तावदसुलभ लब्ध कृच्छ्रेण रक्षयते ।
लब्धनाशो यथामृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत् ॥
जनयन्त्यर्जने दुःख तापयन्ति विपत्तिषु ।
मोहयन्ति च सप्तौ कथमर्था सुखावहा ॥

अर्थात्—

सर्वप्रथम तो धन को प्राप्त करना कठिन है, यदि प्राप्त हो भी जाये तो बड़ी कठिनाई से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मिला हुआ धन यदि किसी अप्रत्याशित कारणवश नष्ट हो जाये तो मृत्यु से भी बढ़कर यातना देने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को धन का चिन्तन भी नहीं करना चाहिए।

धन के अर्जन करने में भी अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। आपत्ति आने पर यदि धन का अभाव हो जाये तो दुख और भी

बढ़ जाता है। यदि मनुष्य के पास धन-सम्पत्ति बहुत ही बड़ी सरया में एकत्रित हो जाये तो वह अहंकार के कारण अपनी सुधबुध ही भूल बैठता है।

हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि वह वस्तु जो 'पर' है या 'अन्य' है उससे हमें सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति तो 'स्व' के स्वरूप को समझने में है। जो पराया है वह हमारे अज्ञान के कारण बाह्यरूप से हमें अपना प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में तो वह केवल साधन मात्र है। वह साध्य नहीं है। साध्य की प्राप्ति तो साधनरूप शरीर के त्याग से ही संभव है। शास्त्र की दृष्टि में शरीर "रस्सी के दो सिरो की जुड़ी हुई एक गाँठ है।" माता-पिता की गाँठ सन्तान के रूप में प्रकट हुआ करती है। आत्मा अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए इस शरीर को धारण करता है। उस आत्मा का नाम ही 'स्व' है। शरीर औदारिक है, कुछ लोग औदारिक का अर्थ 'उधार लिया हुआ शरीर' करते हैं जो सही नहीं है। वास्तव में 'औदारिक' शब्द उदार से इक् प्रत्यय लगाकर बनाया हुआ है। उदार का अर्थ है श्रेष्ठ या विशाल। शरीर पाँच प्रकार के माने गये हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस् और कामेण। इन पाँच प्रकार के शरीरों में औदारिक ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ इसलिए कि इस औदारिक शरीर के माध्यम से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना, अनेक प्रकार के परीपहो को सहन करना और घोर तपश्चर्या करना इसी शरीर का काम है। इसकी विशालता में तो कोई सन्देह है ही नहीं। एक हजार योजन गहरे समुद्र में उत्पन्न हुआ एक हजार योजन लम्बा कमल समुद्र की सतह पर होता है और उसकी जड़ समुद्रतल में रहती है। इस प्रकार ऐसे कमलों की कुल अवगाहना एक हजार योजन से भी कुछ अधिक हो जाती है। इनका जीव वनस्पतिकायिक होता है और वनस्पति काय का शरीर औदारिक होता ही है। इस प्रकार के महान् शरीर का धारक शुद्धात्मा भी शरीर को पराया तत्त्व ही समझता है, अपना नहीं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि शरीर पराई वस्तु है। पराई वस्तु सदा दुःख का कारण होती है। मनुष्य का विषम स्वास्थ्य भी कई बार दुःख का कारण बन जाया करता है। कोई वस्तु भूतकाल में दुःख का कारण थी, कोई वर्तमान में दुःख का कारण है और कोई भविष्य में दुःख का कारण बनेगी। ये सारी सुख-दुःख की अनुभूतियाँ मन पर निर्भर करती हैं। इसीलिए लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है, "मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है।"

मन जब तक सासारिक पदार्थों में काल्पनिक और क्षणिक सुख के लिए आसक्त रहेगा तब तक आत्मकल्याण नहीं कर सकता। बिना आत्मकल्याण के अनन्त सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। ससार में जितने भी सुख हैं वे मात्र

सुखाभास है, वास्तविक सुख नहीं। अच्छे से अच्छे भोजन खाने का सुख कब मिलेगा ? जब उसके पीछे भूख का दुःख होगा। जल पीने का आनन्द कब मिलेगा जब तृप्ता की व्याकुलता होगी। किसी कवि ने कहा भी है

“विद्या कण्ठा माँय, पण उमग विन आवे नहीं।
भोजन भाणों माँय, पण भूख विन भावे नहीं ॥”

इस विवरण से यह भी स्पष्ट है कि आनन्द पदार्थों में निहित नहीं है किन्तु आनन्द तो हमारे भीतर है। यदि हमारा अन्तर् मन रुचिहीन है, अप्रसन्न है या अस्वस्थ है, तो हमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ भी नहीं भाता। मोक्ष में तो दुःखों का अत्यन्ताभाव है। वहाँ तो अनन्त सुख ही सुख है। ‘ओववाइय सूत्र’ में इस प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाला उल्लेख निम्न प्रकार से है

“पाँच विगयो का रुचिपूर्वक आहार करने के पश्चात् जो तृप्ति होती है, उसका अनन्तगुणा सुख मोक्ष में मिलता है।” यहाँ ‘विगय’ का अर्थ आधुनिक युग की भोजन-प्रणाली में स्वास्थ्यवधक उपयुक्त विटामिन भी किया जा सकता है किन्तु शास्त्रीय अथ का सकेत तो सात्त्विक भोजन से है या दूसरे शब्दों में ऐसे भोजन से जिसमें तामसिक तत्त्वों का अभाव हो।

“मोक्ष में तो शरीर होता ही नहीं फिर मोक्ष के सुख की तुलना शरीर-धारी के भोजन की तृप्ति से कैसे की गई ?” इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर है कि ससारी लोग भोजन के द्वारा मिलने वाली तृप्ति को ही वास्तविक तृप्ति समझा करते हैं इसलिए उनको तत्त्व समझाने के लिए ऐसी तुलना की जाती है। यह वान सत्य है कि मोक्ष में शरीर का अभाव होता है

“एक ‘नना’ सौ दुःख टाले”

एक शरीर के न होने से सैकड़ों दुःख टल जाते हैं।

वास्तव में शरीर ही तो दुःखों का कारण है। इसीलिए तो इस शरीर में निवास करता हुआ जीव भी दुःखों को सुख समझकर अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है और उत्तरोत्तर पापकर्म बाधता जाता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि जिस सुख में भी दुःख छिपा हुआ है वह सुख किस काम का ?

“जिस सुख सँही दुःख बसे, वह सुख भी दुःख रूप !”

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१३ जुलाई, १९७६





तेल के कटोरे में केन्द्रित मन

शाश्वत सुख की अनुभूति तो जीव मुक्त होने के पश्चात् ही कर सकता है । मुक्ति का अर्थ 'छुटकारा' है । मोक्ष भी मुक्तावस्था को ही कहते हैं । मिथ्यात्व जीवन का सबसे बड़ा बन्धन है, उसमें छुटकारा पाना ही मुक्तावस्था का आरम्भ है । मिथ्यात्व को ही कर्म के बन्धन के नाम से भी पुकारा जाता है । आठ प्रकार के कर्मों में मोह वर्म सब कर्मों का राजा है । मोहनीय की २८ प्रकृतियों में से ही एक मिथ्यात्व प्रकृति है । यह मिथ्यात्व तो सभी का शिरोमणि है ।

पाप कही या पातक, एक ही बात है । इनकी सरया १८ है । पातक शब्द का अर्थ 'पतन कराने वाला' होता है । पतन उसी का होता है जो ऊपर की ओर उठता है । ऊपर की ओर उठना आत्मा का धर्म है । "आत्मा या जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगति है, ऐसा ज्ञाताधर्मकथाग के छोटे अध्ययन में उल्लेख है । आत्मा उन्नति करता है, ऊपर की ओर चढ़ता है । चढ़ना क्षेत्र की दृष्टि से भी होता है, जैसे सप्तम नरक से चढ़ते-चढ़ते मनुष्य गति में आना । इस प्रकार क्षेत्र और गति दोनों की अपेक्षा से वह ऊपर चढ़ता है । सात राजू से भी कुछ अधिक ऊंचा आता है । इसे क्षेत्र की दृष्टि से ऊंचा चढ़ना समझना चाहिए । गुणस्थान की दृष्टि से भी जीव चढ़ता है । गुणस्थानों की सरया १४ है । पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आता है, चौथे से फिर पाँचवें, छठे—इस प्रकार वह उत्तरोत्तर ऊंचा चढ़ता जाता है । गुणस्थान की दृष्टि से आत्मा ऊपर तो चढ़ता है किन्तु स्थान की अपेक्षा से वह रहता उसी जगह पर है, मात्र उसकी स्थिति या परिस्थिति बदलती है । आत्मा उन्नतावस्था में पहुँच जाता है । पाप उस उन्नतावस्था से आत्मा को गिरा देता है । १८ प्रकार के पापों में हिंसा पहला पाप है । दस प्रकार के प्राणों में से किसी भी प्रकार के प्राण का हनन कर देना या दूसरे शब्दों में शरीर का प्राणों से विच्छेद कर देना हिंसा है । प्रमाद से ऐसा करना हिंसा कहलाता है । इसीलिए शास्त्र में लिखा है ।

“प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा ।”

दूसरा पाप है 'मृपावाद' । लौकिक भाषा में इसे 'भ्रूठ' कहते हैं । तीसरा पाप 'चोरी' है । शास्त्रीय भाषा में इसे 'अदत्तादान' के नाम से अभिहित किया जाता है । 'अदत्तादान' शब्द बड़ा ही रहस्यात्मक है । 'अ' यानी 'नहीं', दत्त यानी दिया गया । जो नहीं दिया गया उसका आदान-ग्रहण करना अदत्तादान का विश्लेषणात्मक अर्थ है । और स्पष्ट शब्दों में जो वस्तु हमें किसी के द्वारा दी नहीं गई उसको ग्रहण कर लेना अदत्तादान है । माग में चल रहे हों, किसी की वस्तु गिरी पड़ी है, "लाघा माल खादा ।" "इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं किसी के घर चोरी करने तो नहीं गया, यह तो मुझे मार्ग में पड़ी मिली है तो फिर इसको ग्रहण करने में क्या हानि है ?" इस प्रकार सोचना भी बड़ी भारी भूल है । जैनागम के अनुसार 'पडियवत्थुहरण' (सावयावस्सय) ऐसी वस्तु को लेना और उसका उपयोग करना भी चोरी है । कारण कि उस वस्तु को हमें किसी ने दिया नहीं है । अपने ही घर की खुदाई से कुछ धन-माल मिल जाये, वह भी चोरी है क्योंकि उसे भी किसी ने हमें दिया नहीं है । हाथ से देने वाला भी यदि मारने के भय से देता है तो वह भी चोरी है । उसके देने में प्रेरक उसका मन नहीं किन्तु भय है । वस्तु में देने की भावना न होने से वह भी चोरी ही कहलाती है ।

कोई व्यक्ति किसी वस्तु को भय से भी नहीं दे रहा है, घर की ही वस्तु होने से बड़ी प्रसन्नता से दे रहा है किन्तु दाता को यदि उस वस्तु को देने का अधिकार नहीं है तो भी शास्त्रकार उसे चोरी मानते हैं । साभे की वस्तु है जिस पर घर के सभी सदस्यों का अधिकार है, उस वस्तु को भी यदि कोई एक सदस्य किसी को दे रहा है तो वह भी चोरी है । अपने हिस्से की वस्तु देने में चोरी नहीं है । देने वाला व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु को यदि प्रसन्नतापूर्वक दे रहा हो किन्तु लेने वाला उसे सग्रह की भावना से ले रहा हो तो वह भी चोरी के अन्तर्गत है । इस दशा में चोरी लेने वाले को लगती है । इस प्रकार चोरी की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है—एक तो देने वाले स्वामी की अपेक्षा से और दूसरी लेने वाले की अपेक्षा से । ग्रहीता के ऊपर भी एक सत्ता रहती है । साधुओं के ऊपर तीर्थकरो की सत्ता है, जिनकी आज्ञा और अनुशासन में वे चलते हैं । शास्त्रों का भी उन पर अधिकार है । यदि वे शास्त्रों की, जो तीर्थकरो की वाणी है, परवाह न करके लेते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो दाता तो दोष का भागी नहीं बनता किन्तु ग्रहीता दोष का भागी बनता है । जैन शास्त्रों में अदत्तादान का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है । यह अदत्तादान तीसरा पाप है ।

चौथा पाप मैथुन है । ब्रह्मचर्य का भंग मैथुन कहलाता है । ब्रह्मचय शब्द का मौलिक अर्थ है "अपने ब्रह्म में ही रमण करना ।"

“जीवो बभा जीवमि चैव चरिया, हविज्ज जा जदिणो ।
त जाण बभचेर विमुक्कपरदेहत्तित्तिस्स ॥

— भगवती आराधना, ८७८

ब्रह्म का अर्थ है, अपना ही आत्मा, उसमें रमण करना या स्थिर रहना ही ब्रह्मचर्य है। जहाँ हम अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आंगिक रूप में भी सम्पर्क या आनन्द प्राप्त करने का विचार करते हैं वहाँ ब्रह्मचय-भग का दोष हमें लग जाता है। ब्रह्मचर्य का विरोधी शब्द ‘मैथुन’ है जो चौथा पाप है। मैथुन शब्द की उत्पत्ति मिथुन से होती है, मिथुन का अर्थ युगल या या जोड़ा है। आत्मा को किसी अन्य पदार्थ में संप्रवृत्त की झलक स्पष्ट रूप से ‘मिथुन’ में मिल रही है। यह हमारा आत्मा आठों कर्मों की प्रकृतियों को भोग रहा है। इस से यह स्पष्ट है कि आत्मा पृथक् है और कर्म प्रकृतियाँ उससे भिन्न है। शास्त्र में आत्मा को पुरुष माना है

“क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष”

आत्मा पुरुष है और कर्मप्रकृति स्त्री है। कर्मप्रकृति के भोग को भी शुद्ध ब्रह्मचर्य की दृष्टि से निषिद्ध बताया गया है। इस दृष्टि से तो पूण ब्रह्मचारी केवल सिद्ध भगवान है। जब आत्मा के लिए अन्य वस्तुओं के भोग का निषेध है तो कर्मप्रकृतियों का भोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था केवल सिद्धों की होती है। सिद्धों के नीचे सभी जीव कर्मप्रकृतियों का भोग करते हैं और उदयभाव के अधीन विचरते हैं।

पाचवाँ पाप है परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है परि-पूर्णरूपेण ग्रह-पकडना। अर्थात् किसी वस्तु को पूरी पकड। ऐसी पकड जिसको दूसरे तो क्या हम स्वयं भी समझने में असमर्थ होते हैं कि हम किसी के द्वारा पकडे हुए हैं। शास्त्र के अनुसार जो वस्तु हमारे अधिकार में है उसके प्रति लगाव, ममत्व या आसक्ति ही परिग्रह है। आसक्ति का दूसरा नाम मूर्च्छा भी है। शास्त्रों में

“मूर्च्छा परिग्रहो वृत्तो”

— दसवेअलिय, ६/२१

मूर्च्छा को ही परिग्रह माना है। यह मूर्च्छा या आसक्ति ही जीव को वस्तुओं के साथ बाँधकर रखती है। जिस वस्तु पर हमारा ममत्व है, वह कहीं भी पडी हुई हो, कितना ही बड़ा अन्तर बयो न हो, तार, डोरी या किसी प्रकार की शृंखला के अभाव में भी वह वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। दूरस्थ वस्तु की सहसा स्मृति आते ही हम सब कुछ छोड़-छाड़कर उसकी प्राप्ति के लिए लम्बी से लम्बी यात्रा के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं।

इसी बन्धन को ममत्व का बन्धन कहते हैं। कभी-कभी तो यह बन्धन इतना उग्र हो जाता है कि हमें गहरी चिन्ता में डाल देता है। हम दिवानिश वेचन रहने लगते हैं कि जो वस्तु हमें प्यारी है उस पर कोई दूसरा अधिकार न कर ले, उसे विकृत न कर दे, उसे चुरा न ले और हमें उससे वचित न कर दे। वह वस्तु चाहे कोई मूल्यवान रत्न हो, स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो—कोई भी हो, कुछ भी हो।

दूसरा बन्धन है वाञ्छा का। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे से सम्बन्धित नहीं है किन्तु दूसरे की है, दूसरे के अधिकार में है उस वस्तु की प्राप्ति की लालसा करना, दिन-रात उसी के चिन्तन में डूबे रहना, “किस उचित या अनुचित उपाय में उसकी प्राप्ति हो” इसके लिए सोचना आदि-आदि वाञ्छा कहलाती है। संक्षेप में, वस्तु के असद्भाव में उसकी इच्छा करना वाञ्छा है और सद्भाव में उसके प्रति आसक्ति रखना ममत्व है।

इसीप्रकार वाछा का परिग्रह भी सम्यात्वी नहीं रखा करता। वह तो सोचा करता है “जो वस्तु मेरी नहीं है, उसकी अभिलाषा मैं क्यों करूँ ? परिग्रह के पाप को देखते हुए तो मुझे अपनी वस्तु का भी त्याग करना पड़ेगा फिर भला दूसरे की वस्तु को चाहना मेरे लिए कहाँ तक उचित है ? वाछा और ममता इन दोनों को छोड़कर अपने आत्मा में रमण करना ही मेरा कर्तव्य है।

घर के अन्दर मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुओं के ढेर लगे हो, करोड़ों की सम्पत्ति हो परन्तु यदि हमारा उसके प्रति ममत्वभाव नहीं है, आसक्ति नहीं है तो हम परिग्रह के पाप के भागी नहीं बनते। यदि कुछ भी न होते हुए सासारिक वस्तुओं के प्रति ममत्व है तो परिग्रह का दोष लग जाता है। इस प्रकार व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अपरिग्रही रह सकता है।

उदाहरण के लिए भरत चक्रवर्ती छह खण्ड के अधिपति थे। छहों खण्डों की वस्तुएँ उनके अधिकार में थी परन्तु किसी भी वस्तु के प्रति उनके मन में ममत्वभाव नहीं था। बत्तीस हजार मुकुटधारी राजा उनकी आज्ञा का पालन करते थे और एक लाख बानवे हजार स्त्रियों के साथ वे रमण करते थे किन्तु यह सब होते हुए भी वे ममत्वहीन थे। चक्रवर्ती होने के नाते वे सभी प्रकार के उत्तरदायित्व को पूर्णरूपेण निभाते थे। यह सब वे कर्तव्य-पालन के लिए करते थे, उनमें ‘अहं’ भाव का सर्वथा अभाव था। सब कुछ करते हुए भी वे आत्मस्वरूप में लीन रहते थे, वे ससार में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप थे। यही कारण था कि वे उसी भव में मोक्ष के अधिकारी बने।

इस प्रसंग में मुझे एक पावन प्रसंग स्मरण हो आया है। भगवान् ऋषभदेव अयोध्या में विराजमान थे। १२ प्रकार की परिपद् जुड़ी हुई थी। देव देवियाँ,

स्त्री-पुरुष आदि सभी अपने अपने स्थानों में एकाग्रमन बैठे हुए थे। भगवान् परिग्रह के प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। महाआरम्भ, महापरिग्रह, नरक का कारण है। चार कारणों से जीव नरक का आयुष्य बाँधता है

- (१) महा आरम्भयाए (२) महापरिग्रहाए, (३) कुणिमाहारेण
(४) पचेन्द्रियवहेण

—ठाण ४

महाआरम्भ, महापरिग्रह, मासाहार और पचेन्द्रिय-प्राणी का बंध—इन चार कारणों से जीव नरक गति का आयुष्य बाँधता है। गुनने वालों में सब प्रकार की विचारधारा के व्यक्ति थे। किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ, सब अपने-अपने विचारों में मस्त थे। सहसा एक स्वर्णकार खड़ा हुआ। प्रश्न किया “भगवन् ! भरत चक्रवर्ती कितने भवों के बाद मोक्ष जायेंगे ?” उसने बड़े कलात्मक ढंग से पूछा था। भरत चक्रवर्ती लोकदृष्टि में महाआरम्भी और महापरिग्रही थे और थे छह खण्ड के वैभव के अधिपति। इनसे बढ़कर कौन परिग्रही हो सकता था ? राज्य में स्थान-स्थान पर आरम्भ और उद्योग की योजनाएँ चल रही थीं। तब कौन से नरक का अधिकारी होगा वह ? कितने समय तक उसे नरक में रहना पड़ेगा ? ये बातें साफ-साफ प्रश्नकर्त्ता ने नहीं पूछीं। भगवान् पूछने वाले की भावना से अनभिज्ञ नहीं थे। वे तो विशाल ज्ञान के धारक थे। उपस्थित लोग सोच रहे थे, “बड़ा ही पेचीदा प्रश्न पूछा है, इसने।” भगवान् जब महाआरम्भ और महापरिग्रह का विवेचन कर रहे थे, उसी समय यह प्रश्न पूछा गया। भगवान् ने प्रत्युत्तर में कहा ‘भरत चक्रवर्ती इसी भव में मोक्ष में जायेगा। यह तो उसका अन्तिम भव है। भरत इसी भव में केवलदशन और वैवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जायेगा।’ भगवान् का उत्तर सुनकर, स्वर्णकार यथा-स्थान बैठ गया किन्तु उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ। पास में बैठे लोगों से काना-फूसी के रूप में कहने लगा, “क्यों न जायें मोक्ष, पिताजी मोक्ष देने वाले और बेटा मोक्ष जाने वाला। ऐसा अवसर भी क्या बार बार मिल सकता है ?” “नानाणा में व्याव और माँ पुरसणवाली” फिर भोजन में कमी क्यों ? धीरे-धीरे यह बात सारी सभा में फैल गई। सभा समाप्त होते ही लोग अपने-अपने घरों को चल दिये। सभा की स्वर्णकार की बात सारी अयोध्यानगरी में विद्युत् गति के समान फैल गई। यत्र-तत्र जहाँ देखो वहाँ वही चर्चा “पिता मोक्ष देने वाला और पुत्र मोक्ष जाने वाला” चल रही थी। इस चर्चा की सारी जानकारी चक्रवर्ती भरत को भी हो गई थी। अच्छा राजा अपने तन्त्र को चलाने के लिए प्रजा की पूरी जानकारी रखा करता है।

सायकाल का अधकार अभी-अभी ही फैलना आरम्भ हुआ था। लोग

एकत्रित हुए सामान्य जन के सभा-भवन में । सब नीचे मुह किये हुए खड़े थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था । भरत ने सबके मुखों पर उदासी की छाया देखकर उदासी का कारण पूछा । उत्तर मिला, “वाप जी, खबर तो अच्छी नहीं है । आपके प्रति प्रजाजनो के भाव बलुपित हैं । इसका सम्बन्ध भगवान् ऋषभदेव के प्रवचन में पूछे गये एक स्वर्णकार के प्रश्न से है । भगवान् ने जो उत्तर दिया उससे असन्तुष्ट होकर जो कुछ स्वर्णकार ने लोगों को कहा उससे आपकी निन्दा का सारा विष प्रजा में फैल गया । स्वर्णकार का यह कथन कि ‘भगवान् ऋषभदेव जैसे पिता मोक्ष देने वाले और भरत जैसे पुत्र मोक्षजाने वाले, मोक्ष तो इनके हाथ की ही बात है’ आपके यश के लिए घातक सिद्ध हुआ है ।” भरत ने इस घटना को सुनकर सोचा “एक अश्रद्धालु स्वर्णकार ने समस्त प्रजा के मन में सर्वज्ञ भगवान् की वाणी के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी है । अवश्य ही मुझे इसके लिए युक्तियुक्त उपाय करना चाहिये ।”

दूसरे दिन प्रातः सभा बुलाई गई । भरत ने स्वर्णकार को सभा में उपस्थित होने के लिए दूत भेजा । दूत-मुख से राजसभा में बुलावा पाकर स्वर्णकार व्याकुल हो गया । सोचने लगा

राज रो तेडो मत श्राइज्यो,
जम रो तेडो श्राज्याइज्यो ।

अर्थात् — “यमराज के पास जाना इतना खतरनाक नहीं है जितना राजा के पास जाना ।

यमराज की बात तो अगले जन्म से सम्बन्ध रखती है, राजा तो इसी जन्म में दण्ड दे देता है ।”

स्वर्णकार गया और हाथ जोड़कर सभा में खड़ा हो गया । वह जानता था कि उसके अपराध के लिए मृत्युदण्ड मिलेगा । उसके आने के पहले ही भरत ने एक तेल का कटोरा पूर्ण रूप से भरवा कर तैयार रख छोड़ा था । कटोरे की ओर सकेत करके भरत ने स्वर्णकार से कहा “उठाओ इस कटोरे को । इसे लेकर जाओ और अयोध्यानगरी के गली-बाजारों में घूम-फिरकर पुनः यहीं लौटकर चले आओ । इस बात का ध्यान रखना कि कटोरे से तेल की एक बूँद भी कहीं गिरने न पाये और गिर गई तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जायेगा ।”

स्वर्णकार सोच रहा था “कटोरे का तो एक बहाना मात्र है, यह तो मुझे मारने का एक ढग ढूँढ निकाला है राजा ने ।” उसने कटोरा उठाया । उसकी सारी चित्तवृत्ति उस कटोरे में केन्द्रित हो गई । उसका ससार, उसका जीवन और उसका देव, सब कटोरे की स्थिरता पर ही निर्भर करते थे ।

वह पूर्णरूपेण खो गया कटोरे की सार-सभाल में। चार शस्त्रधारी व्यक्ति भी उसके साथ-साथ चल रहे थे, राजा के इस निर्देश के साथ कि 'तेल की एक बूंद भी गिरने पर उसका सिर कलम कर दिया जाये।' उनके कान में यह भी कह दिया गया था कि एक बूंद क्या, यदि सारा कटोरा भी गिर जाये तो स्वर्णकार को कोई भी दण्ड नहीं देना है, केवल भयभीत रखना है। मध्यम और अधम प्रकृति के लोग बिना भय के नियन्त्रण में नहीं रहा करते। उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों के लिए यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वे तो स्वभाव से ही केन्द्रित होते हैं।

एक ओर तो स्वर्णकार को तेल का कटोरा लेकर अयोध्या नगरी के गनी-कचो में घूमने का आदेश दिया गया और दूसरी ओर सारी नगरी में यह घोषणा करवा दी गई कि सब कलाकार अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन करें।

यत्र-तत्र नगर के प्रमुख मार्गों पर वेश्यायें नृत्य करने लगीं, चतुष्टयों पर पहलवान कुश्ती के अखाड़े में कूद गये और इन्द्रजाल के ज्ञाता अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने लगे। जहाँ देखो वही आकर्षण, कोई भी अयोध्या नगरी का स्थान आकर्षणविहीन नहीं रहा। ये सारी आकर्षण की क्रियाएँ मन को विचलित करने के लिए की गई थीं। स्वर्णकार सारी अयोध्या नगरी में चक्कर लगाकर राजदरबार में उपस्थित हो गया और कहीं तेल की एक बूंद भी कटोरे से पृथ्वी पर नहीं गिराई। शस्त्रधारी सिपाही भी उसके साथ लौट आये। भरत ने पूछा "क्यों स्वर्णकार! सारी अयोध्या नगरी में घूम आये?" उत्तर स्वीकारात्मक मिला। रक्षकों से पूछा "क्यों, मार्ग में कोई तेल की बूंद तो नहीं गिरी?"

"अन्नदाता गिरती, तो यह जीवन कैसे लौटता?"

भरत ने पूछा "क्यों स्वर्णकार! किस चौराहे पर क्या-क्या देखा? कौन-सी वेश्या क्या गा रही थी? कौन सा बाजा बज रहा था?"

"अन्नदाता! मेरे लिए तो सारी कलायें एक मात्र तेल के कटोरे में केन्द्रित थीं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं कहाँ क्या हो रहा था।"

स्वर्णकार ने नम्रताभरे शब्दों में उत्तर दिया।

भरत ने फिर पूछा, "कुछ समझे या नहीं।" "मैं तो केवल यही समझा हूँ कि मैंने व्याख्यान में आपके विरुद्ध भगवान् से प्रश्न किया था और आपने द्वेषवश मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। लेकिन मेरा आयुष्य प्रबल था, इसलिए मैं बच गया।" स्वर्णकार ने निर्भीकता से उत्तर दिया।

"यही समझे तो क्या समझे? तुम्हें मारने के लिए भला मुझे षड्यंत्र करने की क्या आवश्यकता थी। राज के विरोधी को और तीर्थंकर की वाणी की अवज्ञा करने वाले को तो तुरन्त मौत के घाट उतारा जा सकता है। उसके लिए

ऐसा प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी।” भरत ने स्वर्णकार को समझाते हुए कहा।

“यदि ऐसा है तो अन्नदाता, मैं कुछ भी नहीं समझा।” स्वर्णकार ने अत्यन्त विनम्रभाव से भरत को उत्तर दिया।

“तो अब समझने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार सारी अयोध्या का आकर्षण तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, तुम्हारे लिए तो कटोरा ही सब कुछ था, ठीक इसी प्रकार यह छह खण्ड का राज्य, ये भण्डार, निधान, रत्न-राशि और रानियाँ मेरे लिए कोई आकर्षण की वस्तुएँ नहीं हैं। मेरे मन में इनमें से किसी के प्रति किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं है। जैसे तुम्हारा ध्यान केवल कटोरे पर ही केन्द्रित था, इसी प्रकार मेरा मन केवल उस दिन की ओर केन्द्रित है जब मैं इन सब वस्तुओं का परित्याग करके भगवान् के चरणों में लीन हो जाऊँगा।” भगवान् ऋषभदेव ने ठीक ही कहा था कि “जो व्यक्ति ससार में रहते हुए भी निर्लिप्त, निममत्व और वाछारहित होता है वह इसी भव में मोक्ष का अधिकारी होता है।” प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों के आने पर अपने-आपको सब तरह से निर्लिप्त बना सकता है और मन को एक स्थान पर केन्द्रित कर सकता है। यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो सकती है।

इस प्रकार सक्षेप में सासारिक वस्तुओं में आसक्ति या मूर्च्छा ही परिग्रह है। आसक्ति से मुक्ति का नाम ही अपरिग्रह है। जब आत्मा निर्लिप्त, ममताहीन, सब प्रकार की इच्छाओं और वाछाओं से छुटकारा पा लेता है तो मोक्ष-सुख की ओर अग्रसर होता है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१४ जुलाई, १९७६





कर्ममुक्त बनो, पुण्यवान् नही

सुख दो प्रकार के होते हैं शाश्वत और अशाश्वत। वास्तव में अशाश्वत सुख को तो सुख कहना ही नहीं चाहिए। अशाश्वत दुःख होता है और शाश्वत सुख। लौकिक भाषा में अशाश्वत का अर्थ क्षणिक सुख के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, अल्प समय के लिए रहने वाला सुख अशाश्वत सुख कहलाता है और सदा रहने वाला सुख शाश्वत होता है। ज्ञानी पुरुषों के अनुसार शाश्वत सुख ही वास्तव में सुख होता है। अल्प समय का सुख तो हमारा अपना न होकर, शुभकर्मजन्य-अनुभूति होती है। शुभ के साथ कर्म का प्रयोग ही इस बात का सूत्रक है कि वह सुखदायी नहीं है। ऐसा कम जो हमारे मन को व्याकुल रखे, अशान्त रखे और अस्थिर रखे उसे अशुभ कर्म या पापकर्म कहते हैं। जिसको हम पुण्यकर्म कहते हैं, उसके उदय के समय तक, हमारा मन प्रसन्न रहता है, परिस्थितियों की अनुकूलता रहती है और सब प्रकार सुखसामग्री हमें प्राप्त होती रहती है। कुछ मनीषियों के मत में इसे अशाश्वत सुख कहा जाता है, वास्तव में तत्त्वज्ञानी पुरुष शुभ कर्मों से मिलने वाले सुख को सुख नहीं मानते। उनका कथन है कि अशुभ कर्मों से मिलने वाले दुःख यदि प्रकट है तो शुभ कर्मों से मिलने वाले दुःख अप्रकट है। अशुभ प्रत्यक्ष और शुभ अप्रत्यक्ष शत्रु है। अशुभ से हमें सदा सावधान रहने की प्रेरणा मिलती है। सतत जागृत रहने की चेतावनी मिलती है लेकिन पुण्यकर्म तो अप्रकट शत्रु है, वह अधिक खतरनाक है। प्रत्यक्ष में वह मित्र के समान है अप्रत्यक्ष में वह शत्रु है। प्रत्यक्ष शत्रु इतना बुरा नहीं होता जितना अप्रत्यक्ष शत्रु। प्रत्यक्ष शत्रु के क्रिया-कलाप से तो हम परिचित होते हैं इसलिए उसकी गतिविधियों से सावधान रहते हैं किन्तु गुप्त शत्रु को तो हमारे लिए पहचानना भी कठिन होता है। वह ऊपर से मित्र जैसा मधुर व्यवहार हमारे से रखता है किन्तु अन्दर से हमें बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाने के लिए तार्क लगाये बैठा रहता है। उसके बाह्य आत्मीय व्यवहार से तो कभी-कभी हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम उसे अपना अभिन्न समझने लगते हैं। अपना उसे शुभचिन्तक समझने लगते हैं। वह हमारा सब

से बडा विश्वासपात्र बन जाता है । मारवाडी भाषा में इसे
 “दीपक लेकर अपना घर दिखाना”

कहते हैं । बड़े प्रसन्न होते हैं हम उसको अपना घर दिखाकर, ऐसे अनुभव करने लगते हैं जैसे वह ही घर का स्वामी है । अवसर पाकर वह हमारा तो सत्यानाश कर देता है और स्वयं सम्पत्ति का अधिकारी बन बैठता है । ज्ञानी पुरुष शुभकर्मों को या पुण्यकर्मों को इसीप्रकार से समझने की चेतावनी देते हैं । उनका रुथन है कि, “मानव को सदा सावधान रहना चाहिए । जिस समय शुभकर्मों का उदय हो, उस समय किसी प्रकार की भी गफलत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घर के नाश की संभावना रहेगी । पापकर्म पुरुष का बडा प्रबल शत्रु है, तो भी दुःख भुगताकर सावधान तो कर देता है किन्तु पुण्यकर्म तो उदयकाल में मनुष्य के लिए मनोनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करके उसको अपने अधीन बना लेता है । पुण्य या शुभकर्मों की कटु आलोचना इसलिए की जाती है कि उनका परिणाम स्थायी नहीं होता । केवल इतना ही नहीं, उसमें प्रलोभन और लालच देकर अधीन करने के तत्त्व रहते हैं । उसके जाल में फँसा जीव अपने-आपको सर्वथा भूल जाता है । जब उसका उदय और अवधि समाप्त हो जाते हैं, उस समय जीव ने जितने परिमाण में शुभकर्म किये होते हैं, उनसे कई गुना अधिक जीव को दुःखों का सामना करना पड़ता है । प्राणी को दुःख भोगने में सावधानी की इतनी आवश्यकता नहीं रहती जितनी कि सुख भोगते समय सावधानी की आवश्यकता रहती है । उदाहरण के लिए हम पर कोई आक्रमण करने वाला हो और हमें उसकी सूचना मिल जाये तो हम आत्मरक्षा के लिए तथा शत्रु को पछाड़ने के लिए पूरे शस्त्रास्त्रों से लैस होकर तैयार हो जायेंगे । हमें तैयार देखकर आक्रमणकारी भी बहुत बडा साहस करने से कतरायेगा । ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे अपने ऊपर प्रहार करने का अवसर ही न दें परन्तु यह सब तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से सावधान रहे । दूसरे शब्दों में हमारा बचाव सावधानी का ही परिणाम है, अप्रमत्तता का फल है ।

पुण्य से प्राप्त होने वाला सुख तो हमें सर्वथा असावधान बना दिया करता है । हम अपने-आप में इतने खो जाते हैं कि हम किसी अन्य को अपने समान समझते ही नहीं । ठीक ही तो प्रचलित है मारवाडी भाषा में निम्न-लिखित लोकोक्तियाँ ।

१ मरे जिऊँ दूजा, मैं तो करावा पूजा ।

२ इण भव खाइये मीठो, आगलो भव कुण दीठो ?

३ करो मोती मालपुआ, बोहरा लेसी हुआ-हुआ ।

अरे ! बोहरा क्या लेंगे ? हमारे पास कुछ होगा तभी तो बोहरा लेंगे ! जब

मालपुत्रा उडाकर बाबा जी वन जायेंगे, पास में फूटी कौड़ी भी नहीं रह जायेगी, तब बोहरा हमारे से क्या ले लेगा ? इस प्रकार शुभ कर्म का उदय चलता रहता है और हम सुख भोगते-भोगते उत्तरोत्तर गफलत में पड़ते जाते हैं। शुभ कर्म का उदय समाप्त होते ही, अशुभ कर्म सामने आता है। यह स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे किसी को शहद से लिपटी हुई तलवार मिल गई हो और वह मूठ पकड़कर तलवार की धार पर लगे शहद को चाटना आरम्भ कर दे। चाटते चाटते उसे यह ध्यान भी न रहे कि तलवार मीठी होने के साथ-साथ तीखी भी है। निःसन्देह, वह तलवार शहद की मिठास का सुख देती है किन्तु साथ साथ जीभ को भी तो काट देती है। मुह लहू लुहान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति अज्ञानवश विषयो के सुख में डूबा हुआ अपने रक्त का ही शोषण करता है। उसको विषय-लिप्तता के कारण पता भी नहीं चल पाता कि उसके जीवन का कितना ह्रास हो गया है। एक अन्य उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जायेगी। कोई रोगी डाक्टर के पास जाता है। आपरेशन-शल्यचिकित्सा का केस है। डाक्टर भी जहाँ आपरेशन करना होता है वहाँ मरफिया का इजेक्शन लगा देता है। स्थान या अंग शून्य हो जाता है। डाक्टर आपरेशन कर देता है और रोगी को अंग की शून्यता के कारण पता भी नहीं चल पाता कि आपरेशन कर दिया गया है या नहीं। ठीक इसी प्रकार पुण्य के उदयकाल में अज्ञान के इजेक्शन के कारण हम अपने-आपको इतना भूल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारे जीवन का कितना ह्रास हो रहा है। आध्यात्मिक क्षति पहुँच रही है। अपनी अंतरंग शक्ति के ह्रास का हमें तनिक भी पता नहीं चल पाता। पता न चलने का कारण हमारी असावधानी है। इसी असावधानी के कारण हम अशाश्वत सुखों को मुख मान लेते हैं। यह पहले सकेत किया जा चुका है कि ये सुख पुण्यकर्म की अधीनता से ही हमें प्राप्त होते हैं। अधीनता तो अधीनता ही रहती है, वह स्वाधीनता कैसे बन सकती है ? आत्मिक सुख अधीनता-जन्य सुख नहीं होते। पुण्य-जन्य सुख आत्मा के निजी सुख नहीं होते। यदि ऐसा सभव होता तो वे उदयावस्था के समाप्त होने के बाद भी आत्मा के साथ रहते। जब तक पुण्य रहता है। सुख रहता है, पुण्य के समाप्त होते ही सुख भी समाप्त हो जाता है। सारांश यह है कि पुण्य के अधीन मिलने वाले सुख में स्वाधीनता नहीं है और पराधीनता में सुख का सद्भाव सभव नहीं है। किसी उर्दू के शायर ने तभी तो कहा है

मिले खुशक रोटी जो आज्ञाद रह कर ।
तो खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर ॥

अर्थात्—जिसमें रम नहीं है, तरलता नहीं है, ऐसा रोटी का टुकड़ा यदि स्वाधीनता में मिलाता है तो वह उससे कहीं बेहतर है जिसके पीछे जिल्लत है, डर है।

मोक्ष में क्या है ? वहाँ ससार जैसा खाना, पीना एवं पहना— कुछ नहीं है। वहाँ स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं और अन्य अनेक विलास की वस्तुएँ नहीं। ये सब बंधो नहीं, इसलिए कि ये सासारिक वस्तुएँ स्वयं में एक बन्धन हैं और बन्धन का कारण भी हैं। स्त्री का सुख है तो प्रेम का बंधन है, धन का सुख है तो ममत्व का बन्धन है। ससार का प्रत्येक सुख किसी न किसी बन्धन से युक्त है। मोक्ष में बन्धन नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। मन बहलाने के साधनों—उद्यानादि का भी वहाँ अभाव है। मनोरजन की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब मन चिन्ताग्रस्त हो जाये, गशान्त हो जाये और व्याकुल हो जाये। जब वहाँ मन का ही अभाव है तो मनोरजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मन के साथ तन और वचन का भी वहाँ अभाव है। वहाँ तो केवल एक आत्मा की सत्ता है और वह आत्मा भी असाधारण योग्यता को प्राप्त हुआ आत्मा या अपने असली स्वरूप में स्थित हुआ। हमारे शरीर में निवास करने वाला आत्मा परमात्मत्व की स्थिति में नहीं है। वह तो शरीर के अधीन है, ठीक वैसे ही जैसे तोता पिंजरे के अधीन होता है या पिंजरे के बन्धन में फँसा होता है। शरीर की कँद से निकलने के पश्चात् भी वह आठ कर्मों की कारा में बन्धा रहता है। दृश्यमान शरीर से तो निकल जाता है किन्तु शरीर भी एक ही प्रकार का नहीं होता। शरीर दो प्रकार का होता है। स्थूल शरीर जो इन्द्रिय से दिखाई देता है और सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता। स्थूल शरीर को 'औदारिक' शरीर कहते हैं। उदार का अर्थ विशाल, श्रेष्ठ या प्रधान होता है। औदारिक शरीर का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। इसका कारण है कि इस शरीर के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे जो वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण है उनसे आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। औदारिक शरीर का धारक जीव, एक हजार योजन से भी बड़ा होता है, चार हजार कोश से भी बड़ा होता है। हजार-हजार योजन के तो मगरमच्छ ही होते हैं। वनस्पति काय का एक प्रकार का कमल हजार योजन से भी बड़ा होता है। एक और सूक्ष्म शरीर हमारे पास है जिसके दो भाग हैं तैजस और कार्मण। जब कोई देव या नारक मरता है तो उसका वैक्रिय शरीर छूट जाता है, मनुष्य या तिर्यच मरते हैं तो उनका औदारिक शरीर छूट जाता है किन्तु तैजस और कार्मण शरीर तो उनके साथ ही रहते हैं। जब आठो कर्म-बन्धनों से छुटकारा पाकर आत्मा मुक्त हो जाता है तो उसके तैजस और कार्मण शरीर भी छूट जाते हैं।

ज्ञानो पुरुषो का कथन है कि मोक्ष में आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु आत्मा के साथ नहीं रहती। सुख वहाँ अनन्त है किन्तु सासारिक सुखों से वे सर्वथा भिन्न हैं। ससार के सुख तो नाममात्र के हैं। वास्तव में तो यहाँ जो भी है, सब दुःख रूप ही है। ऐसी स्थिति में यदि कोई यह कहे कि दुःख को कोई सुख मानकर कैसे चल सकता है, उसका समाधान निम्नलिखित उदाहरण से मिल जायेगा।

एक व्यक्ति जो दाद-खुजली की बीमारी का शिकार था, रेगिस्तान में चला जा रहा था। वहाँ तो बालू-रेत के सिवा और कुछ भी नहीं था। गर्मी में तो खुजली और भी तीव्र रूप धारण कर लेती है। खुजली उठ रही थी, बेचारा बड़ा व्याकुल था, बड़ा परेशान था। बार-बार खुजला रहा था फिर भी चैन नहीं मिल रही थी। खुजलाने के लिए खुरदरी वस्तु की आवश्यकता होती है, कोमल वस्तु से खुजली शान्त नहीं हुआ करती। कई रोगी इसके लिए पत्थर का उपयोग भी करते हैं और अन्य अरण्या छाणा को पत्थर से भी बेहतर मानते हैं। खुजली का रोगी और खुजली दोनों चल रहे थे। अचानक ही एक घुड़पवार वहाँ आ निकला। घोड़े के लिए उसने थोड़ी-सी घास भी अपने साथ ले रखी थी। रोगी ने उससे कहा, “जरा रुकना भाई, एक घास का तिनका दे दो जिससे खुजली करके शान्ति प्राप्त कर सकूँ।” घुड़सवार सामान्य व्यक्ति न होकर एक सुयोग्य वैद्य था। उसने कहा, “अरे मूर्ख ! तिनके से क्या होगा, मैं तुम्हें औषधि देता हूँ।” “उस औषधि से क्या होगा ?” खुजली के रोगी ने पूछा। “उससे तुम सदा के लिए इस भयानक रोग से मुक्त हो जाओगे। खुजली सदा के लिए मिट जायेगी।” “मुझे नहीं चाहिए ऐसी औषधि। यदि खुजली सदा के लिए मिट गई तो मुझे खुजलाने का आनन्द कैसे मिलेगा ? खुजलाने के आनन्द की अनुभूति को मैं ही जानता हूँ, तुम क्या जानो ?” रोगी ने उत्तर दिया।

ससार के प्रायः सभी जीव इसी स्वभाव के हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से कहे कि “चलो, मैं तुम्हें ऐसी वस्तु खाने को देता हूँ जिससे तुम्हें भूख ही न लगे”, तो वह उत्तर में यही कहेगा कि “मुझे ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो मेरी भूख को मिटा दे। मुझे ऐसी सार्वकालिक रहने वाली तृप्ति की आवश्यकता नहीं है। भूख लगने से अनेक प्रकार के पदरस भोजनों को खाने से जो आनन्द मिलता है वह फिर कहाँ से मिलेगा।”

यह है सासारिक जीवों की सुख के लिए लालसा। प्रत्येक सुख के पीछे मानव को भ्रान्ति में डालने वाला बन्धन छिपा हुआ है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि शुभ कर्मोंदय से जो भी सुख मिलता है वह दुःख रूप है।
 (वधा दूर रहने की आवश्यकता है। आप बत्तीस के बत्तीस शास्त्रों का

अवलोकन कर लो, आपको कहीं भी यह लिखा नहीं मिलेगा कि पुण्यवान बनो। सर्वत्र शास्त्रकारों का तो यही आदेश है कि कर्मबन्धन को काटो। सच्चा आनन्द कर्मबन्धन के विच्छेद में है। कर्म-बन्धन के विच्छेद में पुण्य और पाप दोनों का समावेश अपेक्षित है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। एक के भी अवशेष रहने से आत्मा के लिए मोक्ष संभव नहीं है।

इसी प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाला उत्तराच्ययन में चित्तमुनि और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आर्याणक आता है। इसमें चित्तमुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को आत्म-कल्याण का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि “हे ब्रह्मदत्त, पाँच जन्म तक तुम और हम एक साथ रहे, केवल इस बार निदान (अपनी सत्क्रिया को सुख-भोग के लिये ब्रेच डालने) के कारण हम दोनों का साथ छूट गया और तुम चक्रवर्ती बन गये। अपनी इस भूल के कारण तुमको सातवें नरक का दुःख भोगना पड़ेगा। मेरा तुमको बार-बार यही कहना है कि उस भयावह दुःख से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ त्याग डालो।”

इसके उत्तर में चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा, “आपका कथन मैं भलीभाँति समझता हूँ किन्तु नियामा करने के पश्चात् मेरा आत्मा दुर्बल पड़ गया है, इस कारण अब मेरे मे ससार का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं रही है।” इस पर चित्तमुनि ने कहा

जइ त सि भोगे चइउ असत्तो ।
अज्जाणि कम्माणि करेह राय ॥

हे राजन् ! अगर तुम भोगों को छोड़ने में समर्थ नहीं हो तो आर्य कर्म करो, शुभ कर्म करो जिनके प्रताप से तुम्हारा आत्मा पुण्य के फल के कारण नरक में नहीं जा सकेगा। दीक्षा के अभाव में भी आर्य कर्म करने से तुम नरक से बच सकते हो। परिस्थिति के कारण यहाँ यह बात कही गई है। कहने वाले मुनि भी छद्मस्थ ही थे। छद्मस्थावस्था में जब कोई किसी को शास्त्र की बात समझाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत धारणा मानी जाती है। सारांश यह है कि सासारिक सुख वास्तव में सुख ही नहीं।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१६ जुलाई, १९७६





तीन मित्रों में सच्चा कौन ?

ससार के सुख अशाश्वत है, भ्रान्तिमय है, इसका जिक्र हमने कल के व्याख्यान में किया था। ससार में सुख का तो अभाव ही है। दूसरे शब्दों में सुख केवल आभास मात्र है। दुःख के दो रूप हैं (१) प्रकट दुःख और (२) गुप्त दुःख। जिनका हमें दुःख के रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान है, वे तो प्रकट दुःख हैं, उनको मिटाने के लिए हम प्रयत्नशील भी रहते हैं, परन्तु कुछ दुःख ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमें सुख रूप प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में वे गुप्त रूप से दुःख होते हैं। सासारिक लोग जिन वस्तुओं को सुख का कारण मानते हैं, वस्तुतः उनमें सुख का अभाव है या आभासमात्र है।

वास्तविक चिन्तन के परिणामस्वरूप ज्ञात होता है कि ससार में न तो कुछ सुख ही है और न ही कुछ दुःख ही। सुख और दुःख दोनों मन की कल्पित भावनाएँ हैं। दोनों नश्वर हैं। कविवर नरेन्द्र के शब्दों में

सुख भी नश्वर, दुःख भी नश्वर
यद्यपि सुख-दुःख सब के साथी,
कौन घुले फिर सोच फिकर में
आज घड़ी क्या है कल क्या थी।

देख तोड़ सीमाएं अपनी
जोगी नित निर्भय रमता है।

जब तक तन है, आधि-व्याधि है,
जब तक तन-मन, सुख-दुःख घेरे,
तू निर्वल तो क्रीत-भृत्य है,
तू चाहे ये तेरे चेरे।

तू इनसे पानी भरवा, भर
ज्ञानकूप, तुझमें क्षमता है !

रोत्तर दृढ़ बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत जो हमारे शत्रु हैं, हमारे प्रतिपक्षी हैं, हमारे मार्ग में सदा रोड़ा अटकाने वाले हैं, हमारा विरोध करते हैं और हमारी प्रगति में जो रुकावट डालते हैं, उनसे हम सदा दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए दुखरूप हैं या दुःख के कारण हैं। उन शत्रुओं को हम न चाहे, न बुलायें तब भी वे हमें परेशान करने के लिए हमारे पास आते हैं। किसी कवि ने तो शत्रुओं की सत्ता को मानव की वीरता का प्रतीक माना है और कहा है

जिनके दश दुश्मन नहीं और सौ नही पचास ।

तिनकी जननी क्या कियो, भार मुई दस भास ॥

अर्थात्—ऐसे व्यक्ति जिनके दश शत्रु नहीं हैं और पचास सौ नही हैं, उनको उनकी माता ने व्यर्थ में ही अपने गर्भ में दस मास तक भार रूप में रखा। सारांश यह कि ससार में चतुर, विवेकशील और विचक्षण व्यक्तियों के लिए एक दो नहीं किन्तु दसों शत्रुओं के होने पर बल दिया है। केवल पचासों स्वजनो (सौ) का सद्भाव बिना दस दुश्मनों के हमारी उन्नति एवं प्रगति में बाधक ही सिद्ध होगा। क्योंकि बिना दुश्मनों के हम सावधान नहीं रहते, निश्चिन्त रहते हैं। जबकि दुश्मनों से हम सभलकर चलेंगे, विवेक से चलेंगे और सावधानी से कदम रखेंगे। शत्रु तो बिना अपराध के भी प्रहार कर देता है। मारवाडी भाषा में कहावत है—

“छीकता दण्डे”

अर्थात् —“छीक आ गई तो उसे भी अपराध समझकर दण्ड देने को उद्यत हो जाना।” छीक आ जाना तो कोई अपराध नहीं है किन्तु वह तो शरीर का सहज स्वभाव है, परन्तु शत्रु तो कोई बहाना ढूँढता है। ऐसा होने पर भी नीतिकारों ने शत्रु के अस्तित्व को इसलिए आश्चर्यक माना है कि शत्रु हमारी बात को चेक करता रहता है। उसके चेक करने से हमें अपनी भूलों का, अपने दोषों का और अपनी लापरवाही का ज्ञान होता रहता है। हम सावधान बने रहते हैं और जागरूक रहते हैं अपने दोषों के प्रति। सामान्य रूप से मनुष्य को अपने दोष नहीं दिखाई दिया करते। दीपक तले अघेरा ही रहता है। दूसरों के राई जितने दोष भी हमें पहाड़ जैसे दीखते हैं और अपने पहाड़ जैसे दोष भी राई के समान लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी कवि द्वारा शत्रु की आवश्यकता पर बल देना सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है। संक्षेप में, हम यही कहेंगे कि सामान्य बुद्धि के धनी ही यह सोचा करते हैं कि उनका मनचाहा काम हा होना चाहिए, जो विशिष्ट बुद्धिवाले हैं वे तो अपने विरो-

धियो के अस्तित्व को भी महत्व देते हैं। तभी तो कवीर ने कहा है

दुर्जन नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय ।
बिन सावुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय ॥

ऐकान्तिक सुख भी एक प्रकार की अन्ध श्रद्धा है। जिस प्रकार अपने दोषों के निदर्शन के लिए शत्रु का महत्व है, उसी प्रकार संपत्ति के साथ विपत्ति का होना भी परमावश्यक है। विपत्ति आने पर ही तो ज्ञात होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसी सत्य की पुष्टि करते हुए रहीम कहते हैं

रहिमन विपदा हू भली, जो थोरे दिन होय ।
हित अनहित या जगत मे, जानि परत सब कोय ॥

अर्थात्—

जीवन में यदि कुछ समय के लिए विपत्ति भी आ जाये तो उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में ही 'कौन अपना है और कौन पराया है' इस सत्य की पहचान की जा सकती है।

वैसे तो जब हम सम्पन्न दशा में होते हैं, हमारे पास कोई सच्चा होती है या अधिकार होता है तो सभी हमारे बनना चाहते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग दूर से दूर का नाता हमारे साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। हमारी विपन्न दशा में कोई भी हमारे पास फटकना नहीं चाहता। खून का रिश्ता होने पर भी लोग हमारे से कन्नी काटा करते हैं। किसी विपदाग्रस्त व्यक्ति के पूछने पर कि हम उनके क्या लगते हैं, क्या हम उनके भाई हैं? तो यही उत्तर मिलता है

भाई-भाई जितनी खाई,
बाकी छोके पर लटकाई ।

विपत्तिकाल में ऐसा ही होता है। सम्बन्ध सगे रिश्तेदारों का भी टूट जाता है दूसरों की तो बात ही क्या है ?

ज्ञानी पुरुषों का इसलिए कथन है कि बनी-बनी में और सम्पन्न दशा में हमें अपने और पराये का कुछ भी भेद मालूम नहीं पड़ता। आपत्ति आने पर ही हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में ससार में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे सुख-दुःख का साथी है और कौन ऊपर से अपना बनने का ढोंग रचता रहा है। आपत्तिकाल में सबकी परीक्षा हो जाती है। अतएव, जीवन में आपत्ति अवश्य आनी चाहिये, दुःख अवश्य आना चाहिए। इस

प्रकार केवल विवेकशील व्यक्ति ही सोचा करते हैं। सामान्य बुद्धि रखने वालों की यहाँ तक पहुँच नहीं।

इस प्रसंग पर मुझे एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है। एक राजा था। उसका राजकुमार बड़ा योग्य था। राजकुमार के अनेक मित्र थे। एक मित्र तो राजकुमार के इतना घनिष्ठ था कि वह रात-दिन उसे घेरे रहता था और अन्य समय के लिए भी उससे पृथक् होना नहीं चाहता था। उसका मंत्री सम्बन्ध राजकुमार के साथ, मारवाड़ी भाषा की कहावत के अनुसार "माथा-सूँ कान सीवियोडा" के समान था। खाना-पीना, उठना बैठना सब साथ-साथ चलता था। राजकुमार का एक और मित्र था जिसे राजकुमार कभी-कभी याद कर लिया करते, विशेष रूप से पर्व त्यौहारों के अवसर पर। वह आता, दिन-भर साथ रहता और प्रेमपूर्वक अनेक प्रकार का सलाप चलता। विछुड़ने के पश्चात् कई वार तो वर्षों तक भेंट नहीं हो पाती थी। एक तीसरा मित्र भी था जिसके साथ कभी-कभी आते जाते मार्ग में भेंट हो जाया करती थी। जयजिनेन्द्र और कुशल-मंगल पूछने पर यह मुलाकात समाप्त हो जाती। मिल गये तो इस शिष्टाचार का पालन हो गया, नहीं तो किसे एक दूसरे को याद करने का अवकाश था ?

एक वार महाराजा के मन में आया कि राजकुमार की परीक्षा करनी चाहिए। यह कितना चतुर है, इसके मित्र किस प्रकार के हैं, कौन इसका हितैषी है और कौन इसका अहितैषी है ? कौन प्रत्यक्ष रूप में तो इसकी चाप-लूरी करता है और परोक्ष में इसको नगण्य समझता है। भविष्य में मेरे उत्तराधिकारी के रूप में यह राजगद्दी सभालने वाला है। राज्यशासन का भार इसके कंधों पर पड़ने वाला है, इसलिए इसका कोई ऐसा विश्वास पात्र, ईमानदार, बुद्धिमान और स्वार्थहीन मित्र होना चाहिए जिसे इसका प्रधान-मंत्री बनाया जा सके।

यहाँ 'मन्त्र' शब्द का अर्थ स्पष्ट करना अप्रासंगिक न होगा। मन्त्र शब्द के दो अर्थ होते हैं एक तो "मननात् त्रायते इति मन्त्र" अर्थात् मनन चिन्तन के द्वारा असम्भव को भी सम्भव बनाने की जिसमें शक्ति उत्पन्न हो जाये वह मन्त्र होता है। दूसरा मन्त्र राजनीति में किये गये विचार से सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में गोपनीय विचारधारा की मन्त्रणा को मन्त्र कहते हैं। राजा जिसके साथ गुप्त रूप से मन्त्रणा करता है, उसे मन्त्री कहते हैं। पहले मन्त्र को धारण करने वाला मन्त्रवादी कहलाता है और राजनैतिक विचार-धारा को धारण करने वाला मन्त्री कहलाता है। मन्त्री शब्द संस्कृत का है। अंग्रेजी में मन्त्री को 'सेक्रेटरी' कहते हैं—सीक्रेट रहस्य को कहते हैं—गुप्त से गुप्त विचार जिसके साथ किया जाता है। इस गुप्त विचार को केवल दो व्यक्ति

ही जानते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि नीतिकार का कथन है ।

पटकणों भिद्यते मन्त्र ।

गुप्त वात छह कानो मे नही जानी चाहिए । छह कानो मे जाने से उसके फूटने का डर हो जाता है । एक वार खुल गई, फिर उसे छिपाना कठिन होता है । तभी तो कहते हैं मारवाडी भाषा मे कि 'निकली होठां वान्धो पोटा' ।

राजा ने सोचा कि राजकुमार को राजा बनने के पश्चात् मन्त्री की नियुक्ति करनी होगी, इसलिए इसका मन्त्री विश्वसनीय होना चाहिए । राजा यह सोच ही रहा था कि कोई राज्य का व्यक्ति जो चुगलखोर था, राजकुमार के विरुद्ध शिकायत लेकर आ गया । राजा, राजकुमार की गम्भीर शिकायत सुनते ही क्रुद्ध हो गया और अपना निर्णय दिया कि 'कल ही राजकुमार को दस बजे सूली पर चढा दिया जाये ।' ठीक ही तो कहा है किसी कवि ने

राजा किस का गोठि ।,
जोगी किसका मित्त ।
वेश्या किसकी है स्त्री,
तीनो ही मित्त कुमित्त ॥

राजा का आदेश सुनते ही राजकुमार स्तब्ध-सा रह गया । सोचने लगा, "राजा ने मुझसे मेरे अपराध के विषय मे कुछ पूछ-ताछ नही की, किसी प्रकार की जाँच पडताल नही की और एकदम मृत्युदण्ड सुना दिया । वडी विचित्र बात है, अब मैं क्या करूँ ?" राजकुमार दिन-भर चिन्तित रहा और कि-कर्त्तव्य-विमूढ हो गया । उसे कोई भी तो उपाय नही सूझ रहा था । सूर्यास्त हो गया, लोगो का सामान्य संचार रुक गया । राजकुमार ने सोचा, "मुझे तो मृत्युदण्ड से बचने का कोई उपाय सूझ नही रहा, क्यों न मैं अपने अत्यन्त घनिष्ठ मित्र से इस विषय मे राय ले लूँ ?" वह अपने उस घनिष्ठ मित्र के पास गया जो दिन-रात उसके साथ खाता-पीता था । राजा भी अन्धकार मे वास्तविकता जानने के लिए उसके पीछे-पीछे हो लिया । मित्र का घर आ गया । द्वार खटखटाया । ऊपर से आवाज आई ।

"कौन है ?"

उत्तर मिला "मैं राजकुमार हूँ ।"

"क्यों आये यहाँ, यहाँ आने की आवश्यकता नही है । राजा तुम्ह पर क्रुद्ध है । कल दस बजे तुम्हें मृत्यु दण्ड दिया जायेगा । यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र चले जाओ, कोई राज्याधिकारी सुन लेगा तो मुझे भी मृत्युदण्ड भुगतना पड सकता है ।"

“आप एक क्षण के लिए तो नीचे आकर मेरी बात सुन लो ।” राजकुमार ने अनुनयपूर्ण शब्दों में प्रार्थना की ।

“मैं नीचे नहीं आ सकता, भागो यहाँ से,” ऊपर से आवाज आई ।

राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया । मोचने लगा, “यह राजकुमार का घनिष्ठ मित्र है । राजकुमार इसे अच्छा से अच्छा खिलाता है, सदा अपने साथ रखता है और अपने जैसी ही सब सुविधायें इसे प्रदान करता है, तिस पर भी यह इतना कृतघ्न निकला कि सकट आने पर राजकुमार से बात करने को भी तैयार नहीं, सकट से रक्षा करने की तो बात ही दूर रही ।”

राजकुमार यह सोचकर कि ऊपर से कहीं पत्थर ही न मार दे, वहाँ से चल पड़ा । जाते-जाते सोच रहा था, “कोई किसी का नहीं है । जो इतना घनिष्ठ था कि दिन-रात सम्पर्क में रहता था, साथ-साथ खाता-पीता था, जिसको मैं हथेली के छाले के समान अधर रखता, उसका यह दुर्व्यवहार ! सकट पड़ने पर ! अब अपने उस पर्व-मित्र के पास चलता हूँ जो कभी-कभी पर्व-त्यौहारों के अवसर पर मेरे पास आ जाता है, साथ-साथ भोजन करता है और बड़ा प्रेम दर्शाता है ।” राजकुमार दूसरे मित्र के घर पर आया और दस्तक दी । ऊपर से आवाज आई, “कौन है ?”

“मैं हूँ राजकुमार ।” उत्तर मिला ।

“ओहो राजकुमार ।” मित्र एकदम दौड़कर नीचे आया और दरवाजा खोला । राजकुमार जब घर में प्रवेश करने लगा तो कहने लगा, “कृपया बाहर ही रहो, अन्दर आने के पहले यह तो बताओ कि इस रात के समय मेरे पास आने का कारण क्या है ?”

“मुझे राजा ने मृत्युदण्ड दे दिया है, किसी चुगलखोर की बात पर विश्वास करके । कल दस बजे मुझे सूली पर लटका दिया जायेगा । आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि आप कोई उपाय बतायें, जिससे मेरी प्राण रक्षा हो सके ।”

राजकुमार ने पर्व-मित्र से कहा । पर्व-मित्र ने हाथ जोड़कर कहा कि “यदि महाराज आप पर क्रुद्ध है तो मुझमें आपके प्राण बचाने का कोई सामर्थ्य नहीं है । मैं राजा से वर ब्राँधकर अपने प्राणों को सकट में नहीं डाल सकता । आप कहीं भागकर जाना चाहते हैं तो मैं आपको मार्ग के लिए धन दे सकता हूँ, भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ । आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जायें, ऐसा न हो कि कोई राजकर्मचारी देख ले और मुझे भी लेने के देने पड़ जायें । कहते हैं कि ‘हाथिया री लडाई में कीडिया रो खोगाल’ ।” वह पर्व-मित्र राजकुमार को देने के लिए कुछ खर्च लाया किन्तु राजकुमार ने ग्रहण नहीं किया । कुछ दूर तक राजकुमार को पहुँचाकर वह घर लौट आया ।

राजकुमार सोच रहा था, "पहले वाले मित्र से तो यह अच्छा निकला, सहानुभूति दिखाई और अपनी दुर्बलता भी प्रकट की।" अब वह अपने तीसरे मित्र से मिलने चला। घर पर पहुँचकर द्वार खटखटाया। ऊपर से "कौन है" की आवाज आई। उत्तर मिला, "मैं राजकुमार हूँ।" वह भट नीचे आया, द्वार खोला और राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे अन्दर ले जाने लगा ही था कि राजकुमार ने कहा, "पहले अपने और फिर धक्का देने वाली बात न हो जाये, इसलिए पहले मेरे आने का कारण जानो और उसके पश्चात् मुझे अन्दर ले जाना।"

"अरे! बात क्या बाहर सुनी जाती है? बात तो अन्दर चलकर ही करेंगे। रात्रि के समय तो वैसे भी बाहर बात करना अच्छा नहीं होता। अन्दर शान्ति से बैठकर बात करेंगे।"

तीसरे मित्र ने राजकुमार का अपने घर पर स्वागत करते हुए कहा। वह राजकुमार को अन्दर ले गया और द्वार बन्द कर लिया।

राजा सोचने लगा, "यह व्यक्ति बहुत योग्य और विश्वासपात्र मालूम होता है। अब किसी प्रकार की आशंका की चिन्ता नहीं है।" राजा लौटकर अपने प्रासाद में चले गये।

इस तीसरे मित्र ने राजकुमार का अपने घर पर हार्दिक स्वागत किया। बड़े प्रेम से खिलाया, पिलाया। राजकुमार ने जब अपनी बात सुनाने का प्रसंग छेड़ने का प्रयत्न किया तो मित्र ने कहा, "अभी तुम्हारे मन में घडकन है, अशान्ति है, परेशानी है, पहले पूर्णरूपेण शान्त मन हो जाओ फिर जो कुछ सुनाना हो सुना देना।" जब मित्र ने जान लिया कि अब राजकुमार पूरी तरह से शान्तचित्त है, तब उससे कहा, "अब आप सुनाइये क्या सुनाना चाहते हैं?"

"किसी चुगलखोर की बात सुनकर महाराज मुझ पर क्रुद्ध हो गये हैं। मेरे लिए प्राणदण्ड की घोषणा कर दी है। कल दस बजे सूली पर चढ़ा दिया जायेगा मुझे। कुछ राय दो कि मेरी प्राण रक्षा का क्या उपाय हो सकता है।"

राजकुमार ने नम्रतापूर्ण शब्दों में मित्र से कहा।

"दरबार साहब! आपको प्राणदण्ड देंगे। किसी चुगलखोर की बातों में आकर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं महाराज को समझा दूँगा, और नहीं समझेंगे तो मैं भी शक्ति रखता हूँ। दूसरी रियासतों के राजकुमार मेरे मित्र हैं, मैं राजा के लिए बड़ा से बड़ा सकट खड़ा कर सकता हूँ। आप सर्वथा निर्भय रहे। मुझे साम, दाम, दण्ड, भेद सभी प्रकार की नीतियों का ज्ञान है। मैं सब ठीक कर लूँगा। ससार की कोई शक्ति आपको मृत्युदण्ड देने में सफल नहीं हो सकती। मेरे रहते कोई भी आपका बाल बाँका नहीं कर सकता।"

इस प्रकार सान्त्वना देकर तीसरे मित्र ने राजकुमार को अपने घर सुला लिया। सान्त्वना पाकर राजकुमार का मन सन्तुलित हो गया और वह गहरी नीद में सो गया।

प्रातः होते ही वह मित्र राजा के पास पहुँचा और कहने लगा, “हुजूर ! किसी चुगलखोर ने जो राजकुमार के विषय में आपसे चुगली की है, वह सर्वथा निराधार है। यद्यपि राजकुमार से मेरा घनिष्ठ परिचय नहीं है किन्तु इतना मैं भलीभाँति जानता हूँ कि वह छल, कपट और धोखा—इन अवगुणों से रहित है। आपके पास जिसने राजकुमार की शिकायत की है, आप उसका नाम बताये, मैं उससे अच्छी प्रकार से निपट लूँगा।”

राजा राजकुमार के इस मित्र की बात को सुनकर बड़ा प्रमन्न हुआ और अपने राजकुमार को हिदायत कर दी कि वह इसी व्यक्ति को अपना सच्चा मित्र समझे और इसी के सम्पर्क में रहे।

ऊपर जिन तीन प्रकार के मित्रों का विवरण दिया गया है उसके आधार पर मित्र तीन कोटियों में विभक्त किये जा सकते हैं (१) नित्य मित्र, (२) पर्व मित्र और (३) जुहार-मित्र।

हमारे आत्मा के भी तीन मित्र हैं। यह जीव स्वयं राजकुमार के समान है। शरीर इसका नित्य-मित्र है। साथ में जन्मा, साथ में पालन-पोषण हुआ, साथ में खेला, और साथ में बड़ा हुआ। यह जीव अपने भविष्य का, अपने उत्थान का, अपने पतन का तनिक भी ध्यान न करता हुआ दिवानिश शरीर के पोषण में लगा रहता है। इसे नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, ओढाता है और इसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। किसलिए ? शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाये रखने के लिए। यहाँ उपस्थित श्रावक भी तो यही करते हैं। शरीर की उपेक्षा करके आपने कभी अपने आत्मा की प्रवृत्ति पर ध्यान लगाया ? अपने सगे सम्बन्धियों को पत्र लिखते ही उसमें भी “डीलारा जापता करावसी, सारा दारोमदार डीलासूँ है” लिखा करते हैं। तुम्हारा सभी का प्रेम शरीर तक केन्द्रित है। शरीर क्या है, ? हड्डी और मांस का पुतला ही तो है। मल मूत्र की खान है, गन्दा है। जब तक इसमें आत्मा का अस्तित्व है, तब तक इसके सब अवगुण ढके रहते हैं। आत्मा के शरीर से निकल जाने पर तो कोई भी इसका स्पर्श भी नहीं करना चाहता। कोई स्पर्श करेगा तो अपवित्र हो जायेगा, उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ेगा। जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है तब तक इसके स्पर्श करने से आनन्द का अनुभव होता है। आत्मा के अस्तित्व के कारण ही शरीर का आदर, सम्मान और सत्कार होता है। विरहिणी परदेसी प्रियतम को स्मरण कर पुकार उठती है,

में डूँ अकेली बादल में चमके वैरण बीजली ।
घर आवो बनासा बादल में चमके वैरण बीजली ॥

लेकिन उसी अत्यन्त प्रिय लगने वाले प्रियतम के शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, वही पत्नी जो प्रियतम के विछुड़ने पर क्षण-भर भी चैन नहीं पाती थी, उसके पास जाती हुई डरती है। पहले तो उसके बिना डरा करती थी और अब उससे ही डरने लगती है। वास्तव में डर का मिटानेवाला तो आत्मा था, जो कि चला गया, जड़ शरीर बाकी रह गया। आ-मा का शरीर से सम्बन्ध टूटते ही शरीर की सारी गदगियाँ उभरकर बाहर आ गईं, सारी अपवित्रताएँ सामने आ गईं। उस आत्मा ने ही शरीर की सारी अपवित्रताओं को आच्छादित कर रखा था। उस आत्मा के अस्तित्व के कारण ही शरीर सुख-मय था, आनन्दमय था। इतनी उच्चकोटि की चेतन शक्ति का किसी का ध्यान नहीं है। कोई यह सोचने का कष्ट नहीं कर रहा है कि किस बात से आत्मा का उत्थान होता है और किस प्रकार की प्रवृत्ति से आत्मा अधोगति को प्राप्त होता है।

सक्षेप में, यह जीव या आत्मा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को भूलकर शरीर के पोषण में लीन है। थोड़ी-सी बीमारी आने से ही शरीर खाट पकड़ लेता है और एकदम शिथिल पड़ जाता है। जीव कहता है शरीर को, “अरे तू इतना हीला बयो हो गया ? उद्यम कर, थोड़ा साहस रख, चल-फिर।” इसके उत्तर में शरीर कहता है, “मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, मुझमें कुछ भी करने का साहस नहीं है।”

“अरे भले प्राणी ! क्यों नहीं कुछ होता तुमसे ? तुम्हें मैंने इतना खिलाया है, पिलाया है, बड़े आराम से रखा है, बड़ी से बड़ी सुविधा तुम्हें प्रदान की है। अपनी तनिक भी चिन्ता न करके तुम्हारी ही चिन्ता की है और जरा सा कष्ट आते ही इतने कायर बन गये हो, उस से मस नहीं होना चाहते और अपनी शक्तिहीनता प्रकट कर रहे हो।” यह शरीर आत्मा का नित्यमित्र है। आत्मा जितनी शरीर की सेवा करता है उतनी उसके परिवार की भी नहीं करता। परिवारवालों को तो वह कभी-कभी पर्व त्योहारों के अवसरों पर ही याद करता है और बुलाता है। घण्टा दो घण्टा या दिन भर परिवारवालों के साथ आनन्द से गुजारता है। ये परिवार वाले उसके पर्व-मित्र हैं। जब शरीर की विषम-दशा आती है तो परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं परन्तु मृत्यु आने पर परिवार वाले कहते हैं, “हम तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, तुम पर जितना चाहो धन खर्चकर सकते हैं किन्तु मृत्यु से तुम्हारी रक्षा करने

में हम असमर्थ है। मृत्यु होने पर हम तुम्हें श्मशान तक पहुँचा देंगे, लकड़ियों की व्यवस्था भी कर देंगे। वस, इतना ही सब है हमसे।”

नि सन्देह नित्य-मित्र से पर्व-मित्र बेहतर है। तीसरी कोटि का मित्र होता है जुहार-मित्र। जुहार कोटि के मित्रों में हम साधुओं का नाम आता है। कभी-कभी चलते-फिरते मार्ग में मिल जाते हैं। जब मार्ग में ही मिलाप सम्भव है तो उनके पास जाने का कष्ट कौन करे ? मार्ग में मिलने पर महाराज को “मत्थण वदामि” कर लिया, वस कर्तव्य पालन हो गया, शिष्टाचार पूरा हो गया। महाराज साहब के यह पूछने पर, “बया बात है आप आये नहीं प्रवचन में” उत्तर मिलता है, “आऊँगा, वापसी, अभी थोड़ा प्रमाद है, थोड़ा घर का काम बाकी है। अवश्य आने का प्रयत्न करूँगा।” सन्त अचानक मार्ग में मिल गये, थोड़ी सी बातचीत हो गई, वम भेंट समाप्त हो गई। इस छोटी-सी भेंट के कारण सन्त जीव के जुहार-मित्र कहलाते हैं। परन्तु ये जुहार-मित्र अवसर आने पर आत्मा से मृत्यु के भय को निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। जब कभी कोई उनके पास जाकर कहता है कि “मुझ पर काल कुपित हो गया है और मेरी मृत्यु आसन्न है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो” तो सन्त उसको ज्ञान की शिक्षा देते हुए कहते हैं

वासासि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि गृह्णाति नवानि देही ॥

अर्थात्—

“जिस प्रकार वस्त्रों के फटने पर मनुष्य उनका त्याग करके नये वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर को त्यागकर जीव नये शरीर को धारण करता है या यो कहिये कि नये शरीर में जन्म ले लेता है। सारा यह कि मृत्यु तो शरीर परिवर्तन मात्र है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मानव को कभी भी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए।” इस प्रकार सन्त लोग ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान ससार के दुखी लोगों को देते हैं कि यदि व्यवित उसको हृदय में धारण कर ले तो वह कभी भी मृत्यु से नहीं डर सकता। उसमें तो इतना साहस उत्पन्न हो जाता है कि मृत्यु का सामना करने लगता है। सथारा क्या है ? मृत्यु का सामना करना ही तो है। तीन करण और तीन योगों से चार प्रकार के आहार का परित्याग करना मृत्यु का सामना करना ही है। इस प्रकार मृत्यु से मुकाबला करने की और आत्मा को अजर-अमर समझने की, साहस की और ज्ञान

की शक्ति जिज्ञासु को सन्त-महात्मा ही प्रदान किया करते हैं। इसके अनि-रिक्त, सब प्रकार की भ्रान्तियों को, जीवन-मरण की मिथ्या धारणाओं को और भय को मिटाकर निभय रहने की शिक्षा को सन्तजन ही दिया करते हैं।

सुख और दुःख की परिभाषा करते हुए हमने आपको बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सुख के पीछे अन्धे होकर नहीं पड़ते। वे जैसे सुख का स्वागत करते हैं वैसे ही दुःख का भी। जितना महत्त्व मित्र का है उतना ही शत्रु का भी है। शत्रु हमें सदा सावधान रखता है जिसका निर्देश हम ऊपर कर आये है। तुलनात्मक दृष्टि में देखें तब तो विपत्ति सपत्ति से भी अधिक हित-कर है। सम्पत्ति प्राणी को वेहोश कर देती है किन्तु विपत्ति उसे होश में लाती है। निःसन्देह विपत्ति को सहन करना जीव के लिए सरल नहीं है किन्तु यदि उसमें धैर्य, सहनशीलता और विवेक का संचार हो तो विपत्ति को बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। बिना विपत्ति के जीव का जीवन कभी भी निखर नहीं पाता। इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम सदा विपत्तियों को निमग्नण देते रहे। हम तो केवल यही कहते हैं यदि विपत्ति या दुःख भी जीवन में आते हैं तो उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और उनका महत्त्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

जैन-भवन, डेह(नागौर)

१७ जुलाई, १९७६





आदमी, पुरुष, मानव, मनुष्य, नर और सुख-दुःख

शाश्वत सुख की प्राप्ति जीव का चरम लक्ष्य है। आदमी केवल अल्पकाल के लिए सुखी बनना नहीं चाहता किन्तु शाश्वत सुख की उपलब्धि चाहता है। नि सन्देह प्रत्येक मनुष्य न तो शाश्वत सुख के महत्त्व को ही समझता है और न ही उसकी परिभाषा को। जो वास्तव में मनुष्य है, वही शाश्वत सुख की अभिलाषा रखता है। जो मनुष्य होकर मनुष्यत्व को नहीं समझता, वह मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। मनुष्य शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है उसी के आधार पर हमने यह बात आपसे कही है।

ऊपर से देखने पर अनेक शब्द समानार्थक प्रतीत होते हैं परन्तु गहराई से देखने पर सबके अर्थ अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए आदमी, पुरुष, मनुष्य, मानव और नर ये शब्द समानार्थक लग रहे हैं किन्तु वास्तव में सबके अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। आदमी शब्द को ही सर्वप्रथम लीजिये। आदम शब्द आत्म शब्द से निकला है। भाषा विज्ञान की पद्धति के अनुसार 'त' का 'द' बन जाया करता है। जैसे सत् + भाव से सद्भाव, सत् + आचार से सदाचार, सत् + ज्ञान से सदज्ञान। इसीप्रकार 'अन्तर' शब्द का अपभ्रंशरूप 'अन्दर' बन गया है। इसमें भी 'त' का 'द' में परिवर्तन हो गया है। जिसके अन्दर आदम या आत्मा है वही आदमी है। इस निरुक्ति के अनुसार पशु, पक्षी, नारकी और देवता सभी आदमी की कोटि में आ जाते हैं। किन्तु इसके दूरे अर्थ के अनुसार जिसको आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान है, वही आदमी है। जो आत्मज्ञान से हीन है वह आदमी कैसे होगा? मारवाडी भाषा में एक कहावत है

“तोल रो मुडो बाको हे।”

अन्दाज अलग चीज है और परिमाण अलग। तुलने के समय अन्दाज और अनुमान काम नहीं आया करते हैं। वहा तो वास्तविकता काम आती है। जो सही वजन होगा वह सामने आ जायेगा। आदमी शब्द को अर्थ की तुला

पर रखकर जब हम तोलने बैठते हैं तो कभी यह पलड़ा भारी होगा और कभी दूसरा। तराजू का गुरु है—डाड़ी के ठीक बीच में लगी चोटी, जिसको पकड़कर ही दोनों पलड़ों की बराबरी देखी जाती है। गुरु बीच में रहता है और उसके इधर भी एक चेला और दूसरी ओर भी एक चेला। देव, गुरु और धर्म—इनके मध्य में विराजने वाले गुरु के देव और धर्म दोनों चेले हैं। दोनों की चोटी गुरु के हाथ में है या दूसरे शब्दों में दोनों गुरु पर अवलंबित हैं। इसका भावार्थ यह है कि देव का स्वरूप बताने वाले भी गुरु ही होते हैं और धर्म की पहचान कराने वाले भी गुरु ही होते हैं। यदि गुरु वास्तव में गुरु के गुणों से गरिष्ठ है, निष्काम है, निष्कपट है और आचारवान है तो वे निश्चय ही देव का तथा धर्म का स्वरूप यथातथ्य रूप में वर्णित करेंगे और यदि वे ऐसे नहीं हैं तो कहेंगे।

“रावल देवल गुरु के पाये ।
खाली हाथ कबहुँ मत जाये ।”

ऐसे गुरु तो यही कहेंगे कि देव के पास तथा गुरु के पास कुछ न कुछ भेंट लेकर ही जाना चाहिए, वहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं। ऐसे गुरु न तो देव के और न ही धर्म के स्वरूप को सही रूप से बता सकते हैं।

हाँ, तो हम आपसे यह कह रहे थे कि अर्थ की तुला पर तोलने से आदमी शब्द का एक अर्थ तो प्राणीमात्र पर घटित होता है जबकि दूसरा केवल आदमी का ही सूचक है। सामान्यरूप से तो सभी आदमी, आदमी कहलाते हैं किन्तु वास्तव में आदमी वही है जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया हो, जिसको अपनी सहज प्रकृति का ज्ञान हो गया हो।

आदमी के लिए अन्य पर्यायवाचक शब्द है ‘पुरुष’। जो पुरुषार्थ करे, उद्यम करे वह पुरुष कहलाता है। पुरुषार्थ के आधार है—साहस और शक्ति। जिसमें इन दो गुणों का अभाव है वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता और पुरुषत्व से गिर जाता है। अधिकार और सत्ता की प्राप्ति बिना साहस और शक्ति के नहीं हो सकती। ‘पुरुष’ संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में ‘रु’ का ‘रि’ बनकर ‘पुरिस’ बन जाता है। संभवतः इसी पुरिस शब्द से ‘पुलिस’ शब्द निष्पन्न हुआ है क्योंकि अर्ध मागधी में ‘र’ का ‘ल’ हो जाता है और संस्कृत में भी ‘रलयोरभेद’ ऐसा माना गया है। राजकीय सुरक्षा-वग के आदमी पुलिस कहलाते हैं। सामान्य पुरुषों की अपेक्षा से वे अधिक साहसी, चुस्त और शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए पुलिस शब्द उन पर वास्तविक रूप में चरितार्थ होता है। जो व्यक्ति आलसी है, उद्यमहीन है, मात्र भाग्य पर भरोसा रखने वाला है, वह कदापि अपने को पुरुष कहलाने योग्य नहीं बना सकता। यहाँ उप-

स्थित श्रावको पर पुरुष शब्द का अर्थ कहीं तक घटित होता है यह तो आप-के सोचने की बात है ।

आदमी का तीसरा पर्यायवाचक शब्द है 'मानव', मानव का अर्थ है 'मनु की सन्तान' । मनु का अर्थ है 'ज्ञानी' । जो ज्ञानी पुरुषों के अनुगामी है या जीवन के क्षेत्र में ज्ञान का आश्रय लेकर बोलते हैं, चलते हैं और आचरण करते हैं, वे होते हैं 'मानव' । मान-मर्यादा को धारण करने वाले को भी मानव कहा जा सकता है । आज के युग में मानवतावादी सिद्धान्त का बड़ा बोलवाला है । तार्किक लोग प्रायः यह कहते हुए सुने जाते हैं कि आज का मानव, मानव है या दानव? वास्तव में आज का मानव, मानव न रहकर दानव बन रहा है । अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वह विज्ञान का आश्रय लेकर व्यापकरूप से जनसंहार कर रहा है । उसमें मानवता लुप्त हो रही है । आज के मानव को मानव कहना, कहीं तक उचित है यह आप भलीभाँति जानते हैं ।

चौथा शब्द आदमी के लिए है 'मनुष्य,' जिसका अर्थ है 'मननशील' । किसी भी बात को सुनकर या देखकर जो व्यक्ति यह मनन करता है, चिन्तन करता है, तुलना करता है कि उसमें कितने गुण हैं, कितने दुर्गुण हैं, वह मनुष्य कहलाता है । सारे काम छोड़कर आप यहाँ व्याख्यान सुनने को बैठे हैं । यदि सब कुछ सुनकर भी आपने उस पर मनन-चिन्तन न किया, कुछ ग्रहण कर उसे जीवन में न उतारा तो आप मनुष्य कैसे बन सकेंगे ? इसलिए हमारा आपको यही उपदेश है कि आप इस मनुष्य शब्द को अपने ऊपर चरितार्थ करें ।

मनुष्य का पर्यायवाचक एक शब्द 'नर' भी है । जो करने योग्य और न करने योग्य काम का निर्णय करता है, वह 'नर' कहलाता है । निर्णय करना भी सरल काम नहीं है । न्यायालयों में न्यायाधीश सहसा निर्णय नहीं ले लिया करते । अनेक पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं, वकीलों में लम्बे-चौड़े वाद-विवाद चलते हैं, तब कहीं न्यायाधीश निर्णय दे पाता है । निर्णय देने के लिए स्थिरमतित्व की आवश्यकता है । अस्थिर बुद्धि वाले लोग निर्णय देने की प्रतिभा से हीन होने के कारण त्रिशकु की तरह बीच में ही लटकते रहते हैं । उनकी दशा तो वैसी ही होती है

“न इधर के रहे न उधर के बने,
न खुदा ही मिला न विसाले सनम ।”

नर का विरोधी शब्द मादा है । पृथ्वीराज चौहान का नाम किसने नहीं सुना । वह बड़ा वीर-योद्धा था । ठीक उसी प्रकार की आकृति के सौ और परम सदा उसके साथ रहा करते थे । सभी की वेशभूषा भी पृथ्वीराज के ही

समान थी। डील-डौल में भी वे पृथ्वीराज के ही समान थे। सभी के सभी परम स्वामीभक्त और स्वामी के सकेत पर चलने वाले थे। पृथ्वीराज अलग और सौ सामन्त अलग। पृथ्वीराज की एक दासी थी जो केवल पृथ्वीराज से ही घूँघट निकाला करती थी। शेष सौ सामन्तो से वह खुलकर बात किया करती थी। यह बात उन सौ सामन्तो को बहुत अखरती थी। सब सामन्त यह सोचा करते थे कि “हम में और पृथ्वीराज में क्या अन्तर है, मग एक से ही तो है फिर इस दासी का हमसे खुलकर बात करना और पृथ्वीराज से घूँघट निकालना ऐसा क्यों है? क्या हम में किसी प्रकार की कमी है?” उनको कुछ भी इसका रहस्य समझ में नहीं आया। आखिर एक दिन एक सामन्त दासी से पूछ ही बैठा, “क्या बात है, तुम हमसे तो घूँघट निकालती नहीं और पृथ्वीराज से घूँघट निकाला करती हो। क्या हमारे प्रति तुम्हारे मन में आदर-मान नहीं है?”

“तुम सब व्यवितयो में कोई नर हो तो घूँघट निकालूँ! तुम सबमें तो केवल एक पृथ्वीराज ही नर है, मैं उससे घूँघट निकाला करती हूँ।” सामुद्रिकशास्त्र में नर का भी एक लक्षण बताया गया है। जिसकी छाती पर स्तन का चिह्न न हो वह नर कहलाता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज की छाती पर स्तन का चिह्न नहीं था। दासी की बात को सुनकर सब सामन्तो के चेहरे उतर गये और सोचने लगे कि इससे तो दासी से प्रश्न न ही किया जाता तो अच्छा था। किवदन्ती के अनुसार अर्जुन के स्तन के चिह्न नहीं थे। तीर्थ-करो के और घोड़े के भी स्तन के चिह्न नहीं होते। आजकल तीर्थकरो की प्रतिमाओं के लोग स्तन-चिह्न बनाने लगे हैं, जो अनुचित है।

प्रसंगवश हम प्रस्तुत विषय से बहुत दूर चले गये हैं। हम कह रहे थे कि निर्णय करने की सामर्थ्य हर एक में नहीं होती, जो निर्णय करना जानता है वही नर है। चित्त की चंचलता का अभाव या दूसरे शब्दों में मन की एकाग्रता का निर्णायक में होना परमावश्यक है।

सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए भी दृढ़ श्रद्धा की जननी मन की स्थिरता का अस्तित्व परमावश्यक है। बहुत-से लोग श्रद्धा को दिल की दुर्बलता मानते हैं किन्तु वास्तव में श्रद्धा का अभाव ही दिल की दुर्बलता है। अस्थिर मन में श्रद्धा निवास नहीं किया करती। ऐसे लोग जो अवसरवादी होते हैं और जहाँ गये वही के रंग में रंग जाते हैं, वे श्रद्धा जैसी पावन भावना को अपने मन में स्थान नहीं दे सकते। गगा गये तो गगादास, जमना गये तो जमनादास और मथुरा गये तो मथुरादास—बस, सर्वत्र दास बनने वाले अपने व्यक्ति-व के अस्तित्व को क्या पहचान सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों में दृढ़ श्रद्धा को स्थान कैसे मिल सकता है? अपने ध्येय पर दृढ़ रहने की क्षमता

उनमें नहीं हो सकती ।

व्याख्यान के प्रारंभ में जो चर्चा चली थी उसमें हमने कहा था कि ससार के सब प्राणी सुख की अभिलाषा करते हैं, दुःख किसी को प्रिय नहीं है । आगम का कथन है

“सर्वे पाणा पिआउआ ।
सुहसाया दुखपडिकूला ॥”

आचाराग १/२/३

अर्थात्—सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय होता है सुख सबको अच्छा लगता है और दुःख सबको बुरा लगता है । सूत्रकृताग में भी इसी सत्य की पुष्टि करते हुए लिखा है

“सर्वे अकतदुखला य ।”

जिनमें मानवता है, मननशीलता है और चिन्तनशीलता है वे ही शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहेंगे । सांसारिक सुख-दुःख की वे किञ्चिन्मात्र भी परवाह नहीं करेंगे । ससार के सुख दुःख का कोई महत्त्व भी नहीं है ।

लोगों ने सुख और दुःख—ये शब्द तो सुन रखे हैं किन्तु वे इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । सु और दु—ये दो अक्षर हैं जिनके साथ ‘ख’ लगा हुआ है । ‘सु’ का अर्थ है अच्छा और ‘दु’ का अर्थ है बुरा । ‘ख’ का अर्थ कोश के अनुसार आकाश होता है । आकाश शून्य स्थान को कहते हैं । जैन सिद्धान्त में जो छह द्रव्य माने गये हैं, वे सभी आकाश या शून्य में रहते हैं । जीव एव पुद्गलों को, जिनकी सख्या अनन्तानन्त है, ठहरने के लिए आकाश स्थान देता है । आकाश नाम का द्रव्य सर्वथा शून्य माना जाता है । वह पूर्ण रूप से कभी भी नहीं भरता । आकाश की कोई सीमा नहीं है, वह तो सर्वत्र व्यापक है । ऊपर नीचे सर्वत्र आकाश फैला हुआ है । लोटा दूध से या पानी से भरा दिखाई देता है किन्तु आकाश उसमें भी विद्यमान है, यदि आकाश वहाँ न होता तो चीनी वहाँ कैसे समा जाती । दीवार में भी यदि आकाश न होता तो कील कैसे ठुक सकती ? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इन छह द्रव्यों से साग विश्व भरा हुआ है ।

सु+ख, अच्छा खाली स्थान और दु+ख, बुरा खाली स्थान । कोई व्यक्ति एक वर्ष तक निरन्तर दुःख भोगता है, बड़ा व्याकुल रहता है किन्तु वर्ष की समाप्ति पर उसे जब सुख मिल जाता है तो अपना सारा दुःख भूल जाता है । एक वर्ष तक दुःख ने अपनी उपस्थिति द्वारा किसी रिक्त स्थान को नहीं भरा । एक क्षण का सुख मिलते ही दुःख ऐसे चला गया जैसे उसका

समान थी। डील-डील में भी वे पृथ्वीराज के ही समान थे। सभी के सभी परम स्वामीभवत और स्वामी के सकेत पर चलने वाले थे। पृथ्वीराज अलग और सौ सामन्त अलग। पृथ्वीराज की एक दासी थी जो केवल पृथ्वीराज से ही घूघट निकाला करती थी। शेष सौ सामन्तो से वह खुलकर बात किया करती थी। यह बात उन सौ सामन्तो को बहुत अखरती थी। सब सामन्त यह सोचा करते थे कि “हम में और पृथ्वीराज में क्या अन्तर है, मब एक से ही तो है फिर इस दासी का हमसे खुलकर बात करना और पृथ्वीराज से घूघट निकालना ऐसा क्यों है? क्या हम में किसी प्रकार की कमी है?” उनको कुछ भी इसका रहस्य समझ में नहीं आया। आखिर एक दिन एक सामन्त दासी से पूछ ही बैठा, “क्या बात है, तुम हमसे तो घूघट निकालती नहीं और पृथ्वीराज से घूघट निकाला करती हो। क्या हमारे प्रति तुम्हारे मन में आदर-मान नहीं है?”

“तुम सब व्यक्तियों में कोई नर हो तो घूघट निकालूँ। तुम सबमें तो केवल एक पृथ्वीराज ही नर है, मैं उससे घूघट निकाला करती हूँ।” सामुद्रिकशास्त्र में नर का भी एक लक्षण बताया गया है। जिसकी छाती पर स्तन का चिह्न न हो वह नर कहलाता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज की छाती पर स्तन का चिह्न नहीं था। दासी की बात को सुनकर सब सामन्तो के चेहरे उतर गये और सोचने लगे कि इससे तो दासी से प्रश्न न ही किया जाता तो अच्छा था। किवदन्ती के अनुसार अर्जुन के स्तन के चिह्न नहीं थे। तीर्थ-करो के और घोड़े के भी स्तन के चिह्न नहीं होते। आजकल तीर्थकरो की प्रतिमाओं के लोग स्तन-चिह्न बनाने लगे हैं, जो अनुचित है।

प्रसंगवश हम प्रस्तुत विषय से बहुत दूर चले गये हैं। हम कह रहे थे कि निर्णय करने की सामर्थ्य हर एक में नहीं होती, जो निर्णय करना जानता है वही नर है। चित्त की चञ्चलता का अभाव या दूसरे शब्दों में मन की एकाग्रता का निर्णायक में होना परमावश्यक है।

सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए भी दृढ़ श्रद्धा की जननी मन की स्थिरता का अस्तित्व परमावश्यक है। बहुत-से लोग श्रद्धा को दिल की दुर्बलता मानते हैं किन्तु वास्तव में श्रद्धा का अभाव ही दिल की दुर्बलता है। अस्थिर मन में श्रद्धा निवास नहीं किया करती। ऐसे लोग जो अवसरवादी होते हैं और जहाँ गये वही के रंग में रंग जाते हैं, वे श्रद्धा जैसी पावन भावना को अपने मन में स्थान नहीं दे सकते। गगा गये तो गगादास, जमना गये तो जमनादास और मथुरा गये तो मथुरादास—बस, सर्वत्र दास बनने वाले अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व को क्या पहचान सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों में दृढ़ श्रद्धा को स्थान कैसे मिल सकता है? अपने ध्येय पर दृढ़ रहने की क्षमता

उनमें नहीं हो सकती ।

व्याख्यान के प्रारंभ में जो चर्चा चली थी उसमें हमने कहा था कि ससार के सब प्राणी सुख की अभिलाषा करते हैं, दुःख किसी को प्रिय नहीं है । आगम का कथन है

“सच्चे पाणा पिआउआ ।
सुहसाया दुखपडिकूला ॥”

आचाराग १/२/३

अर्थात्—सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय होता है सुख सबको अच्छा लगता है और दुःख सबको बुरा लगता है । सूत्रकृताग में भी इसी सत्य की पुष्टि करते हुए लिखा है

“सच्चे अकतदुखला य ।”

जिनमें मानवता है, मननशीलता है और चिन्तनशीलता है वे ही शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहेंगे । सांसारिक सुख-दुःख की वे किञ्चिन्मात्र भी परवाह नहीं करेंगे । ससार के सुख दुःख का कोई महत्त्व भी नहीं है ।

लोगों ने सुख और दुःख—ये शब्द तो सुन रखे हैं किन्तु वे इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । सु और दु—ये दो अक्षर हैं जिनके साथ ‘ख’ लगा हुआ है । ‘सु’ का अर्थ है अच्छा और ‘दु’ का अर्थ है बुरा । ‘ख’ का अर्थ कोश के अनुसार आकाश होता है । आकाश शून्य स्थान को कहते हैं । जैन सिद्धान्त में जो छह द्रव्य माने गये हैं, वे सभी आकाश या शून्य में रहते हैं । जीव एवं पुद्गलों को, जिनकी सख्या अनन्तानन्त है, ठहरने के लिए आकाश स्थान देता है । आकाश नाम का द्रव्य सर्वथा शून्य माना जाता है । वह पूर्ण रूप से कभी भी नहीं भरता । आकाश की कोई सीमा नहीं है, वह तो सर्वत्र व्यापक है । ऊपर नीचे सर्वत्र आकाश फैला हुआ है । लोटा दूध से या पानी से भरा दिखाई देता है किन्तु आकाश उसमें भी विद्यमान है, यदि आकाश वहाँ न होता तो चीनी वहाँ कैसे समा जाती । दीवार में भी यदि आकाश न होता तो कील कैसे ठुक सकती ? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इन छह द्रव्यों से साग विश्व भरा हुआ है ।

सु+ख, अच्छा खाली स्थान और दु+ख, बुरा खाली स्थान । कोई व्यक्ति एक वर्ष तक निरन्तर दुःख भोगता है, बड़ा व्याकुल रहता है किन्तु वर्ष की समाप्ति पर उसे जब सुख मिल जाता है तो अपना सारा दुःख भूल जाता है । एक वर्ष तक दुःख ने अपनी उपस्थिति द्वारा किसी रिक्त स्थान को नहीं भरा । एक क्षण का सुख मिलते ही दुःख ऐसे चला गया जैसे उसका

सदा से ही अभाव था। थोडा-सा आराम मिलते ही लोग अफलातून बन जाते हैं। सोने का, जागने का, खाने का, पीने का कुछ भी ध्यान नहीं करते। निरंतर बीस वर्ष तक भी यदि आपने सब प्रकार के सुख को भोगा है, जीवन का पूरा आनन्द लिया है तो उस आनन्द की कुछ तो स्थिरता होनी चाहिए, परन्तु वह स्थिरता दृष्टिगोचर नहीं होती। एक क्षण के लिए भी यदि दुःख की अवस्था आ जाती है तो बीस वर्ष का सुख एक क्षण में ही लुप्त जाता है। थोड़े-से दुःख से ही लोग यहाँ तक कहते सुने गये हैं, "मैंने तो माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात् व भी सुख का मुँह देखा ही नहीं।" इतना सुख पाने के पश्चात् आखिर खालीपना का खालीपना ही रहा। अन्तर केवल इतना है कि दुःख का खालीपना हमें अधिक अखरता है और सुख का खालीपना कम अखरता है। वास्तव में खाली स्थान को न दुःख ही भरने में समर्थ है और न सुख ही।

इसी कारण ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि ससार के सुख-दुःख का कोई महत्त्व नहीं है। मोक्ष का सुख शाश्वत सुख है, सार्वकालिक सुख है, अतः उसी की प्राप्ति का प्रयत्न मानव को करना चाहिए। सासारिक उपकरण हमारे पास रहे चाहे न रहे, इसकी चिन्ता छोड़कर हमें शाश्वत सुख की उस अवस्था तक पहुँचना चाहिए जहाँ न्यूनताधिकता न होकर एकरसात्मकता है। यह एकरसात्मकता मोक्ष के अतिरिक्त कहीं पर नहीं है। मोक्ष को पाने के लिए सम्यक्त्व का उद्बोध होना अत्यावश्यक है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१८ जुलाई, १९७६





जाति-चाण्डाल और कर्म-चाण्डाल

शाश्वत सुखो की प्राप्ति जीव के मुक्त होने के पश्चात् ही हुआ करती है। उस शाश्वत सुख की अनुभूति अनुपम है और अनिर्वचनीय है। सासारिक सुखो के समान शाश्वत सुख क्षणिक अथवा अचिरस्थायी नहीं होते। शाश्वत सुखो की उपलब्धि के लिए विरले जन ही प्रयत्नशील होते हैं। अधिसरय लोग तो सासारिक सुखो के लिए ही लालायित पाये जाते हैं। हमारे सामने अब प्रश्न यह है कि यदि हमें अशाश्वत सुख भी प्राप्त ह तो क्या उनके प्रति भी कुछ लोगो के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है ? इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुखी है, सम्पन्न है तो लोग उसे देखकर जलते हैं, कुदते हैं और तरह-तरह की दुर्भावनायें उसके प्रति मन में लाते हैं। मारवाडी भापा की यह कहावत कि

“परसुखे दुखिया”

इसी सत्य की पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए किसी ने किसी साईं से पूछा, “कुतिया क्यों भौक रही है ?” उत्तर मिला, “साली का पेट दुख रहा है।” क्यों दुख रहा है, “इसलिए कि साईं जी को तो लोग घर घर से रोटी डालते हैं, बुलाकर भी देते हैं, उसे कोई एक टुकड़ा भी नहीं डालता। दर-दर भटकती है, सब जगह लोग 'धुत्धुत्' करके दुत्कारते हैं।”

दूसरे के सुख को देखकर दुखी होने की, इस उदाहरण में भलक है। दूसरे के सुख को देखकर मन में जो जलन होती है उसका आधार ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या की भावना को शास्त्र में महापाप माना है। यहाँ तक कि ईर्ष्यालु मनुष्य को चाण्डाल की सजा दी है

ईर्ष्यालु पिशुनश्चैव, कृतघ्नो दीर्घरोपक ।
चत्वार कर्मचाण्डाला, जातिचाण्डालपचम ॥

यद्यपि मूलरूप में चाण्डाल दो ही प्रकार के होते हैं—कर्म-चाण्डाल, और जाति-चाण्डाल, किन्तु सख्या की दृष्टि से वे पाँच प्रकार के माने गये हैं—ईर्ष्या करने वाला, चुगलखोर, कृतघ्न, चिरक्रोधी और जाति का चाण्डाल। इन सबमें ईर्ष्यालु का स्थान सर्वप्रथम है। दूसरे को सुखी, सम्पन्न, उन्नत, यशस्वी और प्रतिष्ठित देखकर उसके प्रति जो मन में ईर्ष्या रखता है या जलता है, उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। ईर्ष्या से बढ़कर कोई बुरी बात नहीं है। उन्नति, यश और प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य का अपना अर्धवसाय और पुरुषार्थ छिपा होता है। पता नहीं किन-किन कष्टों को भेलकर वह इनकी प्राप्ति करता है। वह किसी का माल छीन-भ्रष्टकर तो आगे नहीं बढ़ा है, अपने पुरुषार्थ से उसने जीवन में प्रगति की है। बिना किसी को हानि पहुँचाये प्रगतिपथ पर बढ़ना कोई अपराध नहीं माना जा सकता। नैतिक संहिता भी उसका समर्थन करती है। अपने साहस से और साधनों से उमने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए, धर्म के लिए अनुकरणीय है। सब का कर्तव्य है कि उसके प्रति सद्भाव रखें और उसकी मंगलकामना करें किन्तु ऐसा न करके कुछ लोग उसे देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसका बुरा चाहते हैं। यह अनुचित है, निन्दनीय है और हेय है। दूसरे के यश को देखकर जलने वालों के लिए तभी तो शास्त्रकार कहते हैं

“दह्यमाना सुतीव्रेण नीचा परयशोऽग्निना ।

अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते ॥”

शाङ्गधर पद्धति, ३७५

अर्थात्—

दूसरे के यशरूपी तीव्र अग्नि से जलते हुए ईर्ष्यालु नीच पुरुष, यशस्वी व्यक्ति के उच्च पद को प्राप्त करने की स्वयं में सामर्थ्य न पाकर उसकी निन्दा पर उतारू हो जाया करते हैं।

ईर्ष्यालु पुरुष अपनी दुष्टता का त्याग नहीं किया करते। स्वयं तो उन्हें यश-लाभ की शक्ति होती नहीं, दूसरों की वे सहन नहीं करते। जबकि यशस्वी पुरुष तो समाज, जाति और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं, फिर भला उनकी निन्दा करने का या उनके प्रति ईर्ष्या करने का क्या लाभ है ?

इसके अतिरिक्त, यह तो सर्वसम्मत बात है कि जिसका पुण्य प्रबल होता है, जो प्राणी भाग्यवान् होता है, वही जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उन्नति करता है और फलता-फूलता है। ऐसे पुण्यवान् व्यक्ति से ईर्ष्या

करना, व्यक्ति के प्रति नहीं किन्तु पुण्य के प्रति ईर्ष्या है। व्यक्ति तो एक माध्यम है, गुणों का परिचायक है। लोगों को धर्म का और गुणों का व्यक्ति द्वारा ही तो ज्ञान होता है। मुरख वस्तु तो गुण है, धर्म है, पुण्य है जिनका आश्रय लेकर व्यक्ति उन्नति करता है। मारवाड़ी भाषा में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है

“दाल री बाफ में ढोकलिया सीभे”

ढोकलियों के लिए अलग से आदण चढाने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो दाल के साथ में ही सीभ जाती है।

व्यक्ति ढोकलियों के समान है। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति से जो ईर्ष्या करता है, जलता है, वह पुण्य और धर्म से ईर्ष्या करता है, या दूसरे शब्दों में पुण्य और धर्म की अवहेलना करता है। धर्म और पुण्य की अवहेलना करने वाला व्यक्ति जन्मजन्मान्तरो में भी अपनी उन्नति के सस्कारों का सचय नहीं कर सकता। उत्तर भवों में भी उसका निरन्तर पतन होता चला जाएगा। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुषों ने ईर्ष्यालु पुरुष को कर्म-चाण्डाल के नाम से अभिहित किया है।

दूसरे नम्बर पर आता है 'पिशुन'। पिशुन कहते हैं 'चुगली करने वाले को या चुगलखोर को'। चुगली उगली हुई चीज होती है। उगली वमन की हुई वस्तु को कहते हैं। वास्तविक बात तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य है। भूठ बोला होगा किसी के शिकजे में फसकर, मुसीबत के फदे में फसकर। भूठ बोलकर उससे छुटकारा पा गया। पर-स्त्री-सेवन करके आया, वहाँ भी भूठ बोलकर थोड़ी देर के लिए बच गया। किसी भी अकृत्य का सेवन करके व्यक्ति को अस्थायी रूप में ही सही कुछ तो सुख की प्राप्ति होगी किन्तु चुगली करने वाला तो इन क्षणिक सुखों से भी कोसी दूर है। चुगली करने वाले चुगलखोर के हाथ चुगली करने से कुछ नहीं आता। चुगली करना शास्त्र में बहुत बड़ा पाप माना गया है।

पापों की सरया १८ है। इन १८ पापों में से एक पाप है—पैशुन्य। इसी पैशुन्य को हिन्दी भाषा में चुगली के नाम से जाना जाता है। पैशुन्य से मिलते-जुलते कुछ और भी पाप हैं। जैसे मृपावाद, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद और मिथ्यादर्शनशाल्य। कमश इनका क्रम इस प्रकार है—दूसरा, तेरहवाँ, चौदहवाँ, पन्द्रहवाँ और अठारहवाँ। मिथ्या भाषण करना या भूठ बोलना मृपावाद है। किसी पर भूठ बोलकर लगाना अभ्याख्यान है। चुगली करना पैशुन्य एव भूठी या सच्ची निंदा करना परपरिवाद

कहलाता है। मान्यता अर्थात् किसी भी वस्तु के प्रति अपनी धारणा को यथार्थ न रखना मिथ्यादर्शनशाल्य है। दूसरे पाप में केवल झूठ बोलने की क्रिया है, जबकि अठारहवें पाप में व्यक्ति की मान्यता व धारणा ही झूठी होती है। इसीलिए अठारहवें पाप को आत्मा के लिए सबसे अधिक घातक माना गया है। शास्त्रकारों ने अठारह पापों का जो यह क्रम प्रतिपादित किया है उसमें यह भी एक हेतु है कि ये पाप उत्तरोत्तर अधिकाधिक घातक हैं। इस दृष्टि से चुगली करने का पाप भी झूठ बोलने व कलक लगाने के पाप से अधिक घातक सिद्ध हो जाता है।

हाँ, तो प्रसंग चल रहा था पाँच प्रकार के चाण्डालों का। इनमें ईर्ष्यालु और पिशुन नाम के चाण्डालों का विवरण तो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। अब तीसरा है—कृतघ्न नाम का चाण्डाल। किये हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। इस प्रसंग पर एक कथा स्मरण हो आई। जंगल के मार्ग से होता हुआ एक पण्डित जा रहा था। मार्ग में वृक्ष के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था, बहुत उदास और अत्यन्त निराश। पण्डित मन में सोचने लगा

“यह प्राणी जंगल का निवासी तो नहीं है। यह तो ग्राम्य पशु है। मनुष्यों के सम्पर्क में रहने वाला है, फिर यह जंगल का आश्रय लेकर क्यों बैठा है और बैठा भी ऐसे है जैसे ससार से तग आ गया हो, जीवन इसे भारभूत हो गया हो और आत्महत्या के लिए उद्यत हो।” पण्डितजी कुत्ते के समीप गये और उसकी उदासी का कारण पूछा। कुत्ते ने कहा, “मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया है। मैं महान् और असह्य दुःख से सन्तप्त हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे दुत्कारते हैं। लोग जिस पर नाराज होते हैं, क्रुद्ध होते हैं उसके प्रति गहरी घृणा प्रकट करते हुए कहा करते हैं ‘अरे ! कुत्ते, हट यहाँ से’ इस वाक्य में कुत्ता जाति के लिए कितना अपमानजनक भाव व्यक्त होता है ? ससार में मेरे से अधिक कोई प्राणी घृणित नहीं है। सबसे अधिक तिरस्कार मेरा ही होता है। यह बात मेरे दिल में काँटे की तरह चुभ रही है। मैं यह सोच रहा हूँ कि ऐसी अपमानपूर्ण जिन्दगी से तो मरना ही अच्छा है। मारवाड़ी भाषा की कहावत है

जीविया रे जीविया, घूल खाके जीविया।

ऐसी जिन्दगी में रखा ही क्या है ? एक सुलगती अग्नि के समान होता है ऐसा जीवन तो। ऐसी अग्नि से निराशाओं का धुआँ उठा करता है जिससे सम्पर्क में आने वालों की आँखें और श्वास भी दूषित हो जाया करते हैं। ऐसी धुआँधार जिन्दगी यदि चिरकाल तक भी चले तो उससे क्या लाभ ? एक

नीतिकार का कथन है

“क्षण प्रज्वलित श्रेय , न च धूमायित चिरात् ।”

अर्थात्—घघकती अग्नि के समान क्षण भर जीना अच्छा किन्तु घुधुआती आग की तरह चिरकाल तक जीना किसी काम का नहीं। अच्छा तो यही है कि जीवन घघकती ज्वाला के समान प्रकाशमान हो। जिनको गरमी की आवश्यकता है उनको गर्मी मिले, जहाँ अंधेरा हो वहाँ प्रकाश हो जाये, जो सिंभोना चाहते हैं उनको ताप की प्राप्ति हो। ऐसा उपयोगी जीवन तो क्षण-भर का भी अच्छा होता है, इसके विपरीत सुलगने वाले जीवन का तो कुछ भी महत्त्व नहीं।

पण्डित ने कुत्ते की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। वह सोचने लगा, “इसके भीतर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? कुत्ता होकर भी यह तो बड़ा समझदार और बुद्धिमान है।” पण्डित ने कुत्ते से कहा

शोक मा कुरु कुक्कुर ।

सत्त्वेष्वहमधम इति मुधा साधो ।

त्वत्तोऽपि हि स नीच ,

य परकृतमुपकार न जानाति ॥

अरे कुत्ते ! तुम शोक मत करो और यह मत सोचो कि मैं सब प्राणियों में अधम हूँ। तुमसे भी कहीं बढकर ससार में वह नीच व्यक्ति है जा दूसरे के द्वारा अपने ऊपर किये गये उपकार को भुला देता है।

शास्त्रकार तो गुणग्राहकता पर बल देते हैं, यही कारण है कि उन्होंने कुत्ते को भी निकृष्ट नहीं माना है किन्तु उसके भी गुणों का बखान करते हुए लिखा है ।

बह्वाशी स्वल्पसन्नुष्ट , सुनिद्र शीघ्रचेतन ।

प्रभुभक्तश्च शूरश्च, ज्ञातव्या षट्शुनो गुणा ॥

चाणक्यनीतिसार, ६६

अर्थात्—कुत्ता यद्यपि बहुत आहार करने वाला प्राणी है किन्तु उसे थोड़ा भी मिल जाये तो उससे भी सन्नुष्ट हो जाता है। अच्छी नीद लेने वाला होते हुए भी उचित अवसर पर तुरन्त जग जाता है। अपने स्वामी का पक्का भक्त होता है और वीरात्मा होता है। ये छह गुण कुत्ते में होते हैं।

ये छह गुण तो सामान्य रूप से मनुष्य में भी मिलने कठिन हैं। पण्डित ने कुत्ते से कहा, “तेरे अन्दर तो इतने अच्छे गुण हैं जो मनुष्यों के लिए भी अनु-

करणीय है, फिर तू इतना निराश क्यों हो रहा है ? इतने लम्बे-चौड़े ससार में तेरी कद्र करने वाले भी अवश्य मिलेंगे ।”

इस प्रकार शास्त्र में कृतघ्न की बड़ी निन्दा की गई है और कृतघ्नता को बहुत बड़ा पाप माना गया है । इतना बड़ा पाप कि

ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा ।

निष्कृतिर्विहिता लोके कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ॥

पचतन्त्र, ४/११

अर्थात्—ब्रह्महत्या करने वाले व्यक्ति की, शराव पीने वाले की और लिए गये व्रत का भंग करने वाले की तो पाप से मुक्ति सम्भव है किन्तु कृतघ्न व्यक्ति तो कभी भी पाप से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता ।

चौथा चाण्डाल होता है ‘दीर्घरोषक’ । दीर्घरोषक उसे कहते हैं जो चिर-काल तक वैर को बनाये रखता है, उसे कभी भूलता नहीं है । इस प्रसंग पर एक उदाहरण स्मरण हो आया है

दो ब्राह्मण थे, जो खेती का काम किया करते थे । दोनों के खेत पास-पास थे । एक ब्राह्मण जब हल चला रहा था तो उसका बैल थककर या किसी रोग के कारण चलते-चलते बैठ गया । ब्राह्मण ने बैल को उठाने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु वह बैल उठ नहीं सका । वह क्रोध से भर गया और उसने बैल को डडे से इतना मारा कि डडा भी टूट गया । अब उसने मिट्टी के ढेलो से बैल को मारना आरम्भ कर दिया । इतना मारा कि बैल के प्राण निकल गये । आसपास के हल चलाने वालों ने उसे देखा और उससे कहा, “तूने यह बहुत बुरा काम किया है । एक तो ब्राह्मण को खेती करने का ही निषेध है, दूसरे तुमने इतना क्रोध किया कि बैल की जान ही ले ली । यह तो तुमने ‘गोहत्या’ कर डाली जो महापाप है । बिजली की गति के समान यह बात सारे गाँव में पहुँच गई । बड़े-बूढ़े ब्राह्मणों ने पचो को एकत्रित किया और सब के निणय के अनुसार उस गोहत्यारे ब्राह्मण को जाति से बहिष्कृत कर दिया । पचायत ने कहा, “अपराधी को दण्ड तो मिलना ही चाहिए, अन्यथा और लोगों को भी ऐसे महापाप के लिए प्रेरणा मिलेगी । जाति से बाहर कर देना भी कोई सामान्य दंड नहीं होता । गोहत्यारे ब्राह्मण का सारा परिवार बड़े सकट में पड गया । पचो के समक्ष पुन विचाराथ प्राथना-पत्र पेश किया गया । सुनाई के पश्चात् पचो ने अपना निर्णय देते हुए कहा, “यह गोघातक विधिपूर्वक गगान् स्नान करे । पचो की पगरखियो का गट्ठर बाँधकर अपने सिर पर रखे हुए पचो से कहे कि जो भी दंड आप मुझे देंगे, मुझे स्वीकार होगा, किन्तु आप मेरा जाति से बहिष्कार न करे । इस प्रकार की क्रिया और प्रार्थना करने पर

ही पुन और निर्णय लिया जा सकता है।”

पचो के कथनानुसार ब्राह्मण ने सारा क्रियाकाण्ड यथावत् किया। इसके पश्चात् पुन विचार के लिए अनेक वेद-पुराणों के पाठी ब्राह्मण बहुत बड़ी सख्या में एकत्रित हुए, गोहृत्यारे ब्राह्मण को बुलाया गया। उसने सब ब्राह्मणों की पगरखियों का गट्ठर बाँधकर सिर पर उठाया और प्रार्थना की अपने को जाति में पुन सम्मिलित करने की। पचायत बँठ गई और निर्णय पर विचार आरम्भ ही गया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, “पचो! आपके निर्णय के अनुसार यह पापी ब्राह्मण जाति से बहिष्कृत रहा, गंगा स्नान भी इसने किया, विधिविधानपूर्वक अपना शुद्धिकरण भी किया, आप सबकी पगरखियों को भी सिर पर रखा। यह सब देखकर आप सब पचो की ऐसी राय मुझे प्रतीत होती है कि आप इसे पुन जाति में मिलाने का निर्णय देंगे। मैं इससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।” “पूछिये” सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने गोघातक ब्राह्मण से पूछा, “यदि वह मृत बैल तुम्हारे सामने जीवित अवस्था में उपस्थित हो जाये तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे?”

वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनते ही हृत्यारे ब्राह्मण की आँखें लाल हो गईं और वह क्रोध से भर गया। बोला, “यदि वह बैल अब मेरे सामने आ जाये तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ। जिस दुष्ट के कारण मुझे जाति से बहिष्कृत होना पड़ा, जूतियाँ उठाकर बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा, उसके साथ मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा पहले किया था।”

पचो को सम्बोधित करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, “इस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने से, गंगा स्नान करने से और पचो की जूतियाँ उठाने से कोई लाभ नहीं हुआ। ये सारी क्रियाएँ तो इसलिए थी कि इसको अपने किये गये पाप पर पश्चात्ताप होता, इसके हृदय का परिवर्तन होता, पाप के प्रति इसके मन में श्लान्ति उत्पन्न होती, और भविष्य में ऐसा पाप न करने की प्रेरणा मिलती। यह तो वैसा का वैसा ही कठोर हृदय है जैसा पहले था। इसके मन में वही क्रोध और वही दुर्भावना है। अतएव पचो द्वारा दिया गया गंगा-स्नान आदि दंड सब व्यर्थ गया है। दंड के द्वारा इसकी आत्मा में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया है। जो समता, सद्भावना, सहानुभूति और करुणा उस बैल के प्रति जागृत होनी चाहिए थी, वे तो हुई नहीं। बाह्य-शुद्धि होने पर भी इसकी अन्तरात्मा सर्वथा अशुद्ध है। अब आपकी इच्छा है, जैसा चाहो वैसा निर्णय लो।”

शास्त्रकारों ने ऐसे व्यक्ति को ‘दीघरोपी’ कहा है। स्थान, समय और रिश्चिति में परिवर्तन आने पर ही जिसकी कलुषित मन स्थिति में कुछ भी

अन्तर नहीं आ पाता, कोई कमी नहीं आती, वह 'दीर्घरोपी' चाण्डाल ही माना जाता है ।

पूर्वोक्त ईर्ष्यालु, पिशुन, कृतघ्न और दीर्घरोपी इन चारों को शास्त्रकार चाण्डाल मानते हैं । जो जाति से चाण्डाल होता है उसको तो पाँचवाँ चाण्डाल बताया गया है । इन पाँचों को 'कर्म-चाण्डाल' और 'जानि-चाण्डाल' इन दो भागों में बाँटा है । इन दोनों प्रकार के चाण्डालों में जाति-चाण्डाल शुद्ध होते हैं । वे तपश्चर्या द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करके देवताओं द्वारा भी वन्दनीय बन जाते हैं और राजदरबारों में भी वे सम्मान प्राप्त किया करते हैं, किन्तु जो कर्म-चाण्डाल होते हैं उनका सुधार इसलिए संभव नहीं क्योंकि उनमें कपायो की उग्रता होती है ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सम्पन्न व्यक्तियों को देखकर लोग ईर्ष्या किया करते हैं । परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि वह ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती । जो व्यक्ति चिरकाल तक अनेक कष्टों को भेलकर सुख प्राप्त करता है उसके सुख के प्रति लोगों की सहानुभूति भी देखी जाती है । "बड़े कष्ट के पश्चात् वेचारे को सुख मिला है ।" ऐसा लोग कहने लगते हैं । आज हमारे समक्ष जो तपस्या करते हैं, इन्द्रियों का दमन करते हैं, शरीर का शमन करते हैं और अनेक प्रकार के पहले कष्ट उठाते हैं, उनको बाद में जब धर्म के प्रभाव से पुण्योदयरूपी फल मिलता है, सुख मिलता है उसके प्रति किसी को भी ईर्ष्या नहीं होती । इसी प्रकार धमध्यान एवं आत्मरमणता के फलस्वरूप मिलने वाले शाश्वत सुखों के प्रति भी किसी को ईर्ष्या नहीं हो सकती । शाश्वत सुख या आनन्द व्यक्ति को अपने ही अन्दर से प्राप्त होता है, इसलिए उसमें बाधा डालने का किसी को अधिकार ही नहीं रहता । अशाश्वत व क्षणिक सुखों के लिए यह बात नहीं है, क्योंकि इन सुखों के साधन सीमित हैं । ये सुख जब एक ओर एकत्र होते हैं तो दूसरी ओर कमी पड़ जाती है । अभावग्रस्त व्यक्ति अवुद्धावस्था में ईर्ष्या कर बैठता है । अभावग्रस्तता ईर्ष्या की जननी है । इसलिए सारांश यही कि प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत सुखों की प्राप्ति के लिए ही सदा प्रयत्नशील रहे ।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१६ जुलाई, १९७६





शाश्वत सुख की पृष्ठभूमि

शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए 'वास्तव में सुख क्या है ?' इसकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसके साथ-साथ 'सुख का प्रतिद्वन्दी दुःख क्या है ?' 'क्यों होता है ?' इसका जानना भी मानव-मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव-मन में सुख की चाह मात्र स्वपरितोष के लिए होती है अथवा उसमें परपरितोष का तत्त्व भी विद्यमान होता है, यह विचारणीय विषय है। यदि सुख की चाह मात्र स्वपरितुष्टि के लिये है तो व्यक्ति का व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा और यदि उस सुख में औरों के सुख का भी मिश्रण है तो फिर व्यक्ति का व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा। अब विचाराधीन बात यह है कि क्या व्यक्ति का सुख मात्र उसी तक सीमित होना चाहिए या उसके सुख के भागी उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति भी बन सकते हैं ? मानव का यह दृष्टिकोण कि उसका सुख केवल उसके लिए है, सकुचित-हृदयना है, तुच्छता है एवं स्वार्थपरायणता की पराकाष्ठा है। 'स्वार्थ-लोलुपता' की भावना बड़ी घातक है। यदि हम केवल अपनी ही चिन्ता करेंगे, दूसरों के सुख की उपेक्षा करेंगे, तो दूसरे भी तो वैसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मानव के सामाजिक जीवन में बड़ी विषमता उत्पन्न हो जायेगी, मानव की मानवता का हास होने लगेगा। मानवता, वास्तव में, इसी में है कि हमारे सुख में दूसरे भी हिस्सेदार हो और हम दूसरों के सुख में हिस्सेदार बनें। आम प्रचलित कहावत

“राख पत रखाय पत”

अर्थात्—

आप हमारी पत रखो और हम आपकी पत रखेंगे। इसी प्रकार की भावना पारस्परिक सुख के आदान-प्रदान की ओर प्रेरित करती है।

मानव के इस सुख के आदान-प्रदान में मानवजीवन के हित की सुरक्षा भी विद्यमान है। दूसरों का हित सोचेंगे तो दूसरे भी तुम्हारा हित सोचेंगे,



शाश्वत सुख की पृष्ठभूमि

शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए 'वास्तव में सुख क्या है ?' इसकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसके साथ-साथ 'सुख का प्रतिद्वन्द्वी दुःख क्या है ?' 'क्यों होता है ?' इसका जानना भी मानव-मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव-मन में सुख की चाह मात्र स्वपरितोष के लिए होती है अथवा उसमें परपरितोष का तत्त्व भी विद्यमान होता है, यह विचारणीय विषय है। यदि सुख की चाह मात्र स्वपरितुष्टि के लिये है तो व्यक्ति का व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा और यदि उस सुख में औरों के सुख का भी मिश्रण है तो फिर व्यक्ति का व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा। अब विचाराधीन बात यह है कि क्या व्यक्ति का सुख मात्र उसी तक सीमित होना चाहिए या उसके सुख के भागी उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति भी बन सकते हैं ? मानव का यह दृष्टिकोण कि उसका सुख केवल उसके लिए है, सकुचित-हृदयना है, तुच्छता है एवं स्वार्थपरायणता की पराकाष्ठा है। 'स्वार्थ-लोलुपता' की भावना बड़ी घातक है। यदि हम केवल अपनी ही चिन्ता करेंगे, दूसरों के सुख की उपेक्षा करेंगे, तो दूसरे भी तो वैसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मानव के सामाजिक जीवन में बड़ी विषमता उत्पन्न हो जायेगी, मानव की मानवता का ह्रास होने लगेगा। मानवता, वास्तव में, इसी में है कि हमारे सुख में दूसरे भी हिस्सेदार हो और हम दूसरों के सुख में हिस्सेदार बनें। आम प्रचलित कहावत

“राख पत रखाय पत”

अर्थात्—

आप हमारी पत रखो और हम आपकी पत रखेंगे। इसी प्रकार की भावना पारस्परिक सुख के आदान-प्रदान की ओर प्रेरित करती है।

मानव के इस सुख के आदान-प्रदान में मानवजीवन के हित की सुरक्षा भी विद्यमान है। दूसरों का हित सोचेंगे तो दूसरे भी तुम्हारा हित सोचेंगे,

तुम दूसरो के हित की उपेक्षा करोगे तो दूसरे भी तुम्हारी उपेक्षा करेगे । मान देने से मान मिलता है और अधिकतर ही मिलता है । इस ससार में सुख की प्राप्ति 'परस्परभावयन्त' एक दूसरे की कल्याण-कामना से ही होती है । इस ससार का क्रम ही ऐसा है कि कभी किसी पुरुष की स्थिति एक जैसी नहीं रहा करनी । कभी हमें किसी की आवश्यकता रहती है और कभी हमारी किसी को । नीतिकार का कथन है

“कभी नाव गाडे मे, कभी गाडा नाव मे”

अर्थात्—

स्थल का मार्ग हो तो नौका को गाडे में रखकर ले जाना पडता है और नदी पार करनी हो तो गाडे को नौका में रखकर ले जाना पडता है ।

यह तो समय की बात है कि किस समय किस पर कैसा समय आ जाये । समय एक सरीखा कभी नहीं रहता । तभी तो किसी कवि ने कहा है

“सम्मन सत्ता पुरुष की, रहे नहीं इकसार ॥
तृण डूबे पत्थर तिरे, अपनी-अपनी बार ॥”

अर्थात्—

सम्मन नाम के कवि कहते हैं कि पुरुष की दशा सदा एक-सी नहीं रहती । जब उसके बुरे दिन आते हैं, तो उसके हाथ का तिनका भी पानी में डूब जाता है, उसका भाग्य जो डूबा होता है । जब अच्छे दिन आते हैं तो उसके हाथ का पानी में डाला हुआ पत्थर भी तैरने लगता है । समय-समय की बातें हैं ।

रामकथा का प्रसंग इसका प्रमाण है । राम को लका में पहुँचना था, समुद्र बीच में था । पत्थरों पर राम लिख कर समुद्र में डाला जाने लगा । पत्थर तिरने लग गये, पुल बन गया और राम समुद्र पार कर गये । यदि कोई कहे कि अकेले राम ने यह सब कैसे किया ? तो यह कोई बात नहीं, अकेले हो, दो हो, नियम तो सब के लिए समान ही होते हैं । यह तो समय की बात है

“तुलसी नर का क्या बडा, समय बडा बलवान् ।
काबा लूँटी गोपिका, वे अर्जुन वे बान ॥”

अर्थात्—

अर्जुन भी वही थे और उनके वे बाण भी वही किन्तु गोपियो ने मिल-कर काबा को लूट लिया था ।

इस वैष्णव कथा के समान ही, जैन शास्त्र में भी एक कथा आती है ।

घातकी-खड के राजा पद्मोत्तर ने देवता की सहायता से द्रौपदी को अपने महल में बुलवा लिया था। पाँचों पाण्डव और श्री कृष्ण उसकी मुक्ति के लिये गये थे। श्री कृष्ण ने पाण्डवों से कहा, “तुम यहीं ठहरो, मैं अकेला ही जाता हूँ।” तब पाँचों पाण्डवों ने एकस्वर में कहा, “हमें ही जाने दो, हम यदि हार गये तो आप चले जाना।” पाँचों पाण्डव भला हारने वाले कहाँ थे। वे अब तक कभी भी किसी से नहीं हारे थे। अठारह-दिवसीय युद्ध में जहाँ कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म-पितामह जैसे भयानक, दुर्जेय योद्धा सीना ताने खड़े थे, वहाँ भी विजयश्री पाण्डवों ने प्राप्त की थी। ऐसे कभी न हारने वाले पाण्डवों के मुख से यह वचन निकलने कि “हम को जाने दो और हमारे हारने के बाद आप जाना” सारगाभित थे। मारवाड़ी भाषा में इस पर एक कहावत है

“रोवता जाही, जिको मरियोडा री खबर लाही”

श्री कृष्ण ने कहा, “तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकल गई है कि अब तुम्हारा जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ।” पाण्डव तब भी जाने का हठ करने लगे। यदि वे चले भी जाते तो पद्मोत्तर उन पाँचों से अधिक शक्तिशाली नहीं था। इसके अतिरिक्त वह तो अपराधी भी था। चोर हुआ, जार हुआ, इनके पैरो के तले से मिट्टी खिसकते देर नहीं लगा करती। किन्तु यह तो मुँह से निकली अद्विवेकपूर्ण वाणी की बात थी। उसका परिणाम यह हुआ कि पाँचों पाण्डवों को पद्मोत्तर की शक्ति के सामने झुकना पड़ा और मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इतने शक्तिशाली पाण्डवों को भी पराजय का मुख देखना पड़ा। यह बात वास्तव में बड़े ही आश्चर्य की है। हम पहले ही इस बात का संकेत कर आये हैं कि समय सदा किमी का एक सरीखा नहीं रहा करता, इसी पर तो किसी कवि की उक्ति है

“नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण”

जैसे रथ के पहिये का वही भाग कभी नीचे और कभी ऊँचे होता रहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भाग्य की दशा है। कभी वह ऊँची चढ़ जाती है और कभी नीचे चली जाती है।

इसी विश्व सत्य को दृष्टि में रखकर हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और सद्व्यवहार की सुगन्धि होनी चाहिए। यदि हम बड़े हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अनुभवों को अपने से छोटे में बाँटें। बड़ों का बड़प्पन इसी में है कि वे छोटे का माग-प्रदर्शन करें। महाभारत के एक प्रसंग में द्रोणाचार्य का कथन है कि कोई भी

व्यक्ति न ता आयु से वडप्पन प्राप्त कर सकता है और न ही अनेक ग्रथो के अध्ययन से। उनकी बात सर्वथा उचित प्रतीत होती है। आयु में भीष्म पिता-मह वडे थे, शास्त्र ज्ञान में द्रोणाचार्य वडे थे, परन्तु युधिष्ठिर उन दोनों से छोटे होते हुए भी, वडप्पन की दृष्टि से वडे थे। क्षमा और सहनशीलता की उनमें पराकाष्ठा थी और यही कारण था कि शत्रुपक्ष के लोग भी उनकी भूमि-भूमि प्रशंसा क्रिया करते थे। युधिष्ठिर अपने पक्ष का समर्थन करते हुए भी शत्रुपक्ष के साथ सद्व्यवहार से पेश आते थे। उनमें यह एक महान गुण था।

हम पहले अपने व्याख्यान में यह कह आये हैं कि हमारा सबके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। पता नहीं हमारे ऊपर किस समय कैसा सकट आ जाये। यदि हमारा व्यवहार भूतकाल में दूसरों के प्रति अच्छा रहा होगा तो निश्चित रूप से दूसरे हमारा सकट में हाथ बँटायेंगे। किसी कवि ने ठीक ही तो लिखा है

“निज पेट भरने के लिए तो उद्यमी है श्वान भी।

पर आज तक पाया कहाँ उसने कहीं सम्मान भी ॥”

आप कहेंगे कि बहुत से परिवारों में कुत्तों की भी बड़ी सेवा होते देखी गई है। आपका कथन मत्य है परन्तु जिन कुत्तों का आदर-सम्मान होता है वे विशिष्ट गुण सम्पन्न कुत्ते होते हैं, सामान्य प्रकार से गलियों में आवाज़ा फिरते कुत्तों से वे भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ऐसे भी कुत्ते होते हैं कि घर में खाद्य सामग्री मले ही खुली पड़ी हो, वे उसमें मुह नहीं डालते, उल्टा उसकी रक्षा करते हैं। एक ऐसे भी होते हैं जो केवल स्वामी के द्वारा दिया गया भोजन ही खाते हैं, दूसरों द्वारा दिया गया नहीं। एक ऐसे भी होते हैं कि स्वामी की जान खतरे में हो तो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य नियम, सामान्य प्राणियों पर लागू होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति तो स्वयं ही नियम-स्वरूप होते हैं। इस प्रसंग में हमें भगवान् ऋषभदेव का उदाहरण स्मरण हो आया है। भगवान् ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली तो चार हजार राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ली। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही चेलों की तपस्या आरंभ कर देते हैं। तपस्या के पारण का दिन आया। घर-घर गोचरी जाने लगे किन्तु लोग आहार की विधि से अनभिज्ञ थे अतः उन्हें ऐपणिक आहार नहीं दे सके। एक, दो, तीन, चार दिन बीते तो चेलों ने भगवान् से पूछा

“भगवन् ! कब तक आहार नहीं लेना है, कैसे लेना है और किसके यहाँ से लेना है ?”

भगवान् मौन रहे । परिणाम यह हुआ कि एक-एक करके चले सिसकने लगे और एक साल के भीतर सभी चार हजार के चार हजार छोड़कर चले गये । बस रह गये, अकेले बाबा जी । चले गये तो चले गये, भगवान् ने अपने मौन के नियम को भंग नहीं किया । भगवान् ने तो अपने चार हजार चेलों की भी परवाह नहीं की किन्तु आजकल तो एक-एक चले के लिए समाज में क्या-क्या काण्ड होते हैं—यह बात किसी श्रावक से छिपी हुई नहीं है । हमारा कहने का आशय यही है कि सामान्य नियम तो सर्वसाधारण व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों पर नहीं ।

हमारा मुरय विषय, जिसको लेकर हम चले थे, यह था कि हमारे सुख में सबका भाग होना चाहिए । हम जिस कारण से सुखी हैं, उसमें भी तो अनेक व्यक्तियों का सहयोग है फिर हमें ऐसे स्वार्थी कभी नहीं बनना चाहिए कि हमारा सुख स्वकेन्द्रित ही हो । स्वसुख के साथ साथ परसुख की भावना मानव को अहंकार से और घृणा से मुक्त रखती है । जो लोग मोक्ष के अभिलाषी होते हैं, शाश्वत सुख की जिन्हें चाह है, वे सदा परसुख के सिद्धान्त में आस्था रखते हैं । सम्यक्त्वी का सिद्धान्त सदा सर्वसुख की प्रवृत्ति है । मिथ्यात्वों की विचारधारा, इसके सर्वथा विपरीत होती है । वे तो मात्र यह जानते हैं

“मैं न म्हारो मोहनीयो,
दूजो आवें तो फोड़ूं तावणियो ।”

इस प्रकार की विचारधारा अत्यन्त सकुचित है और मिथ्यादृष्टि से परिपूर्ण है । ऐसे स्वार्थपरायण लोग यह नहीं समझते कि सामूहिक प्रवृत्ति पुण्य-प्रवृत्ति है, इसलिए स्थायी है और व्यष्टि प्रवृत्ति पाप-प्रवृत्ति है और परिणाम में दुखों की जननी है । ससार का सारा व्यवहार समवाय या सामूहिक प्रवृत्ति से ही चलता है । समवाय का अर्थ है जिसके बिना जो रह न सके । उदाहरण के लिए आप एक मकान को ले लीजिये । मकान में अनेक वस्तुओं का समवाय है । दूसरे शब्दों में मकान में अनेक वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध है । प्रत्येक वस्तु के यथास्थान सम्बन्ध से ही मकान का निर्माण होता है । इसीप्रकार वस्त्र-निर्माण में भी ताने और बाने की यथोचित लम्बाई-चौड़ाई का समवाय होगा तभी यथाभिलषित-वस्त्र का निर्माण हो पायेगा । ऐसी स्थिति में किसी मिथ्यादृष्टि की एकान्तवादी विचारधारा को कदापि सिद्धान्त की कोटि में नहीं रखा जा सकता । अनेकान्तवादी विचारधारा ही समवाय के सिद्धान्त की प्रामाणिकता सिद्ध करती है । निज सुख के साथ, परसुख का समवाय या एकीकरण ही शाश्वत सुख की पृष्ठभूमि है ।

जैन-भवन, डेह(नागौर)

२१ जुलाई, १९७६





मैं एकाकी कोई न मेरा

सम्यक्त्वी जीव ही शाश्वत सुखो को प्राप्त करने में समर्थ होता है। सम्यक्त्व दो प्रकार के होते हैं एक व्यवहार-सम्यक्त्व और दूसरा निश्चय-सम्यक्त्व। जिसके आचार से, विचार से, व्यवहार से और क्रियाकलाप से लोग यह समझे कि यह सम्यक्त्वी है, वह व्यवहार-सम्यक्त्वी कहलाता है। अंतरंग में जिसकी आत्मा शुद्ध होती है और जो आन्तरिक आराधना में लीन रहता है, वह निश्चय-सम्यक्त्वी होता है। सम्यक्त्व की आराधना में देव, गुरु और धर्म की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार सम्यक्त्व में अरिहन्त देव है, निर्ग्रन्थ गुरु है, और अरिहन्त जिसका प्रतिपादन करते हैं, वह धर्म कहलाता है। प्रतिक्रमण-सूत्र में सम्यक्त्व का पाठ आता है

अरिहतो महदेवो,
जावज्जीव सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपणत्त तत्त
एय मए गहिय ॥

जब तक मैं जीऊँ (यावज्जीव) तब तक अरिहन्त मेरे देव हैं। यदि आप यह कहे कि क्या मरने के पश्चात् अरिहन्त देव नहीं रहते तो उसका उत्तर है कि अरिहन्त देव तो रहते ही हैं किन्तु अरिहन्त देव में जो देवत्व है उसका मनुष्य के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। मनुष्य के जीवन का तो यदि कल आरम्भ हुआ है तो आज अन्त भी हो सकता है परन्तु अरिहन्त का जो देवत्व है वह तो किसी मनुष्य के जीवन से पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। प्रतिक्रमण के पाठ का भी सार यही है कि मैं प्रतिक्रमण करने वाला जो साधक हूँ उसके जीवन का और अरिहन्त भगवान् के देवत्व का कोई साम्य नहीं है। उस साम्य के अभाव में भी मैं जब तक जीऊँ तब तक अरि-

हन्त भगवान् को ही अपना देव मानता रहूँ । मरने के पश्चात् मेरी स्मरण-शक्ति और मेरा बोध कहीं होगा, इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता । जीवन की समाप्ति पर तो स्मरण-शक्ति पर आवरण छा जाता है ।

शास्त्रकारों का कथन है कि हमारी ली हुई प्रतिज्ञायें, अपनाई हुई धार्मिक मर्यादायें, कभी भग्न न हो जाये, अक्षुण्णरूप से उनका पालन होता रहे इसलिए प्रतिज्ञा के साथ 'यावज्जीव' शब्द को जोड़ा गया है । यदि 'यावज्जीव' शब्द का प्रयोग न किया गया होता, मर्यादा की रेखा न खींची होती तो केवल यही कहा गया होता कि 'मैं अरिहन्तो के सिवाय और किसी को अपना भगवान् न मानूंगा ।' आप सब सामायिक करते हैं । सामायिक की मर्यादा ४८ मिनट की है, जिसे एक मुहूर्त कहना चाहिए । इस प्रकार सामायिक की आप एक अवधि डालते हैं । दूसरे व्रतों की अवधि इससे भिन्न प्रकार की होती है । कभी 'दिवस पञ्जुवासामि' मात्र दिन-भर की तो कभी 'अहोरत्त' दिन और रात-भर की अवधि निर्धारित होती है । आठ पहर का दिन-रात होता है । आठ पहर की अवधि वाला व्रत पौष-व्रत कहलाता है । इस प्रकार आपके व्रतों में अनेक प्रकार की अवधियाँ मानी गई हैं । इसी कारण ये व्रत शिक्षाव्रत कहलाते हैं । व्रत तीन प्रकार के होते हैं (१) अणुव्रत, (२) गुणव्रत, और (३) शिक्षाव्रत । अणुव्रत पाँच हैं और गुण-व्रत तीन हैं । शिक्षाव्रत चार प्रकार के होते हैं । इस प्रकार गृहस्थों के लिए बारह प्रकार के व्रतों का विधान है । शिक्षाव्रतों की अवधि थोड़ी होती है । 'यावज्जीव' की अवधि जिन व्रतों की होती है, वे मूलगुण कहलाते हैं । शेष शिक्षाव्रत उत्तरगुण हैं । हमारे पञ्चक्खाणों की जो भी मर्यादा है, जो प्रतिज्ञा है, वह भग्न न हो जाये, उसमें किसी प्रकार त्रुटि न आने पाये, इसलिए मर्यादा बाँधनी पड़ती है । इस मर्यादा के कारण ही पञ्चक्खाण अन्त तक चलता रहता है । यदि हम उस निश्चित मर्यादा के अनुसार आराधना में प्रवृत्त नहीं होते तो 'पञ्चक्खाण' भग्न समझा जाता है और हम दोष के भागी बनते हैं । इसलिए सम्यक्त्व की प्रतिज्ञा में भी

“अरिहन्तो महदेवो, यावज्जीव—
सुसाहुणो गुरुणो, जिण पणत्त तत्त”

के पाठ का उच्चारण हम करते हैं जिसका अर्थ है कि जीवन पयन्त के लिए भगवान् अरिहन्त मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं और अरिहन्त के द्वारा प्ररूपित धर्म मेरा धर्म है और फिर कहा जाता है

“एय सम्मत्त मए गहिय”

इस प्रकार का सम्यक्त्व मैंने ग्रहण कर लिया है। प्रतिक्रमण में आने वाले सम्यक्त्व का यह विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यो व्यवहार-सम्यक्त्व को पहचानने के लिए शास्त्रकारों ने ६७ बोल बताये हैं।

निश्चय सम्यक्त्व में भी देव, गुरु, धर्म यही तीन तत्त्व होते हैं किन्तु वे दूसरे होते हैं। अभी अपने भरत क्षेत्र में अरिहन्त देव तो विद्यमान हैं नहीं, निर्ग्रन्थ गुरुओं का योग भी हमें सदा नहीं मिल पाता। कभी-कभी विचरण करते हुए आ गये तो धर्म श्रवण का लाभ मिल जाता है, अन्यथा दैनिक जीवन में उनके दर्शनों और व्याख्यानो से वचित ही रहना पड़ता है। तीसरे अरिहन्त-भाषित धर्म को भी सही रूप में समझने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से ही मिल पाता है। अरिहन्त प्रदिपादित धर्म को समझना भी कोई सरल काम नहीं है। इस प्रकार ये तीनों बातें दूर की हो गई हैं। निश्चय सम्यक्त्व में तो सारी चीजें सवथा पास होनी चाहिए। निश्चय सम्यक्त्व में हमारा आत्मा ही हमारा देव है। मारवाडी भाषा में तो मन को भी देव माना गया है। प्रायः ऐसा होता है कि जैसी बात हमारे मन में होती है वैसी ही हमारे घनिष्ठ व्यक्ति के मन में भी उत्पन्न हो जाया करती है। संभवतः इसी कारण मन को देव की सजा दी गई है। इस पर एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है

एक बुढ़िया अपनी नवयुवती पौत्री के साथ जंगल की पगडड़ी पर चल रही थी। जंगल बड़ा भयानक था। अचानक ही एक घुड़सवार पास में से गुजरा। बुढ़िया ने कहा, “अरे भाई यह मेरी पोती है, बेचारी थक गई है, तू इसे अपने घोड़े पर बिठा ले और साथ में इसके वस्त्रों और आभूषणों की गठरी भी रख ले, मैं तो धीरे धीरे चलती चलती पहुँच जाऊँगी।” घुड़सवार ने कहा, “न तो मैं इस छोकरी को ही घोड़े पर बैठाऊँगा और न ही इसकी गठरी का भार ही लूँगा।” ऐसा कहकर वह चलता बना। बीस पच्चीस मिनट बाद उस घुड़सवार के मन में आया, “आज मैंने बड़ा अच्छा मौका अपने हाथ से खो दिया। कितनी सुन्दर थी वह नौजवान लड़की और साथ-साथ उसके आभूषण। ऐसा अवसर क्या रोज-रोज आया करता है। लेकर चम्पत हो जाता, मौज करता, बुढ़िया क्या मुझे पा सकती थी। मेरे घोड़े का तो वेग भी बड़ा तेज है।” इन विचारों के मन में आते ही घुड़सवार रुक गया। इस आशा से कि बुढ़िया आयेगी तो मन का मनोरथ पूर्ण होगा। उधर बुढ़िया मन में सोचने लगी, “मेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गये थे कि मैंने एक अजनबी व्यक्ति से अपनी जवान पोती को घोड़े पर बैठा कर ले जाने के लिए कहा और साथ साथ उसके जेवर भी सँभालने के लिए कहा। यदि वह मेरी बात मानकर लड़की को लेकर चल देता तो मैं उसको कहाँ ढूँढती

फिरती, फिर क्या वह मेरे हाथ आने का था ? अच्छा ही हुआ जो उसने मना कर दिया । मैं इसको अपने किसी पूर्वजन्म के पुण्य का ही उदय सम्भती हूँ अन्यथा आज कहीं की भी न रह गई होती ।”

इस प्रकार विचार करती हुई वह चली जा रही थी, उसने देखा कि वही घुडसवार मार्ग में खड़ा है । घुडसवार ने कहा, “आओ माजी, आओ, मैं इस छोकरी को घोड़े पर बैठा लेता हूँ और सामान को भी सँभाल लेता हूँ ।” बुढ़िया ने घुडसवार के मन की बात को जानकर कहा, “नहीं वीरा, तुमको जिसने कह दिया, उसने मुझे भी कह दिया, अब मुझे लडकी को नही बैठाना है ।”

अभिप्राय है कि मन देवता है और आत्मा के पास रहने वाला है । आत्मा राजा है और मन उसका प्रधानमन्त्री है । जब आत्मा का प्रधानमन्त्री भी अनुमान से दूसरे के मन की बात को जान सकता है तो क्या हमारा आत्मा छिपी से छिपी आन्तरिक बात को नहीं जान सकता ? कभी-कभी आपको हिचकी आती है । पास में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि कोई आपको याद कर रहा है । उस समय याद करने वाले व्यक्ति को आनुमानिक शक्ति से आप स्मरण करते हैं तो हिचकी बन्द हो जाती है । मन की गति कितनी रहस्यात्मक है ! एक क्षण में कहीं का कहीं चला जाता है । वेतार के तार के समान है वास्तव में मन की गति । रेडियो और टेलीविजन की तरह यहाँ बैठा हुआ मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति से दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास अपने विचारों को संप्रेषित कर सकता है । कोई अपना अत्यन्त हितैषी हो, अनन्य मित्र हो या अत्यन्त घनिष्ठ सगा सम्बन्धी हो, उसका कहीं दूर अहित हो रहा हो या होने वाला हो तो हमारे मन में अनेक प्रकार के चिन्ताजनक विचार उत्पन्न होने लगते हैं । मन उचाट-सा हो जाता है और सबत्र शून्य-सा लगने लगता है । कुछ ही समय के बाद हमारे पास सूचना पहुँच जाती है कि हमारे अमुक घनिष्ठ व्यक्ति का अनिष्ट हो गया । ऐसी है मन की शक्ति, इसीलिए मन को देव माना गया है । जब मन देव है तो उसका राजा आत्मा देव कैसे नहीं होगा ।

आत्मा तो देवाधिदेव है, भगवान् है । भगवान् का दूसरा नाम ही तो परमात्मा है । परम अर्थात् उत्कृष्ट जिससे बढकर आत्मा की कोई ऊँची स्थिति न हो । इस उच्च अवस्था को पहुँचा हुआ आत्मा ही परमात्मा होता है । ऐसा शुद्ध, सर्वज्ञ, परमात्मा व्यवहार सम्यक्त्व में देव माना जाता है । परन्तु निश्चय सम्यक्त्व के अनुसार तो जैसा शुद्धातिशुद्ध स्वरूप परमात्मा का है वैसा ही स्वरूप हमारे आत्मा का भी माना जाता है । आत्मा के अपने सहज स्वरूप में पहुँचने के पश्चात् आत्मा और परमात्मा का अन्तर समाप्त हो जाता

है। यह काल्पनिक बात नहीं है, यह यथार्थता है। इस सत्य की पुष्टि बड़े-बड़े दार्शनिकों ने यह कहकर की है कि हमारा जीव सिद्धो जैसा है। जैसे सिद्ध सब प्रकार से उच्चकोटि की भूमिका में रहने वाले हैं, उनके आत्मा में आत्मा के सिवाय कोई वस्तु नहीं रहती ठीक उसीप्रकार की दशा हमारे आत्मा की भी हो सकती है यदि हम उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करें। अपने स्वरूप को पहचान कर हम भी परमात्मा बन जायेंगे। उसके लिए हमें निर्विकार और ससार से निर्लेप होकर रहना होगा। यदि हम केवल दूसरे-दूसरे उच्चकोटि के आत्माओं को नमस्कार करते रहेंगे, उनका गुणगान करते रहेंगे और उनकी प्रशंसा में ही अपना सारा समय यापन करते रहेंगे तो परमात्मा बनना तो दरकिनारा, हम परमात्मत्व की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पायेंगे। आखिर तो हमें अपनी आत्मा के ही वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी है और उसे उन्नत बनाना है। निश्चयनय के अनुसार हमारा आत्मा ही परमात्मा है और देव है। हम उसकी ही पूजा करें, आराधना करें और देव के समान ही उसे ही चाहते रहे। आत्मा की पूजा परमात्मा की ही सेवा है और परमात्मा की ही आराधना है। हमारा यथार्थ कर्तव्य यही है कि हम अपने आत्मा को ही उत्तरोत्तर शुद्ध बनाते जायें, निर्दोष बनाते जायें और कर्मरहित करते जायें। इस प्रकार की क्रिया से निश्चयनय के अनुसार आत्मदेव की ही आराधना मानी जायेगी। आत्मा तो हमारे अन्दर ही विद्यमान है जबकि अरिहन्त देव तो हमारे से बहुत दूर है।

निश्चयनय के अनुसार निर्ग्रन्थ गुरु भी हमारे गुरु नहीं है। वे तो व्यवहार-नय की दृष्टि से ही हमारे गुरु हैं। निश्चय से तो ज्ञान ही हमारा गुरु है। गुरु भी तो ज्ञान ही देते हैं। ज्ञान की महिमा और ज्ञान-ग्रहण की पद्धति को ही तो गुरु बताते हैं। ज्ञान का भी हमारे से कोई अन्तर नहीं है, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान भी मौजूद है। जहाँ दीपक होगा, वही प्रकाश भी होगा। दीपक का अभाव है तो प्रकाश का भी अभाव है। जहाँ फूल है, वहाँ सुगन्धि है और जहाँ अग्नि है, वहाँ उष्णता निश्चित रूप से रहेगी। ज्ञान का और आत्मा का, इसी प्रकार अभिन्न सम्बन्ध है। हमने निर्ग्रन्थ को गुरु भी मान लिया, दशन भी कर लिए और व्याख्यान भी सुन लिया, उसकी सेवा में कुछ समय भी बिता दिया और वन्दना भी कर ली किन्तु ज्ञान कुछ भी ग्रहण नहीं किया तो हमारी ऊपर की सारी क्रियाएँ सारहीन हैं, धोखा हैं और पाखण्ड हैं। ऐसा यदि आप अनन्त जन्मों तक भी करते रहेंगे तो उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तभी होगा जब आप गुरुओं के ज्ञान को भलीभाँति समझ कर अपने जीवन में उतारेंगे, उस पर आचरण करेंगे और अपने अन्दर सोए ज्ञान को जागृत करेंगे। यह सब होते हुए भी वे गुरु बाहर हैं, हम से दूर हैं, निश्चय

से तो ज्ञान ही गुरु है।

यदि हम निश्चय दृष्टि से आत्मा को देव समझकर चलते हैं, अपने आत्मा की आराधना करते हैं, उसे निर्दोष और शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं तो यह दूसरे शब्दों में अरिहन्त देव की ही आराधना है। यदि हम अपने लिए तो कुछ करते नहीं, केवल अरिहन्त देव के गुण गाया करते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं और सभी प्रकार की कर्मकाण्ड में प्रतिपादित क्रियाएँ करते हैं तो वह अरिहन्त देव की वास्तविक आराधना नहीं है। केवल समय का यापन है। हमने समय का उपयोगमात्र तो किया किन्तु उससे हमारे आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं हो पाया है। पारस पत्थर लोहे को सोना तो बनाता है परन्तु तभी बनाता है जब हम पारस का लोहे के साथ स्पर्श करा दें। हम अरिहन्त की उपासना करें और अरिहन्त हमारे आत्मा को स्पर्श भी न करें तो उपासना कैसे फलवती हो सकेगी? हमें यह सोचना चाहिए कि अरिहन्त देव जिस प्रकार शुद्ध है, निर्दोष है और अपने आत्मा से कर्मों के आवरण को हटाने वाले हैं उसी प्रकार कर्मों के आवरण का कुछ भाग ही सही, हम भी तो अपने आत्मा से हटाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से ही अरिहन्त की उपासना सार-भूत हो सकती है। यही बात गुरु के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करना, उनके उपदेश के एक एक शब्द को श्रद्धा की दृष्टि से, प्ररूपणा की दृष्टि से और स्पर्शना की दृष्टि से थोड़ा-बहुत अपने आचरण में उतारना ही वास्तव में गुरुओं की आराधना होती है। गुरु ज्ञान के ही तो प्रतीक होते हैं।

इसी प्रकार निश्चयनय के अनुसार आत्मरमणता ही धर्म है। पुद्गलों के साथ या पर वस्तुओं के साथ हमारी जो ममता है, अभ्यान्वय पदार्थों के अधि-गमन की जो हमारे मन में चाह है, उसका हम त्याग करें और उसके स्थान में अपने सहज स्वरूप की पहचान के लिए अपने में रमण करने का प्रयत्न करें। आत्मरमणता इसी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे आत्मधर्म भी कहा जाता है। अथवा आत्मा का पतन हो रहा हो उससे आत्मा को बचाना भी आत्म धर्म होता है। ससार की सभी प्रकार की वस्तुओं से ध्यान को हटाकर अपने ध्यान को आत्मा में ही केन्द्रित कर लेना भी आत्मरमणता है। सामायिक, प्रतिक्रमण, पोषण और उपवासादि त्याग की सारी क्रियाएँ सासारिक पदार्थों से आत्मा को अलग करने के लिए ही की जाती हैं। इन त्यागमयी क्रियाओं के पीछे स्वावलम्बन की भावना है। सासारिक वस्तुओं के प्रति जो जीव का भ्रान्तिपूर्ण मोह है उसके त्याग के बिना जीव कदापि स्वावलम्बी नहीं बन सकता। ये ऊपर निर्दिष्ट सारी धार्मिक क्रियाएँ व्यवहार धर्म कहलाती हैं।

मनुष्य को सदा यह सोचना चाहिए, "ससार की जितनी बाह्य क्रियाएँ

है इनको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यह मेरा सांसारिक उत्तरदायित्व है। वास्तव में तो मेरा इनमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मैं इन सब वस्तुओं से अलग तत्त्व हूँ।” ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही आत्मकेन्द्रित हो सकता है। वास्तव में देखा जाये तो यह बात सत्य भी है। यह ससार स्वार्थ का जाल है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। सबको अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। ससार उन कर्म-फलों के भुगतान का माध्यम है। जब किसी के अशुभकर्म का उदय होता है तो उसका फल तो उसे ही भोगना पड़ता है। उसके माता, पिता, भाई, बन्धु, स्त्री-पुत्र कोई भी उसके अशुभकर्म के फल को भोगने नहीं आते, उसे तो वह अकेला ही भोगता है। मूल एक होते हुए भी जब एक अंगुली की पीड़ा को दूसरी नहीं भोगती फिर भला एक जीव के कर्म का फल अन्य जीव क्यों भोगेंगे ? जब ऐसा है तो हमारी ससारी व्यक्तियों के साथ जो ममता है, मोह है, राग है और लगाव है वे सब हमारे क्या काम आये ? काम नहीं आये तो ये सब मिथ्या हैं। इसीलिए तो सम्यग्दृष्टि जीव यही सोचा करता है कि ससार का सम्बन्ध तो एक प्रकार का जाल है, दिखावा है, और ढोंग है। वास्तव में तो

“एगोऽह नत्थि मे कोई”

मैं अकेला ही हूँ, ससार में मेरा कोई नहीं है।

“नाह अन्नस्स कस्सचि”

मैं भी किसी दूसरे का नहीं हूँ।

आत्मा इस प्रकार की धारणा से सदा रजित होना चाहिए। किन्हीं विशेष कष्ट परिस्थितियों में तो यह भावना सामान्य व्यक्ति के मन भी आती है। जब हम अपने ही परिवार वालों के द्वारा स्वार्थवश ठुकराये जाते हैं, जब हमारे अपने अत्यन्त निकट के सम्बन्धी हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं और हमारे विनाश की परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं तब हमारे मुख से ये शब्द अचानक ही निकल जाया करते हैं कि “ससार में मैं किसी का हूँ और नहीं कोई मेरा है।” परिस्थितिवश मन में आये हुए इस प्रकार के निराशा के विचार किसी काम के नहीं होते, उनका कोई महत्त्व नहीं है और वे आत्मा को उन्नतावस्था में लाने की कोई प्रेरणा नहीं देते। ऐसे भाव ‘एव अदीण मनसा’ अदीन मन से आने चाहिए। दीनता से उसका महत्त्व कम हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में यदि ऐसे विचार मन में आते हैं कि ‘न मैं किसी का न कोई मेरा’ तो उनका बड़ा महत्त्व है। महत्त्व इसलिए कि उस समय हमारी

आत्मा में दीनता और हीनता की भावना नहीं होती। मनुष्य को सदा यह चिन्तन करना चाहिए “शुभ कर्मों के उदय के समय ससार में सभी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं, चापलूसी करते हैं, प्रशंसा के पुल बाँधते हैं और रिश्ता न होने पर भी रिश्तेदारी का दम भरने लगते हैं। किन्तु अशुभ कर्म के उदय के समय कोई बात करना भी अपना अपमान समझता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। यह ससार एक मुसाफिरखाने के समान है जहाँ पता नहीं किन-किन प्रदेशों के यात्री गाड़ी आने की प्रतीक्षा किया करते हैं। जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक आपस में बातचीत करते हैं, पारस्परिक प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सुख-दुःख में प्रसन्नता और सहानुभूति भी प्रकट करते हैं किन्तु गाड़ी के आते ही सब अपने अपने उद्दिष्ट स्थानों के लिए रवाना हो जाते हैं, सबका रिश्ता वही समाप्त हो जाता है। ससार के इसी मायाजाल को देखकर शास्त्रकार ने कहा है

एगोऽह नत्थि मे कोई, नाहमन्नस्स कस्सवि ।

एव अदीणमणसा, अप्पाणमणुसासई ॥

भिन्न-भिन्न प्रलोभनों से जब हमारी आत्मा अपने सही मार्ग से भटक गई हो, ऐसे समय में आत्मा पर अनुशासन करने का या आत्मा को नियंत्रित करने का यही शास्त्र-निर्दिष्ट उपाय है। ससार के सब प्रलोभनों को त्यागकर आत्मा को स्थिर करना और उसमें लीन रहना निश्चय-धर्म है। व्यवहारनय से अरि-हन्त देव, निर्ग्रन्थ गुरु और अरिहन्तो द्वारा प्रतिपादित धर्म आराधनीय है। निश्चयनय से आत्म देव, ज्ञान गुरु और आत्मरमण धर्म है। व्यवहार अपने हाथ की चीज नहीं है, दूर की है किन्तु निश्चयनय की चीज तो अपने पास की ही है, उसके लिए कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इससे सिद्ध है कि व्यवहार-सम्यक्त्व की अपेक्षा निश्चय-सम्यक्त्व की आराधना बहुत सरल है। अब देखना यह है कि आपके जीवन को कौन सी प्रभावित करती है। सारांश यह कि व्यवहार-सम्यक्त्व की आराधना हम कितनी ही बार कर लें किन्तु निश्चय-सम्यक्त्व की आराधना यदि एक बार भी कर लेंगे तो शाश्वत सुखों की प्राप्ति संभव है। इसलिए हमें इसी दिशा में प्रयत्न करना चाहिए।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२२ जुलाई, १९७६





नवतत्त्व-विवेचन और तपश्चर्या

सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के पश्चात् ही शाश्वत सुखो की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने अनेक वार आपको समझा रखा है। 'सम्यग्दर्शन' शब्द सम्यक् और दर्शन इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है 'अच्छा दृष्टिकोण'। या ठीक प्रकार की समझने की, देखने की प्रक्रिया। शास्त्र के अनुसार

“तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्”

तत्त्वार्थ का श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन होता है। जिसका कार्य तो सामने हो किन्तु कारण परोक्ष हो, वह तत्त्व है। इस भाव को और स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएँ हो रही हैं वे तो हमारे सामने हैं परन्तु वे क्रियाएँ जिससे जन्म लेती हैं वह परोक्ष में हैं। तत् यानी वह, त्व यानी पन। 'त्व' प्रत्यय संस्कृत में 'भाव' अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। संक्षेप में वस्तुमात्र या पदार्थमात्र के भाव या सार को 'तत्त्व' कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष में हम जो कुछ देख रहे हैं, वह सार नहीं है। सार तो परोक्ष में है एव सार का विस्तार ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। दूसरे शब्दों में परोक्ष मूल है एव प्रत्यक्ष वृक्ष। प्रत्यक्ष में हम जिन जिन क्रियाओं को देख रहे हैं, उन सब का करने वाला जीव है जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। इसीलिए शास्त्रकारों ने परोक्षवर्ती चीजों को समझाने के लिए 'तत्त्व' शब्द का प्रयोग किया है।

पहला तत्त्व जीव है। जीव शब्द बड़ा ही व्यापक है। ससार में जीव अनन्त योनियों में उत्पन्न होता रहता है और मरता रहता है, ऐसा लोक-व्यवहार में कहा जाता है किन्तु वास्तव में जीव तो अजर-अमर और अविनाशी है। तभी तो गीता में कहा गया है

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि,
नैन दहति पावक ।
न चैन क्लेदयन्त्यापो,
न शोषयति मारुत ॥

गीता, २/२३

अर्थात्—

इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसका शोषण नहीं कर सकता । आत्मा अविनाशी है और अपने स्वरूप से सदा अस्तित्व-रूप है ।

इस आकाश में अनन्तानन्त जीव ठसाठस भरे पड़े हैं । जीव हमें दृष्टि-गोचर तभी होते हैं, जब वे किसी न किसी शरीर-विशेष का आश्रय ले लेते हैं । इनमें से कुछ को तो, जिनका शरीर स्थूल है, हमारी आँखें देखने में समर्थ हैं किन्तु जो अतिमूक्ष्म हैं उन्हें हम देख नहीं पाते । शास्त्रकारों ने ऐसे शरीरों को तैजस् और कार्मण के नामों से पुकारा है ।

“श्रीदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि”

अर्थात्—श्रीदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्मण—इन पाँच प्रकार के शरीरों का अवलम्बन लेकर जीव ससार में परिभ्रमण करता है । सदा के लिए शरीर से मुक्ति उसकी 'भुक्तदशा' कहलाती है ।

सामान्यरूप से ससारी जीव को चार भागों में विभक्त किया गया है (१) मनुष्य, (२) तिर्यच, (३) देव, (४) नारक । यह जीव कहीं-कहीं रहता है, क्या-क्या करता है, इसकी सख्या कितनी है—आदि-आदि बातों का बड़ा विस्तृत विवरण दिया है जैनशास्त्रों में । यहाँ तो हमको केवल इतना ही जानना है कि चलते-फिरते, खाते-पीते, बोलते, सोचते, समझते आदि जो भी दिखाई देते हैं वे सब जीव हैं । अपनी इन्द्रियों के द्वारा हमको उनका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है ।

दूसरा तत्त्व 'अजीव' है जिसे जड़ भी कहते हैं । इसमें स्वयं चलने-फिरने की कोई शक्ति नहीं होती किन्तु वह हमारी इन्द्रियों के द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य पहचानी जाती है । कर्ण-इन्द्रिय के द्वारा शब्द प्रत्यक्ष हो जाता है । यो शब्द को न तो हम पकड़ ही सकते हैं और न देख ही सकते हैं, किन्तु कानों से जब शब्द टकराता है तो उसका बोध हो जाता है । वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम (रेडियो आदि) से हम दूरातिदूर संचारित ध्वनि को भी सुन लेते हैं । किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्चारित शब्दों को हम टेपरिकॉर्डर में भर लेते हैं और इच्छानुसार जब चाहे उसके सुनने का आनन्द

ले सकते हैं। आँसुओं के द्वारा हम सब प्रकार के रंगों—लाल, नीला, काला, पीला आदि को तथा मिश्रित रंगों को परख लेते हैं। घ्राणेंद्रिय द्वारा सब प्रकार की गंध का हमें अनुभव होता है। जिह्वा हमें सब प्रकार के रसों का ज्ञान कराती है। खट्टी, मीठी, कर्पूरी, चपरी, कड़वी आदि वस्तु का भेद हमें जिह्वा तुरन्त करा देती है। स्पर्शेंद्रिय द्वारा स्पर्श का प्रत्यक्षज्ञान हो जाता है। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द—ये इन्द्रिय-विषय हैं। इनका विस्तृत विवरण यहाँ देना सम्भव नहीं है। यह तो हुई इन्द्रियगोचर पदार्थों के सम्बन्ध में किंचित् चर्चा। इनके अतिरिक्त लोक में गतिमान, स्थितिमान व अस्तित्व रखने वाली वस्तुओं के लिए सहायभूत कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो कि सब इन्द्रियातीत हैं। इन्द्रियगोचर एवं इन्द्रियातीत इन सब जड़पदार्थों का जिसमें समावेश हो जाता है उसका नाम है 'अजीव'। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने अजीव पदार्थों का भी सजीव पदार्थों के समान उपयोग कर दिखाया है। अन्तर केवल इतना है कि वैज्ञानिक उन-उन पदार्थों में प्राण नहीं डाल सके हैं। उसके अजीवत्व को सजीवत्व में परिवर्तित नहीं कर सके हैं। अजीव की अजीव रूप में स्वतन्त्र सत्ता है जो अविनाशी है और अमिट है। सप्ताह में हमारे समक्ष जो कुछ भी अभिनय हो रहा है वह सब अजीव तत्त्व की ही क्रिया है।

हम किसी को रूपवान् देखते हैं, किसी के स्वर में माधुर्य पाते हैं, किसी के व्यक्तित्व में और किसी के शरीर में जो आकर्षण पाते हैं, उन सबका नेतृत्व करने वाला पुण्य होता है। या दूसरे शब्दों में पुण्य के प्रताप से ही उक्त गुणों की प्राप्ति होती है। इमी का नाम पुण्य तत्त्व है। जो व्यक्ति हमें अनिष्ट लग रहा है, भद्रा लग रहा है, आकर्षणहीन लग रहा है, असन्तुष्ट और दुःखों से व्याकुल प्रतीत हो रहा है, उन सब दुर्गुणों का संचालन पाप द्वारा होता है। यह पाप भी एक तत्त्व है।

विश्व में अनेक स्थानों पर अनेक काम हो रहे हैं जिनके विषय में हम जानते हैं, सुनते हैं। विश्व में जितनी भी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं उनमें कुछ हमें अच्छी लगती है और कुछ बुरी। कुछ के प्रति हम उदासीन रहते हैं, न हम उनको हेय कहते हैं और न ही उपादेय। उनका त्याग न करने के कारण, अवसर आने पर कभी हम उनमें प्रवृत्त भी हो जाते हैं। त्याग के अभाव में उन प्रवृत्तियों से होने वाली क्रियाओं से हम व्यथ ही लिप्त हो जाते हैं। इन सब क्रियाओं का नेतृत्व करने वाला तत्त्व आस्रव कहलाता है। सप्ताह के सचरण-शील कार्यों के प्रति हमारा सम्बन्ध चाहे डाइरेक्ट हो, चाहे इडाइरेक्ट, उन सबका नियन्त्रण करने वाला 'आस्रव' तत्त्व है।

सप्ताह में ऐसे भी अनेक काम हैं, अनेक वस्तुएँ हैं जिनका न तो कभी

हमारे जीवन में उपयोग हुआ है और न ही होने की सम्भावना है। उनसे हम हमारा सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं और उनका त्याग भी कर देते हैं। अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं को मर्यादित कर लेते हैं, रोक लेते हैं और इस कारण उन कामों के प्रति और वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव समाप्त हो जाता है। लगाव के समाप्त होते ही लगाव से होने वाला कर्मास्त्र रुक जाता है। कर्मास्त्र के रुक जाने से हमारी आत्मा कर्मास्त्र के भार से बोझिल नहीं हो पाती और उसका अधोगति में जाने का मार्ग अवरोद्ध हो जाता है। वस्तुतत्त्व को समझने वाले व्यक्ति, इस इच्छानिरोध को बहुत बड़ा महत्त्व देते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने तो इस 'इच्छानिरोध' को एक बहुत बड़ा तप माना है

“इच्छानिरोधस्तप”

अर्थात्—इच्छाओं का निरोध करना तप है।

इस तप के द्वारा केवल कर्मास्त्र ही नहीं रुकता किन्तु पूर्ववद्ध-कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है।

“तपसा निर्जरा च”

उमास्वाति ने उक्त वचन से इसी सत्य की पुष्टि की है। और यह भी कहा है कि इच्छा-निरोध नाम का तप सवर और निर्जरा का कारण है।

कुछ व्यक्ति ससार में ऐसे भी होते हैं जो आशावादी बने रहना अधिक पसन्द करते हैं। 'जिस वस्तु का वर्तमान में उन्हें योग नहीं मिला वह कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगी' ऐसा सोचकर वे उनके प्रति आशावान बने रहते हैं, किन्तु आशा का गड्ढा इतना विशाल है कि जिसकी पूर्ति त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है। कोई भी ससार का व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। नीतिकार कहते हैं

आशागर्तं प्रतिप्राणि,
यस्मिन् विद्वमणूपमम् ।

अर्थात्—हर एक प्राणी अपने अन्दर आशाओं का ससार बटोरे बैठा है, ऐसा ससार कि जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नहीं है। आशाओं के महासागर में यह सारा ससार एक छोटे से अणु के समान प्रतीत होता है। किसी विद्वान् ने आशा का नदी के रूप में बड़ा ही सुन्दर रूपक बाँधा है

आशा नाम नदी मनोरथजला, तृष्णा-तरंगाकुला,
 रागग्राहवती वितर्कविहगा, धैर्यद्रुमध्वसिनी ।
 मोहावर्तसुदुस्तरातिगहना, प्रोत्तुङ्गचिन्तातटी,
 तस्या पारगता विशुद्धमनसो, नन्दन्ति योगीश्वरा ॥

भर्तृहरि, ३/११

अर्थात्—

आशा नाम की एक ऐसी नदी है जिसमें मनुष्य के अनेक मनोरथ ही जल के समान हैं, वह आशा नदी तृष्णा की तरंगों से सदा आकुल रहती है। राग-ममता रूपी बड़े-बड़े मकर (मगरमच्छ) उसमें निवास करते हैं और कुतर्क रूपी पक्षी सदा उस पर मडराया करते हैं। धैर्यरूपी वृक्षों को वह जड़ से उखाड़ने वाली है। मोह के बड़े-बड़े भवर उसमें चला करते हैं। इस कारण अत्यन्त गहरी उस नदी को पार करना बहुत ही कठिन है। मानव मन में उत्पन्न होने वाली बड़ी ऊँची चिन्तार्यो ही उस नदी के ऊँचे तट हैं। पवित्र मन वाले योगीराज ही उस आशानदी को पार करके आनन्द का अनुभव किया करते हैं।

सक्षेप में अनेक प्रकार के मनोरथों को, तृष्णा को, ममता को, मानसिक विकृतियों को और चिन्ताओं को जन्म देने वाली आशा ही होती है। उक्त विकारों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन यही है कि आशाओं को सीमित किया जाए और उन पर पूरा नियन्त्रण रखा जाये। आशाओं पर नियन्त्रण ही सुख और शान्ति का मूल है। आशाओं पर मर्यादा रखने वाला व्यक्ति अन्य सब व्यक्तियों से उत्तम माना जाता है।

‘पुरिसुत्तमाण’ (पुरुषों में उत्तम) यह पाठ ‘नमोत्थुण’ में आया है। पौरुष और साहस का आश्रय लेने वालों में वह उत्तम है जो मर्यादा में रहता है। अमर्यादित जीवन जीने वाला व्यक्ति पुरुषोत्तम नहीं कहला सकता। अपनी आशाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं का विजेता ही अपने मन, वाणी और कर्म को मर्यादा में रख सकता है। अपने को मर्यादित रखने के लिए बड़े साहस, शक्ति और उद्यम की आवश्यकता है। जीवन की अमर्यादित दशा में सब कुछ बिखर जाया करता है। मन कल्पनाओं के जाल में फस जाता है, वाणी शब्दों के आडम्बर में उलझकर रह जाती है और शरीर में फूहड़पन आ जाता है। मन, वाणी और कर्म की मर्यादा रखने वाला पुरुष ही ‘मर्यादा-पुरुषोत्तम’ कहलाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम न तो आशावादी ही होता है और न ही परमुखापेक्षी। सारा जीवन त्यागमय होता है। जिनके मन, वाणी और कर्म में त्याग की ही प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार की सम्पूर्ण क्रिया-

कलापो का संचालन करने वाला 'तत्त्व' सवर कहलाता है। सवर करने वाला साधक अपनी मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाओं का सवरण कर लेता है। सवरण का अर्थ है 'बाहर की वस्तुओं के अंदर की ओर आने का जो मार्ग है उसे बन्द कर देना।' ऐसी अवस्था में हमारे अन्दर जो अतीत के संचित कर्म विद्यमान हैं, उनकी निर्जरा होने लगती है।

इस 'सवर' के पूर्व आस्रव के कारण बहुत-से कर्म-परमाणु हमारे भीतर संचित थे—अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में। वे शुभ के रूप में और अशुभ के रूप में हमारे आत्मा के साथ एकाकार होकर रह रहे थे या दूसरे शब्दों में आत्मा व कर्मपरमाणुओं में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे लोहे के गोले को अग्नि में डालकर गर्म किया जाये तो वह अग्नि के प्रवेश से लाल हो जाता है और अग्नि का ही रूप धारण कर लेता है। यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यह अग्नि का गोला है या लोहे का। लोहा और अग्नि दोनों एकमेक हो जाते हैं। इसी प्रकार कर्म-परमाणु भी आत्मा के साथ एकमेक होकर रहते हैं। आत्मप्रवेश और कर्म-परमाणुओं के इस प्रकार मिलजुल कर रहने का नाम 'बन्ध' तत्त्व है।

सवरण के पहले हमने अच्छे कर्मों को भी बाँधा था और बुरे कर्मों को भी। बुरे कर्मों को बुरा जानकर नहीं बाँधा था किन्तु उन्हें भी अच्छा जानकर ही बाँधा था। इन कर्मों में कौन सा कर्म पुण्यरूप था और कौन-सा पापरूप था, इस बात का भी हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम मिथ्यादृष्टि के कारण अशुभ को भी शुभ मानकर चलते रहे। बँधे हुए कर्मों को तब तक प्रोत्साहन मिलता रहता है जब तक नये नये कर्मों का आस्रव होता है। जब नई आय समाप्त हो जाती है तो अक्सर मूलपूजा की ओर ध्यान जाता है। नकदरकम भी जब व्यय हो जाती है तो आभूषणों को बेचकर जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। भूख ऐसी चीज है जो प्रिय से प्रिय वस्तु को भी खा जाती है। जिसने सवरण कर लिया—आने वाले कर्मों को रोक लिया, उसके संचित कर्म भोग में आने लगते हैं। पहले का जो सग्रह है उसमें से मूल भोगा जाता है—अच्छे का भी और बुरे का भी। कर्मों के आस्रवकाल का जो भोग होता था वह अलग प्रकार का होता था और कर्मों के आगमन के रुक जाने पर जो मूल भोग होता है उसका प्रकार भिन्न है। त्यागी का भोगना और प्रकार का होता है और जिसने त्याग नहीं किया उसका भोगना भिन्न प्रकार का होता है। त्यागरहित व्यक्ति बँधी हुई कर्मप्रकृतियों को भोगता है इसलिए उसका भोगना और न भोगना कोई महत्त्व नहीं रखता। महत्त्व इसलिए नहीं कि उसकी आस्रव की क्रिया तो चालू ही है। पहले का भोगेगा और नया बँध जायेगा। इस प्रकार यह भोग और बंध का क्रम निरन्तर चलता रहेगा और

कभी समाप्त नहीं होगा। जिसने सवरण कर लिया, नवीन कर्माखर को रोक दिया है, उसका भोग निराले ही ढग का होगा, उसे तो नया भोग करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

कर्मप्रकृतिया उदय में आकर अपना फल दे देती है और तत्पश्चात् वे आत्मा के साथ चिपटी नहीं रहती। चिपटे रहने की स्थिति भी तभी तक बनी रहती है जब तक शक्ति का मद्भाव रहता है, शक्ति के नष्ट होते ही आत्मा के साथ एकाकार होकर रहना सम्भव नहीं होता। भोगी हुई कर्मवर्णाएँ और कर्मप्रकृतियाँ जब अलग-अलग होने लगती हैं, तो आत्मा शुद्ध होता जाता है, उत्तरोत्तर पवित्र बनता जाता है और आत्मिक तेज बढ़ने लगता है। इस कमक्षय में जो तत्त्व काम करता है उसे निर्जरा कहते हैं। कर्मक्षय का संचालन और तन्त्र चलाने वाला यही 'निजरा' नाम का तत्त्व है।

इस निर्जरा नाम के तत्त्व के भी अनेक भेद हैं। दूसरे शब्दों में कर्मवर्णाओं को आत्मा से अलग करने के अनेक प्रकार हैं। इनमें पहला प्रकार है 'अनशन'। अनशन को सामान्य भाषा में तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या का आरम्भ नवकारसी से होता है। इसके बाद पौरसी और डेढ़ पौरसी के पचवखान आते हैं। पौरसी से डेढ़ पौरसी तक के पचवखान एक हैं, फिर दो पौरसी, ढाई पौरसी एवं तीन पौरसी तक के पचवखान लगभग एक-से हैं। इसके पश्चात् तप की मात्रा बढ़ती जाती है। अनशन का अर्थ है, उपवास। सामान्य रूप से उपवास का अर्थ 'एक दिन की क्षुधा का समभाव-पूर्वक सहन कर लेना' ममभा जाता है किन्तु उपवास का वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। 'उप' यानी समीप, 'वास' यानी रहना, अर्थात् पास में रहना। किसी व्यक्ति-विशेष के पास नहीं किन्तु आत्मा के पास रहना। खाना-पीना, ओढ़ना-पहनना, शृंगार-प्रसाधन, विषय-कपाय आदि सभी से दूर रहकर आत्मा को पाम रहना। खाने-पीने आदि की क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति आत्मा से दूर रहता है। आत्मा का मार्ग पृथक् है और शरीर का पृथक् है। यद्यपि दोनों का निवास एक स्थान पर है किन्तु दोनों का धर्म अलग-अलग है। शरीर का पोषण भिन्न प्रकार की क्रियाओं से होता है और आत्मा का पोषण अलग ही प्रकार के कार्यों से होता है। जिन कार्यों से आत्मा का पोषण होता है उन्हीं कार्यों से शरीर का पोषण होता है, जिन कार्यों से आत्मा को बल मिलता है, शान्ति मिलती है, विश्राम मिलता है, ज्ञान, ध्यान और समाधि में अधिकाधिक चित्त लगाने का अवसर मिलता है, उन्हीं कार्यों से शरीर को बल मिलता है, और शरीर में दुर्बलता आ जाती है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड है। चैतन्य का स्वभाव अलग है और जड का अलग। चैतन्य ऊर्ध्वगामी है और जड अधोगामी है। जिन बातों से एक का

पोषण होता है, उन्हीं से दूसरे का शोषण। दोनों की दिशा भी अलग है और कार्य भी अलग है। पहले कहा गया है 'तपसा निर्जरा च' अर्थात्, तपश्चरण से सवर और निर्जरा दोनों ही होते हैं। आते हुए कर्म रुक जाते हैं और बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्रम-क्रम से कर्मवर्गणाओं का क्षय हो जाता है और फलस्वरूप आत्मा उत्तरोत्तर विशुद्ध होता चला जाता है। अधिकाधिक कर्मों की निर्जरा होने से आत्म-परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर होते चले जाते हैं। जब सम्यक्त्व के कारण तपश्चर्या में वृद्धि होती है तो उत्तरोत्तर भावना शुभ और शुद्ध की ओर बढ़ने लगती है। जिसने दो दिन का लगातार उपवास किया है उसे पाँच उपवास का फल मिलता है। तीन दिन के तपे का तपश्चरण करने वाले को पाँच गुने के हिसाब से फल मिलता है। अर्थात्-पचीस उपवासों का उसे फल मिलता है। इसी प्रकार पाँच दिन का 'पचोला' करने वाले व्यक्ति को $125 \times 5 = 625$ उपवासों का फल मिलता है। एक साथ छह करने वाले को $625 \times 5 = 3125$ उपवासों का फल मिलेगा। सात की एक साथ तपस्या की तो $3125 \times 5 = 15625$ उपवासों का लाभ होगा। इस प्रकार अन्त तक पाच गुने का हिसाब करते जाओ, लाभ बढ़ता ही जायेगा। हमें यहाँ भी ज्ञातव्य है कि जितनी तपश्चर्या की जाती है, उसके पारणों के दिन, एक पोरसी की, तो जितने उपवास के दिन बीते हैं उतने ही उपवास का लाभ उसे उस पारणा वाली एक पोरसी करने से मिलेगा। किसी भी आत्मा को उसकी उन्नत अवस्था में लाने वाला जो तत्त्व है वह निर्जरा तत्त्व है। आत्मा की कर्मों से निर्जरा होते ही आत्मा स्वभाव में स्थित हो जाता है, मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है।

कुल तत्त्वों की सख्या नौ है, जिनका सक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इन तत्त्वों में दृढ श्रद्धा रखना, दृढ विश्वास रखना सम्यग्दर्शन कहलाता है। इन नव तत्त्वों में जो तत्त्व त्यागने योग्य हैं, उनका त्याग करना चाहिए और जो ग्राह्य हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। यदि इन नव तत्त्वों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का अभाव है, विश्वास का अभाव है तो बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त करके भी हम मिथ्यादृष्टि ही रह जायेंगे। सम्यग्-ज्ञान की प्राप्ति के लिए नवतत्त्वों का गभीर चिन्तन, मनन और उनमें से हेय का त्याग और उपादेय का ग्रहण परमावश्यक है।

शाश्वत सुखों की प्राप्ति सम्यग्दर्शन से ही संभव है और सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नवतत्त्वों के ज्ञान पर आधारित है। इसलिए यदि जीवन में सुख और शान्ति प्राप्त करना चाहते हों तो नवतत्त्व के ज्ञान के माध्यम से सम्यग्दृष्टि बनो।

कभी समाप्त नहीं होगा। जिसने सवरण कर लिया, नवीन कर्माख्रव को रोक दिया है, उसका भोग निराले ही ढग का होगा, उसे तो नया भोग करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

कर्मप्रकृतिया उदय में आकर अपना फल दे देती है और तत्पश्चात् वे आत्मा के साथ चिपटी नहीं रहती। चिपटे रहने की स्थिति भी तभी तक बनी रहती है जब तक शक्ति का सद्भाव रहता है, शक्ति के नष्ट होते ही आत्मा के साथ एकाकार होकर रहना सम्भव नहीं होता। भोगी हुई कर्मवभणाएँ और कर्मप्रकृतियाँ जब अलग-अलग होने लगती है, तो आत्मा शुद्ध होता जाता है, उत्तरोत्तर पवित्र बनता जाता है और आत्मिक तेज बढ़ने लगता है। इस कमक्षय में जो तत्त्व काम करता है उसे निर्जरा कहते हैं। कर्मक्षय का सचालन और तन्त्र चलाने वाला यही 'निजरा' नाम का तत्त्व है।

इस निर्जरा नाम के तत्त्व के भी अनेक भेद है। दूसरे शब्दों में कर्म-वर्गणाओं को आत्मा से अलग करने के अनेक प्रकार हैं। इनमें पहला प्रकार है 'अनशन'। अनशन को सामान्य भाषा में तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या का आरम्भ नवकारसी से होता है। इसके बाद पौरसी और डेढ पौरसी के पचवखान आते हैं। पौरसी से डेढ पौरसी तक के पचवखाण एक हैं, फिर दो पौरसी, ढाई पौरसी एव तीन पौरसी तक के पचवखाण लगभग एक-से है। इसके पश्चात् तप की मात्रा बढ़ती जाती है। अनशन का अर्थ है, उपवास। सामान्य रूप से उपवास का अर्थ 'एक दिन की क्षुधा का समभाव-पूर्वक सहन कर लेना' समझा जाता है किन्तु उपवास का वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। 'उप' यानी समीप, 'वास' यानी रहना, अर्थात् पास में रहना। किसी व्यक्ति-विशेष के पास नहीं किन्तु आत्मा के पास रहना। खाना-पीना, ओढना-पहनना, शृगार-प्रसाधन, विषय-कषाय आदि सभी से दूर रहकर आत्मा के पाम रहना। खाने-पीने आदि की क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति आत्मा से दूर रहता है। आत्मा का मार्ग पृथक् है और शरीर का पृथक् है। यद्यपि दोनों का निवास एक स्थान पर है किन्तु दोनों का धर्म अलग-अलग है। शरीर का पोषण भिन्न प्रकार की क्रियाओं से होता है और आत्मा का पोषण अलग ही प्रकार के कार्यों से होता है। जिन कार्यों से आत्मा का पोषण होता है उन्हीं कार्यों से शरीर का शोषण होता है, जिन कार्यों से आत्मा को बल मिलता है, शान्ति मिलती है, विश्राम मिलता है, ज्ञान, ध्यान और समाधि में अधिकाधिक चित्त लगाने का अवसर मिलता है, उन्हीं कार्यों से शरीर को क्लेश मिलता है, और शरीर में दुर्बलता आ जाती है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड है। चैतन्य का स्वभाव अलग है और जड का अलग। चैतन्य ऊर्ध्वगामी है और जड अधोगामी है। जिन बातों से एक का

पोषण होता है, उन्हीं से दूसरे का शोषण। दोनों की दिशा भी अलग है और कार्य भी अलग है। पहले कहा गया है 'तपसा निर्जरा व' अर्थात्, तपश्चरण से सवर और निर्जरा दोनों ही होते हैं। आते हुए कर्म रुक जाते हैं और बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्रम-क्रम से कर्मवर्गणाओं का क्षय हो जाता है और फलस्वरूप आत्मा उत्तरोत्तर विशुद्ध होता चला जाता है। अधिकाधिक कर्मों की निर्जरा होने से आत्म-परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर होते चले जाते हैं। जब सम्यक्त्व के कारण तपश्चर्या में वृद्धि होती है तो उत्तरोत्तर भावना शुभ और शुद्ध की ओर बढ़ने लगती है। जिसने दो दिन का लगातार उपवास किया है उसे पाँच उपवास का फल मिलता है। तीन दिन के तैले का तपश्चरण करने वाले को पाँच गुने के हिसाब में फल मिलता है। अर्थात्-पचीस उपवासों का उसे फल मिलता है। इसी प्रकार पाँच दिन का 'पचोला' करने वाले व्यक्ति को $125 \times 5 = 625$ उपवासों का फल मिलता है। एक साथ छह करने वाले को $625 \times 5 = 3125$ उपवासों का फल मिलेगा। सात की एक साथ तपस्या की तो $3125 \times 5 = 15625$ उपवासों का लाभ होगा। इस प्रकार अन्त तक पाच गुने का हिसाब करते जाओ, लाभ बढ़ता ही जायेगा। हमें यहाँ भी ज्ञातव्य है कि जितनी तपश्चर्या की जाती है, उसके पारणे के दिन, एक पोरसी की, तो जितने उपवास के दिन बीते हैं उतने ही उपवास का लाभ उसे उस पारणा वाली एक पोरसी करने से मिलेगा। किसी भी आत्मा को उसकी उन्नत अवस्था में लाने वाला जो तत्त्व है वह निर्जरा तत्त्व है। आत्मा की कर्मों से निर्जरा होते ही आत्मा स्वभाव में स्थित हो जाता है, मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है।

कुल तत्त्वों की मर्यादा नहीं है, जिनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इन तत्त्वों में दृढ श्रद्धा रखना, दृढ विश्वास रखना सम्यग्दर्शन कहलाता है। इन नव तत्त्वों में जो तत्त्व त्यागने योग्य हैं, उनका त्याग करना चाहिए और जो ग्राह्य हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। यदि इन नव तत्त्वों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का अभाव है, विश्वास का अभाव है तो बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त करके भी हम मिथ्यादृष्टि ही रह जायेंगे। सम्यग्-ज्ञान की प्राप्ति के लिए नवतत्त्वों का गभीर चिन्तन, मनन और उनमें से हेय का त्याग और उपादेय का ग्रहण परमावश्यक है।

शाश्वत सुखों की प्राप्ति सम्यग्दर्शन से ही सम्भव है और सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नवतत्त्वों के ज्ञान पर आधारित है। इसलिए यदि जीवन में सुख और शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो नवतत्त्व के ज्ञान के माध्यम से सम्यग्दृष्टि बनो।



सम्यक्त्व और मिथ्यात्व-विवेचन

सासारिक या भौतिक सुखो एव क्षणिक आकर्षणो मे खोए हुए मानव को सचेत करते हुए यदि यह कहा जाये, 'अयं मानव ! जिन सुखो को तुम शाश्वत सुख मान रहे हो वे वास्तव मे शाश्वत नही है, जिनको तुमने सत्य समझ रखा है वे कपटमय है, माया है' तो वह इस प्रकार के प्रशिक्षण को कोरा प्रलाप और पागलपन समझता है । परन्तु ज्ञान के निधि, तत्त्वचिन्तको का बार-बार यही कहना है कि सारा ससार, शरीर और भौतिक ऐश्वर्य सब नश्वर—नाशवान है । इनमे ही लीन रहने वाला मानव मृगतृष्णा मे भाग रहा है और परिणाम-स्वरूप भटक कर अपना विनाश कर रहा है । भौतिक सुखो का आकर्षण इतना प्रभावशाली है कि अज्ञानी जीव अनायास ही उनमे फंस जाता है और पाप का अर्जन करता है । कषायो (क्रोध, मान, माया और लोभ) के बन्धन मे उलझा हुआ जीव अनादि काल से चौरासी के चक्कर मे भटक रहा है । मिथ्यात्व तथा मोह से विमुग्ध जीव सासारिक सुखो मे ठीक उसी प्रकार आनन्द का अनुभव किया करता है, जैसे गोबर का कीडा गोबर मे और मल का कीडा मैले मे । शास्त्रकार सदा से मानव को सचेत करते आये है और प्रेरणा देते आये है कि उसको ससार के सुखो को त्यागकर, राग-द्वेष के बन्धनो को काटकर और मिथ्यात्व के अन्धकार से मुक्ति पाकर सम्यक्त्व के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए । सम्यक्त्व मानव के गन्तव्य का पथ है और उसको अनन्त-शाश्वत-सुख की प्राप्ति इसी पथ पर चलने से मिल सकती है । फिर भी यदि अज्ञानवश मानव उस सत्य की उपेक्षा करता है तो इसमे वीतरागो का या शास्त्रकारो का क्या दोष है ?

सम्यक्त्व का विरोधी शब्द है, मिथ्यात्व । इन दोनो की अनादिकाल से तीन और छह के अक की तरह विमुखता रही है । जहाँ सम्यक्त्व की सत्ता है वहाँ मिथ्यात्व नही टिक सकता, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश के सद्भाव मे अन्धकार का अस्तित्व सभव नही है । मिथ्यात्व आत्मा का निजी गुण नही है

फिर भी वह तो बिना निमज्जन के अतिथि के समान आत्मप्रदेशो में छा जाता है। सम्यक्त्व की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न प्रकार की है। बिना बुलाये आने की तो बात दूर रही वह तो प्रयत्न करने पर और साधना करने पर भी बड़ी कठिनाई से आ पाता है। सम्यक्त्व एक प्रकार का प्रकाश है जिसकी उपलब्धि के लिए गहरी खोज करनी पड़ती है। जो खोजी हैं वे तो आध्यात्मिक तत्त्व की गहराई में पहुँच, उसे पाते ही है। तभी तो किसी ने कहा है

“जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पंठ”

इस सम्यक्त्व की प्राप्ति का पहला कदम सम्यक्त्व की वास्तविकता को समझना है और दूसरा कदम है सम्यक्त्य को ग्रहण करना या जीवन में उतारना। मिथ्यात्व को जीवन से सर्वथा निकाल देने पर ही सम्यक्त्व का ग्रहण संभव है।

शास्त्रकारों ने किसी भी बात को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए दो मार्गों का निर्देश किया है। पहला मार्ग यह है कि जिस वस्तु या तत्त्व को आप समझना चाहते हैं उसके विरोधी तत्त्व का ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरे शब्दों में सम्यक्त्व को जानने के लिए मिथ्यात्व को समझना परमावश्यक है। हम आपको मिथ्यात्व के स्वरूप को बताकर मिथ्यात्व के आचरण की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम तो मिथ्यात्व की रूपरेखा आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि बिना मिथ्यात्व के ज्ञान के आपको सम्यक्त्व का सही स्वरूप समझ में नहीं आ सकेगा। इसके विपरीत मिथ्यात्व के स्वरूप का ज्ञान होने पर सत्यासत्य का निर्णय भी आप स्वयं बड़ी सरलता से कर सकेंगे। विष और अमृत दो पदार्थ हैं। अमृत का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए क्योंकि वह अमरता प्रदान करता है परन्तु उसके साथ-साथ आपको विष का भी ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि विष का ज्ञान होने से आप अपने को उससे बचा सकेंगे। ससार में अनेक प्रकार के खाद्यपदार्थ हैं, जब तक आपको उनके स्वाद और गुण-दोष का पता नहीं होगा तब तक आप यह निर्णय कैसे कर सकेंगे कि अमुक पदार्थ ग्राह्य है और अमुक त्याज्य है। इसी-लिए हमने आपको कहा कि सम्यक्त्व के सही ज्ञान के लिए हमें उसके विरोधी तत्त्व मिथ्यात्व का भी ज्ञान होना चाहिए। मिथ्यात्व के ज्ञान से आपको भली प्रकार पता चल जायेगा कि अमुक प्रकार का विचार या पदार्थ मिथ्यात्व के घेरे में घाता है, अतः उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और अमुक विचार सम्यक्त्व की ओर प्रेरणा देने वाला है, अतः उसको जीवन में उतारना चाहिए।

अनादि काल से जो हमारे स्वभाव का एक अंग बनकर हमारे साथ चिपका

हुआ है और हमें जन्म-मरण के चक्कर में भटका रहा है वह मिथ्यात्व है। तीव्र राग और द्वेष भी मिथ्यात्व के दूसरे नाम हैं। यह राग-द्वेष की शृंखला भी अनादिकाल से जीव के साथ जुड़ी हुई है जो मिथ्यात्व को जन्म देने वाली है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाने वाली है। मिथ्यात्व के साथ कषायों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है।

प्रसगानुकूल होने से यहाँ थोड़ा प्रकाश 'कषाय' शब्द पर भी डालना आवश्यक है। कषाय शब्द का निर्माण दो शब्दों की सन्धि से होता है कष+आय। लोक भाषा में मूढान्य 'ष' का दन्त्य 'स' बन जाना एक सामान्य बात है जैसे कृष्ण का किसन और भाषा का भासा। लोक में कस का प्रचलित अर्थ है—सार। कचन और कामिनी को ही जगत् में सारभूत माना जाता है। किन्तु वास्तव में ये दोनों, लोभ और वासना के पोषक होने के कारण, निस्सार हैं—सारहीन हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कस शब्द सारहीनता का द्योतक है। आय का अर्थ आप जानते ही है, आमदनी होता है। तो कषाय का अर्थ हुआ सारहीनता की वृद्धि करने वाला। यह सारा का सारा ससार सारहीनता का ही तो जीता-जागता रूप है। सस्कृत में ससार का अर्थ ससरण-परिभ्रमण करना है, जाना और आना है। यह जाना-आना, आवागमन किसी उद्देश्य में नहीं किन्तु निरुद्देश्य है। जीवों को कोई दिशा ज्ञान नहीं होता और न ही कोई मजिल ही उनके लक्ष्य में होती है। ससारी जीव मात्र भटकते रहते हैं ठीक वैसे ही जैसे वस्त्र से जल को छानते समय जल के जीव नीचे-ऊपर, दायें-वायें निरुद्देश्य विलबिलाया करते हैं। जन्म-मरण, कभी इस योनि में, कभी दूसरी में, कभी नरक, कभी तिर्यच, कभी मनुष्य और कभी देवगति में भटकने को ही ससार कहते हैं। जन्म-मरण की वृद्धि ससार की वृद्धि है और जन्म-मरण की कमी ससार का ह्रास है।

जिनके कारण से ससार का प्रवाह चल रहा है, जन्म-मरण की शृंखला प्रगतिशील है और आवागमन का उत्तरोत्तर विकास होता चला जा रहा है, उनको कषाय कहा जाता है। उन कषायों की सरया चार हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कषाय आत्मा को आवागमन के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं और प्रेरणा भी। इन चारों कषायों के बढ़ने से आत्मा का आवागमन घटता है। क्रोध के मन्द पड़ने से क्षमा की भावना प्रतिष्ठित होती है, मान को कम करने से आत्मा में विनय का गुण उजागर होता है, मान नामक कषाय की मन्दता के आने से आत्म-प्रदेशों में विनम्रता छा जाती है, माया-कषाय की मन्दता से-न्यूनता से आत्मा में सरलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और कषय की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार इन तीनों योगों में एकरूपता आ जाती है। दूसरे शब्दों में मन में उद्भूत भावना, वाणी द्वारा

अभिव्यक्त शब्द और काया द्वारा अनुष्ठित कर्म—इन तीनों में समरूपता प्रकट हो जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मा मात्र आत्मा न रहकर 'महात्मा' के पद को प्राप्त करता है। उस महात्मा का लक्षण करते हुए ही किसी मनीषी ने लिखा है

“मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्”

अर्थात्—

महात्मा लोग तो मन से, वाणी से और कर्म से एकरूप होते हैं। दूसरे शब्दों में उनके जो मन में होता है, वही वाणी में अभिव्यक्त होता है और जो वाणी में अभिव्यक्त होता है, वही कार्यरूप में परिणत होता है।

यहाँ 'महात्मा' शब्द से हमारा अभिप्राय भिन्न-भिन्न वेशधारी साधुओं से नहीं है किन्तु महात्मा का यहाँ अर्थ है 'वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा को मन, वचन और काया की एकरूपता से उत्तरोत्तर उन्नत बनाता है।' उदाहरण के लिए एक तीन हाथ लम्बी लकड़ी है। हम उसे एक आख से सीधा करके देखे तो वह अपने आदि, मध्य और अन्त तक के रूप में सर्वथा सीधी दिखाई देगी। हम उसे कहेंगे सरल यष्टि या सीधी लकड़ी। उतनी ही लम्बी किन्तु बाँकी एक दूसरी लकड़ी को उसी प्रक्रिया से हम देखेंगे तो वह आदि, मध्य और अन्त में वक्रता लिए दिखाई देगी। तो हमारे प्रिय श्रोताओं! हम भी सभी तीन हाथ की लम्बी इस शरीर रूपी लकड़ी को धारण करने वाले हैं। यदि शरीर में मन, वचन और काया के योग समरूप है तो हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही कहते भी हैं और जैसा कहते हैं वैसा ही आचरण भी करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं कि हमारे में नम्रता, निरभिमानता और निष्कपटता जैसे गुणों की विद्यमानता रहती है। इन गुणों का हमारी वेशभूषा, खानपान, रहन-सहन और सामाजिक रीति-रिवाजों से कोई सम्बन्ध नहीं है, इनका सम्बन्ध तो चेतन से है। यदि हमारे मन, वचन और काया—तीनों आत्मा में एकाकार हो चुके हैं तो हम निश्चय ही महात्मा की कोटि में आ जायेंगे। अन्यथा यदि

“मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्”

हमारे मन में कुछ और है, वचन में मन से भिन्न वस्तु है और कर्म में दोनों से भिन्न है तो हमारी गणना दुरात्माओं में होगी।

कपायो में चौथा स्थान है लोभ का। निरन्तर बढ़ने वाली तृष्णा या लालच को लोभ कहते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है

“लोभ लाय लागी अति, भूल्यो जिनराज को।”

जिनराज को भूल जाना तो बहुत दूर की बात है यह लोभाग्नि तो आत्मा के निजी गुणों को जलाने की भी शक्ति रखती है । इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है

“लोभश्चेद् अगुणेन किम्”

अर्थात्—तुमने यदि लोभ नाम का दुर्गुण है तो वह अकेला ही पर्याप्त है, फिर दूसरे दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं होती । वह तो अकेला ही सब दुर्गुणों की पूर्ति करने वाला है ।

संस्कृत के विद्वानों ने भी लोभ के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए लिखा है

“लोभात्क्रोध प्रभवति लोभात्काम प्रजायते ।
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम् ॥
लोभात्क्रोध प्रभवति क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते ।
द्रोहेण नरक याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षण ॥

सु० २० भा०, पृष्ठ १०१

अर्थात्—

लोभ से क्रोध की उत्पत्ति होती है और लोभ से ही कामवासना भी जन्म लेती है । जीव को भ्रान्ति में डालने वाला मोह नाम का विकार भी लोभ से पैदा होता है । लोभ पाप का कारण भी है और मनुष्य का नाश करने वाला है ।

लोभ से क्रोध पैदा होता है और उसी क्रोध के परिणामस्वरूप दूसरों के प्रति शत्रुता उत्पन्न होती है । यह शत्रुता तो ऐसा दुर्गुण है कि इसके आ जाने से बड़ा से बड़ा शास्त्र का ज्ञाता विद्वान् भी नरकगामी बनता है ।

लोभ अन्तहीन होता है और अनेक प्रकार का होता है । धन, परिवार, यश-प्रतिष्ठा आदि अनेक प्रकार के लोभों से प्राणी घिरा रहता है । लोभ किसी भी प्रकार का हो वह आत्मा को पतनोन्मुख बनाने वाला है और जन्म-मरण के चक्कर में डालने वाला है । अधिक से अधिक लाभ अधिक से अधिक लोभ के सबर्धन का कारण है । तभी शास्त्रकार कहते हैं ;

“लाहा लोहो पवड्ढई”

उत्तर० ८/१७

अर्थात्—

जितना अधिक से अधिक लाभ होता जायेगा उतना ही लोभ और बढ़ता

जायेगा । यहाँ तक कि

“कसिण पि जो इम लोय, पडिपुण्ण दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणावि से ण सतुस्से, इइ पुप्पूरए इमे आया ॥

वही, ८/१६

धन-धान्य से परिपूर्ण यह सारा का सारा विश्व भी यदि किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाये, तब भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इस प्रकार लोभी व्यक्ति या आत्मा की दुप्पूर—अर्थात् कभी भी तृप्त न होने वाली लालसा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता ।

यदि आप लोभ से पिड छुड़ाना चाहते हैं, लोभ की ज्वाला में धर्म-रत्न आत्मगुणों को भस्म होने से बचाना चाहते हैं और आत्मा को उच्च आत्मिक भूमिका में पहचाना चाहते हैं, तो आपको नफे की भावना को कम करना होगा, लाभ की सरया को कम करना होगा । लाभ का त्याग करने से ही लोभ से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । उत्तराध्ययन सूत्र के आठवें अध्ययन में कपिल ब्राह्मण का प्रसंग आता है । वहाँ कहा गया है

“दो मासकय कज्ज, कोडिए वि न निदिठ्य ॥”

उत्तर० ८/१७

अर्थात्—दो मासे सोने से सन्तुष्ट होनेवाला करोडो स्वर्णमुद्राओं से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाया था । यह लाभ की तृष्णा तो ऐसी है जो द्रौपदी के चीर की भाँति बढ़ती ही जाया करती है । भगवान् ने इसीलिए इस पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है ।

क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चारों कषायों का सम्यक्त्व से सीधा सम्बन्ध है । इन चारों कषायों की तीव्रता की अवस्था में सम्यक्त्व को ठेस पहुँचती है । इन चारों के मद पडने से ही सम्यक्त्व को लाभ पहुँचता है । ये मन्द तभी पड सकती हैं जब साधक की सुगुरु, सुदेव और सुधर्म पर दृढ श्रद्धा हो । ऐसी दृढ श्रद्धा जीव को कषायों से रोकती है और सम्यक्त्व की ओर प्रवृत्त कराती है ।

पूर्ववर्णित चार कषायों के भी प्रत्येक के चार-चार भेद होते हैं (१) अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, (२) अप्रत्याख्यानानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, (३) प्रत्याख्यानानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ और (४) सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ।

अनन्तानुबन्ध

यह शब्द दो शब्दों की सन्धि से बना है अनन्त-+अनुबन्ध में मूल शब्द बन्ध है और अनु उपसर्ग है। बन्ध का अर्थ है 'बन्धन या गाँठ।' तो अनुबन्ध का अर्थ हुआ बन्ध के पीछे बन्ध। ऐसे बन्ध अन्तहीन होते हैं। इन अनुबन्धों की सख्या अनन्त होने के कारण इनको 'अनन्तानुबन्धी' कहा जाता है। जब तक इन अनन्तानुबन्धों की सत्ता जीव में रहती है, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं होती। सुगुरु, सुदेव और सुधर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट होती ही नहीं। ऐसी अवस्था में तो मिथ्यात्व का राज्य रहता है। इस अवस्था में रहने वाला मिथ्यात्वी व्यक्ति यदि व्रत प्रत्याख्यान आदि धार्मिक क्रियाएँ करता भी है तो उनका कोई भी मूल्य नहीं होता। इन व्रत-प्रत्याख्यानादि क्रियाओं के पहने तीव्र कपायों का परित्याग अत्यावश्यक है। मिथ्यात्वी की सभी क्रियाएँ पापरूप मानी जाती हैं और सम्यक्त्वी की धर्म-रूप।

अप्रत्याख्यानावरण

जिस क्रोध, मान, माया और लोभ के कारण व्रत-प्रत्याख्यानादि का सम्पादन संभव न हो सके और जिनके मिटने से ही प्रत्याख्यान आये, वह प्रत्याख्यानावरण कपाय कहलाता है। भगवान् महावीर से गौतम गणधर पूछते हैं

गौतम "कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैंने अमुक वस्तु का त्याग कर दिया है। तो प्रभु! वह सुप्रत्याख्यानी है अथवा दुष्प्रत्याख्यानी? उसका कथन सत्य है अथवा असत्य?"

भगवान् महावीर "अथ गौतम! वह व्यक्ति सच्चा भी है और भ्रूठा भी। उसका कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। वह सुप्रत्याख्यानी भी हो सकता है और दुष्प्रत्याख्यानी भी।"

गौतम "भगवन्! ऐसा कैसे? यह तो द्विपक्षीय उत्तर हुआ। इसमें निर्णय कैसे लिया जा सकेगा?"

भगवान् महावीर "गौतम, तुमने भी अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है। यदि उस व्यक्ति को अपने प्रत्याख्यान के प्रति, अपने त्याग प्रति सम्पूर्ण जानकारी है, उसके नियम, आगार और व्रत-भंग के कारणों का उसे बोध है और जीवादि नवतत्त्वों का उसे ज्ञान है, तो वह सुप्रत्याख्यानी है, सच्चा है, अन्यथा वह भ्रूठा है, असत्यानुगामी है और दुष्प्रत्याख्यानी है।"

स्वामी जी श्री चौथमल जी महाराज अपने व्याख्यानो में फरमाया करते थे कि पचखाण तीन प्रकार के होते हैं (१) अन्धे पचखाण, (२) कान्धे पचखाण और (३) सूक्ष्मे पचखाण। अन्धे पचखाण का अर्थ होता है कि न तो पचखाण लेने वाले को पचखाण के सम्बन्ध में जानकारी होती है और न ही

पचखाण करानेवाले को । पचखाण कराते समय राजगत, देवगत, गाव-गोठ, मुख समाधि, कारण विशेष आदि आगार रखते हैं । इस प्रकार पचखाण करते-कराते समय सभी आगार रख लिये जाते हैं । करने और कराने वाले खुश तो दोनों हो जाते हैं किन्तु उस प्रत्याख्यान का कोई लाभ नहीं होता । इस प्रकार के प्रत्याख्यानो को अन्धे प्रत्याख्यान ही कहना चाहिए । एक मारवाडी भाषा का उदाहरण इस बात को और भी स्पष्ट कर देगा

“किसी महाजन के घर एक अतिथि आ गया । उसका महाजन ने बड़ा स्वागत किया । उसको अच्छा भोजन खिलाया । शाम हुई तो ज्ञात हुआ कि अतिथि साहब रात्रि को भी महाजन के यहाँ ही विश्राम करेंगे । महाजन के घर अतिरिक्त खाट नहीं थी । महाजन पडौसी के घर गया और अतिथि के लिए खाट मागी । उत्तर में पडौसी ने कहा

“खाट तो है सा पण ईसा कोनी ।”

महाजन “कोई बात नहीं, कोई लम्बी लकड़ी लेकर फसा लेंगे ।”

पडौसी ‘जणा व्हा सा, म्हारी तो ना कोनी पण उपला भी आपने ई ज घालणा पडसी ।’

महाजन “उपला ई घाल देस्या ।”

पडौसी “वा सा वा जरे तो आप चारो पागा भी डाल दीजो ने विचलो कामलभोल भी ।”

“ईस नहीं, उपला नहीं, नहीं है चारू पाया ।

विचलो कामल भोल नहीं, ओ साचो लेरे भाया ॥”

आप स्वयं सोचिये कि खाट देने वाले पर क्या जोर पडा ? और खाट लेने वाले के हाथ में भी क्या आया ? ठीक इसी प्रकार के होते हैं अन्धे प्रत्याख्यान, बिना सार के और बिना महत्त्व के । ऐसे प्रत्याख्यान न तो दिलाने का कोई लाभ है और न ही लेने का ।

दूसरा पचखाण है ‘काणे पचखाण’ । दिलाने वाला और लेने वाला—दोनों में से यदि एक ही व्रत के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी रखते हों तो वह काणा पचखाण होता है । यदि दोनों पचखाण के भली प्रकार जानने वाले हों तो वे ‘सूभते पचखाण’ होते हैं । अब हमारी स्थिति क्या है—यह विचारणीय बात है । हम पचखाण दिलाने वाले हैं और आप लेने वाले हैं । हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा दिलाये गये और आप द्वारा लिये गये पचखाण अन्धे और काणे नहीं होने चाहिए ।

प्रत्याख्यानावरण

क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायो का यह प्रकार ऐसा है, जिसे

प्रत्याख्यान द्वारा छोड़ा जा सकता है। सद्गुरु के उपदेश से, शास्त्र के पठन-पाठन से, सत्संगति से अथवा अन्य किसी अच्छे बाह्य निमित्त से उक्त प्रत्याख्यानावरण कषाय से मुक्ति पाई जा सकती है।

सज्वलन

क्रोध, मानादि का यह प्रकार पानी के बुलबुले की तरह क्षणस्थायी होता है। क्रोधादि कषाय सिर तो उठाते हैं परन्तु भव्यात्माएँ उन्हें शमन कर देती हैं, वे चिरकाल तक टिक नहीं सकते। सज्वलन कषायों में मन्दता के कारण मिथ्यात्व लुप्त हो जाता है और सम्यक्त्व का प्रकाश स्वतः प्राप्त हो जाता है।

सम्यक्त्व-प्राप्ति तो प्रथम अनन्तानुबन्ध प्रकार के कषाय के नाश से ही हो जाया करती है किन्तु शाश्वत सुख प्राप्त तक के लक्ष्य की पूर्ति अप्रत्याख्यानादि शेष तीन प्रकारों के कषायों के नाश से ही हो सकती है।

तीव्र कषाय, मिथ्यात्व के कारण होते हैं अतः क्रोध को वश में कीजिये, मान में मन्दता लाइयें, माया का त्याग करिये और लोभ को मिटाइयें। ऐसा करने से आपका हृदय सम्यक्त्व के प्रकाश से जगमगा उठेगा। उसी प्रकाश से प्रकशित आत्मा ही मुक्ति के शाश्वत सुख का आनन्द देगा। सम्यक्त्व इस लोक में भी और परलोक में भी अनन्त सुख का कारण बनेगा। सम्यक्त्व का ज्ञान प्राप्त कीजिये और उसे अपने जीवन में उतारिये।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२४ जुलाई, १९७६





क्या हास्य कषायों का बीज है ?

अणथोव वणथोव, अग्नीथोव कसायथोव च ।

ण ह्रु मे वीससियव्व, थोव पि ह्रु ते वहुँ होइ ॥

आवश्यक निर्युक्ति, १२०

अर्थात्—ऋण, व्रण (घाव), अग्नि और कषाय—इनका यदि थोडा-सा अंश भी अवशिष्ट रह जाये तो उसकी भी कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इनका अल्प अस्तित्व भी बढ़ता-बढ़ता विशाल रूप ग्रहण कर लिया करता है ।

कोह माण च माय च, लोभ च पाववड्ढण ।

इमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियमप्पणो ॥

दशकालिक ८/३७

अर्थात्—

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारो कषाय पाप की वृद्धि करने वाले हैं, अतः अपनी आत्मा का हित चाहने वाला साधक इनका परित्याग कर दे ।

हाँ, तो मैं आपसे कल कह रहा था कि जीव सासारिक सुखों से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही शाश्वत सुख प्राप्त कर सकता है । बन्धनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष की दशा कहलाती है । बन्धन के विपरीतार्थक शब्द को ही मोक्ष कहा जाता है । बन्धन के जो अनेक भेद-प्रभेद हैं उनमें कषायों का भी उल्लेख है ।

कषायों को भी यदि भेदों में विभक्त किया जाये तो एक-एक कषाय के चार-चार भेद बन जाते हैं । आत्मा में क्रोध की उत्पत्ति से लेकर अन्त तक एक जैसी स्थिति बने रहना—क्रोध का एक भेद है । “क्रोध के आन्तरिक और बाह्य अभिव्यक्त लक्षणों से क्रोध का सतुलितरूप में एक ही स्थिति में बने रहना कैसे सम्भव हो सकता है ?” ऐसा सदेह करने की आवश्यकता नहीं । हमारा कहने का अभिप्राय क्रोध की आन्तरिक और बाह्य दशा की सतत एकरूपता से

नहीं है। क्रोध के आने की स्थिति को 'उदय' कहते हैं और क्रोध के शान्त होने की अवस्था को 'उपशम' कहते हैं। उदय और उपशम इन दो शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शास्त्रकारों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मिट्टी से घुले-मिले पानी को गन्दा पानी कहते हैं। मिट्टी के मिश्रण के कारण वह पानी मिट्टी के रंग का दिखाई देता है। गंदे पानी के गन्देपन की स्थिति को हम उदय स्थिति कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध नाम का विकार मानसिक स्थिति से गुजरता हुआ मन और वचन में घुलता-मिलता, काया में अभिव्यक्त होता है। मनुष्य को जब क्रोध आता है तो उसके शरीर में क्रोध के सारे चिह्न प्रकट हो जाते हैं। ओठों में फडफडाहट आरम्भ हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं और नसों में रक्त का प्रवाह तीव्र गति पकड़ जाता है। क्रोधी व्यक्ति सामने आने वाले प्रतिपक्षी को चुनौती देने लगता है। यह क्रोध का जागृत रूप है। क्रोध मन में आया तो मन को विकृत किया, वाणी में अभिव्यक्त हुआ तो अपशब्द निकलने लगे और शरीर में संचरित हुआ तो शरीर की सारी चेष्टाएँ ही विकृत रूप में सामने आईं। इसी को क्रोध की उदय स्थिति कहते हैं। अपने उदय की स्थिति में क्रोध ने मन, वचन और काया इन तीनों की स्वच्छता, पवित्रता और निर्दोषता नष्ट कर दी और उनको गन्दा और अपवित्र बना दिया।

शास्त्रकारों ने क्रोध की तुलना अग्नि से की है। पानी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग जला दी जाती है। आग की गरमी से जल अधिकाधिक गर्म होता हुआ अन्त में उबलने लगता है। उबलने की स्थिति में नीचे के परमाणु ऊपर और ऊपर के नीचे जाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध नाम की अग्नि की गर्मी से मनुष्य के मन, वचन और काया तीनों उबलने लगते हैं। यही कारण है कि क्रोधी मनुष्य को देखकर लोग सहसा कहने लगते हैं "इसे तो आज बहुत उबाल आ गया है।" क्रोध की यह उदय स्थिति अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें वह विवेकशून्य और हिंसक बन जाता है।

पानी अपने वास्तविक स्वरूप में स्फटिक के समान अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल होता है परन्तु मिट्टी के मिश्रण से वह गन्दला हो जाता है। यही पानी के विकार की उदय स्थिति है। यदि गन्दे पानी के पात्र को कुछ समय तक निश्चल अवस्था में रखा जाये तो उसके रजकण नीचे बैठते जाते हैं और पानी उत्तरोत्तर स्वच्छ होता जाता है। जो कण पानी को गन्दला कर रहे थे वे पानी से बाहर नहीं निकले हैं, केवल नीचे जाकर जम गये हैं। रजकणों के नीचे जमने की यही अवस्था जल के विकार की उपशम अवस्था है। अब यदि उस स्वच्छ जल का किसी अन्य बर्तन में निकाल लिया जाये और उसमें जमे धूल कणों को दूर फेंक दिया जाये, तो जल को अनेक प्रकार से हिलाने-

विधि विधानों का उसने अनुष्ठान किया। अन्त में जब उसने पचो के सामने जाति में पुनः सम्मिलित करने की प्रार्थना की तो पचो में से किसी ने उससे पूछा, “जिस बैल की हत्या करने के कारण तुमको इतना कठोर दण्ड भुगतना पड़ा है, वह बैल यदि इस समय तुम्हारे सामने आ जाये तो तुम क्या करोगे?” यह सुनते ही गोहत्यारे ब्राह्मण की क्रोध से आखें लाल हो गईं और कहने लगा, “जिस बैल के कारण मुझे इतनी शारीरिक और मानसिक यातनाएं भोगनी पड़ी हैं और बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा है, वह यदि मेरे सामने आ जाये तो मैं पुनः उसकी हत्या कर दूंगा।” सरपच ने कहा, “यह व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है क्योंकि पश्चात्ताप की क्रिया के बाद भी इसका क्रोध जैसा बैल की हत्या के समय था वैसा ही बना हुआ है।” क्रोध की ऐसी आजीवन स्थिति क्रोध का प्रथम प्रकार है।

क्रोध की दूसरी अवस्था एक वर्ष तक एक-सी रहती है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति बीते प्रसंग की चर्चा भी करे तो भी उसका मन विकृत नहीं होता।

तीसरे प्रकार का क्रोध चार मास पर्यन्त एक सरीखा रहता है। चार महीने के पश्चात् उसकी क्रोध की प्रकृति समाप्त हो जाती है। उसके मन में महान् परिवर्तन आ जाता है।

चौथे प्रकार के क्रोध की स्थिति केवल पन्द्रह दिन तक ही रहनी है। पन्द्रह दिन के पश्चात् यदि क्रोध उत्पन्न हो जाये तो वह तुरन्त इसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे पानी में खीची गयी लकीर। यह पानी की लकीर कासा क्रोध प्रायः उत्तम व्यक्तियों में ही देखने को मिलता है।

उत्तमोत्तम व्यक्तियों में तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। इसका कारण है कि क्रोध को उत्पन्न करने वाला उनका मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका होता है। मोहनीय कर्म के क्षय होने के बाद अन्तर्मुहूर्त में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय कर्म भी क्षय हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों में कभी क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं। ऐसे ही व्यक्तियों को सर्वज्ञ, वीतरागी, केवलज्ञानी आदि नामों से पुकारा जाता है।

शास्त्रकारों ने कषायों की एक विशाल वृक्ष से तुलना की है जिसका केवल तना ही नहीं होता किन्तु शाखाएँ व प्रशाखाएँ भी होती हैं, जिनके फल जाने से कषाय विस्तार रूप धारण कर लेता है। कषायों का सकुचित रूप ‘नोकषाय’ है। यहाँ नोक का अर्थ निषेध नहीं है किन्तु थोड़ा या अल्प है। दूसरे शब्दों में हम इसे थोड़ा-थोड़ा कषाय कह सकते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ ये बुरे कषाय हैं। इनके उदय में आते ही व्यक्ति क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी के रूप में हमारे सामने आता है। नौ बातें ऐसी हैं जिनसे

यह नहीं प्रतीत हो पाता कि कषाय उदय मे है । वे सोलह कषायो के बीज रूप मे हैं । जिसने वृक्ष के बीज को नहीं देखा वह ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता कि इतने बड़े वृक्ष का इतना छोटा बीज भी हो सकता है । 'नोकषाय' कषायो का बीज रूप है । आशिक रूप मे जो कषाय है, वे नौ प्रकार के है । इनमे से पहला नोकषाय 'हाम्य' है । यह कषाय नहीं 'नो कषाय' है । कषायो के फैलाव की 'हास्य' आधारशिला है । या फिर यो भी कहा जा सकता है कि 'हास्य' कषायो का बीज है । जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही हास्य से कषाय उत्पन्न होते है । हास्य से क्रोध की उत्पत्ति भी होती है । हम किसी की हसी करें, मजाक उडायें तो हसी के लक्ष्य को क्रोध आ जाता है । मारवाडी भाषा मे एक कहावत प्रसिद्ध है ।

“एक मसखरी री सौ गाल”

एक मसखरी करने वाले को सौ गालियाँ खानी पडती है ।

क्रोध का प्रकरण चल रहा है । कई बार क्रोध बिना कारण भी आ जाता है । जब वह उदयावस्था मे होता है तो बाहरी निमित्त चाहे मिले, चाहे न मिले, क्रोध की अभिव्यक्ति हुए बिना नहीं रहती । शास्त्रकारो ने क्रोध का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है—“आयट्ठयाए, परट्ठयाए, तट्ठभयट्ठयाए,” कि क्रोध अपने लिए भी उत्पन्न होता है, दूसरे के लिए भी उत्पन्न हो सकता है, अपने और पराये दोनो के लिए भी उत्पन्न हो जाता है और बिना कारण भी उसकी उत्पत्ति सभाव्य है । इस प्रकार क्रोध के चार भेद होते है । सोलह मे चार का गुणा करने पर ६४ भेद हो जाते है । शास्त्रकारो ने प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा से भेद करते-करते १३०० भेद कर दिये है और सभी कषायो के मिलकर ५२०० भेद होते है । इस प्रकार जैसा कि हम पहले जिक्र कर आये है कषायो का एक विशाल वृक्ष हमारे सामने आता है ।

हास्य नामक नोकषाय मे यद्यपि क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषाय प्रत्यक्षरूप मे हमे प्रतीत नहीं होते किन्तु तो भी हास्य इन सभी कषायो का बीज है । हास्य से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है इसका उदाहरण हम दे चुके है । हास्य से मान की उत्पत्ति भी होती है । किसी को देखकर हसने का अर्थ होता है कि हम उसको तुच्छ समभते है और अपने-आपको उससे बडा समभते है । इस भावना मे छिपा हुआ मान या अभिमान स्पष्ट झलक रहा है । माया भी हास्य से उत्पन्न होती है । मायावी मनुष्य ऊपर से सदा प्रसन्नचित रहता है । उसके मन मे चाहे कितना ही कपट भरा हो किन्तु ऊपर से वह हसमुख रहता है । एक विद्वान् ने उसका वर्णन करते हुए लिखा है

“मुख पद्मदलाकार वाणी चदनशीतला”

अर्थात्—उसका मुख कमल की पखुडी के समान खिला हुआ रहता है और वाणी चन्दन जैसी शीतलता प्रदान किया करता है। परन्तु

“हृदय कर्तरीयुक्तम्”

उसके हृदय में कतरनी छिपी रहती है। मौका पाते ही वह सर्वनाश तक कर देता है। यह तीसरा लक्षण हृदय के अन्दर गुप्त रहता है, बाहर प्रकट नहीं होता। ऐसा मायावी व्यक्ति मूर्खों या भोले लोगों को ही ठगने में समर्थ होता है, मतिमानों को नहीं। विचक्षण लोग तो अपनी प्रतिभा के बल से उसके अन्तर में छिपी माया को पहचान लेते हैं। वे कदापि मायाजाल में फसकर अपना नाश नहीं करते। मायावी लोगों के चक्कर में प्रायः ऐसे लोग फस जाते हैं जिनको तृष्णा या लालच होती है। जो परिग्रह-परिमाण-व्रत को लेकर चलते हैं और अनेक प्रकार के व्रत, पचखानों का पालन करते हैं, वे ही वस्तुतः चतुर या विचक्षण कहलाने के योग्य हैं। ऐसे ही लोगों की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है

“तुलसी सोई चतुरता, ईश-शरण जिन लीन”

अर्थात्—जिसने ईश्वर की शरण ले ली है, वही वास्तव में चतुर है।

हमारी आज की चर्चा का विषय था कि हास्य एक नोकषाय है जिसमें सभी कषायों के बीज निहित हैं। हास्य से क्रोध, मान, माया और लोभ सभी उत्पन्न होते हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि जो बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम कषायों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। सामान्यरूप से मुमुक्षु के लिए तो सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति पाना आवश्यक है। मुर्यरूप से बन्धन का कारण राग है। राग से ही द्वेष की उत्पत्ति होती है। बाह्य रूप में तो हास्य भी राग का कारण प्रतीत होता है किन्तु इसमें विद्वेष का समावेश है। जब हम किसी को तुच्छ दृष्टि से देखा करते हैं तब भी हमें हसी आ जाती है। ऐसी स्थिति में हास्य राग का कारण न होकर द्वेष का कारण बनता है। राग और द्वेष के साथ ही नोकषायों का सम्बन्ध है। ये सब मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियाँ हैं। अठाईस प्रकार से मोहनीय कर्म आत्मा का लालन-पालन करता है—ठीक वैसे ही जैसे बालक का लालन-पालन किया जाता है। इसी प्रकार यह मोहनीय कर्म अठाईस प्रकार से आत्मा को ललचाता रहता है। मुमुक्षु को इस कर्मवीर मोह से सदा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीव शाश्वत सुख की ओर अग्रसर हो सकता है।

जैन भवन, डेह (नागौर)

२५ जुलाई, १९७६



चमत्कार को नमस्कार

कल हमने आपके समक्ष क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार कषायों का जिक्र किया था। कषायों के भेद-उपभेदों की सक्षिप्त रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला था। कुछ बातें रह गयी थीं जिनकी चर्चा आज की जायेगी। प्रत्येक कषाय अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यारयान, प्रत्यारयान और सज्वलन के रूप में चार प्रकार का होता है। अनन्तानुबन्धी का अर्थ है अनुबन्ध का अनन्त रूप में होना। बन्ध के बाद बन्ध की शृंखला चलती रहती है। इस प्रकार अनुबन्ध अनन्त है।

ग्रथों में मानतुगाचार्य का एक प्रसंग आता है। मानतुगाचार्य को राजा ने द्वेषवश अडतालीस कोठरियों में बन्द कर दिया था, पैरों में और हाथों में बेड़ियाँ तथा हथकड़ियाँ डाल दीं। गले में तोखें डाल दीं, सारा शरीर जजीरो से जकड़ दिया। आचार्य निरपराध थे। कारण यह था कि उस समय के पण्डित राजा के सामने अपने-अपने देवी-देवताओं की स्तुति करते थे और उसको अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते थे। राजा उनके चमत्कारों से बड़ा ही प्रभावित था। वे पण्डित अपने हाथ पैर काट कर देवी देवताओं के सामने रख देते थे और फिर देवी-देवताओं की ऐसी स्तुति करते थे कि उनकी स्तुति के परिणामस्वरूप उनके कटे हुए हाथ-पैर पुनः शरीर के साथ जुड़ जाते थे। राजा उनके इस प्रकार के चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। वे पण्डित जो कुछ भी आदेश देते थे राजा उसका पालन करता था। पण्डित लोग अपने चमत्कारों द्वारा राजा को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करते थे किन्तु उसमें मिथ्याचार की भावना भी भरते थे। वे अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए निजधर्म की तो मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे और दूसरे धर्मों को घोर निन्दा करके राजा के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न करते थे। जैन धर्म की बुराई करना तो उनकी दैनिकचर्या में सम्मिलित था। इसका कारण राजा के प्रधानमंत्री का जैन होना था। कई अवसरों पर तो पण्डित लोग मंत्री को उपस्थिति में राजा को कह देते कि "जैन धर्म में कोई सार

अर्थात्—उसका मुख कमल की पखुडी के समान खिला हुआ रहता है और वाणी चन्दन जैसी शीतलता प्रदान किया करता है। परन्तु

“हृदय कर्तरीयुक्तम्”

उसके हृदय में कतरनी छिपी रहती है। मौका पाते ही वह सर्वनाश तक कर देता है। यह तीसरा लक्षण हृदय के अन्दर गुप्त रहता है, बाहर प्रकट नहीं होता। ऐसा मायावी व्यक्ति मूर्खों या भोले लोगों को ही ठगने में समर्थ होता है, मतिमानों को नहीं। विचक्षण लोग तो अपनी प्रतिभा के बल से उसके अन्तर में छिपी माया को पहचान लेते हैं। वे कदापि मायाजाल में फसकर अपना नाश नहीं करते। मायावी लोगों के चक्कर में प्रायः ऐसे लोग फस जाते हैं जिनको तृष्णा या लालच होती है। जो परिग्रह-परिमाण-व्रत को लेकर चलते हैं और अनेक प्रकार के व्रत, पचखानों का पालन करते हैं, वे ही वस्तुतः चतुर या विचक्षण कहलाने के योग्य हैं। ऐसे ही लोगों की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है

“तुलसी सोई चतुरता, ईश-शरण जिन लीन”

अर्थात्—जिम्में ईश्वर की शरण ले ली है, वही वास्तव में चतुर है।

हमारी आज की चर्चा का विषय था कि हास्य एक नोकषाय है जिसमें सभी कषायों के बीज निहित हैं। हास्य से क्रोध, मान, माया और लोभ सभी उत्पन्न होते हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि जो बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम कषायों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। सामान्यरूप से मुमुक्षु के लिए तो सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति पाना आवश्यक है। मुरखरूप से बन्धन का कारण राग है। राग से ही द्वेष की उत्पत्ति होती है। बाह्य रूप में तो हास्य भी राग का कारण प्रतीत होता है किन्तु इसमें विद्वेष का समावेश है। जब हम किसी को तुच्छ दृष्टि से देखा करते हैं तब भी हमें हसी आ जाती है। ऐसी स्थिति में हास्य राग का कारण न होकर द्वेष का कारण बनता है। राग और द्वेष के साथ भी नोकषायों का सम्बन्ध है। ये सब मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियाँ हैं। अठारह प्रकार से मोहनीय कर्म आत्मा का लालन-पालन करता है—ठीक वैसे ही जैसे बालक का लालन-पालन किया जाता है। इसी प्रकार यह मोहनीय कर्म अठारह प्रकार से आत्मा को ललचाता रहता है। मुमुक्षु को इस कमवीर मोह से सदा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीव शाश्वत सुख की ओर अग्रसर हो सकता है।

जैन भवन, डेह (नागौर)

२५ जुलाई, १९७६





चमत्कार को नमस्कार

कल हमने आपके समक्ष क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार कषायों का जिक्र किया था। कषायों के भेद-उपभेदों की सक्षिप्त रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला था। कुछ बातें रह गयी थीं जिनकी चर्चा आज की जायेगी। प्रत्येक कषाय अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्वलन के रूप में चार प्रकार का होता है। अनन्तानुबन्धी का अर्थ है अनुबन्ध का अनन्त रूप में होना। बन्ध के बाद बन्ध की शृंखला चलती रहती है। इस प्रकार अनुबन्ध अनन्त है।

ग्रथों में मानतुगाचार्य का एक प्रसंग आता है। मानतुगाचार्य को राजा ने द्वेषवश अड़तालीस कोठरियों में बन्द कर दिया था, पैरों में और हाथों में वेडियाँ तथा हथकड़ियाँ डाल दी। गले में तोखें डाल दी, सारा शरीर जजीरों से जकड़ दिया। आचार्य निरपराध थे। कारण यह था कि उस समय के पण्डित राजा के सामने अपने-अपने देवी-देवताओं की स्तुति करते थे और उसको अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते थे। राजा उनके चमत्कारों से बड़ा ही प्रभावित था। वे पण्डित अपने हाथ पैर काट कर देवी देवताओं के सामने रख देते थे और फिर देवी-देवताओं की ऐसी स्तुति करते थे कि उनकी स्तुति के परिणामस्वरूप उनके कटे हुए हाथ-पैर पुनः शरीर के साथ जुड़ जाते थे। राजा उनके इस प्रकार के चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। वे पण्डित जो कुछ भी आदेश देते थे राजा उसका पालन करता था। पण्डित लोग अपने चमत्कारों द्वारा राजा को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करते थे किन्तु उसमें मिथ्याचार की भावना भी भरते थे। वे अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए निजधर्म की तो मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे और दूसरे धर्मों को घोर निन्दा करके राजा के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न करते थे। जैन धर्म को बुराई करना तो उनकी दैनिकचर्या में सम्मिलित था। इसका कारण राजा के प्रधानमंत्री का जैन होना था। कई श्रवणों पर तो पण्डित लोग मन्त्री को उपस्थिति में राजा को कह देते कि “जैन धर्म में कोई सार

चमत्कार का ही महत्त्व है। तुम हमारी मान्यता का प्रत्याख्यान करके हमारे ऊपर अपना सिक्का जमाना चाहते हो। इस प्रकार राजधर्म की तौहीन कभी भी सहन नहीं की जा सकती।”

राजा ने क्रोधपूर्ण आवेश में आचार्य को कहा और दण्डाधिकारियों को आदेश दिया, “इस जैनाचार्य को वेडियो और हथकड़ियों से कसकर कोठरी में कोठरी इस प्रकार अडतालीसवीं कोठरी में बन्द कर दिया जाये। अडतालीस वेडियो और अडतालीस ही तोखों से इसको ऐसे जकड़ दिया जाये कि तनिक भी हिलने-डुलने न पाये। वहाँ पर इसको भली प्रकार से समझ आ जायेगा कि चमत्कार का क्या महत्त्व होता है।”

राजाका पालन किया गया। आचार्य को यथादिष्टरूप में कोठरियों में बन्द कर दिया गया। आचार्य ध्यानस्थ होकर सोचने लगे, “आखिर इन कोठों की सख्या अडतालीस ही तो है। कोई अधिक नहीं। यहाँ तो जिसकी गिनती भी नहीं, अन्त भी नहीं ऐसे अनन्तानन्त अनुबन्धों से बंधे हुए आत्मा की मुक्ति हो जाती है। अनन्तानन्त अनुबन्धों से बंधा हुआ आत्मा भी जब छूटकर स्वतन्त्र हो सकता है तो फिर इन अडतालीस कोठरियों और अडतालीस वेडियों और जजीरों का बन्धन तो महत्त्व ही क्या रखता है? हमारा आत्मा वास्तव में अनन्तानन्त कर्म-वर्गणाओं से बन्धा हुआ है। शास्त्र में इसके लिए ‘आवेलीय पवेलीय’ इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तार के पास ही बिना किसी अन्तराल के दूसरे तीसरे आदि तारों को लपेटते जाना और उन लपेटे हुए तारों पर उसी क्रम से दूसरी ओर से बन्धन फिर लपेटने को ‘आवेलीय पवेलीय’ कहते हैं।

ठीक इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों पर अनन्तानन्त कर्मवर्गणाओं की आवेली-पवेली लगी हुई है। “उन कर्मवर्गणाओं से आवेष्टित-परिवेष्टित जब यह आत्मा भी बन्धनमुक्त हो सकता है तो फिर उसके सामने यह शारीरिक बन्धन तो नगण्य ही समझना चाहिए।”

ऐसा सोचकर मानतुगाचार्य ने बैठे-बैठे ही किसी सामान्य देवी-देवता की नहीं, ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे, नृन्नर-जुन्नर, दूर-जूर देवी-देवताओं की नहीं किन्तु भगवान् ऋषभदेव की स्तुति की। स्तुति भी किसी और की बनाई हुई नहीं थी किन्तु स्वरचित थी। भक्तामर या आदिनाथ स्तोत्र के एक-एक श्लोक की रचना के साथ-साथ क्रमशः एक-एक हथकड़ी, वेडी व तोख टूटती गई तथा साथ ही एक-एक कर कोठरियाँ खुलती गईं। इस प्रकार अडतालीसवें श्लोक की रचना के साथ ही अन्तिम कोठरी का ताला भी टूट गया और नत्थू-खैरे बाहर आ गये। राजा एवं प्रजा सभी इस आश्चर्यजनक घटना या चमत्कार से हैरान रह गये। किसने किया, कैसे किया, कैसे हुआ, किसको बुलाया अ

नहीं है, यह तो नास्तिकों का धर्म है।” आखिर किसी की बुराई सुनते-सुनते, बुराई का भी मन पर असर हो ही जाता है। एक दिन राजा ने अपने जैन मन्त्री से कहा, “देखो, ये वैष्णव पण्डित कितने पहुँचे हुए हैं, कितने बड़े-बड़े चमत्कारों के ये लोग धनी हैं। क्या आपके धर्म में चमत्कार की शक्ति नहीं है? यदि है तो आप भी वह शक्ति दिखाइये या अपने किसी सन्त-महात्मा को लाइये जो हमें चमत्कार दिखाये।” उत्तर में प्रधानमन्त्री ने कहा, “हमारे धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म चमत्कार में इसलिए विश्वास नहीं करता कि यह कोई आधारभूत तत्त्व नहीं है। चमत्कार में विश्वास रखना मानव हृदय की निर्बलता का प्रतीक है। चमत्कार को महत्त्व देने वाला भक्त आज किसी के सामान्य चमत्कार से प्रभावित होकर उसका अनुयायी बनता है तो कल किसी अन्य के बड़े चमत्कार से प्रभावित होकर पहले गुरु को छोड़कर दूसरे का चेला बन जाता है। इस प्रकार चमत्कार को नमस्कार करने वाला व्यक्ति मन की दुर्बलता के कारण पराश्रित रहता है और परावलम्बन की तलाश किया करता है। परमुखापेक्षी को कोई भी भुका सकता है। इसी पर तो लागू होती है यह कहावत ‘भुकती है दुनिया, भुकाने वाला चाहिए।’ भुकाने वाले का तो कुछ महत्त्व ही भी सकता है किन्तु भुकाने वाली दुनिया का क्या महत्त्व है। वह दुनिया तो दूसरों की गुलाम है, निज की शक्ति से हीन है।”

प्रधानमन्त्री की बात को सुनकर एक पण्डित ने व्यग्र-भाषा में राजा की ओर मुँह करके कहा, “इन लोगों के पास चमत्कार कारिणी विद्या है ही कहाँ जो दिखा सकें। यदि होती तो ऐसी टालमटोल की बातें क्यों करते।”

इसके उत्तर में प्रधानमन्त्री ने बड़ी दृढता से कहा, “ऐसी बात नहीं है। चमत्कार तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि सारा ससार हैरान रह जाये किन्तु जिसका चमत्कार में विश्वास ही नहीं है वह चमत्कार-विषयक प्रयास नहीं करता। हमारे धर्म में चमत्कार को नहीं किन्तु वस्तु-स्वरूप को महत्त्व दिया जाता है। अनादिकाल से चली आ रही हमारी धार्मिक परम्परा बड़ी ही सारगर्भित है। उसको समझने के लिए विवेकशीलता की आवश्यकता है।”

पण्डित ने महामन्त्री की बात को सारहीन बताकर उसका प्रतिवाद किया।

जिस नगर का यह प्रसंग चल रहा है, उसी नगर में उस युग के उच्चकोटि के तपस्वी और आध्यात्मिक तत्त्व के वेत्ता जेनाचार्य मानतुग विराजमान थे। राजा ने उन्हें राजसभा में बुलाया और अन्य पण्डितों के समान उन्हें भी चमत्कार दिखाने का आदेश दिया। मानतुगाचार्य ने भी प्रधानमन्त्री की बात को ही दुहराते हुए कहा, “हमारे धर्म में चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है।”

“तुम्हारे यहाँ चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है किन्तु हमारे यहाँ तो

चमत्कार का ही महत्त्व है। तुम हमारी मान्यता का प्रत्याख्यान करके हमारे ऊपर अपना सिक्का जमाना चाहते हो। इस प्रकार राजधर्म की तोहीन कभी भी सहन नहीं की जा सकती।”

राजा ने क्रोधपूर्ण आवेश में आचार्य को कहा और दण्डाधिकारियों को आदेश दिया, “इस जैनाचार्य को वेडियो और हथकड़ियों से कसकर कोठरी में कोठरी इस प्रकार अडतालीसवीं कोठरी में बन्द कर दिया जाये। अडतालीस वेडियो और अडतालीस ही तोखी से इसको ऐसे जकड़ दिया जाये कि तनिक भी हिलने-डलने न पाये। वहाँ पर इसको भली प्रकार से समझ आ जायेगा कि चमत्कार का क्या महत्त्व होता है।”

राजाज्ञा का पालन किया गया। आचार्य को यथादिष्टरूप में कोठरियों में बन्द कर दिया गया। आचार्य ध्यानस्थ होकर सोचने लगे, “आखिर इन कोठों की सख्या अडतालीस ही तो है। कोई अधिक नहीं। यहाँ तो जिसकी गिनती भी नहीं, अन्त भी नहीं ऐसे अनन्तानन्त अनुबन्धों से बँधे हुए आत्मा की मुक्ति हो जाती है। अनन्तानन्त अनुबन्धों से बँधा हुआ आत्मा भी जब छूटकर स्वतन्त्र हो सकता है तो फिर इन अडतालीस कोठरियों और अडतालीस वेडियों और जजीरो का बन्धन तो महत्त्व ही क्या रखता है? हमारा आत्मा वास्तव में अनन्तानन्त कर्म-वर्गणाओं से बन्धा हुआ है। शास्त्र में इसके लिए ‘आवेलीय पवेलीय’ इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तार के पास ही बिना किसी अन्तराल के दूसरे तीसरे आदि तारों को लपेटते जाना और उन लपेटे हुए तारों पर उसी क्रम से दूसरी ओर से बन्धन फिर लपेटने को ‘आवेलीय पवेलीय’ कहते हैं।

ठीक इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों पर अनन्तानन्त कर्मवर्गणाओं की आवेली-पवेली लगी हुई है। “उन कर्मवर्गणाओं से आवेष्टित-परिवेष्टित जब यह आत्मा भी बन्धनमुक्त हो सकता है तो फिर उसके सामने यह शारीरिक बन्धन तो नगण्य ही समझना चाहिए।”

ऐसा सोचकर मानतुगाचार्य ने बैठे-बैठे ही किसी सामान्य देवी-देवता की नहीं, ऐरे-गैरे, नत्थ-खैरे, नन्नर-जुन्नर, टूर-जूर देवी-देवताओं की नहीं किन्तु भगवान् ऋषभदेव की स्तुति की। स्तुति भी किसी और की बनाई हुई नहीं थी किन्तु स्वरचित थी। भक्तामर या आदिनाथ स्तोत्र के एक एक श्लोक की रचना के साथ-साथ क्रमशः एक-एक हथकड़ी, वेडी व तोख टूटती गई तथा साथ ही एक-एक कर कोठरियाँ खुलती गईं। इस प्रकार अडतालीसवें श्लोक की रचना के साथ ही अन्तिम कोठरी का ताला भी टूट गया और मानतुगाचार्य बाहर आ गये। राजा एव प्रजा सभी इस आश्चर्यजनक घटना या चमत्कार से हैरान रह गये। किसने किया, कैसे किया, कैसे हुआ, किसको बुलाया आदि

अनेक प्रकार के पारस्परिक प्रश्न लोग करने लगे । मानतुगाचार्य ने सबके प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा

“श्रव क्या पूछते हो कि किसको बुलाया गया । हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया। और न ही हमें किसी को बुलाने की आवश्यकता ही थी । मेरी तो बात ही क्या है, हमारे तो श्रावक भी अपनी सहायता के लिए किसी को नहीं बुलाया करते । वे तो केवल अपने घर पर बैठकर ही धर्मध्यान किया करते हैं । मैंने भी वही किया है, अपने भगवान् की स्तुति की है । उनके स्तोत्र की रचना की है । अडतालीस कोठरियों में बन्द जजीरो से जकड़ा हुआ शरीर, और फिर द्वार पर सशस्त्र पहरेदार, कौन आ सकता था मुझे वचाने के लिए बाहर से ? प्राकृतिक रूप से कायगुप्ति की साधना, एव एकान्तस्थान—इससे बढ़कर भगवान् की स्तुति करने का भला मुझे कब अवसर मिल सकता था ? मैंने इस सुन्दर अवसर का लाभ उठाकर भगवान् की स्तुति की जिसका परिणाम तुम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो । हमारी मान्यता के अनुसार भगवान् कहीं आते-जाते नहीं । वे तो मुक्त हो गये हैं, उनका ससार के किसी भी प्राणी से कोई भी लेन-देन का नाता नहीं है । हमारे भगवान् तो निर्लेप, निरजन और निराकार हैं । उन्हें तो अपने द्वारा स्थापित और अनुमोदित धर्म से भी कोई लगाव नहीं है । मुक्त होने के कारण उनका धर्म से सम्बन्ध, मोह और राग सब समाप्त हो गये । मुक्ति के पश्चात् मुक्तात्मा को यह सारा धर्म साधन मात्र प्रतीत होने लगता है । साधक साधना तभी तक करते हैं जब तक उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती, सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात् साधना सारहीन हो जाती है । सिद्धि के पश्चात् सारा क्रियाकाण्ड कोई महत्त्व नहीं रखता । यही कारण है कि सिद्धो में चारित्र्य की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है । चारित्र्य का अर्थ ही यही है कि जो कर्मवर्गणाएँ आती हैं अथवा जिन कर्मवर्गणाओं का अस्तित्व पहले से ही विद्यमान है, उनका क्षय हो और सच्चित ढेर रिक्त हो

“चयरिक्तकरण चारित्त”

अर्थात् चय का रिक्त करना ही चारित्र्य है । जब चय का अस्तित्व ही नहीं, कम की कोई वर्गणा ही नहीं, फिर चारित्र्य की आवश्यकता कहाँ रह जाती है ? हमारे भगवान् जैसा कि मैंने पहले भी निर्देश किया है विश्व के किसी भी कार्य के लिए नीचे नहीं आते । नीचे उन्हीं को आना पड़ता है जिनके कुछ कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं । कर्मों का नाश जब अपूर्ण रह जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए जीव को नीचे आना पड़ता है । जो जीव सब कर्मों का क्षय करके ऊर्ध्वगति को प्राप्त करते हैं, वे लौटकर नहीं आया करते । हमारे भगवान् ऐसे ही

मुक्तात्मा है। वे स्वयं में पूर्ण रूप हैं। हम जो उन भगवान् की स्तुति करते हैं वह अपने ही लाभ के लिए है। हमारी चित्तवृत्ति, धारणा और मान्यता अज्ञानवश या मिथ्यात्व के कारण डगमगा न जाये इस कारण हम अपना ध्यान प्रभु पर केन्द्रित किया करते हैं। यह केन्द्रीकरण हम अपनी आत्मा के चरम विकास के लिए करते हैं, प्रभु को रिझाकर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने की भावना उसमें निहित नहीं होती। प्रभु तो ससार से पूर्णरूप से मुक्त है, उनका रोझने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।”

राजा ने मानतुगाचार्य से पूछा, “मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कठिन बन्धन कट कैसे गये? किस प्रकार टूट गये सभी कोठरियों के ताले? यह तो बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना है।”

इसके प्रत्युत्तर में आचार्य ने कहा, “हमारे सिद्धान्त के अनुसार

धम्मो मगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवावि त नमसति जस्स धम्मो सया मणो ॥

अर्थात्—धर्म सबसे उत्कृष्ट मगल है और धर्म कहते हैं—अहिंसा, सयम और तप को। जो धर्मात्मा है, जिसके मन में धर्म समाया हुआ है, देवता भी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं।

धर्म पर सच्ची आस्था रखने वाले की सेवा के लिए तो देवता तरसते रहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति की सेवा का अवसर हमें कैसे मिले। धार्मिक व्यक्तियों की सेवा का अवसर देवताओं को बड़ी कठिनाई से मिला करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग स्वावलम्बी होते हैं। वे स्वयं परीषह सहन कर लेते हैं किन्तु किसी दूसरे के ऊपर अपने कष्ट का भार डालने का प्रयास नहीं करते। दूसरे से अपनी सेवा करवाना उन्हें भाररूप प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में देवताओं को धार्मिक जनो की सेवा करने का मौका कम ही मिला करता है। जब अधर्मी, पापी, अत्याचारी और निर्दय लोग धर्मलौन व्यक्तियों पर अत्याचार करने लगते हैं, उनकी धार्मिक क्रियाओं में बाधा डालने लगते हैं, उन्हें सताने लगते हैं, उनकी साधना में विघ्न डालने लगते हैं और उनको अमानवीय, निर्दयतापूर्ण यातानायें देने लगते हैं तब देवताओं को उनकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। वे रक्षा के लिए मजबूरी की हालत में नहीं आते किन्तु सेवा की भावना से उपस्थित होकर धार्मिक जनो की रक्षा करते हैं। भक्तों द्वारा देवताओं को सेवा के लिए बुलाया नहीं जाता किन्तु वे सेवा का सुनहरी अवसर पाकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। बुलाना तो उन देवी-देवताओं को पड़ता है जो अपने भक्तों की पीड़ाओं की देखी-अनदेखी करते हैं या लापरवाही करते हैं। ऐसे देवता तो

अपनी ही मौज में मस्त रहते हैं, उनके पास भक्तों के सकट देखने का समय ही कहाँ रहता है। ऐसे देवी देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, आराधना करनी पड़ती है और सहायता के लिए भक्तों को गिड़गिड़ाना पड़ता है।

मानतुगाचार्य के युक्तियुक्त एव सारगमित वचनों को सुनकर राजा बड़ा ही प्रभावित और प्रसन्न हुआ।

हमारी चर्चा का विषय चला आ रहा था कि हमारे आत्मा के ऊपर अनन्तानुबन्धी की जो बन्ध-परम्परा चली आ रही है उसकी वास्तविकता हमारी समझ में नहीं आती। हमारी विचारधारा तो प्रायः उस वास्तविकता के विपरीत रहती है। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा, पूजा मिथ्यात्व की परम्पराएँ हैं। ससार इसी प्रवाहमयी परम्परा में बह रहा है। यह सारा का सारा जाल अनन्तानुबन्धी चोक का है। ससार की किसी भी विचारधारा में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ किसी न किसी रूप में समाये रहते हैं। समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले जैसे कहते हैं वैसे ही सामान्य बुद्धि रखने वाले भी कहने लगते हैं, ईश्वर के विषय में, ससार के विषय में और ससार की रचना के विषय में। इसे एक प्रकार की अन्धानुकरण की परंपरा ही कहना चाहिए। इसका प्रधान कारण जनसामान्य में मौलिक बुद्धि की मन्दता है।

ससार में यह एक प्रचलित विचारधारा है कि ससार में मिल-जुलकर रहो, जिस ओर युग के लोगो का रुख हो उसी ओर बढ़ते चलो। ऐसा न करने से व्यक्ति सामाजिक विचारधारा से अलग-थलग पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वह समाज द्वारा उपेक्षणीय बन जायेगा। इसीलिए ससार के प्रवाह में बहना ही हितकर है। किन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि नदी में डाली गई वस्तु जिस ओर नदी का प्रवाह है उसी ओर वह जाती है, यह कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। महत्त्व तो तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने का साहस दिखाये। विपरीत दिशा में जाने से मानव के साहस का, दृढ़ता का और मनोबल का परिचय मिलता है। प्रवाह के विरुद्ध तो वही जा सकता है जो सघर्ष कर सकता है और सघर्ष वहीं करता है जो शक्तिशाली होता है। ससार के लोग जैसे करें, उनका अनुकरण करना यह तो मिथ्यात्व का प्रतीक है। लोक-व्यवहार में कहा जाता है कि "अमुक व्यक्ति श्री जी की शरण हो गये और राम जी भूँड़ी करी" आदि। जैन-अजैन सभी ऐसा कहते सुने जाते हैं। रामजी न तो किसी को मृत्यु का बुलावा भेजते हैं मरने वाला सीधा राम के पास जाता है। प्रत्येक जीव की आनिश्चित परिमाण होता है, जब सीमा समाप्त हो जाती है तो वह है। रामजी के सिर पर इसका दोष लगाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं

ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि विवेकशील व्यवितयो को ससार की प्रवाह-मयी भाषा में नहीं बोलना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो सम्यक्त्वी श्रीग मिथ्यात्वी में क्या अन्तर रह जायेगा ? आगम के अनुसार आत्मा के ऊपर अनन्तानुबन्ध की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। इस बन्ध परम्परा ने आत्मा को इतना प्रभावित कर रखा है कि बहुत समझाने पर भी उसकी धारणा में परिवर्तन लाना कठिन हो जाता है। यह अनन्तानुबन्धी का पहला चौक है। इस चौक में सब कुछ विपरीत ही विपरीत दिखाई पड़ता है। ज्ञान-वान् पुरुष जब ससारी व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि "ऐसा नहीं, ऐसा आचरण करना चाहिए" तो उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है, "ससार के सभी लोग जो कहते हैं क्या वे गलत कहते हैं ?" ससार में दूसरों के बताये मार्ग पर चलने वाले भी बहुत कम लोग हैं, स्वयं मार्ग का निर्माण करने वाले तो विरले ही हैं।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२६ जुलाई, १९७६



अपनी ही मौज में मस्त रहते हैं, उनके पास भक्तों के सकट देखने का समय ही कहाँ रहता है। ऐसे देवी देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, आराधना करनी पड़ती है और सहायता के लिए भक्तों को गिड़गिड़ाना पड़ता है।

मानतुगाचार्य के युक्तियुक्त एवं सारगर्भित वचनों को सुनकर राजा बड़ा ही प्रभावित और प्रसन्न हुआ।

हमारी चर्चा का विषय चला आ रहा था कि हमारे आत्मा के ऊपर अनन्तानुबन्धी की जो बन्ध-परम्परा चली आ रही है उसकी वास्तविकता हमारी समझ में नहीं आती। हमारी विचारधारा तो प्रायः उस वास्तविकता के विपरीत रहती है। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा, पूजा मिथ्यात्व की परम्पराएँ हैं। ससार इसी प्रवाहमयी परम्परा में बह रहा है। यह सारा का सारा जाल अनन्तानुबन्धी चोकर का है। ससार की किसी भी विचारधारा में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ किसी न किसी रूप में समाये रहते हैं। समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले जैसा कहते हैं वैसे ही सामान्य बुद्धि रखने वाले भी कहने लगते हैं, ईश्वर के विषय में, ससार के विषय में और ससार की रचना के विषय में। इसे एक प्रकार की अन्धानुकरण की परंपरा ही कहना चाहिए। इसका प्रधान कारण जनसामान्य में मौलिक बुद्धि की मन्दता है।

ससार में यह एक प्रचलित विचारधारा है कि ससार में मिल-जुलकर रहो, जिस ओर युग के लोगो का रुख हो उसी ओर बढ़ते चलो। ऐसा न करने से व्यक्ति सामाजिक विचारधारा से अलग-थलग पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वह समाज द्वारा उपेक्षणीय बन जायेगा। इसीलिए ससार के प्रवाह में बहना ही हितकर है। किन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि नदी में डाली गई वस्तु जिस ओर नदी का प्रवाह है उसी ओर बह जाती है, यह कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। महत्त्व तो तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने का साहस दिखाये। विपरीत दिशा में जाने से मानव के साहस का, दृढता का और मनोबल का परिचय मिलता है। प्रवाह के विरुद्ध तो वही जा सकता है जो सघर्ष कर सकता है और सघर्ष वही करता है जो शक्तिशाली होता है। ससार के लोग जैसे करें, उनका अनुकरण करना यह तो मिथ्यात्व का प्रतीक है। लोक-व्यवहार में कहा जाता है कि "अमुक व्यक्ति श्री जी की शरण हो गये और राम जी भूँड़ी करी" आदि। जैन-अर्जन सभी ऐसा कहते सुने जाते हैं। रामजी न तो किसी को मृत्यु का बुलावा भेजते हैं और न ही मरने वाला सीधा राम के पास जाता है। प्रत्येक जीव की आयुष्य का एक निश्चित परिमाण होता है, जब सीमा समाप्त हो जाती है तो वह चला जाता है। रामजी के सिर पर इसका दौप लगाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है।

ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि विवेकशील व्यवितयो को ससार की प्रवाह-मयी भाषा मे नहीं बोलना चाहिए । यदि वे ऐसा करेंगे तो सम्भवत्वी श्री-मिथ्यात्वी मे क्या अन्तर रह जायेगा ? आगम के अनुसार आत्मा के ऊपर अनन्तानुबन्ध की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है । इस बन्ध परम्परा ने आत्मा को इतना प्रभावित कर रखा है कि बहुत समझाने पर भी उसकी धारणा मे परिवर्तन लाना कठिन हो जाता है । यह अनन्तानुबन्धी का पहला चौक है । इस चौक मे सब कुछ विपरीत ही विपरीत दिखाई पडता है । ज्ञानवान् पुरुष जब ससारी व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए कहते है कि "ऐसा नहीं, ऐसा आचरण करना चाहिए" तो उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है, "ससार के सभी लोग जो कहते हैं क्या वे गलत कहते है ?" ससार मे दूसरो के बताये मार्ग पर चलने वाले भी बहुत कम लोग है, स्वयं मार्ग का निर्माण करने वाले तो विरले ही है ।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२६ जुलाई, १९७६





सिद्धि पुरुषार्थ में है, मनोरथ में नहीं

शाश्वत सुखों की लिप्सा रखने वाले व्यक्ति को उद्यम का सहारा लेना चाहिए। बिना उद्यम या पुरुषार्थ के जीवन में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। किसी नीतिकार ने इस सत्य का समर्थन करते हुए ठीक ही कहा है

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति—
कार्याणि न मनोरथैः ।

अर्थात्—कार्यों की सिद्धि उद्यम द्वारा हुआ करती है, मनोरथों से नहीं। कार्य-सिद्धि के लिए लोग अनेक प्रकार के उपायों का आश्रय लिया करते हैं। उन उपायों में मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र अपना पृथक् स्थान रखते हैं। तीनों का अपना-अपना महत्त्व है। मन्त्रों का निष्पादन अक्षरों से होता है और यन्त्रों का अको से जैसे—१, २, ३, आदि। तन्त्र वस्तुओं के संयोग या समिश्रण से बनते हैं। अमुक वस्तु में अमुक वस्तु मिलाना, अमुक समय में मिलाना, अमुक प्रमाण में मिलाना, अमुक रीति से मिलाना, अमुक दिशा में मुह करके मिलाना इत्यादि तन्त्र की पद्धति होती है। यदि उचित विधि-विधान से किया जाये तो सिद्धि तीनों में निहित है।

मन्त्र की निरुक्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, “मननात् त्रायते इति मन्त्र” अर्थात्—जिसका एकान्त स्थान में और एकाग्र मन से मनन करने से या ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त होती है वह मन्त्र कहलाता है। मनन शब्द का अर्थ संस्कृत में या सैद्धान्तिक रूप में कुछ भी हो किन्तु बोल-चाल की भाषा में वह तीन अक्षरों वाला शब्द है मन न। इसमें दो अक्षरों वाला ‘मन’ शब्द है और एक अक्षर न का है जो निषेधात्मक है। तो मन + न की निरुक्ति हुई कि मन को अपने निश्चित लक्ष्य से बाहर न जाने देना। हमने अपने मन का जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, बस उसी पर मन को टिकाकर रखना और अन्यत्र जाने के लिए विचलित न होने देना ही मनन है। मनन करते-करते ‘मन’ का ‘न’ आधा रह जाता है और आगे त्र के साथ जुड़कर ‘मन्त्र’ बनता

सिद्धि पुरुषार्थ में है, मनोरथ में नहीं

है जिसका अर्थ होता है मनन के द्वारा त्राण—रक्षा प्राप्त करना। मनन के द्वारा हमारे जो सकट हैं, हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारी जो विपमताएँ हैं और हमारी जो उलझनें हैं—उनसे हम मनन के कार्यकाल में त्राण पा लेते हैं। उन्हें भूल जाते हैं, उनसे दूर हट जाते हैं।

बहुत-से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए मन्त्रों का जाप करते हैं, मन्त्रों की साधना करते हैं। मन्त्र को कार्य-सिद्धि का एक माध्यम कहना चाहिए। इसी प्रकार यन्त्र भी कार्य सिद्धि का ही एक माध्यम है। जैसा कि पहले निर्देश किया गया है यन्त्र का निर्माण श्रको से होता है। पेंसिलिया यन्त्र, चौतीसा यन्त्र, पन्द्रिया, बीसिया आदि यन्त्रों के अनेक प्रकार हैं। यन्त्र-साधना में भी मन्त्र-साधना के समान, मन, वचन और काया को नियंत्रित करना पड़ता है। चित्तवृत्ति के निरोध से ही कार्य-सिद्धि की सभावना की जा सकती है। यन्त्र की या मन्त्र की सिद्धि के लिए किया गया चित्त का निरोध भी तो एक प्रकार का उद्यम है।

मनोरथ शब्द उद्यम का विपरीतार्थक शब्द है। मनोरथ का अर्थ तो मन के रथ पर बैठ कर इधर उधर भटकना है। 'मन के घोड़े दौडाना' यह कहावत लोक में प्रसिद्ध है। शारीरिक क्रिया का या शारीरिक पुरुषार्थ का सर्वथा अभाव रखकर केवल कल्पना के ससार में खोये रहना मनोरथ की परिभाषा है। मन अपनी चंचल गति के लिए प्रसिद्ध है ही, एक क्षण में ही उसका दूर से दूर की सीमा का उल्लंघन करके चले जाना एक सामान्य बात है। जो व्यक्ति सदा मन की चंचल तरंगों पर सवार रहता है वह जीवन के, धर्म के, समाज के और राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसे तो वसुधरा का भार मात्र समझना चाहिए। हिन्दी जगत् में ऐसे व्यक्ति को शेख-चिल्ली कहते हैं। शेख चिल्ली करता कुछ भी नहीं था, केवल मनोरथों में खोया रहता था। किसी कवि ने मात्र मनोरथों की दुनिया में डूबे व्यक्ति पर व्यंग्य करते हुए ऊहा है

मन मनसूबा मत करो, तेरा चिन्त्या नहीं होय ।

पाणी से घी नीसरे, तो सूखा न खावे कोय ॥

घी की प्राप्ति के लिए गी या भैंस पालनी पड़ती है, उसे चरागाह में ले जाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है और उसकी अनेक प्रकार की देख-रेख करनी पड़ती है, तब कही जाकर दूध की प्राप्ति होती है। दूध को गर्म करना, जमाना और फिर उस जमे हुए को चिरकाल तक मथना—आदि कठिन पुरुषार्थ की क्रियाओं के पश्चात् ही घी की प्राप्ति होती है। यदि पानी से घी निकलता होता तो लोग बिना-पुरुषार्थ किये बड़ी सरलता से निकाल लेते और किसी को

भी रूखी-सूखी खाने की आवश्यकता न रहती ।

इसी कारण से ज्ञानी पुरुषो ने कहा है कि कार्यों में सिद्धि उद्यम द्वारा मिला करती है, मनोरथो के द्वारा नहीं । धर्मशास्त्रो में श्रावको के तीन प्रकार के मनोरथो का उल्लेख आता है । श्रावक का पहला मनोरथ तो यह होता है कि वह दिन कितना परम पुण्यमय होगा जब वह आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रन्थ बनेगा । इस प्रकार के मनोरथ का चिन्तन श्रावक सदा प्रातः काल के समय किया करता है । ऐसा श्रावक वही होता है जिसके आत्मा में त्याग के प्रति प्रेम होता है और भौतिक पदार्थों के प्रति विशेष लगाव नहीं होता । जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धनपति बनने का चिन्तन करता है, धनपति करोड़पति बनने का, करोड़पति राज्य पाने का और राजा तीनों लोको का आधिपत्य प्राप्त करने का मनोरथ करता है, ठीक इसी प्रकार श्रावक का पहला मनोरथ तो आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रन्थ की अवस्था तक पहुँचना होता है ।

श्रावक का दूसरा मनोरथ होता है, पचमहाव्रत धारण करना । वह दिवा-निश यही सोचा करता है, “जिस दिन मैं पाँच महाव्रतों को धारण करके शुद्ध निर्ग्रन्थचर्या में विचरण करूँगा, वह दिन मेरे लिये परमकल्याणकारी होगा । उस दिन मुझे ससार के सभी भूभटो से और सकटो से छुटकारा मिल जायेगा ।”

तीसरा श्रावक का मनोरथ होता है, “अन्त समय की आलोचना ।” वह सोचा करता है, “जब मेरा अन्तिम समय आये उस समय मैं अपने जीवन की आलोचना कर लूँ । आलोचना का अर्थ है स्वयं का परिश्लेषण या स्वयं का दर्शन । हम प्रायः दूसरो को देखा करते हैं कि उसकी छत चूती है, उसका कमरा चूता है, उसकी भीत में पानी भर रहा है । इस प्रकार दूसरो को देखना— परावलोकन कहलाता है । इस परावलोकन का कोई महत्त्व नहीं है । वास्तविक अवलोकन तो स्वयं का होता है । अपने घर में कौन-कौन-सा कक्ष चू रहा है, यह देखना चाहिए । दूसरो का चूना देखकर स्वयं का नहीं मिटाया जा सकता । अपने दोषों का ज्ञान जितना स्वयं को होता है उतना और तो किसी को नहीं हो सकता, अतः स्वयं के परीक्षण से ही अपना सुधार सम्भव है, पर-परीक्षण से नहीं । मनुष्य को गहराई से सोचना चाहिए कि उसमें क्या दुर्गुण है, कौन-कौन सी कमियाँ हैं, किन-किन पचखाणो को लेकर उसने उनका सच्चाई से पालन किया है, किन-किन के पालन में उसने गफलत की है—इस प्रकार का आत्मवलोकन ‘आलोचना’ के नाम से जाना जाता है । इस महत्त्वपूर्ण आत्मपरीक्षण पर बहुत कम श्रावक ध्यान देते हैं । पक्खी, चौमासी, सवत्सरी आदि के दिनों में ही आलोचना सुनने की परम्परा चली आ रही है, अन्यथा नहीं । आलोचना सुनाने वाले आलोचना सुना देते हैं, सुनने वाले

सुन लेते है किन्तु इस प्रकार के सुनने-सुनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता । आलोचना कोई सुनने-सुनाने की चीज नहीं है, यह तो स्वय के आचरण मे उतारने की वस्तु है । स्वय अपने गुण-दोषो को समझकर गुरु के समक्ष अपने दोषो को स्पष्टरूप से अभिव्यक्त करना चाहिए । किसी भी दोष को छिपाना धार्मिक अपराध माना जाता है । श्रावक द्वारा गुरु के सामने केवल अपने दोषो की अभिव्यक्ति ही अपेक्षित नहीं है किन्तु उसको गुरु से प्रायश्चित्त लेने की भी याचना करनी चाहिए । अन्तिम समय मे यह सोचना कि “मैं पण्डित मरण से प्राण त्यागूंगा, मुझ मे उस समय समाधिभाव रहेगा, अरिहन्तो और सिद्धो मे मेरी दृढ आस्था रहेगी”— जीव के लिए बडा ही लाभकारी होता है । यह आलोचना जीव को उत्तरोत्तर निर्जरा की ओर अग्रसर करती है । वस, यही होते है तीन मनोरथ सुश्रावक के ।

उक्त तीन प्रकार के मनोरथ उसी श्रावक मे आते है जो आत्मा को सासारिक बन्धनो से मुक्त कराने के लिए दिन-रात उद्यमशील रहता है । जिस व्यक्ति में श्रावकत्व के थोडे भी सस्कार है वह धर्म मे प्रवृत्ति रखेगा, कुछ आत्मिक चिन्तन भी करेगा और त्याग की क्रिया मे भी प्रवृत्त होगा । श्रावक को शास्त्र मे ‘श्रमणोपासक’ कहा है । श्रमण का अर्थ साधु होता है । श्रमण—साधु के उप—पास मे आसक—आसन लगाने वाला ‘श्रमणोपासक’ कहलाता है । साधु के पास बैठने का अर्थ है साधु से त्यागमय जीवन की शिक्षा लेना । जिस प्रकार साधु अपना त्यागमय जीवन व्यतीत करता है, निर्लेप रहता है, उसी प्रकार जो श्रावक रात दिन साधु की भाँति निष्परिग्रह, निरामिष एव साम्यभावयुक्त जीवन व्यतीत करने का उद्यम करता है उसे श्रमणोपासक या श्रावक कहते है । नि सन्देह, श्रावक, श्रमण के समान त्याग, व्रत, पचखाण नहीं कर सकता किन्तु यथाशक्ति तो त्यागमय जीवन व्यतीत कर ही सकता है । जो त्यागमय जीवन की ओर उत्तरोत्तर कदम बढ़ाता जाता है वह कभी न कभी तो मुक्ति की अंतिम मजिल पर पहुँच ही जाता है ।

हमने जो श्रावको के तीन प्रकार के मनोरथ बताये है वे श्रावको के आत्म-विकास मे इसलिए सहायक माने जाते है कि उनकी गणना उद्यम के ही कार्यों मे होती है । तपश्चर्या भी कोई सामान्य कोटि का उद्यम नहीं है । व्यक्ति बडे से बडे कार्य को करने का साहस कर लेता है किन्तु तपश्चर्या का नाम सुनकर घबरा जाता है । तपश्चर्या का उद्यम सामान्य कोटि के लोग नहीं कर सकते, उसके लिए उद्यम के बीज, साहस की अपेक्षा रहती है । इस प्रकार शास्त्र-कारो ने शाश्वत सुख की प्रप्ति के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये चार उपाय बताये है । इनका उद्यमपूर्वक पालन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है ।

जैन-मवन, डेह (नागौर)

२७ जुलाई, १९७६



आराधना का आधार—आज्ञा पालन

मोक्ष शाश्वत सुखो का निधान है। ससार और मोक्ष दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। ससार में जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है और भटकना पड़ता है किन्तु मोक्ष में परिभ्रमण और भटकना दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है कि ससार में जीव बन्धनों से जकड़ा हुआ रहता है और मोक्ष में वे बन्धन कट चुके होते हैं। ससार जीव की परतत्रता का प्रतीक है और मोक्ष उसकी स्वतंत्रता का सूचक है। ससार में जीव परतत्रता की डोर में बंधा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे ऊट, बैल और घोड़े नकेल से बंधे होते हैं। हाथी के यद्यपि नकेल नहीं होती, वह स्वतंत्र होते हुए भी अकुशाधीन तो होता ही है।

कहते हैं कि सर सिकन्दर ने भारत में आने से पूर्व हाथी नहीं देखा था और न ही उसकी सवारी की कल्पना उसने की थी। यहाँ तो हाथी की सवारी करना एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। बड़े-बड़े राजा-महाराजा हाथी की सवारी किया करते थे। सिकन्दर के लिए भी हाथी लाया गया और उस पर बैठा दिया गया।

“इसकी लगाम मेरे हाथ में पकड़ाओ।”

—सिकन्दर ने महावत से कहा।

“हजूर, इसके लगाम नहीं होती, यह तो अकुश से चलता है। मैं इसे चलाता हूँ।”

—महावत ने बड़े विनम्र शब्दों में सिकन्दर को उत्तर दिया।

“तो मैं ऐसी सवारी पर बैठना पसन्द नहीं करता, जिसका नियंत्रण मेरे हाथ में न होकर दूसरे के हाथों में हो।”

सिकन्दर ने स्वयं को हाथी से उतारने का आदेश दिया।

सिकन्दर को हाथी से उतार दिया गया। वह अपनी स्वतंत्रता दूसरे के हाथ में देना नहीं चाहता था। बन्धन में बंधे प्राणी को संचालक जिस प्रकार चलाता है उसे उसी प्रकार चलना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जीव भी कर्मों के बन्धन में बंधा हुआ है। वह कर्मों का दास है, कम उसे जिस दिशा की ओर ले जाते हैं वही उसको जाना पड़ता है। वह स्वाश्रित नहीं, पराश्रित है, पराधीन है। यह

कर्मों का बन्धन किसी दूसरे प्राणी द्वारा हमारे गले में डाला हुआ नहीं है, कर्मों का अजन नो हम स्वयं करते हैं और स्वयं ही अपने-आपको बन्धन में डालते हैं। इसलिए आगम में उल्लेख है.

“सन्ने सयकम्मकप्पिया”

सूत्रकृताग, १/२/६/१८

अर्थात्—

सभी प्राणी अपने द्वारा किये गये कर्मों के कारण ही नाना योनियों में भ्रमण किया करते हैं। और भी

“सकम्मुणा किच्चइ पावकारी

कड्ढाण कम्माण न मोक्ख श्रित्य।

उत्तराध्ययन, ४/३

अर्थात्—पापी जीव अपने ही कर्मों के विपाक से पीड़ित हुआ करते हैं। किये हुए कर्मों का बिना भोग से कभी भी छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार जीव स्वयं के कर्मों के द्वारा ही स्वयं को बाधा करता है। दूसरों के कर्म हम को नहीं लगा करते। यदि एक के कर्म दूसरों को चिपकने लगें तब तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा। हमारे से शत्रुता रखने वाले, हमारे से ईर्ष्या करने वाले और हमारा बुरा सोचने वाले अनेको व्यक्ति होते हैं, उन सबके दुष्कर्म यदि हमें लगने लगेंगे तब तो हमारी आत्मा का त्रिकाल में भी उद्धार संभव नहीं है।

हमने जो पहले आगमों के दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे इसी सत्य का और सिद्धान्त का समर्थन करते हैं कि जीव को स्वयं के कर्म ही बन्धन में बाँधने वाले हैं, दूसरों के नहीं। इस बात को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, वह कर्म करता है और कर्मों के शुभ-अशुभ विपाक को भी उसे भोगना पड़ता है, उसी प्रकार वह कर्मों के बन्धन काटने में भी स्वतंत्र है। उसके कर्मों के बन्धनों को काटने के लिए कोई दूसरा आनेवाला नहीं है, उसके लिए भी उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। सारी धार्मिक क्रियाएँ, विधि-विधान, व्रत, पचखाण आदि इसी निमित्त हैं कि जीव इन माध्यमों से अपने बन्धनों को काटकर स्वतंत्र बने, कर्मों की दासता से और यातना से मुक्त होवे। इसके लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है किन्तु दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यदि हम यह पक्का प्रण कर लें कि हमें अपने जन्मजन्मान्तरो से चले आ रहे कर्मबन्धनों को काटना है तो हम अवश्य सफल होंगे, ससार की कोई भी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। परन्तु दृढ़ निश्चय भी तो तभी आयेगा जब हम कर्मबन्धनों को बन्धनों की दृष्टि से

देखेंगे और ऐसी धारणा बनायेगे कि कर्मबन्धन हमारे शाश्वत सुखो में बाधक हैं। यदि हम बन्धनो को अपने जीवन का सहायक मानते रहेंगे, जैसा कि जनसाधारण मान रहे हैं और अनादिकाल से मानते चले आ रहे हैं, फिर भला हम कर्मबन्धनो की शृंखलाओं को काटने में कैसे समर्थ हो सकेंगे ? अतएव सर्वप्रथम हमारा कतव्य है कि बन्धनो को बन्धन ही समझें, उनको अपने जीवन के सुख का साधन न समझें। इस प्रसंग में एक उदाहरण स्मरण हो आया है।

एक पालतू कुत्ता था। उसके स्वामी ने उसके गले में सोने का पट्टा बाँध रखा था। वह कुत्ता उस सोने के पट्टे से अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता था। वह सोचता था, बाकी के कुत्ते तो सब चमड़े के पट्टे वाले हैं, केवल वही सोने का पट्टा धारण करता है। वह सबको अपने से निम्नकोटि का समझता था। वह यह नहीं समझता था कि पट्टा सोने का होने पर भी आखिर था तो बन्धन ही। उसका स्वामी जब चाहे उसको पट्टे की कडी से शृंखला जोड़कर बाँध सकता था। ठीक इसी प्रकार कर्मों का पट्टा अज्ञानी जीव के गले में बाँधा हुआ है। अज्ञानवश या मिथ्यादृष्टि के कारण जीव को ससार के क्षणिक सुख सुवर्ण के समान बड़े ही कीमती प्रतीत हुआ करते हैं। वह उनके आन्तरिक और अन्तिम परिणाम को न समझता हुआ उनमें बड़ी प्रसन्नता से उलझा रहता है और उस उलझन में भी आनन्द का अनुभव करता है। इस सासारिक प्रक्रिया में उसके कर्म बाँधते जाते हैं और उसका भावी लोक, परलोक अन्धकारमय बनता जाता है। यही मिथ्यात्व का जाल है जिसमें बाँधे हुए जीव अनन्तकाल तक जन्म-मरण के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के दुखों को और यातनाओं को भोगा करते हैं। इससे आपको भलीभाँति स्पष्ट हो गया होगा कि हम पर दूसरों के कर्मों का न तो बंधन ही संभव है और न ही उसका भोग ही। जीव स्वयं जान बूझकर अज्ञानवश कर्म बाँधता है और परिणामस्वरूप स्वयं ही फल भोगने को बाध्य होता है। उसके स्थान पर कोई दूसरा जीव उसके कर्मों को नहीं भोगा करता और न ही भोग सकता है।

अब रही कर्मबन्धन के विस्तार की प्रक्रिया। कल चौक की बात चल रही थी। हमने पहले चौक अनन्तानुबन्धी की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अनन्तानुबन्धी का अर्थ बताया था एक बन्धन के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा— इस प्रकार बन्धन की अनन्त-परंपरा है। गिनती के बाहर की चीज असंख्य कहलाती है। अनन्त का अर्थ है जिसका कोई अन्त ही नहीं है। अनन्तगुणा बन्धन का अभिप्राय यह समझना चाहिए कि एक बन्धन के पीछे अनन्त अनन्त बन्धन होते हैं। जीव अनादिकाल से अनन्तानन्त बन्धनो से बन्धा चला आ रहा है इसी कारण उसको वे बन्धन, बन्धन के रूप में प्रतीत ही नहीं हुआ करते। उसकी

आत्मा, उसका मन, उसकी प्रवृत्ति, सब बन्धनमय बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण पढ़ने में और सुनने में आये हैं कि जिन महापराधियों को या हत्यारों को बीस वर्ष के कारागार का दण्ड दिया जाता है, वे कारागार के जीवन में इतना रम जाते हैं, इतने एकाकार हो जाते हैं कि वहाँ बाहर के स्वतन्त्र जीवन से भी अधिक आनन्द मानने लगते हैं। दण्ड की अवधि समाप्त होने पर जब उनको कारागार से मुक्त किया जाता है तो उनको कारागार के बाहर का जीवन बिल्कुल पसन्द नहीं आता और वे फिर कोई अपराध करके पुनः जेलखाने में जाकर सुख की सास लिया करते हैं। ऐसा होता है बन्धन का चिपकाव और बन्धन से ममत्व।

जीव स्वतन्त्रता को बन्धन व बन्धन का स्वतन्त्रता समझने लगता है, यही अनन्तानुबन्ध है, इसी का दूसरा नाम मिथ्यात्व भी है। जब अनन्तानुबन्ध के मिटने के पश्चात् हेय और उपादेय दोनों प्रकार की वस्तुओं पर उसका श्रद्धान ठीक हो जाता है, इस अवस्था में वह प्रत्याख्यान तो नहीं लिया करता क्योंकि प्रत्याख्यान लेने में उसकी रुचि नहीं होती। वह तो केवल मन की दृढता को ही महत्त्व देने लगता है। यहाँ तक कि वह प्रत्याख्यान की श्रालोचना तक करने लगता है। सन्तो के पास जाकर कहता है ‘

“महाराज, आप क्या पचखाण-पचखाण लेने की बार-बार बातें करते हैं। क्या रखा है पचखाण में? आपके बहुत से ऐसे श्रावक हैं जो आपसे पचखाण तो ले लेते हैं किन्तु गुप-चुप सभी कुछ किया करते हैं। ऐसा पचखाण बताइये किस काम का? क्या लाभ हुआ उससे लेने वाले को? मेरे मन में दृढता है, मैं उन पचखाण लेने वाले भक्तों से लाख दर्जे अच्छा हूँ।”

इसके विषय में कई बार आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है कि प्रत्याख्यान लेने से श्रावक को क्या लाभ होता है और प्रत्याख्यान न लेने से क्या हानि होती है। कल इण्डस्ट्री या कारखाने का दृष्टान्त देकर आपको सब समझा दिया गया था।

इसके पश्चात् आता है प्रत्याख्यान का तीसरा चोक। प्रत्याख्यान के चोक में जीव व्रत-प्रत्याख्यानो के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहता है। प्रत्याख्यान से उसे इतना लगाव हो जाता है कि वह प्रत्याख्यान के सामने गुरु की आज्ञा को भी उल्लंघन देता है। जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। गुरु की आज्ञा के सामने सब कुछ गौण है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि—गुरु उसको जो आज्ञा देते हैं, वह उसको सर्वोपरि माने और शिरोधार्य करे। गुरु की आज्ञा से बढ़कर वह किसी चीज को नहीं माने। शास्त्रों में गुरु की आज्ञा को महत्त्व देते हुए स्थान-स्थान पर लिखा है

“आणाए आराहए भवई”

देखेंगे और ऐसी धारणा बनायेंगे कि कर्मबन्धन हमारे शाश्वत सुखों में बाधक हैं। यदि हम बन्धनों को अपने जीवन का सहायक मानते रहेंगे, जैसा कि जनसाधारण मान रहे हैं और अनादिकाल से मानते चले आ रहे हैं, फिर भला हम कर्मबन्धनों की शृंखलाओं को काटने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? अतएव सर्वप्रथम हमारा कतव्य है कि बन्धनों को बन्धन ही समझें, उनको अपने जीवन के सुख का साधन न समझें। इस प्रसंग में एक उदाहरण स्मरण हो आया है।

एक पालतू कुत्ता था। उसके स्वामी ने उसके गले में सोने का पट्टा बाँध रखा था। वह कुत्ता उस सोने के पट्टे से अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता था। वह सोचता था, बाकी के कुत्ते तो सब चमड़े के पट्टे वाले हैं, केवल वही सोने का पट्टा धारण करता है। वह सबको अपने से निम्नकोटि का समझता था। वह यह नहीं समझता था कि पट्टा सोने का होने पर भी आखिर था तो बन्धन ही। उसका स्वामी जब चाहे उसको पट्टे की कडी से शृंखला जोड़कर बाँध सकता था। ठीक इसी प्रकार कर्मों का पट्टा अज्ञानी जीव के गले में बाँधा हुआ है। अज्ञानवश या मिथ्यादृष्टि के कारण जीव को ससार के क्षणिक सुख सुवर्ण के समान बड़े ही कीमती प्रतीत हुआ करते हैं। वह उनके आन्तरिक और अन्तिम परिणाम को न समझता हुआ उनमें बड़ी प्रसन्नता से उलझा रहता है और उस उलझन में भी आनन्द का अनुभव करता है। इस सासारिक प्रक्रिया में उसके कर्म बाँधते जाते हैं और उसका भावी लोक, परलोक अन्धकारमय बनता जाता है। यही मिथ्यात्व का जाल है जिसमें बाँधे हुए जीव अनन्तकाल तक जन्म-मरण के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के दुखों को और यातनाओं को भोगा करते हैं। इससे आपको भलीभाँति स्पष्ट हो गया होगा कि हम पर दूसरों के कर्मों का न तो बधन ही समझें और न ही उसका भोग ही। जीव स्वयं जान बूझकर अज्ञानवश कर्म बाँधता है और परिणामस्वरूप स्वयं ही फल भोगने को बाध्य होता है। उसके स्थान पर कोई दूसरा जीव उसके कर्मों को नहीं भोगा करता और न ही भोग सकता है।

अब रही कर्मबन्धन के विस्तार की प्रक्रिया। कल चौक की बात चल रही थी। हमने पहले चौरु अनन्तानुबन्धी की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अनन्तानुबन्धी का अर्थ बताया था एक बन्धन के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा— इस प्रकार बन्धन की अनन्त-परंपरा है। गिनती के बाहर की चीज असत्य कहलाती है। अनन्त का अर्थ है जिसका कोई अन्त ही नहीं है। अनन्तगुणा बन्धन का अभिप्राय यह समझना चाहिए कि एक बन्धन के पीछे अनन्त अनन्त बन्धन होते हैं। जीव अनादिकाल से अनन्तानन्त बन्धनों से बन्धा चला आ रहा है इसी कारण उसको वे बन्धन, बन्धन के रूप में प्रतीत ही नहीं हुआ करते। उसकी

आत्मा, उसका मन, उसकी प्रवृत्ति, सब बन्धनमय बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण पढ़ने में और सुनने में आये हैं कि जिन महापराधियों को या हत्यारों को बीस वर्ष के कारागार का दण्ड दिया जाता है, वे कारागार के जीवन में इतना रम जाते हैं, इतने एकाकार हो जाते हैं कि वहाँ बाहर के स्वतन्त्र जीवन से भी अधिक आनन्द मानने लगते हैं। दण्ड की अवधि समाप्त होने पर जब उनको कारागार से मुक्त किया जाता है तो उनको कारागार के बाहर का जीवन बिल्कुल पसन्द नहीं आता और वे फिर कोई अपराध करके पुन जेलखाने में जाकर सुख की सास लिया करते हैं। ऐसा होता है बन्धन का चिपकाव और बन्धन से ममत्व।

जीव स्वतन्त्रता को बन्धन व बन्धन को स्वतन्त्रता समझने लगता है, यही अनन्तानुबन्ध है, इसी का दूसरा नाम मिश्रितत्व भी है। जब अनन्तानुबन्ध के मिटने के पश्चात् हेय और उपादेय दोनों प्रकार की वस्तुओं पर उसका श्रद्धान ठीक हो जाता है, इस अवस्था में वह प्रत्याख्यान तो नहीं लिया करता क्योंकि प्रत्याख्यान लेने में उसकी रुचि नहीं होती। वह तो केवल मन की दृढता को ही महत्त्व देने लगता है। यहाँ तक कि वह प्रत्याख्यान की श्रालोचना तक करने लगता है। सन्तों के पास जाकर कहता है,

“महाराज, आप क्या पचखाण-पचखाण लेने की बार-बार बातें करते हैं। क्या रखा है पचखाण में? आपके बहुत से ऐसे श्रावक हैं जो आपसे पचखाण तो ले लेते हैं किन्तु गुप-चुप सभी कुछ किया करते हैं। ऐसा पचखाण बताइये किस काम का? क्या लाभ हुआ उससे लेने वाले को? मेरे मन में दृढता है, मैं उन पचखाण लेने वाले भवतों से लाख दर्जे अच्छा हूँ।”

इसके विषय में कई बार आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है कि प्रत्याख्यान लेने से श्रावक को क्या लाभ होता है और प्रत्याख्यान न लेने से क्या हानि होती है। कल इण्डस्ट्री या कारखाने का दृष्टान्त देकर आपको सब समझा दिया गया था।

इसके पश्चात् आता है प्रत्याख्यान का तीसरा चोँक। प्रत्याख्यान के चोँक में जीव व्रत-प्रत्याख्यानो के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहता है। प्रत्याख्यान से उसे इतना लगाव हो जाता है कि वह प्रत्याख्यान के सामने गुरु की आज्ञा को भी उल्लाँघ देता है। जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। गुरु की आज्ञा के सामने सब कुछ गौण है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि—गुरु उसको जो आज्ञा देते हैं, वह उसको सर्वोपरि माने और शिरोधार्य करे। गुरु की आज्ञा से बढकर वह किसी चीज को नहीं माने। शास्त्रों में गुरु की आज्ञा को महत्त्व देते हुए स्थान-स्थान पर लिखा है

“आणाए आराहए भवई”

आराधक का निर्माण ही गुरु की आज्ञा के पालन से होता है।

आचार-पद्धति के अनुसार प्रत्याख्यान गुरु से लिये जाते हैं। गुरु ही प्रत्याख्यान की विधि भी बताते हैं, प्रत्याख्यान का हेतु, लक्ष्य और उद्देश्य भी बताते हैं। प्रत्यारयान से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातें साधक को गुरु ही बताते हैं। ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि महत्त्व प्रत्यारयान का रहा या गुरु की आज्ञा का ? इसका उत्तर है कि महत्त्व प्रत्याख्यान का नहीं है किन्तु गुरु की आज्ञा का है।

इसका कारण है कि गुरु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि सब देखकर ही प्रत्याख्यान की आज्ञा दिया करते हैं। उस आज्ञा का उत्तरदायित्व आज्ञा देने वाले गुरुओं पर होता है। गुरु ही उसके निग्रह-अनुग्रह के अधिकारी होते हैं। यही कारण है कि प्रत्यारयान से भी गुरु की आज्ञा को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। प्रत्याख्यानी कषाय के चौक में जीव गुरु की आज्ञा का महत्त्व नहीं पहचान पाता। वह तो केवल प्रत्यारयान के ही पीछे पड़ जाता है। इसीलिए आगम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्याख्यानी-कषाय-चतुष्क के रहते हुए जीव साधुपना ग्रहण नहीं कर सकता। साधुत्व कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें एकांत हठ को कोई स्थान नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में साधु की दैनिक चर्या पर प्रकाश डालते हुए लिखा है

पढम पोरिसि सज्भाय,
 बीय भाण भियायई ।
 तइयाए भिक्खारिय
 पुणो चउत्थीइ सज्भाय ॥
 पढम पोरिसि सज्भाय,
 बीय भाण भियायई ।
 तइयाए निदमोक्ख तु,
 चउत्थी भुज्जो वि सज्भाय ॥

साधु को दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करना चाहिए और दूसरे प्रहर में ध्यान। तीसरे प्रहर में आहार और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय। यह तो उसकी दिनचर्या है। रात्रि के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में निद्रा-त्याग और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय।

दिन और रात्रि के पहले और चौथे प्रहर में स्वाध्याय, रात और दिन के दूसरे प्रहर में ध्यान, दिन के तीसरे प्रहर में आहार और रात के तीसरे प्रहर में निद्रा त्याग—यह हुई साधु की आठ प्रहर की दिनचर्या। शास्त्र का वचन कितना सारगर्भित और निरवच्य है। तीसरे प्रहर में निद्रा का विधान नहीं

किया किन्तु निद्रात्याग का उल्लेख कर दिया । निद्रा का त्याग तो वही करेगा जो निद्रा लेगा, इसलिए निद्रा का अध्याहार तो हो ही जाता है । 'निद्रा' प्रमाद होने के कारण से शास्त्रकार निद्रा का विधान कैसे कर सकते थे ? इस पर किसी कवि की उक्ति है .

“एक पहर की गोचरी, सात पहर का राज ।

भली विचारे साधु जी, तो सारे आतम काज ॥”

केवल एक पहर में गोचरी का चक्कर है फिर तो साधु जी का अपना ही राज है । ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, चिन्तन-मनन, जो चाहे साधु कर सकता है, अवशिष्ट सात पहरों में । गोचरी के अन्दर राज इसलिए नहीं है कि गोचरी के लिए घर घर जाना पड़ता है । यह क्षुधा-वेदनीय, असाता-वेदनीय की एक प्रकृति है । इसको शान्त करने के लिए स्वयं के पास साधनों के अभाव में गृहस्थों के घरों में जाना ही पड़ता है ।

यदि कोई अपना हित सोचे तो उसके पास आत्मकल्याण के लिए पर्याप्त समय होता है । ऐसा न सोचकर यदि कोई साधु यह सोचने लगे कि “कहा वन्धन में आकर फँस गये, इससे तो ससार के आनन्द ही अच्छे थे ।” तो इससे साधु अपनी आत्मा में वैषम्य पैदा कर लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उसको इतना दुःख अनुभव होता है जो सातवीं नरक से भी अधिक है । इसलिए साधुपन में बिना मन के क्रियापालन करना न केवल निरर्थक ही अपितु महान् दुःखदायी भी है । यदि साधु मन, वचन और काय की सच्चाई से, हृदय की उमंग से, अंतर के उत्साह से, साधुवृत्ति का पालन करता है तो शास्त्र का कथन है

“न हि सुही सेठ सेणावई,

न हि सुही देवता देवलोए”

अर्थात्—

उस साधु के समान ससार में कोई भी सेठ और सेनापति सुखी नहीं है और देवलोक में देवताओं के सुख की भी उसके सुख के साथ तुलना नहीं की जा सकती ।

देवलोक का भी आपको कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए । भवनपति से वाण-व्यतर, ज्योतिषी, फिर पहला देवलोक है । सब देवलोकों के ऊपर नवग्रैवेयक और अनुत्तर विमान, और सबसे ऊँचे दर्जे के देवता होते हैं सर्वार्थसिद्ध में । यह क्रम है देवलोक का । सर्वार्थसिद्ध के स्थान को तो एक 'छोटी मुक्ति' का नाम दिया गया है । वह छोटी मुक्ति है । वहाँ तैतीस सागर की स्थिति है । वहाँ किसी

भी प्रकार का भ्रष्ट नहीं है। देवता वहा से सीधे मनुष्य-योनि में जन्म लिया करते हैं। तपश्चर्या द्वारा अपने कर्मों का क्षय करके उसी भव में मोक्ष में चले जाते हैं। सर्वार्थसिद्ध के देवताओं को सबसे अधिक सुखी बताया है। किन्तु भगवती सूत्र के अनुसार जो साधु और साध्वी अपने मन की आन्तरिक रुचि से, प्रसन्नता से और लगन से बारह मास तक साधुवृत्ति का पालन करते हैं, वे सर्वार्थसिद्ध के निवासी देवताओं के सुख का भी अतिक्रमण कर जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे देवताओं से भी अधिक सुखी होते हैं। इसलिए हम पहले शास्त्र का वचन आपको सुना चुके हैं जिसका अर्थ है कि क्रिया के पालक सच्चे साधु सेठ, सेनापति और देवताओं से अधिक सुखी होते हैं। उन साधुओं के लिए शास्त्रकार कहते हैं।

“एगतसुही मुणी वीयरागी”

अथात्—

वीतरागी जो मुनि है वे एकान्त सुख में रमण करने वाले होते हैं।

उक्त दैनिक चर्या का विधान होते हुए भी साधु के लिए शास्त्र का कथन है कि प्रातः काल मुनि अपनी प्रतिलेखन-क्रिया से निवृत्त होकर गुरु के समक्ष निवेदन करे

“इच्छामि भते ।”

“हे भगवन्! आप आज्ञा दें कि मैं क्या काम करूँ ?”

यद्यपि साधु के लिए शास्त्र-विहित स्वाध्याय आदि क्रियाएँ निश्चित होती हैं, तब भी वह गुरु से आज्ञा लिया करता है कि उनके अतिरिक्त यदि वे किसी और काम में प्रवृत्त कराना चाहे तो वह सदा प्रस्तुत रहेगा। साधु गुरु की आज्ञा पाकर ही निर्दिष्ट काम में प्रवृत्त होता है। इसी भाव को शास्त्र में इस प्रकार व्यक्त किया गया है

“इच्छ निश्रोइउ भते । वेयावच्चे व सज्भाये ।”

क्या आप मेरी नियुक्ति वैयावृत्य कार्य में करने जा रहे हैं ? ‘वैयावृत्य’ शब्द जैन शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। वैयावृत्य का अर्थ है, “ऐसे साधु-साध्वी जो वृद्ध हैं, तपस्वी हैं, नवदीक्षित हैं, रुग्ण हैं अथवा अशक्त हैं—उनकी सेवा करना।” “यदि आप वैयावृत्य की आज्ञा देते हैं तो वैसे करूँ अन्यथा स्वाध्याय आदि जो मेरी दैनिक क्रिया है, उसे तो मैं करूँगा ही।” यदि साधु को कोई उपवास भी करना होगा या विशिष्ट प्रकार की कोई तपश्चर्या करनी होगी तो भी वह गुरु से उनके लिए आज्ञा की याचना करेगा। यदि

गुरु वैयावृत्य को अधिक आवश्यक समझ कर शिष्य को उपवास और तपश्चर्या करने का निषेध करेगा तो शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु उसको ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि साधु की तपश्चर्या तो उसके दैनिक क्रियाकलाप में वैसे ही होती रहती है। क्या आपने बलभद्र मुनि की कथा नहीं सुनी ?

बलभद्रमुनि मास-मास खमण की तपश्चर्या किया करते थे। पारणे का जब दिन आता तो वे जंगल में ही अपने अभिग्रह के अनुकूल आहार यथासंभव ले लेते, अन्यथा नहीं। यदि अभिग्रह के अनुकूल आहार न मिल पाता तो पुनः मासखमण की तपश्चर्या आरंभ हो जाती थी। नगर में जाकर आहार लेने का तो उन्होंने सर्वथा त्याग ही कर रखा था। इसका एक विशेष कारण था। एक बार बलभद्र मुनि पारणे के लिए आहार लेने को नगर की ओर जा रहे थे। नगर के बाहर स्त्रियाँ कुएँ से पानी भर रही थीं। बलभद्र मुनि बड़े ही रूपवान् थे। कुएँ पर पानी भरती हुई एक नवयुवती उनके रूप को देखकर मुग्ध हो गई। घड़े के गले में या गागर के गले में रस्सी कुण्डलाकृति में बाँधकर स्त्रियाँ कुएँ से पानी खींच रही थीं। वह नवयुवती मुनि के रूप को देखकर अपनी सुधबुध भूल गई। उसका मन तो आँखों के माध्यम से साधु के रूप की ओर आकर्षित था। जल खींचने की रस्सी के कुण्डल को बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चा रोने लगा। मुनि ने जब यह देखा तो उन्होंने उस स्त्री का ध्यान उसकी असावधानी की ओर दिलाया। इस घटना का उनके ऊपर बड़ा ही गभीर प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे, “धिवकार है ऐसे रूप को, यह तो बड़े अनर्थ का कारण है। आगे को मैं कभी भी आहार लेने के लिए नगर में नहीं जाऊँगा।”

बस, इसके पश्चात् वे कभी नगर की ओर पारणा का आहार लेने के लिए नहीं गये। जंगल में ही लकड़ी बटोरने वाले, लकड़ी काटने वाले या किसान यदि उनको पारणा के रूप में कुछ दे देते तो वे ले लेते अन्यथा मासखमण की तपश्चर्या अगले मास के लिए चालू हो जाती। इस बात का पता जंगल में रहने वाले एक हरिण को चल गया कि, “ये ऐसे महाराज हैं जो बस्ती में तो जाते ही नहीं, जंगल में ही कुछ मिल जाता है तो ले लेते हैं, अन्यथा उपवास ही चालू रहता है।” जब उनका महीने के पारणे का दिन आता तो वह हरिण जंगल में धूम-धूम कर इस बात का पता करता कि कौन जंगल में ऐसा व्यक्ति है और कहाँ है जो उनको शुद्ध आहारादिक बहरा सके। हरिण को पता कैसे चल जाता कि आज मुनिराज का पारणा है? यह तो कुदरत का ही एक चमत्कार है। हमारे शरीर का भी कुछ तत्र ऐसा है कि हमारे पास समय को जानने के लिए कोई घड़ी बगैरह नहीं रहती है तो भी हमें पता

चल जाता है कि समय क्या होगा। यदि हमारा भोजन का समय निर्धारित होता है तो भूख के द्वारा भी हमें पता चल जाता है कि अब भोजन का समय हो गया है। यदि आहार उस निश्चित समय पर न किया तो शरीर में दुर्बलता आ जायेगी और भूख मर जायेगी। भूख के मर जाने पर भी भूख निरन्तर तीन दिन तक अपने निर्धारित समय पर अवश्य लगेगी।

इस प्रसंग से सम्बद्ध एक उदाहरण है। दो चोर थे, उनको एक लकड़ी की पेटी में बन्द करके समुद्र में छोड़ दिया गया। डूबने का तो डर था ही नहीं। सूर्य की किरणों का प्रकाश बाहर से नहीं आ सकता था। एक प्रान्त भाग में वायु का आने का स्थान रख दिया था जिससे वे दम घुट के न मर सकें। ऐसा होने पर भी उनको मालूम पड गया कि उनको समुद्र में छोड़े दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है। एक को तो एकान्तर का बुखार आता था, और दूसरे को तीन दिन के बुखार का कष्ट था। इस प्रकार अपने ही शरीर के ताप से उनको अन्धकार में और अन्ध साधनों के अभाव में भी अपने बन्धन का ज्ञान हो गया। इस प्रकार कुदरत के खेल बड़े निराले हैं।

वैसे ही हरिण को भी पता चल जाता कि महाराज के पारणे का अमुक दिन है। महाराज को भी पता चल गया था कि हरिण उनकी सहायता के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। पारणे का दिन आया। हरिण सारी खोज करके महाराज के पास उपस्थित हो गया। मुनिराज उठे। आगे आगे हरिण और पीछे-पीछे महाराज। जंगल में काम करने वाले की स्त्री भोजन लेकर आ गई। वह भोजन की पोटली खोल कर खाने को तैयार ही हुआ था कि हरिण महाराज को लेकर पहुँच गया। महाराज ने भी देख लिया था कि आहार सर्वथा निरवद्य था। भोजन करने को जो व्यक्ति उद्यत था वह जाति से खाती था। उसने जब यह देखा कि हरिण मुनि को आहार के लिए लेकर आया है तो उसकी सद्भावना जागृत हो गई। वह अपने आहार से मुनि को बहराने लगा। महाराज अपनी मासखमण की तपश्चर्या पूर्ण होने के कारण आहार करने की इच्छा रखते थे। हरिण भी पास में ही खडा था। हरिण सोचने लगा, “यदि मैं मनुष्य-गति में होता और इस प्रकार का योग मुझे मिल जाता तो मैं भी महाराज को बहराता।” उधर बहराने की भावना बढ़ती है। खाती बहराने लगा तो मुनि बस-बस करते हुए कहते जाते थे, “अपने लिए भी तो रख लो।” मुनि का सन्तोष और बहराने वाले की श्रद्धा दोनों उत्कट थे। जिस मोटी शाखा को आधी ही काटकर खाती भोजन करने की इच्छा से वृक्ष के नीचे उतर आया था, वह शाखा वायु के भोके से टूटकर तीनों के ऊपर आ गिरी। परिणाम यह हुआ कि तीनों ही मृत्यु के ग्रास बने। वे तीनों मरकर पाँचवें देवलोक में उत्पन्न हुए।

कहने का अभिप्राय यह है कि मुनि तो आहार ग्रहण करते समय भी तपस्वी होता है। तप के बारह भेद होते हैं। सामान्य लोग मात्र आहार न करने को ही तपश्चर्या समझते हैं किन्तु मात्र आहार का त्याग तपश्चर्या नहीं होता। निःसन्देह यह भी तपश्चर्या का ही एक भेद है। निर्जरा तत्त्व के बारह भेद माने गये हैं। बारह प्रकार की क्रियाओं के पालन से ही कर्मों की निर्जरा होती है। या दूसरे शब्दों में कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए शास्त्रकार का कथन है कि मुनि के पास सात पहर का राज होता है जिसमें वह भली प्रकार तपश्चर्या, चिन्तन मनन आदि द्वारा अपना आत्म-कल्याण कर सकता है। हम आपको यही बता रहे थे कि कषायों के चौक में यह प्रत्याख्यान का भी एक चौक है। यदि साधक केवल प्रत्याख्यान के अन्दर ही खो जाता है और गुरु-आज्ञा की उपेक्षा कर देता है तो वह उद्दिष्ट मजिल की ओर नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रत्याख्यान को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। सर्वोपरि वस्तु तो गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा से ही साधक आराधक बनता है जिसका निर्देश हम पहले कर आये हैं। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता केवल प्रत्याख्यान में ही उलझकर रह जाता है तो वह आराधक के स्थान पर विराधक बन जाता है। किस समय कैसा-कैसा वातावरण उत्पन्न होने से प्रत्याख्यान भी गौण रूप धारण कर लेता है और कैसे वातावरण में प्रत्याख्यान एकदम सुन्नत के रूप में हमारे सामने आता है, कैसे-कैसे उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी आया करते हैं, इस पर प्रकाश किसी अन्य अवसर पड़ डाला जायेगा।

जन-भवन, डेहू (नागौर)

२८ जुलाई, १९७६



चल जाता है कि समय क्या होगा। यदि हमारा भोजन का समय निर्धारित होता है तो भूख के द्वारा भी हमें पता चल जाता है कि अब भोजन का समय हो गया है। यदि आहार उस निश्चित समय पर न किया तो शरीर में दुबलता आ जायेगी और भूख मर जायेगी। भूख के मर जाने पर भी भूख निरन्तर तीन दिन तक अपने निर्धारित समय पर अवश्य लगेगी।

इस प्रसंग से सम्बद्ध एक उदाहरण है। दो चोर थे, उनको एक लकड़ी की पेट्टी में बन्द करके समुद्र में छोड़ दिया गया। डूबने का तो डर था ही नहीं। सूर्य की किरणों का प्रकाश बाहर से नहीं आ सकता था। एक प्रान्त भाग में वायु का आने का स्थान रख दिया था जिससे वे दम घुट के न मर सकें। ऐसा होने पर भी उनको मालूम पड़ गया कि उनको समुद्र में छोड़े दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है। एक को तो एकान्तर का दुखार आता था, और दूसरे को तीन दिन के दुखार का कष्ट था। इस प्रकार अपने ही शरीर के ताप से उनको अन्धकार में और अन्य साधनों के अभाव में भी अपने बन्धन का ज्ञान हो गया। इस प्रकार कुदरत के खेल बड़े निराले हैं।

वैसे ही हरिण को भी पता चल जाता कि महाराज के पारणे का अमुक दिन है। महाराज को भी पता चल गया था कि हरिण उनकी सहायता के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। पारणे का दिन आया। हरिण सारी खोज करके महाराज के पास उपस्थित हो गया। मुनिराज उठे। आगे आगे हरिण और पीछे-पीछे महाराज। जगल में काम करने वाले की स्त्री भोजन लेकर आ गई। वह भोजन की पोटली खोल कर खाने को तैयार ही हुआ था कि हरिण महाराज को लेकर पहुँच गया। महाराज ने भी देख लिया था कि आहार सबथा निरवद्य था। भोजन करने को जो व्यक्ति उद्यत था वह जाति से खाती था। उसने जब यह देखा कि हरिण मुनि को आहार के लिए लेकर आया है तो उसकी सद्भावना जागृत हो गई। वह अपने आहार से मुनि को बहराने लगा। महाराज अपनी मासखमण की तपश्चर्या पूर्ण होने के कारण आहार करने की इच्छा रखते थे। हरिण भी पास में ही खड़ा था। हरिण सोचने लगा, “यदि मैं मनुष्य-गति में होता और इस प्रकार का योग मुझे मिल जाता तो मैं भी महाराज को बहराता।” उधर बहराने की भावना बढ़ती है। खाती बहराने लगा तो मुनि बस-बस करते हुए कहते जाते थे, “अपने लिए भी तो रख लो।” मुनि का सन्तोष और बहराने वाले की श्रद्धा दोनों उत्कट थे। जिस मोटी शाखा को आधी ही काटकर खाती भोजन करने की इच्छा से वृक्ष के नीचे उतर आया था, वह शाखा वायु के भोके से टूटकर तीनों के ऊपर आ गिरी। परिणाम यह हुआ कि तीनों

कहने का अभिप्राय यह है कि मुनि तो आहार ग्रहण करते समय भी तपस्वी होता है। तप के बारह भेद होते हैं। सामान्य लोग मात्र आहार न करने को ही तपश्चर्या समझते हैं किन्तु मात्र आहार का त्याग तपश्चर्या नहीं होता। निःसन्देह यह भी तपश्चर्या का ही एक भेद है। निर्जरा तत्त्व के बारह भेद माने गये हैं। बारह प्रकार की क्रियाओं के पालन से ही कर्मों की निजरा होती है। या दूसरे शब्दों में कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए शास्त्रकार का कथन है कि मुनि के पास सात पहर का राज होता है जिसमें वह भली प्रकार तपश्चर्या, चिन्तन मनन आदि द्वारा अपना आत्म-कल्याण कर सकता है। हम आपको यही ब्रता रहे थे कि कषायों के चौक में यह प्रत्याख्यान का भी एक चौक है। यदि साधक केवल प्रत्याख्यान के अन्दर ही खो जाता है और गुरु-आज्ञा की उपेक्षा कर देता है तो वह उद्दिष्ट मजिल की ओर नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रत्याख्यान को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। सर्वोपरि वस्तु तो गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा से ही साधक आराधक बनता है जिसका निर्देश हम पहले कर आये हैं। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता केवल प्रत्याख्यान में ही उलझकर रह जाता है तो वह आराधक के स्थान पर विराधक बन जाता है। किस समय कैसा-कैसा वातावरण उत्पन्न होने से प्रत्याख्यान भी गौण रूप धारण कर लेता है और कैसे वातावरण में प्रत्याख्यान एकदम सुन्नत के रूप में हमारे सामने आता है, कैसे-कैसे उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी आया करते हैं, इस पर प्रकाश किसी अन्य अवसर पड़ डाला जायेगा।

जन-भवन, डेह (नागौर)

२५ जुलाई, १९७६



चल जाता है कि समय क्या होगा। यदि हमारा भोजन का समय निर्धारित होता है तो भूख के द्वारा भी हमें पता चल जाता है कि अब भोजन का समय हो गया है। यदि आहार उस निश्चित समय पर न किया तो शरीर में दुर्बलता आ जायेगी और भूख मर जायेगी। भूख के मर जाने पर भी भूख निरन्तर तीन दिन तक अपने निर्धारित समय पर अवश्य लगेगी।

इस प्रसंग से सम्बद्ध एक उदाहरण है। दो चोर थे, उनको एक लकड़ी की पेट्टी में बन्द करके समुद्र में छोड़ दिया गया। डूबने का तो डर था ही नहीं। सूर्य की किरणों का प्रकाश बाहर से नहीं आ सकता था। एक प्रान्त भाग में वायु का आने का स्थान रख दिया था जिससे वे दम घुट के न मर सकें। ऐसा होने पर भी उनको मालूम पड़ गया कि उनको समुद्र में छोड़े दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है। एक को तो एकान्तर का बुखार आता था, और दूसरे को तीन दिन के बुखार का कष्ट था। इस प्रकार अपने ही शरीर के ताप से उनको अन्धकार में और अन्य साधनों के अभाव में भी अपने बन्धन का ज्ञान हो गया। इस प्रकार कुदरत के खेल बड़े निराले हैं।

वैसे ही हरिण को भी पता चल जाता कि महाराज के पारणे का अमुक दिन है। महाराज को भी पता चल गया था कि हरिण उनकी सहायता के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। पारणे का दिन आया। हरिण सारी खोज करके महाराज के पास उपस्थित हो गया। मुनिराज उठे। आगे आगे हरिण और पीछे-पीछे महाराज। जंगल में काम करने वाले की स्त्री भोजन लेकर आ गई। वह भोजन की पोटली खोल कर खाने को तैयार ही हुआ था कि हरिण महाराज को लेकर पहुँच गया। महाराज ने भी देख लिया था कि आहार स्वर्था निरवद्य था। भोजन करने को जो व्यक्ति उद्यत था वह जाति से खाती था। उसने जब यह देखा कि हरिण मुनि को आहार के लिए लेकर आया है तो उसकी सद्भावना जागृत हो गई। वह अपने आहार से मुनि को बहराने लगा। महाराज अपनी भासखमण की तपश्चर्या पूर्ण होने के कारण आहार करने की इच्छा रखते थे। हरिण भी पास में ही खड़ा था। हरिण सोचने लगा, "यदि मैं मनुष्य-गति में होता और इस प्रकार का योग मुझे मिल जाता तो मैं भी महाराज को बहराता।" उधर बहराने की भावना बढ़ती है। खाती बहराने लगा तो मुनि बस-बस करते हुए कहते जाते थे "अपने लिए भी तो रख लो।"

कहने का अभिप्राय यह है कि मुनि तो आहार ग्रहण करते समय भी तपस्वी होता है। तप के बारह भेद होते हैं। सामान्य लोग मात्र आहार न करने को ही तपश्चर्या समझते हैं किन्तु मात्र आहार का त्याग तपश्चर्या नहीं होता। निःसन्देह यह भी तपश्चर्या का ही एक भेद है। निर्जरा तत्त्व के बारह भेद माने गये हैं। बारह प्रकार की क्रियाओं के पालन से ही कर्मों की निर्जरा होती है। या दूसरे शब्दों में कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए शास्त्रकार का कथन है कि मुनि के पास सात पहर का राज होता है जिसमें वह भली प्रकार तपश्चर्या, चिन्तन मनन आदि द्वारा अपना आत्म-कल्याण कर सकता है। हम आपको यही बता रहे थे कि कषायों के चौक में यह प्रत्याख्यान का भी एक चौक है। यदि साधक केवल प्रत्याख्यान के अन्दर ही खो जाता है और गुरु-आज्ञा की उपेक्षा कर देता है तो वह उद्दिष्ट मजिल की ओर नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रत्याख्यान को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। सर्वोपरि वस्तु तो गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा से ही साधक आराधक बनता है जिसका निर्देश हम पहले कर आये हैं। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता केवल प्रत्याख्यान में ही उलझकर रह जाता है तो वह आराधक के स्थान पर विराधक बन जाता है। किस समय कैसा-कैसा वातावरण उत्पन्न होने से प्रत्याख्यान भी गौण रूप धारण कर लेता है और कैसे वातावरण में प्रत्याख्यान एकदम सुन्नत के रूप में हमारे सामने आता है, कैसे-कैसे उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी आया करते हैं, इस पर प्रकाश किसी अन्य अवसर पड़ डाला जायेगा।

जन-भवन, डेह (नागौर)

२८ जुलाई, १९७६





दूध में पानी जूती में तेल, इनका कैसा होता मेल ?

शाश्वत सुखो का मूल धर्म है। धर्म की आराधना दो प्रकार से की जाती है—एक तो साधु धर्म के द्वारा और दूसरी श्रावक धर्म के द्वारा। साधु का धर्म तो सर्वविरति रूप है और श्रावक का धर्म देशविरति रूप है। सर्व का अर्थ पूरा होता है और देश का अर्थ थोड़ा होता है। सभी प्रकार से विरति हो जाना या विरमण करना—सर्वविरति है। विरमण शब्द का निर्माण वि उपसर्ग और रमण से हुआ है। रमण और विरमण—ये दो ध्वनियाँ उससे निकलती हैं। रमण का अर्थ तो स्पष्ट 'रमना' है। जैसे समान प्रकृति और समान विचारों के दो लडके आपस में इतने घुल-मिल जाया करते हैं कि दोनों के क्रियाकलाप में कोई अन्तर नहीं रह जाता। उनका खाना-पीना, बैठना उठना सब एक साथ हुआ करता है। इसी को साहित्यिक भाषा में रमना कहते हैं। दो व्यक्तियों में गाढी मित्रता देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो ऐसे घुल-मिल गये हैं जैसे दूध में पानी। लोग उनको ऐसी उपमा तभी देते हैं यदि वे दोनों व्यक्ति सज्जन हों और दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध पवित्र हो। यदि दोनों व्यक्ति अच्छे नहीं, प्रकृति की विपरीतता होने पर भी आपस में घुल-मिल कर रहते हैं तो उन्हें लोग अच्छी उपमा नहीं देते। उन्हें तो कहा जाता है कि "इनका ऐसा मेल जैसा जूती में तेल"। उचित रमण और अनुचित रमण दोनों प्रकार के रमणों की भाँकी में आपके सामने प्रस्तुत की है। हमारा आत्मा पाप में रमण कर रहा है और पाप के साथ एकमेक हो गया है। इस प्रकार का रमना हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़े समय से नहीं, अनादिकाल से हमारा आत्मा पापों में रमता आ रहा है। मारवाडी की एक कहावत में ऐसा ही भाव ध्वनित होता है

“पाप बान्धता सोहिलो और भोगवता दोहिलो।

पुण्य बान्धता दोहिलो भोगवताँ सोहिलो॥”

अर्थात्—पाप करना बड़ा सरल है किन्तु पुण्य करना बड़ा कठिन है। इसी-लिए किसी विद्वान् ने कहा है

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति,
पुण्य कुर्वन्ति नो जना ।
फल पापस्य नेच्छन्ति,
पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥

अर्थात्—

लोग पुण्य के फल की तो इच्छा रखते हैं किन्तु पुण्यकर्म का अर्जन नहीं करते। पाप के फल को भोगना तो चाहते नहीं किन्तु पापकर्म का अर्जन बड़े यत्न से किया करते हैं।

हम अनादिकाल से पाप करते आये हैं और पाप करना हमें प्रिय भी लगता है। पाप में जीव प्रसन्न रहता है, इस पर किसी ने कहा है

पाप में जीव बहुत राजी,
खेल रह्यो कुमति सग बाजी ॥

जीव कुमति के साथ खेला करता है और पाप में रमण करता है। इस प्रसंग में कुछ पापों के नाम आपको बताना आवश्यक है

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मंथुन और परिग्रह—ये पाँच प्रकार के पाप हैं। इसके अतिरिक्त पाप तो और भी हैं। कुल अठारह पाप हैं। किन्तु इन पाँच मुख्य पापों के सर्वथा विरमण से महात्रतो को एव अशत विरमण से अणुत्रतो को ग्रहण किया जाता है।

इन पाँच प्रकार के पापों के साथ यदि हम रमण करना छोड़ दें तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। पापों के साथ हमारा एकमेकपना और घुल-मिलकर रहने का व्यवहार जब मिटता है तभी पाप-रमण का त्याग या विरमण सम्भव है। पापों के साथ रमण बुरा है एव पापों से विरमण अच्छा है। शास्त्रकार व्रतों की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं

“प्राणाइवायात्रो विरमण, मोसावायात्रो विरमण, अदिण्णादाणात्रो विरमण, मेहुणात्रो विरमण, परिग्गहात्रो विरमण ॥”

प्राणातिपात—जीवहिंसा, मृषावाद—भूठ, अदत्तादान—चोरी, मंथुन—स्त्रीसम्भोग, परिग्रह—सग्रह की भावना, इन पाँच प्रकार के पापों से जीव को अलग रहना चाहिए अर्थात् इनका आत्मकल्याण निमित्त त्याग कर देना चाहिए।

उमास्वाति ने भी अपने तत्त्वार्थ-सूत्र में इसी सत्य की पुष्टि करते हुए



दूध में पानी जूती में तेल, इनका कैसा होता मेल ?

शाश्वत सुखो का मूल धर्म है। धर्म की आराधना दो प्रकार से की जाती है—एक तो साधु धर्म के द्वारा और दूसरी श्रावक धर्म के द्वारा। साधु का धर्म तो सर्वविरति रूप है और श्रावक का धर्म देशविरति रूप है। सर्व का अर्थ पूरा होता है और देश का अर्थ थोड़ा होता है। सभी प्रकार से विरति हो जाना या विरमण करना—सर्वविरति है। विरमण शब्द का निर्माण वि उपसर्ग और रमण से हुआ है। रमण और विरमण—ये दो ध्वनियाँ उससे निकलती है। रमण का अर्थ तो स्पष्ट 'रमना' है। जैसे समान प्रकृति और समान विचारों के दो लडके आपस में इतने घुल-मिल जाया करते हैं कि दोनों के क्रियाकलाप में कोई अन्तर नहीं रह जाता। उनका खाना पीना, बैठना उठना सब एक साथ हुआ करता है। इसी को साहित्यिक भाषा में रमना कहते हैं। दो व्यक्तियों में गाढी मित्रता देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो ऐसे घुल-मिल गये हैं जैसे दूध में पानी। लोग उनको ऐसी उपमा तभी देते हैं यदि वे दोनों व्यक्ति सज्जन हों और दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध पवित्र हो। यदि दोनों व्यक्ति अच्छे नहीं, प्रकृति की विपरीतता होने पर भी आपस में घुल-मिल कर रहते हैं तो उन्हें लोग अच्छी उपमा नहीं देते। उन्हें तो कहा जाता है कि "इनका ऐसा मेल जैसा जूती में तेल"। उचित रमण और अनुचित रमण दोनों प्रकार के रमणों की भाँकी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। हमारा आत्मा पाप में रमण कर रहा है और पाप के साथ एकमेक हो गया है। इस प्रकार का रमना हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़े समय से नहीं, अनादिकाल से हमारा आत्मा पापों में रमता आ रहा है। मारवाडी की एक कहावत में ऐसा ही भाव ध्वनित होता है

“पाप बान्धता सोहिलो और भोगवता दोहिलो ।
पुण्य बान्धता दोहिलो भोगवताँ सोहिलो ॥”

अर्थात्—पाप करना बड़ा सरल है किन्तु पुण्य करना बड़ा कठिन है। इसी-
लिए किसी विद्वान् ने कहा है

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति,
पुण्य कुर्वन्ति नो जना ।
फल पापस्य नेच्छन्ति,
पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥

अर्थात्—

लोग पुण्य के फल की तो इच्छा रखते हैं किन्तु पुण्यकर्म का अर्जन नहीं करते। पाप के फल को भोगना तो चाहते नहीं किन्तु पापकर्म का अर्जन बड़े यत्न से किया करते हैं।

हम अनादिकाल से पाप करते आये हैं और पाप करना हमें प्रिय भी लगता है। पाप में जीव प्रसन्न रहता है, इस पर किसी ने कहा है

पाप में जीव बहुत राजी,
खेल रह्यो कुमति सग वाजी ॥

जीव कुमति के साथ खेला करता है और पाप में रमण करता है। इस प्रसंग में कुछ पापों के नाम आपको बताना आवश्यक है

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मंथुन और परिग्रह—ये पाँच प्रकार के पाप हैं। इसके अतिरिक्त पाप तो और भी हैं। कुल अठारह पाप हैं। किन्तु इन पाँच मुख्य पापों के सर्वथा विरमण में महाव्रतों को एव अशत विरमण से अणुव्रतों को ग्रहण किया जाता है।

इन पाँच प्रकार के पापों के साथ यदि हम रमण करना छोड़ दें तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। पापों के साथ हमारा एकमेकपना और धुल-मिल-कर रहने का व्यवहार जब भिद्यता है तभी पाप-रमण का त्याग या विरमण सम्भव है। पापों के साथ रमण बुरा है एव पापों से विरमण अच्छा है। शास्त्रकार व्रतों की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं

“पाणाद्वायाओ विरक्षण, मोसावायाओ विरमण, अदिण्णादाणाओ विरमण, मेहुणाओ विरमण, परिग्गहाओ विरमण।”

प्राणातिपात—जीवहिंसा, मृषावाद—भूठ, अदत्तादान—चोरी, मंथुन—स्त्रीसम्भोग, परिग्रह—संग्रह की भावना, इन पाँच प्रकार के पापों से जीव को अलग रहना चाहिए अर्थात् इनका आत्मकल्याण निमित्त त्याग कर देना चाहिए।

उमास्वाति ने भी अपने तत्त्वार्थ-सूत्र में इसी सत्य को पुष्टि करते हुए

लिखा है

“हिंसानृतस्तेयान्नह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम्”

हिंसा, भ्रूठ, चोरी, दुःशील और परिग्रह—इनसे विरत होना भी ब्रत कहलाता है। जैसे जूतो में तेल घुल-मिलकर रहता है, वैसे ही हम पापों के साथ घुल-मिलकर रह रहे थे जबकि यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी या भ्रान्ति थी।

दूध और पानी के साथ हमारी तुलना निर्दोष नहीं है क्योंकि दूध और पानी तो दोनों अमृत हैं। पानी का महत्त्व तो दूध से भी अधिक है क्योंकि हम दूध के बिना जीवित रह सकते हैं किन्तु पानी के बिना नहीं। इसके अतिरिक्त पानी तो दूध के भी प्राण है, बिना पानी की सत्ता के दुग्ध का दुग्धत्व सम्भव नहीं। दूध और पानी की तुलना में आत्मा को हम दूध मानेंगे तो पानी को पापरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पानी तो उत्तम वस्तु है, अमृत है और सृष्टि के प्राणियों का जीवन है। अतएव दूध और पानी की उपमा आत्मा व कर्मों के लिए घटती नहीं।

चमड़े और तेल की उपमा निःसन्देह युक्तियुक्त प्रतीत होती है। चमड़े और तेल का मेल विजातीय मेल है। तेल के समान आत्मा नाम की पवित्र वस्तु का चमड़े के समान पाप में मिलाना अनुचित रमण होता है। इस रमण के त्याग का नाम ही विरमण है। यह विरमण भी दो प्रकार से होता है। एक तो सर्वथा विरमण होता है जो साधुओं के आचरण में पाया जाता है

“सव्वाश्रो पाणाइवायाश्रो विरमण”

सव्वाश्रो मुसावायाश्रो विरमण,

सव्वाश्रो मेहुणाश्रो विरमण,

सव्वाश्रो परिगहाश्रो विरमण”

श्रावकों का विरमण सर्वथा नहीं होता, आशिक होता है। स्थूल रूप में होता है

“थूलाश्रो पाणाइवायाश्रो विरमण”

अर्थात्—केवल त्रस जीव की जान-बूझकर हत्या नहीं करना। त्रस के अतिरिक्त जो स्थावर जीव हैं उनकी कोई चर्चा नहीं। अनजान में त्रस जीवों की भी हिंसा हो जाये तो ब्रत में बाधा नहीं। सक्षेप में श्रावक के लिए ‘थूलाश्रो’ और मुनि के लिए ‘सव्वाश्रो’ का विधान है। एक देशविरति धर्म है और दूसरा सबविरति धर्म है।

सर्वविरति धर्म को धारण करने वाले अर्थात् साधु-धर्म की आराधना करने वाले व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं एक तो भगवान् ऋषभदेव के युग के, दूसरे मध्यवर्ती भगवान् अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान् के समय तक के और तीसरे भगवान् महावीर के शासन काल के। इन तीन प्रकार के धर्म करने वाले श्रावकों की धार्मिक क्रियाओं की कोई व्याख्या नहीं की गयी। इसका प्रधान कारण यही है कि धार्मिक दृष्टि से श्रावक का स्थान गौण है, प्रमुख स्थान तो धर्म की आराधना करने वाले साधु का है। इसलिए साधुओं की अपेक्षा को ही ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न प्रकृतियों का विवरण दिया गया है। भगवान् ऋषभदेव के समय के लोग सरल प्रकृति के किन्तु जड़ बुद्धि वाले थे। भगवान् अजितनाथ से भगवान् पार्श्वनाथ तक के लोग सरल एवं अत्यन्त बुद्धिमान थे। भगवान् महावीर के युग के लोग वक्रप्रकृति के एवं जड़बुद्धि के थे। सरलता और समझदारी दोनों की उनमें न्यूनता है। वे स्पष्ट रूप से न तो किसी बात को कहते ही हैं और न ही गुरुओं द्वारा दी गयी शिक्षा को ही समीचीन रूप से ग्रहण करते हैं। गहराई में न जाकर किसी एक बात की ही पूँछ पकड़कर बैठ जाते हैं। दृष्टान्त के द्वारा इस सत्य का स्पष्टीकरण हो जायेगा।

साधु बाहर चले गये और देर से लौटकर आये। गुरु ने पूछा, “आज बहुत विलम्ब से लौटे हो, क्या कारण बन गया था ?”

उत्तर मिला, ‘भगवन् ! हमें विलम्ब इसलिए हो गया कि मार्ग में एक नाटक का अभिनय हो रहा था उसे देखने लग गये थे।’

“नाटक देखना साधुओं के लिए वर्जित है। नटों द्वारा अभिनीत नाटक आगे को कभी मत देखना।” गुरु ने अनुशासन की वाणी में कहा।

“जो आज्ञा, आगे को ऐसी भूल नहीं करेंगे।” शिष्यों ने नम्रवाणी में गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया।

अगले दिन वही साधु पुनः देर से आये। गुरु ने पूछा, “आज भी देर कर के आये हो, देर का क्या कारण है ?”

“बापजी, आज तो नटनियाँ नाटक कर रही थीं उनको देखने लग गये, आपने तो नटों का नाटक देखने के लिए मना किया था।” शिष्यों ने बड़ी सरल वाणी में उत्तर दिया।

“मैंने तुमसे कहा था नाटक देखना साधुओं के लिए वर्जित है। जब नटों द्वारा अभिनीत नाटक देखना वर्जित है तो नटनियों का नाटक समर्थित कैसे हो सकता है ?” गुरु ने साधु की आचारपद्धति पर जोर देते हुए कहा।

“भूल हो गयी, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे।” शिष्यों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा।

ऐसे थे भगवान् ऋषभदेव के जमाने में साधु, सरल एव जड । जो बात जितनी कही जाती, बस उतनी ही समझ पाते थे । थोड़े-से इशारे में बहुत कुछ समझ सकने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी ।

भगवान् अजितनाथ से पार्श्वनाथ के समय तक के साधु-साध्वियों से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो वे क्या उत्तर देते—उसका विवरण इस प्रकार है गुरु से यह पूछे जाने पर कि विलम्ब क्यों हुआ, साधुओं ने मार्ग में नटों द्वारा होनेवाले नाटक का नाम लिया और देर का कारण स्पष्ट बता दिया । गुरु के यह कहने पर कि साधुओं के लिए नाटक का देखना वर्जित है, साधुओं ने किसी अन्य अवसर पर नटनियों द्वारा अभिनीत नाटक को इसलिए नहीं देखा क्योंकि नाटक न देखने के गुरु के उपदेश में सभी प्रकार के नाटकों का समावेश उन्होंने समझ लिया था । स्पष्ट है कि वे सरल एव बुद्धिमान थे ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान् महावीर के शासनकाल के लोग वक्र भी है एव जड भी ।

गुरु के द्वारा यह पूछे जाने पर कि “आज आप देर से क्यों आये ?”

उत्तर मिला, “क्या गाँव के बाहर ही बैठ जाते, वापस तो आना ही था । दूर गये थे, दूर जाने से आने में देरी तो लगेगी ही ।” साधुओं की वाणी में वक्रता थी ।

गुरु ने फिर पूछा, “अरे भाई बाहर तो प्रतिदिन ही जाते हो, आज क्या विशेष बात हो गयी जो इतनी देर से आये हो ?”

“आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा करने वालों को थोड़ा समय भी अधिक दिखाई दिया करता है । देर लगी, देर लगी, क्या देर लगी, नाटक हो रहा था, उसे देखने लग गये थे ।” शिष्यों ने बड़ी कर्कश और विनयहीन भाषा में उत्तर दिया ।

“इस प्रकार स्पष्ट और सत्य वाणी क्यों नहीं बोलते ? इतनी देर तक उल्टे सीधे उत्तर देने से तुम्हें क्या लाभ हुआ ?” गुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा और आदेशात्मक ढंग से उन्होंने नटों का नाटक देखने को साधु के लिए वर्जित बताया ।

शिष्यों ने आदेश को अहसानपूर्वक स्वीकारते हुए कहा, “ठीक है बाबा । हमारी तो मन बहलाने की इच्छा रहती है, किन्तु कोई बात नहीं, आप यदि नहीं चाहते हैं तो आगे से नहीं देखेंगे ।”

द्वारा फिर एक दिन देर से आया शिष्य । गुरु जी ने फिर पूछा, “भई ! इतनी देर कैसे लगी ?”

“आपने तो उस दिन नटों का नाटक देखने को मना किया था, नटनियों का नहीं । यदि आप नटनियों का नाटक देखने को भी मना कर देते तो हम काहे

को देखते ? आप एक बार ही सारी आचार-सहिता की शिक्षा क्यों नहीं दे देते ? ऐसा प्रतीत होता है कि आपको हमें बार-बार डाटने में और दण्ड देने में आनन्द आता है ।” शिष्यों ने बड़ी घृष्टता से अपनी मन्दबुद्धि और वक्रता का परिचय देते हुए कहा ।

भगवान् महावीर के शासनकाल के अनुयायियों में सरलता और नम्रता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है । इस प्रकार धर्माराधन करने वालों की तीन प्रकृतियाँ हैं (१) ऋजु और जड, (२) ऋजु और प्राज्ञ, (३) वक्र और जड ।

दो तत्त्व हैं ऋजुता और प्राज्ञता । ऋजुता और प्राज्ञता के लाभ का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राज्ञ है उसको धर्म का स्वरूप और वस्तु का स्वरूप भलीभाँति समझ में आ जाया करता है—बस यही प्राज्ञ होने का लाभ है । समझे हुए धर्म को भली प्रकार पालन करने की सामर्थ्य आ जाना यह सरलता और ऋजुता का लाभ है । धर्म का पालन सरल व्यक्ति किया करते हैं और तत्त्वों का ज्ञान प्राज्ञ व्यक्ति को होता है । जो विचक्षण नहीं है, प्राज्ञ नहीं है, वह धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता । जिसमें सरलता और ऋजुता का अभाव है, वह धर्म का पालन नहीं कर सकता । जैन धर्म में सरलता नितान्त अपेक्षित है । सरलता के गुण से हीन व्यक्ति गुरु के साथ ही क्या वह तो भगवान् के साथ भी घोखा करने में सकोच नहीं करेगा ।

सरलता और प्राज्ञता का इतना विश्लेषण करने का हमारा यही उद्देश्य है कि जिस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके सामने धर्म का स्वरूप उसी ढंग का बताया जाता है । प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के समय के साधुओं को धर्म का स्वरूप पाँच महाव्रतों के रूप में बताया गया । बीच के बाईस तीर्थंकरों के साधकों के लिए चार महाव्रतों का ही विधान किया गया । इसको उन युगों में चातुर्याम धर्म के नाम से पुकारा जाता था । अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के समय में पाँच महाव्रत और मध्यकाल में चार का ही विधान क्यों ? इसका उत्तर यह है, महाव्रत तो मध्यकाल में भी पाँच ही थे, ब्रह्मचर्य नाम के चौथे महाव्रत का अलग उल्लेख न करके उसका समावेश अपरिग्रह—पाँचवें महाव्रत में कर लिया गया था । स्त्री का और परिग्रह का सम्बन्ध तो स्पष्ट ही है । जहाँ स्त्री होगी वहाँ परिग्रह होगा ही और जहाँ परिग्रह का नाम लिया जायेगा वहाँ स्त्री के परिग्रह का बोध स्वयं ही ही जाता है । इसीलिए बाईस तीर्थंकरों के समय में ब्रह्मचर्य नाम के महाव्रत का पृथक् विधान न करके उसे परिग्रह के अन्तर्गत समझ लिया गया था । परिग्रह-त्याग में स्त्री का त्याग स्वयं अवगत हो जाता था । यदि स्त्री और परिग्रह का

अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भी मान लें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। क्योंकि सामान्य रूप से जहाँ स्त्री होगी वहाँ परिग्रह रहेगा ही और जहाँ परिग्रह होगा वहाँ स्त्री की उपस्थिति भी प्रायः होगी ही। भगवान् महावीर के युग में जो पुनः ब्रह्मचर्य महाव्रत को पृथक् करके महाव्रतों की सरया पाँच बना दी गई सो तो अच्छा ही हुआ। यदि ऐसा न करते तो शिथिलाचारी लोगों को व्यभिचार के समर्थन का एक बहाना भी मिल सकता था। पाँच के विधान की और पालन की तो बात ही क्या है छठे का भी विधान करना पडा। साधुओं के लिए छठा व्रत रात्रि-भोजन-विरमण है और श्रावको के लिए छठा दिशा-विरमण व्रत है। वैसे तो रात्रि-भोजन-विरमण-व्रत का समावेश प्रथम महाव्रत 'अहिंसा' में भी हो सकता था क्योंकि रात्रि भोजन करने से जीवों की विराधना होती है—हिंसा होती है, परन्तु यह तो पाँचवाँ आरा है, लोग वक्र और जड मतिवाले हैं। लोग खुरचने निकालने लगेंगे कि पाँच महाव्रतों में रात्रि भोजन का तो कहीं भी उल्लेख नहीं है इसलिए साधु यदि रात्रि को भोजन कर भी ले तो क्या हानि है। इसी आशका को ध्यान में रखकर आचार्यों ने छठे व्रत का अलग से विधान किया है। परन्तु अपने व्याख्यान में हमने बताया था कि प्रत्याख्यान से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात आज्ञा है। आज्ञा का स्थान सर्वोपरि है। जिस प्रकृति के लोग होते हैं, उनको उसके अनुसार ही प्रत्याख्यान का रूप समझाया जाता है। यही कारण है कि पहले पाँच महाव्रतों का विधान था, फिर चार का हुआ और पुनः पाँच का विधान कर दिया गया। पाँच से भी जब काम न चला तो छठे का भी विधान करना पडा। इस कारण गुरु की आज्ञा या शासन की आज्ञा को सर्वोपरि मानना चाहिए।

जैन भवन, डेह (नागौर)

२६ जुलाई, १९७६





मूल गुण और उत्तर गुण-विश्लेषण

जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है शाश्वत मुखो की प्राप्ति धर्म की आराधना द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं। साधुत्व और श्रावकत्व धर्म की आराधना में माध्यम है। साधु धर्म और श्रावक धर्म— इन दोनों प्रकार के धर्मों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेनी होती हैं। कतिपय प्रतिज्ञाएँ तो 'यावज्जीव' अर्थात् सम्पूर्ण जीवन के लिए होती हैं और कुछ प्रतिज्ञाएँ ऐसी होती हैं जो समय की सीमा से बँधी होती हैं। समय की मर्यादा के अनुसार जिन प्रतिज्ञाओं का पालन किया जाता है, उन्हें 'उत्तर गुण' कहते हैं। आजीवन जो प्रतिज्ञाएँ पालन की जाती हैं वे 'मूल गुण' के नाम से पुकारी जाती हैं। मूल गुण की प्रतिज्ञाएँ पहले ली जाती हैं और उत्तर गुण की बाद में। उत्तर गुणों की प्रतिज्ञाएँ मूल गुणों को शक्ति और दृढता प्रदान करने के लिए होती हैं। यदि कोई ऐसा कहे कि शक्ति तो मूल गुणों से उत्तर गुणों को मिलनी चाहिए क्योंकि शक्ति का स्रोत तो मूल गुण है। इसका उत्तर यह है कि यदि हम मूल गुण तो धारण कर ले और उत्तर गुणों की उपेक्षा कर दें, तो ऐसी स्थिति में हम मूल गुणों के लक्ष्य से भ्रष्ट हो सकते हैं। जो शक्ति और दृढता मूल गुणों को हमारी ओर से मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पायेगी। मूल गुणों को धारण करने के पश्चात् यदि हम निरन्तर उनके लिए कुछ क्रिया करते रहेगे तभी तो मूल गुणों को स्थिरता प्रदान कर सकेंगे। एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण हो जायेगा। एक भवन का निर्माण कराया गया, उसकी दृढता और स्थिरता के लिए अपेक्षित पत्थर, सीमेंट, चूना आदि का प्रयोग किया गया। भवन के खड़ा करने मात्र से भवन का काम समाप्त नहीं हो जाता किन्तु भवन के चिरकालिक स्थायित्व के लिए उसकी धुलाई, पुताई, रंग-रोगन, दैनिक सफाई, समय-समय पर मरम्मत की व्यवस्था नहीं होगी तो वह भवन जल्दी ही कमजोर पड़ जायेगा, जीर्ण-शीर्ण हो जायेगा। कुछ वर्षों तक यदि वह अपेक्षित अवस्था में पड़ा रहा तो संभव है उसकी मरम्मत पर हमें उतना ही खर्च करना पड़े जितना कि उसके निर्माण में लगा था। भवन का निर्माण मूल गुण

के समान समझना चाहिए और उस भवन की जो सुरक्षण की क्रियाएँ हैं, वे उत्तर गुणों के समान हैं ।

एक दूसरा उदाहरण वृक्ष का लीजिये । बीज अकुर के रूप में प्रस्फुटित होता है । बहुत कोमल होता है, अकुर को कोई भी उखाड़कर फेंक सकता है परन्तु माली उसकी रक्षा करता है पशुओं से, पक्षियों से । उसे सींचता है, उसके विकास के लिए । धीरे धीरे सुरक्षा पाकर वह भाङ का रूप धारण करता है । समय के साथ साथ उसके तने मजबूत होते जाते हैं, वह वृक्ष बन जाता है, उसकी शाखाओं को शक्ति मिलती है, वे फैलती जाती हैं । शाखाएँ पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं और फलित होती हैं । प्रतिवर्ष उस वृक्ष के सहस्रो पत्ते झड़ते हैं और नये आते हैं । वह अपने रक्षक माली को फलों की आय से सम्पन्न बनाने लगता है । अब उस वृक्ष का तना इतना दृढ़ और शक्तिशाली बन जाता है कि उसको किसी प्रकार की बाह्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती है । उस तने में जो इतनी दृढ़ता और शक्ति का समावेश हुआ है उसका कारण उसकी बाहर की सुरक्षण की क्रियाएँ हैं । यहाँ वृक्ष के तने को मूल गुण के रूप में समझना चाहिए और सुरक्षण की बाह्य क्रियाओं को उत्तर गुण के रूप में ।

मूल गुणों को उत्तर गुणों से किस प्रकार सहायता मिला करती है यह बात उक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है और यह भी स्पष्ट हो गया कि मूल या स्थायी तत्त्व की, अस्थायी तत्त्व किस प्रकार रक्षा या सहायता करता है । हम यदि मूल वस्तु की वारवार देख-रेख करते रहते हैं, तो वह सुरक्षित रहती है, उसमें स्थायित्व आ जाता है । इसका कारण है, हमारी दृष्टि में, हमारी नज़रों में चैतन्य भरा पड़ा है । जब एक चैतन्य की दृष्टि दूसरे चैतन्य पर पड़ती है तो क्या विलक्षण विचारधारा उत्पन्न हो जाया करती है

“चार मिले चौंसठ खिले, बीस रहे कर जोड़ ।
सज्जन हम तुम दो मिले, विकसे सात करोड़ ॥”

अर्थात्—

जब दो सज्जन मिले तो दोनों की आँखें मिलकर चार हो गईं । आँखें चार होते ही दोनों मुस्करा दिये, दोनों के बत्तीस दाँत, चौंसठ की सरया में खिल गये । दोनों ने हाथ मिलाये तो दोनों के हाथों की अँगुलियों की सख्या बीस के रूप में मिली । दोनों सज्जन एक-दूसरे को देखकर रोमांचित हो गये । एक व्यक्ति के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम होते हैं, दोनों के शरीरों के रोम मिलकर सात करोड़ हो गये । हमारा कहने का अभिप्राय है कि

चैतन्य की नजर जब चैतन्य पर पड़ती है तो ऐसी प्रक्रिया होती है। चैतन्य की नजर बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यह तो जड़ पदार्थों पर भी पड़ जाती है तो उनको भी जीवन-सा प्रदान कर देती है। दूसरे शब्दों में, चैतन्य की दृष्टि जड़ पदार्थों में भी जीवन संचार करने वाली है। आपका मकान सुन्दर से सुन्दर हो किन्तु आप उसे ताला लगाकर चले जायें और दो-तीन साल बाद जब आप वापस आकर ताला खोलेंगे तो आपका उसके अन्दर प्रवेश करने को भी मन नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण यही है कि पर्याप्त समय तक उसमें चैतन्य की अनुपस्थिति रही। चिरकाल तक उस मकान की दीवारों को, छतों को और फर्शों को किसी चैतन्य की दृष्टि ने नहीं देखा। कितना बड़ा चमत्कार भरा हुआ है इस चेतन की दृष्टि में। यह एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सत्य है कि हमारी दृष्टि से पुद्गलों का एक प्रवाह निकलता है और वह प्रवाह अपने सामने आनेवाले पुद्गलों को प्रभावित करता है। सामने के पुद्गल उसमें विकसित हो जाते हैं। फिर मकान तो चैतन्य का निवास स्थान है, उसमें चैतन्य द्वारा जीवन संचार हो जाना तो एक स्वाभाविक बात है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी तो चैतन्य का मकान ही है। शरीर जड़ और जीव उसमें जीवन का संचार कर रहा है। उस चेतन के निवास से ही जड़ शरीर चमक रहा है। मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है, 'इणरो चेहरो तो दीपू दीपू करे'। दीप्ति, तेज और लावण्य ये किसके गुण हैं—सब चेतन के चमत्कार हैं।

हाँ, तो हमारा प्रसंग चल रहा था मूल गुणों और उत्तर गुणों का। मूल गुण के रूप में हमने आजीवन व्रत-पचखाण तो ले लिया किन्तु लेने के पश्चात् यदि हम किसी भी प्रकार से उत्तर गुणों को धारण नहीं करते हैं तो हमारे मूल गुणों को सुरक्षा का तत्त्व नहीं मिल पायेगा और ऐसी उपेक्षा की स्थिति में वे मूल गुण एक दिन धूल में मिल जायेंगे। इसी कारण से शास्त्रकारों ने कहा है कि अपने मूल गुणों की सुरक्षा के लिए हमें समय-समय पर उत्तर गुणों को धारण करना चाहिए। यद्यपि उत्तर गुण अस्थायी होते हैं किन्तु अस्थायी होकर भी वे स्थायी तत्त्व की रक्षा करने की शक्ति रखते हैं, इस लिए उपेक्षणीय नहीं हैं। किसी छोटे बच्चे को जब हम अक्षर लिखना सिखाते हैं तो पहले तो वह टेढ़े-मेढ़े अक्षर लिखता है। उसके अक्षर सुन्दर बने, इसलिए हम उसकी अँगुली पकड़ उसे अक्षरों के सुन्दर बनाने की विधि सिखाते हैं। परिणामस्वरूप वह सुन्दर अक्षर लिखने लगता है। यही बात मूल गुणों और उत्तर गुणों पर भी घटित होती है। उत्तर गुणों के धारण करने से मूल गुणों को निश्चित रूप से बल मिलता है और वे सुन्दर बनते जाते हैं।

यदि कोई यह कहे कि मूल गुणों में भी स्थायित्व कहाँ है? उनका धारण

तो आजीवन है। जब जीवन ही स्थायी नहीं तो मूल गुण स्थायी कैसे हो सकते हैं ? जितने भी व्रत-पचखाण है वे जीवन के अन्त तक ही तो हैं, मृत्यु के पश्चात् वे सब अपने-आप छूट जाते हैं। फिर मूल गुणों में स्थिरता कहाँ रही ? इसका उत्तर यही है कि मूल गुणों की स्थिरता उत्तर गुणों की अपेक्षा से मानी जाती है। अर्थात् उत्तर गुणों की अपेक्षा से मूल गुण अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थायी हैं।

दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि व्रत-प्रत्यारयानों का सम्बन्ध तो आत्मा से है, शरीर से तो नहीं, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी जब तक आत्मा है तब तक व्रत-पचखाणों का सम्बन्ध तो आत्मा के साथ बना ही रहेगा फिर मूल गुणों की जीवनपर्यन्त सीमा बाँधना कहाँ तक सगत है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु के समय स्मरण-शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, इसलिए पचखाण की जो प्रक्रिया है वह बनी नहीं रह सकती। प्रत्याख्यान की लिंक टूट जाती है। प्रत्याख्यान की लिंक तो उस समय भी टूट जाती है जब हम प्रत्यारयान लेकर भी यह भूल जाते हैं कि हमने प्रत्यारयान लिया या नहीं। भूल की स्थिति में हमें पुनः प्रत्याख्यान लेना पड़ता है। सामायिक पर भी तो यही नियम लागू होता है। सामायिक ले ली और बैठ गये। मन कहीं और चक्कर काटने लगा, किसी के साथ बातचीत में उलझ गये और भूल गये कि सामायिक ली थी या नहीं। ऐसी स्थिति में धर्मगुरुओं की आज्ञा है कि सामायिक पुनः लेनी चाहिए। सामायिक के जो पाँच अतिचार बताये गये हैं उनमें से एक अतिचार है

“सामाह्यस्स सइ अकरणयाए”

सामायिक की स्मृति का न रखना। सामायिक नवाँ व्रत है। प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। सामायिक के भी पाँच अतिचार हैं (१) मण्डुप्पणिहाणे, (२) वयदुप्पणिहाणे, (३) कायदुप्पणिहाणे। पुरानी प्रतिक्रमण-पद्धति में ये तीनों अलग-अलग वाक्यों में प्रयुक्त न होकर एक ही वाक्य में प्रयुक्त हैं। “मन, वचन काया ना जोग पाडवे ध्यान प्रवर्तया हो।” ऐसे एक ही वाक्य में तीनों का प्रयोग किया गया है। भिन्न-भिन्न वाक्यों में उक्त तीनों का विवरण इस प्रकार है

मण्डुप्पणिहाणे—मनोदुष्प्रणिधानम्,

अर्थात्—मन से नहीं विचारने लायक कोई विचार किया हो।

वयदुप्पणिहाणे—वचोदुष्प्रणिधानम्,

अर्थात् वाणी से नहीं बोलने योग्य कोई वचन कह दिया हो।

कायदुप्पणिहाणे कायदुष्प्रणिधानम्

अर्थात्—शरीर से नहीं करने योग्य कोई चेष्टा हो गई हो।

दुष्प्रणिधान का भाव ही मारवाडी भाषा के “योग पाडवे ध्यान प्रवर्तया हो” में निहित है। पाडवा ध्यान का अर्थ है कि ऐसा ध्यान जो प्रगति पथ पर बढ रही आत्मा को नीचे गिरा देवे।

सामायिक का चौथा अतिचार है “सामाइयस्स सइ अकरणयाए” अर्थात्—सामायिक की स्मृति न रखना, सामायिक ली है या नहीं, इसे भूल जाना। इसी को मारवाडी भाषा में “सामायिक की सभालना न कीधी होय” ऐसा कहते हैं। भूल जाने पर श्रावक को पुन सामायिक लेनी चाहिए अन्यथा वह पाप का भागी बनता है। सभालना यह शब्द मारवाडी भाषा में प्राकृत से आया है। संस्कृत में इसकी छाया है ‘सस्मारणा’। “सम्यक् प्रकारेण स्मारण, सस्मारणम्” सभालना और सस्मारणा—इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। पाँचवाँ सामायिक का अतिचार है।

‘सामाइयस्स अणवट्ठियस्स करणयाए’

अर्थात्—सामायिक के समाप्त होने से पहले ही सामायिक को बीच में ही छोड़ देना। सामायिक का कम से कम समय होता है—अडतालीस मिनट, जिसे एक मुहूर्त भी कहते हैं।

हमारा प्रसंग चल रहा था मूल गुणों और उत्तर गुणों का। हमने बताया था कि उत्तर गुण मूल गुणों को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी भलीभाँति समझ लेनी चाहिए कि पचखाण आत्मा से सम्बन्धित होने पर भी आत्मा के साथ नहीं जाते। इसका कारण यह है कि मरने वाला व्यक्ति पचखाण करने वाली गति में ही जायेगा अथवा ऐसी गति में जायेगा जहाँ पचखाण है ही नहीं, इसकी हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक मानव शरीर में आत्मा है तभी तक पचखाण है। यदि कोई व्यक्ति पचखाण को आत्मा के साथ सदा रहने वाली भावना से करवाता है तो-उसका वैसा करवाना शास्त्र-विरुद्ध है। मनुष्य गति से मरकर यदि आत्मा देव लोक में जाता है तो वहाँ पचखाण नहीं है, नरक लोक में जाता है तो वहाँ भी पचखाण नहीं है और यदि पुन मनुष्य गति में भी आ जाता है तब भी पचखाण की प्रक्रिया उस पर घटित नहीं होती। इसका कारण है कि मनुष्य गति से भी मरकर जब वह यहाँ से जायेगा तब यहाँ की जो पर्याप्तियाँ हैं जिनकी सरया छह है (आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन) उसके साथ नहीं जायेंगी। जिस आहार के सहारे वह जीवित रहता है वह आहार उसे यही छोड़ कर जाना पडता है या यों कहो कि उस आहार की समाप्ति ही उसके जीवन की समाप्ति है। वह आहार भी कैसा और कौन-सा ? जिस समय

तो आजीवन है। जब जीवन ही स्थायी नहीं तो मूल गुण स्थायी कैसे हो सकते हैं ? जितने भी व्रत-पचखाण है वे जीवन के अन्त तक ही तो हैं, मृत्यु के पश्चात् वे सब अपने-आप छूट जाते हैं। फिर मूल गुणों में स्थिरता कहाँ रही ? इसका उत्तर यही है कि मूल गुणों की स्थिरता उत्तर गुणों की अपेक्षा से मानी जाती है। अर्थात् उत्तर गुणों की अपेक्षा से मूल गुण अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थायी हैं।

दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि व्रत-प्रत्याख्यानो का सम्बन्ध तो आत्मा से है, शरीर से तो नहीं, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी जब तक आत्मा है तब तक व्रत-पचखाणों का सम्बन्ध तो आत्मा के साथ बना ही रहेगा फिर मूल गुणों की जीवनपर्यन्त सीमा बाँधना कहाँ तक सगत है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु के समय स्मरण-शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, इसलिए पचखाण की जो प्रक्रिया है वह बनी नहीं रह सकती। प्रत्याख्यान की लिंक टूट जाती है। प्रत्याख्यान की लिंक तो उस समय भी टूट जाती है जब हम प्रत्याख्यान लेकर भी यह भूल जाते हैं कि हमने प्रत्याख्यान लिया या नहीं। भूल की स्थिति में हमें पुनः प्रत्याख्यान लेना पड़ता है। सामायिक पर भी तो यही नियम लागू होता है। सामायिक ले ली और बैठ गये। मन कहीं और चक्कर काटने लगा, किसी के साथ बातचीत में उलझ गये और भूल गये कि सामायिक ली थी या नहीं। ऐसी स्थिति में घर्मगुरुओं की आज्ञा है कि सामायिक पुनः लेनी चाहिए। सामायिक के जो पाँच अतिचार बताये गये हैं उनमें से एक अतिचार है

“सामाइयस्स सइ अकरणयाए”

सामायिक की स्मृति का न रखना। सामायिक नवाँ व्रत है। प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। सामायिक के भी पाँच अतिचार हैं (१) मण्डुप्पणिहाणे, (२) वयदुप्पणिहाणे, (३) कायदुप्पणिहाणे। पुरानी प्रतिक्रमण-पद्धति में ये तीनों अलग-अलग वाक्यों में प्रयुक्त न होकर एक ही वाक्य में प्रयुक्त हैं। “मन, वचन काया ना जोग पाडवे ध्यान प्रवर्तिया हो।” ऐसे एक ही वाक्य में तीनों का प्रयोग किया गया है। भिन्न-भिन्न वाक्यों में उक्त तीनों का विवरण इस प्रकार है

मण्डुप्पणिहाणे—मनोदुष्प्रणिधानम्,

अर्थात्—मन से नहीं विचारने लायक कोई विचार किया हो।

वयदुप्पणिहाणे—वचोदुष्प्रणिधानम्,

अर्थात् वाणी से नहीं बोलने योग्य कोई वचन कह दिया हो।

कायदुप्पणिहाणे कायदुष्प्रणिधानम्

अर्थात्—शरीर से नहीं करने योग्य कोई चेष्टा हो गई हो।

दुष्प्रणिधान का भाव ही मारवाड़ी भाषा के “योग पाडवे ध्यान प्रवर्तिया हो” में निहित है। पाडवा ध्यान का अर्थ है कि ऐसा ध्यान जो प्रगति पथ पर बढ रही आत्मा को नीचे गिरा देवे।

सामायिक का चौथा अतिचार है “सामाइयस्स सइ अकरणयाए” अर्थात्—सामायिक की स्मृति न रखना, सामायिक लेनी है या नहीं, इसे भूल जाना। इसी को मारवाड़ी भाषा में “सामायिक की सभालना न कीधी होय” ऐसा कहते हैं। भूल जाने पर श्रावक को पुन सामायिक लेनी चाहिए अन्यथा वह पाप का भागी बनता है। सभालना यह शब्द मारवाड़ी भाषा में प्राकृत से आया है। संस्कृत में इसकी छाया है ‘सस्मारणा’। “सम्यक् प्रकारेण स्मारण, सस्मारणम्” सभालना और सस्मारणा—इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। पाँचवाँ सामायिक का अतिचार है।

‘सामाइयस्स अणवट्ठियस्स करणयाए’

अर्थात्—सामायिक के समाप्त होने से पहले ही सामायिक को बीच में ही छोड़ देना। सामायिक का कम से कम समय होता है—अड़तालीस मिनट, जिसे एक मुहूर्त भी कहते हैं।

हमारा प्रसंग चल रहा था मूल गुणों और उत्तर गुणों का। हमने बताया था कि उत्तर गुण मूल गुणों को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी भलीभाँति समझ लेनी चाहिए कि पचखाण आत्मा से सम्बन्धित होने पर भी आत्मा के साथ नहीं जाते। इसका कारण यह है कि मरने वाला व्यक्ति पचखाण करने वाली गति में ही जायेगा अथवा ऐसी गति में जायेगा जहाँ पचखाण है ही नहीं, इसकी हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक मानव शरीर में आत्मा है तभी तक पचखाण है। यदि कोई व्यक्ति पचखाण को आत्मा के साथ सदा रहने वाली भावना से करवाता है तो-उसका वैसा करवाना शास्त्र-विरुद्ध है। मनुष्य गति से मरकर यदि आत्मा देव लोक में जाता है तो वहाँ पचखाण नहीं है, नरक लोक में जाता है तो वहाँ भी पचखाण नहीं है और यदि पुन मनुष्य गति में भी आ जाता है तब भी पचखाण की प्रक्रिया उस पर घटित नहीं होती। इसका कारण है कि मनुष्य गति से भी मरकर जब वह यहाँ से जायेगा तब यहाँ की जो पर्याप्तियाँ हैं जिनकी सख्या छह है (आहार, शरीर, इन्द्रिय, स्वासोच्छ्वास, भाषा और मन) उसके साथ नहीं जायेंगी। जिस आहार के सहारे वह जीवित रहता है वह आहार उसे यही छोड़ कर जाना पडता है या यो कहो कि उस आहार की समाप्ति ही उसके जीवन की समाप्ति है। वह आहार भी कैसा और कौन-सा ? जिस समय

जीव माता के गर्भ में आता है उस समय जो आहार ग्रहण करता है वह आहार जीवन-भर चलता रहता है। जो आहार हम प्रतिदिन करते हैं केवल उस आहार से हमारा सारा जीवन नहीं चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आहार तीन प्रकार का होता है (१) ओज आहार, (२) रोम आहार और (३) कवल आहार। सर्वप्रथम माता के गर्भ में आते ही हमने जो आहार लिया उसका नाम है 'ओज-आहार'। वह आहार माता-पिता के शुक्र और शोणित का शुद्ध समिश्रण है। जीव उसको गर्भाशय में आते ही ग्रहण करता है। वह उसका प्रथम आहार है जो उसका सारा का सारा जीवन चलाता है। तत्पश्चात् वह माता के उदर में बढता रहता है। माता जो आहार ग्रहण करती है उसके अन्न में से, रस में से यत्किञ्चित् नसों के द्वारा आहार पहुँचता रहता है। जिस प्रकार लिपट के नीचे ऊपर लटकने वाली लोहे की शृंखलायें उसको ऊपर-नीचे पहुँचाने के लिए नियंत्रण में रखती हैं ठीक इसी प्रकार माता की जो रक्त-प्रवाहिनी नाडी होती है वह बच्चे को नियंत्रित रखती है। इसको लोक-भाषा में नाल कहते हैं। जन्म के समय में उसका माता की नाभि के साथ सम्बन्ध रहता है। चार अंगुली छोड़कर उसे काट दिया जाता है। उसी के अन्दर से आहार के सारे के अणु परमाणु रस के रूप में माता के शरीर से बालक के शरीर में पहुँचा करते हैं। इस प्रवाह की विद्युत्-प्रवाह से तुलना की जा सकती है। यह सारा का सारा आहार (पर्याप्त) जो प्रथम समय में लिया जाता है, 'ओज आहार' है। उसके बाद रोम-रोम से जो आहार-तत्त्व प्राप्त होता है उसे 'रोम आहार' कहते हैं। जन्म के पश्चात् जब बालक रास के रूप में आहार लेने लगता है उसे कहते हैं 'कवलाहार'। ओज आहार तो जीवन में एक बार ही लिया जाता है और जीवनपर्यन्त चलता है। रोमों के द्वारा जो शरीर में गरमी ठंडक-वायु आदि पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं, वह रोमाहार है। यह आहार जीवन पर्यन्त प्रतिक्षण लिया जाता है। एक स्थान पर बैठकर पुद्गल पिण्ड को ग्रहण करना 'कवलाहार' कहलाता है। तेल मालिश, लेपन आदि सब कवलाहार के अन्तर्गत आ जाते हैं। ये सब पुद्गल पिण्ड ही तो हैं जिनका शरीर पर उपयोग किया जाता है। यह था सारा विवरण तीन प्रकार के आहारों का। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर के असद्भाव के कारण वह अनाहारक स्थिति में रहता है। आहार पर्याप्त के बाद में ही शरीर पर्याप्त बना करती है। वैसे तो तेजस् और कर्मण शरीर जीव के पास रहते हैं किन्तु वे पर्याप्त के शरीर नहीं होते। अतः उनको पर्याप्तक शरीर नहीं कहा जा सकता। वे शरीर तो अपर्याप्तकों के भी होते हैं किन्तु उनसे जो हमारी आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए वे पूरी नहीं होती। इसीलिए आहार पर्याप्त को ग्रहण करने के पश्चात् फिर औदारिक शरीर बाँधना या वैक्रिय

शरीर बाँधना या फिर बड़े अन्तराल में आहारक शरीर की प्राप्ति सब की सब शरीर-पर्याप्ति में समाविष्ट होती है।

इसके पश्चात् बड़ी दूरी पर छठी मन पर्याप्ति आती है। जब तक मन नहीं बाँध जाता तब तक तो वह सन्नी होते हुए भी असन्नी है। ऐसी स्थिति में पचखाण का विधान कैसे संभव हो सकता है? मरकर जीव मनुष्य गति को भी प्राप्त करनेवाला हो तब भी वहाँ पर पचखाण की परम्परा अनवरत रूप से लागू नहीं हो सकती। वहाँ पर भी आगे जाकर जब जीव सब पर्याप्तियों से समर्थ बन जाता है, तभी पचखाण लागू होते हैं। अवधिज्ञान से युक्त मरने वाला जीव मरने के पश्चात् मनुष्यगति में नहीं जाया करता। यदि मनुष्य मरकर अवधि ज्ञान सहित मनुष्य गति में जान वाला होता तो उस स्थिति में भी आत्मा की तत्स्वरूप आयुष्य की सीमा तक ही पचखाण चल सकता था किन्तु यहाँ तो मरने के पश्चात् स्मृति के अभाव में या स्मृति के नष्ट होने के कारण पचखाण समाप्त हो जाता है।

यदि कोई शका करे कि क्या पहले से आजीवन पचखाण लेने से आत्मा का कल्याण संभव हो सकता है? तो इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। एक भव तक में साधको ने आत्मा का कल्याण किया है। एक भव का समय कोई कम तो नहीं होता। बहुत लम्बा होता है एक भव तो। आत्म कल्याण तो एक अतर्मुहूर्त के अन्दर भी संभव है। अनादिकाल से जीव कृष्णपक्षी रहा है और अनादिकाल से वह मिथ्या दृष्टि रहा है। आज तक जो मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाये है, ऐसे व्यक्ति भी एकदम मिथ्यात्व को त्याग कर पहले गुणस्थान से सीधे चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। चौथे से सातवें में और सातवें से फिर उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। अड़तालीस मिनट के समय में ही अनादिकाल से चले आ रहे मिथ्यात्व का त्याग करके आत्मा मोक्ष में चला जाता है। इस प्रकार करने वाले तो अड़तालीस मिनट में ही अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। फिर एक भव में यदि आत्मकल्याण होता हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

वास्तव में धर्म क्या है? धर्म मोक्ष में जाने का एक साधन ही तो है। जब हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्ति के समय कर्म-बन्धन का कोई भी अणु-परमाणु हमारे साथ नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धर्म को जो काम करना था वह उस समय तक कर चुकता है। मोक्ष की स्थिति में न तो जीव का लगाव साधु-धर्म के साथ ही रहता है और न ही श्रावक-धर्म के साथ। हमारी सामान्य आत्मा की तो बात ही क्या, तीर्थकरो के आत्मा का भी मुक्त होने के पश्चात् धर्म से कोई लगाव नहीं रह जाता यद्यपि वे धर्म के प्रतिपादक रहे हैं। उन्होंने

यद्यपि अपने आत्मा का कल्याण इसी धर्म के द्वारा किया था । जिस धर्म के द्वारा लोगो को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस धर्म की यदि कोई निन्दा करे, उसका खण्डन करे और उसका अपवाद करे तो मुक्तात्माओ पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता है । इसका कारण है कि उन मुक्तात्माओ का सासारिक पदार्थों से और सम्बन्धों से सम्बन्ध विच्छिन्न हो चुका है । जब सब प्रकार से ससार से सम्बन्ध कट गया तो फिर यहाँ आने का कोई आशय ही नहीं । इस दिशा में हमारी श्रमण-संस्कृति उस संस्कृति से सर्वथा भिन्न है जो कहती है कि भक्तों के कल्याण के लिए भगवान् 'सभावामि युगे-युगे युग-युग में अवतार के रूप में यहाँ पृथ्वी लोक में जन्म लिया करते हैं । श्रमण-संस्कृति में ऐसी कोई मान्यता नहीं है । धर्म चाहे रसातल को जाये, अधर्म का घट चाहे पूर्णरूप से भर जाये, सज्जनात्मा चाहे अपमानित होते हो, पापियों के अत्याचार चाहे अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचे हो, भगवान् का इन सब बातों से क्या सम्बन्ध ? भगवान् तो मुक्तात्मा है, ससार के सब झमेलों से परे है । यदि भगवान् धर्म के अभ्युत्थान के लिए और दुष्टों को दण्डित करने के लिए पुनः ससार में संचार करने लगेगा तो उसका भगवत्त्व कहाँ रह जायेगा ? इस प्रकार की विचारधारा मिथ्यात्व पर आधारित है, सम्यक्त्व पर नहीं, इसलिए श्रमण संस्कृति को मान्य नहीं है । शुद्ध सम्यक्त्व की आराधना ही जैन धर्म की आधारशिला है ।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

३० जुलाई, १९७६





आत्मा के तीन रूप

धर्म के आराधन में ही शाश्वत सुखो की उपलब्धि निहित है। धर्म की आराधना से ही हम आराधक बनते हैं। जैन-सिद्धान्त में आराधक और विराधक—ये दो पारिभाषिक शब्द हैं। आराधक अच्छा होता है और विराधक बुरा। आराधना करनेवाला आराधक कहलाता है। देवता की आराधना, धर्म की आराधना, गुरु की आराधना आदि विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होता है आराधना शब्द का। आराधना का विपरीतार्थक शब्द है 'विराधना'। आराधना शब्द जितना धर्म के क्षेत्र में प्रचलित है उतना विराधना नहीं। आराधना से भी अधिक प्रचलित शब्द साधना है। सामान्य-रूप से आराधना और साधना ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। अमरकोश के अनुसार

“समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ”

सिद्धान्त कहो अथवा राद्धान्त कहो एक ही भावार्थ की अभिव्यक्ति होती है। सिद्धान्त के अन्दर साधना शब्द अन्तर्निहित है और राद्धान्त के अन्दर राधना शब्द। राधना के पूर्व 'आ' उपसर्ग लगाने से 'आराधना' शब्द की निष्पत्ति होती है।

जैन शास्त्रों में आराधना के तीन भेद बताये गये हैं ज्ञान-आराधना, दर्शन-आराधना और चारित्र्य आराधना। आराधना शब्द का वास्तविक अभिप्राय है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—इन तीनों को जीवन में उतारने के लिए जिन-जिन नियमों की आवश्यकता है उनका पालन करना। ज्ञान की आराधना के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता है उनका पालन तो करना ही किन्तु साथ ही जो बातें ज्ञान के मार्ग में बाधक हैं, विघ्न डालने वाली हैं, उनका त्याग भी करना, उनसे दूर भी रहना। दर्शन की आराधना की भी यही पद्धति है।

'दर्शन' शब्द का अर्थ बड़ा ही व्यापक है। दर्शन का सामान्य अर्थ तो देखना है किन्तु देखने की पद्धति-विशेष के लिए भी दर्शन शब्द का साहित्य में

प्रयोग किया जाता है। आँखें तो हमारी सबकी प्रायः एक-जैसी ही हैं परन्तु इनके सामने आनेवाले दृश्य या पदार्थ तो एक सरीखे नहीं हैं। दृष्टि वही होती है परन्तु दृश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। दृश्य पदार्थों की भिन्नता के कारण दर्शक के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव पैदा हुआ करते हैं। भावों या विचारों की भिन्नता के कारण देखने के तरीके में भिन्नता आना स्वाभाविक है। इसी तरीके को लोकव्यवहार तथा लोकभाषा में 'दृष्टिकोण' कहा जाता है।

'कोण' का अर्थ है कोना। मकान के प्रायः चार कोने होते हैं, कम और अधिक भी हो सकते हैं। आठ कोने भी हो सकते हैं, आठ कोनों वाले अठपहलू महल का जिक्र भी साहित्य में मिलता है। बिना कोने के भी मकान होते हैं। बिल्कुल गोल और ऊपर गुंबज के रूप में छत भी गोल। कर्णाटक में 'गोल-गुम्बज' के नाम से एक स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। यह कर्णाटक के बीजापुर नगर में है, सात मजिलें हैं इसकी। अन्तिम पर चढ़ने के बाद नीचे का फश साफ दिखायी देता है। इसका निर्माण ही एक विशेष ढंग से किया गया है। सात खण्डों के सद्भाव में भी ऊपर छत और नीचे फश है। अन्दर भीत के पास बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर बैठने वाले मनुष्य की रिस्ट-वाच (हाथ की घड़ी) की टिक्-टिक् की ध्वनि सामने की कुर्सी पर बैठने वाले को पर्याप्त अन्तर होने पर भी स्पष्ट सुनाई पड़ती है, यह उस गोल गुम्बज की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि सातवीं मजिल पर चढ़कर यदि कोई व्यक्ति कोई शब्द या वाक्य बोले तो उसकी प्रतिध्वनि सात स्वरों में गूँजती है। यदि आप 'जय जिनैन्द्र' बोलेंगे तो यह प्रतिध्वनि के रूप में सात बार आपको सुनाई देगा। किसी युग में किसी सगीतप्रिय बादशाह ने सात स्वर (स, रे, ग, म, प, ध, नि) की ध्वनि के लिए ही इस गोलगुम्बज का निर्माण करवाया था।

अस्तु बात तो कोण की चल रही थी। मकान के कोणों की सख्या सीमित हो सकती है किन्तु दृष्टिकोण की सख्या को सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। हमारी दृष्टि के जो कोण हैं वे जिस प्रकार के दृश्य देखते हैं, उसी प्रकार की विचारधारा बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी परिचित व्यक्ति को देखते हैं और अपरिचित व्यक्ति को भी। दोनों के समय दृष्टि तो एक ही है किन्तु दृष्टिकोण अलग अलग हैं। परिचितों के अतिरिक्त हम अपने मित्रों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं और मध्यस्थ वृत्ति के लोगों को भी देखते हैं—सब को देखते समय हमारा दृष्टिकोण अलग अलग प्रकार का होता है। माता, पत्नी, बहिन, बेटी आदि अनेक प्रकार के रिश्ते रखने वाली स्त्रियों को हम भिन्न भावों या दृष्टिकोणों से देखा करते हैं। बस, इसी का नाम दर्शन है। अंग्रेजी में इसे फिलासफी कहते हैं। ज्ञान और दर्शन का सम्बन्ध तो अटूट है। यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिन वस्तुओं का हम को ज्ञान है उनके प्रति

हमारा दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न प्रकार का है। जिन बातों को हम जानने की दृष्टि से देखते हैं वे 'ज्ञेय' कहलाती हैं। जिनको हम छोड़ने की दृष्टि से देखते हैं वे 'हेय' कहलाती हैं। जिनको हम ग्रहण करने की दृष्टि से देखते हैं, वे 'उपादेय' कहलाती हैं। ज्ञेय, हेय और उपादेय मुख्य रूप से ये तीन ही प्रकार के पदार्थ होते हैं विश्व में। चौथा नहीं होता। भूत, वर्तमान और भविष्यत्— इन तीनों कालों को जानने वाले वीतरागियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

ज्ञेय के भी अनेक भेद किये जा सकते हैं। यह इस प्रकार कि अमुक वस्तु इस दृष्टिकोण से ज्ञेय है और इस सीमा तक ज्ञेय है। एक ही हेय वस्तु अलग-अलग सीमा के अन्दर उपादेय भी बन सकती है। मजिल तक पहुँचने के लिए जब तक हम अपना माग तय नहीं कर लेते तब तक हम जूते पहने रहते हैं। उस स्थिति में जूते इसलिए उपादेय हैं कि उनके अभाव में पैरों में काटे लग सकते हैं, ककर चुभ सकते हैं और किसी विपत्ति जानवर की काटने की भी सम्भावना हो सकती है। जब हम मजिल पर पहुँच जाते हैं और भवन में प्रवेश करने लगते हैं तो जूतों को देहली के पास उतारना पड़ता है और जूते हेय बन जाते हैं। प्रवेश करते समय 'स्वागतम्' लिखा मिलता है पायदान पर। माग में चलने से पैरों पर धूल जम जाती है, कीचड़ लग जाता है—उसे हम पायदान पर साफ करके अन्दर प्रवेश करते हैं। 'पायपुच्छण' तो हमारा धार्मिक उपकरण भी है। जो मकान पूर्णरूपेण स्वच्छ है, फश पर दरियाँ और गलीचे बिछे हुए हैं, घर के सदस्य भी सफाई-पसन्द हैं, वहाँ बैठने के लिए हमारे पैरों की स्वच्छता परमावश्यक है। यह स्वच्छता किसने प्रदान की ? यह सारा श्रेय पायदान को जाता है। वह पायदान भी अलग-अलग दृष्टि से उपादेय और हेय दोनों है। इन हेय, ज्ञेय और उपादेयों के अपेक्षाकृत दृष्टिकोणों से अनेक भेद हो जाते हैं। ये सारे के सारे दशन शास्त्र के विषय हैं। यह हुई रूपरेखा ज्ञान और दर्शन की।

तीसरे नम्बर पर आता है चारित्र्य। चारित्र्य का अर्थ है 'आचरण'। आचरण की निष्पत्ति आ-चरण से होती है। चरण का अर्थ पैर है और आ उपसर्ग है। इसका आशय यह है कि हमने ज्ञान भी कर लिया और दर्शन की आराधना भी कर ली किन्तु हमने जो जाना और जिस दृष्टिकोण से हमने उस पर विश्वास किया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। यदि ज्ञान और विश्वस्त वस्तु जीवन में नहीं उतारी जायेगी तो हम अपनी उद्दिष्ट मजिल पर कदापि नहीं पहुँच पायेंगे। जिस अवस्था से प्रस्थान करके हमें परिलक्षित अवस्था तक पहुँचना है वह अवस्था आत्मा की है। वर्तमान की आत्मिक अवस्था उससे कुछ भिन्न प्रकार की है। ज्ञेय पदार्थों से ज्ञान की आराधना करके हमने

प्रयोग किया जाता है। आँखें तो हमारी सबकी प्रायः एक-जैसी ही हैं परन्तु इनके सामने आनेवाले दृश्य या पदार्थ तो एक सरीखे नहीं हैं। दृष्टि वही होती है परन्तु दृश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। दृश्य पदार्थों की भिन्नता के कारण दर्शक के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव पैदा हुआ करते हैं। भावो या विचारों की भिन्नता के कारण देखने के तरीके में भिन्नता आना स्वाभाविक है। इसी तरीके को लोकव्यवहार तथा लोकभाषा में 'दृष्टिकोण' कहा जाता है।

'कोण' का अर्थ है कोना। मकान के प्रायः चार कोने होते हैं, कम और अधिक भी हो सकते हैं। आठ कोने भी हो सकते हैं, आठ कोनों वाले अठपहलू महल का जिक्र भी साहित्य में मिलता है। बिना कोने के भी मकान होते हैं। बिल्कुल गोल और ऊपर गुंबज के रूप में छत भी गोल। कर्णाटक में 'गोल-गुम्बज' के नाम से एक स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। यह कर्णाटक के बीजापुर नगर में है, सात मजिलें हैं इसकी। अन्तिम पर चढ़ने के बाद नीचे का फश साफ दिखायी देता है। इसका निर्माण ही एक विशेष ढंग से किया गया है। सात खण्डों के सद्भाव में भी ऊपर छत और नीचे फश है। अन्दर भीत के पास बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर बैठने वाले मनुष्य की रिस्ट-वाच (हाथ की घड़ी) की टिक्-टिक् की ध्वनि सामने की कुर्सी पर बैठने वाले को पर्याप्त अन्तर होने पर भी स्पष्ट सुनाई पड़ती है, यह उस गोल गुम्बज की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि सातवीं मजिल पर चढ़कर यदि कोई व्यक्ति कोई शब्द या वाक्य बोले तो उसकी प्रतिध्वनि सात स्वरों में गुंजती है। यदि आप 'जय जिनेन्द्र' बोलेंगे तो यह प्रतिध्वनि के रूप में सात बार आपको सुनाई देगा। किसी युग में किसी सगीतप्रिय बादशाह ने सात स्वर (स, रे, ग, म, प, ध, नि) की ध्वनि के लिए ही इस गोलगुम्बज का निर्माण करवाया था।

अस्तु, बात तो कोण की चल रही थी। मकान के कोणों की सरया सीमित हो सकती है किन्तु दृष्टिकोण की सरया को सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। हमारी दृष्टि के जो कोण हैं वे जिस प्रकार के दृश्य देखते हैं, उसी प्रकार की विचारधारा बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी परिचित व्यक्ति को देखते हैं और अपरिचित व्यक्ति को भी। दोनों के समय दृष्टि तो एक ही है किन्तु दृष्टिकोण अलग अलग है। परिचितों के अतिरिक्त हम अपने मित्रों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं और मध्यस्थ वृत्ति के लोगों को भी देखते हैं—सब को देखते समय हमारा दृष्टिकोण अलग अलग प्रकार का होता है। माता, पत्नी, बहिन, बेटा आदि अनेक प्रकार के रिश्ते रखने वाली स्त्रियों को हम भिन्न भावों या दृष्टिकोणों से देखा करते हैं। वस, इसी का नाम दर्शन है। अंग्रेजी में इसे फिलासफी कहते हैं। ज्ञान और दर्शन का सम्बन्ध तो अटूट है। यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिन वस्तुओं का हम को ज्ञान है उनके प्रति

हमारा दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न प्रकार का है। जिन बातों को हम जानने की दृष्टि से देखते हैं वे 'ज्ञेय' कहलाती है। जिनको हम छोड़ने की दृष्टि से देखते हैं वे 'हेय' कहलाती है। जिनको हम ग्रहण करने की दृष्टि से देखते हैं, वे 'उपादेय' कहलाती है। ज्ञेय, हेय और उपादेय मुख्य रूप से ये तीन ही प्रकार के पदार्थ होते हैं विश्व में। चौथा नहीं होता। भूत, वर्तमान और भविष्यत्— इन तीनों कालों को जानने वाले वीतरागियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

ज्ञेय के भी अनेक भेद किये जा सकते हैं। यह इस प्रकार कि अमुक वस्तु इस दृष्टिकोण से ज्ञेय है और इस सीमा तक ज्ञेय है। एक ही हेय वस्तु अलग-अलग सीमा के अन्दर उपादेय भी बन सकती है। मजिल तक पहुँचने के लिए जब तक हम अपना माग तय नहीं कर लेते तब तक हम जूते पहने रहते हैं। उस स्थिति में जूते इसलिए उपादेय हैं कि उनके अभाव में पैरों में काँटे लग सकते हैं, ककर चुभ सकते हैं और किसी विपैले जानवर की काटने की भी सम्भावना हो सकती है। जब हम मजिल पर पहुँच जाते हैं और भवन में प्रवेश करने लगते हैं तो जूतों को देहली के पास उतारना पड़ता है और जूते हेय बन जाते हैं। प्रवेश करते समय 'स्वागतम्' लिखा मिलता है पायदान पर। माग में चलने से पैरों पर धूल जम जाती है, कीचड़ लग जाता है—उसे हम पायदान पर साफ करके अन्दर प्रवेश करते हैं। 'पायपुच्छण' तो हमारा धार्मिक उपकरण भी है। जो मकान पूणरूपेण स्वच्छ है, फश पर दरियाँ और गलीचे बिछे हुए हैं, घर के सदस्य भी सफाई-पसन्द हैं, वहाँ बैठने के लिए हमारे पैरों की स्वच्छता परमावश्यक है। यह स्वच्छता किसने प्रदान की? यह सारा श्रेय पायदान को जाता है। वह पायदान भी अलग-अलग दृष्टि से उपादेय और हेय दोनों है। इन हेय, ज्ञेय और उपादेयों के अपेक्षाकृत दृष्टिकोणों से अनेक भेद हो जाते हैं। ये सारे के सारे दशन शास्त्र के विषय हैं। यह हुई रूपरेखा ज्ञान और दर्शन की।

तीसरे नम्बर पर आता है चारित्र। चारित्र का अर्थ है 'आचरण'। आचरण की निष्पत्ति आ + चरण से होती है। चरण का अर्थ पैर है और आ उपसर्ग है। इसका आशय यह है कि हमने ज्ञान भी कर लिया और दर्शन की आराधना भी कर ली किन्तु हमने जो जाना और जिस दृष्टिकोण से हमने उस पर विश्वास किया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। यदि ज्ञान और विश्वस्त वस्तु जीवन में नहीं उतारी जायेगी तो हम अपनी उद्दिष्ट मजिल पर कदापि नहीं पहुँच पायेंगे। जिस अवस्था से प्रस्थान करके हमें परिलक्षित अवस्था तक पहुँचना है वह अवस्था आत्मा की है। वर्तमान की आत्मिक अवस्था उससे कुछ भिन्न प्रकार की है। ज्ञेय पदार्थों से ज्ञान की आराधना करके हमने

जो आत्मा का स्थान निर्धारित किया है, आत्मा की उसी अवस्था तक हमें पहुँचना है।

आत्मा की स्थितियों का विश्लेषण शास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है। यहाँ तो हम आपको अत्यन्त सक्षेप से केवल आत्मा की तीन स्थितियों का ही परिचय देगे। प्रथम स्थिति का नाम है 'बहिरात्मा' अर्थात् ससार के सभी बाह्य पदार्थों को आत्मा द्वारा अपना ही स्वरूप समझा जाना। उदाहरण के लिए आपसे किसी ने नाम पूछा तो आपने अपना नाम बता दिया। वही नाम जिस नाम से आपको पुकारा जाता है। यह नाम वास्तव में आपके शरीर का है। जब आपसे घर का ठिकाना पूछा गया तो आपने अपना गली-मोहल्ला भी बता दिया। वस्तुतः आपके घर में कौन रहता है? आपका शरीर रहता है। आपका विशेष परिचय पूछा गया तो आपके माता-पिता, भाई-बहिनो का परिचय दे दिया गया। वे माता-पिता, भाई-बहिन वास्तव में किसके हैं? आपके शरीर के हैं। और भी विशिष्ट परिचय के लिए आपके रूप, रंग, कद और आकृति का जिक्र कर दिया गया, यह सब भी आपके शरीर का परिचय हुआ। इस प्रकार ससार के लोग हमें बाह्य रूप से जानते हैं क्योंकि ऊपर के विवरण में जो बातें कही गई हैं वे सब बाह्य हैं। हम स्वयं भी अपने आपको उक्त नक्षणों की अपेक्षा से ही जानते हैं। हमने उक्त पदार्थों से अपना तादात्म्य सबंध स्थापित कर रखा है, यही तादात्म्य सम्बन्ध रखने वाला आत्मा 'बहिरात्मा' कहलाता है। आत्मा संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में इसका 'अप्पा' बनता है, इस अप्पा से ही अप्पन और अपना शब्दों का निर्माण होता है। अपने स्वरूप को हमने यही समझ रखा है कि शरीर ही हम है, परिवार, धन, मकान आदि सब ही हम हैं। बस यही है स्वरूप 'बहिरात्मा' का।

बाह्य का विपरीतार्थक शब्द है 'अन्तर'। हिन्दी का 'अन्दर' शब्द इसी संस्कृत के 'अन्तर' शब्द से बना है। भाषा-विज्ञान के नियम के अनुसार 'त' का 'द' बन जाया करता है, जैसे, पिता से पिदर, माता से मादर, अन्तरण से अदरुनी। अब तक बाह्य पर विचार किया गया और अब अन्दर या अन्तर की वस्तु का विचार करना है। मनुष्य की या जीव की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब शरीर चेतनाहीन हो जाता है। उसकी सदा के लिए अनुभूति की, स्मरण की और संवेदन की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसका स्पर्श करो, जला दो, काट दो—कुछ भी करो उसको कुछ पता नहीं चलता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई अन्दर की वस्तु थी जिसका उसमें अभाव हो गया है। वह अन्दर की चेतना स्वरूप जो शक्ति थी वही वास्तव में विशिष्ट वस्तु थी। उस अन्दर की विशिष्ट वस्तु की सत्ता पर ही बाहर की सारी चेष्टाएँ और क्रियाएँ निर्भर करती हैं। या यों कहो कि मनुष्य के सारे बाह्य

कर्मकाण्ड की आधारशिला ही वह चेतन शक्ति है जो शरीर के अन्दर निवास करती है। केनोपनिषद् में आता है

“केनेषित पतति प्रेषित मन, केन प्राण
प्रथम प्रैतियुक्त, केनेषित वाचमिमा
वदन्ति चक्षु श्रोत्र क उ देवो युनक्ति”

शिष्य ने गुरु से पूछा, “ हे भगवन् ! किसके द्वारा सन्निधिमात्र से प्रेरित हुआ तथा विशेष रूप से स्वामी द्वारा प्रेरित मृत्यु की तरह यह मन अपने विषय के प्रति जाता है ? मन-इन्द्रियो से पहले होने वाले प्राण भी किसकी प्रेरणा से गमनागमनादि व्यापार को करता है ? यह वाणी भी किसकी प्रेरणा से शुभाशुभ शब्दों को बोलती है ? चक्षु और कण को तथा सभी इन्द्रियो को कौन ऐसा देवता है जो कि नियमपूर्वक स्वरूप विषयो में प्रवृत्त करवाता है ? आँख देखती ही है, सुनती नहीं, कान सुनता ही है, देखता नहीं, घ्राण सूँघता ही है देखता नहीं, जिह्वा बोलती ही है, सूँघती नहीं, कौन है इन सब में जीवन संचार करने वाला ? ” गुरु ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा

“श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्राणश्च-
क्षुषश्चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मात्लोकादमृता भवन्ति ।”

तुमने इन सबका प्रेरक पूछा है। वह श्रोत्र का श्रोत्र है—अर्थात्—श्रोत्र को श्रवण करने की शक्ति प्रदान करने वाला है। वह मन का भी मन है क्योंकि मन को मनन करने की शक्ति वही देता है। वह वाक् का भी वाक् है क्योंकि वाणी को वक्तृत्व की सामर्थ्य भी वही देता है। वह प्राणों का भी प्राण है क्योंकि प्राणों में जीवन शक्ति वही प्रदान करता है। वह चक्षु का चक्षु है क्योंकि नेत्रों को देखने की शक्ति वही देता है। वह कौन है, वह आत्मा है।”

तो देखा आपने सारे शरीर की क्रियाओं को चलाने वाला वही चेतन तत्त्व है। जब तक शरीर में वह विद्यमान है तब तक पत्नी, पुत्र, माता-पिता, भाई आदि सब प्रकार के नाते हैं, किन्तु उसके कूच करते ही सब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। टार्च में जब तक मसाला है तभी तक प्रकाश देता है, मसाले के अभाव में टार्च का कलेवर और बल्ब आदि सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस शरीर के अन्दर निवास करने वाली चेतन शक्ति को ही ‘अन्तरात्मा’ के नाम से जाना जाता है। वह अन्तरात्मा कारण है और बाहर के शरीर का सारा क्रियाकलाप कार्य है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है, यह सैद्धान्तिक नियम है।

शरीर की बाह्य क्रियाओं से यह बात भी स्पष्ट भलकती है कि सबके अन्तरात्मा एक सरीखे नहीं होते। किसी की बुद्धि मन्द है तो किसी की तीव्र,

जो आत्मा का स्थान निर्धारित किया है, आत्मा की उसी अवस्था तक हमें पहुँचना है।

आत्मा की स्थितियों का विश्लेषण शास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है। यहाँ तो हम आपको अत्यन्त सक्षेप से केवल आत्मा की तीन स्थितियों का ही परिचय देंगे। प्रथम स्थिति का नाम है 'बहिरात्मा' अर्थात् ससार के सभी बाह्य पदार्थों को आत्मा द्वारा अपना ही स्वरूप समझा जाना। उदाहरण के लिए आपसे किसी ने नाम पूछा तो आपने अपना नाम बता दिया। वही नाम जिस नाम से आपको पुकारा जाता है। यह नाम वास्तव में आपके शरीर का है। जब आपसे घर का ठिकाना पूछा गया तो आपने अपना गली-मोहल्ला भी बता दिया। वस्तुतः आपके घर में कौन रहता है? आपका शरीर रहता है। आपका विशेष परिचय पूछा गया तो आपके माता-पिता, भाई-बहिनो का परिचय दे दिया गया। वे माता-पिता, भाई-बहिन वास्तव में किसके हैं? आपके शरीर के हैं। और भी विशिष्ट परिचय के लिए आपके रूप, रंग, कद और आकृति का जिक्र कर दिया गया, यह सब भी आपके शरीर का परिचय हुआ। इस प्रकार ससार के लोग हमें बाह्य रूप से जानते हैं क्योंकि ऊपर के विवरण में जो बातें कही गई हैं वे सब बाह्य हैं। हम स्वयं भी अपने आपको उच्चतम नक्षणों की अपेक्षा से ही जानते हैं। हमने उच्चतम पदार्थों से अपना तादात्म्य सबंध स्थापित कर रखा है, यही तादात्म्य सम्बन्ध रखने वाला आत्मा 'बहिरात्मा' कहलाता है। आत्मा संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में इसका 'अप्पा' बनता है, इस अप्पा से ही अप्पन और अपना शब्दों का निर्माण होता है। अपने स्वरूप को हमने यही समझ रखा है कि शरीर ही हम है, परिवार, धन, मकान आदि सब ही हम हैं। वस यही है स्वरूप 'बहिरात्मा' का।

बाह्य का विपरीतार्थक शब्द है 'अन्तर'। हिन्दी का 'अन्दर' शब्द इसी संस्कृत के 'अन्तर' शब्द से बना है। भाषा-विज्ञान के नियम के अनुसार 'त' का 'द' बन जाया करता है, जैसे, पिता से पिदर, माता से मादर, अन्तरंग से अदरुनी। अब तक बाह्य पर विचार किया गया और अब अन्दर या अन्तर की वस्तु का विचार करना है। मनुष्य की या जीव की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब शरीर चेतनाहीन हो जाता है। उसकी सदा के लिए अनुभूति की, स्मरण की और सवेदन की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसका स्पर्श करो, जला दो, काट दो—कुछ भी करो उसको कुछ पता नहीं चलता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई अन्दर की वस्तु थी जिसका उसमें अभाव हो गया है। वह अन्दर की चेतना स्वरूप जो शक्ति थी वही वास्तव में विशिष्ट वस्तु थी। उस अन्दर की विशिष्ट वस्तु की सत्ता पर ही बाहर की सारी चेष्टाएँ और क्रियाएँ निर्भर करती हैं। या यों कहो कि मनुष्य के सारे बाह्य

कर्मकाण्ड की आधारशिला ही वह चेतन शक्ति है जो शरीर के अन्दर निवास करती है। केनोपनिषद् में आता है

“केनेषित पतति प्रेषित मन, केन प्राण
प्रथम प्रैतियुक्त, केनेषित वाचमिमा
वदन्ति चक्षु श्रोत्र क उ देवो युनषित”

शिष्य ने गुरु से पूछा, “ हे भगवन् ! किसके द्वारा सन्निधिमात्र से प्रेरित हुआ तथा विशेष रूप से स्वामी द्वारा प्रेरित मृत्यु की तरह यह मन अपने विषय के प्रति जाता है ? मन-इन्द्रियो से पहले होने वाले प्राण भी किसकी प्रेरणा से गमनागमनादि व्यापार को करता है ? यह वाणी भी किसकी प्रेरणा से शुभाशुभ शब्दों को बोलती है ? चक्षु और कण को तथा सभी इन्द्रियो को कौन ऐसा देवता है जो कि नियमपूर्वक स्वरूप विषयो में प्रवृत्त करवाता है ? आँख देखती ही है, सुनती नहीं, कान सुनता ही है, देखता नहीं, घ्राण सूँघता ही है देखता नहीं, जिह्वा बोलती ही है, सूँघती नहीं, कौन है इन सब में जीवन संचार करने वाला ? ” गुरु ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा

“श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्राणश्च-
क्षुषश्चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।”

तुमने इन सबका प्रेरक पूछा है। वह श्रोत्र का श्रोत्र है—अर्थात्—श्रोत्र को श्रवण करने की शक्ति प्रदान करने वाला है। वह मन का भी मन है क्योंकि मन को मनन करने की शक्ति वही देता है। वह वाक् का भी वाक् है क्योंकि वाणी को वक्तृत्व की सामर्थ्य भी वही देता है। वह प्राणो का भी प्राण है क्योंकि प्राणो में जीवन शक्ति वही प्रदान करता है। वह चक्षु का चक्षु है क्योंकि नेत्रों को देखने की शक्ति वही देता है। वह कौन है, वह आत्मा है।”

तो देखा आपने सारे शरीर की क्रियाओं को चलाने वाला वही चेतन तत्त्व है। जब तक शरीर में वह विद्यमान है तब तक पत्नी, पुत्र, माता-पिता, भाई आदि सब प्रकार के नाते हैं, किन्तु उसके कूच करते ही सब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। टाच में जब तक मसाला है तभी तक प्रकाश देता है, मसाले के अभाव में टाच का कलेवर और बल्ब आदि सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस शरीर के अन्दर निवास करने वाली चेतन शक्ति को ही ‘अन्तरात्मा’ के नाम से जाना जाता है। वह अन्तरात्मा कारण है और बाहर के शरीर का सारा क्रियाकलाप कार्य है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है, यह सैद्धान्तिक नियम है।

शरीर की बाह्य क्रियाओं से यह बात भी स्पष्ट भलकती है कि सबके अन्तरात्मा एक सरीखे नहीं होते। किसी की बुद्धि मन्द है तो किसी की तीव्र,

किसी की प्रवृत्ति पुण्य की ओर है तो किसी की पाप की ओर। कोई शुभ प्रवृत्ति वाला है तो दूसरा अशुभ प्रवृत्ति वाला इत्यादि। इसका अर्थ है कि उस अन्तरात्मा ने भिन्न-भिन्न जन्मों में कुछ ऐसी क्रियाएँ की हैं जो उसको भिन्न-भिन्न प्रकार के विषयों की ओर उन्मुख करती हैं, इनको हमारे यहाँ 'कर्म' की सजा दी गई है। आत्मा के साथ चिपके हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म उसको भिन्न-भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त कराया करते हैं। सब के कर्म एक समान नहीं होते। समार में कोई मनुष्य सुखी है, कोई दुखी है, कोई भला लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई राजा है तो कोई रक है—यह सब प्रभव कृत कर्मों का ही परिणाम है। इस विवेचन का यह भी सार है कि अन्तरात्मा में विकृति लाने वाले कर्म ही हैं। कर्मों के कारण ही ससारी आत्माएँ एक सरीखी नहीं हैं।

यदि कर्मों के मूल को अन्तरात्मा से जो दिया जाये तो सब अन्तरात्मा स्वस्वरूप में एक समान बन सकते हैं। आत्मा से जब कर्म के मूल को अहिंसा, सयम और तप के द्वारा जो दिया जाये तो अन्तरात्मा अपनी वास्तविक स्थिति या स्वरूप में पहुँच जाता है, 'परमात्मा' बन जाता है। परमात्मत्व आत्मा का सही स्वरूप है। परम अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा। वही आत्मा उत्कृष्ट होता है जिसमें आत्मत्व के अतिरिक्त और कुछ अवशेष नहीं रह जाता। अवशेष से यहाँ अभिप्राय है कि आत्मा से कम का नहीं रहने वाला अश सबथा नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार से बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा—इन तीन प्रकार के आत्मों की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई। आत्मा को कर्मों के मूल से मुक्त करने के लिए ही हम ज्ञेय, हेय और उपादेय को क्रमशः जानने, छोड़ने व ग्रहण करने की प्रक्रिया से आराधना किया करते हैं। यही चारित्र्य की या आचरण की आराधना है। चारित्र्य की गणना तीसरे तन्त्र पर आती है। चारित्र्य की आराधना के बिना हमारा ज्ञान और दशन आत्म-विकास की क्रिया में कुछ भी काम न आ सकेंगे। दूसरे शब्दों में चारित्र्य के बिना बहिरात्मा से प्रस्थान करके और अन्तरात्मा की अवस्था को पार करके परमात्मा की स्थिति तक पहुँचने का हमारा प्रयास सफल नहीं हो सकेगा।

शरीर को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए चरण आवश्यक है इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा की कोटि तक पहुँचाने के लिए आचरण परमावश्यक है। चरण शरीर का उपकरण है और आचरण आत्मा का उपकरण है। चर्घातु के व्याकरण में दो अर्थ बताये हैं, एक अर्थ तो इसका गमन करने के लिए होता है और दूसरा भक्षण करने के लिए। 'महाराज साहब आज-कल कहाँ विचरण कर रहे हैं?' यहाँ 'चर' गत्यर्थक है। 'इतनी

देर हो गई वह चरता ही जा रहा है', यहाँ चर का भक्षण या खाना अर्थ है। प्रधान रूप से खाने के अर्थ में चरने का प्रयोग पशुओं के लिए ही किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो आचरण है, तपश्चर्या है वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को चरने वाली या भक्षण करने वाली है। या यो भी कह सकते हैं कि तपश्चर्या द्वारा सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है।

आरभ से ही हमारा प्रकरण आराधना का चल रहा है। तो उपर्युक्त विवेचन सक्षिप्त रूप में यही स्पष्ट करता है कि आराधना तीन प्रकार की हुई—ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना और चारित्र्य आराधना। आराधना करने-वाला आराधक होता है। आराधक के लिए आगम का विधान है

“आणाए आराहए भवइ”

अर्थात्—आराधक की आराधना आज्ञा के पालन में निहित है।

आज्ञा का पालन आराधना में इतना आवश्यक है कि साधक उसके लिए गुरु के चरणों में आत्म समर्पण कर दिया करता है। जब आत्म-समर्पण ही कर दिया तो हमारा अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर और अपने शरीर पर अधिकार कहाँ रह गया? प्रत्येक धार्मिक क्रिया का आरभ ही साधक इन शब्दों से किया करता है

“इच्छामि ण भते । तुभेहि
अभणुणाए समाणे”

आपसे अभ्यन्तात होकर ही मैं यह क्रिया कर रहा हूँ या इस क्रिया को करने की इच्छा रखता हूँ। यदि आपकी आज्ञा नहीं है तो मुझे इसकी इच्छा करने का भी अधिकार नहीं है।

जब सब कुछ गुरु-चरणों में समर्पित हो चुका है, ऐसी स्थिति में आराधना का, नियमों का, क्रियाओं का, जप, तप अनुष्ठान आदि का कोई भी महत्त्व नहीं रह जाता, महत्त्व रह जाता है केवल गुरु की आज्ञा का। गुरु की आज्ञा का पालक ही सच्चा आराधक होता है। सच्चा आराधक आज्ञा की प्रधानता को लेकर चलता है। वस, इसी में उसका आत्म-कल्याण है, यही सम्यक्त्व है और सच्चा दृष्टिकोण है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

३१ जुलाई, १९७६





मुक्ति मे बन्धन या बन्धन मे मुक्ति

जैसा कि हम बहुत दिनों मे कहते आये है, शाश्वत सुखो की प्राप्ति मुक्ति से होती है और मुक्ति का अर्थ है 'बन्धनो का सर्वथा अभाव' । यदि कोई यह सोचे कि बन्धन तो केवल राग द्वेष का होता है और राग-द्वेष से मुक्त हो गये तो बन्धन-मुक्त हो गये, ऐसा नहीं है, बन्धन का क्षेत्र तो बड़ा ही विस्तृत है । मर्यादा का भी बन्धन होता है, धर्म का भी बन्धन होता है, व्रत-पचखाण लेने का बन्धन होता है, वचन का भी बन्धन होता है, प्रतिज्ञा का भी बन्धन होता है—आदि-आदि अनेक प्रकार के बन्धन होते है । बन्धनो के प्रकार तो अनेक है किन्तु आगम-वचनो के अनुसार सब प्रकार के बन्धनो का राग-द्वेष मे समावेश हो जाता है । अब विचार करने की बात यह है कि कौन-से बन्धन वास्तव मे बन्धन है और कौन-से बन्धन वास्तव मे बन्धन नहीं है, यद्यपि उनका नाम बन्धन अवश्य है । उदाहरण के लिए पचखाण का, सौगन्ध और प्रतिज्ञा का बन्धन, बन्धन नहीं माना जा सकता । इसका कारण है कि इनमे व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है । व्रत, पचखाण, सौगन्ध और प्रतिज्ञा लेने वाले श्रावक इनको अपनी स्वतंत्र इच्छा मे लेते है, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता । शास्त्र मे इस भाव का समर्थन करने वाला विधान है ।

“इच्छाकारेण”

अर्थात्—मैं जो भी धार्मिक क्रिया करता हूँ, वह अपनी इच्छा से करता हूँ । इस शास्त्र वचन मे दबाव की भूलक नहीं है । कोई पूछे कि प्रधानता आज्ञा की हुई या इच्छा की ? इसका उत्तर है कि प्रधानता तो आज्ञा की ही रहती है किन्तु आज्ञा का पालन भी इच्छा के सद्भाव मे ही होता है, दबाव डालकर नहीं । आज्ञा से भी काम दो प्रकार से करवाया जाता है—एक तो आज्ञा-पात्र की इच्छा के अनुसार और दूसरा उस पर दबाव डालकर । जहाँ दबाव डालकर काम करवाया जाता है वहाँ करने वाले की इच्छा की उपेक्षा की जाती है । वहाँ तो इच्छा हो चाहे न हो काम करना ही पड़ता है । अपनी इच्छा

से किया गया काम सुन्दर भी होता है और लाभदायक भी । इच्छापूर्वक जो किया जाता है, उसमे धर्म है, धर्म इच्छा से होता है । धर्म का कोई भी कार्य यदि हम बिना मन के या बिना इच्छा से करते हैं तो वह व्यर्थ होता है । सामायिक है, पीषध है, परिग्रह को कम करना है—ये सारी धार्मिक क्रियाएँ हम अपनी इच्छा से करते है, किसी के दवाव मे आकर नहीं । अपनी इच्छा से की हुई क्रिया की गणना व्रत मे हो जाती है । डडे के प्रभाव से की हुई क्रिया व्रत के अतर्गत नहीं आती । उदाहरण के लिए आप धनवान है, राजा का आदेश आ गया कि आप को इतना धन राजा के खजाने मे जमा कराना होगा, राज-दण्ड के भय से आपको आदिष्ट धनराशि राजा को देनी ही पड़ेगी । यद्यपि उसमे भी परिग्रह कुछ कम ही पडता है किन्तु उसमे धर्म नहीं है, उसे हम धर्म नहीं कह सकते । रूस और चीन आदि साम्यवादी देशो मे जब साम्यवाद की स्थापना हुई थी तब प्रजा को राजदण्ड के भय से अपनी ही धन-सम्पत्ति को छोडना पडा था । न छोडते तो मृत्यु थी । यदि आपके पास अधिक है, अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक है, और आप अपनी इच्छा से उसमे से दान के रूप मे दे देते है, अपना परिग्रह कम करते है तो यह धर्म है, क्योंकि इसमे आपने अपनी इच्छा से किमी सीमा तक ममत्व का त्याग किया है । यदि कोई बलात् आपको आपके धन-धरती से वंचित करता है तो वह पाप का भागी बनता है, अन्तराय कर्म को बाँधता है । इस प्रकार शास्त्रकार कहते है कि अपनी इच्छा से जो किया जाता है वह धर्म होता है और उसका महत्त्व इस-लिए होता है कि उस इच्छा का आधार स्वतंत्रता होती है, परतंत्रता नहीं । दवाव से किया गया काम बन्धन होता है, इच्छानुसार किया गया धार्मिक बन्धन का काम बन्धन के दोष से मुक्त रहता है । दवाव से किया गया तो अच्छा काम भी बन्धन बन जाता है । यदि हम किसी को जबरदस्ती से शील का नियम दिलाये, तो शील का नियम तो अच्छा है किन्तु जबरदस्ती के प्रयोग से वह अच्छा भी बुरा एव बन्धन रूप बन जाता है ।

इच्छा से दिलाया गया नियम बन्धन से मुक्ति दिलाता है यद्यपि वह भी ऊपर से बन्धन ही प्रतीत होता है । उदाहरण के लिए हमने किसी को बीडी न पीने के लिए सौगन्ध दिला दी । वह बीडी न पीने के बन्धन मे तो आ गया क्योंकि उसके मन मे बीडी पीने की तृष्णा बार-बार जागृत होती है किन्तु सौगन्ध के बन्धन के कारण वह पी नहीं सकता । सूक्ष्मदृष्टि से देखा जाये तो वास्तव मे बन्धन तो बीडी पीने का था जिसकी तृष्णा उसको रह-रहकर सता रही है । सौगन्ध बन्धन नहीं है जिसके कारण वह बीडी नहीं पी सकता, यद्यपि बाह्य रूप मे सौगन्ध मे बन्धन की प्रतीति होती है । वास्तव मे तो वह जिस बीडी पीने के बन्धन मे या व्यसन मे फँसा हुआ था उससे मुक्त हो गया ।

इस प्रकार प्रत्येक व्रत, प्रत्यारयान या प्रतिज्ञा—ये सब इसलिए बन्धन स्वीकार नहीं किये जा सकते क्योंकि इनके पालन में इच्छा की स्वतन्त्रता है। यह ऐसी स्वतन्त्रता है कि जो परतन्त्रता के बन्धन को मिटाने वाली है। जिस नियम या प्रतिज्ञा का सम्बन्ध धर्म से है वह बन्धनहीन है। धार्मिक नियमों का पालन करने से तो बन्धन की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। नियमों का पालन करने से यदि दस आँटे लगे हुए हैं तो उसके दो आँटे कम हो जायेंगे और उत्तरोत्तर जैसे-जैसे वह सासारिक पदार्थों का त्याग करता जायेगा, उसके सारे बन्धन ही समाप्त होते जायेंगे। कोई भी बन्धन उसका आवेष्टन नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संक्षेप में बन्धन राग-द्वेष में है, व्रत-पचखाण आदि धार्मिक क्रियाएँ जिनका आश्रय आत्मकल्याण के लिए लिया जाता है उनकी गणना बन्धनों में नहीं की जाती।

उक्त भाव को और स्पष्ट करने के लिए हमारा कहना है कि हमने किसी मर्यादा का, किसी सौगन्ध का या किसी व्रत का समय की निश्चित सीमा तक पालन करने का नियम ले लिया। उस नियम का नियमित रूप से निरन्तर अनेक वर्षों तक हम पालन इस पद्धति से करते रहे कि वह हमारे जीवन का अंग बन गया। हमारे मन में वह ऐसे घर कर गया कि उसके बिना हमें चैन नहीं पड़ती और उसकी एक दिन की उपेक्षा से भी हमें अपना दैनिक जीवन अपूर्ण और विखलित अनुभव होने लगता है। उदाहरण के लिए हमने सामायिक का ही नियम ले लिया। नियम में बँधने के कारण हमारा मन उसे किये बिना शान्ति प्राप्त नहीं करता। इसका कारण यही है कि सामायिक के नित्याचरण से वह हमारे स्वभाव की एक अंग बन गई है। अंग बनने का अर्थ है कि हम उसका त्याग नहीं कर सकते, त्याग न करने का अर्थ है कि हमारा उसके प्रति राग हो गया है। राग का होना तो बन्धन रूप है। साधक को चाहिए कि वह किसी वस्तु के प्रति राग न रखे।

एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, “तुम जिस धार्मिक क्रिया को चिरकाल से करते आ रहे हो, उसका तो त्याग कर दो और उसके स्थान पर अमुक सन्त की सेवा करो।” इसके उत्तर में शिष्य ने कहा, “जिस काम को मैं चिरकाल से करता आ रहा हूँ उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं तो उसका परित्याग कर ही नहीं सकता।” किसी तीसरे पास में खड़े व्यक्ति ने कहा, “अरे ऐसा कैसे कहता है, अब तक जो करता आ रहा है, वह भी तो गुरु की आज्ञा से ही करता रहा है। अब गुरु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि तुम्हारा विशिष्ट काम के प्रति मोह तो नहीं हो गया है, बस इतनी-सी बात है, तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? गुरु यह जानना चाहते हैं

कि जो तुम धार्मिक क्रिया कर रहे हो वह आत्मरुल्याण के लिए कर रहे हो या दूसरो को अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए कर रहे हो ? इसके अतिरिक्त गुरु यह भी जानना चाहते है कि हमारा शिष्य जो भी धार्मिक क्रिया कर रहा है यह लोगो से प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा है या लोकपणा से दूर रहकर कर रहा है । गुरु कोई भी आज्ञा दे, उसका पालन करना शिष्य का धर्म है ।” गुरु की आज्ञा का जैनागमो में बड़ा महत्त्व है । अरिहन्त-प्ररूपित धर्म में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि गुरु की आज्ञा शिरोधार्य होनी चाहिए क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ही सच्चा आराधक माना जाता है ।

आराधक या श्रावक की योग्यता जो ध्यान में रखकर ही धर्म की व्यवस्था की जाती है । यही कारण है कि किसी को कम और किसी को अधिक नियम-पालन का विधान है । जो व्यक्ति स्वयं प्रबुद्ध है, विचक्षण है और हानि-लाभ को समझने वाला है, उसके लिए अधिक कायदे कानून बताने की आवश्यकता नहीं होती । वह स्वयं ही ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं करता जो उसके लिए हानि-कारक हो । वह क्रोध इसलिए नहीं करता क्योंकि वह क्षमा के महत्त्व की भलीभाँति समझता है । साधु भी एक प्रबुद्ध आत्मा है । उससे भी यही आशा रखी जाती है कि वह क्रोध का स्थान क्षमा को दे । परन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि साधु की क्षमा के पीछे भी कई प्रकार की भावनाएँ हो सकती है । एक साधु यह सोच सकता है कि उसे क्षमा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके ऐसा न करने से लोग उसकी निन्दा करेंगे । दूसरा यह सोच सकता है कि क्षमा न करने से आत्मा को क्रोध का दाग लगेगा, पाप लगेगा, इसके अतिरिक्त क्रोध का परिणाम भी बड़ा कड़वा होता है, पता नहीं कितने समय तक भोगना पड़ेगा । तीसरा यह सोच सकता है कि क्रोध करने से खून में उफान आता है और परिणामस्वरूप खून पानी में भी परिवर्तित हो सकता है जिसका अर्थ है जीवन का अन्त । विवेकशील, ज्ञानवान सन्तात्मा क्रोध न करने का चिन्तन और प्रकार से करता है । वह सोचता है, “मेरा वास्तविक स्वभाव तो क्रोध नाम के विकार से रहित है । क्रोध करना तो विभाव है । मोह कर्म के उदय होने से ही क्रोध आया करता है । कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली वस्तु आत्मा की नहीं हो सकती । मैं तो निजात्म में स्थित हूँ । मैं कर्म के उदय की कठपुतली नहीं हूँ । किसी के भडकाने से मैं भडकने वाला नहीं हूँ ।”

इस प्रकार क्षमा करने वाले साधको के या क्रोध न करने वाले श्रावको के भाव भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते है । तो हम आपसे कह रहे थे कि चिरकाल से अभ्यस्त क्रिया हमारे स्वभाव की अंग बन जाती है । कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि हमको उसे छोड़ना पड़ता है । यदि उसके त्यागने

की सामर्थ्य हो तो वह बन्धन रूप नहीं बनती। यदि गुरु की आज्ञा के सद्भाव में भी उसको छोड़ा नहीं जा सकता तो वह, भले ही कौसी भी धार्मिक क्रिया हो, बन्धन बन जाती है। इसका कारण है कि साधक का उस पर राग हो जाता है। धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्होंने तो धर्म के ऊपर भी राग नहीं रखा, धर्म की क्रियाओं की तो बात ही क्या है। धर्म को किसी व्यक्ति-विशेष ने पैदा नहीं किया। तीर्थकरो ने भी धर्म का प्रतिपादन किया है उसको उत्पन्न नहीं किया। धर्म तो अनादिकाल में चला आ रहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को भी किसी ने पैदा नहीं किया।

शास्त्रों में उल्लेख है कि एक बार भगवान् से किसी ने प्रश्न किया कि “सम्यक्त्व की उत्पत्ति पहले हुई अथवा मिथ्यात्व की ?”

भगवान् ने इसका उत्तर देते हुए कहा, “किसी व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाये तो पहले मिथ्यात्व था और तत्पश्चात् सम्यक्त्व आया।” कोई भी आत्मा पहले से या अनादिकाल से मिथ्यात्वी होता है। सम्यक्त्व की स्थिति तो बाद में आती है। सम्यक्त्वी पैदा नहीं होते, मिथ्यात्व का त्याग करने वाले ही साधना द्वारा सम्यक्त्वी बनते हैं। इसी प्रकार धार्मिक लोग पैदा नहीं हुआ करते, धर्म की आराधना करने से धार्मिक बनते हैं। साधु, श्रावक, ब्राह्मण, क्षत्रिय—आदि सब जन्मते नहीं किन्तु कम के द्वारा बनते हैं। सब आत्माओं की अपेक्षा से देखा जाये तो न मिथ्यात्व पहले का है और न ही सम्यक्त्व बाद का। जब से सम्यक्त्व की सत्ता है तभी से मिथ्यात्व की। अनादिकाल की अपेक्षा से भी कोई पहले और बाद का नहीं है। पहले यदि सम्यक्त्व ही होता तो मिथ्यात्व के अभाव में हम उसे सम्यक्त्व कहते ही कैसे ? दोनों की सत्ता एक-दूसरे पर निर्भर है, या यो कहो कि दोनों शब्द अन्योन्याश्रित हैं।

तो हम कह रहे थे कि धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, यह तो तीर्थकरो द्वारा बताया हुआ धर्म है। धर्म के सब विधि-विधानों को तीर्थकरो ने अभिव्यक्तिमात्र दी है, उनकी निष्पत्ति नहीं की है। कुछ लोग इस धर्म की आराधना ‘यावज्जीव’ अर्थात्—जीवन पथन्त करते हैं। जीवन की समाप्ति पर उनकी सारी धार्मिक मर्यादाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जिनको मर्यादाओं का दीर्घकाल तक पालन करना ही नहीं पड़ता। आठ प्रकार के कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मुक्त हो गये। मुक्तावस्था में आत्मा निष्क्रिय हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का पुण्य-पाप नहीं लगता। वह सामर्थ्यवान कहलाता है। ऐसे ही मुक्तात्मा के लिए कहा गया है

“समर्थ को नहिं दोष गुसाईं”

मुक्तात्मा तो कुछ करते नहीं अतः वे दोष के भागी नहीं बनते किन्तु ऐसी

धारणा—कि जीव ससार के कामों में उलझा रहे और फिर भी उसके लिए यह धारणा बगाई जाये कि उसको कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई कम का बन्धन नहीं होगा - सर्वथा मिथ्या है। जो कम करेगा वह राग से मुक्ति नहीं पा सकता, बिना राग से मुक्ति के मुक्तावस्था संभव नहीं है।

कोई व्यक्ति राग का पोषण करता हुआ यह कहे कि अमुक काम तो मेरे बिना ही नहीं सकता, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा तो उसकी यह धारणा सर्वथा भ्रामक है। कोई भी काम जो होना होता है वह तो होता ही है, मनुष्य तो उसमें एक निमित्त बनता है। जब सब जनता के उद्धार का समय आता है तो तीर्थंकरों का जन्म हो जाता है। उस समय प्रान्त और देश के अनेक जनो को तिरने का योग मिल जाता है। जो भी काम होता है उसमें दो बातें रहती हैं एक मुख्य और एक गौण। किन्तु काम के सम्पादन में केवल दो ही चीजें नहीं होती किन्तु पाँच होती हैं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। एक तो होता है—काल। काम के होने का जब समय आता है तभी काम होता है, अन्यथा नहीं। दूसरा होता है—स्वभाव। जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसा ही फल लगेगा। तीसरी बात है—नियति, जिसको होनहार के नाम से भी जाना जाता है। फल लगने का योग होता है तभी फल लगा करता है, अन्यथा नहीं। पुरुष मात्र नियति के सहारे नहीं बैठ सकता। वह कार्यसिद्धि के लिए पुरुषार्थ, उद्योग और अन्य सभी प्रकार की क्रियाएँ किया करता है। परन्तु उसके पुरुषार्थ और उद्योग के सद्भाव में भी यदि सफलता उसे नहीं मिल पाती तो यही समझना चाहिए कि नियति को सफलता मजूर नहीं है।

इस प्रकार पाँच बातों के एकत्र होने को समवाय कहते हैं। ये पाँचों बातें समवाय के रूप में एकत्र होती हैं तभी कार्य में सफलता मिलती है। इन पाँचों बातों में एक बात भी प्रमुखता का स्थान नहीं रखती, सबका संयोग होना ही अपेक्षित होता है।

उदाहरण के लिए इम मकान को ही लीजिये। इसका निर्माण किसी एक वस्तु से तो नहीं हुआ। चूना, पत्थर, लोहा, ककर आदि अनेक वस्तुओं का समवाय है इसमें। उक्त सारी वस्तुओं के ढेर लगाने में भी मकान नहीं बन जाता, सबके यथास्थान प्रयोग से और निर्माता के चतुराई पूर्ण विधि विधान से ही निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा कहने का अभिप्राय है कि वस्तुओं के उचित संयोग और सुचारु रूप के प्रयोग से किसी वस्तु का निर्माण है। तीर्थंकरों को केवल दर्शन और केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। मानव, देव, पशु-पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी वहाँ एकत्रित हो गये। सबका समवाय और भाषा-वर्णना के पुद्गल आदि सब योगों के उपस्थित होने पर ही उन्होंने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया। पहले उन्होंने स्वयं छद्मस्थावस्था में जप, तप आदि

की साधना की। उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को अनेक प्राणियों के समक्ष अभिव्यक्त किया। धर्म की अभिव्यक्ति के सद्भाव में भी उनके मन में धर्म के प्रति राग विद्यमान नहीं था। वे तो वीतराग थे। राग से परे थे। वे इस प्रकार की चिन्ता से भी सर्वथा मुक्त थे कि उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म आगे चलेगा भी या नहीं। यदि नहीं चलेगा तो उसके लिए क्या प्रयत्न होना चाहिए इत्यादि सासारिक बातों से वे सर्वथा मुक्त थे। यदि मुक्तावस्था को पहुँचा हुआ आत्मा भी इस प्रकार की चिन्ता करेगा तो उसे मुक्त कैसे समझा जा सकता है।

सम्यक् दृष्टि रखनेवाला तभी तक सासारिक वस्तुओं के साथ सम्बन्ध रखा करता है जब तक उसकी आत्म-कल्याण की साधना चरम सीमा तक नहीं पहुँच जाती है। उसके पश्चात् ससार से उसके सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं। मुक्तात्मा एक बार ससार से मुक्त होकर पुनः उसकी ओर प्रवृत्त नहीं हुआ करते, जैसी कि कुछ धर्मों की धारणा है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१ अगस्त, १९७६





क्या श्रद्धा मुक्ति की सोपान है ?

मुक्ति शाश्वत सुखो की जननी है। जब तक आत्मा बन्धन में है, सुख की आशा करना उसके लिये व्यर्थ है। सुख प्राप्ति के लिए बन्धन-मुक्त होना परमावश्यक है और बन्धन-मुक्ति के लिए धर्म की आराधना जरूरी है। धर्म की आराधना के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता तो शुद्ध दृष्टिकोण की है। शुद्ध दृष्टिकोण को हम दूसरे शब्दों में सम्यक्त्व की प्राप्ति कह सकते हैं। त्याग, व्रत, पचखाण के अभाव में भी यदि यह ज्ञान हो जाता है कि अमुक वस्तु जानने योग्य है, अमुक वस्तु त्यागने योग्य है और अमुक वस्तु आदरने योग्य है—तो इसका बड़ा महत्त्व है। महत्त्व इसलिए कि व्यक्ति के शुद्ध श्रद्धान की भूलक उसमें रहती है। श्रद्धान होगा तो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की बातों को जीवन में उतारेगा। आचरण से पूर्व ज्ञेय, हेय और उपादेय को समझना अत्यावश्यक है। जो व्यक्ति किसी की बातों में आकर, किसी की युक्तियों से प्रभावित होकर या बहकावे में आकर अपने श्रद्धान का त्याग नहीं करता, उसकी मान्यता को दृढ़ समझना चाहिए। उस व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास प्रशसनीय समझने चाहिए। क्रियात्मक रूप में उस व्यक्ति ने भले ही किसी वस्तु का त्याग न किया हो, छोड़ने लायक वस्तु को आशिक रूप में भी न छोड़ा हो और आदरने लायक का आशिक रूप में भी आदर न किया हो परन्तु उसका विश्वास यदि दृढ़ है तो देवता क्या ससार की कोई भी शक्ति उसे उसकी मान्यता से विचलित नहीं कर सकती। इसी को सम्यक्त्व कहते हैं और इसी का नाम है श्रद्धा। यह कहना कि व्रत, पचखाण के अभाव में कोरी श्रद्धा किस काम की, ठीक नहीं है क्योंकि यदि श्रद्धा ही शिथिल है तो व्रत, पचखाण किस काम के ? वे किसी समय भी किसी के बहकावे में आकर शिथिल पड सकते हैं। उनका कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। व्रत, पचखाण के अभाव में भी दृढ़ मान्यता रखने वाला ही यह सोच सकता है कि, “त्यागने योग्य को त्यागे बिना और आदरने योग्य को आदरे बिना मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह दिन मेरे लिए परम कल्याणकारी होगा जिस दिन मैं त्यागने

लायक को त्याग दूंगा और आदरने लायक का आदर करूँगा।” इस प्रकार की दृढ़ मान्यता का ही दूसरा नाम श्रद्धा है। मारवाड़ी भाषा में इसे ‘सरधा’ कहते हैं। मनुष्य में ‘सरधा’ होगी तभी तो वह कुछ कर सकेगा, सरधा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। बीमारी आती है तो सरधा चली जाती है। बीमारी के मिटने के बाद भी सरधा एकदम नहीं आ जाती। यहाँ ‘सरधा’ शब्द शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सरधा का महत्त्व आपकी समझ में आ गया होगा। सरधा शक्ति है तो सब कुछ है, सरधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस ससार में शक्तिहीन को कौन पूछने वाला है? इस सरधा का सम्बन्ध शरीर से है। यह वह सरधा है जो बीमारी आने से कम पड़ जाती है, बुढ़ापा आने से न्यून हो जाती है, पीष्टिक आहार के अभाव में घट जाती है और पथ्यपूर्वक जीवन का संचालन न करने से चली जाती है। शारीरिक श्रद्धा के अभाव में शक्ति, पौरुष और उद्यम सब नाकामयाव हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दृढ़ विश्वास या स्थिर रहने वाली मान्यता आत्मा की श्रद्धा होती है। त्यागने लायक को त्याग देना, आदरने लायक को आदरना—इस दृढ़ श्रद्धा या विश्वास के बिना आत्मकल्याण सम्भव नहीं है।

जो छोड़ने लायक है वह किसी भी अपेक्षा से ग्राह्य नहीं हो सकता। यहाँ स्याद्वाद या अनेकान्तवाद का सिद्धान्त लागू नहीं होता। स्याद्वाद का सिद्धान्त वहाँ घटित होता है जहाँ पारस्परिक विरोध नहीं होता किन्तु वस्तुओं में विरोध की प्रतीतिमात्र होती है। जैसे किसी ने कहा कि “क्षमा करने से आत्मा का कल्याण होता है।” बात विल्कुल ठीक है। दूसरे ने कहा, “क्षमा के साथ व्यक्ति निर्लोभ भी हो तब आत्मकल्याण संभव है, अकेली क्षमा से काम नहीं चल सकता।” यह बात भी सत्य है। क्षमा और निर्लोभता की आत्मकल्याण के लिए इसलिए अवश्यभावित हो सकती है क्योंकि ये दोनों तत्त्व पारस्परिक विरोधी नहीं हैं। यहाँ निस्सन्देह अनेकान्तवाद लागू होता है परन्तु कोई यह कहे कि “अकेली क्षमा को लेकर चलने वाला व्यक्ति तो एकान्तवादी होगा, क्रोध करने से भी आत्मकल्याण होता है, ऐसा मानने से ही अनेकान्तवादी बना जा सकता है।” यह बात मानने योग्य नहीं, यह तो अनेकान्तवाद के सिद्धान्त के विपरीत है। इसका कारण है कि अनेकान्तवाद सर्वथा विरोधी बातों का समन्वय नहीं करता। अनेकान्तवाद तो वही घटित होता है जहाँ दो वस्तुएँ एक-दूसरे की प्रक ही। अनेकान्तवाद की व्यवस्था सहायक तत्त्वों में सामंजस्य स्थापित करती है। जहाँ मूल तत्त्वों में ही पारस्परिक विरोध होगा वहाँ स्याद्वाद या अनेकान्तवाद का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि तुम तो ब्रह्मचर्य को ही धर्म मानकर चलते हो, इसलिए एकान्तवादी हो, तुम्हें अनेकान्तवादी बनने के लिए तो मँथुन को भी धर्म मानना चाहिए, ऐसा

अनेकान्तवाद तो मिथ्या अनेकान्तवाद है। यह इसलिए कि ब्रह्मचर्य और मैथुन—ये तो दोनों विरोधी तत्त्व हे। हाँ, यदि कोई कहे कि तुम अकेले ब्रह्मचर्य को लेकर क्यों चलने हों, आत्मकल्याण के लिए सन्तोष नाम के तत्त्व को भी साथ लेकर चलो, तब यहाँ अनेकान्तवाद का सिद्धान्त लागू हो सकता है। इसी प्रकार कोई कहे कि अकेले ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही आत्मकल्याण नहीं होता यह तो एकान्तवादी होने वाली बात है, साथ साथ परिग्रह का भी त्याग होना चाहिए तभी साधक अनेकान्तवादी बन सकता है—उक्त कथन में भी वास्तविकता है क्योंकि आत्मकल्याण के लिए सन्तोष और अपरिग्रह ये ब्रह्मचर्य व्रत के विरोधी नहीं किन्तु उसके पोषक हैं। यहाँ अनेकान्तवाद का सिद्धान्त लागू हो जाता है।

तो हमारा प्रसंग चल रहा था आत्मा की श्रद्धा का कि आत्मिक श्रद्धा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि साधक को कोई भी व्यक्ति बातों में फँसाकर या फुसलाकर उसे श्रद्धा से डिगा न सके, विचलित न कर सके और पतित न कर सके। जो श्रावक इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा का धनी है वह किसी न किसी समय अनुकूल वातावरण पाकर क्रिया अवश्य करेगा। धर्म में प्रवृत्ति भी करेगा और व्रत-नियमों को लेकर उनका पालन भी करेगा। इसीलिए मूल वस्तु श्रद्धा है। मारवाड़ी भाषा में इसी भाव को व्यक्त करने वाली एक कहावत है

“हर बिना गँवतरो कौनी होवे”

अर्थात्—मन के अन्दर यदि लगन होगी कि हमें वहाँ जाना है, तो निश्चित ही किसी दिन हमारे कदम उस ओर बढ़ ही जायेंगे। यदि हम उस हर से, लगन से या श्रद्धा से ही हीन हैं तो हमारी प्रवृत्ति उस ओर कदापि नहीं हो सकेगी। अतएव श्रद्धा की दृढ़ता और दृष्टिकोण की निर्मलता—ये धार्मिकता के पूर्व लक्षण हैं। यह प्रथम प्रकार के धर्म की आराधना है।

दूसरे प्रकार में, आशिकरूप में या सामान्य रूप में छोड़ने लायक को छोड़ा जाता है और आदरने योग्य को ग्रहण किया जाता है। इतना ग्रहण करना जैसे कि सागर में से एक बिन्दु और छोड़ना भी बिन्दु की मात्रा का ही। इसको कहते हैं श्रावकधर्म। साधु बीस विस्वा दया, बीस विस्वा सत्य, बीस विस्वा अदत्तादान, बीस विस्वा ब्रह्मचर्य और बीस विस्वा ही अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों को धारण करता है। इस प्रकार उसकी क्रिया तो शत-प्रतिशत हो गई किन्तु श्रावक के हिस्से में तो सेवा छह प्रतिशत क्रिया ही आई। श्रावक ने तो त्यागने लायक समुद्र में से केवल बिन्दुमात्र का ही त्याग किया और ग्रहण करने योग्य में से भी उसने बिन्दु मात्र का ही ग्रहण किया। इसी अल्पग्रहण और अल्पत्याग के कारण श्रावक को ‘देशविरति’ कहते हैं। उसने

तो विरमण आशिकरूप से किया। यह धर्म की आराधना का दूसरा प्रकार है।

धर्म की आराधना का तीसरा प्रकार है 'सर्वविरति'। इसमें जो त्यागने लायक होता है, वह सभी त्याग दिया जाता है और जो आदरने लायक होता है, वह आदर लिया जाता है। इतना करने के पश्चात् भी साधक को प्रमाद के कारण से, असावधानी के कारण से और योगी की चंचलता के कारण से थोड़ा बहुत दोष लग ही जाता है। यह सब गुणस्थान के प्रमादी होने के कारण होता है। अप्रमत्त अवस्था तो थोड़े से समय के लिए ही आया करती है। वह तो अस्थायी है। प्रमादावस्था चिरकाल तक बनी रहती है। धर्म की आराधना की यह तीसरी श्रेणी है जिसमें 'सर्वविरतिपन' है। प्रत्याख्यानी का चौक इसमें समाप्त हो जाता है।

अनन्तानुबन्धी का चौक समाप्त होते ही सम्यक्त्व में दृढता आ जाती है। यह शुद्ध श्रद्धा की अवस्था होती है। अप्रत्याख्यानी का चौक समाप्त होने से उसकी देशविरति में प्रवृत्ति होती है और प्रत्याख्यानी का चौक समाप्त होने से साधक साधु बन जाता है। चौको की सरया चार है, तीन का विवरण समाप्त हो गया। चौथा चौक है 'सज्वलन'। सज्वलन की व्याख्या करते हुए आगमकार कहते हैं कि साधु को साधना करते समय, तप और जप करते समय, क्रियानुष्ठान के समय कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ क्रिया में बाधाएँ पडती हैं। उस समय मन में थोड़ा-सा भलिन भाव आ जाता है। इसको रागभाव की अवस्था भी कह सकते हैं। इन उपसर्ग और बाधाओं के समय जो मन में विकृति आती है वह अल्प होते हुए भी वीतराग की अवस्था में हानि पहुँचाती है। साधक का भाव भले ही अपने लिए न हो, धर्म के लिए हो या धर्मासाधको के लिए हो तो भी वीतरागावस्था में वह बाधक तो होता ही है। साधक में ऐसा भाव आना उसके हृदय में राग की सत्ता का द्योतक है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हुआ कि उसके मन में धर्म शत्रुओं के प्रति द्वेष की भावना है और धर्मासाधको के प्रति राग की भावना।

शास्त्रकारों ने इस धार्मिक परिस्थिति पर भी प्रकाश डाला है। साधु की निन्दा एक तो स्वमतावलम्बी करते हैं और दूसरे परमतावलम्बी करते हैं। दोनों उसके निन्दक हैं। ऐसे लोगों को शास्त्रकारों ने चार भागों में बाँटा है। जो साधु स्वमति और परमति दोनों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों को समभाव से सहन करता है वह सर्वसाधक कहलाता है। जो साधु न तो स्वमति द्वारा कोई आलोचना को सहन करता है और न ही परमति द्वारा कोई आलोचना को, उसको सर्वविराधक के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का साधु वह होता है जो परमतावलम्बियों द्वारा कोई टीका-टिप्पणी को तो सहन नहीं करता किन्तु स्वमतावलम्बियों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों

को सहन कर लेता है, ऐसे साधु को शास्त्रकार देश-आराधक कहते हैं। जो परमतावलम्बियों द्वारा की गई निन्दा को तो सहन कर लेता है किन्तु स्वमतावलम्बियों को नहीं, उसे देश-विराधक कहते हैं।

देश-आराधक को बड़ा समझना चाहिए या देश विराधक को ? देश-विराधक का अर्थ है कि थोड़े अशो में तो वह विराधक है और बहुत अशो में आराधक है। देश आराधक का अर्थ है कि थोड़े अशो में तो वह आराधक है और बहुत अशो में विराधक है। अब इन दोनों में कौन-सा अधिक प्रशस्त है ? इसका उत्तर यही है कि देश-विराधक श्रेष्ठ है क्योंकि वह थोड़े ही अशो में विराधक है, शेष अशो में तो आराधक है ही। परमतावलम्बी जो साधु की निन्दा करते हैं, टीका-टिप्पणी करते हैं और उपसर्ग देते हैं उनको तो वह इसलिए सहन कर लेता है क्योंकि वह जानता है कि वे अज्ञानी हैं, बोधहीन हैं और वस्तुस्वरूप के ज्ञान से वंचित हैं। ऐसे आलोचकों को वह क्षन्तव्य समझकर क्षमा कर देता है। किन्तु अपने व्यक्तियों की आलोचना को वह सहन नहीं करता। उसका स्वमतावलम्बियों की आलोचना सहन न करना इस बात का द्योतक है कि उसके चरित्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। स्वमतावलम्बियों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों के लिए की जाने वाली निन्दा को वही व्यक्ति सहन करेगा, जिसके चरित्र में कुछ न कुछ त्रुटि है, जिसका साधक-जीवन कलकित है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि स्वमतावलम्बियों द्वारा की गई टीका-टिप्पणी को सहन कर लेना साधु के लिए उचित नहीं है। उसका ऐसा करना उसकी क्रिया क अन्दर दोष का सूचक है। यह है चार भागों वाली चौभगी (१) सर्वआराधक, (२) सर्वविराधक, (३) देश आराधक और (४) देश-विराधक।

शास्त्र का कथन है कि 'सज्वलन' के चोक में अपने समय के प्रति, अपने ज्ञान, दर्शन और चरित्र के प्रति साधक का राग रहता है। राग के कारण वह दूसरे की बात को सहन नहीं करता। धर्म की निन्दा को वह सहन नहीं करता और धर्म की टीका-टिप्पणी को भी वह सहन नहीं करता। वह यह भी सहन नहीं करता कि चलते हुए बैल को व्यर्थ में ही आर चुभाई जाये। इस तरह के राग के भाव को भी शास्त्रकारों ने वीतरागता में बाधक माना है। इस प्रकार के राग से इस बात का भी पता चलता है कि साधक का मोहनीय कम पूणरूप से समाप्त नहीं हुआ है। शास्त्रकार कहते हैं

“स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचारित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्य ।”

अर्थात्—जिसका हृदय ज्ञान और चरित्र से युक्त है किन्तु हृदय के अन्दर स्नेह का अनुबन्ध है, ज्ञान और चरित्र के प्रति तथा धर्म के प्रति भी रागभाव है, तो

वह प्रशसनीय नहीं कहा जा सकता। इस पर एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है
 “दीपक प्रकाश करता है और अन्धकार का नाश करता है। उस प्रकाश
 का आधार तो तेल है। तेल तो दुःख है, तेल तो स्नेह है, तेल चिकना है
 और चिकनेपन को ही शास्त्रीय भाषा में राग कहा जाता है। आसक्ति इसी
 का दूसरा नाम है। एक नीतिकार का कथन है

यस्य स्नेहो भय तस्य, स्नेहो दुःखस्य भाजनम् ।
 स्नेहमूलानि दुःखानि, यानि त्यक्त्वा सुख भजेत् ॥

अर्थात्—

जहाँ स्नेह है वहाँ चिकनाहट है, वहाँ भय है। इस प्रकार स्नेह तो दुःख
 का कारण है। ससार में जितने भी दुःख हैं वे सारे के सारे स्नेह के कारण ही
 होते हैं। इसलिए मानव, जो उन दुःखों से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि
 वह स्नेह का त्याग कर दे।

बालू और राख बिल्कुल रुखे होते हैं। उनमें चिकनाहट का अभाव होता
 है। चिकनाई को बालू और राख से साफ किया जाता है। बालू और राख
 दुःख रूप नहीं है। सरसो या तिल जिसमें कि चिकनाई है उन चिकनाई
 वाली वस्तुओं को घानी में डाला जाता है और कोल्हू द्वारा पेला जाता है।
 स्नेह के कारण ही उन वस्तुओं को पिलना पडा। दीपक जलता है, प्रकाश
 करता है, तेल के आधार पर। अन्धकार का नाश करके और प्रकाश प्रदान
 करके उसने पैदा क्या किया? पैदा किया काजल। काजल तो अच्छा नहीं
 है, वह तो काला है परन्तु कवि की कवित्व की भाषा में काजल को भी यदि
 अनुकूल पात्र मिल जाये तो वह भी अपना कम महत्त्व व्यक्त नहीं करता।
 किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है

सगत शोभा पाइये, साँच कहे कवि बँन ।
 वो ही काजल ठीकरी, वो ही काजल नँन ॥

अर्थात्—

जब तक काजल ठीकरी के ऊपर है, तब तक लोग उससे परहेज करते
 हैं। उससे इसलिये दूर रहना चाहते हैं कि कहीं वस्त्र को लग गया तो काला
 कर देगा। वही काजल जब ठीकरी से अलग होकर किसी सुन्दरी की आँखों
 में बड़ी चतुराई से आजा जाता है तो लोग कहने लगते हैं “दो बिल्लियाँ
 लडते-लडते कुएँ में पड गयी।” अधिक काजल डाला हुआ भद्दा लगता है,
 इसी भाव को उक्त आलंकारिक भाषा में कहा गया है। काजल डालना भी
 हर एक को नहीं आता। सोलह शृंगारी में इसको भी एक कला माना गया

है। इस प्रकार आँखों की सगति पाकर ही काजल ने शोभा प्राप्त की। एक आचार्य की इस पर उक्ति है

स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञान चारित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्य ।
दीप इव आपादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥

अर्थात्—

दीपक प्रकाश फैलाता है और अन्धकार का नाश करता है किन्तु तैला धारित होने में स्नेह-चिकनाई का उसमें तत्त्व है, इसी कारण इतना अच्छा काम करने पर भी वह कज्जल ही पैदा करता है।

इसी भाव की पुष्टि करते हुए एक अन्य कवि ने कहा है

यादश भक्षयेदन्न तादृश जायते मन ।
दीपो भक्षयते ध्वान्त कज्जल च प्रसूयते ॥

अर्थात्—

मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसा ही उसका मन बन जाता है। दीपक को देवो, उसका आहार अन्धकार है और परिणामस्वरूप वह काजल ही पैदा करता है। "जैसा खाये अन्न वैसा हीवे मन" यह उक्ति भी इसी उक्ति से निकली प्रतीत होती है।

इसी तरह अनेक प्रकार के प्रत्यारयान एव तप की क्रियाएँ होने पर भी यदि उनके प्रति राग है, स्नेह है, तो वह समय 'मराग समय' कहलाता है। सराग-सयम वीतरागता में बाधा पहुँचाने वाला होता है। सरागता के अस्तित्व में सर्वज्ञता का आना कदापि संभव नहीं होता। सर्वज्ञता के बिना साधना की सिद्धि को कैसे सफल माना जा सकता है? जब वीतरागता आती है उस समय साधक का किसी भी वस्तु के साथ लगाव नहीं रह जाता। इसी जन्म में यदि कोई धर्म की निन्दा करता है, अपनी निन्दा करता है या अपने अनुयायियों की निन्दा करता है तो उस वीतराग या सर्वज्ञ के मन में किसी प्रकार का निन्दक के प्रति पक्ष या विपक्ष का भाव उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि उनके शरीर की सत्ता विद्यमान रहती है। वे दैनिक सभी प्रकार के काम करते हैं किन्तु अन्तर में निष्काम भावना होने के कारण उन पर उनके कार्यों का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कारण यही है कि वे वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त कर चुके हैं। उनको कोई कुछ भी कहे, उनके साथ कैसा ही व्यवहार करे, उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का चाहे कोई खण्डन करे, मण्डन करे और उनके भवत की चाहे कोई हत्या भी कर दे, वे सदा अनासक्त भाव में लीन रहते हैं। भगवान् महावीर के सामने ही सुनक्षत्र और सर्वानुभूति नाम के मुनि

गोशाले की तेजो लेश्या के शिकार बन गये थे किन्तु इस मार्मिक घटना से भी भगवान् तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस वीतरागता और सर्वज्ञता की अनुपलब्धि की अवस्था में ही उन्नतिशील आत्मा को वापस ससार में अवतार लेना पड़ता है और यह कहना पड़ता है

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

उपकाराय साधूनामपकाराय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थं च सभवामि युगे-युगे ॥

भगवद्गीता, ४, ७/८

अर्थात्—

जब-जब ससार में लोगो की धर्म के प्रति घृणा होती है और अधर्म अपना सिर ऊँचा उठाने लगता है, उस समय मैं अवतार के रूप में ससार में आता हूँ। आकर साधु या सज्जनात्माओं का उपकार करता हूँ और दुष्टो को दण्ड देता हूँ। धर्म की स्थापना में युग-युग में इसी प्रकार अवतरित होकर किया करता हूँ।

अवतार का अर्थ है 'अवतरण'। अवतरण—अर्थात् नीचे उतरना। जैन सिद्धान्त में अवतारवाद का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो 'उत्तार' अर्थात् ऊँचा चढ़ने का महत्त्व है। जब आत्मा का उत्तार—उत्थान हो जाता है तो फिर वह किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं आया करता या दूसरे शब्दों में उमको नीचे आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शाश्वतिक उत्थान व उन्नति के लिए ही ये सारी की सारी धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२ अगस्त, १९७६





वस्तु स्वरूप और अज्ञानवाद

शाश्वत सुखो की प्राप्ति का अधिकारी जीव है। जो अजीव है या जड है, उसको सुख-दुःख की अनुभूति नहीं हुआ करती। जीव चेतन है और अजीव जड है। चेतन के सामने सुख की परिस्थितियाँ आती हैं तो उसको सुख का अनुभव होता है और दुःख की परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसे दुःख का अनुभव होता है। सामान्यरूप से जीव की सुख दुःखानुभूति परिस्थितियों पर अवलम्बित नहीं है क्योंकि परिस्थितियाँ तो अजीव के सामने भी आती हैं किन्तु अजीव में चैतन्य के अभाव में जानने की एव सवेदना करने की शक्ति नहीं है। जीव के पास चेतना शक्ति के कारण ज्ञान भी है, दर्शन भी है—इसलिए उसको सुख दुःख की अनुभूति होती है। जीव में निरन्तर सुख-दुःख भोगने के कारण कभी-कभी यह भाव भी पैदा हो जाया करता है कि जो सुख वह भोगा करता है वह तो अस्थायी सुख है, स्थिर सुख तो उसे कभी मिला ही नहीं। जो कुछ वह सुख के रूप में भोग रहा है, उस सुख की कड़ी निरन्तर तो चालू रहती नहीं। कभी सुख मिलता है तो कभी वह पुनः पूर्णरूप से दुःखी हो जाता है। जो सुख उसे मिलता रहता है वह उसके ही उद्यम या प्रयत्न का परिणाम रहा है। यदि वह अधिकतम पुरुषार्थ या प्रयत्न करे तो क्या उसका सुख स्थिरता ग्रहण नहीं कर सकता? सुख की स्थिरता से उसके दुःख का सदा के लिए अन्त भी हो सकता है। वह यह भी सोचने लगता है, “ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें भूत, वर्तमान और परोक्ष का सभी ज्ञान होता है और वे सर्वज्ञ कहलाती हैं। वे ज्ञान की ऐसी स्थिरता प्राप्त करने में समर्थ हो जाती हैं कि अज्ञानता फिर लौटकर उनके पास आती ही नहीं। पूर्णज्ञान-प्राप्ति के पूर्व, आखिर उन्होंने अज्ञान का अत्यन्तभाव किया होगा, तभी तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो पाई।”

इस प्रसंग में यह बताना परमावश्यक है कि नाश दो प्रकार का होता है—एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। उदाहरण के लिए एक भांड है, उसके मिटाने के लिए यदि उसके पत्ते भांड दिये जायें तो वे पत्ते पुनः आ जाया करते

हैं। वह पुन पूर्ववत् लहलहान लगता है। यदि उसे नष्ट करने के लिए उसकी जड़ में कोई घातक पदार्थ डाल दिया जाये तो जड़ों को पोषण-तत्त्व न मिलने के कारण वह धीरे-धीरे स्वयं नष्ट हो जायेगा। पोषण का अभाव ही शोषण है और शोषण का परिणाम ही विनाश है। घातक पदार्थ के डालने से जब मूल ही विनष्ट हो जाता है तब बाहरी पत्तों की, फूलों की और फलों की सभावना ही नहीं रह पाती। इसी प्रकार कोई सर्वज्ञ बनने की इच्छा रखता है, उसे सर्वप्रथम अज्ञान को जड़-मूल से नष्ट करना होता है। अज्ञान का अस्तित्व यदि अल्प मात्रा में भी अवशेष रह गया तो वह एक दिन समय पाकर ज्ञान को नष्ट कर सकता है। वस्तु के स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है और इस अज्ञान का परिणाम है वस्तु के प्रति राग का होना या द्वेष का होना। वस्तु के स्वरूप को जानने के पश्चात् राग द्वेष की उत्पत्ति रुक जाती है। आप एक भी वस्तु का नाम नहीं बता सकते जिसके स्वरूप को जान लेने के बाद आपने उसके प्रति राग किया हो। आप राग, प्रेम या मोहबवत किस पर करते हो और किस कारण से करते हो। उदाहरण के लिए कोई रूपवती स्त्री है, उसके सौन्दर्य के कारण आपका उस पर राग है। इसी तरह धन है जिससे आपकी जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उस पर आपको राग है। यह राग आपको क्यों आता है, इसका कारण आपमें वस्तु-स्वरूप की अज्ञानता है। आप यह भूल जाते हैं कि रूप सदा एक-सा रहने वाला तत्त्व नहीं है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की आयु ढलती रहती है त्यों-त्यों रूप का ह्रास होता रहता है। बीमारी आने से या किसी भयानक दुर्घटना से भी रूप नष्ट हो जाता है। कितना ही इलाज करवा लो, कितनी ही प्लास्टिक सजरी करवा लो जो रूप एक बार नष्ट हो गया, वह पूर्व की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा कहने का यही अभिप्राय है कि रूप कोई स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। तुम इस सत्य को या वस्तु-स्वरूप को समझते नहीं हो, इस कारण उससे राग करते हो। यही दशा धन की भी है, हम कितने पापों का अजन करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए, कितने कम वाँधते हैं, इसके अजन के लिए, किन्तु यह भी किसके पास स्थिर रूप से रहा है? यह तो सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है वह एक स्थान पर टिक कर रहा नहीं करती। इस पर एक कवि की उक्ति है

या स्वसदमनि पद्मेऽपि सन्ध्यावधि विजृम्भते ।
इन्दिरा मन्दिरेऽन्येषा कथं स्थास्यति निश्चला ॥

अर्थात्—

वह लक्ष्मी जो अपने निवास स्थान कमल में भी सायंकाल तक ही स्थिर

रहती है, दूसरो के घरो मे स्थिर होकर कैसे टिक सकती है ?

इस प्रकार हमारा कहने का यही आशय है कि रूप, रंग, धन आदि वस्तुएं चिरस्थायी नहीं है। आप उन पर राग इसलिए रखते है कि आप वस्तुस्वरूप से अनभिज्ञ है। वस्तु के प्रति राग-द्वेष या आना और शत्रु पर नोष का आना—सबमे वस्तुस्वरूप का अज्ञान ही कारण होता है। ऐसा भी कई बार होता है कि जिसके प्रति हमारा द्वेष है, जिसको हम जानी शत्रु समझते है, वह परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण हमारा मित्र बन जाये और वह मित्र भी ऐसा कि हम उसके बिना रह न सके। इसी प्रकार जिसके प्रति हमारे मन मे राग है वह भी किसी घटना के कारण हमारा शत्रु बन सकता है। ऐसी स्थिति मे जिस राग और द्वेष मे इतनी अस्थिरता है, उनके कारण हम परेशान क्यों हो ? ये सब बातें गहराई से समझने की है। यह बात प्रत्यक्ष देखने मे आती है कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही शत्रु मित्र बन जाते है और मित्र शत्रु बन जाते है। ससार की इस परिवर्तनशीलता को दृष्टि मे रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सब प्राणियों के प्रति समता की भावना रखे। कबीर साहब ने इस भाव को व्यक्त करते हुए कहा है

कबिरा खडा बजार मे मांगे सबकी खैर ।

ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ॥

हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने हाल मे मस्त रहे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचारधारा मे, अपने आत्मचिन्तन मे लीन रहना चाहिए। व्यर्थ मे सासारिक पदार्थों का सहारा नहीं ढूढना चाहिए, क्योंकि वे सब अस्थायी है, अनित्य है। ससार का बडा से बडा व्यक्ति भी ससार की परिवर्तनशीलता को मिटाने का सामर्थ्य नहीं रखता।

जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है उससे बेहतर वस्तु की प्राप्ति से भी हमारा राग उसमे हट जाता है और कई बार जीवन के कटु अनुभव से भी जो वस्तु हमें कल अमृत के समान प्यारी लग रही थी वह विष के समान हेय लगने लगती है। शास्त्रकारों ने इसीलिए कहा है कि ससार के पदार्थ क्षणभंगुर है, उनके प्रति मानव को राग-द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपने स्वभाव मे मगन होकर रहना सबसे उत्तम है

“आत्म स्वभाव मे रे, अवधू सदा मगन हो रहना ।”

तो हम आपसे कह रहे थे कि सबज्ञ बनने की आकाक्षा रखने वाला व्यक्ति सबप्रथम अज्ञान का नाश करता है। जब तक अज्ञान है वस्तु स्वरूप का, तब तक राग-द्वेष बने रहेंगे। राग-द्वेष का अभाव तो वस्तु-स्वरूप के ज्ञान से ही

हो सकता है। वस्तु-स्वभाव के ज्ञान से ही आत्मा सर्वज्ञता की सोपान पर आरूढ हो सकता है। जो एक द्वार वहाँ पहुँच गया, वह फिर वापस नहीं आता। बंधनों से मुक्त हुआ कोई भी जीव पुन बन्धन में बँधना नहीं चाहेगा। बँधेगा भी क्यों, उमने ससार-वृक्ष के बीज का सर्वथा नाश जो कर दिया है

“दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त न प्ररोहति भवाकुर ”

जब बीज को ही जला दिया गया तो फिर ससार में जन्म लेने के अक्रूर कैसे प्रस्फुटित हो सकते हैं ? इस प्रकार सासारिक बन्धन से मुक्ति प्रत्येक आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता।

जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान् को भी पापी आत्माओं के उद्धार के लिए, दुष्टात्माओं को दण्डित करने के लिए ससार में आना पड़ता है, उनके अनुसार तो यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार की मान्यता वाले का ईश्वर भी वास्तविक मुक्तावस्था प्राप्त नहीं कर सका है। ससार में आने का तो यही अर्थ है कि उनके भगवान् के बंधन अभी तक कट नहीं पाये हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, बड़ी लम्बी डोर है उसके हाथ में। वह डोर को कभी तो ढीली कर देता है और कभी खींचता है। ढील का अर्थ है पतंग को दूरी पर ले जाना, खींचने का अर्थ है पतंग को ऊँचाई पर ले जाना। कभी-कभी पतंग इतनी ऊँची चली जाती है कि उड़ाने वाले की दृष्टि से भी ओझल हो जाती है, परन्तु इतनी ऊँचाई पर पहुँचकर भी आखिर पतंग को नीचे आना पड़ता है। इसका कारण है कि पतंग बन्धन में है, बँधी हुई है—डोर से और डोर उड़ाने वाले के हाथ में है। इसी प्रकार कोई आत्मा कितना भी ऊँचा उठ जाये यदि वह किसी के बंधन में बँधा हुआ है तो उसको नीचे आना ही पड़ता है। ससार में उसको जन्म लेना ही पड़ता है। जैनागमों का कथन है कि ऐसे आत्मा परमात्मा कहलाते हुए भी मुक्तावस्था से रहित हैं। जब परमात्मा कहलाने वाले आत्मा भी मुक्तावस्था को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके तो सामान्य आत्मा से मुक्तावस्था को प्राप्त करना कितना कठिन है, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अवतारवाद की मान्यता में सारा का सारा तन्त्र एक ही शक्ति, आत्मा या तथाकथित परमात्मा के हाथ में सौंप दिया जाता है, इसी कारण परिस्थितियों के बन्धन के कारण उसे पृथ्वी पर अवतरण की आवश्यकता रहती है। वह आवश्यकता भले ही पूरी हो जाए किन्तु उस परम-शक्ति को मुक्तावस्था तक नहीं पहुँचने देती। जैन सिद्धान्त के अनुसार सारा तन्त्र किसी ऐसी आत्मा-विशेष या शक्ति-विशेष के हाथ में नहीं है। यहाँ

तो सब आत्मा 'स्वतन्त्र' है। सब अपना कल्याण भी स्वयं कर सकते हैं और स्वयं को पतन की ओर भी प्रवृत्त करा सकते हैं। इसीलिए जैनागम का विधान है

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥

उत्तराध्ययन, २०/३७

अर्थात्—

आत्मा ही सुख देने वाला भी है और दुःख देने वाला भी। सदाचार में प्रवृत्त आत्मा मित्र के समान है और दुराचार में प्रवृत्त होने पर वही शत्रु के समान बन जाता है।

इसी भाव का दूसरे आगम में भी उल्लेख है

पुरिसा तुममेव तुम मित्त,

किं वहिया मित्तमिच्छसि ।

आचाराग, १/३/३

अर्थात्—हे मानव ! तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, बाहर क्यो किसी की खोज करते फिरते हो ?

इस प्रकार हमारे सिद्धान्त में आत्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है और कर्मों का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है, किसी दूसरी शक्ति की उसे कर्मों का फल भुगताने के लिए आवश्यकता नहीं है। आत्मा अज्ञानवश कर्मों को बाँधता भी है और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का आवरण दूर करके कर्मों के बन्धन से मुक्त भी हो सकता है। उसे दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता है। फल भुगताने के लिए ईश्वर नाम की शक्ति की कल्पना वे लोग करते हैं जो पाप कर्म तो करते हैं किन्तु उनका फल भोगने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में शक्ति-प्रयोग से फल भुगताने के लिए ईश्वरीय शक्ति की कल्पना की जाती है। अन्य शक्ति द्वारा फल भुगताने की मान्यता को स्वीकार करने से बड़ी बाधा उपस्थित होती है। फल भुगताने वाला यदि किसी कारणवश नाराज हो जाये तो जीव के पुण्यकर्मों को भी पापकर्म में बदल कर जीव को दण्डित कर सकता है। वह अपने भक्तों का तो पक्षपात करेगा और जो उसके भक्त नहीं हैं उनके साथ अन्याय करेगा। ऐसी मान्यता से तो विश्व में वैषम्य पैदा हो जायेगा। इसलिए हमें वीतराग सर्वज्ञ के सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा, जिसके अनुसार ससार के प्राणी कर्मबन्धन और कर्मविमुक्ति दोनों में स्वतन्त्र हैं। आत्मा कर्म स्वयं भोगता है। किसी भी कार्य की सपन्नता में

काल, स्वभाव, नियति पुरुषार्थ व कर्म—ये पाँच कारण होते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अनेकान्तवाद का सिद्धान्त भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। ईश्वर के हाथ में सारा तन्त्र सोपना एका तवादी दृष्टिकोण है। परिणामस्वरूप यह कहना पड़ता है कि ऐसे लोग जिन्होंने वस्तु-स्वरूप को समझा नहीं है वे ही कम भुगताने की मान्यता में आस्था रखते हैं।

इसी प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाली एक दूसरी विचारधारा भी है। कुछ लोगों का कथन है कि 'वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो चाहे न करो, जो होनहार है वह तो होकर ही रहती है।' इसका उत्तर यह है कि अपने-आप कुछ नहीं हुआ करता। जैसे कर्म हम करते हैं, उनके अनुसार ही सब होता है। जैसा बीज हम बोएँगे, वैसा ही उगेगा। बिना बोए कुछ भी उगने वाला नहीं है। चाहे हम कर्म जान-बूझकर करें, चाहे अनजाने में करें, कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। आम लोगों की यही धारणा रहती है कि अनजाने में हुए कर्म का फल उन्हें न भोगना पड़े और अनजाने में उनसे जो पुण्यकर्म हो गया हो उसका शुभ फल उनको अवश्य प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हुआ करता है। व्यय और आय दोनों लिखे जाते हैं। अनजाने में किए गये कर्म-फल को न भोगने की मान्यता से तो अज्ञान का महत्त्व बढ़ेगा और ज्ञान उपेक्षित हो जायेगा। इस दृष्टिकोण से तो अज्ञानी रहना लाभदायक हुआ क्योंकि उसे पापकर्म का फल नहीं भोगना पड़ा। तो फिर ज्ञानी बनना कौन चाहेगा? अन्य सिद्धान्तों के साथ-साथ समार में अज्ञानवाद का सिद्धान्त भी चलता है। अज्ञानवादी अज्ञान का मण्डन करते हैं और अज्ञानी रहने की शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि अज्ञानी कितना भी पाप कर ले, क्षमा का पात्र होता है, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो बन्धन में पड़ जाता है। वे कहते हैं

“चाकर चकवो चतुर नर नितप्रति रहत उदास ।
खर घू घू मूरख पशु सदा सुखी पृथ्वीराज ॥”

और भी

“पठितव्य तदपि मर्तव्य, न पठितव्य
तदपि मर्तव्य दन्तकटाकट कि कर्त्तव्यम् ।”

अर्थात्—

पढ़ना है तो भी मरना अवश्यभावी है और नहीं पढ़ेंगे तब भी मृत्यु से हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब फिर व्यर्थ में ही दाँताकीची करने से क्या लाभ? यह भी कहते हैं

“भणिया माँगे भीख, अणभणिया घोड़े चढ़ ।
गुराँजी री आ ही सीख, भोले ही भणजो मती ॥”

इस प्रकार अज्ञानवादी लोग अनेक प्रकार के तर्क और युक्तियाँ प्रस्तुत करके अपने पक्ष का मण्डन किया करते हैं, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे जो तर्क और युक्तियाँ देते हैं उनका आधार ज्ञान ही तो है। ज्ञान का सहारा लेकर भी ज्ञान का खण्डन करना, यह तो उनकी कोरी अज्ञानता का ही प्रतीक है। “जिस हडिया में खाना, उसी में छेद करना” वाली कहावत उन पर पूरी तरह से घटित होती है। इसी खोखलेपन के कारण जो ज्ञानवान लोग हैं उनके पास तो जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती है, और जो अज्ञानवादी हैं उनके पास कोई फटकता भी नहीं। जरा ध्यान देने की बात है, यदि अज्ञानी बालक आग में हाथ डालेगा तो क्या उसका हाथ जलेगा नहीं? यदि अज्ञानी व्यक्ति विष का भक्षण करेगा तो क्या वह मरेगा नहीं? यदि अज्ञानी को सर्प काट लेगा तो क्या उसको विष नहीं चढ़ेगा? इसलिए ज्ञानवादियों का कथन है कि अज्ञानावस्था में किये गये पापों का फल तो जीव को निश्चिन्त रूप से भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी तो कर्म-फल से किसी सीमा तक ब्राण भी पा सकता है। ज्ञानवान् व्यक्ति प्रथम तो सामान्य परिस्थिति में पाप कर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं और यदि किसी कठिन परिस्थिति में प्रवृत्त हो भी गया तो उसके मन पर पाप चिपट नहीं सकेगा। आत्मा के साथ उसकी एकरूपता नहीं हो सकेगी। उदाहरण के लिए आप सब हमारा व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं किन्तु ऊपर के मन से आते हैं। ऐसी दशा में जो भी हमारे द्वारा उपदिष्ट धार्मिक क्रियाएँ आप करते हैं उनसे तथा हमसे आपकी जो एकरूपता होनी चाहिए वह क्या हो पाती है? उत्तर निषेधात्मक है। ऊपरी मन से हम किसी से मिलते हैं, चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, देर तक बैठे भी रहते हैं, हसते भी हैं और प्रभावित करने का प्रयत्न भी करते हैं किन्तु इसका असर कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानवान् व्यक्ति बिना रुचि के, बिना मन के यदि कोई पाप कर भी बैठता है तो उस पाप का उसकी आत्मा से कोई वन्धन नहीं हो पाता। वह अपने पाप के लिए थोड़ा सा पश्चात्ताप करके या थोड़ी सी धार्मिक क्रिया करके उससे छुटकारा पा सकता है। उदाहरण के लिए किसी समझदार ज्ञानवान् व्यक्ति ने परिस्थितियों की चोट खाकर आत्महत्या के लिए विष-भक्षण कर लिया। विष भक्षण के पश्चात् वह विचार करता है, “मेरी मृत्यु से क्या होगा? घर की परिस्थितियाँ बदलने के स्थान पर और विकट हो जायेंगी।” उसे पश्चात्ताप होता है और वह किसी डाक्टर के पास जाकर कहता है, “मैंने बड़ी भारी भूल की है। आत्महत्या के लिए विष खा गया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिये।” डाक्टर उसको कोई ऐसी औषधि दे

काल, स्वभाव, नियति पुरुषार्थ व कर्म—ये पाँच कारण होते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अनेकान्तवाद का सिद्धान्त भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। ईश्वर के हाथ में सारा तन्त्र साँपना एका तवादी दृष्टि-कोण है। परिणामस्वरूप यह कहना पड़ता है कि ऐसे लोग जिन्होंने वस्तु-स्वरूप को समझा नहीं है वे ही कर्म भुगताने की मान्यता में आस्था रखते हैं।

इसी प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाली एक दूसरी विचारधारा भी है। कुछ लोगों का कथन है कि 'वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो चाहे न करो, जो होनहार है वह तो होकर ही रहती है।' इसका उत्तर यह है कि अपने आप कुछ नहीं हुआ करता। जैसे कम हम करते हैं, उनके अनुसार ही सब होता है। जैसा बीज हम बोएँगे, वैसा ही उगेगा। बिना बोए कुछ भी उगने वाला नहीं है। चाहे हम कर्म जान-बूझकर करें, चाहे अनजाने में करें, कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। आम लोगों की यही धारणा रहती है कि अनजाने में हुए कर्म का फल उन्हें न भोगना पड़े और अनजाने में उनसे जो पुण्यकर्म हो गया हो उसका शुभ फल उनको अवश्य प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हुआ करता है। व्यय और आय दोनों लिखे जाते हैं। अनजाने में किए गये कर्म-फल को न भोगने की मान्यता से तो अज्ञान का महत्त्व बढ़ेगा और ज्ञान उपेक्षित हो जायेगा। इस दृष्टिकोण से तो अज्ञानी रहना लाभदायक हुआ क्योंकि उसे पापकर्म का फल नहीं भोगना पड़ा। तो फिर ज्ञानी बनना कौन चाहेगा? अन्य सिद्धान्तों के साथ-साथ समार में अज्ञानवाद का सिद्धान्त भी चलता है। अज्ञानवादी अज्ञान का मण्डन करते हैं और अज्ञानी रहने की शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि अज्ञानी कितना भी पाप कर ले, क्षमा का पात्र होता है, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो बन्धन में पड़ जाता है। वे कहते हैं

“चाकर चकवो चतुर नर नितप्रति रहत उदास।
खर घू घू मूरख पशु सदा सुखी पृथ्वीराज ॥”

और भी

“पठित्वय तदपि मर्तव्य, न पठित्वय
तदपि मर्तव्य दन्तकटाकट किं कर्त्तव्यम् ॥”

अर्थात्—

पढ़ना है तो भी मरना अवश्यभावी है और नहीं पढ़ेंगे तब भी मृत्यु से हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब फिर व्यर्थ में ही दाँताकीची करने से क्या लाभ? यह भी कहते हैं

“भणिया मांगे भीख, अणभणिया घोड़े चढ ।
गुराँजी री आ ही सीख, भोले ही भणजो मती ॥”

इस प्रकार अज्ञानवादी लोग अनेक प्रकार के तर्क और युक्तियाँ प्रस्तुत करके अपने पक्ष का मण्डन किया करते हैं, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे जो तर्क और युक्तियाँ देते हैं उनका आधार ज्ञान ही तो है। ज्ञान का सहारा लेकर भी ज्ञान का खण्डन करना, यह तो उनकी कोरी अज्ञानता का ही प्रतीक है। “जिस हडिया में खाना, उसी में छेद करना” वाली कहावत उन पर पूरी तरह से घटित होती है। इसी खोललेपन के कारण जो ज्ञानवान लोग हैं उनके पास तो जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती है, और जो अज्ञानवादी हैं उनके पास कोई फटकता भी नहीं। ज़रा ध्यान देने की बात है, यदि अज्ञानी बालक आग में हाथ डालेगा तो क्या उसका हाथ जलेगा नहीं ? यदि अज्ञानी व्यक्ति विष का भक्षण करेगा तो क्या वह मरेगा नहीं ? यदि अज्ञानी को सर्प काट लेगा तो क्या उसको विष नहीं चढ़ेगा ? इसलिए ज्ञानवादियों का कथन है कि अज्ञानावस्था में किये गये पापों का फल तो जीव को निश्चिन् रूप से भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी तो कर्म-फल से किसी सीमा तक ब्राण भी पा सकता है। ज्ञानवान् व्यक्ति प्रथम तो सामान्य परिस्थिति में पाप कर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं और यदि किसी कठिन परिस्थिति में प्रवृत्त हो गया तो उसके मन पर पाप चिपट नहीं सकेगा। आत्मा के साथ उसकी एकरूपता नहीं हो सकेगी। उदाहरण के लिए आप सब हमारा व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं किन्तु ऊपर के मन से आते हैं। ऐसी दशा में जो भी हमारे द्वारा उपदिष्ट धार्मिक क्रियाएँ आप करते हैं उनसे तथा हमसे आपकी जो एकरूपता होनी चाहिए वह क्या हो पाती है ? उत्तर निषेधात्मक है। ऊपरी मन से हम किसी से मिलते हैं, चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, देर तक बैठे भी रहते हैं, हसते भी हैं और प्रभावित करने का प्रयत्न भी करते हैं किन्तु इसका असर कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानवान् व्यक्ति बिना रुचि के, बिना मन के यदि कोई पाप कर भी बैठता है तो उस पाप का उसकी आत्मा से कोई बन्धन नहीं हो पाता। वह अपने पाप के लिए थोड़ा सा पश्चात्ताप करके या थोड़ी सी धार्मिक क्रिया करके उससे छुटकारा पा सकता है। उदाहरण के लिए किसी समझदार ज्ञानवान् व्यक्ति ने परिस्थितियों की चोट खाकर आत्महत्या के लिए विष-भक्षण कर लिया। विष भक्षण के पश्चात् वह वि है, “मेरी मृत्यु से क्या होगा ? घर की परिस्थितियाँ बदलने के विकट हो जायेंगी।” उसे पश्चात्ताप होता है और वह 10-15 जाकर कहता है, “मैंने बड़ी भारी भूल की है। आत्महत्या गया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिये।” डाक्टर उसको के

देता है जिससे वमन हो जाता है, विष बाहर आ जाता है और उसके प्राण बच जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति पाप करके भी पापफल से मुक्त हो सकता है जबकि अज्ञानी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। अज्ञानी पाप के फल से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वह पाप के दुष्परिणाम से बचने के उपायों से सर्वथा अनभिज्ञ है। यही महान् अन्तर है ज्ञान और अज्ञान में। तो हमारा आपसे यही कहना है कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के स्वरूप को बिना समझे ही धार्मिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का प्रयास करेगा तो उसका न तो कोई महत्त्व ही है और न ही उसका कोई फल ही मिलने वाला है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एव कठिन से कठिन सारी धार्मिक क्रियाएँ आत्मस्वरूप के एव मोक्ष के यथार्थ ज्ञान के अभाव में सारहीन होती हैं।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

३ अगस्त, १९७६





वस्तु, भावना और सिद्धि

यह सार्वभौम सत्य है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति जीव सम्यग्दृष्टि से ही कर सकता है। सम्यक्त्व का वास्तविक अर्थ है 'सचाई'। इसके विरोधी शब्द 'मिथ्यात्व' का अर्थ होता है 'भुठ्ठाई'। 'सचाई' के लिए दूसरा शब्द 'वास्तविकता' भी है, वह इसलिए कि सचाई में ही वास्तविकता होती है। वस्तु के अन्दर जो भी तत्त्व हो उसे यथार्थ रूप में स्वीकार करना वास्तविकता है। जो तत्त्व वस्तु में निहित नहीं है उसे हठात् मानने पर बल देना अवास्तविकता है। शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में इनको ही क्रमशः सम्यक्त्व और मिथ्यात्व कहा जाता है। लोक-व्यवहार में प्रायः लोगों को ऐसा कहते सुना गया है "अरे, क्या तो रखा है वास्तविकता में और क्या रखा है अवास्तविकता में। प्रधानता तो भावना की होती है। जैसी जिसकी भावना होती है, उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है।" नीतिशास्त्र में इसी भाव को इस प्रकार अभिव्यक्त दी गई है

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

उक्त पद्य में मनुष्य की भावना के फलवती होने पर बल दिया गया है जो विश्लेषण एवं तर्क की आधारशिला पर खरा नहीं उतरता। जो तत्त्व जिस वस्तु में विद्यमान नहीं है उस तत्त्व की भावना रखने से क्या उस तत्त्व की सत्ता उस वस्तु में आ सकती है? अग्नि का गुण या धर्म उष्णता है, उसमें शीतलता की भावना रखने से शीतत्व तो नहीं आ सकता। इसी प्रकार जल का धर्म शीतलता है, उसमें उष्णता की भावना रखने से उसका गुण उष्णत्व में तो परिणत नहीं हो सकता? उक्त उत्तरार्थ का पूर्वार्थ

देवे तीर्थे द्विजे मन्त्रे देवज्ञे भेषजे गुरौ ।

भी विचारणीय है।

देव अपने उस इष्ट को कहते हैं जिससे लाभ उठाने के लिए उसकी आराधना की जाती है। दूसरी कोटि में तीर्थ का उल्लेख है। तीर्थ का अर्थ बड़ा ही

देता है जिससे वमन हो जाता है, विष बाहर आ जाता है और उसके प्राण बच जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति पाप करके भी पापफल से मुक्त हो सकता है जबकि अज्ञानी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। अज्ञानी पाप के फल से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वह पाप के दुष्परिणाम से बचने के उपायो से सर्वथा अनभिज्ञ है। यही महान् अन्तर है ज्ञान और अज्ञान में। तो हमारा आपसे यही कहना है कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के स्वरूप को बिना समझे ही धार्मिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का प्रयास करेगा तो उसका न तो कोई महत्त्व ही है और न ही उसका कोई फल ही मिलने वाला है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एव कठिन से कठिन सारी धार्मिक कियामें आत्मस्वरूप के एव मोक्ष के यथार्थ ज्ञान के अभाव में सारहीन होती है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

३ अगस्त, १९७९



वस्तु भावना और सिद्धि

मार्ग को अपनाना सरल काम नहीं है किन्तु भवसागर को पार करने के लिए उसका आश्रय अनिवार्य है। साधु धर्म में उन सभी बातों का त्याग करना पड़ता है जो साधक के माग में रुकावट डालने वाली है या साधना-पथ की बाधक है। उनके त्याग से मन कहीं भी डगमगाता नहीं किन्तु स्थिर हो जाता है आत्म-विकास की पृष्ठभूमि पर। घर में सासारिक जाल में उलझने के कारण मन की स्थिरता कदापि सम्भव नहीं होती। साधक को तैरने की जो सुविधा अपेक्षित है वह घर में प्राप्य नहीं होती। साधु धर्म तीर्थों के बंधे हुए घाटों के समान है जहाँ तैरने की पूरी सुविधा होनी है, जहाँ जलचर जन्तुओं का किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता किन्तु गृहस्थ जीवन तो घाट-विहीन होता है जहाँ ससार के झुंझट घातक जलचर जन्तुओं के समान सदा खतरनाक बने रहते हैं। इसलिए ससार-समुद्र को पार करने की यदि सच्ची लगन है तो साधु-धर्म की अगीकार करना ही पड़ेगा।

जैसे साधु धर्म है, वैसे ही स्त्रियों के लिए साध्वी धर्म है। यह दूसरा तीर्थ है। तीसरी कोटि में श्रावक भी एक तीर्थ है। देशविरति धर्म को धारण करने वाले श्रावक भी ससार समुद्र को पार कर सकते हैं। श्रावक के समान ही चौथा तीर्थ श्राविका है। इन चारों तीर्थों में आकर आत्मा शास्त्रविहित विधि-विधानों के निरन्तर अनुष्ठान से भवसागर को तैर कर पार हो जाता है या दूसरे शब्दों में बन्धनमुक्त हो जाता है।

तीसरा शब्द है 'द्विज'। द्विज के अनेक अर्थ होते हैं। 'द्वि' का अर्थ है 'दो' और 'ज' का अर्थ है 'जन्म'। जिसका दो बार जन्म होता है वह द्विज कहलाता है। पक्षी का पहला जन्म अण्डे के रूप में होता है और दूसरा वच्चे के रूप में। दात भी द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म भी दो बार होता है। पहले दात दूध के होते हैं और दूसरे अन्न के।

उक्त गाथा में जो द्विज शब्द आया है वह मानव जाति के वर्ग-विशेष के लिए है। वह मानव जो एक बार तो माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जन्म उसका किसी धार्मिक संस्कार-विशेष के समय होता है वह भी द्विज कहलाता है। साधु भी द्विज कहलाता है क्योंकि एक बार तो उसका जन्म घर में होता है और दूसरा गुरु के चरणों में धार्मिक संस्कार द्वारा। श्रावक भी द्विज है, एक बार तो उसका शारीरिक जन्म हुआ और दूसरा देशविरति धर्म को धारण करने के पश्चात्। संक्षेप में, पहला जन्म, जन्म से और दूसरा संस्कार से होता है। संस्कार का अभिप्राय है कि त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान, मर्यादा आदि कुछ भी धार्मिक धारणा को धारण करने के पश्चात् जो जन्म होता है उसे दूसरा जन्म ही मानना चाहिए।

द्विजों में ब्राह्मण विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि एक बार तो उसका जन्म

गहन भी है और सारगर्भित भी। लोकभाषा में तीर्थ का दूसरा नाम घाट भी है। पानी में उतरने के लिए जलाशय के चारों ओर और नदी के दोनों ओर घाट बँधाये जाते हैं। पावडिये भी होते हैं और आसपास सहारे के लिए लोहे की जजीरों भी लगी होती है जिससे तैरने की कला से अनभिज्ञ व्यक्ति जल में डूबने से बच सकें। ऐसे घाट तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ इसलिए कि इनको तिरने का माध्यम माना जाता है। हरिद्वार, कुश्केत्र और वाराणसी आदि अनेक स्थान तीर्थों के नाम से जाने जाते हैं।

“तीर्यते यत्र अथवा तीर्यते अनेन असौ तीर्थ ।”

अर्थात्—

जो तिरने का या तैरने का स्थान हो, वह तीर्थ है। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है। तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध जलाशयों और नदियों के सभी स्थानों में स्नान करके तिरना सम्भव नहीं होता। सबत्र एक स्थान-विशेष होता है जहाँ तिरने का विधान होता है, जैसे हरिद्वार में ‘हर की पीठी’। इस धार्मिक विधान का दूसरा पहलू सामान्यज्ञान भी है। जल में अनेक प्रकार के घातक जानवर भी होते हैं। जहाँ लोग अधिक सरया में स्नान करते हैं, वहाँ वे जीव जन्तु प्राणभय से नहीं आया करते। घाट बँधे होने के कारण जल स्वच्छ बना रहता है, इसलिए स्नान करने वाले कीचड़ से भी बचे रहते हैं। यह है विवरण ससार के दृश्यमान तीर्थों का।

कुछ ऐसे भी तीर्थ हैं जहाँ पानी स्थिर रूप में टिका हुआ या प्रवाह रूप में बहता हुआ तो दिखाई नहीं देता किन्तु तीर्थ की सत्ता उनमें रहती है। दूसरे शब्दों में, यह ससार स्वयं सागर ही है। यहाँ पर आपके और हमारे बीच में भी पानी है। ऊपर पानी है, नीचे पानी है और आसपास भी पानी है। हम सब पानी में ही तो बैठे हुए हैं। यह पानी है जन्म मरण का, ससाररूपी समुद्र का। बड़ा ही विशाल और गहरा है यह ससाररूपी समुद्र। इस समुद्र के अन्दर भी चार घाट बने हुए हैं। ससार रूपी समुद्र को यदि कोई तैरकर पार करना चाहता हो, इससे अपना अपना पिण्ड छुड़ाना चाहता हो या इस बन्धन से मुक्त होना चाहता हो तो उसके लिए जैनागमों में चार तीर्थों का विधान है। वे चार तीर्थ हैं साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु या श्रमण धर्म को जो अगीकार कर लेता है, वह बिना किसी रुकावट के ससाररूपी समुद्र को तैर कर पार कर सकता है। यदि कोई यह सोचे कि “मुझमें तो तैरने की सामर्थ्य है, मैं साधु धर्म को अपनाये बिना भी घर पर बैठकर ससार के सारे के सारे काम सम्पन्न करता हुआ भी ससार समुद्र को तैरकर पार कर जाऊँगा।” तो मात्र उसकी यह भ्रान्ति है और अज्ञानता है। नि सन्देह साधु-

मार्ग को अपनाना सरल काम नहीं है किन्तु भवसागर को पार करने के लिए उसका आश्रय अनिवार्य है। साधु धर्म में उन सभी बातों का त्याग करना पड़ता है जो साधक के मार्ग में रुकावट डालने वाली है या साधना-पथ की बाधक हैं। उनके त्याग से मन कहीं भी डगमगाता नहीं किन्तु स्थिर हो जाता है आत्म-विकास की पृष्ठभूमि पर। घर में सांसारिक जाल में उलझने के कारण मन की स्थिरता कदापि सम्भव नहीं होती। साधक को तैरने की जो सुविधा अपेक्षित है वह घर में प्राप्य नहीं होती। साधु धर्म तीर्थों के बंधे हुए घाटों के समान है जहाँ तैरने की पूरी सुविधा होनी है, जहाँ जलचर जन्तुओं का किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता किन्तु गृहस्थ जीवन तो घाट-विहीन होता है जहाँ ससार के झुंझट घातक जलचर जन्तुओं के समान सदा खतरनाक बने रहते हैं। इसलिए ससार-समुद्र को पार करने की यदि सच्ची लगन है तो साधु-धर्म को अंगीकार करना ही पड़ेगा।

जैसे साधु धर्म है, वैसे ही स्त्रियों के लिए साध्वी धर्म है। यह दूसरा तीर्थ है। तीसरी कोटि में श्रावक भी एक तीर्थ है। देशविरति धर्म को धारण करने वाले श्रावक भी ससार समुद्र को पार कर सकते हैं। श्रावक के समान ही चौथा तीर्थ श्राविका है। इन चारों तीर्थों में आकर आत्मा शास्त्रविहित विधि-विधानों के निरन्तर अनुष्ठान से भवसागर को तैर कर पार हो जाता है या दूसरे शब्दों में बन्धनमुक्त हो जाता है।

तीसरा शब्द है 'द्विज'। द्विज के अनेक अर्थ होते हैं। 'द्वि' का अर्थ है 'दो' और 'ज' का अर्थ है 'जन्म'। जिसका दो बार जन्म होता है वह द्विज कहलाता है। पक्षी का पहला जन्म अण्डे के रूप में होता है और दूसरा बच्चे के रूप में। दात भी द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म भी दो बार होता है। पहले दात दूध के होते हैं और दूसरे अन्न के।

उक्त गाथा में जो द्विज शब्द आया है वह मानव जाति के वर्ग-विशेष के लिए है। वह मानव जो एक बार तो माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जन्म उसका किसी धार्मिक संस्कार-विशेष के समय होता है वह भी द्विज कहलाता है। साधु भी द्विज कहलाता है क्योंकि एक बार तो उसका जन्म घर में होता है और दूसरा गुरु के चरणों में धार्मिक संस्कार द्वारा। श्रावक भी द्विज है, एक बार तो उसका शारीरिक जन्म हुआ और दूसरा देशविरति धर्म की धारण करने के पश्चात्। संक्षेप में, पहला जन्म, जन्म से और दूसरा संस्कार से होता है। संस्कार का अभिप्राय है कि त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान, मर्यादा आदि कुछ भी धार्मिक धारणा को धारण करने के पश्चात् जो जन्म होता है उसे दूसरा जन्म ही मानना चाहिए।

द्विजों में ब्राह्मण विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि एक बार तो उसका जन्म

माता के गर्भ से होता है और दूसरा होता है यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात् । हिन्दू धर्म-ग्रन्थों के अनुसार यज्ञोपवीत सस्कार का विधान केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है, इसलिए तीनों तो द्विज है किन्तु शूद्र द्विज नहीं है क्योंकि उसके लिए उपनयन सस्कार का निषेध है । जैन धर्मग्रन्थों की मान्यता के अनुसार भी तीन वर्णों की आचार-पद्धति की ही व्यवस्था चली आ रही है किन्तु उसमें कुछ भिन्नता है । भगवान् ऋषभदेव ने जिन तीन वर्णों की व्यवस्था स्थापित की थी उनके नाम हे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी । बिना प्रसंग प्रस्तुत किये यह बात आपकी समझ में नहीं आ सकेगी ।

भगवान् ऋषभदेव का चातुर्मास या अयोध्या के शकटमुख उद्यान में । कार्तिक पूर्णिमा का दिन—चातुर्मास का अन्त आ गया । भरत चक्रवर्ती पश्चात्तापसयी द्विचारधारा में डूबे हुए सोचने लगे, 'कल भगवान् विहार कर देंगे । चार महीनों में मैंने उनके प्रवचन भी सुने, प्रश्न भी पूछे और उनके चरणों में भी बैठा किन्तु उनकी कोई भी सेवा नहीं की, कुछ भी लाभ नहीं ले सका । भगवान् के साथ चौरासी हजार साधु हैं, साध्वियाँ भी सहस्रो हैं, मुझे कभी तो आहार के लिये पूछना चाहिये था । मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया । ऐसा सोचकर भरत ने सभी साधु-साध्वियों को आहार देने के लिए विविध प्रकार के पक्वान्न और मिष्ठान्न तैयार करने का कर्मचारियों को आदेश दिया । रसोइये जुट गये पक्वान्न पकाने में । सब खाद्यान्तों के पूरणरूपेण तैयार होने पर वे गाड़ों में भर भर कर शकटमुख उद्यान की ओर आने लगे । अयोध्या नगरी के द्वारों से निकलते हुए खाद्यान्तों के गाड़ों की पंक्ति को देखकर, देव-लोक के स्वामी शक्रेन्द्र भरत से बोले, 'आप यह सब क्या कर रहे हैं ?' उत्तर में भरत चक्रवर्ती ने कहा

“चातुर्मास के अन्तराल में मैं साधु-साध्वियों की आहार सम्बन्धी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया हूँ । आज उस सारी कसर को पूरी करना चाहता हूँ । आज सब साधु-साध्वियों को मैं आहार से तृप्त करूँगा ।”

“तुम भूल कर रहे हो, चक्रवर्ती भरत ! साधुओं के निमित्त बने हुए भोजन को और उनके स्थान पर लाये गये भोजन को साधु-साध्वी कभी स्वीकार नहीं करते । वे तो गोचरी के नियम का पालन करने वाले हैं । तुम्हारे द्वारा उनके निमित्त पकाया यह खाद्यान्न उनके लिए ग्राह्य नहीं होगा ।”

इन्द्र ने भरत को साधुओं के धार्मिक नियम का दिग्दर्शन कराते हुए समझाया ।

चक्रवर्ती भरत असमजस में पड़ गये । उनको चिन्ताक्रान्त देखकर शक्रेन्द्र ने कहा “आपकी इतनी बड़ी चिन्ता का क्या कारण है ?”

“कारण यही है कि इतना बड़ा पक्वान्नो का भण्डार, आपके कथनानुसार साधु-साध्वियों के काम तो आयेगा नहीं एव सुपात्र दान के निमित्त महान् भावना से निर्मित होने के कारण मेरा परिवार भी पात्रता के अभाव में इसका उपयोग कर सकेगा नहीं, फिर इस भण्डार का कैसे सदुपयोग किया जाये ?”

“इस समस्या का समाधान बड़ा सरल है। जो सन्तो से निम्नकोटि के हैं किन्तु आपसे दर्जे में ऊँचे हैं, उनको बुलाकर ये खाद्यान्न परोस दो। इस कोटि में आते हैं, श्रावक। आपका चौथा गुणस्थान है और श्रावको का पाँचवाँ गुणस्थान है, इस कारण वे आपसे बड़े हैं। मात्र चक्रवर्ती होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता।”

शक्रेन्द्र ने समस्या का समाधान करते हुए उत्तर दिया।

आज के श्रावको को इस बात का गौरव होना चाहिए कि वे चक्रवर्ती राजा से भी ऊँचे हैं। चक्रवर्ती क्या, चौसठ इन्द्रो से भी आपका स्थान उच्चतर है। यह उच्चता धन पर आधारित नहीं है किन्तु श्रावकत्व पर आधारित है।

शक्रेन्द्र की राय को स्वीकार करके भरत ने श्रावको को बुलाया और वे बड़ी सख्या में वहाँ उपस्थित हो गये। स्वयं भरत ने परोसा और सब श्रावको ने भोजन किया। स्वयं परोसना उचित भी था क्योंकि उनका स्थान भरत से उच्चतर था। परोसते समय भरत सोचने लगे, ‘कितना आनन्द आ रहा है, आज मुझे इन श्रावको को आहार परोसते हुए। क्यों न इस आनन्द की अनुभूति मैं प्रतिदिन लेता रहूँ ? यही के तो है, सब ये, नि सकोच प्रतिदिन आ सकते हैं।”

भोजन-समाप्ति के पश्चात् जब सब श्रावक उठकर जाने लगे तो भरत ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, ‘यदि आप सबकी अनुमति हो तो इस भोजन के कार्यक्रम को प्रतिदिन चालू रखा जाये।”

इसके उत्तर में श्रावको ने कहा, “महाराज ! आपका यह निर्णय उचित नहीं है। हम सब गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, वाणिज्य-व्यवसाय करते हैं और भी अनेक प्रकार के काम-धन्धों में हम उलझे हुए हैं। एक दिन का आपका आग्रह तो हमने स्वीकार कर लिया किन्तु प्रतिदिन हमारे से इसका निर्वाह संभव नहीं है। आप हमें क्षमा करें।”

इस प्रकार भरत आग्रह कर रहे थे और श्रावक निषेध कर रहे थे। इस अवसर पर भी शक्रेन्द्र ने एक समाधान निकाला और कहा, “इन श्रावको के समूह में से ऐसे श्रावक जिन्होंने वाणिज्य-व्यवसाय आदि का त्याग कर दिया है, जो पडिमाधारी हैं, ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, परिवार के साथ जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है और उच्चकोटि के श्रावक धर्म का जो पालन करते हैं—उनको आप यहाँ नित्य भोजन कराया करें। इससे उन श्रावको का आहार

की चिन्ता मिट जायेगी और परिणामस्वरूप उनकी धार्मिक साधना निरन्तर चलती रहेगी ।”

ऐसे श्रावको का चयन किया गया । चयन किये हुए उन श्रावको को सम्बोधन करते हुए भरत ने कहा, “आप लोग समयी है, त्यागी है और तपस्वी है इसलिए आपकी मेवा हमारा धर्म है । आप प्रतिदिन आहार यही के रसोडे से ग्रहण करे ।”

सब श्रावको ने ऐसा निष्कर्म आहार लेने से इन्कार किया तो भरत ने समझाते हुए कहा, “यदि ऐसी बात है तो इसके बदले में आप राजगृह के सदस्यो—राजकुमार, राजकुमारियो और राणियो महाराणियो को धर्म की शिक्षा दो, उन्हें धर्म का तत्त्व समझाओ और उनकी प्रवृत्ति को धर्मोन्मुखी बनाओ । इसके अतिरिक्त आप मुझे भी समय समय पर धर्म की शिक्षा देकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे ।”

सब श्रावको ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ।

भरत सोच रहे थे, “ये श्रावक तो सामान्य श्रावको से भी उच्चतर है, मेरे से श्रेष्ठतर तो ये है ही, इसलिए पूजा के पात्र है । कही अज्ञानवश या असावधानतावश इनका अपमान न हो जाये, इनकी अवज्ञा न हो जाये और इनकी उपेक्षा न हो जाये इसलिए इनके शरीर पर कुछ चिह्न अंकित कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा ।” तब भरत ने कागणी रत्न से उनके शरीर पर और वस्त्रो पर तीन-तीन रेखाएँ खीच दी । एक एक रेखा में फिर बारीक-बारीक तीन रेखाएँ—इस प्रकार ये नव रेखाये यज्ञोपवीत के समान दीखने लगी । दूसरे शब्दों में यज्ञोपवीत का प्रादुर्भाव इन्हीं नव रेखाओं से हुआ । देव, गुरु और धर्म ये तीन तत्त्व है । ये तीन तत्त्व हेय है, ज्ञेय है और उपादेय भी है । कुगुरु, कुदेव और कुधर्म हय है । सामान्य देव, गुरु, धर्म ज्ञेय है, तथा सुगुरु, सुदेव और सुधर्म उपादेय है । इस प्रकार तीन से तीन गुणित होकर यज्ञोपवीत के नव डोरो के प्रतीक बन जाते है । इस प्रकार के धार्मिक यज्ञोपवीत को जीवन में धारण करने के कारण ये उच्चकोटि के श्रावक ब्राह्मण सज्ञा से पुकारे जाने लगे । ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण वे देव और गुरु के समान पूज्य माने जाने लगे । समाज में उनको उच्च सम्मान मिला । वे परिग्रह की परिधि से दूर थे । जो भी श्रावक बारह व्रतधारी होता और प्रतिभा को धारण करने वाला होता, वह इन सुप्रतिष्ठित श्रावको की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता था । इस प्रकार से उत्पन्न हुई ब्राह्मण परम्परा से ही ब्राह्मण सस्कृति का जन्म हुआ था । इस प्रकार ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा भरत महाराज द्वारा हुई । यह सारा निवरण द्विज शब्द पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया ।

चौथा शब्द श्लोक में ‘मत्र’ है । इस शब्द से आप भली भाँति परिचित हैं ।

किसी भी मंत्र की साधना या आराधना हो सकती है। दैवज्ञ—ज्योतिष के ऊपर, भेषज—श्रीषधि के ऊपर और गुरु महाराज—इन सात व्यक्तियों के ऊपर।

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।

जिसकी जैसी भावना होगी, उसको वैसा ही फल मिलेगा।

ऊपर जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है वे शक्ति के पुज माने जाते हैं। ये सब प्रकार की सिद्धियों के सागर होते हैं और कमियों को पूरा करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति जितना लाभ उनसे लेना चाहता है उतना ही तो वह प्राप्त कर सकेगा। जल से भरे विशाल समुद्र में से लोटे वाले को लोटे परिमाण का ही जल मिलेगा और जिसके पास बड़ा घट है उसे अधिक जल की उपलब्धि होगी। ठीक इसी प्रकार उपलब्धियों के सागर उक्त महा-पुरुषों में व्यक्ति उतना ही लाभ उठाने में समर्थ हो सकेगा जितना उसकी श्रद्धा एवं भावना का पात्र उसके पास होगा। मारवाड़ी भाषा में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है “गुड गालसी उतरो ही मीठा हसी” अर्थात् जितना गुड गाला जायेगा उतना ही मीठा होगा। गुड तो कम गालना और मीठा अधिक चाहना यह कैसे सम्भव हो सकता है? ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सामने की वस्तु सम्पूर्ण रूप से फल देने की सामर्थ्य में तो युक्त है परन्तु उसके प्रति साधक की या आराधक की जैसी और जितनी भावना रहेगी, उतना ही लाभ प्राप्त करने में वह सफल हो सकेगा, अधिक नहीं। इस प्रसंग पर एक दोहा पूर्ण रूप से घटित होता है

“साईं के दरबार में कमी काहु की नाँय।

तब किसी ने पूछा कि साईं के दरबार में यदि किसी वस्तु की कमी नहीं है तो फिर

“बन्दा क्यों पावे नहीं?”

उत्तर मिला

“चूक चाकरी माँय ॥”

साईं के दरबार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है किन्तु साधक की भावना या श्रद्धा में ही यदि चूक हो, कसर हो तो भला वह कैसे मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इसी प्रसंग में एक और दोहा स्मरण हो आया है

“राम भरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत।

जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल देत ॥”

चाकरी जितनी करोगे, उसके अनुरूप ही तो फल मिलेगा, चाकरी तो कम

करो और फल की आशा अधिक रखो तो कैसे सम्भव हो सकेगा । इसी प्रकार का एक और दोहा है कबीर का ।

“चिट्ठी लायो चून की”

कोई व्यक्ति किसी मोदी की दुकान पर गया । मोदी किसी दूसरे व्यक्ति का सामान तोल रहा था । घी, खाण्ड, मसाला आदि अनेक वस्तुएँ वह अन्य ग्राहको के लिए तोल रहा था । चून की चिट्ठी वाला व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहा । जब मोदी औरो का सामान तोल चुका तो उसने भी अपनी चिट्ठी मोदी के हाथ में दे दी । मोदी ने चिट्ठी पढते ही झट आटा तोल कर दे दिया । अपने लिए केवल मात्र आटा देखकर चिट्ठी वाला बोला, “तुमने और ग्राहको को तो घी, खाड आदि अनेक प्रकार की सामग्री दी, मुझे केवल आटा ही क्यों ?” इसके उत्तर में मोदी ने कहा

“चिट्ठी लायो चून की, मांगे घी ने दाल ।
दास कबीरा यो कहे, थारी चिट्ठी सामो भाल ॥”

कहने का साराश यह है कि सामने की वस्तु समस्त सिद्धियों को प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हुए भी साधक या आराधक को उतना ही देती है जितना उसकी श्रद्धा या भावना का परिमाण होता है । उक्त श्लोक का यही वास्तविक अभिप्राय है, यह नहीं कि प्रस्तुत वस्तु में अपेक्षित गुण के अभाव में भी हमारी भावना के कारण वह गुण उत्पन्न हो जाये जिसका उसमें उद्भव ही सम्भव नहीं हो । यदि हमको हमारी भावना के अनुसार ही सिद्धि-प्राप्ति सम्भव हो और प्रस्तुत वस्तु अपने विशिष्ट गुण से हीन हो तब तो वस्तु वस्तु में न तो कोई अन्नर ही रह जायेगा और न ही वस्तु के अपने निजी गुणों का ही कोई मूल्य रह जायेगा । इसी कारण ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सिद्धि केवल अपनी भावना के अनुसार मिलती है, यह कथन मिथ्यात्वी लोगों की कल्पना मात्र है । वारतव में तो उक्त श्लोक का यही अर्थ है कि निर्दिष्ट वस्तुएँ सब प्रकार की सिद्धियों का स्रोत होते हुए भी साधक को उतना ही प्राप्त होगा या उतनी ही सिद्धि प्राप्त होगी जितनी उसकी भावना का परिमाण होगा । वास्तव में सम्यग्दृष्टि व्यक्ति ही वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानता है और जिस वस्तु के साथ जैसा आचरण करना चाहिए वैसा ही वह करता है, परिणामस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता उसके चरण चूमती है ।

जैन भवन, डेह (नागौर)

४ अगस्त, १९७६



क्या मिथ्यात्व भी गुण का स्थान है ?

जैसाकि प्रकरण चलता आ रहा है सम्यक्त्व से ही जीव को शाश्वत सुखो की प्राप्ति हुआ करती है। सम्यक्त्व का अर्थ सचाई है और जहाँ सचाई है, वहाँ सुख है। जहाँ सचाई का अभाव है वहाँ सुख का भी अभाव है। कल के व्याख्यान में प्रसंग चल रहा था

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।”

जैसी जिसकी भावना हो, उसको सिद्धि भी वैसी ही मिला करती है। सामान्य व्यक्ति इसका यही अर्थ निकालते हैं कि हमारी भावना में ही कोई ऐसी शक्ति है जो सिद्धि की जननी है, वस्तु का स्वरूप तो गौण ही है। निम्न लिखित लोकोक्ति भी इसी भावना पर घटित होती है

“जिसका अवगुण उसके माँही,
बाना पूज नफा लो भाई।”

अर्थात्—

“हमारा कर्तव्य तो बाना-वेश की पूजा करना है और उसी से लाभ उठाना है। गुण-अवगुण का उत्तरदायित्व तो उस पर है जो बाना धारण करता है।” इस मान्यता के अनुसार वस्तु गौण हो जाती है और भावना मुख्य। इसमें सिद्धि या सफलता केवल शुद्ध भावना पर आधारित है, वस्तु उपेक्षणीय है। ऐसी धारणा को हम भ्रान्त धारणा ही कहेंगे। इसका कारण है जिस व्यक्ति के प्रति हम ऊँची भावना रखते हैं और सब प्रकार के गुणों का उसे अधिष्ठान मानते हैं, यदि वास्तव में वह हमारे द्वारा अभिलषित एव अपेक्षित गुणों से हीन हो, तो हम पूछते हैं कि हमारी भावना का क्या महत्त्व होगा और क्या मूल्य होगा ? क्या हमारी शुद्ध भावना की शक्ति से उस गुण-हीन व्यक्ति में गुणों का प्रवेश हो जायेगा ? इस प्रश्न का उत्तर निपेधात्मक है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे सामने जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको जानने का और समझने का प्रयत्न किया जाये। सासारिक बहाने में आकर

यदि हम वस्तु का वास्तविक स्वरूप बिना समझे ही अपना सम्बन्ध उससे जोड़ लेंगे तो फिर ज्ञान-ध्यान का कोई महत्त्व ही नहीं रह जायेगा।

अपने शास्त्रों में सम्यक्त्व के ठीक विपरीत व्यापकरूप से एक और शब्द आता है 'मिथ्यात्व'। प्रतिक्रमण सूत्र में और पच्चीस बोल के थोकड़े में भी इसका उल्लेख है। पच्चीस बोल के अठारह पाप-स्थानको के नामों में अन्तिम नाम है—मिथ्यादर्शनशल्य। अठारहवें पाप के रूप में इसकी परिगणना होती है। इसी थोकड़े में अन्यत्र भी मिथ्यात्व का उल्लेख है। कुल मिलाकर तीन बार इसका उल्लेख किया गया है। तेरहवें बोल में तो इसका विस्तृत विवरण है, इसी में मिथ्यात्व के दस भेदों का वर्णन है। ग्यारहवें बोल में चौदह गुणस्थान हैं जिनमें पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को भी गुण का स्थान बताना यह बात कुछ आश्चर्य में डालने वाली अवश्य है किन्तु है सत्याधारित। क्या मिथ्यात्व भी गुण है? इस प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या गुण सभी अच्छे ही होते हैं? इसका उत्तर यही है कि गुण सभी अच्छे नहीं होते। गुण दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं कामगुण जो अच्छे नहीं माने जाते। कामगुणों के पाँच भेद होते हैं शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। काम का अर्थ यहाँ 'धर्मार्थिकाममोक्ष' में आने वाला काम है जिसका अर्थ वासना है। इसका सीधा सम्बन्ध सभोग से है। शब्दादि पाँच कामगुण माने जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गुण का अर्थ होता है बन्धन। इन पाँच कामगुणों में बन्धा हुआ आत्मा नरकगामी होता है। बाँधने वाली रस्ती को भी तो गुण कहते हैं, वह भी बाँधने के ही काम आती है। ये कामगुण जीव को बाँधकर दुःख और दुर्गति के गत में पटक देते हैं। दूसरा गुण है निजी गुण। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—ये आत्मा के निजी गुण कहलाते हैं। आत्मा को बाँधते तो ये भी हैं किन्तु इनसे बँधा हुआ जीव उत्तरोत्तर मोक्ष की ओर अग्रसर होता रहता है। बन्धन होते हुए भी ये उत्कर्षोन्मुखी हैं। इस-लिए ग्राह्य हैं और आत्मविकास में सहायक हैं।

चौदह प्रकार के गुणस्थानों में दोनों ही प्रकार के गुणों का समावेश है। पहले ही मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व-सम्बन्धी काम गुणों (शब्दादि) की चर्चा प्रस्तुत की गई और तत्पश्चात् जो अन्य गुणस्थान हैं जैसे सम्यक्त्व का, देशविरति का, प्रमत्त सयत वा, अप्रमत्त सयत का आदि आदि उनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य सम्बन्धी गुणों का विवरण भी आपको समझा दिया गया। हमारा आत्मा जब पहले गुणस्थान में रहता है, तो ससार में परिभ्रमण कराना उसका काम रहता है या यों कहो उसका वह गुण होता है। मिथ्यात्व जैसे तो महा-भयकर परिणामवाला होता है किन्तु शास्त्रकारों ने इसकी गणना जो गुणों में की है वह रहस्यात्मक है।

ये चौदह ही गुणस्थान आत्मा की अवस्थाएँ हैं विन्दु क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मा की अवस्था अलग है। क्षेत्र की अपेक्षा से तो शुद्ध आत्मा ता निवास चौदह राजू लोक के लम्बे-चौड़े लोक के ऊपर ही ऊपर, या यो समझिये कि ललाट के ऊपर है, तो सिद्धशिला और ऊपर जो बाल है वहाँ पर सिद्धात्माएँ विराजती है। इस प्रकार मुक्तावस्था का स्थान तो बहुत ऊपर है। हमारा अभिप्राय यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से है। हम लोग अभी चौदह राजू लोक के बीच में रहते हैं। सात राजू से कुछ अधिक भाग हमारे नीचे है एव सात राजू से कुछ कम भाग हमारे ऊपर है। हमारा यह लोक मनुष्यलोक कहलाता है। इस लोक का दो लोको के मध्य में स्थान है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के मध्य में नाभि का। हमारे शरीर में और जीवन में नाभि का स्थान बड़े महत्त्व का है। नाभि शरीर का सेंटर है। यहाँ से सारी नाड़ियाँ कुछ ऊपर की ओर और कुछ नीचे की ओर जाती हैं। यदि यह कहें कि हमारा सारा जीवन तब नाभि से संचालित है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। नाभि महामर्म स्थान है। चौदह राजू लोक के अन्दर मनुष्यलोक भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। मनुष्य लोक के ऊपर का लोक और नीचे का लोक मनुष्यलोक के समक्ष कुछ महत्त्व नहीं रखते। इसी मनुष्यलोक के निवासी पुण्यकर्मों के परिणामस्वरूप देवलोक में उत्पन्न होते हैं। देवता बनते हैं, देवागनाएँ बनती हैं। देवलोक में जो भी जाहोजलाली है वह सब मनुष्यलोक का ही प्रभाव है। देवलोक के यद्यपि ऊपर मोक्ष है किन्तु उसका नाम हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की जाहोजलाली दृष्टिगोचर नहीं होती। हमारे-तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति यदि सिद्धशिला पर चला जाय तो वहाँ वह कुछ भी तो नहीं देख पायेगा, वह तो सर्वत्र शून्य और शून्य का ही अनुभव करेगा। यद्यपि वहाँ अनन्त सिद्धात्मा विराजमान है किन्तु मनुष्य के चर्म चक्षु उनको नहीं देख सकते, यह इसलिए कि आत्मा द्रष्टव्य पदार्थ की स्थिति में नहीं है। आप लोग जो सिद्धों के विषय में 'जोत में जोत समाने' की बात किया करते हैं, उस पर भी मैं प्रकाश डालूँगा। सिद्धात्मा हमारे चक्षुओं के अगोचर क्यों है, इसका भी एक विशेष कारण है। हम जो ससार के पदार्थों को देखते हैं तो उस देखने का माध्यम हमारी आँखें हैं। आँखें पौद्गलिक हैं और ससार के जिन पदार्थों को वे देखती हैं वे सभी पौद्गलिक हैं। पुद्गलो के अन्दर वण, गन्ध, रस और स्पश होते हैं। ये वर्णादि सभी इन्द्रियों के विषय हैं। वण को आँखें ग्रहण करती हैं, गन्ध को नाक ग्रहण करता है, रस को जिह्वा एव स्पर्श को त्वचा ग्रहण करती है। आँखें तो वण, रस, गन्ध और स्पश वाला चीजों को ही देखने की सामर्थ्य रखती हैं किन्तु जहाँ इन सभी का अभाव है वहाँ ये क्या देखेंगी ? सिद्धस्थान पर तो द्रष्टव्य सभी तत्त्वों

का अभाव है, वहाँ तो केवल अरूपी शुद्धात्मा है जो आँखों का विषय नहीं बन सकते ।

सिद्धों के लिए जो 'जोत में जोत समाने' की उक्ति चली हुई है, अब उस पर सक्षिप्त प्रकाश डालेंगे । यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि जब सिद्ध-शिला पर अनन्तानन्त आत्मा विराजमान है तो वहाँ किसी नये मुक्तात्मा का प्रवेश कैसे संभव होगा ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए ही कहा गया है, 'ज्योति में ज्योति के समान विराजमान' । एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिल जाती है, एक दीपक के प्रकाश में दूसरे दीपक का प्रकाश लीन हो जाता है । एक का ही क्यो यदि अनेक दीपक भी एक कमरे में रख दिये जायें तो सभी का प्रकाश समष्टि रूप में एकाकार हो जाता है । इसी को ज्योति में ज्योति समाना कहा गया है । एक आत्मा में दूसरे आत्मा के समाने की अपेक्षा से ही सिद्धों के लिए यह दृष्टा त प्रस्तुत किया गया है । देखने की अपेक्षा से इस दृष्टान्त को घटाना उचित नहीं है क्योंकि ज्योति को तो हम देख सकते हैं ।

इस प्रकार मोक्ष का नाम हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ रवन्नक, जाहोजलाली कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होती । जो कुछ देखने का, सुनने का और मस्ती का मजा है वह तो सारा देवलोक में है । परन्तु यह बात ध्यान देने की है कि वहाँ की रगरलियाँ सब मर्त्यलोक पर आश्रित हैं, यहाँ मनुष्यलोक के आत्मा पुण्यकर्म करके वहाँ पहुँचेंगे तभी वहाँ आनन्द और विलास के उद्गार व्यक्त होंगे । सक्षेप में, देवलोक की चहल-पहल मनुष्यलोक पर आश्रित है ।

पाप करने वाले मनुष्य मरकर नरकलोक में जाते हैं । यहाँ पर पापात्माओं की जो भीड़-भाड़ लगी रहती है वह भी मनुष्यलोक का ही प्रताप है । इस प्रकार ऊपर और नीचे के दोनों लोक मनुष्यलोक से प्रभावित हैं ।

यह मनुष्यलोक चौदह राजू लोक के बीच में आने के कारण बड़े महत्त्व का है । चाँद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि सब यही हैं देवलोक में नहीं हैं, नरकलोक में भी नहीं हैं । पेंतालीस लाख योजन का जो यह लम्बा-चौड़ा एरिया है—अर्थाई द्वीप का । उसी में है सत्ता चाँद, सूर्य की । ये चाँद-सूर्यादि गतिशील हैं । इस प्रकार का यह मनुष्यलोक तिरछा होकर भी बड़ा लम्बा-चौड़ा है । एक राजू का विस्तार है इसका । मनुष्य क्षेत्र के बाहर भी चाँद, सूर्य, नक्षत्र और तारे हैं तो सही किन्तु वे स्थिर हैं, गतिशील नहीं हैं । गतिशील चाँद सूर्यादि तो केवल पेंतालीस लाख योजन के एरिया में ही हैं । इन ग्रहों की गतिशीलता के आधार पर ही मनुष्यलोक का सारा टाइमटेबल चलता है । दिन, रात, महीना, वर्ष, युग, कल्प, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी आदि जितना भी समय पूरा होता है, उस सब के आधारभूत ये चर ग्रह ही हैं । देवलोक

तक का टाइम-टेबल मनुष्य क्षेत्र के अनुसार चलता है। देवताओं की स्थितियाँ, नारको की स्थितियाँ सब मनुष्यलोक के समय के आघार पर मापी जाती हैं। तभी तो मैंने कहा था आपसे कि ऊपर के और नीचे के दोनों लोकों से मनुष्यलोक अधिक महत्व रखता है।

तो हम आपसे कह रहे थे कि क्षेत्र की दृष्टि में हम दो लोकों के बीच में स्थित हैं। हमने नीचे के सात राजू से कुछ अधिक भाग पार कर दिया है, बीच में स्थित हैं हम। परन्तु गुणस्थान तो आत्मा की स्थितियाँ हैं। क्षेत्रिक अपेक्षा से तो जो स्थिति है वह शरीर की स्थिति है। शरीर बीच में है। आत्मा के विषय में यदि कोई जानना चाहे कि आत्मा कहाँ अवस्थित है ? तो उसके लिए चौदह गुणस्थान हैं।

निश्चयरूप से तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं कि आपकी और हमारी आत्माएँ किन गुणस्थानों में स्थित हैं। व्यवहार नय से हमारा गुणस्थान छठा है और आपका गुणस्थान पाँचवाँ है। अधिक किसी ने जोर लगा दिया तो कुछ समय के लिए सातवाँ गुणस्थान आ जाता है। भावना में थोड़ा शैथिल्य आते ही वही आत्मा पुनः छठे गुणस्थान में आ जाता है। तीर्थंकरों की स्थिति भी यही है। दीक्षा लेते समय तो उनका सातवाँ गुणस्थान होता है और दीक्षा के पश्चात् छठा गुणस्थान रहता है। किसी के भी मन में यह शका होनी स्वाभाविक है कि तीर्थंकर बनने वाले आत्मा सातवें से छठे में नीचे कैसे उतर आए ? इस प्रश्न का समाधान मनोवैज्ञानिक है। जब आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने की अधिक लालसा रहती है, उत्कठा रहती है तो उसकी प्राप्ति के लिए आप हर सम्भव प्रयत्न करते हो। प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जब आपको अपनी अभिलषित वस्तु मिल जाती है तब आपकी पूर्व की अभिलाषा की उत्कटता समाप्त हो जाती है। इसी भाव को अंग्रेजी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है

“Achievement is the end of pleasure”

अर्थात् - अभिलषित वस्तु की प्राप्ति उत्कठा के आनन्द को समाप्त करने वाली होती है।

वस्तु के अभाव के समय तो प्राप्ति के लिए प्रयत्न रहता है, वस्तु के सद्भाव में उत्कठाजन्य प्रयत्न तो समाप्त हो जाता है किन्तु प्राप्त वस्तु को सुरक्षित रखने का भाव मन में पैदा हो जाता है। सुरक्षित रखने का भाव अलग प्रकार का होता है और वस्तु प्राप्ति की उत्कठा का भाव अलग तरह का होता है। दोनों भावों में दिन-रात का अन्तर होता है। सातवाँ गुणस्थान आत्मा में उसी समय रहता है जब यह भावना होती है कि ससार से शीघ्रातिशीघ्र छुटकारा पाकर आत्मकल्याण किस प्रकार किया

जाए, मोक्षोन्मुख करने वाले व्रतो को कितनी जल्दी जीवन में उतारा जाये। दीक्षित होने के पश्चात् वही व्यक्ति छोटे गुणस्थान का घनी बन जाता है। फिर तो वह सदा इसी ध्यान में रत रहता है कि उसकी दीक्षा में किसी भी प्रकार की क्षति या हानि न आने पाये। वह अगीकृत दीक्षा के संरक्षण में प्रयत्नशील रहता है।

हम आपसे बता रहे थे कि हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति तो निश्चय नय से मवज्ञ भगवान् ही बता सकते हैं कि हमारा पहला गुणस्थान भी छूटा है या नहीं छूटा है। हम सातवें गुणस्थान का व्यवहार लेकर बैठे हैं, छोटे गुणस्थान का व्यवहार लेकर बैठे हैं किन्तु पहले गुणस्थान का छूट जाना भी कोई सामान्य बात नहीं है।

प्रथम गुणस्थान को भी शास्त्रकारों ने गुण का स्थान बताया है। गुणस्थान क्या होता है, सर्वप्रथम मैं आपको इसकी मनोवैज्ञानिक रूपरेखा बताऊंगा। कल्पना करो कि एक-एक माईल के फासले पर एक हृद समाप्त होती है। एक माईल जब पार कर लेंगे, तब पहले गुणस्थान की सीमा समाप्त हो जायेगी। उसके बाद फिर चलेगे तो दूसरे माईल पर दूसरे गुणस्थान की हृद समाप्त हो जायेगी। पहले माईल की जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ से माग तय करता हुआ आत्मा पहले माईल तक की सीमा तक पहुँच गया। जब उसने पहले माईल से यात्रा आरम्भ की थी उस समय जो उसमें अशिष्टता, असभ्यता, विकृति या मालिन्य थे वे उत्तरोत्तर यात्रा में शिथिल पड़ते गये, धूमिल होते गये या मिटते गये। आरम्भ में जो उनकी सत्ता थी वह इति में नहीं दिखाई देती। जब वह चला था तो उसकी स्थिति निकृष्टतम थी, गाढ अज्ञानान्धकार से वह आवृत था। जैसे-जैसे वह कदम बढ़ाता गया उसकी चेतना उत्तरोत्तर जागृत होती गई, अज्ञान का तिमिर तिरोहित होता गया और प्रकाश की किरणों की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार यद्यपि पहले माईल के आरम्भ से लेकर अत तक मिथ्यात्व ही है तथापि आरम्भिक स्थिति जितनी हीन, मलिन व आवृत थी, उतनी अत तक की स्थिति हीन, मलिन व आवृत नहीं रही। प्रत्येक कदम पर कुछ न कुछ हीनता व मलिनता अवश्यमेव मिटी एवं फलस्वरूप आत्मिक गुण थोड़े से थोड़े अंशों में प्रकट हुआ। इसीलिए शास्त्रकारों ने मिथ्यात्व को भी गुणस्थान के रूप में बताया है। आगे चलकर जीव जैसे-जैसे कदम बढ़ाता गया उसकी चेतना उत्तरोत्तर जागृत होती गई, अज्ञान का तिमिर तिरोहित होता गया और प्रकाश की किरणों की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार जैसे सीमाओं को पार करता जाता है, वैसे-वैसे उसके गुणस्थान भी बढ़ते जाते हैं।

“मिथ्यात्व की आरम्भिक अवस्था तो पूर्णरूपेण आवृत एवं हीनातिहीन थी।

उसको भी तो शास्त्रकारों ने गुणस्थान ही माना है। हीनातिहीन पूर्व की अवस्था को शास्त्रकारों ने गुणस्थान कैसे मान लिया ?” ऐसी कोई आलोचना शक्य कर सकता है। इसका समाधान यही है कि पूर्व अवस्था में जब आत्मा पूर्ण अन्धकार में था उस समय उसने जो घोर से घोर कर्म बाँधा, या महामोहनीय कर्म बाँधा, सत्तर क्रोडाक्रोड सागरोपम की स्थिति वाला कर्म बाँधा, उस कर्म को भोगते हुए उसने बहुत-सा समय वहाँ बिताया। उसके बद्धकर्म वहाँ पर हटके हो गये। ऐसी स्थिति में जब वह चला तो बोझिल होकर नहीं चलना पड़ा, हल्का होकर चला। पहले जो उसने महान् कर्म बाँध रखे थे उनको उसी अवस्था में भोग लिया, कर्मों के कुछ श्रमों से तो उसने छुटकारा पाया ही, इसलिए पूर्वावस्था में भी गुणस्थान सार्थक है। इसके अतिरिक्त उस निम्नतम कोटि के गुणस्थान में रहा हुआ आत्मा मोहनीय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बाँधता। वहाँ पर तो उसको भोगने ही भोगने का काम रहता है। जब आत्मा वहाँ से चलता है, आधा या पौन रास्ता तय कर लेता है, तभी उसको कुछ न कुछ बोध होता है। व्यक्त मिथ्यात्व ही उसको आधे से अधिक चलने के पश्चात् प्राप्त होता है। इसके पूर्व जो मिथ्यात्व था, वह तो अव्यक्त मिथ्यात्व था। अव्यक्त और व्यक्त मिथ्यात्व का भेद पच्चीस बोल में नहीं बताया गया है। वहाँ तो केवल ‘पहला मिथ्यात्व गुणस्थान’ वस इतना निर्देश है। मिथ्यात्व के अन्दर ही जैसा कि मैंने पहले भी आपको सकेत किया है, मिथ्यात्व की आदि अवस्था से लेकर मिथ्यात्व की अन्तिम अवस्था के बीच में ही न जाने कितनी अवस्थाएँ हैं। आपको समझाने के लिए दृष्टान्त तो माईल्टो का दिया है किन्तु वास्तव में योजनों के योजन उस स्थिति में पहुँचने के लिए समा जाते हैं।

सारांश यह कि मिथ्यात्व के अन्दर भी अनेक अवस्थाएँ हैं। अव्यक्त मिथ्यात्व के अन्दर तो केवल भोग ही भोग होता है। फिर व्यक्त मिथ्यात्व आता है। दोनों में अन्तर यह है कि व्यक्त मिथ्यात्व में तो सुगुरु, सुदेव और सुधर्म के प्रति द्वेष होता है तथा कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के प्रति राग भाव रहता है। लेकिन अव्यक्त मिथ्यात्व में ऐसा कुछ नहीं होता। अव्यक्त मिथ्यात्व में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। वह तो घोरान्तिघोर अन्धकार की स्थिति होती है। देव, गुरु और धर्म के विषय का तो उसे तनिक भी ज्ञान नहीं होता। वहाँ असज्जी की-सी हालत होती है। मन का वहाँ अभाव होता है और वेदना शक्ति वहाँ मन्द होती है। बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा समझना—यह तो मिथ्यात्व का व्यक्त स्वरूप है। बहुत-से आचार्य तो इस व्यक्त मिथ्यात्व को ही ‘मिथ्यात्व गुणस्थान’ मानते हैं। अव्यक्त मिथ्यात्व को गुण का स्थान मानते ही नहीं। उनकी इसमें यही दलील है कि व्यक्त मिथ्यात्व के अन्दर

कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के प्रति उसकी श्रद्धा जागृत हुई तो एक श्रद्धा का गुण उसमें प्रकट हुआ। यह गुण ही आगे चलकर सम्यक्त्व में परिणमित होने की सभावना रखता है। आज जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के प्रति श्रद्धान्वित है कल वही श्रद्धा में परिवर्तन आने से सुगुरु, सुदेव और सुधर्म के प्रति आकर्षित हो सकता है। इसीलिए व्यक्त मिथ्यात्व में एक गुण के अस्तित्व के कारण वह भी गुणस्थान है। अव्यक्त मिथ्यात्व में श्रद्धा रूपी गुण का सर्वथा अभाव होने के कारण कुछ आचार्य इसको गुणस्थान के रूप में स्वीकार नहीं करते।

इस प्रकार मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में भी बहुत-सा अन्तर होता है। आरम्भ के मिथ्यात्व की अवस्था कुछ और प्रकार की होती है किन्तु मिथ्यात्व की समाप्ति की अवस्था में जीव आसन्न सम्यक्त्वी बन जाता है। वह सम्यक्त्व के इतना समीप चला जाता है कि उसमें अशमात्र ही मिथ्यात्व का अवशेष रह जाता है। इस अशमात्र के कारण ही उसकी गणना मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है।

सक्षेप में मिथ्यात्व विपरीत मान्यता का द्योतक है। विपरीत मान्यता किसी भी रूप में अच्छी नहीं कही जा सकती। विपरीत मान्यता वाला व्यक्ति तो देवत्व-गुण-विहीन को भी देवता के रूप में अगीकार कर लिया करता है। वह तो 'यादृशी भावना यस्य' वाले सिद्धान्त को मानकर कुदेव को भी सुदेव मान लिया करता है। कुगुरु को सुगुरु और कुधर्म को सुधर्म वह मान लेता है। ऐसा व्यक्ति तो पूर्णरूपेण मिथ्यात्वी होता है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो व्यक्ति 'यादृशी भावना यस्य' वाले सिद्धान्त को लेकर प्रस्तुत पदार्थ में सिद्धि के तत्त्वों के अभाव में भी वहाँ भावना के बल पर सिद्धि की कल्पना करता है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की सोपान पर आरूढ होने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक्त्वी का कतव्य है कि वह ससार में प्रचलित भ्रान्तिपूर्ण और अमान्य मान्यताओं, धारणाओं और विचारधाराओं से अपने-आपको दूर रखे। गगा गये तो गगादास और जमुना गये तो जमुनादास—ऐसा सम्यक्त्वी को नहीं होना चाहिए।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

५ अगस्त, १९७६





मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यो ?

शाश्वत सुखो की प्राप्ति कर्म-बन्धनो की मुक्ति के पश्चात् ही हुआ करती है। मुक्ति-विषयक वास्तविक ज्ञान भी सम्यक्त्व के अनन्तर ही प्राप्त होता है। सम्यक्त्व प्राप्त के दो प्रकार हैं स्वाभाविक रूप से और उपदेश द्वारा।

“तन्निर्गर्गाधिगमाद् वा”

मोक्षशास्त्र के प्रथम अध्याय का यह तीसरा सूत्र है जिसका अर्थ है कि सम्यक्त्व की जागृति दो प्रकार से होती है एक तो निसर्ग-स्वभाव से या अपने-आप भी कह सकते हैं और दूसरे किसी के उपदेश से। कोई यह भी पूछ सकता है कि जहाँ दो कारण होते हैं वहाँ एक कारण मुख्य होता है और दूसरा गौण। एक ही कारण के अस्तित्व में तो किसी प्रकार की विवक्षा नहीं होती किन्तु जहाँ दो हैं तो कोई विवक्षा होगी ही। मुख्य और गौण के अर्थ से तो आप भलीभाँति अभिज्ञ होंगे। जो विचार प्रधानरूप से अन्य विचारों का केन्द्र होता है वह मुख्य होता है, शेष विचार जो उस मुख्य के अनुगामी मात्र होते हैं, वे गौण कहलाते हैं। मुख्य और गौण की विचार-पद्धति पर चलने से किसी प्रकार के प्रबन्ध में अव्यवस्था नहीं आ पाती। वस्तु-तत्त्व को समझने में भी इससे आसानी रहती है। उदाहरण के लिये, यहाँ सभी में सौ व्यक्ति उपस्थित हैं, उनमें से एक बोलता हो और शेष सुन रहे हो बड़े ध्यान से कि वह क्या उपयोगी बात बोल रहा है, वहाँ बक्ता मुख्य कहलायेगा और शेष श्रोता गौण कहलायेगा। हमारे सामने प्रसंग था कि निसर्ग से सम्यक्त्व प्राप्त करने वालों और उपदेश से सम्यक्त्व प्राप्त करनेवालों में कौन मुख्य और कौन गौण कहलायेगा ? इसका उत्तर यही है कि निसर्ग द्वारा जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है वह अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, इस कारण वही मुख्य है। इसके विपरीत उपदेश द्वारा प्राप्त की गई सम्यक्त्व की शक्ति तो दूसरे के निमित्त से उत्पन्न हुई, स्वयं की निर्भरता का उसमें अभाव है, इस कारण वह गौण है। शास्त्रीय भाषा में स्वयं की

योग्यता 'उपादान' कहलाती है और दूसरे की 'निमित्त' । उपादान मुख्य होता है और निमित्त गौण ।

अब हमारी चिन्तनधारा की दूसरी कड़ी है कि निसर्ग या स्वभाव से सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है और उपदेश द्वारा कब ? इसके साथ साथ अब यहाँ यह भी विचार करना है कि सर्वप्रथम नैसर्गिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था अथवा उपदेश-जन्य । इस प्रश्न का समाधान शास्त्रकार ने उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययन में किया है । जिसका शीर्षक है 'चाउरगिज्ज' अर्थात् चतुरगीय । चतुरग शब्द का अर्थ है 'चार अंग' । जहाँ चार अंग एकत्रित हो जाते हैं वहाँ एक विशिष्टता आ जाती है । अंग का अर्थ है जिसके बिना वस्तु अपूण मानी जाये । हाथ, पैर, मस्तक आदि हमारे अंग हैं, इन अंगों को धारण करने वाले हम अंगी कहलाते हैं । इन सब अंगों के ऊपर जिसका स्वामित्व है वह आत्मा है । "मेरे सिर में पीडा है या पैर में काटा चुभ गया है" आदि भावों की अभिव्यक्ति आत्मा की है । शरीर के सारे अंग पूरे होंगे तो वह पूर्णांगी कहलाता है, एक के भी अभाव में वह अपूण बन जाता है । सस्कृत के चतुरग शब्द के लिये हिन्दी में चौपड शब्द का प्रयोग होता है । चौपड वही जिस पर लोग खेला करते हैं । चौपड के भी चार छोर या चार पट होते हैं । खेल के लिए चारों छोरों का बराबर होना परमावश्यक है । खिलाड़ी जब चारों ही अंगों को जीत लेता है, तभी उसकी जीत मानी जाती है । एक भाग भी जीतना यदि अवशिष्ट रह गया तो खिलाड़ी की हार मानी जायेगी । उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्ययन भी एक प्रकार का चौपड है जिसका खिलाड़ी है आत्मा । इस सूत्र के अध्ययन की प्रथम गाथा है

“चत्तारि परमगणि, दुल्लहाणीह जतुणो ।

माणुसत्त सुई सद्धा सजमम्मि य वीरिय ॥”

अर्थात्—इस ससार में, जहाँ यह आत्मा ऊपर, नीचे और तिरछे भटक रहा है, चार अंग अत्यन्त दुर्लभ हैं । दूसरे शब्दों में, इनकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई से हुआ करती है । इनमें पहला अंग है मनुष्यत्व । मनुष्य का जन्म आत्मा को बड़े ही लम्बे समय के पश्चात् बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है । गणना की दृष्टि से देखा जाये तो विश्व में दूसरे जीव-जन्तुओं या प्राणियों की अपेक्षा से मनुष्य बहुत कम है । नगण्य भी कह दें तो कोई अत्युक्ति नहीं । हमारा आत्मा ससार में असरय योनियों में भ्रमण करता है, उसने मनुष्य भव में जितना समय व्यतीत किया वह समय दूसरे-दूसरे भवों में बिताये गये समय की अपेक्षा अनन्तवा भाग ही है । ठीक इसी प्रकार मनुष्य भव में बिताये गये समय से दूसरे-दूसरे भवों में अनन्तगुणा अधिक समय उसने बिताया है ।

गतियाँ चार है और उन चारो गतियो मे हमारा आत्मा अनेक बार जन्म ले चुका है। शास्त्रीय भाषा मे आत्मा के एक-एक गति मे ठहरने के काल को 'सच्चिद्विष्णु काल' कहा जाता है। सस्कृत मे सच्चिद्विष्णु की छाया 'सत्विष्णु काल' है। सबसे कम सच्चिद्विष्णु काल मनुष्य गति का होता है। सबसे कम आत्मा मनुष्य गति मे निवास करता है। मनुष्य गति की अपेक्षा आत्मा नरक गति मे अधिक रहा है और नरक गति से भी अधिक आत्मा रहा है देवगति मे। यह बात आपके ध्यान से समझने योग्य है। नरक गति के अन्दर हमारा आत्मा जितने समय तक रहा है उससे अनन्तगुणा काल पयन्त, वह देवगति मे रहा है। साराश यह कि नरक की अपेक्षा हमने देवगति का अधिक भोग किया है। इसमे छिपा हुआ तथ्य यह है कि नरक गति का जघन्य आयुष्य दस हजार वर्ष का होता है और उत्कृष्ट आयुष्य तैतीस सागरोपम होता है। इसी प्रकार देवलोक मे जघन्य आयुष्य दस हजार वर्ष का एव उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम होता है। नरक के तैतीस सागर हमने अनन्त बार प्राप्त कर लिये किन्तु देवलोक के तैतीस सागर अब तक प्राप्त ही नहीं किये। देवलोक के तैतीस सागर एक बार या दो बार प्राप्त करने के पश्चात् फिर अधिक भव नहीं करने पडते, फिर तो मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। इस प्रकार यद्यपि हमने देवलोक का उत्कृष्ट आयुष्य तो एक बार भी प्राप्त नहीं किया किन्तु थोडा थोडा करके भी अधिक समय नरक की अपेक्षा देवलोक मे ही बिताया है। तिर्यच गति मे तो हमारा आत्मा देवलोक से भी अधिक रहा है। तिर्यच गति मे तो एक-एक स्थान ऐसा होता है जहाँ अनन्त काल तक रहना पडता है। कई कालचक्र तक पूरे हो जाते हे यदि आत्मा वनस्पतिकाय मे चला जाये। सबसे अधिक समय जीव को वनस्पतिकाय मे ही बिताना पडता है। वडा विस्तृत विवेचन है शास्त्रो मे इसका। वहाँ तो वनस्पतिकाय को 'मातृकाय' कहकर पुकारा गया है। सब जीवो की वनस्पतिकाय माता है। जिस प्रकार माता से सन्तान प्राप्त होती है, उसी प्रकार सब जीव वनस्पतिकाय से आते है। वनस्पति के अन्दर अनन्त जीव होते हैं। एक निगोद के अन्दर ही अनन्त जीवो की सत्ता रहती है। निगोदो की सरया असख्य है। ये निगोद भी दो प्रकार की है सूक्ष्म और बादर। वनस्पतिकाय के सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक—इन तीन भेदो मे सूक्ष्म और साधारण—इन दोनो मे निगोद है। प्रत्येक वनस्पतिकाय के अन्दर निगोद नहीं है। प्रत्येक का यहाँ आशय है कि एक जीव को रहने के लिए एक शरीर का होना। साधारण वनस्पतिकाय के अन्दर एक ही शरीर मे दो से लेकर, सरयात्, असरयात् और अनन्त जीव रहते है। साधारण शब्द अधिक वा प्रतीक है और असाधारण एक का। वनस्पति के अतिरिक्त, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अन्दर भी जीव को असख्य काल बिताना पडता है। शास्त्र मे जीव की इस

प्रकार की गति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है कि मनुष्यत्व की प्राप्ति बड़ी ही दुर्लभ है।

मनुष्यगति मिल भी गई तो फिर दूसरा दुर्लभ अंग है 'श्रुति'। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुनना। जो सुनने योग्य हो उसे 'सुनना'। यो तो जिनके कान हैं वे कुछ न कुछ सुना ही करते हैं किन्तु वास्तविक सुनने लायक बातों का अक्सर लोगों को कम ही मिला करता है। श्रवण करने योग्य बात कौन सी होती है ? श्रवण के योग्य बातें हैं, 'मैं कौन हूँ ? यह सारा विश्व क्या है ? शरीर में निवास करने वाला कौन है ? शरीर का और इसमें निवास करने वाले का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? क्या यह सम्बन्ध स्थायी है या अस्थायी है ? शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है ? अन्दर रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है ? सब मनुष्यों के अंग, उपांग और अवयव एक समान होते हुए भी किसी का व्यक्तित्व आकर्षक और दूसरे का घृणित क्यों है ? एक ही माता-पिता के दो पुत्रों में एक भाग्यवान् और दूसरा दर-दर की ठोकरें क्यों खाता फिरता है ? कुछ लोगों को भगीरथ प्रयत्न करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिल पाती और दूसरों को सामान्य प्रयत्न से ही उच्चतम फल की प्राप्ति क्यों हो जाती है ? कुछ बालक जन्म से ही सर्वांग-सौन्दर्यपूर्ण क्यों होते हैं और अन्य जन्म से ही विकलांग क्यों ?' इत्यादि-इत्यादि बातें सुनने लायक हैं और सुनकर मनन करने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जिनकी बातों को सुनते-सुनते मन अधाता ही नहीं और कुछ ऐसे ही होते हैं जिनकी आकृति से भी घृणा हो जाती है और जिनकी एक बात भी सुनने को मन नहीं करता। ससार में उच्चता और नीचता का क्या कारण है ? जीवन में विषम परिस्थितियाँ अप्रत्याशित रूप में क्यों आ जाती हैं ? इत्यादि-इत्यादि बातें सुनने लायक हैं, जानने लायक हैं।

इन सारी की सारी बातों या प्रश्नों का उत्तर तो सबज्ञ भगवान् ही दे सकते हैं किन्तु सबज्ञ तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आ नहीं सकते, हम उनके द्वारा प्रतिपादित, अनुमोदित एवं प्रसारित शास्त्रों का सहारा ले सकते हैं, अपने प्रश्नों के समाधान के लिए। सबज्ञों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सुनने लायक हैं। कठिनाई यह है कि सर्वज्ञों द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों के श्रवण का योग मिलना भी सरल नहीं है। शास्त्रों को श्रवण कराने वाले सन्तों का योग मिल भी जाये तो उनका पर्याप्त लाभ उठाने वाले नहीं मिलते। हमारा कहने का साराश यही है कि सुनने योग्य जो बातें हैं, जिनसे हमारा हित हो सकता है और हम अहित से बच सकते हैं, जो बातें हमें कतव्य का बोध कराती हैं और अकतव्य से हमारी रक्षा करती हैं—ऐसी सर्वज्ञों की बातों को या वाणी को सुनने का अक्सर हमें सर्वदा सुलभ नहीं होता।

यहाँ पर एक ऐसी कड़ी आ गई है जिस पर ध्यान देना परमावश्यक है। शास्त्रकार ने सर्वप्रथम तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई और फिर शास्त्र-श्रवण को दुर्लभ बताया। यह बात विचारणीय है। शास्त्र के श्रवण करने का योग तो देवलोक में देवों को भी प्राप्त होता है। तिर्यंचो को भी शास्त्र-श्रवण का योग मिल जाता है, नरक लोक में भी शास्त्र श्रवण सुलभ है क्योंकि वहाँ पर भी सम्यग्दृष्टि नैरयिक विद्यमान है। सम्यक्त्वघागी नैरयिक अपने किसी हितैषी मिथ्यात्वी नैरयिक को उपदेश भी दे देता है कि "तू व्यर्थ में ही इतना क्यों तड़प रहा है, क्यों इतने दुःख का अनुभव कर रहा है, वधे हुए कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे उनसे छूटकारा सभव नहीं। आयुष्य कम तो वेडी के समान है। जितने समय का दण्ड है, उतने समय तक उसे भोगना ही पड़ेगा, रोने-चिल्लाने से उसमें परिवर्तन आने वाला नहीं है" इत्यादि। सान्त्वना-पूर्ण शब्दों में समझाने वाले नैरयिक नरक में भी होते हैं। तीर्थंकर गोत्र को बाँधने वाले और आगामी भवों में तीर्थंकर बनने वाले आत्माओं को भी नरक गति में जाना पड़ता है। तीन नरक तक के निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। देवलोक के देवता भी यदि चाहे तो मनुष्यलोक में आकर शास्त्रों का श्रवण कर सकते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे भी शास्त्रार्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार तिर्यंचो को भी यहाँ पर तीर्थंकरों के मुखारविन्द से श्रवण अथवा अन्यान्य मुनिराजों से वाणी सुनने का अवसर मिल सकता है। ऐसी स्थिति की दुर्लभता को जोड़ने का क्या प्रयोजन है। इसका उत्तर है कि शास्त्र का श्रवण जितना मनुष्य को फल सकता है उतना न देवों, न नारकों को और न ही तिर्यंचो को ही फलीभूत हो सकता है। अधिगमज सम्यक्त्व अर्थात् उपदेश द्वारा प्राप्त होने वाले सम्यक्त्व की प्रधानता तो मनुष्य गति में ही होती है। अन्य गति के जीवों की अपेक्षा मनुष्य को ही शास्त्र-श्रवण अधिक फलीभूत क्यों होता है, इसका भी कारण है। देव और नारक कुछ भी त्याग, व्रत और प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, यह भी स्पष्ट कारण है किन्तु यह अपूर्ण कारण है क्योंकि तिर्यंचो के अन्दर भी श्रावकों के व्रत को धारण करने वाले मिलते हैं। यदि यह कहे कि सर्वविरति धर्म को धारण करने वाले तो मनुष्य गति में ही मिलते हैं तब भी समाधान अपूर्ण रह जाता है। वास्तव में त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान का या साधु और श्रावक के व्रतों को धारण करने का यहाँ कोई महत्त्व नहीं है। यहाँ पर जिसका महत्त्व है उसका निर्देश उक्त सूत्र की गाथा के तीसरे चरण में है। वह है तीसरी दुर्लभ उपलब्धि 'श्रद्धा'। इस श्रद्धा का ही दूसरा नाम सम्यक्त्व है। इस श्रद्धा के अतरंग वास्तविक भाव को न समझने वाले लोग ही खोटी, खरी आदि विशेषण श्रद्धा के साथ जोड़ते हैं। श्रद्धा शब्द स्वयं में पूर्ण है और उदात्तभाव का द्योतक है, इसके भेद करना बुद्धिमत्ता नहीं है। श्रद्धा शब्द का

तो वास्तविक अर्थ ही 'श्रुत्' अर्थात्—श्रेष्ठ प्रकार से, 'धा' अर्थात्—वस्तु स्वरूप को धारण करना है। श्रद्धा को जैसा कि पहले भी निर्देश किया जा चुका है सम्यक्त्व की प्रतीक ही समझना चाहिए। गाथा के तीसरे चरण में श्रद्धा को अग कह कर सम्यक्त्व का ही निर्देश किया गया है।

सम्यक्त्व की प्राप्ति अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है। इसका कारण है कि मनुष्यभ्रम के अतिरिक्त दूसरे किसी भी भ्रम में यदि शास्त्र सुन भी लिया जाये तो उससे अनादिकाल के मिथ्यात्व का मिट जाना सम्भव नहीं होता। मिथ्यात्व के भी दो प्रकार होते हैं आज तक जिसका मिथ्यात्व छूटा ही नहीं है वह होता है अनादिकाल का मिथ्यात्व। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों में 'कृष्ण पक्षी' कहा है। ऐसा जीव मनुष्य भ्रम में शास्त्र-श्रवण करके उस मिथ्यात्व से छुटकारा पा लेता है। दूसरे किसी भी भ्रम में जीव भले ही कितनी ही बार शास्त्र का श्रवण क्यों न कर ले उसका अनादिकालीन मिथ्यात्व नहीं छूट सकता। अब विचार यह करना है कि मनुष्य के अन्दर ही ऐसी कौन-सी शक्ति है जिसके कारण मनुष्य-भ्रम में शास्त्र श्रवण करने से उसका अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है? इस प्रकार की शक्ति दूसरे भ्रमों के जीवों में क्यों नहीं है? शास्त्रकार इन प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं कि नरक के अन्दर रहने वाले जीव दुःख से परिपूर्ण होते हैं।

“निरइया दुःखससत्ता”

नारकीय प्राणी दिवानिश दुःख से व्याकुल रहते हैं। वहाँ तो सर्वत्र दुःख ही दुःख है, आराम और शान्ति का वहाँ काम नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास सोचने और समझने का अवकाश ही कहाँ है? जहाँ एकांत दुःख का वातावरण हो वहाँ सूझ भी क्या सकता है? देवलोक में रहने वाले देवताओं की स्थिति नारकी से सबथा विपरीत प्रकार की है। देवता लोग रात-दिन भोग-विलास में रत रहते हैं। वे विषयों में इतने खोये रहते हैं कि आत्मस्वरूप या वस्तुतत्त्व को समझने की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। तिर्यच विवेक-विकल ही होते हैं

“तिरिया विवेक विकला”

जहाँ विवेक का ही अभाव है, वहाँ वस्तु-तत्त्व को समझने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक मनुष्यगति ही ऐसी है जहाँ न तो अत्यन्त दुःख ही है और न ही देवलोक के समान अत्यन्त सुख ही है। यहाँ अधिक विवेक-विकलता भी नहीं है। यहाँ तो सभी बातों में मध्यम अवस्था है। यही कारण

है कि मनुष्य में सार-असार का विचार करने की शक्ति विद्यमान रहती है। अनादिकाल का मिथ्यात्व भी इसी कारण से मनुष्य भव में नष्ट हो जाता है। सम्यक्त्व के बताये गये दो भेदों में अधिगमज या उपदेशजन्य सम्यक्त्व से ही अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और वह भी मनुष्य भव के अन्दर। जहाँ तक स्वाभाविक रूप से आने वाले सम्यक्त्व की बात है, एक बार अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट होकर जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, एवं पुनः असावधानी से वह सम्यक्त्व चला जाता है तब वह गया हुआ सम्यक्त्व निःसदेह चारों गतियों के अन्दर बिना उपदेश के भी वापस आ सकता है। इस स्वाभाविकता का अस्तित्व तो सभी गतियों में होता है। अनादिकालीन मिथ्यात्व को मिटाने का उपाय मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है

“चत्वारि परमगणि, दुल्लहाणीह जतुणो ।
माणुसत्त सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥

अर्थात्—

आत्मा के लिए चार अग्रे अत्यन्त दुर्लभ हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म पाकर शास्त्र-श्रवण अत्यन्त दुर्लभ है। शास्त्र-श्रवण का अवसर पाकर भी श्रद्धा की प्राप्ति दुर्लभतर है और उक्त तीनों अग्रे को पाकर भी श्रद्धा के अनुसार समय में पराक्रम लगाना तो अत्यन्त कठिन है। दुर्लभतम चतुर्थ अग्रे की प्राप्ति के पश्चात् आत्मा के चौपड़ का खेल पूरा हो जाता है। आत्मा चारों अग्रे का विजेता भी बन जाता है और कर्म रूपी शत्रुओं पर भी उमकी जीत हो जाती है। इसके बाद की अवस्था ही मोक्ष की है और शाश्वत सुखों की प्राप्ति भी तभी होती है।

जैन-भवन, डेहू (नागौर)

६ अगस्त, १९७६



आयुष्य-बंध और समुद्घात

जैसा कि हम अनेक बार कह चुके हे, शाश्वत सुखो की प्राप्ति जीव को मुक्त होने के पश्चात् ही हो सकती है। मुक्त का विरोधी शब्द 'बद्ध' है जिसका अर्थ है 'बँधा हुआ'। जो सब प्रकार के बन्धनो से रहित है, वह मुक्त कहलाता है। शास्त्रो मे 'बद्ध' शब्द का प्रयोग तो कम ही मिलता है। वहाँ तो 'ससारिणी मुक्ताश्च' अर्थात् ससारी और मुक्त शब्दो का ही अधिक प्रयोग है। कुछ व्यक्ति ऐसे ह जो बँधे हुए तो है किन्तु छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते है। मुक्त होने की अभिलाषा उनमे निरन्तर बनी रहती है। इस प्रकार की अभिलाषा और प्रयत्न उनको अपनी वर्तमान परिस्थिति का विरोध करने को बाध्य करते है। इस प्रकार का विरोध करना हर एक के वश की बात नहीं होती। दूसरे ऐसे है जो जिस बद्धावस्था मे है उसी मे रहना पसन्द करते है। इसका कारण है कि वे बद्धावस्था मे ही आनन्द का अनुभव करते है। बंधन मे ही वे अपनी सुरक्षा मानते है और बन्धन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु मे उनकी रुचि ही नहीं होती। उन्होने जो भी कुछ अपने जीवन मे देखा, सुना या अनुभव किया होता है वह सारा का सारा बन्धनमय ही होता है। वे ऐसा भी सोचते हे कि यदि हम बन्धन मे नहीं रहे या हमारे बन्धन खुल गये तो हम यत्र-तत्र बिखर ही न जाए। भारा जब तक बँधा रहता है तब तक वह भारा कहलाता है, बिखरने के पश्चात् तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या भारा रहना अच्छा है ? कदापि नहीं। भारा तो भाररूप है। भारा का अस्तित्व तो भाररूप बने रहने मे ही है, क्योंकि बिखरने के पश्चात् तो वायु उसका तिनका-तिनका उडाकर ले जायेगी, तब खोज करने से भी अस्तित्व नहीं मिलेगा।

जब कोई किसी पर नाराज होता है तो मारवाडी भापा मे गाली के रूप मे उसे कहता है, 'थारो खोज जाइज्यो'। यह गाली अच्छी है या बुरी, लोकजीवन मे तो इसे बुरा ही समझा जाता है। जिसको यह गाली दी जाती है वह तो इसे इसलिए बुरा मानता है कि इसमे उसकी खोज भी नष्ट

जो उसके साथ कर्म चिपटे हुए है उनसे सहसा मुक्ति पाना उसके लिए सम्भव नहीं होता। इसके अतिरिक्त कम, कर्मों को आकर्षित किया करते हैं। दूर की स्थिति वाले अपने सहयोगियों को भी कम अपनी ओर खींचकर लाने का प्रयत्न करते हैं। बन्धन को यह परम्परा निरन्तर चालू रहती है, भिंटती नहीं। बाकी आत्मा तो जैसा कि हम पहले बता आये हैं बन्धनों से छूटने के लिए सदा छटपटाता रहता है। उसे बन्धन पसन्द नहीं। आत्मा को इस छटपटाहट पर शास्त्र में एक बड़ा सुन्दर उदाहरण आता है—तेल के कड़ाहे का। अग्नि के ऊपर रखे हुए तेल के कड़ाहे में अग्नि की तीव्र आँच से तेल उबलने लगता है। खीलते समय उसमें से एक अव्यक्त ध्वनि भी निकलती है। इसके अतिरिक्त अग्नि की उत्कट गरमी से तेल ऊँचा-नीचा होता हुआ भी स्पष्ट दिखाई दिया करता है। ऊपर का हिस्सा नीचे जाता है और नीचे का ऊपर को आता है। अग्नि की भयानक उष्णता के कारण तेल का प्रत्येक परमाणु चक्कल बन जाता है। अग्नि की तीव्रता के आगे वह कर भी क्या सकता है? इसी प्रकार आत्मप्रदेश जब तक कर्म के साथ बँधे रहने है, तब तक आत्मा की भी यही दशा होता है। आत्मप्रदेश सारे शरीर के अन्दर चक्कर लगाया करते है। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, स्थिर इसलिए नहीं कि उनके साथ भिन्न पदार्थ की शक्ति लगी हुई है। स्वयं चैतन्य होते हुए भी वह कर्मों की जड शक्ति से आवृत है। उस विरोधी जड तत्त्व से छुटकारा पाने के लिए आत्मा छटपटाया करता है। या दूसरे शब्दों में आत्मप्रदेश छटपटाया करते हैं।

इसके अतिरिक्त आपने यह भी देखा होगा कि कड़ाहे में जब तेल खीलता है तो उसके अन्दर से सफेद सफेद भाग निकला करते है। प्रान्त भागों के भाग तो बड़ी आकृति के होते है किन्तु मन्दगति से सिमटते हुए वे मध्यभाग में आकर छोटी आकृति के हो जाते है। छोटी आकृति में आकर वे पूर्ववत् चक्कल नहीं रहते। हमारे भी जो बीच में आत्मप्रदेश है वे मध्यवर्ती प्रदेश रुचक प्रदेश कहलाते है। उन रुचक प्रदेशों की सरया आठ है। ये आठों ही प्रदेशों एक स्थान पर स्थिर रहते है। बाकी के असरय आत्मप्रदेश तो गतिशील रहते है। अपने से परिचित व्यक्ति के विषय में हम जो कुछ सुनते हैं, सुनने के साथ ही हमारे आत्मप्रदेशों की स्थिति और आकृति भी वैसी बन जाया करती है। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कि उस व्यक्ति के सम्पर्क का दृश्य हमारी अन्तर्दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो। ठीक चित्रपट की रील के समान बन जाता है उस समय हमारा अन्तर्मन। जैसे चित्रपट पर हज़ारों चित्र एक मिनट में खिसकते चले जाते है, हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि एक चित्र दूसरे चित्र से जुड़ा हुआ है, ठीक इसी प्रकार हमारी विचारधारा में भी अनेक प्रकार के दृश्य उपस्थित होने लगते है। उन दृश्यों के अनुसार ही हमारे

इतनी पक्की थी कि भयानक से भयानक किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र से भग होने वाली नहीं थी। जयद्रथ को उस कोठी में बैठा दिया गया। आठ बड़े-बड़े योद्धा राजाओं का अग्ररक्षक के रूप में उसके चारों ओर खड़े कर दिया जिससे कि कोई भी उस कोठी के समीप भी न फटक सके। बड़ा सरत प्रवन्ध किया गया था जयद्रथ के प्राणों को बचाने के लिए। किन्तु हुआ क्या? सायकाल सूर्य बादल के पीछे छिप गया। युद्ध की व्यग्रता के कारण कोई भी यह नहीं जान पाया कि सूर्य बादलों के पीछे है। सबने यही समझा कि सूर्य तो अस्त हो गया है। ऐसा समझकर अर्जुन ने भी स्वयं के दाह के लिए अग्निकुण्ड की रचना करवा डाली—क्योंकि वह अभी तक जयद्रथ को मार नहीं सका था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका था। सब पाण्डव और कौरव अग्निकुण्ड के पास यह सारा काण्ड देखने के लिए एकत्रित हो गये। जयद्रथ को भी पता चला कि उसका शत्रु अर्जुन अग्नि की शरण में जा रहा है। उसने सोचा कि “मेरी आँखों को ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलने वाला है, मैं भी शत्रु को नष्ट होते देखकर बयो न आनन्द वा अनुभव कर लूँ।” अर्जुन को जलता देखने के लिए जयद्रथ ने अपनी कोठी का ढक्कन हटा दिया और अपना मुँह बाहर निकाला। सहसा बादलों में तिरोहित सूर्य बाहर निकल आया। श्री कृष्ण ने तुरन्त अर्जुन को संकेत किया। संकेत पाते ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और चला दिया वाण जयद्रथ की गर्दन पर। पता भी नहीं चला किसी को कि यह सारी क्रिया कब हो गयी। लोगो ने देखा कि वाण से विधा हुआ जयद्रथ का सिर हवा में उड़ता चला जा रहा है। आकाश में ऐसा भयानक दृश्य देखते ही लोगो में हाहाकार मच गया। इतनी लाघवता थी अर्जुन में, इसी का नाम है—लाघवी विद्या। यह काम मन्दगति से होने वाला नहीं था। अर्जुन ने तो यह काम कुछ ही क्षणों में कर डाला था। तो यहाँ तो हमारा कहने का और यह उदाहरण प्रस्तुत करने का यही आशय था कि नाशवान् वस्तु को जिस समय नष्ट होना है वह अवश्य होगी, उसे ससार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। जो विनाशी है वह अविनाशी नहीं बन सकता।

ससार में ज्ञानी पुरुष ही इस तत्त्व को समझते हैं। तभी तो वे अपने शरीर की विशेष रूप से परवाह नहीं किया करते। वे तो आत्मोन्मुखी होते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अविनशी आत्मा कभी भी बन्धन पसन्द नहीं करता। यदि वह शरीर के बन्धन को पसन्द करता होता या उसको बन्धन इष्ट होता तो वह इस शरीर को कभी छोड़कर न जाता। शरीर का बन्धन तो दरकिनारा, आत्मा तो कर्मों के बन्धन में बधक रहा भी नहीं चाहता। समय-समय पर जैसे-जैसे उसे अवसर मिलता है वह कर्मों के बन्धन को भी मिटाने का प्रयत्न किया करता है। परन्तु वह करे भी क्या, आदि काल से

आयुष्य-बन्ध और समुद्घात

जो उसके साथ कर्म चिपटे हुए है उनसे सहसा मुक्ति पाना उमके लिए सम्भव नहीं होता। इसके अतिरिक्त कम, कर्मों को आकर्षित किया करते हैं। दूर की स्थिति वाले अपने महयोगियों को भी कम अपनी ओर खींचकर लाने का प्रयत्न करते हैं। बन्धन को यह परम्परा निरन्तर चालू रहती है, मिटती नहीं। बाकी आत्मा तो जैसा कि हम पहले बना आये हैं बन्धनों से छूटने के लिए सदा छटपटाता रहता है। उसे बन्धन पसन्द नहीं। आत्मा को इस छटपटाहट पर शास्त्र में एक बड़ा सुन्दर उदाहरण आता है—तेल के कड़ाहे का। अग्नि के ऊपर रखे हुए तेल के कड़ाहे में अग्नि की तीव्र आँच से तेल उबलने लगता है। खौलते समय उममें से एक अव्यक्त ध्वनि भी निकलती है। इसके अतिरिक्त अग्नि की उत्कट गरमी से तेल ऊँचा-नीचा होता हुआ भी स्पष्ट दिखाई दिया करता है। ऊपर का हिस्सा नीचे जाता है और नीचे का ऊपर को आता है। अग्नि की भयानक उष्णता के कारण तेल का प्रत्येक परमाणु चञ्चल बन जाता है। अग्नि की तीव्रता के आगे वह कर भी बचा सकता है? इसी प्रकार आत्मप्रदेश जब तक कर्म के साथ बँधे रहने है, तब तक आत्मा की भी यही दशा होता है। आत्मप्रदेश सारे शरीर के अन्दर चक्कर लगाया करते हैं। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, स्थिर इसलिए नहीं कि उनके साथ भिन्न पदार्थ की शक्ति लगी हुई है। स्वयं चैतन्य होते हुए भी वह कर्मों की जड शक्ति से आवृत है। उस विरोधी जड तत्त्व से छुटकारा पाने के लिए आत्मा छटपटाया करता है। या दूररे शब्दों में आत्मप्रदेश छटपटाया करते हैं।

इसके अतिरिक्त आपने यह भी देखा होगा कि कड़ाहे में जब तेल खौलता है तो उसके अन्दर से सफेद सफेद भाग निकला करते हैं। प्रान्त भागों के भाग तो बड़ी आकृति के होते हैं किन्तु मन्दगति से सिमटते हुए वे मध्यभाग में आकर छोटी आकृति के हो जाते हैं। छोटी आकृति में आकर वे पूर्ववत् चञ्चल नहीं रहते। हमारे भी जो बीच में आत्मप्रदेश है वे मध्यवर्ती प्रदेश रुचक प्रदेश कहलाते हैं। उन रुचक प्रदेशों की सख्या आठ है। ये आठों ही प्रदेश एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। बाकी के असरय आत्मप्रदेश तो गतिशील रहते हैं। अपने से परिचित व्यक्ति के विषय में हम जो कुछ सुनते हैं, सुनने के साथ ही हमारे आत्मप्रदेशों की स्थिति और आकृति भी वैसी बन जाया करती है। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कि उस व्यक्ति के सम्पर्क का दृश्य हमारी अन्तर्दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो। ठीक चित्रपट की रील के समान बन जाता है उस समय हमारा अन्तर्मन। जैसे चित्रपट पर हजारों चित्र एक मिनट में खिसकते चले जाते हैं, हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि एक चित्र दूसरे चित्र से जुड़ा हुआ है, ठीक इसी प्रकार हमारी विचारधारा में भी अनेक प्रकार के दृश्य उपस्थित होने लगते हैं। उन दृश्यों के अनुसार ही हमारे

इतनी पक्की थी कि भयानक से भयानक किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र से भग होने वाली नहीं थी। जयद्रथ को उस कोठी में बैठा दिया गया। आठ बड़े बड़े योद्धा राजाओं का अग्ररक्षक के रूप में उसके चारों ओर खड़े कर दिया जिससे कि कोई भी उस कोठी के समीप भी न फटक सके। बड़ा सगत प्रबन्ध किया गया था जयद्रथ के प्राणों की रक्षा के लिए। किन्तु हुआ क्या? सायकाल सूर्य बादल के पीछे छिप गया। युद्ध की व्यग्रता के कारण कोई भी यह नहीं जान पाया कि सूर्य बादलों के पीछे है। सबने यही समझा कि सूर्य तो अस्त हो गया है। ऐसा समझकर अर्जुन ने भी स्वयं के दाह के लिए अग्निकुण्ड की रचना करवा डाली—क्योंकि वह अभी तक जयद्रथ को मार नहीं सका था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका था। सब पाण्डव और कौरव अग्निकुण्ड के पास यह सारा काण्ड देखने के लिए एकत्रित हो गये। जयद्रथ को भी पता चला कि उसका शत्रु अर्जुन अग्नि की शरण में जा रहा है। उसने सोचा कि “भेरी आँखों को ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलने वाला है, मैं भी शत्रु को नष्ट होते देखकर क्यों न आनन्द वा अनुभव कर लूँ।” अर्जुन को जलता देखने के लिए जयद्रथ ने अपनी कोठी का ढक्कन हटा दिया और अपना मुँह बाहर निकाला। सहसा बादलों में तिरोहित सूर्य बाहर निकल आया। श्री कृष्ण ने तुरन्त अर्जुन को सकेत किया। सकेत पाते ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और चला दिया बाण जयद्रथ की गदन पर। पता भी नहीं चला किसी को कि यह सारी क्रिया कब हो गयी। लोगो ने देखा कि बाण से विधा हुआ जयद्रथ का सिर हवा में उड़ता चला जा रहा है। आकाश में ऐसा भयानक दृश्य देखते ही लोगो में हाहाकार मच गया। इतनी लाघवता थी अर्जुन में, इसी का नाम है—लाघवी विद्या। यह काम मन्दगति से होने वाला नहीं था। अर्जुन ने तो यह काम कुछ ही क्षणों में कर डाला था। तो यहाँ तो हमारा कहने का और यह उदाहरण प्रस्तुत करने का यही आशय था कि नाशवान् वस्तु को जिस समय नष्ट होना है वह अवश्य होगी, उसे ससार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। जो विनाशी है वह अविनाशी नहीं बन सकता।

ससार में ज्ञानी पुरुष ही इस तत्त्व को समझते हैं। तभी तो वे अपने शरीर की विशेष रूप से परवाह नहीं किया करते। वे तो आत्मोन्मुखी होते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अविनाशी आत्मा कभी भी बन्धन पसन्द नहीं करता। यदि वह शरीर के बन्धन को पसन्द करता होता या उसको बन्धन इष्ट होता तो वह इस शरीर को कभी छोड़कर न जाता। शरीर का बन्धन तो दरकिनारा, आत्मा तो कर्मा के बन्धन में बँधकर रहना भी नहीं चाहता। समय समय पर जैसे-जैसे उसे अवसर मिलता है वह कर्मों के बन्धन को भी मिटाने का प्रयत्न किया करता है। परन्तु वह करे भी क्या, अनादिकाल से

आयुष्य-बन्ध और समुद्घात

जो उसके साथ कम चिपटे हुए हैं उनसे सहसा मुक्ति पाना उसके लिए सम्भव नहीं होता। इसके अतिरिक्त कम, कर्मों को आनर्पित किया करते हैं। दूर की स्थिति वाले अपने महयोगियों को भी कम अपनी श्रोग खींचकर लाने का प्रयत्न करते हैं। बन्धन को यह परम्परा निरन्तर चालू रहती है, मिटती नहीं। बाकी आत्मा तो जैसा कि हम पहले बना आये हैं बन्धनों से छूटने के लिए सदा छटपटाता रहता है। उसे बन्धन पसन्द नहीं। आत्मा को इस छटपटाहट पर शास्त्र में एक बड़ा सुन्दर उदाहरण आता है—तेल के कड़ाहे का। अग्नि के ऊपर रखे हुए तेल के कड़ाहे में अग्नि की तीव्र आँच से तेल उबलने लगता है। खीलते समय उसमें से एक अव्यक्त ध्वनि भी निकलती है। इसके अतिरिक्त अग्नि की उत्कट गरमी से तेल ऊँचा-नीचा होता हुआ भी स्पष्ट दिखाई दिया करता है। ऊपर का हिस्सा नीचे जाता है और नीचे का ऊपर को आता है। अग्नि की भयानक उष्णता के कारण तेल का प्रत्येक परमाणु चंचल बन जाता है। अग्नि की तीव्रता के आगे वह कर भी क्या सकता है? इसी प्रकार आत्मप्रदेश जब तक कर्मों के साथ बँधे रहने है, तब तक आत्मा की भी यही दशा होती है। आत्मप्रदेश सारे शरीर के अन्दर चक्कर लगाया करते हैं। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, स्थिर इसलिए नहीं कि उनके साथ भिन्न पदार्थों की शक्ति लगी हुई है। स्वयं चेतन्य होते हुए भी वह कर्मों की जड़ शक्ति से आवृत है। उस विरोधी जड़ तत्त्व से छुटकारा पाने के लिए आत्मा छटपटाया करता है। या दूसरे शब्दों में आत्मप्रदेश छटपटाया करते हैं।

इसके अतिरिक्त आपने यह भी देखा होगा कि कड़ाहे में जब तेल खीलता है तो उसके अन्दर से सफेद सफेद भाग निकला करते हैं। प्रान्त भागों के भाग तो बड़ी आकृति के होते हैं किन्तु मन्दगति से सिमटते हुए वे मध्यभाग में आकर छोटी आकृति के हो जाते हैं। छोटी आकृति में आकर वे पूर्ववत् चंचल नहीं रहते। हमारे भी जो बीच में आत्मप्रदेश है वे मध्यवर्ती प्रदेश रुचक प्रदेश कहलाते हैं। उन रुचक प्रदेशों की सरया आठ है। ये आठों ही प्रदेश एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। बाकी के असरय आत्मप्रदेश तो गतिशील रहते हैं। अपने से परिचित व्यक्ति के विषय में हम जो कुछ सुनते हैं, सुनने के साथ ही हमारे आत्मप्रदेशों की स्थिति और आकृति भी वैसी बन जाया करती है। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कि उस व्यक्ति के सम्पर्क का दृश्य हमारी अन्तर्दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो। ठीक चित्रपट की रील के समान बन जाता है उस समय हमारा अन्तर्मन। जैसे चित्रपट पर हजारों चित्र एक मिनट में खिसकते चले जाते हैं, हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि एक चित्र दूसरे चित्र से जुड़ा हुआ है, ठीक इसी प्रकार हमारी विचारधारा में भी अनेक प्रकार के दृश्य उपस्थित होने लगते हैं। उन दृश्यों के अनुसार ही हमारे

आत्मप्रदेश उन-उन आकृतियों में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी आकृति या दृश्य हमारी विचारधारा में उतर गये, उन-उनके साथ हमारा बन्ध हो जाता है। उन विचारधाराओं से यह आत्मा इस प्रकार बन्ध जाता है कि वाकी के सीन तो आये गये ही जाते हैं। वह सीन या दृश्य जिसके ऊपर हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाता है, जिसपर राग या द्वेष आ जाने से आत्मा के साथ बन्धन होता है, उन्हीं के अनुसार हमारे अगले भव या जन्म का निर्माण हुआ करता है। आगामी भव के सारे बन्धे हुए सीन हमारे सामने आ जाया करते हैं। जिस विचारधारा के साथ हम बन्ध जाते हैं, उसके अनुसार ही हमारे आगामी भव के आयुष्य का बन्ध होता है। जिस समय हमारा यह भव समाप्त होने को होगा उस समय हमारा अगामी भव का आयुष्य बन्धा होगा और हम अगले जन्म के लिए तैयार होंगे। जिस समय किसी प्रस्तुत विचारधारा के साथ हमारा आयुष्य बन्ध रहा था उस समय इस बात का हमें तनिक भी भान नहीं था कि हमारा आगामी भव का आयुष्य बन्ध रहा है। हमें भान भले ही न हो किन्तु हमारा वह बन्ध उसी समय जमा हो जाता है। जब हम मरण के सन्निकट होते हैं, इस भव की समाप्ति होने के लगभग मुहूर्त-भर पहले ही वे सारी विचारधाराएँ हमारे स्मृति-पटल पर अंकित हो जाती हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान नहीं कहा जाता किन्तु 'आनुपूर्वी' कहा जाता है। नाम कर्म की तिरानवे प्रकृतियों में से चार प्रकार की आनु-पूर्वी प्रकृतियाँ हैं। आयुष्य बन्धने के समय जो हमारे भाव थे, सठाण थे, लेश्या थी, वे के वे सभी उस समय आ जाते हैं और उन्हीं के अनुसार फिर हमारा अगले भव में जाना होता है। सक्षेप में, कहने का अभिप्राय यही है कि आत्मा का जब अमुक विचारधाराओं के साथ बन्ध पड़ जाता है उसी समय हमारे अगले भव के आयुष्य का भी बन्ध हो जाता है।

यह बात ध्यान में रखने की है कि आयुष्य का बन्ध एक भव में एक बार ही होता है। कर्म नि सन्देह बार बार बन्धते रहते हैं। अनेक भवों का आयुष्य एक भव में बन्धना संभव नहीं होता। एक ही भव में हम कम को इतने अधिक बान्ध सकते हैं जिनको लाखों, करोड़ों भव तक भोगते रहे। कई बार इतने कर्म बन्ध जाते हैं कि अनेक भवों में भोगते-भोगते भी हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। इसका कारण यह है कि उस कम प्रकृति की जितनी स्थिति होती है उसके अनुसार ही हमें कमफल भोगना पड़ता है। और भवों की स्थिति तो स्वतः ही थोड़ी हीती है। इस प्रकार आगामी भव का आयुष्य तो एक जन्म में एक बार ही बन्धता है। किस समय वह आयुष्य बन्धा करता है, इसको जानने का भी शास्त्रकारों ने उपाय बताया है। जितना हमारा आयुष्य होता है, उसके तीसरे भाग के अन्दर अगले भव का आयुष्य बन्धता है।

यदि किसी कारणवश तीसरे भाग में न बन्ध सके तो फिर शेष रहे आयुष्य के तीसरे भाग में बन्धता है। यदि उस समय भी न बन्ध सका तो फिर जो शेष रह गया है, उसके तीसरे भाग में बन्धेगा। इस तरह भाग करते-करते जब भव का अन्त आ जाता है, तब भी आयुष्य बन्ध सकता है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी-कभी आयुष्य बन्धता ही नहीं है, ऐसी दशा में आत्मा चक्कर लगाती रहती है। ऐसी स्थिति शास्त्र की पारिभाषिक भाषा में 'भारणान्तिक समुद्घात' भी कहलाती है। जिस समय आत्मा अपने ठिकाने को देखने के लिए जाता है उस समय बहुत-से आत्मप्रदेश शरीर के अन्दर से निकलकर चले जाते हैं। ये आत्मप्रदेश मृत्यु से पूर्व ही शरीर से निकल जाते हैं उस स्थान की खोज में जहाँ उनको जाना होता है। ठिकाना देखकर वे लौट आते हैं उसी शरीर में जहाँ अब तक स्थित थे। आत्मप्रदेशों में जो आठ रुचक प्रदेश हैं वे पहले नहीं जाते। ये जो मध्य के आठ रुचक प्रदेश हैं, वे एक बार शरीर से निकल गये तो पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते। वैसे शरीर के अन्दर से अन्यान्य आत्मप्रदेश तो अनेक प्रसंगों पर बाहर निकल जाया करते हैं। सारे कभी नहीं निकलते, कभी थोड़े और ज्यादा निकल सकते हैं।

सात प्रसंगों पर आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकला करते हैं। शास्त्रकारों ने कोई भी बात गुप्त नहीं रखी, लोगों के हित के लिए सब कुछ बता दिया है। ग्रहण करना या न करना यह तो लोगों की इच्छा पर निर्भर है। शरीर से सात प्रसंगों पर निकलने वाले आत्मप्रदेशों को समुद्घात कहा जाता है। समुद्घात का अर्थ है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मप्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना। सर्वप्रथम समुद्घात है—वेदनीय। वेदनीय दो प्रकार की होती है—साता वेदनीय और असाता वेदनीय। लेकिन लौकिक व्यवहार में तो केवल एक वेदनीय—असाता या पीडा ही प्रसिद्ध है। बड़े आश्चर्य से हम कहते हैं, 'ओ हो ! बेचारों ने कितना वेदनीय कर्म बान्ध रखा है ! किसी दुखी को, पीड़ित को और रोगी को देखकर प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वास्तव में वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं—साता वेदनीय और असाता वेदनीय। वेदना में कुछ वास्तविकता है या नहीं है यह भी विचारणीय बात है। हमारे विरुद्ध जब कोई चुभने वाली बात कह देता है तो हमें बहुत दुःख का अनुभव होता है। कोई पास बैठा व्यक्ति हमको समझाता हुआ कहता है, "अरे भोले मनुष्य ! तुम इतना क्यों फील करते हो, सामने वाले ने तो केवल शब्द ही बोले हैं, उन शब्दों से ही तुम्हें इतनी दुःखानुभूति हो रही है कि उसने ऐसा तुमको कहा ही क्यों ?" उत्तर में हम उसे कहते हैं कि "इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी उसने हमारा तनिक भी लिहाज नहीं रखा। इसके बड़े भाई-बन्धु किसी ने भी तो मुझे आज तक ऐसी बात नहीं कही जो इसने कह दी।" इस प्रकार हम

बहुत ही दुःखानुभव करते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी-ने पत्थर मार दिया, गहरी चोट लग गई और रक्त बहने लगा। चोट खाने वाले को यह पता लगा कि पत्थर मारने वाले का लक्ष्य वह नहीं था, उसने तो किसी और के मारा था किन्तु निशाना चूक गया और पत्थर उसके लग गया। यह सब असावधानी से हुआ। ऐसा विचार करके चोट खाने वाला वेदना का अधिक अनुभव नहीं करता।

अब आप वेदनीय शब्द पर विचार करें। वास्तव में वेदना है क्या? पत्थर की चोट खाने वाला व्यक्ति, जिसके चोट के कारण जखम भी हो गया है वह इतनी वेदना का अनुभव नहीं कर रहा है जितनी कि वह जिसको कि केवल विरुद्ध शब्द बोले गये थे और उन शब्दों का उसके शरीर पर कोई आघात भी नहीं है। शरीर का घायल मन की पीड़ा से इतना व्याकुल नहीं है जितना कि वाणी से घायल मानसिक पीड़ा से सतप्त है। लोगों के बहुत समझाने-बुझाने पर भी मन के घायल की वेदना शान्त नहीं हो पा रही। अब हम आपसे पूछते हैं कि वेदना या दुःखानुभूति क्या वास्तविकता पर आधारित है अथवा विचारधारा पर आधारित है? व्यवहार की दृष्टि से देखें तो अधिक वेदना तो उसको होनी चाहिए जिसके पत्थर की चोट लगी है और घाव भी हो गया है। वास्तविकता यह है कि वेदना की अनुभूति हमारी विचारधारा पर अवलम्बित है। इसी वेदना को ज्ञानी पुरुषों ने 'वेदनीय कर्म' कहा है। साता वेदन और असाता वेदन—इन दोनों में वेदना के समय आत्मा अपना भान भूल जाता है। असाता हो गई और सहनशीलता का अभाव है तो व्यक्ति हाय-हाय और त्राहि-त्राहि मचा दिया करता है। वह छटपटाने लगता है, तडपता है और अपने हाथों-पैरों को इधर-उधर पटकता है। वह समय आत्म प्रदेशों का बाहर निकलने का होता है। इसको वेदनीय ममुद्घात भी कहते हैं। अपने दुःख को अन्दर ही समेटने की शक्ति न होने के कारण ही ऐसा हुआ करता है। इसी प्रकार तीव्र ज्वर आ गया, शरीर से गरमी की ज्वालाएँ-सी निकलने लगी, श्वास तीव्र गति से चलने लगा और शरीर तपने लगा—ऐसी दशा में भी आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आत्मप्रदेश को रोकने की शक्ति तो सहनशीलता में ही होती है, सहनशीलता का अभाव होने से आत्मप्रदेश शरीर में टिक नहीं पाते।

इसी तरह से कषाय समुद्घात भी होता है। ऊपर के विवरण में वेदनीय के केवल एक ही पहलू पर प्रकाश डाला गया है। साता या सुख का भी जिस समय वेदन या अनुभव होता है, उस समय भी व्यक्ति अपने आपे में रहने नहीं पाता। शरीर द्वारा अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करने लगता है। दूसरे देखने वाले उस समय यह कहने लगते हैं कि, "यह तो फूल कर कुप्पा हो गया है।" कभी-

कभी तो अत्यधिक उल्लास के कारण व्यक्ति अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उसके हृदय की गति सहसा बन्द हो जाती है। इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है जो प्रसंग आने पर आपको बताया जायेगा।

साता के वेदन में भी आत्मप्रदेश बाहर निकल जाते हैं शरीर से। साता और असाता दोनों को सहन करने की शक्ति के अभाव में ही ऐसा होता है। इसी प्रकार कषाय में भी जब क्रोध का आविर्भाव होता है तो आँखें लाल हो जाती हैं, ओठ फडफडाने लगते हैं, मनुष्य का सारा शरीर काँपने लगता है और चेहरा विकराल हो जाता है। वह भूत के समान नाचने लगता है। उस समय भी आत्म-प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसको कहा जाता है, 'कषाय समुद्धात'। तीसरी समुद्धात है—'मारणातिक'। मारणातिक समुद्धात के विषय में आपको पहले बताया जा चुका है। इसी प्रकार एक 'तेजस् समुद्धात' होती है जिसमें तेजस् लब्धि का प्रयोग किया जाता है। एक आहारक समुद्धात भी होती है जिसमें एक पुतला निकालकर केवल ज्ञानियो या सर्वज्ञों के पास भेजा जाता है। इसका उद्देश्य होता है—प्रश्न का समाधान पाना और समवसरण की ऋद्धि-सिद्धि को देखना। आहारक समुद्धात को आहारक लब्धि भी कहते हैं।

एक 'वैक्रिय समुद्धात' भी होती है। इसमें एक के अनेक रूप बनाये जाते हैं। एक ही व्यक्ति हजारों-लाखों अपने रूप बना सकता है। उन सब रूपों में आत्मप्रदेश रहते हैं। सब रूपों में आत्मप्रदेशों के सद्भाव में भी सबका सब घञ्चक प्रदेशस्थ अरूपात्मा से रहता है। रुचक प्रदेश वाले रूप से ही सारा तत्र संचालित हुआ करता है। बाकी के सब रूप तो भाडायती टट्टू होते हैं, कठ-पुतली के समान भी उनको समझा जा सकता है। सारे आत्मप्रदेशों की वाग-डोर उस मूल व्यक्ति के हाथों में रहती है जहाँ रुचक प्रदेश रहते हैं। इस प्रकार वैक्रिय समुद्धात में भी आत्मप्रदेश बाहर निकलते हैं।

केवली समुद्धात के समय भी बाहर निकलते हैं। केवली समुद्धात तो अपने-आप होती है किन्तु बाकी तेजस्, वैक्रिय और आहारक—ये समुद्धाते जान-बूझकर की जाती हैं। आठ समय के स्वल्पकाल में ही केवली समुद्धात हो जाती है। शरीर के अन्दर हमारा आत्मा समेटे हुए कपड़े के समान पड़ा रहता है। जब केवली समुद्धात की जाती है, तो वह आत्मा चौदह राजू लोक के अन्दर व्याप्त हो जाता है। जैसे किसी सोलह पटों वाले कपड़े को खुला करते-करते एक लड़ा हो जाने के पश्चात् वह कितना लम्बा हो जाता है। उस कपड़े को झटका दिया जाये तो रजकण झड़ने से कपड़ा स्वच्छ व हल्का बन जाता है, इसी प्रकार आत्मा जब चौदह राजू लोक में फैल जाता है, उस समय ऐसी प्रक्रिया बन जाती है कि कर्मों की वगणार्ण उससे निर्जर्जित होने लग जाती

है। आठ समय के अन्दर जिस शरीर से आत्मा निकला था उसी में प्रविष्ट हो जाता है। आठ रुचक प्रदेश तो हर एक हालत में वही रहते हैं। इसका कारण यह है कि केवली समुद्घात करने वाला व्यक्ति लोक के मध्य भाग में है। मनुष्य क्षेत्र के अन्दर ही केवली समुद्घात होती है। मनुष्य क्षेत्र वित्कुल बीच में है। इसलिए उन रुचक प्रदेशों को केवली समुद्घात करने के समय भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे जहाँ पर हैं, वही टिके रहते हैं।

हमारा कहने का आशय यही है कि जिस समय हमारा अगले भव का आयुष्य बँधा हुआ होता है, उस आयुष्य बन्ध के साथ जो हमारी विचारधारा थी, वही विचारधारा मृत्यु के समय जागृत हो जाती है। इस प्रकार का आयुष्यबन्ध ससार में परिभ्रमण करने वालों का ही होता है, जो मोक्ष में जाने वाले आत्मा है, उनका आगामी भव का आयुष्य नहीं बँधा करता। आयुष्य कर्म की प्रकृति के अन्दर सबसे अधिक आयुष्य तैत्तिरीय सागरोपम की ही होती है, इससे अधिक नहीं। विमुक्त होने वाला आत्मा जिस अवस्था में रहेगा उस अवस्था का नाम है—'सादि-अनन्त।' सादि-अनन्त का अर्थ है कि मुक्त अवस्था का आदि तो है किन्तु उसका अन्त नहीं है। ऐसी कोई भी कर्म प्रकृति नहीं है जिसकी स्थिति सादि अनन्त हो। यही कारण है कि मुमुक्षु आत्माओं के आयुष्य का बन्ध नहीं हुआ करता। किसी भी कर्म के उदयभाव में मुक्तावस्था नहीं मानी जा सकती। मुक्तावस्था तो तभी प्राप्त होती है जब सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और बन्धन टूट जाते हैं। शाश्वत सुखों की प्राप्ति जीव को तभी होती है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

६ अगस्त, १९७६





आत्मा से परमात्मा

शाश्वत सुखो की प्राप्ति अपने ही भावों पर निर्भर है। भाव अतरग की विचार-घारा को कहते हैं और उसी का दूसरा नाम सम्यक्त्व है। निःसदेह, भाव तो मिथ्यात्वी के भी होते हैं किन्तु यहाँ भाव का अभिप्राय अतरग के विचारों से है। अतरग के विचारों का आशय होता है अपने—अर्थात् आत्मा के विचार या भाव। आत्मा के भाव कुछ और प्रकार के होते हैं और कर्मों के भाव कुछ अन्य प्रकार के। कर्मों के जो भाव हैं उन्हें उदयभाव भी कह सकते हैं। उदयभाव से हमारा अभिप्राय है कि हमने जो कर्म बोधा वह उदय में आ गया। जब तक वह उदय में नहीं आया था तब तक वह सत्ता में था। सत्ता, शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है अन्दर रहने की स्थिति वाला। या फिर 'अस्तित्व' के रूप में रहने वाला भी कह सकते हैं। अस्तित्व भी दो प्रकार का होता है एक तो हमारे सामने या प्रत्यक्ष रूप में होता है और दूसरा परोक्ष रूप में। परोक्ष भी तो अस्तित्व के रूप में होता है, हम उसे निषेधात्मक नहीं मान सकते। जो वस्तु हमारे सामने है उसका तो अस्तित्व है और जो हमारे सामने नहीं है किन्तु परोक्ष रूप में है, उसका तो अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा हम नहीं मान सकते। हमारे सामने जो कुछ है वह तो सर्वथा नगण्य है, विश्व के उन परोक्ष पदार्थों के सामने जो सख्यातीत है। विश्व में तो बहुत कुछ आ जाता है लोक भी, अलोक भी, चौदह रज्ज्वात्मक लोक भी—जिसमें नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव, सिद्ध आदि हैं तथा इसके अतिरिक्त जहाँ पर धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय का एक देश है, काल है, पुद्गल है—सभी विश्व के अतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त अलोक भी, जहाँ पर केवल आकाश ही है विश्व में समाविष्ट हो जाता है। जितना कुछ हम प्रत्यक्ष रूप में अपने चक्षुओं से देख पा रहे हैं, उसके सामने विश्व के असख्यात परोक्ष-पदार्थों से परिपूर्ण विश्व तो बहुत बड़ा है। प्रत्यक्ष तो परोक्ष के सामने नहीं के ही बराबर है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि यह मान्यता सर्वथा निर्मूल है कि जो भी कुछ हमारे सामने है वही है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं।

जो वस्तु हमारे सामने है, हमारी दृष्टि में आ रही है, हमारी अनुभूति द्वारा गम्य है, वह उदयवस्था कहलाती है। लोग बहुत बार यह पूछताछ किया करते हैं कि 'हमारा भाग्योदय कब होगा ?' पूछने वालों को निःसन्देह यह ज्ञान अवश्य होता होगा कि उनके भाग्य के अन्दर अनेक बातें होंगी। इसका कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को भी हम देखते हैं जिनका भाग्य खुला हुआ है या उदय में आया हुआ है, और उस भाग्य के परिणामस्वरूप उनको अनेक प्रकार की आनन्द की वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, तो इससे हमें यह मानना पड़ता है कि उस व्यक्ति के भाग्य में पहले से वे वस्तुएँ मौजूद थीं। किसी के भी भाग्य में अनेक बातों का सद्भाव इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। किस के भाग्य में क्या है, इसको जानना बड़ा कठिन होता है। किसी नीतिकार का कथन भी है

पुरुषस्य भाग्य दैवो न जानाति कुतो मनुष्य ।

अर्थात्—पुरुष के भाग्य में क्या लिखा है इसका पता तो देवताओं को भी नहीं लग पाता मनुष्य की तो बात ही क्या है ?

अपने भाग्य के विषय में जानने वाला व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि उसके भाग्य में है तो बहुत कुछ किन्तु वह उदय में नहीं आया है। 'सूर्योदय कब होगा ?' ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न के पीछे यह बात तो निश्चित है ही कि ससार में सूर्य नाम की कोई सत्ता तो अवश्य है किन्तु उसका अभी उदय नहीं हुआ है। वह अभी परोक्ष में है, अभी प्रत्यक्ष में नहीं आया है। जो कर्म हमने पिछले अनेक भवों में बाँधे और जो कर्म कितने ही भवों के पहले बाँधे, वे अभी तक उदय में नहीं आये हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो बाँधे हुए कर्म हैं, वे स्टाक में पड़े हैं, सत्ता में हैं। जब तक उनका वितरण नहीं होता, या दूसरे शब्दों में वे उदय में नहीं आते तब तक उनके फल का हमें क्या पता चल सकता है ? जब वे उदय में आयेंगे उसी समय हमें उनके अच्छे या बुरे परिणाम का पता चल सकेगा।

दो तरह से कर्म उदय में आते हैं एक तो अपने-आप उदय में आ जाया करते हैं और कई बार उनको उदय में लाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, उसका अर्थ होता है कि वह अपने कर्मों को उदय में लाने का प्रयत्न नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठता, वह पुरुषार्थ में दृढ़ विश्वास रखता है और उसकी यह दृढ़ धारणा बनी होती है कि अकेले भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं बन सकता, बनता तो पुरुषार्थ करने से है। वे तो कहते हैं कि

“दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति”

अर्थात्—भार्य का भरोसा करना तो कायर पुरुषों का लक्षण है। हिन्दी के भी एक कवि ने कहा है

“बिना डुलाये ना मिले ज्यो पखे की पौन”

अर्थात्—पखे की हवा भी बिना हाथ के डुलाये नहीं मिल सकती। जब विजली नहीं आई थी, उस समय लकड़ी के फ्रेम पर कपडे के पखे छत से लटके होते थे। उनसे डोरी बँधी होती थी। परिचारक डोरी खींचता रहता था जिससे कपडा हिलता रहे और हवा आती रहे। डोरी हिलाने में पुरुषार्थ किया जाता था तभी तो हवा मिलती थी। आजकल विजली के पखे लग गये हैं, बटन को छूते ही गतिशील तो हो जाते हैं किन्तु तभी जब तार में करट हो। पुराना तरीका और पुरुषार्थ स्व के अधीन थे और आजके पर के अधीन है। बना-बनाया भोजन थाल में परोसा हुआ सामने लाकर रख भी दिया जाये तो ग्रास तोड़ने में और दाँतो से चबाने में पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पडता है। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो वह भोजन किसी दूसरे के ही गले में उतरेगा। हमारा कहने का अभिप्राय है कि उद्यम तो पुरुष को करना ही पडेगा। पुरुष को पुरुष कहते ही इसलिए है कि वह पुरुषार्थ करे। इस उद्यम का नाम ही उदीरणा है। कर्मों को उदय में लाने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, उनका नाम ही शास्त्रीय भाषा में उदीरणा है। संस्कृत का यह शब्द विगडकर हिन्दी में उधेडना बन गया है। यदि डोरा किसी वस्तु पर लिपटा हुआ हो तो उसे हम सर सर उधेडकर अलग कर डालते हैं। इसी प्रकार उदीरणा के द्वारा जो कर्म पहले मन्दगति से उदय में आते वे ही अब शीघ्र गति से उदय में आने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से समय की बचत हो जाती है।

अशुभ कर्मों को उदय में लाने के लिए ही सदा उदीरणा की जाती है। शुभकर्मों को उदय में लाने के लिए उदीरणा की आवश्यकता नहीं पडती। इसका कारण है कि शुभ कर्मों का परिणाम भोग या सुख होता है और उस सुख को भोगने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते हैं, उनको उदीरणा नहीं कहा जा सकता। इसलिये नहीं कहा जा सकता कि उन प्रयत्नों के द्वारा जो सुख मिलेगा, एशो-आराम मिलेगा उससे संभव है कुछ न कुछ मन में आसक्तिभाव या रागभाव उत्पन्न हो जाये और सुख तथा शुभ कर्म भोगते-भोगते आत्मा नये कर्म भी बान्ध ले। इसीलिए शुभ कर्मों को उदय में लाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। उनको तो उपशम भाव में ही रखना चाहिए ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष अशुभकर्मों को, जिनके भोगने में पीडा होती है, दुःख होता है, उदय में लाने का प्रयत्न किया करते

है। तपश्चर्या करने से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, कुछ दुःख का भी अनुभव होता है। लोच करना, आतापना लेना, एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करना, बैठकर भी विभिन्न आसनो में ध्यान करना जिससे कि शरीर में कुछ न कुछ पीडा हो—आदि-आदि ऐसी अनेक कष्टप्रद क्रियाएँ हैं जिन को यदि समभाव से सहन कर लिया जाये तो उदीरणा होती है। जिस व्यक्ति में न तो सहन करने की शक्ति है और न ही भावना है वह उदीरणा नहीं कर सकता। वह तो यही सोचा करता है कि कर्म जैसे-जैसे अपने-आप उदय में आते जायेंगे, भोग लिया जायेगा, वयो व्यर्थ में अभी से कष्ट मोल लिया जाये।

तो जानी पुरुषो का कथन है कि जो कर्म पहले से बन्धे हुए हैं वे जब फल भुगताने के लिए आते हैं तो उसको कर्मों का उदय कहा जाता है। जिस समय कर्मों का उदय होता है तो कर्म अपना दुष्प्रभाव आत्मा पर डालते हैं। आत्मा उदयावस्था में कमजोर पड़ जाता है। कर्मों की शक्ति बलवत्तरा हो जाती है।

कर्मों की उदय की अवस्था में भी कभी-कभी ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है कि कर्मों का उदय एकदम रुक जाता है। या ऐसा कहे कि कर्मों का उदय रुकता नहीं किन्तु उसे रोक दिया जाता है। जैसे कि किसी को क्रोध आ जाये और वह उसको रोककर उसको शांत कर दे। इस प्रकार के रोकने के भाव को उपशम भाव कहते हैं। मन के विचारो की धारा बदलने की आवश्यकता है। विचार परिवर्तित होते ही क्रोध शांत हो जाता है। किसी व्यक्ति की आकृति पर क्रोध के लक्षण देखकर सामने बैठे व्यक्ति ने सोचा कि पता नहीं क्रोध के वशीभूत होकर वह क्या कह बैठे और क्या कर बैठे। और वास्तव में वह क्रोध के आवेश में भी था परन्तु उसके मन में विचार आया, 'अरे क्रोध करना तो बहुत बुरी बात है, क्रोध का परिणाम तो कई बार बहुत ही भयानक होता है। क्रोध तो आपत्ति का मूल है। वयो न क्रोध के स्थान पर प्रेम भाव से ही मैं अपने भगड़े का निपटारा कर लूँ।' इस प्रकार की चिन्तनधारा से क्रोध का तूफान एकदम शान्त हो जाता है। इसी का नाम उपशम भाव है। इस भाव से क्रोधादि जितने भी अशुभ कर्म हैं वे उपशान्त हो जाते हैं। वे कर्म फिर निर्बलता की स्थिति में आकर जोर नहीं पकड़ पाते। उपशम भाव में आत्मिक शक्ति का विकास होने के कारण कर्म निर्बल पड़ जाते हैं। कर्मों को निर्बल बनाने की शक्ति आत्मा के अन्दर ही रहती है। कर्मों के उपशमन की इस प्रक्रिया से आत्मा को जो लाभ पहुँचा वह कहलाया औपशमिक लाभ। कर्मों के उदयकाल में आत्मा पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वह औदयिक भाव कहलाता है।

उपशम सम्यक्त्व भी होता है। इसमें मिथ्यात्व की सहायक कर्मप्रकृतियाँ एकदम दब जाती हैं। औपशमिक भाव में सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों रहते हैं। उदयभाव तो सभी कर्मों का होता है अर्थात् आठों ही कर्मों की सभी प्रकृतियाँ उदय में आती हैं किन्तु उपशम भाव केवल मोहनीय कर्म का ही होता है। मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियाँ उपशान्त की जाती हैं। मोहनीय कर्म के उपशमन के कारण ही जीव को सम्यक्त्व भी प्राप्त होता है और चारित्र्य भी। ठेठ ग्यारहवें गुणस्थान का चारित्र्य औपशमिक भाव में प्राप्त हो जाता है। ग्यारहवें गुणस्थान को मोक्ष का द्वार माना गया है। उपशम भावी आत्मा भुक्तिद्वार को खटखटाता है, खुलवाने के लिए, किन्तु जितने समय में द्वार खुले उससे पूर्व ही वह नीचे गिर जाता है। उसका नाम 'औपशमिक भाव' ही इस स्थिति का द्योतक है। सब कुछ दबाया हुआ था। दबाए हुए कर्म तो कभी न कभी उफान में आकर ही रहते हैं। दवाने की इस प्रक्रिया से आत्मा लाभान्वित तो अवश्य होता है किन्तु इस लाभ में स्थायित्व नहीं रहता। या दूसरे शब्दों में आत्मा अधिक समय तक एक-सा शक्तिमान बना नहीं रह सकता। यदा-कदा उसको हानि का भाजन बनना ही पड़ता है।

जिस प्रकार उसने मोहनीय कर्म का उपशम किया था, उसी प्रकार यदि वह उस कर्म का क्षय कर देता तो उसकी क्षायिक-लाभ प्राप्त हो जाता जिसमें स्थायित्व की सत्ता रहती है। औपशमिक के समान इसमें अस्थायित्व की गुजा-इश नहीं रहती। केवल-ज्ञान और केवल दशन, ये सारे क्षायिक भाव के अन्त-गंत आते हैं। सिद्ध अवस्था भी क्षायिक भाव में है। क्षायिक भाव का अर्थ ही यह है कि जिस कर्म समूह का क्षय कर दिया गया उसके पुन उभरने की शक्ति समाप्त हो गई और कर्मक्षय से जो भी आत्मा को लाभ प्राप्त हुआ उसके मिटने या न्यून होने की संभावना तक जाती रही। इसके अनिर्वृत ज्ञातव्य बात यह है कि क्षायिक भाव सब व्यक्तियों का (अर्थात् जिन-जिन को क्षायिक भाव की उपलब्धि हो चुकी है—उन सबका) एक सरीखा ही होता है। जितने भी केवल ज्ञानी, केवल दशनी हैं वे सब के सब एक समान हैं। मतिज्ञानी, श्रुत-ज्ञानी, अवधिज्ञानी और मन पर्यवज्ञानी एक समान नहीं हैं। इनके तो भेद हैं—किसी के दो तो किसी के दोसे अधिक। केवल ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई भेद नहीं होता, हजारों की संख्या में हो तो भी भेद नहीं होता। जिसको केवलज्ञान आज प्राप्त हुआ है, जिसको हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था या आगे होगा—सब समान होते हैं। केवल ज्ञान कभी पुराना नहीं पड़ता। अरिहतों का, सिद्धों का, स्त्रियों का और पुरुषों का सबका केवल ज्ञान समान होता है। केवल ज्ञान तब होता है जब केवल ज्ञान का अवरोधक कर्म क्षय हो गया हो, और आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध पूर्णरूपेण मिट गया हो। केवल ज्ञान की दशा में

आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाश की तरह प्रकट हो जाता है और उस पर पुन किसी प्रकार के आवरण आने की सभावना सर्वथा मिट जाती है। इसका कारण है कि क्षायिक भाव में उसे यह लाभ प्राप्त हुआ है। सब आत्माओं का वास्तविक स्वरूप एक-सा है, केवल ज्ञानी आत्माओं की एकरूपता का यह भी एक कारण है। यद्यपि जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न आत्मा है किन्तु स्वरूप की दृष्टि से देखने पर तो आत्मा एक ही है। ठाणाग सूत्र के आरंभ का उल्लेख

“एगे आया”

अथत् - आत्मा एक ही है, आत्मा के एक स्वरूप की ओर ही संकेत करता है।

क्षायिक भाव आत्मा का भाव होता है। जो भाव कभी भी नष्ट होने वाला न हो, वह आत्मा का भाव होता है। इसके विपरीत जो भाव समय पाकर नष्ट हो जाते हो, जिनमें न्यूनाधिकता आ जाती हो—वे भाव कर्मों के होते हैं। अपने भावों के अन्दर तो आत्मा सिद्धावस्था को पहुँच जाता है किन्तु पराये भावों के अन्दर आत्मा ऊर्ध्वगति का भी अधिकारी नहीं बन पाता। अपना भाव स्वभाव कहलाता है और कर्मों का जो भाव है वह परभाव या विभाव कहलाता है। ज्ञानीपुरुषों का इसीलिए बार-बार कहना है कि अपने स्वभाव की पहचान करो, अपने स्वभाव को प्रकट करो। ‘स्व’ के अतिरिक्त ससार की जितनी भी वस्तुएँ हैं उन सबको इसी रूप में समझना होगा कि ‘वे और हैं’, और ‘मैं और हूँ’। ‘स्व’ और ‘पर’ की इस भिन्नता को समझे बिना हमारे वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने वाली उमग उत्पन्न नहीं हो सकेगी। उमग के अभाव में प्रयास का भी अभाव रह जायेगा। सर्वप्रथम तो हमको स्वभाव और विभाव में भेद समझना होगा। स्व अलग है, पर अलग है। स्व और पर ये दो भिन्न वस्तुओं का एकत्र समिश्रण है—ऐसी दृढ़ धारणा बनानी होगी। जब तक किसी व्यक्ति को यह दृढ़ निश्चय नहीं हो जायेगा कि दूध के अन्दर घृत और छाछ, सार और असार—ये दोनों चीजें निहित हैं, तब तक वह दूध में से घृत निकालने का प्रयत्न कैसे करेगा? दूध से घी निकालने के लिए सर्वप्रथम तो दूध को गरम करना पड़ेगा। आजकल की वैज्ञानिक पद्धति में यद्यपि ठंडे दूध से भी मक्खन निकाल लिया जाता है परन्तु उससे निमित्त घी उतना स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक नहीं होता जितना कि मथित दूध से निकाला गया घृत। ऊपर से एक दिखाई देने वाली वस्तु दूध में दो तत्त्व निहित हैं—जो आपस में इतने घुले-मिले हैं और दूध के अणु-अणु में ऐसे समाए हुए हैं कि जिनकी सामान्यबुद्धि का व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता। इन दो तत्त्वों को पृथक्-पृथक् करने के लिए बड़ा

प्रयत्न करना पड़ता है। गर्म किए हुए दूध को उचित प्रमाण में ठंडा करना पड़ेगा। तब उसमें दही डाला जायेगा जिसे भारवाड़ी भाषा में 'जामण' कहते हैं। जमाने के लिए जो उसमें दही डाला गया वह दूध का ही विकार था। दही और दूध—दोनों की एक ही प्रकृति थी इस कारण दूध जम गया। किसी कवि की इस पर उक्ति भी है

प्रकृति मिले मन मिलत है,
अनमिलते न मिलात ।
दूध दही से जमत है,
काँजी से फट जात ॥

अर्थात्—मन तभी मिला करते हैं जब दोनों की प्रकृति समान हो। इसी प्रकार दूध तभी जमा करता है जब उसमें दही डाल दिया जाये। दही और दूध की प्रकृति समान जो ठहरी। काँजी डालने से दूध इसलिए फट जाता है क्योंकि काँजी की प्रकृति दूध से नहीं मिलती। खटाई-खटाई एक होने से कुछ नहीं बनता जब तक प्रकृति में समानता न हो।

दही के सम्पर्क से दूध जम जाता है, ठोस बन जाता है। इस ठोस हुए दूध का जब मथन किया जाता है तो दही के गुण में वृद्धि होने लगती है। इस पर किसी कवि की उक्ति है

“दधि चन्दनताम्बूले मर्दन गुणवर्धनम् ।”

अर्थात्—दही, चन्दन और पान को जितना अधिक मथा जाये, घिसा जाये, चबाया जाये उतना ही उनका गुण बढ़ता है।

देर तक की मथन क्रिया के बाद ही मक्खन छाछ से अलग होकर तैरने लगता है। इस मक्खन को जब अग्नि पर रखा जाता है तब छाछ अलग हो जाती है और शुद्ध घी अलग निकल आता है। कितने परिश्रम के पश्चात् यह कीमती पदार्थ निकला। भोजन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब में घी की सुगन्ध वातावरण को सुरभित करने लगी।

ठीक घी के समान ही आत्मा जैसे कीमती पदार्थ को जडतत्त्व का तपश्चर्या द्वारा मथन करके जड तत्त्व से अलग करना पड़ता है। इसके लिए असाधारण परिश्रम की आवश्यकता रहती है। आत्मा और कर्म—ये दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। आत्मा चेतन है और कर्म जड। एक पदार्थ स्वरूप है दूसरा पररूप है। पहला ऊर्ध्वगामी है और दूसरा अधोगामी है। हमारी आत्मा और कमवगणाएँ दोनों पूणरूपेण भिन्न हैं—ऐसा दृढ श्रद्धान हाना चाहिए। आत्मा की शरीर से पृथक्ता का पूर्ण भान होना चाहिए। इस प्रकार

आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाश की तरह प्रकट हो जाता है और उस पर पुन किसी प्रकार के आवरण आने की सभावना सर्वथा मिट जाती है। इसका कारण है कि क्षायिक भाव में उसे यह लाभ प्राप्त हुआ है। सब आत्माओं का वास्तविक स्वरूप एक-सा है, केवल ज्ञानी आत्माओं की एकरूपता का यह भी एक कारण है। यद्यपि जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न आत्मा है किन्तु स्वरूप की दृष्टि से देखने पर तो आत्मा एक ही है। ठाणाग सूत्र के आरम्भ का उल्लेख

“एगे आया”

अर्थात् - आत्मा एक ही है, आत्मा के एक स्वरूप की ओर ही संकेत करता है।

क्षायिक भाव आत्मा का भाव होता है। जो भाव कभी भी नष्ट होने वाला न हो, वह आत्मा का भाव होता है। इसके विपरीत जो भाव समय पाकर नष्ट हो जाते हो, जिनमें न्यूनाधिकता आ जाती हो—वे भाव कर्मों के होते हैं। अपने भावों के अन्दर तो आत्मा सिद्धावस्था को पहुँच जाता है किन्तु पराये भावों के अन्दर आत्मा ऊर्ध्वगति का भी अधिकारी नहीं बन पाता। अपना भाव स्वभाव कहलाता है और कर्मों का जो भाव है वह परभाव या विभाव कहलाता है। ज्ञानीपुरुषों का इसीलिए बार-बार कहना है कि अपने स्वभाव की पहचान करो, अपने स्वभाव को प्रकट करो। ‘स्व’ के अतिरिक्त सत्कार की जितनी भी वस्तुएँ हैं उन सबको इसी रूप में समझना होगा कि ‘वे और हे’, और ‘मैं और हूँ’। ‘स्व’ और ‘पर’ की इस भिन्नता को समझे बिना हमारे वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने वाली उमग उत्पन्न नहीं हो सकेगी। उमग के अभाव में प्रयास का भी अभाव रह जायेगा। सर्वप्रथम तो हमको स्वभाव और विभाव में भेद समझना होगा। स्व अलग है, पर अलग है। स्व और पर ये दो भिन्न वस्तुओं का एकत्र समिश्रण है—ऐसी दृढ़ धारणा बनानी होगी। जब तक किसी व्यक्ति को यह दृढ़ निश्चय नहीं हो जायेगा कि दूध के अन्दर घृत और छाछ, सार और असार—ये दोनों चीजें निहित हैं, तब तक वह दूध में से घृत निकालने का प्रयत्न कैसे करेगा? दूध से घी निकालने के लिए सर्वप्रथम तो दूध को गरम करना पड़ेगा। आजकल को वैज्ञानिक पद्धति में यद्यपि ठंडे दूध से भी मक्खन निकाल लिया जाता है परन्तु उससे निमित्त घी उतना स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक नहीं होता जितना कि मथित दूध से निकाला गया घृत। ऊपर से एक दिखाई देने वाली वस्तु दूध में दो तत्त्व निहित हैं—जो आपस में इतने घुले मिले हैं और दूध के अणु-अणु में ऐसे समाए हुए हैं कि जिनकी सामान्यबुद्धि का व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता। इन दो तत्त्वों को पृथक्-पृथक् करने के लिए बड़ा

प्रयत्न करना पड़ता है। गर्म किए हुए दूध को उचित प्रमाण में ठाँगा पड़ा पड़ेगा। तब उसमें दही डाला जायेगा जिसे माग्वाटी भाषा में 'जामण' कहते हैं। जमाने के लिए जो उसमें दही डाला गया वह दूध या ही विदार था। दही और दूध—दोनों की एक ही प्रकृति थी इस कारण दूध जम गया। किसी कवि की इस पर उक्ति भी है

प्रकृति मिले मन मिलत है,
अनमिलते न मिलात।
दूध दही से जमत है,
काँजी से फट जात ॥

अर्थात्—मन तभी मिला करते हैं जब दोनों की प्रकृति समान हो। इसी प्रकार दूध तभी जमा करता है जब उसमें दही डाल दिया जाये। दही और दूध की प्रकृति समान जो ठहरी। काँजी डालने से दूध इसलिए फट जाता है क्योंकि काँजी की प्रकृति दूध से नहीं मिलती। खटाई खटाई एक होने से कुछ नहीं बनता जब तक प्रकृति में समानता न हो।

दही के सम्पर्क से दूध जम जाता है, ठोस बन जाता है। इस ठोस हुए दूध का जब मथन किया जाता है तो दही के गुण में वृद्धि होने लगती है। इस पर किसी कवि की उक्ति है

“दधि चन्दनताम्बूले मर्दन गुणवर्धनम् ।”

अर्थात्—दही, चन्दन और पान को जितना अधिक मथा जाये, घिसा जाये, चबाया जाये उतना ही उनका गुण बढ़ता है।

देर तक की मथन क्रिया के बाद ही मक्खन छाछ से अलग होकर तैरने लगता है। इस मक्खन को जब अग्नि पर रखा जाता है तब छाछ अलग हो जाती है और शुद्ध घी अलग निकल आता है। कितने परिश्रम के पश्चात् यह कीमती पदार्थ निकला। भोजन, घूप, दीप, नैवेद्य आदि सब में घी की सुगन्ध वातावरण को सुरभित करने लगी।

ठीक घी के समान ही आत्मा जैसे कीमती पदार्थ को जडतत्त्व का तपश्चर्या द्वारा मथन करके जड तत्त्व से अलग करना पड़ता है। इसके लिए असाधारण परिश्रम की आवश्यकता रहती है। आत्मा और कर्म—ये दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। आत्मा चेतन है और कर्म जड। एक पदार्थ स्वरूप है दूसरा पररूप है। पहला ऊर्ध्वगामी है और दूसरा अधोगामी है। हमारी आत्मा और कमवगणाएँ दोनों पूणरूपेण भिन्न हैं—ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। आत्मा की शरीर से पृथक्ता का पूर्ण भान होना चाहिए। इस प्रकार

की दृढ धारणा के पश्चात् जो व्यक्ति तपश्चर्या करता है, सम्यक्त्व धारण करके अनादिकालीन मिथ्यात्व का त्याग करता है, जितनी इच्छाएँ हैं, लालसाएँ हैं, महा-आरभ, महापरिग्रह—सब का त्याग कर देता है वही अपने संचित कर्मों का क्षय कर सकता है। संचित कर्मों के क्षय के पश्चात् आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप निखर आता है। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप ही परमात्म पद को प्राप्त करता है। जो आत्मा था वह परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनते ही शाश्वत सुखो का साम्राज्य आरभ हो जाता है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१० अगस्त, १९७६





साँच को आँच नहीं

सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना ससार में सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। सचाई और अच्छाई के सामंजस्य का नाम ही सम्यक्त्व है। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य पर आधारित है, वह तो सुखी ही रहता है। तभी तो लोक में कहावत प्रचलित है कि 'साँच को आँच नहीं।' साँच को आँच आ भी कैसे सकती है? साँच तो ठोस है, निगोट है। यह तो पोल-पाल से रहित होता है। पोल तो असत्य में, भूठ में होती है। ठोस और घन पदार्थ आँच से आसानी से आक्रान्त नहीं हुआ करते। जो पोले, पोचे या कमजोर होते हैं उनको आग बड़ी सरलता से पकड़ लेती है। घास, तृण और कागज आदि ऐसे ही हल्के पदार्थ होते हैं जो आग की लपेट में तुरन्त आ जाते हैं। अग्नि की ज्वालाओं से एक क्षण में ही राख की ढेरी बन जाते हैं। लकड़ी जैसा ठोस पदार्थ न तो शीघ्र आग ही पकड़ता है और न ही जलकर तुरन्त राख ही बनता है। वह तो जलकर भी ठोस कोयलो के रूप में रहता है। लकड़ी, तिनको की अपेक्षा ठोस होती है। सब लकड़ियाँ भी एक सरीखी नहीं होती। कुछ अधिक ठोस होती हैं तो कुछ कम। गजसुकुमाल के स्तवन में आता है इसका प्रसंग

“खेरा ना खीरा सिर धरिया असरालो।

मुनि नजर न खडी मेटी मन नी भालो ॥”

गजसुकुमाल मुनि पर खेर की लकड़ी के खीरे धरे गये थे। खेर की लकड़ी बड़ी दृढ़ और पक्की होती है। हमशान भूमि में शवों को बड़ी पक्की लकड़ी से जलाया जाता है जिससे कि उसके खीरे जल्दी से बुझने न पायें। इससे शव का दाह पूरी तरह से हो जाता है, उसका अवशेष बचने नहीं पाता। खेर के समान और भी ऐसे पदार्थ हैं जो इतने ठोस और घन हैं कि जिनको जलाने के लिए अग्नि की अधिक मात्रा की आवश्यकता पडा करती है। अमुक-अमुक पदार्थों को जलाने और गलाने के लिए निश्चित डिग्री की हीट की अपेक्षा रहती है। लोहे की भट्टियाँ, तावे की भट्टियाँ और सोने की भट्टियाँ में धातुओं की शुद्धि निमित्त रज कणों के पृथक्करण के लिए धातु की ठोस

या कोमल प्रकृति को ध्यान में रखकर हीट दी जाती है। ठोस पदार्थ के सामने तो कई बार आग स्वयं बुझ जाती है और उस पदार्थ का कुछ भी नहीं विगाड़ सकती। उदाहरण के लिए सीमेंट और ककरीट के बने या पत्थर के बने फर्श पर आप जलता हुआ खीरा लाकर रख दें, वह ठोस फर्श का कुछ भी नहीं विगाड़ सकेगा और स्वयं बुझकर राख बन जायेगा। तो हमारा कहने का आशय यही है कि ठोस पदार्थ को आँच लगती वड़ी कठिन है। ससार में सत्य से बढ़कर कोई ठोस तत्त्व या पदार्थ नहीं है।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सत्य की शक्ति के सामने अन्य सभी शक्तियाँ कुठिन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्रोध असत्य है और क्षमा की भावना सत्यपूर्ण है। जिसके पास क्षमा रूपी सत्य का शस्त्र है उसके सामने दुर्जन का क्रोध कुण्ठित हो जाता है। तभी तो किसी नीतिकार ने कहा है

“क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जनं किं करिष्यति ?”

जिस व्यक्ति ने क्षमारूपी तलवार को धारण कर रखा है उसके सामने दुर्जन का क्रोध क्या कर सकता है? लोहे की तलवार को धारण करने वाला तो स्वयं अपना विनाश भी उसी तलवार से कर सकता है, किन्तु क्षमा की तलवार को धारण करने वाले को तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। क्रोध से क्रोध टकराता है तो हानि होती है, जब क्रोध से क्षमा टकराती है तो क्रोध स्वयं शान्त हो जाता है। घास-फूस-विहीन स्थान में फँकी हुई अग्नि स्वयं ही शान्त हो जाती है

“अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति”

इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि सत्य के समक्ष सब शक्तियाँ सारहीन हो जाती हैं।

जैसा कि हमने पहले निर्देश किया है सम्यक्त्व में सचाई और अच्छाई दोनों का सामंजस्य है। हमारे मस्तिष्क में यदि सचाई होगी तो विश्व-भर में जितने भी पदार्थ हैं उनका वास्तविक स्वरूप हमको दृष्टिगोचर होगा। विश्व के पदार्थों की वास्तविकता का दर्शन मस्तिष्क की सचाई का ही परिणाम होता है। ससार के दृश्यमान पदार्थ विनाशशील हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो विनाशशीलता की परिधि में न आकर स्थिर रहने वाले हैं। इस प्रकार सब पदार्थों का आन्तरिक रहस्य जानने और समझने से हमारे मस्तिष्क में सत्य की पुष्टि होती है। सत्य की पुष्टि होने के पश्चात् हमें न तो किसी भी पदार्थ पर क्रोध आयेगा, न ईर्ष्या होगी और न ही द्वेष की भावना जागृत होगी। इससे हमारे मन में स्थिरता आ जायेगी और हम स्थिरमति बन

जायेंगे। स्थिरमति की स्थिति में कोई भी दूसरा व्यक्ति या अन्यमति यदि हमको सचाई और अच्छाई से विचलित करना चाहेगा, हटाना चाहेगा तो वह सफल नहीं हो सकेगा। उसका कुछ भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकेगा। हम यदि ऐसे वातावरण में रह रहे हों जहाँ विपरीत-विचारों की आँधी चल रही हो, विरोधी तत्त्वों का सघर्ष चल रहा हो तो भी हमको किसी प्रकार की आँच इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि हमने सचाई को परखकर उस पर अपने को दृढ़ कर रखा है। विश्व-भर के पदार्थों की प्रकृति से हम भलीभाँति परिचित हो चुके हैं और अपने स्वभाव की वास्तविकता को भी हम भलीभाँति जान चुके हैं। हमने अपने स्वभाव पर भी बहुत चिन्तन-मनन किया है। जब ससार के सब पदार्थों का स्वभाव अपनी विशिष्टता रखता है तो हमारे स्वभाव की भी तो अपनी विशेषता है—यह बोध हमको हो चुका है। हमारे जीवन में ससार के अनेक पदार्थ हमारे सामने आते हैं। अपने-अपने आकषण व प्रभाव से वे हमें उत्तेजित व प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। यह उनका स्वभाव है। वे अपने स्वभाव का प्रभाव जब हम पर डालना चाहते हैं, उस समय उनके प्रभाव से अपनी रक्षा के लिए हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमारा भी तो स्वभाव है, हम अपने स्वभाव का त्याग क्यों करें? जैसे ये पदार्थ अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते, वैसे मैं भी अपने स्वभाव का त्याग क्यों करूँ—ऐसी चिन्तनधारा होनी चाहिए और होती है सत्य के अनुयायी की। क्या आप बतायेंगे कोई ऐसा पदार्थ जो अनेक विषमताओं और बाधाओं के मध्य में भी अपने स्वभाव को स्थिर रखता हो? इसके लिए आपमें से एक श्रावक ने चन्दन वृक्ष का उदाहरण दिया है। चन्दन का वृक्ष अनेक विपत्तियों भयानक नागों से घिरा रहकर भी अपनी सुगन्धि का, जो उसका स्वभाव है, प्रसार करता रहता है। यह उदाहरण बराबर नहीं है, इसका कारण है कि चन्दन की लकड़ियों का भी यदि पारस्परिक सघर्ष हो जाये तो अग्नि प्रकट हो जाती है। स्वभाव की वास्तविक स्थिरता का उदाहरण पानी का है। पानी के घड़े के उदाहरण से आप बड़ी सरलता से स्वभाव की स्थिरता को समझ सकते हैं। मिट्टी से निर्मित एक पानी का भरा हुआ घड़ा है। खिड़की के अन्दर उसे रखा है। ग्रीष्म की ऋतु है, चारों ओर जलती हुई लू के भोंके चल रहे हैं। ऐसे तप्त लू के भोंके कि मकान तक आग उगल रहे हैं। ऐसी भयानक तपस में पानी का घड़ा, जिस पर पानी से भीगा गरमा लपेट रखा है, ज्यों-ज्यों लू की अधिकधिक गरमी पाता है त्यों-त्यों अन्तर्निहित जल की शीतलता को बढ़ाता जाता है। कितनी भयानक तपस से आक्रान्त है जल किन्तु तब भी अपने वास्तविक स्वभाव में विषमता नहीं आने देता। इसको कहते हैं अपने स्वभाव की स्थिरता। पानी का स्वभाव या पानी का गुण शीतलता है, पानी अपने स्वभाव का कभी त्याग

नहीं करता। कोई इस प्रकार की शका कर सकता है कि पानी को आग पर चढ़ाने से वह इतना भयानक रूप से उबलने लगता है कि यदि किसी पर उसका एक छीटा भी पड़ जाये तो चमड़ी जल जाती है और छाले उठ जाते हैं। उस समय कहीं चला जाता है उसकी शीतलता का स्वभाव? इस शका का यही समाधान है कि जल तपकर और उबलकर भी अपने शीतलता के स्वभाव का त्याग नहीं करता है। उस उबलते हुए जल को यदि जलती हुई अग्नि पर डाल दिया जाये तो वह अपने शीतलता के गुण से उसको शान्त कर देता है, बुझा देता है। इससे स्पष्ट है कि पानी ने जलकर भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा है। जलनी अग्नि पर डाला गया खीलता हुआ पानी इस प्रकार पानी का ही काम करता है, घासलेट या पेट्रोल का नहीं। यह सब स्वभाव का ही चमत्कार है। इस ससार में जिनकी भी वस्तुएँ हैं, उन सबका वास्तविक स्वरूप सम्यक्त्व ही जानने में समर्थ हो सकता है। मिथ्यात्वी लोगो के लिए यह संभव नहीं है। इसका कारण है कि मिथ्यात्वी लोग शास्त्र-श्रवण और शास्त्र-वाचन से सदा वंचित रहते हैं। शास्त्रों में उनकी रुचि ही कहीं होती है?

हमारे शास्त्र तो सर्वज्ञों की वाणी है। जो ससार की सब बातों को जानने वाले हो, ससार की कोई भी बात जिनकी जानकारी से अछूती न रही हो, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। वे भूत, भविष्यत्, वर्तमान—तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते हैं। ऐसे सर्वज्ञों की वाणी के बाहर दुनियाँ का कोई भी तत्त्व नहीं रहता। आपको ससार का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप शास्त्रों का अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, उनका चिन्तन करो, मनन करो। जिन श्रावकों का मन दिन-रात सर्वज्ञों की वाणी में रमण करता रहता है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, उन सम्यक्त्वो पुरुषों में सचाई और अच्छाई दोनों बातें निवास करती हैं। ऐसा ससार का चिन्तनशील व्यक्ति ही अपने स्वभाव को ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसमें यह भावना उत्पन्न होती है कि जब ससार के अन्य पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूँ? ससार के सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या है यदि स्वयं देवता भी आ जाये तो भी उसको उसके स्वभाव से विचलित नहीं कर सकते। देव, दानव, मानव—कोई भी उनके मन के समेरु को नहीं डिगा सकता। इसका मुख्य कारण यही है कि उनका जीवन सत्य पर आधारित होता है। सभी वस्तुओं का ज्ञान उनको पहले ही हो जाता है। इसलिए उनको आँच नहीं आती। साँच को आँच कैसे लग सकती है? ज्ञानी पुरुष बार-बार यह कह रहे हैं कि मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और ज्ञान के माध्यम से विश्व की वस्तुओं की वास्तविकता को समझना चाहिए। यह कहना कि इनने बड़े विश्व में असह्य

वस्तुओं का बोध अकेला व्यक्ति कैसे कर सकता है—सागहीन है। विश्व के सभी पदार्थों का ज्ञान आपको एक वाक्य से कराया जा सकता है। वह वाक्य है 'ससार के अन्दर सभी पदार्थों का अस्तित्व है।' वे सब पदार्थ क्या हैं और क्या नहीं हैं, इस बात को जानने से पूर्व दो बातें स्पष्ट जानने में आती हैं। वे हैं कि विश्व के सभी पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं एक तो जड़, दूसरे चेतन। तीसरा कोई भाग नहीं है। जड़ और चेतन भागों में ससार के सब पदार्थों का समावेश हो जाता है। जड़ पदार्थों में भी—विनाशी और अविनाशी—ये दो तरह के पदार्थ हैं। जो नाशवान् हैं वे विनाशी कहलाते हैं और जो स्थिर रहनेवाले हैं वे नित्य या अविनाशी कहलाते हैं। जो भी पदार्थ हमारी इन्द्रियों के गोचर हैं, वे निश्चितरूप से नाशवान् हैं। दृश्यमान सभी पदार्थ नाशवान् होते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है वह वस्तु का स्थूल रूप होता है, स्थूल रूप का नाश अवश्यभावी होता है। स्थूल वस्तु का कुछ नाम अवश्य होता है, जिसका नाम होता है, वह वस्तु नाशवान् होती है। 'जेनु नाम तेनु नाश' यह कहावत भी प्रसिद्ध है। धूप और छाया आदि जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वे सब पदार्थ के स्थूल रूप ही हैं। पदार्थों का परमाणुओं के रूप में जो सूक्ष्मरूप है वह तो हमको दिखाई नहीं देता। परमाणु अविनाशी होते हैं। इस प्रकार जड़ पदार्थों में परमाणु नाशवान् नहीं होते। बाकी जो भी परमाणु के पिण्ड की बनावट है, परमाणुओं के स्कन्ध हैं जिनको हम देख रहे हैं उन सबका नाश हो जाता है। देवताओं के विमान, सुमेरु पर्वत आदि-आदि और भी जो वस्तुएँ शाश्वतिक हैं उनमें से भी पुराने परमाणु निकलते रहते हैं और नये परमाणु पुद्गल जुड़ते रहते हैं। जैसे वे होते हैं वैसे सदा नहीं रहते। समय-समय पर उनकी पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं। हमारे शरीर की पर्यायें भी समय-समय पर पलटती रहती हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि हमारी बदलने वाली पर्यायें विनाशोन्मुखी होती हैं, उनका विनाश किसी न किसी दिन अवश्यभावी होता है। शरीर की दृष्टि से शाश्वत पदार्थों की पर्यायें जो पलटती हैं वे वर्तमान की पर्याय से दूसरी पर्याय में जाकर दूसरे पुद्गलों की पूर्ति कर देती हैं। हम तो भरतक्षेत्र में रहते हैं, भरतक्षेत्र की कोई भी वस्तु शाश्वतिक नहीं है। इस प्रकार का सारा ज्ञान जिसका विवरण हमने ऊपर प्रस्तुत किया है, ज्ञानी पुत्रों के कथनानुसार, सम्यक्त्वो को होता है। सम्यक्त्वो ही ऐसा सोचा करता है कि, 'मैं तो ससार के उन पदार्थों में से हूँ जो अविनाशी हैं। मैं अविनाशी होकर क्यों किसी से राग-द्वेष करूँ? मैं अपने स्वभाव का त्याग क्यों करूँ? भले ही शरीर की दृष्टि से मैं विनाशी हूँ, किन्तु मैं वास्तव में शरीर तो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मिक दृष्टि से मैं अवि-

नहीं करता। कोई इस प्रकार की शका कर सकता है कि पानी को आग पर चढ़ाने से वह इतना भयानक रूप से उबलने लगता है कि यदि किसी पर उसका एक छोटा भी पड जाये तो घमडी जल जाती है और छाले उठ जाते हैं। उस समय कहाँ चला जाता है उसकी शीतलता का स्वभाव? इस शका का यही समाधान है कि जल तपकर और उबलकर भी अपने शीतलता के स्वभाव का त्याग नहीं करता है। उस उबलते हुए जल को यदि जलती हुई अग्नि पर डाल दिया जाये तो वह अपने शीतलता के गुण से उसको शान्त कर देता है, बुझा देता है। इससे स्पष्ट है कि पानी ने जलकर भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा है। जलनी अग्नि पर डाला गया खीलता हुआ पानी इस प्रकार पानी का ही काम करता है, घासलेट या पेट्रोल का नहीं। यह सब स्वभाव का ही चमत्कार है। इस ससार में जिनकी भी वस्तुएँ हैं, उन सबका वास्तविक स्वरूप सम्यक्त्व ही जानने में समर्थ हो सकता है। मिथ्यात्वी लोगों के लिए यह सभव नहीं है। इसका कारण है कि मिथ्यात्वी लोग शास्त्र-श्रवण और शास्त्र-वाचन से सदा वंचित रहते हैं। शास्त्रों में उनकी रुचि ही कहाँ होती है?

हमारे शास्त्र तो सर्वज्ञ की वाणी है। जो ससार की सब बातों को जानने वाले हों, ससार की कोई भी बात जिनकी जानकारी से अछूती न रही हो, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। वे भूत, भविष्यत्, वर्तमान—तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते हैं। ऐसे सर्वज्ञों की वाणी के बाहर दुनियाँ का कोई भी तत्त्व नहीं रहता। आपको ससार का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप शास्त्रों का अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, उनका चिन्तन करो, मनन करो। जिन श्रावकों का मन दिन-रात सर्वज्ञों की वाणी में रमण करता रहता है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, उन सम्यक्त्वी पुरुषों में सचाई और अच्छाई दोनों बातें निवास करती हैं। ऐसा ससार का चित्तनशील व्यक्ति ही अपने स्वभाव को ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसमें यह भावना उत्पन्न होती है कि जब ससार के अन्य पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूँ? ससार के सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या है यदि स्वयं देवता भी आ जाये तो भी उसको उसके स्वभाव से विचलित नहीं कर सकते। देव, दानव, मानव—कोई भी उनके मन के समेरु को नहीं डिगा सकता। इसका मुख्य कारण यही है कि उनका जीवन सत्य पर आधारित होता है। सभी वस्तुओं का ज्ञान उनको पहले ही हो जाता है। इसलिए उनको आँच नहीं आती। साँच को आँच कैसे लग सकती है? ज्ञानी पुरुष बार-बार यह कह रहे हैं कि मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और ज्ञान के माध्यम से विश्व की वस्तुओं की वास्तविकता को समझना चाहिए। यह कहना कि इनने बड़े विश्व में असरय

वस्तुओं का बोध अकेला व्यक्ति कैसे कर सकता है—सागहीन है। विश्व के सभी पदार्थों का ज्ञान आपको एक वाक्य से कराया जा सकता है। वह वाक्य है 'ससार के अन्दर सभी पदार्थों का अस्तित्व है।' वे सब पदार्थ क्या हैं और क्या नहीं हैं, इस बात को जानने से पूर्व दो बातें स्पष्ट जानने में आती हैं। वे हैं कि विश्व के सभी पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं एक तो जड़, दूसरे चेतन। तीसरा कोई भाग नहीं है। जड़ और चेतन भागों में ससार के सब पदार्थों का समावेश हो जाता है। जड़ पदार्थों में भी—विनाशी और अविनाशी—ये दो तरह के पदार्थ हैं। जो नाशवान् है वे विनाशी कहलाते हैं और जो स्थिर रहनेवाले हैं वे नित्य या अविनाशी कहलाते हैं। जो भी पदार्थ हमारी इन्द्रियों के गोचर हैं, वे निश्चितरूप से नाशवान् हैं। दृश्यमान सभी पदार्थ नाशवान् होते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है वह वस्तु का स्थूल रूप होता है, स्थूल रूप का नाश अवश्यभावी होता है। स्थूल वस्तु का कुछ नाम अवश्य होता है, जिसका नाम होता है, वह वस्तु नाशवान् होती है। 'जेनु नाम तेनु नाश' यह कहावत भी प्रसिद्ध है। धूप और छाया आदि जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वे सब पदार्थ के स्थूल रूप ही हैं। पदार्थों का परमाणुओं के रूप में जो सूक्ष्मरूप है वह तो हमको दिखाई नहीं देता। परमाणु अविनाशी होते हैं। इस प्रकार जड़ पदार्थों में परमाणु नाशवान् नहीं होते। बाकी जो भी परमाणु के पिण्ड की वनावट है, परमाणुओं के स्कन्ध है जिनको हम देख रहे हैं उन सबका नाश हो जाता है। देवताओं के बिमान, सुमेरु पर्वत आदि-आदि और भी जो वस्तुएँ शाश्वतिक हैं उनमें से भी पुराने परमाणु निकलते रहते हैं और नये परमाणु पुद्गल जुड़ते रहते हैं। जैसे वे होते हैं वैसे सदा नहीं रहते। समय-समय पर उनकी पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं। हमारे शरीर की पर्यायें भी समय-समय पर पलटती रहती हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि हमारी बदलने वाली पर्यायें विनाशोन्मुखी होती हैं, उनका विनाश किसी न किसी दिन अवश्यभावी होता है। शरीर की दृष्टि से शाश्वत पदार्थों की पर्यायें जो पलटती हैं वे वर्तमान की पर्याय से दूसरी पर्याय में जाकर दूसरे पुद्गलों की पूर्ति कर देती हैं। हम तो भरतक्षेत्र में रहते हैं, भरतक्षेत्र की कोई भी वस्तु शाश्वतिक नहीं है। इस प्रकार का सारा ज्ञान जिसका विवरण हमने ऊपर प्रस्तुत किया है, ज्ञानी पुरुषों के कथनानुसार, सम्यक्त्वों को होता है। सम्यक्त्वों ही ऐसा सोचा करता है कि, 'मैं तो ससार के उन पदार्थों में से हूँ जो अविनाशी हैं। मैं अविनाशी होकर क्यों किसी से राग-द्वेष करूँ? मैं अपने स्वभाव का त्याग क्यों करूँ? भले ही शरीर की दृष्टि से मैं विनाशी हूँ, किन्तु मैं वास्तव में शरीर तो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मिक दृष्टि से मैं अवि-

नाशी हूँ, इसलिए मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। निःसन्देह मैं अविनाशी पद अभी तक प्राप्त नहीं कर सका हूँ किन्तु उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। अविनाशी पद को प्राप्त करने हेतु मेरे लिए यह परमावश्यक है कि मैं अपने स्वभाव से कभी भी पतित न होऊँ। मुझे मेरे स्वभाव से विचलित करने वालों की ससार में कोई भी कमी नहीं है। शास्त्रों में यत्र-तत्र प्रसंग आते हैं कि प्राचीन समय में साधुओं को और श्रावकों को उनके धर्म से डिगाने के लिए अनेक शक्तियाँ आईं किन्तु जो डिगे नहीं, अविचल रहे वे ससार-सागर को पार कर गए।'

अरणक का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे भगवान् मल्ली के शासन-काल के श्रावक थे। भगवान् मल्ली उन्नीसवें तीर्थंकर थे। अरणक श्रावक का जहाज अबाध गति से समुद्र पर चला जा रहा था। वह बड़ा प्रसिद्ध सार्थवाह माना जाता था अपने समय का। हजारों व्यापारी, भिन्न-भिन्न नगरों के, व्यापार-निमित्त उसके जहाज में विराजमान थे। सैकड़ों मुनीम और नौकर-चाकर सेवा के लिए जहाज में थे। बड़ा ही सम्पन्न साथवाह था अरणक। धर्म का आचरण जब भरे पूरे सम्पन्न व्यक्ति करते हैं तो उनका बाहर के लोगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने आत्मा का कल्याण तो वैसे सामान्य व्यक्ति भी कर ही लेते हैं किन्तु बड़े आदमी निज के आत्म-कल्याण के साथ अन्य भी अनेक लोगों को आत्मकल्याण के लिए प्रेरित कर देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। जब अरणक श्रावक का जहाज समुद्र में से गुजर रहा था, उस समय देवलोक में इन्द्र ने अपने पास बैठे हुए देवताओं से कहा, "आज के दिन मनुष्यलोक में जैसा अरणक श्रावक अपने धर्म में दृढ़ है, वैसा दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन है।" सुनने वाले देवताओं में से एक देव के मन में विचार आया, "अन्न का कीड़ा और मलमूत्र का पुतला मनुष्य क्या इतनी बात पर दृढ़ रह सकता है? मैं अभी जाकर उसको विचलित कर देता हूँ। वापिस आकर इन्द्र से कहूँगा कि तुम्हारे द्वारा प्रशंसित व्यक्ति की क्या दशा है।" वह भयंकर रूप बनाकर जहाज के पास आया। सात खण्ड का जहाज था वह। सबसे ऊपर की मजिल पर अरणक बैठा था। नीचे के कुछ खण्डों में मालताल भरा था और कुछ में साथी व्यापारी भरे थे। यह जहाज इतना विशाल था कि अच्छा-खासा नगर-सा प्रतीत होता था। जहाज के पास खड़े एक विचित्र एव भयानक व्यक्ति की ओर दृष्टि गई अरणक की। उस व्यक्ति ने अरणक से कहा, "अरणक! तू ऐसा कह दे कि तेरा धर्म खोटा है, खोटा कहकर इसका त्याग भी कर दे। ऐसा यदि तू नहीं करेगा तो तेरा जहाज मैं अभी समुद्र में गर्क कर दूंगा।"

"अरे भाई, यह भी कोई बात है? तुमको मेरा धर्म छुड़ाने से क्या मिल

जायेगा ? यदि तेरी आज्ञा को नहीं मानूँगा तो तू मेरे जहाज को समुद्र में डुबो देगा । तेरा मेरे जहाज के साथ क्या सम्बन्ध है ? मेरे धर्म में हस्तक्षेप करने वाला तू कौन होता है ? बड़ी विचित्र बात कर रहा है तू ।”

अरणक ने दृढ़ता से उत्तर दिया ।

देवता ने क्रोध में आकर कहा, “मैं ऐसी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ । जिसकी लाठी उसकी भैंस’ हम तो इस बात को मानने वाले दैत्य हैं । हम जैसा चाहे वैसा खेल मनुष्यों के साथ खेल सकते हैं । अपना मन बहलाने के लिए हम जो चाहे कर सकते हैं ।”

“यहाँ कोई खेलने की वस्तु नहीं है । धर्म को खेल की वस्तु बताने वाले तेरे तो शब्दों को भी मुनना मैं पसन्द नहीं करता, धर्म के त्याग करने की बात तो बहुत दूर की है ।”

अरणक ने नहले पर दहला मारते हुए देवता को उत्तर दिया ।

“अरे तुम मेरे सामने इतना गर्व, इतना अभिमान करते हो और अपनी हेकड़ी दिखाते हो, मानते हो या नहीं ?” ऐसा कहते हुए उसने जहाज को ऊपर उठा लिया । भय दिखाते हुए बोला, “जल्दी कहो कि तुम अपने धर्म का त्याग करते हो, वरना हाथ को हिलाने की देर है कि तुम समुद्र-तल पर पहुँच जाओगे ।”

“तुम्हें कौन कहता है कि तुम अपने हाथ को मत हिलाओ, तुम, जो जी चाहे, कर सकते हो, मैं किसी स्थिति में भी धर्म का त्याग करने वाला नहीं हूँ ।” अरणक ने कडाके से देव को उत्तर दिया ।

उस समय अरणक के पास हजारों जहाज के यात्री बैठे हुए थे । वे भय के मारे काँपने लगे । सबको यह भय लग रहा था कि वह दैत्याकार प्राणी सबको समुद्र में गर्क कर देगा । सब यात्री एक वाणी में अरणक से कहने लगे, “सेठ साहब ! क्या बात कह रहे हो, आप नहीं कहते तो हम सब कह देते हैं ।” सबने सम्मिलित स्वर में कह दिया, “लो भाई, हम सब अपना धर्म छोड़ देते हैं, हमारे प्राणों को तुम खतरे में मत डालो ।”

“तुमसे पूछता ही कौन है ? तुम्हें बीच में हस्तक्षेप करने को कहा किसने है ? तुम्हारी हस्ती ही क्या है ? मैं सार्थवाह से बात कर रहा हूँ । जहाज के सर्वेसर्वा तो ये हैं, सारा काम इन्हीं के इशारे पर चलता है ।”

देव ने कठोर शब्दों में सब जहाज यात्रियों को घमकाते हुए कहा ।

“मैं अपने धर्म का कदापि त्याग नहीं कर सकता और न ही इसे खोटा ही कह सकता हूँ । खोटा तो तब कहूँ यदि मैं इसको खोटा समझूँ ।” अरणक ने

तुम्हारा धर्म खोटा है।" देव ने पुन सार्थवाह से आग्रह किया ।

अरणक ने बड़ी दृढता से उत्तर देते हुए कहा, "यदि मैं अपने धर्म को खोटा समझता तो इसको धारण ही क्यों करता ? आप मेरे मुख से धर्म के विरुद्ध शब्द त्रिकाल में भी नहीं सुन सकते । मैं जिस धर्म को धारण कर रहा हूँ, उस धर्म को मवश्रेष्ठ समझता हूँ । विश्व में धर्म की समानता करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है । धर्म तो आत्मा को परमात्मा बनाने वाला तत्त्व है । धर्म की आराधना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके शरीर का एक-एक वण, जो अपवित्र है वह, पवित्र बन जाता है । तुम धर्म के महत्त्व को समझते नहीं हो । धार्मिक लोगो का तो पसीना भी औषधि का काम करता है । उनके तो पसीने के स्पर्श से भी अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं । ऐसे धर्म को तू खोटा कह रहा है । मुझे तो तेरी धारणा पर आश्चर्य ही रहा है ।"

सेठ की बात को सुनकर हज़ारों जहाजयात्रियों ने पुन एकस्वर में सेठ से कहा, "सेठ साहब ! आप हमारी सबकी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो ? आप अपनी जिद्द को छोड़ दो, अन्यथा हम सब मौत के ग्रास बन जायेंगे । कहने मात्र से तो धर्म को कोई धक्का लगने वाला नहीं है । आप अपने मन से धर्म को जैसा चाहो समझो । केवल आपकी जबान से हम सबके प्राण बच जायेंगे । और आप पाप के भागी नहीं बनेंगे, अन्यथा हमारी हत्या का पाप आपको लगेगा ।"

अरणक ने सबको समझाते हुए कहा, "मैं पाप का भागी बनने वाला नहीं हूँ । पाप उसको लगता है जो किसी को मारता है । जो किसी को मारता नहीं है, उसको भला पाप कैसे लगेगा ? यदि कोई अपनी बात को मनवाने के लिए बल का भी प्रयोग करेगा तो उसकी भी मैं परवाह करने वाला नहीं हूँ । अच्छे कर्मों से डिगाने वालों की ससारा में कोई भी कमी नहीं है । यदि मनुष्य डिगाने वालों से भयग्रस्त होता रहेगा तब तो वह कभी भी धर्म का आराधन कर ही नहीं सकता । पाप का भागी तो हिंसा की भावना वाला होता है । जो मन से, वाणी से और कर्म से किसी का बुरा सोचता ही नहीं है, उसको किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं कर सकता । यदि किसी के आयुष्य का अन्त ही आ जाये तो उसको तो कोई बचा भी नहीं सकता । यदि इस प्राणी के द्वारा ही तुम्हारी जीवन-लीला समाप्त होनी है, तो उसको मैं तो क्या कोई भी टाल नहीं सकता । मैं तो टालने वाला नहीं हूँ, मेरी स्वयं की भी मृत्यु तुम्हारे साथ ही हो जायेगी । यदि तुम्हारी और हमारी मृत्यु का योग नहीं है, तो यह क्या इसकी सात पीढी भी उठकर आ जाये तो हमारे में से किसी का भी बाल बाँका नहीं कर सकती । तुम सब निश्चिन्त रहो और सर्वज्ञ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जायेगा । आपत्तिकाल में प्रभु का चिन्तन, साहस और सहनशीलता रक्षा करते

हैं।”

इस प्रकार मौत के कगार पर खड़ा होने पर भी अरणक सार्थवाह के मन में या आत्मप्रदेश में धर्म के प्रति तनिक भी शिथिलता नहीं आयी। परिणाम-स्वरूप देवता अरणक के सामने घुटने टेक देता है, और जहाज को स्थिर कर देता है। अपने वास्तविक रूप को प्रकट करके देवता ने अरणक के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा, “देवलोक में इन्द्र महाराज आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, वास्तव में जैसी उन्होंने प्रशंसा की थी आप उस प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे तो किंचित् भी विश्वास नहीं था कि एक मनुष्य जाति का प्राणी भयानक भय के आने पर भी अपने धर्म में इतना अडिग रह सकता है जितने आप रहे हैं। मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी और आप उस परीक्षा में सही उतरे।”

देवता की बात को सुनकर भी अरणक के मन में किसी प्रकार का अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ। अभिमान सम्यक्त्व की को नहीं आया करता, कारण कि वह भलीभाँति जानता है कि ससार के सभी पदार्थ नाशवान्त हैं। परिवार, धन, शरीर, रूप सभी तो नष्ट होने वाले हैं, मात्र एक आत्मा अविनाशी है जो अपने शुद्धस्वरूप में अहंकारादि विकारों से सदा परे रहता है।

इस प्रकार सम्यक्त्व की व्यक्ति को जिसके मस्तिष्क में सचाई और अच्छाई का सामजस्य रहता है किसी भी प्रकार की जीवन में आँच नहीं आती। ‘साँच को आँच नहीं,’ जो इस सत्यानुप्राणित सूत्र को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है, उसकी यशोगाथा ससार में सदा अमर रहती है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

११ अगस्त, १९७६



होनहार भी हितकर होती

शाश्वत सुखो की उपलब्धि सम्यक्त्व ही कर सकता है, मिथ्यात्व ही नहीं। जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, सम्यक्त्व का अर्थ है-सचाई और अच्छाई। यदि कोई यह कहे कि जहाँ सचाई होती है वहाँ तो अच्छाई होती ही है, फिर एक सचाई से ही काम चल जाता, साथ में अच्छाई जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर है कि एक से काम नहीं चल सकता। अकेली सचाई तो कभी-कभी व्यवहार में भी खरी नहीं उतरती। तभी तो नीतिकार कहते हैं

“सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्”

अर्थात्—सत्य बोलो परन्तु प्रिय या मीठा सत्य बोलो। सुनने वाले को अच्छा लगने ऐसा ही बोलो। यह ऐकात्मिक युक्ति भी निर्दोष नहीं है। यदि इसको माना जायेगा, तो कपट चलेगा, धोखा चलेगा ससार में। ससार को अच्छा क्या लगता है? हमारे गुरु महाराज फरमाया करते थे

“साँच मिरचाँ कूड गूड,
 पइसो परमेसर लुगाईं गुर।”

ससार में चार चीजें चलती हैं। सत्य तो सुनने वाले को मिरच के समान तीखा लगता है। सत्य बोलने से सुनने वाले नाराज हो जाते हैं। मारवाड़ी भाषा में कहावत है

“साच केवे जणा माँ ही माथा मे देवे”

कूड गुड के समान मीठा लगता है। कूड शब्द का अर्थ समझने योग्य है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कूड भूठ को कहते हैं किन्तु यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। कूड शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के कूट शब्द से हुई है। कूट से ही कूटनीति शब्द भी बनता है। कूट शब्द का प्राकृत में कूड बनता है। प्रतिक्रमण में भी कूड शब्द आता है। “कूडा-तोल भाप कीघा होय तो ” ‘कूट

तुला मान'। तुला—यानी तोलना, माप यानी मापना। तोलना वजन के हिमाव से होता है और मापना लम्बाई के हिसाब से। इस प्रकार कूट शब्द का अर्थ हुआ नकली, असली नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है

पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे,
अयत्तिए कूड-कहावणे वा ।
राढामणी वेरुलियप्पगासे,
अमहग्घए होइह जाणएसु ॥

कोई व्यक्ति मुट्ठी बन्द करके रोते हुए बालक को फुसलाने के लिए कहता है, "लो तुम्हें कुछ दूँ।" मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं होता किन्तु बालक सोचता है कि मुट्ठी में कुछ न कुछ वस्तु अवश्य है यदि मैं रोना बन्द कर दूँगा तो मुझे मिल जायेगी। बच्चा व्यक्ति की बात में आकर चुप हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार खाली मुट्ठी में कुछ भी सार नहीं है, असार है, लोक में कहावत भी प्रचलित है कि "बँधी मुट्ठी लाख की, खोल दी तो खाक की", और 'अयत्तित कूट कार्पाण' अर्थात् यत्र के अन्दर नहीं गया हुआ सिक्का। यत्र से अभिप्राय यहाँ टकसाल से है जहाँ सिक्को का निर्माण हुआ करता है। ऐसा सिक्का जो वजन में और आकार में टकसाल के सिक्के जैसा ही हो किन्तु टकसाल में निमित्त न होते हुए भी बाजार में चल रहा हो, वह नकली सिक्का कहलाता है। इस सिक्के को कूट—अर्थात् नकली सिक्का कहते हैं।

'राढामणी वेरुलियप्पगासे' राढामणी काच के टुकड़े को कहते हैं। काच के टुकड़े को मणि का रूप दे दिया गया हो, वैडूर्यमणि का सा ही उमका रग और प्रकाश हो, किन्तु

“अमहग्घए होइ ह जाणएसु”

पारखी के सामने वह बहुमूल्य नहीं बन सकता, उक्त वस्तुओं की वास्तविकता को जानने वालों के सामने उनका कोई मूल्य नहीं होता। इस प्रकार कूड शब्द का शास्त्र प्रतिपादित अर्थ होता है नकली, बनावटी। किसी की बनावटी तौर से प्रशंसा की जाये तो वह प्रसन्न हो जाता है। उसको वह प्रशंसा गुड के समान मीठी लगती है। इसीलिए कहा है 'साच मिरचाँ, कूड गुड'।

इसी प्रकार पैसे को भी लोग परमेश्वर समझते हैं। जैसे परमेश्वर की आराधना करते समय किसी का लिहाज नहीं रखा जाता, न तो वह अपने परिवार की परवाह करता है और न ही अपने शरीर की, इसी प्रकार धन की आराधना करने वाले लोग ससार की तो क्या अपने सगे से सगे सम्बन्धियों

की भी परवाह नहीं करते। घनार्जन करने समय अपने शरीर की भी सुध बुध उनको नहीं होती। वे यही सोचा करते हैं कि क्या रखा है सगे सम्बन्धियों में, पैसा पास होगा तो काम आयेगा, सगे-सम्बन्धी भी पैसे के यार है। ना घन के मनुष्य को कौन पूछता है। अपने जीवन को बड़े से बड़े खतरे में डालकर वे घनार्जन किया करते हैं। बस, पास में पैसा होना चाहिए यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है

“पास में होगा नाणा,
तो परणीजेगा बीद काणा”

“पास होवेगा रोकडा,
तो परणीज जावेगा डोकरा”

“नहीं तो मुंह देखता रेवेला छोकरा”

और भी

“रूपचन्द जी होवे पल्ले,
चारो दिशा में उणरी चल्ले”

“कने होवे चन्दगी, तो लोग बजावे बदगी”

इन लोकोक्तियों में पैसे का कितना महत्त्व प्रकट किया गया है, आप स्वयं विचार सकते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि पैसे को भी लोग परमेश्वर मानते हैं। चार बातों में से तीन की रूपरेखा तो आपके सामने प्रस्तुत कर दी गयी। अब चौथी बात है ‘लुगाई गुरु।’ हम तो यह सोचा करते हैं कि आप हमारे चले हैं, हम हैं आपके गुरु, किन्तु वास्तव में तो आपके गुरु आपकी लुगाइयाँ हैं। हम कोई आदेश दे तो, “बाप जी, कल परसो करेगे” और घर की गुरुणी आज्ञा दे दे तो काम शाम से पहले ही आपको करना पड़ता है, न करो तो शाम की रोटी नसीब होने की सम्भावना नहीं रहती।

हाँ, तो हमारी तो सम्यक्त्व की व्याख्या चल रही थी। हम ब्रता रहे थे कि सचाई और अच्छाई का सामंजस्य ही सम्यक्त्व है। कोई भी सचाई जिसमें अच्छाई का अभाव है सम्यक्त्व की प्रतीक नहीं बन सकती। कोई अच्छाई जिसमें सचाई का अभाव है सम्यक्त्व नहीं बन सकती। यदि हम यह धारणा बना लें कि हमें तो सबको प्रसन्न रखना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है तब तो हमें प्रसन्न रखने के लिए भूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उस प्रशंसा में अच्छाई तो है परन्तु सचाई का अभाव है, इसलिए वहाँ सम्यक्त्व नहीं रह सकता। सम्यक्त्व के लिए तो जैसा पहले निर्देश किया जा चुका है, सचाई और अच्छाई दोनों अपेक्षित हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जिन व्यक्तियों की भावना सच्ची है,

ससार की सभी वस्तुओं का जिन को वास्तविक ज्ञान हो गया है और ससार की वास्तविकता को जिन्होंने जान लिया है, वे कुछ भी काम करेंगे सब अच्छे ही होंगे ।'

एक निश्चित सिद्धान्त की धारणा जब मनुष्य बना लेता है कि जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, तो जीवन में पश्चात्ताप का पात्र नहीं बनता । निःसन्देह यह सिद्धान्त बड़ा कठिन है, इसको जीवन में सरलता से उतारा नहीं जा सकता किन्तु है यह उपादेय सिद्धान्त । एक प्रसंग स्मरण हो आया है इस पर । एक राजा और उसका मंत्री अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे । इन दोनों के पास श्वली वाग के घोड़े थे । ज्यों खीचो त्यों दूर ही दूर निकल जाते थे । दोनों सेना से पिछड़ कर जंगल में अकेले रह गये । किसी शिकारी ने आहट पाकर कि कोई जंगली पशु होगा, तीर चला दिया उन पर । मंत्री बच गया और राजा की अगुली बट गई । राजा पीड़ा से कराहने लगा तो मंत्री ने कहा, "राजन् ! आप इतना दुःखी क्यों हो रहे हैं ? जो होता है सब अच्छा ही होता है ।" राजा को मंत्री की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, "तुम कितनी नीच प्रकृति के प्राणी हो, मैं दुःख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम मेरे दुःख का अनुमोदन कर रहे हो । मुझे तुम्हारे जैसे मनी की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ यहाँ से । मुझे पुनः मुह नहीं दिखाना ।" मंत्री चला गया । अब राजा सवथा अकेला रह गया । इधर-उधर भटकने लगा, कौन मार्ग बताने वाला था और कौन सुध-बुध लेने वाला था ! अचानक ही कुछ लोगों के गिरोह से शब्द सुनाई दिये राजा को 'रुको- रुको ।' इन लोगों ने राजा को आकर पकड़ लिया और बड़े प्रसन्न हुए मोटे-ताजे-सुदर-सुडौल राजा के शरीर को देखकर । सबने एक स्वर में कहा, "बहुत अच्छा रहेगा यह बलिदान के लिए ।" देव पर बलि चढ़ाने के लिए उसको मन्दिर में ले गये । बलिदान की विधि के अनुसार तो जिन पुरुषों को बलि चढ़ाया जाता है वह सर्वांग-पूर्ण होना चाहिए । उन्होंने राजा को नगा करके उसके सारे अंगों को देखा तो अगुली कटी पाई । पुजारी ने कहा, "इस नर की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, यह तो खडित-शरीर है, इसकी एक अगुली कटी हुई है ।" राजा को मुक्त कर दिया गया । अब राजा को मंत्री पर किये गये अपने क्रोध पर बड़ा ही पश्चात्ताप होने लगा । वह सोचने लगा, "मेरा सुयोग्य मंत्री ठीक ही तो कहता था कि जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है । यदि मेरी अगुली न कटी होती तो मैं आज बलि चढ़ जाता, अकाल मृत्यु से अपने प्राण खो बैठता । अब मुझे अपने मंत्री की तलाश करनी चाहिए ।" वह जंगल में मंत्री की खोज में निकला और अल्प समय में ही उसने मंत्री को खोज डाला । मंत्री की बुद्धि की सराहना की और उससे क्षमायाचना की । मंत्री ने कहा, "जो

कुछ होता है सब अच्छा ही होता है। यदि आप मुझ पर क्रोध करके मुझे न निकालते तो बलि देने वालों के हाथों से आप तो बच जाते किन्तु मैं उनकी लपेट में आ जाता। मैं तो सर्वांगपूर्ण हूँ इसलिए मेरी बलि चढ़ जाती।” मन्त्री की बात सुनकर राजा को अकल आ गई और उस दिन से वह मन्त्री के सिद्धांत “जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है” का कायल हो गया।

इस प्रसंग पर कोई व्यक्ति यह शक कर सकता है कि ‘जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है’ इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए “अच्छा काम जो कुछ होता है वह तो अच्छे के लिए होता है किन्तु क्या जो बुरा काम होता है वह भी अच्छे के लिए होता है ?” इसका उत्तर यही है कि जो कुछ अच्छा या बुरा होता है सब अच्छा ही होता है। बुरा जो था वह भी होनहार ही तो था। जो नहीं होने वाला होता है वह तो कभी होता ही नहीं। बुरा होने वाला काम यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार और विलम्ब से होता तो क्या अन्तर पड़ने वाला था ? इस बात की क्या गारंटी है कि उम समय उस बुरे काम या परिणाम को सहने के लिए तुम्हारे पास कोई असाधारण प्रकार की सहनशक्ति आ जाती। जो सहनशीलता हमारे पास इस समय है वह वैसी की वैसी सदा बनी रहेगी यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हमने किसी से ऋण ले रखा है। वह व्याज समेत अपनी रकम माँगने के लिए हमारे पास आये तो अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए चुका देना चाहिए। अब सम्पन्नावस्था है, सरलता से चुकाई जा सकती है, भविष्य की क्या गारंटी है कि ऐसे के ऐसे धनवान बने रहेंगे। हम यदि यह सोचने लगे कि अब चुका देंगे तो हमारे खजाने में पूँजी की कमी आ जायेगी तो यह बात बराबर नहीं। इस प्रकार सोचना सर्वथा सारहीन है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो कष्ट, विपत्ति या दुःख शीघ्र ही उदय में आने वाले है, वह तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी यदि वे उदय में आ जाते हैं तो उन्हें समभाव से भोगने की हमारे पास सहनशक्ति है और यह समझ भी है कि जो कर्म हमने बाँध रखे हैं उनको तो हमें ही भोगना है और किसी को नहीं इसलिए उनका क्षय जितना जल्दी हो जाये उतना ही अच्छा है। इस प्रकार समभाव से उन कर्मों को भोगने के लिए हमारे पास वर्तमानकाल में ज्ञान, दशन और चारित्र्य तीनों हैं। शास्त्रकारों ने इन तीनों को रत्नत्रय की सजा दी है

“रत्नत्रयाराधका”

इन तीनों रत्नों की आराधना करने वालों के पास ही ये तीन रत्न होते हैं

“अहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता”

यह अर्हन्तो की स्तुति है ।

“सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता ।”

यह सिद्धो की स्तुति है ।

“आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या ”

यह आचार्यों की स्तुति है ।

“उपाध्यायका श्रीसिद्धान्त-सुपाठका ”

यह उपाध्यायो का गुणगान है ।

“मुनिवरा रत्नत्रयाराधका ”

यह साधुओं की प्रशस्ति है ।

रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनि होते हैं । ससार के लोग तो ककर, पत्थर तथा पृथ्वीकायिक जीवों को ही रत्न कहकर पुकारा करते हैं । चौदह रत्न, नवरत्न, चौरासी रत्न—और भी न जाने कितने प्रकार के रत्न लोक में माने जाते हैं । लोग अपने बच्चों को भी प्यार से लाल या रत्न कहते हैं । लोकभाषा में यह भी कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति के साथ भाणा(भोजन का) व्यवहार तो है किन्तु रत्ना व्यवहार (बेटे बेटों का व्यवहार) नहीं है । यहाँ रत्नों का अर्थ बेटे बेटियाँ हैं । ये सच्चे रत्न नहीं हैं, सच्चे रत्न तो ज्ञानी पुरुषों के अनुसार ‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य’ ही हैं । कोई व्यक्ति यदि यह शका करे कि ससार के बहुमूल्य हीरो या रत्नों को तो मुनिमहाराज ने नगण्य बता दिया और अपने रत्नों को बहुमूल्य बता दिया, यह बात कहाँ तक ठीक है ? इसका उत्तर यह है कि आप जिसको रत्न समझते हैं, उसका नाम ले लीजिये । किसी भी हीरे को ले लो, चिन्तामणि रत्न को ले लो, ससार का बहुमूल्य हीरा कोहिनूर है, उसको भी लिया जा सकता है । थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिये कि कोहिनूर हीरा मार्ग में पड़ा हुआ है । अनेक यात्री वहाँ से निकल जाते हैं, कई एक तो पैरों में कुचलते हुए भी चले जाते हैं, सब अज्ञानी हैं उस हीरे के महत्त्व के विषय में, कोई उसकी कीमत नहीं जानता । कोई पारखी वहाँ से गुजरा, उसने समझ लिया उसकी महार्घता को, उठा लिया और अच्छे स्थान पर सभालकर रख दिया । अब आप विचार कीजिये कि पारखी ने उसकी श्रेष्ठता को जिससे जाना वह ज्ञान ही तो है । यदि उसे ज्ञान न होता तो वह उसकी कदर कैसे करता ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि महत्त्व वस्तु का नहीं है, महत्त्व तो ज्ञान का है । यदि वस्तु का महत्त्व होता

तो अज्ञानियो द्वारा कोहिनूर हीरे की उपेक्षा क्यों होती ? हीरे के मूल्य को बढ़ाने वाला तो ज्ञान ही हुआ। तो सिद्ध यह हुआ कि कोहिनूर हीरा रत्न नहीं है, रत्न तो वास्तव में ज्ञान है। हमारा ज्ञान ही वास्तव में कोहिनूर हीरा है। वही सच्चा रत्न है। इस प्रकार ससार के रत्न, रत्न नहीं है, ये रत्न तो गुम हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं और लूटे जा सकते हैं किन्तु वास्तविक ज्ञान-रत्न को उक्त किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इसके अतिरिक्त ज्ञान ही एक ऐसा तत्त्व है जिसके आधार पर हम सारे ससार को तोल सकते हैं और ससार के सब पदार्थों की वास्तविकता को समझ सकते हैं।

कोहिनूर उठाने वाले पारखी ने उस रत्न को उठा तो लिया कीमती जानकर किन्तु यदि उसके मन में अज्ञानवश सन्देह उत्पन्न हो जाये कि "पता नहीं कि वह सच्चा रत्न भी है या नहीं, कहीं तकली ही न हो और मैंने इसे असली समझ लिया हो।" ऐसी स्थिति में वह उसको फेंक भी सकता है। वह रत्न उसके पास तभी सुरक्षित रहेगा यदि उसके मन में कोहिनूर की महार्घता पर पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी। इसी का नाम है दर्शन। जिस दृष्टिकोण से पदार्थ को देखना चाहिए वह दृष्टिकोण यदि स्थिर रूप में बना रहे, कोई उसे विचलित न कर सके तभी वही दृढ श्रद्धा कहलाती है। इसी श्रद्धा का धनी प्राप्त हुए रत्न की रक्षा कर सकता है। वस्तु की प्राप्ति तो हो गई किन्तु उसकी सुरक्षा तो दर्शन से ही संभव है। विश्वास, प्रतीति और भरोसा उसके लिए अपेक्षित है। वस्तु की प्राप्ति और चीज है और उसकी सुरक्षा उससे भिन्न वस्तु है। रत्न के पारखी को रत्न का पूरा ज्ञान भी हो, रत्न की बहुमूल्यता पर भी पूर्ण विश्वास हो किन्तु यदि वह उस रत्न का उपयोग नहीं करता, शरीर पर उसको धारण नहीं करता और जो उसका उपयोग हो सकता है वह नहीं करता तो उस रत्न से उसको क्या लाभ ? ज्ञान और दर्शन का लाभ तो तभी प्राप्त होगा जब उनको जीवन में उतारा जायेगा। यह जीवन में उतारना ही चारित्र्य कहलाता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि ससार के बाकी सब रत्न भूठे हैं। सच्चे रत्न तो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य हैं। इस रत्नत्रयी की प्राप्ति से जीव की जन्मजन्मान्तर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है।

ये तीनों रत्न कई बार आकर चले भी जाते हैं इसलिए सम्यग् दृष्टि से विचार करते हुए जो कर्म, परीषह, उपसर्ग या अन्य कोई कष्ट तुरन्त आ जाता है तो उसे भोगकर क्षय कर देना चाहिए—यही बुद्धिमत्ता है। यह कर्म भोग भी एक प्रकार का आत्मा पर कर्जा ही है जिसके चुकाने में ही लाभ भी है और शान्ति भी। साधुजन तो अशुभ कर्मों को उदय में ला लाकर समभाव से भोगा करते हैं। उदीरणा शब्द इसी स्थिति के लिए प्रयोग में लाया जाता

है। वे अन्त के परमानन्द को आदि के उपसर्गों से बेहतर समझा करते हैं। सामान्य लौकिक जीवन में भी लोग बुढ़ापे में सुख चाहते हैं। युवावस्था में शान्ति और सहनशीलता के कारण वे बड़े से बड़े दुःख का सामना करने में समर्थ होते हैं, इसलिए दुःख उसी समय भोगना पसन्द करते हैं। आदि के दुःख से अन्त का सुख अच्छा होता है। दुःख का पहले आना ही अच्छा होता है और सुख का अन्त में आना श्रेयस्कर होता है। ज्ञानीपुरुषों का यह कथन कि 'जो कुछ अपने-आप होता है वह शतप्रतिशत अच्छा होता है' सत्य है। जो व्यक्ति इस सत्य का पालन करता हुआ समभाव से रहता है उसको ऐहिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१२ अगस्त, १९७६





परतंत्रता ही बंधन है

शाश्वत सुखो की प्राप्ति करना जीव के लिए कोई सरल काम नहीं है । जब ससार के क्षणिक सुख भी बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं तो फिर शाश्वत सुखो की तो बात ही क्या है ? ससार के सुखो को प्राप्त करने के लिए भी जीव को भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता है यद्यपि उनकी प्राप्ति कर्मों के अधीन होती है । शुभ कर्मों का उदय होने से ही सुखो की प्राप्ति होती है । अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या शुभकर्मों का उदय जीव के अपने हाथ की बात है ? शुभ कर्म तो वही उदय में आयेंगे जो पूर्व में बान्धे होंगे, जो बन्धा हुआ नहीं है वह उदय में भी नहीं आता ।

कर्म बन्धने के पश्चात् आत्मा की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है । जो व्यक्ति चोरी नहीं करता वह स्वतंत्र है, वह चाहे कहीं भी सोये, बैठे, उठे— उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता । जब उसने चोरी कर ली तो उसकी दशा बदल जाती है । ठीक है, उसने चोरी अन्धकार में की जब कि उसको कोई देख नहीं रहा था किन्तु प्रातः काल जब लोगों को पता चलता है चोरो का तब चोर की निन्दा होती है । चाहे वह चोरी करके कहीं भी देश-परदेश में चला जाये, वेश बदल ले, कुछ भी कर ले किन्तु खोज करने वाले तो उसको खोज ही निकालते हैं । पैरो के निशानों से, हाथों की अंगुलियों के निशानों से उसको खोज निकाला जाता है । देर हो सकती है खोजियों को खोज निकालने में । कई-कई चोर तो बीस-बीस वर्ष तक पकड़ में नहीं आते । ठीक है, रात्रि के अन्धकार में चोर को कोई देख नहीं सकता किन्तु चोर स्वयं तो अपने-आपको देखता है । जब तक चोर ने चोरी नहीं की थी या दूसरे शब्दों में जब तक वह चोर नहीं था तब तक वह स्वतंत्र था, निर्भीक था इसलिए जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकता था, उठ बैठ सकता था किन्तु अब चोरी करने के पश्चात् उसकी सारी स्वतंत्र क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं । वह जहाँ भी आता है, जाता है डरता रहता है, सदेह करता रहता है कि कहीं उसके पीछे कोई पुलिस का आदमी या गुप्तचर न लगा हो । चोरी के पाप के कारण

उसके चेहरे पर शका, भय और परेशानी के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसका पीछा करने वाले पुलिस के लोग तुरन्त समझ जाते हैं कि यह कोई चोर है, अपराधी है अथवा खूनी है। वह पकड़ा जाता है। हमारा यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जीव या आत्मा जब तक चोरी के कर्म से या पाप से मुक्त था तब तक स्वतंत्र था और चोरी के पापकर्म के पश्चात् वह अपने ही कर्म में बन्धकर परतत्र हो गया। कर्म में बन्धने के पश्चात् आत्मा की ऐसी दशा हो जाती है कि वह किंकर्तव्यविमूढ बन जाता है। इस किंकर्तव्यविमूढता का कारण होता है उसकी परतत्रता। वह जिसके तंत्र में होता है उसी के अनुरूप उसे ढलना पड़ता है। जैसे कोई पशु डोरी से बन्धा हो, उसका स्वामी डोरी पकड़कर जिधर भी उसको ले जाना चाहे ले जाता है, पशु का कोई वश नहीं चलता। पशु की जिधर उसे ले जाया जा रहा है उधर न जाने की इच्छा भी हो तो भी उसकी इच्छा का कोई महत्त्व नहीं होता। वह पराधीन जो ठहरा। इसी प्रकार जो जीव कर्मों से बन्धा हुआ है वह परतत्र होता है। यदि उसने अशुभकर्म बान्ध रखे हैं तो शुभकर्मजन्य सासारिक सुख उसको कैसे प्राप्त हो सकते हैं? अशुभ कर्मों का जब क्षय होगा या वे कमजोर पड़ जायेंगे और शुभ कर्मों का जब उदय आयेगा तभी कहीं सुखो की प्राप्ति हो सकेगी। आत्मस्वतंत्रता को खोने के बाद, कर्मों के बन्धनों से आत्मा को क्षणिक सुख मिला करते हैं। कितनी विडवना है, आत्मा को अपने द्वारा किये गये कर्मों का फल भोगने में भी स्वतंत्रता नहीं है। आत्मा ने शुभकर्म किये, सुकृत किये, पुण्योपार्जन किया—तब कहीं जाकर वह सासारिक सुखो को भोगने का अधिकारी बना, वे सुख तो उसे मिलने ही चाहिए परन्तु पूर्व में बान्धे हुए अशुभकर्मों का उदय जब तक समाप्त नहीं होता, जब तक उसका भोग चालू है तब तक उसका पूर्वजित शुभ कर्मजन्य सुख आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यह विडवना नहीं तो क्या है कि स्वयं के अर्जित कर्मों का फल भोगने में भी जीव स्वतंत्र नहीं है। यह सब होते हुए भी सासारिक सुख भोगने की जीव की लालसा निरन्तर बनी रहती है। अशुभ कर्मों के परिणाम दुःख को कोई भी भोगना नहीं चाहता और पुण्यकर्म किये बिना ही फल सुख भोगने की लालसा रखता है। धर्माराधन के बिना ही सुख चाहता है और पाप करके भी उसके परिणाम-दुःख को भोगना नहीं चाहता। अपनी ही लापरवाही से यदि कोई रोग हो जाता है, तो औषधि सेवन करके उसे वीच में ही दवा दना चाहता है। महापराध करके, बकीलो को और जिलाधिकारियों को धन देकर, रिश्वत देकर न्यायालय के दण्ड से बचना चाहता है। जाने अनजाने में यदि कोई अच्छा काम हो जाये तो उसके महान् फल की अपेक्षा रखता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है

“ऐरण री चोरी करे, करे सुई को दान ।
ऊँचा चढने देखियो, आवे अमर विमान ॥”

अर्थात्—

मनुष्य 'ऐरण' (लुहार के उस भारी लोहपिण्ड को कहते हैं जिस पर कूट-काट कर वह लोहे के श्रीजार बनाया करता है) की तो चोरी करता है और दान देना ही तो सुई का देना है । इस प्रकार अधिक से अधिक लेकर और कम से कम देकर वह ऊँचे चढकर उसे लेने के लिये आने वाले अमरलोक के विमान की प्रतीक्षा किया करता है ।

साराश यह कि वह साधारण-मा पुण्य कर्म करके अधिकतम रूप में लाभान्वित होना चाहता है । ऐसा करके वह अपने साथ या अपनी आत्मा के साथ धोखा करता है । जो लोग ईश्वर को सृष्टि का कर्ता-धर्ता मानते हैं और कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है वे लोग ऐसा कहते हैं तो वह स्पष्ट ईश्वर को धोखा देना है । आत्मा को तो वे लोग कर्ता मानते नहीं, ऐसी स्थिति में अल्प करके महान् की कामना करना ईश्वर को धोखा देना ही हुआ । ज्ञानवान पुरुषों का कथन है कि व्यक्ति सोचा करता है, “मैंने आराम से दिन बिताने के लिये सुकृत किया, पुण्य किया और अनेक शुभकर्म किये जिनका फल भोगने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ । पहले के अशुभकर्म जो मैंने बान्ध रखे हैं, वे अब तक मेरा पिण्ड नहीं छोड़ रहे हैं । यह तो एक प्रकार की विडवना है ।”

मनुष्य जब तक कुछ नहीं करता तब तक स्वतंत्र रहता है और कुछ कर्म कर लेने के पश्चात् वह परतंत्र बन जाता है । उसे फिर शुभाशुभ कर्मानुसार फल भोगने के लिए विवश होना ही पडता है । अच्छा काम करने में कठिनाई होती है और बुरा काम बड़ी सरलता से हो जाता है । इस भाव की किसी कवि ने बड़े सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्ति की है

“भली करत लागे बिलब, बिलब न बुरे विचार ।
भवन बनावत दिन लगे, ढहत न लागे बार ॥”

कई बुरे कामों में को करने की भी आवश्यकता नहीं पडती, वे तो अपने-आप ही हो जाते हैं । अच्छे कामों में अनेक विघ्न आकर पड जाते हैं

‘श्रेयासि बहुविघ्नानि’

बुरे कामों प्रवृत्ति के समय कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता । भवन बनाया जाता है तो बड़ा समय लगता है, बड़ा परिश्रम करना पडता है, बहुत धन भी खर्च होता है । जब वह गिरने लगता है तो कुछ भी समय नहीं लगता और

त ही वह कोई परिश्रम ही माँगता है ।

कोई व्यक्ति अपने मन में यह शक कर सकता है कि 'मैं स्वयं के पुण्यकर्मों, सुकृत एवं शुभ कर्मों के फल को अपनी इच्छानुसार क्यों नहीं भोग सकता ? मेरे तीव्र शुभ कर्मों का फल भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है । इसके विपरीत पहले के बन्धे हुए पापकर्म मेरे सामने विघ्नो की दीवार बनकर खड़े हैं । यह तो बड़ी भयानक और बुरी है कर्मों की परतत्रता । ऐसे कर्मों से तो बहुत बड़ी हानि है । यह तो कर्मों की गुलामी हुई । मैं इन कर्मों के बन्धन को तोड़कर ही दम लूँगा ।' ऐसा विचार करके वह कर्मग्रन्थियों को तोड़ने का प्रयत्न करता है । वह बन्धन तोड़ता है अथवा खोलता है—यह भी एक विचारणीय बात है । बन्धन तोड़ने में और बन्धन खोलने में पृथ्वी-आकाश का अन्तर है । यदि बन्धनों को खोलने का प्रयत्न किया जाये और प्रयत्न के परिणामस्वरूप एक ओर तो बन्धन खुलते जायें और दूसरी ओर बन्धते जायें, जैसे अरुहट की पट्टी की या टीन की टिंडो की माला का उपक्रम होता है, तब तो इस खुलने का और बन्धन का क्रम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता । दायें हाथ खुला तो बायाँ बँध गया, दायें खुला तो दायें बँध गया । तब तो "उतर भीका म्हारी बारी" वाली कहावत चरिताथ होने लगेगी । इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने फरमाया है कि बन्धनों को खोलना नहीं किन्तु बन्धनों को तो तोड़ देना चाहिए । हम बन्धनों को खोलते तो तब हैं जब हमारे मन में यह विचार आता है कि ये बन्धन दूसरों के भी काम आयेंगे । दूसरे के काम आने की अपेक्षा से ही तो हम बन्धन खोलकर और समेटकर एक ओर रख दिया करते हैं । यदि हमारे मन में यह विचार होगा कि ये बन्धन किसी काम के नहीं तब उनको समालकर नहीं रखेंगे किन्तु तोड़ डालेंगे । एक बार टूटने के पश्चात् पुन वे हमारे से नहीं बन्ध सकेंगे । ये बन्धन तो परतत्रता की वेडियाँ हैं, इनको सही-सलामत नहीं रखना चाहिये, इनको तो तोड़ ही डालना चाहिये । खोलने का कोई लाभ नहीं । ऐसे बन्धनों को जो स्वयं के लिए शुभकर्मों के फल को भी हमें भोगने नहीं देते, अधिकार की वस्तु की प्राप्ति में भी विघ्न डालते हैं, तोड़ना ही श्रेयस्कर है ।

स्वतंत्र आत्मा ही वास्तविक अर्थ में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है । परतत्र व्यक्ति तो दुखी ही दुखी रहता है । सुख की नींद सोना और जागना भी उसके लिये तो हराम होता है । स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा और अनुकूलता के अनुसार काम करता है, उस पर किसी का बन्धन नहीं होता किन्तु परतत्रता की दशा में इच्छा हो चाहे न हो, अनुकूलता हो चाहे न हो, बाध्य होकर दूसरे के दबाव से काम करना ही पड़ता है । परतत्रता भी दो प्रकार की है एक तो दूसरों की और एक स्वयं की, स्वयं पर आरोपित । आज आपकी क्या दशा है ? आपने आगे होकर

गुलामी मोल ले रखी है। आपने जान-बूझकर अपने को अपनी तृष्णा के, लालच के और लोभ के अधीन कर रखा है। आपको कोई नहीं कहता कि आप कमाओ परन्तु सब यह बात अवश्य कहते हैं कि पाप की कमाई मत करो, छल-कपट की कमाई मत करो, काले बाजार का घन्घा मत करो। सरकार भी आपको ऐसा करने से मना करती है, घरों में छापे मारती है, तस्करी का माल निकलता है तो घर पकड़ होती है, न्यायलयों में केस चलते हैं, दण्ड भी मिलता है किन्तु लालच और लोभ की प्रवृत्ति वैसे ही अजस्र रूप में चल रही है। आपके गुरु भी आपको पाप की कमाई न करने का उपदेश देते हैं किन्तु धारण कोई नहीं करता, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। यह सब क्यों है, इसलिये कि आप वशीभूत हैं लोभ और लालच के। भले ही आप कितनी ही कमाई कर लो। खाओगे तो रोटी ही, रोटी भी उतनी ही जितनी शक्य हो। फिर क्यों पापकर्म की कमाई से कर्म बाँधते हो ?

इस पर एक प्रसंग याद आ गया है। कहीं कोई बारात गयी। बेटे के बाप ने बेटे के बाप को समाचार पहुँचाये कि, “हमारी बारात और हमारा घर दोनों बड़े स्टैण्डर्ड के हैं। हमें सन्देह है कि आप हमारा आदर-सत्कार ठीक से कर पायेंगे भी या नहीं।” अनेक प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सन्देश में कहलाकर भेजी। बेटे के बाप ने अहंकार की भावना को समझ लिया। बारात आ गई। सब बारातियों की सुन्दर व्यवस्था कर दी गई। पुराने समय में बारात बैलगाड़ियों में आया करती थी। बीद की गाड़ी के बैल बड़े ही सुन्दर और हूण्ट-पुण्ट थे। उनके बाँधने की भी अच्छी व्यवस्था कर दी। बीद का पिता सारी व्यवस्था का निरीक्षण करता-करता घूम रहा था। उसने देखा कि सब बारातियों के लिए गादी, तकिया, ओढ़ना, गलीचा आदि की जहाँ जैसी आवश्यकता थी वे सब यथाव्यवस्थित थे। बीद को गाड़ी के बैलों के सामने चारे के स्थान पर मोहरों के भरे बर्तन रखे थे। बेटे का पिता भी अपने नये समझी के पीछे चल रहा था कि जहाँ कमी होगी पूरी कर दी जायेगी। बैलों के सामने मोहरों के भरे बर्तन देखकर बेटे के बाप ने पूछा, “यह क्या किया आपने। चारे के स्थान पर मोहरें क्यों रखी हैं ?” “मैंने सोचा, चारा तो हमारे जैसों के सामान्य बैल चरा करते हैं, आपके बैल तो विशेष प्रकार के होंगे इसलिए शायद चारा न खाते हों। आप और आपके बाराती भी सभवतः अलौकिक प्रकार के ही होंगे इसलिए आपके और सब बारातियों के थालों में भी वस्तु-विशेष ही रखी जायेगी।” बेटे के बाप की अक्ल ठिकाने आ गई।

आखिर खाना तो अन्न ही है, मोहरें तो खानी नहीं। फिर अधिक सग्रह की भावना क्यों ? उतना ही कमाओ जिससे जीवन-निर्वाह आराम से हो जाये। ज्यादा हाय-हाय करने से क्या लाभ ? क्यों अपने जीवन को लोभ के अधीन

करते हो या दूसरे शब्दों में क्यों अपनी स्वतंत्रता खोकर परतत्र बनते हो ? सादगी से रहना सीखो, शान्ति से रहना सीखो । आपकी सादगी के ऊपर सहस्रो, लाखों निम्नतर लोगो का जीवन निर्भर करता है । आपकी शान-शोकत से लाखों के पेट कटते हैं । केवल अपने लिये मत सोचो, औरों के लिए भी सोचो । तुम मानव ही मानवता को पहचानो । पृथ्वी की ओर देखकर चलो, आकाश की ओर मत देखो, ठोकर खा जाओगे । ससार के अर्थ पदार्थों के समान तुम भी पार्थिव हो, पार्थिवता के अश की उपेक्षा मत करो । शास्त्रों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने बहुत समझाया, समझाते आ रहे हैं अनादिकाल से परन्तु कौन सुनने वाला है । जो सुनकर जीवन में उतार लेते हैं वे परतत्रता के बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं, जो उपेक्षा करते हैं गुरुओं के बन्धनों की वे दुःख-सागर में डूबे रहते हैं ।

आज मनुष्य का जीवन मशीन बना हुआ है यद्यपि मशीन की अपेक्षा जीवन की वास्तविकता कहीं बेहतर है । हम घड़ी को चाबी दे देते हैं । घड़ी की मशीन चाबी के अधीन है, उसे तो चलना ही पड़ेगा, सारे पुर्जों को काम करना ही पड़ेगा । वे पराधीन जो ठहरे चाबी के । मनुष्य तो घड़ी से बेहतर है । घड़ी जड़ है, मनुष्य चेतन है । मनुष्य के पास इच्छाशक्ति है, समझदारी है कि तु जड़ता की चाबी लगी होने के कारण, जड़ से श्रेष्ठतर होते हुए भी वह घड़ी की मशीन की तरह परतत्रता में भटकता हुआ चला आ रहा है । वह रुकता नहीं, क्षण-भर के लिए भी विश्राम नहीं लेता और सोचता नहीं कि जीवन की लम्बी यात्रा के लिये अपने आत्मा के निमित्त भी कुछ पाथेय लेकर आगे बहू । यही सब देखकर ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि आत्मा की परतत्रता ही सबसे बड़ा बन्धन है । मुमुक्षु आत्मा चाहता है कि मैं सब सासारिक बन्धनों को तोड़ डालूँ । वह यह बात भा भलीभाँति जानता है कि इन बन्धनों को तोड़ने के पश्चात् उसके सोना, चाँदी, हीरे, जवाहिरात, धन, मकानादि कुछ भी नहीं रहेंगे । आत्मा की केवलमात्र सम्पत्ति आत्मा होगी । इस सासारिक सम्पत्ति का आत्मस्वरूप को समझने के पश्चात् उसे मूल्य दिखाई नहीं देगा । वह तो तब यही सोचेगा कि आत्मा की परतत्रता के जो कारण थे वह उनसे छुटकारा पा गया । इसका यह अर्थ कदापि नहीं समझना चाहिये कि स्वतंत्रता की अवस्था में पहुँचा हुआ आत्मा मुर्दे के समान हो जाता है । जैसे मुर्दा ससार के भार से मुक्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी मुक्त हो गया, ऐसी बात नहीं है । मुक्त आत्मा को तो सब बोध होता है, उसे ससार के सब पदार्थों का ज्ञान रहता है, परन्तु इस प्रकार के ज्ञान के सद्भाव में भी वह अकिंचन होता है । ससार के पदार्थों के अभाव में उसको दुःख का अनुभव नहीं होता । वह अत्यन्त शान्त होता है । उसमें तो आनन्द की धारा अजस्र रूप में

बहने लगती हैं। परतत्रता के मिटते ही अब स्वतत्रता उसका अक्षय धन बन गया है। अब तो उसके पास आनन्द का अक्षय भण्डार है। परन्तु इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस अवस्था तक वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसको 'स्व' के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया हो। सचाई और अच्छाई का जिसमें सामजस्य हो गया हो, दूसरे शब्दों में जो सम्यक्त्व का धनी बन गया हो।

जैन-भवन, डेह (तागौर)

१३ अगस्त, १९७६





आत्म-विकास की पद्धति

शाश्वत सुखो की प्राप्ति आत्मा को उच्चतम स्थान पर पहुँचने से होती है। ऊँचा स्थान दो अपेक्षाओं से होता है प्रथम क्षेत्र की अपेक्षा से होता है। क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मा का ऊँचा होना कोई भी महत्त्व नहीं रखता। स्थान की अपेक्षा से तो यदि कौआ भी मन्दिर के कलश के ऊपर जाकर बैठ आये तो क्या उसको मन्दिर में विराजमान प्रतिमा रूप भगवान् के समान आदर मिल सकता है ? ऊँचे बैठने मात्र से कुछ नहीं बनता। क्षेत्र की दृष्टि से आत्मा ऊपर से ऊपर जहाँ सिद्ध भगवान् विराजमान हैं वहाँ पहुँच सकता है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, वास्तव में सामान्य आत्मा की भी वहाँ तक पहुँच है। आत्मा के सिद्ध क्षेत्र में पहुँचने मात्र से कोई काम सिद्ध नहीं हो जाता। क्षेत्र की दृष्टि से जो आत्मा ऊँचे जाता है वह एकेन्द्रिय आत्मा जाता है। एकेन्द्रिय के अन्दर भी वादर नहीं किन्तु सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म अप्, सूक्ष्म तेजस्, सूक्ष्म वायु और सूक्ष्म वनस्पति—ये पाँच सूक्ष्म स्थावर हैं। ये सारे के सारे लोक में व्याप्त हैं। लोक का कोई भी भाग इनसे अछूता नहीं है। आपके और हमारे मध्य में जो खाली जगह दिखाई देती है, यह कल्पनामात्र है। वास्तव में खाली जगह कहाँ है ? सब ठसाठस भरी हुई है। जैसे काजल की कूपली में काजल ठसाठस भरा होता है। ऐसे ही समूचे लोक में जीव ठसाठस भरे पडे हैं। चाहे वे सूक्ष्म रूप में ही चाहे वादर रूप में। यह जो कभी-कभी पदार्थों पर लीलन या फूलन आप देखा करते हैं वह वादर वनस्पतिकाय है। जो सूक्ष्म है, वह तो दृष्टिगोचर भी नहीं होती किन्तु सर्वत्र भरी पडी है।

इसी प्रकार इस बात को कौन सत्य मानेगा कि आपके और हमारे बीच में जो अन्तराल है उसमें अग्नि है, किन्तु अग्नि की सत्ता सत्य है। यह जो समूचा लोक है उसके अमुक-अमुक स्थानों पर वादर अग्निकाय है। वादर अग्निकाय का यदि आपके और हमारे मध्य में अभाव होता तो माचिस की तीली की रगड से यहाँ अग्नि कैसे पैदा हो जाती ? अग्नि ने स्थूल रूप धारण कर लिया तो हमने देख लिया किन्तु जब वह सूक्ष्म रूप में थी तब हमें दिखाई नहीं देती

थी। दिखाई न देने का अर्थ यह कदापि नहीं था कि अग्नि का अभाव था। इस प्रकार जब बादर अग्निकाय है तो सूक्ष्म अग्निकाय सर्वत्र व्याप्त हो तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। इसीलिये ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सूक्ष्म स्थावर सारे लोक में व्याप्त है। इस सूक्ष्म स्थावर के रूप में हमारी आत्मा लोक के ऊँचे से ऊँचे भाग में जाकर रही हुई है। एकेन्द्रिय की सूक्ष्म अवस्था के रूप में इसने पर्याप्त समय वहाँ बिताया है। अपनी अवस्था के अनुरूप इस आत्मा को बहाँ रहकर भी पुन नीचे आना पडा। सिद्ध भगवान् के आत्मप्रदेशों वाले क्षेत्र में रहकर भी हमारी आत्मा को नीचे गिरना पडा। वहाँ रहकर भी यह मुक्त नहीं हो पाई। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि आठ कर्मों को क्षय करने वाली मुक्तात्माओं के मध्य में रहकर भी स्थावर नीचे क्यों आ गये ? तो इसका उत्तर है कि राजमहल के अन्दर सफाई करने वाले भी तो जाते हैं, नौकर-नौकरानियों, दास-दासियों सभी वही तो रहती है कि तु राजा और रानियों के समान उनका अधिकाधिक जीवन थोड़े ही होता है। वे तो केवल जी-हजुरी और परिचर्या के लिए होते हैं राज परिवार के सदस्यों की।

तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था वह यह था कि आत्मा क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध शिला तक भी चला गया, वहाँ पर्याप्त समय तक रहा भी किन्तु उसका कुछ भी उद्धार नहीं हुआ, उसे अन्त में पुन नीचे ही आना पडा। नीचे इस लिये आना पडा कि वह मात्र क्षेत्र की अपेक्षा से ऊँचा गया था। वास्तव में आत्मा का उद्धार तो तब संभव है जबकि वह गुणस्थानों की अपेक्षा से ऊँचा चड़े। गुणस्थान की अपेक्षा से तो वह पहले गुणस्थान में ही था। सूक्ष्म एकेन्द्रिय का गुणस्थान तो पहला ही होता है। इस प्रकार पहले गुणस्थान में रहने वाला जीव नीचे से ऊपर तक भले ही कितनी बड़ी उड़ान क्यों न भर ले किन्तु उसका किसी भी प्रकार से विकास नहीं होता। स्थान की अपेक्षा से ऊपर जाना कोई भी महत्त्व नहीं रखता। शास्त्रकारों का कहना है कि आत्मिक उत्थान के लिए ऊपर चढ़ना ही तो अवस्था की दृष्टि से चढ़ना चाहिए। आत्मा जिस अवस्था में हो, उससे ऊँचा चड़े। केवल पहले गुणस्थान में ही नीचे से ऊँचे चढ़ने की अनेक अवस्थाएँ हैं। पहले गुणस्थान में नीचे दर्जे का स्तर भी है और ऊँचे दर्जे का स्तर भी है। एक तो आत्मा पहले गुणस्थान के नीचे से नीचे स्तर पर था और अब पहले ही गुणस्थान के ऊपर से ऊपर स्तर की अवस्था में आ गया तो इसको आत्मा की उन्नति समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मा ज्यो-ज्यो आगे के गुणस्थानों में चढ़ता है उसका महत्त्व बढ़ता जाता है।

मिथ्यादृष्टि-गुणस्थान की मान्यता के अनुसार तो अच्छा बुरा प्रतीत होता है और बुरा अच्छा लगा करता है। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे जो बात

कहने योग्य होती है उसे तो कहना ही पड़ता है। मिथ्या दृष्टि वाले व्यक्ति को यदि कोई आत्मोन्नति के लिये कहे तो वह वान अच्छी होती है और अच्छे के लिये ही कही जाती है। अच्छा व्यक्ति ही अच्छी बात कहा करता है। जैसे कि कोई अच्छा व्यक्ति किसी को कहे "ये जितने राग-रग है, भोग-विलास है, सब आत्मा के पतन के कारण है। भविष्य में भी इनके दुष्परिणाम स्वरूप आपत्ति उठानी पड़ सकती है। इसलिये इनका त्याग करो।" यह त्याग और वैराग्य की बात आत्मा के लिए अच्छी है। यदि सुनने वाला इस बात को मान लेता है तो भविष्य में उसका आत्मा दुःख से बच सकता है। किन्तु सुनने वाला यदि मिथ्यादृष्टि है तो वह इस बात को अच्छी नहीं मानता और कहने वाले पर द्वेष की बुद्धि रखता है। वह तो अच्छी सम्मति देने वाले को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने वाला समझता है। वह यह भी सोचने लगता है कि, "मैं ससारा के कामकाज निश्चक होकर कर रहा था, जीवन का आनन्द लूट रहा था। इस व्यक्ति ने भविष्य का भय दिखाकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव डाला है कि अब किसी काम को करने में रुचि ही नहीं होती। किसी भी काम को करते समय मेरे मन में हिचकिचाहट-सी होने लगती है। सारा का सारा जीवन का आनन्द किरकिरा कर दिया है इस व्यक्ति ने।" इस प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष अच्छे को बुरा समझा करता है। इसके विपरीत जो बुरा व्यक्ति है, जो उसकी भावना के अनुसार बात करता है, उसकी हानि में हानि मिलाता है, वह उसको प्यारा लगता है। जो अच्छा है वह बुरा लगता है और जो बुरा है वह उसे अच्छा लगता है—यह एक विपरीत या विरुद्ध मान्यता हो गई इसीलिये यह मिथ्यादृष्टि है। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान।

पहले जो अच्छे के प्रति द्वेष था और अच्छे की बात सुनते ही खलती थी, वह द्वेष भाव इसमें मन्द पड़ जाता है। बुरा तो उसको पहले भी अच्छा लगता था और अब भी अच्छा लगता है, अन्तर इतना आ गया है कि अब उसको अच्छा भी अच्छा लगने लगा है। वह सोचता है, "यह वैचारा अपनी बात कहता है, इसके पास जो है वही तो कहेगा। जो कहता है, ठीक ही कहता है।" अच्छा और बुरा दोनों को वह अच्छा समझने लग गया है। अच्छे के प्रति अब उसमें थोड़ा राग भी उत्पन्न हो गया है। अच्छी बातों के प्रति अब उसके मन में द्वेष की भावना नहीं रह गई है। अच्छी बात को सुनकर अब वह चिढ़ता भी नहीं है। वह यह भी सोचता है कि यह व्यक्ति तो सभी को यही बात कहता है, कोई भी इसका बुरा नहीं मानता तो मैं क्यों चिढ़ूँ। इस प्रकार अच्छे और बुरे दोनों को अच्छा समझना 'मिश्र गुणस्थान' कहलाता है। इस गुणस्थान के आने से उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया है। पहले वह जितना समय बुरे के साथ बुरी प्रवृत्तियों में व्यतीत करता

था अब वह कुछ समय अच्छे के साथ अच्छी प्रवृत्तियो मे भी विताने लगता है । अच्छी वातो को भी वह ध्यान से सुनता है । अच्छी वातो के प्रति भी अब उसके मन मे राग-भाव जागृत हो गया है । परिणामस्वरूप वह अच्छा व बुरा दोनो को अच्छा समझने लगा है । इससे उपलब्धि यह होती हे कि कुछ समय के पश्चात् वह चौथे गुणस्थान मे आ जाता है । अच्छी-अच्छी वातो को सुनते-सुनते उसको यह भान भी हो जाता हे कि वह आज तक जिन वातो को अच्छी समझता रहा हे, वे वास्तव मे अच्छी नही किन्तु बुरी थी, त्यागने योग्य थी । इस स्थिति मे वह सम्यक्त्वी बन जाता है ।

अब वह अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझने लग गया हे । वह अब जानता है कि अमुक व्यक्ति आदर के योग्य हे और अमुक छोडने लायक है । अब यहाँ पर पहले वाला बुरो के प्रति राग भी नही है और अच्छो के प्रति द्वेष भी नही है । जो जैसा है उसको वैसा समझता है । सवप्रथम तो वह अच्छे व्यक्ति पर व अच्छाई पर तीव्र द्वेष करता था और वाद मे वह द्वेष राग के रूप मे परिणत हो गया और अब न तो राग की तीव्रता है और न ही द्वेष की । हम यह भी कह दे तो अतिशयोक्ति नही होगी कि अब उसमे राग और द्वेष दोनो नही है । क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझना राग नही कहलाता । आदरणीय को आदरने योग्य समझना राग मे नही आता । राग तो अनुचित होता है और राग के अन्दर अज्ञानता का पुट रहता हे । सम्यक्त्व की अवस्था मे राग की मात्रा भी मन्द पड जाती है और द्वेष की मात्रा भी । यह विवरण प्रस्तुत किया गया चौथे गुणस्थान का ।

तो सक्षेप मे तीन भग हुए । पहला तो—अच्छा है वह बुरा और बुरा है वह अच्छा—यह मिथ्यादृष्टि गुणस्थान का पहला भग है । दूसरा भग है—अच्छा भी अच्छा और बुरा भी अच्छा—यह तीसरे मिश्र गुणस्थान का दूसरा भग हे । तीसरा भग है चौथे सम्यग् दृष्टिगुणस्थान का जिसमे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा स्वीकार किया जाता है । इस प्रकार आत्मा ने चौथे गुणस्थान तक अपना उत्थान किया । शरीर दृष्टि से शरीर वही है और स्थान की दृष्टि से भी स्थान वही है किन्तु स्तर की दृष्टि से आत्मा ने अपनी अवस्था का स्तर जरा ऊँचा बना लिया ।

अब आगे चलकर वह आत्मा यदि अपने शुद्ध विचारो के अनुसार शुद्धि के लिए कुछ (देश) मूल तथा उत्तर गुणो को धारण करके अपने अनादिकाल के रमणभाव से विरमण कर लेता है तो वह पचम गुणस्थान पर चढ जाता है । इस प्रकार अभ्यास करता हुआ आगे जाकर सवमूल तथा उत्तरगुणो का धारक बन जाता है और छठा गुणस्थान प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से एक स्थान पर रहता हुआ अपने-आपको अवस्था की अथवा योग्यता की अपेक्षा से उत्तरोत्तर चढाता रहता है । अवस्था की अपेक्षा से उन्नति करने के चौदह

गुणस्थान है। इनमें से ग्यारह गुणस्थान तक वापिस नीचे गिाने की मभावना रहती है, इसलिये साधक को चाहिये कि वह अपने को प्रतिक्षण नगानता रहे। आत्मा की चरम उन्नतावस्था यद्यपि चौदहवें गुणस्थान के भी ऊपर है किन्तु वहाँ पर आत्मा साधक दशा में न रहकर सिद्ध अवस्था में शाश्वतरूप में विराजमान हो जाता है। उस अवस्था को गुणस्थान के रूप में नहीं बताया गया है। मित्र अवस्था तो आत्मा की चरम एव परम अवस्था है। सक्षेप में, आत्मोन्नति का यही उपक्रम है।

अब यदि जीव चौथे सम्यक्त्व गुणस्थान में आकर आगे बढ़ने की उपेक्षा कर देता है तो वह उन्नति के विपरीत अवनति की ओर गिरने लगता है। काम के उदय के अनुसार कई तरह की बातें सुनते सुनते, उनके मन में कई तरह की कल्पनाएँ उठने लगती हैं। वह बुरा, वह बुरा, वह बुरा—सब बुरा ही लगने लगता है। बुरो की बातें सुनते-सुनते वह सोचने लगता है कि “यदि ससार में सब बुरे ही बुरे हैं तो फिर अच्छे तो गिनती के लोग होंगे जिनका महत्त्व ही क्या है?” आखिर प्रभाव तो बहुमत का ही पडता है। कमजोर दिल वाले पर तो बहुमत का और जल्दी असर पड जाता है। बहुसंख्यक बुरो के निरन्तर सम्पर्क से अब उसके अन्दर अच्छो के प्रति भी द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह पुन इस कारण मिश्रगुणस्थान में आ जाता है। इस मिश्रगुणस्थान की स्थिति भी दो प्रकार की होती है—एक तो मिश्रगुणस्थान उन्नति के समय आता है। यह ध्यान रहे कि पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान को जाते समय जो मिश्रगुणस्थान आता है, उस समय वह सबको अच्छा समझने लगता है और परिणामस्वरूप अच्छे से लाभान्वित भी होता है। उसकी आत्मा का स्थान ऊँचा चढ जाता है। दूसरी मिश्रगुणस्थान की स्थिति तब आती है जब वह अवनति की ओर गतिशील होता है। चौथे गुणस्थान से पुन तीसरे में आते समय मिश्रगुणस्थान की स्थिति बदल जाती है। वह बुरे को तो बुरा समझता ही था लेकिन अब अच्छे को भी बुरा समझने लगता है। यही नहीं, वह तो सबको ही बुरा समझने लगता है। इस प्रकार अब वह अच्छो से भी वचना चाहता है क्योंकि उसकी दृष्टि में अब वे भी बुरे बन जाते हैं। उसके बुरेपन के संस्कार क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहे थे इसलिये वह सोचता है कि वह जैसा पहले था वही अच्छा था। वह पुन मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में गिर जाता है। आत्मा रागभाव से तो उन्नति करता है किन्तु द्वेषभाव से नीचे गिर जाता है।

इस प्रकार आत्मा के उन्नति के और अवनति के स्थान, शास्त्रकारों ने जिस दृष्टि से वर्णित किये हैं उनको समझने की आवश्यकता है। तदनुसार आत्मा का स्थान सदा संभालते रहने की जरूरत है। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये कि हमारे विचार कब कैसे ह, सम्यग्दृष्टि के हैं, मिथ्यादृष्टि के हैं या मिश्रदृष्टि

के है। रागभाव मे परिणति चल रही है या द्वेषभाव मे परिणमन हो रहा है। यह सारा का सारा विचार प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब शास्त्रो का, थोकडो का और बोलचाल का मनुष्य को ज्ञान हो। इस ज्ञान की सहायता से वह आत्म की गिरती हुई स्थिति पर काबू पाने मे समर्थ हो जाता है। मिथ्यात्व रुपी अवनति के गत से निकलकर, जब आत्मा सम्यक्त्वरुपी उन्नति के शिखर पर आरूढ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, दृढ हो जाता है, उस समय तो उसकी स्थिति और की और हो जाती है। वह बुरे को बुरा समझता अवश्य है किन्तु उसके बुरेपन को वह अपने अन्दर हावी नहीं होने देता। अपने अतरंग मे वह आत्मा बुरे से बुरे को भी अच्छे के रूप मे परिणत कर लेता है। जैसा कि आचाराग-सूत्र मे स्वयं शास्त्रकार फरमाते है

“समिथ ति मण्णमाणस्स समिया वा असमिया
वा समिया होइ उवेहाए।।”

वह यह भी समझता है कि यह बुरा है तो हो किन्तु इसका बुरापन मुझ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। ससार के परिवर्तनशील स्वभाव को समझता हुआ वह स्वयं मे समभाव रखकर आत्मा का पतन नहीं होने देता।

एक वार किसी राजा की सवारी निकल रही थी। सारे नगर का गन्ध, कुत्ते, विल्लियो और चूहो के शव, सब नगर की खाई मे वह रहे थे। गन्धे कूडे के ढेर भी यत्न तत्र लगे थे। सारा वायुमण्डल भयानक दुर्गन्ध से भरा हुआ था। सयोगवश राजा की सवारी उधर से आ निकली। अनेक प्रकार के मनुष्य थे राजा की शोभा-यात्रा मे। कुछ ने तो नाक बन्द कर लिये, दूसरो ने नाक पर रूमाल बान्ध लिये, कइयो ने कान के इतर के फोए को नाक पर रगडकर दुर्गन्ध से बचने का प्रयत्न किया और बहुतेरे खू-खाँ करके ऐसे थूकने लगे जैसे गन्धवी का भाग उनके मुह मे प्रवेश कर गया हो। इस प्रकार दुर्गन्ध से त्राण पाने के लिये तरह-तरह के प्रयत्न किये जाने लगे। राजा से लेकर वहाँ उपस्थित प्रजाजन दुर्गन्ध से व्याकुल थे। परन्तु प्रधानमन्त्री ने उक्त प्रकार की कोई भी हरकत नहीं की। उस पर राजा ने तो कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह तो स्वयं दुर्गन्ध से व्याकुल था किन्तु दूसरे जिन लोगो का ध्यान गया वे सोचने लगे कि हम पर तो दुर्गन्ध का इतना असर पडा है कि हमे व्याकुल किये दे रही है किन्तु यह प्रधान-मन्त्री इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ, यह बडे ही आश्चर्य की बात है। लोगो ने राजा का ध्यान प्रधानमन्त्री के विचित्र व्यवहार की ओर आकर्षित किया। लोगो ने राजा से कहा, “हजूर! देखो आप तो दुर्गन्ध के कारण नाक बन्द कर रहे ह किन्तु प्रधानमन्त्री तो तनिक भी दुर्गन्ध से बचने की चेष्टा नहीं कर रहा ह। वह तो अपने-आपको ऐसे दर्शा रहा है जैसे उसका व्यक्तित्व आपसे भी

ऊँचा हो। दरवार साहब लोगो के बहकावे में आ गये और प्रधानमंत्री को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उनको भी प्रधानमंत्री का व्यवहार पसन्द नहीं आया। राजा ने प्रधानमंत्री को सुनाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से बहा "ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री को जुकाम हो गया है। जुकाम होने में दुर्गन्ध अनुभव नहीं हुआ करता क्योंकि घ्राणन्द्रिय जुकाम के गन्ध से आक्रान्त होती है।" राजा की बात का सवने अनुमोदन करते हुए कहा, "हाँ हजूर, इनको अवश्य पीनस की शिकायत हो गई है।" राजा ने पूछा, "क्यों मंत्री जी, आपको क्या पीनस की शिकायत हो गई है?" "अन्नदाता! हो सकता है, जुकाम ही क्यों शरीरधारी को क्या नहीं हो सकता, किन्तु इस समय तो मैं पूर्णरूपेण स्वस्थ हूँ, मुझे जुकाम आदि की कोई भी शिकायत नहीं है।"

बड़ी ही नम्रता से प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया।

"फिर क्या कारण है कि आपको दुर्गन्ध नहीं आ रही है, गन्ध को ग्रहण करना तो घ्राणन्द्रिय का स्वभाव है। किसी भी व्यक्ति के चाहने या न चाहने की इसमें कोई बात नहीं, सुगन्धित या दुर्गन्धित पदार्थ यदि निकट में पड़े होंगे तो उनकी गन्ध तो नाक में प्रवेश करेगी ही।"

राजा ने पुनः मंत्री से पूछा।

"महाराज! नफरत किससे करना? ये तो पुद्गल है, परिवर्तनशील हैं। प्रकाश के पुद्गल अन्धकार में परिवर्तित हो जाते हैं और अन्धकार के प्रकाश में। सफेद पुद्गल काले में और काले सफेद में बदल जाते हैं। यह पुद्गलो का स्वभाव होता है। जब वस्तु ही परिवर्तनशील है तो उससे घृणा करने से क्या लाभ?"

प्रधानमंत्री ने दाशनििक भाषा में उत्तर दिया। लोगो ने 'बड़े ज्ञानी बने हैं प्रधानमंत्री जी' ऐसा कहकर उनकी हँसी उड़ाई। प्रधानमंत्री ने उनकी उपेक्षा कर दी। बड़े आदमी बोलकर अपने विचार व्यक्त नहीं किया करते, वे तो आचरण से अथवा फल से ही अपने मन्तव्य की अभिव्यक्ति किया करते हैं।

सब व्यक्ति वहाँ से अपने-अपने ठिकाने चले गये। इसके पश्चात् प्रधान-मंत्री ने अपने चार-पाँच विश्वस्त व्यक्तियों को बुलाया और उनको नये घड़े लाने के लिये आदेश दिया। घड़े हाजिर कर दिये गये। उन घड़ो को खाई के गन्दे पानी से भरवाकर प्रधानमंत्री ने अपने घर पर रखवा लिया। इन घड़ो का पानी सातवें दिन दूसरे घड़ो में बदल दिया गया। जो गन्दे परमाणु ये या गन्दा विकार था वह अलग हो गया और पानी स्वच्छतर हो गया। इस प्रकार सात सप्ताह तक अर्थात् ४९ दिन तक ऐसी ही प्रक्रिया घड़ो से अन्य घड़ो में जल परिवर्तन की चलती रही और परिणामस्वरूप जल इतना स्वच्छ हो गया कि उसमें मात्र जल के परमाणु शेष रह गये और बाकी सब अलग हो गये। जल की इस शुद्ध

स्थिति में भी इलायची, सोठ और लौंग डालकर जल को और पवित्र किया गया। फिर केवडा और गुलाब जल डालकर उसको सुगन्धित बनाया गया। इस सारी प्रक्रिया के पश्चात् प्रधानमन्त्री ने उस जल का आचमन किया। वह जल अत्यन्त सुगन्धित, सुस्वादु और हल्का बन गया था। तब प्रधानमन्त्री ने राजा को अपने घर पर निमन्त्रित किया भोजन के लिए। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की दरवार से, “अन्नदाता ! कभी-कभी तो हमारे जैसे अनुयायी कर्मचारियों के घर का भी तो आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए आपको।”

आग्रह करने पर राजा ने प्रधानमन्त्री का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। पधार गये प्रधानमन्त्री के घर दरवार साहब। बड़े मनुहारो के साथ उनको भोजन कराया जाने लगा। राजा जब भोजन से पूर्णरूपेण तृप्त हो गये तो एक जल का गिलास सामने रखा। इतना सुगन्धित, सुस्वादु और हल्का कि दरवार का खाया-पिया सब हजम हो गया। पेट पूर्णतया हल्का अनुभव किया दरवार ने जल पीते ही। इस जल ने राजा पर जादू-सा कर दिया। दरवार ने पूछा मन्त्री से, “तुम सदा ऐसा पानी पीते हो, किस कुए का पानी है, यहाँ हमें तो ऐसा पानी कभी भी सुलभ नहीं होता ? हमारे यहाँ का तो पानी भारी है, यह पानी तो इतना पाचक है कि जो कुछ खाया था सब भस्म हो गया और अब पुन खाने की रुचि जागृत हो गई है।”

“अन्नदाता, यह बडा ही कीमती पानी है। इसका जलाशय, तालाब वगैरह सब अलग ही प्रकार के है।” राजा ने बीच में ही मन्त्री की बात को भग करते हुए कहा, “छोडो इन बातों को। तुम जैसा पानी प्रतिदिन पीते हो वैसा हमको तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। जितना खर्चा लगे, खजाने से निकलवा लेना, मुझे तो प्रतिदिन ऐसा ही पानी सुलभ होना चाहिये। अब तक तो मुझे ज्ञान नहीं था कि ऐसा पाचक पानी भी है ससार में। आज पीया है तो पता चला है। अब तो दूसरा पानी अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे भी हो सके मेरे लिये ऐसे ही पानी की व्यवस्था करो।”

प्रधानमन्त्री को राजा की बात सुनकर हँसी आ गई। राजा ने हँसी का कारण पूछा तो प्रधानमन्त्री ने कहा, “अन्नदाता ! यह पानी बडा ही स्वच्छ, शीतल, सुगन्धित और पाचक है। आपके द्वारा इसकी प्रशंसा सुनकर मुझे हँसी आ गई।”

“प्रशंसा सुनकर भला हँसी आने की क्या बात थी ?” राजा ने बडी उत्कठा से पूछा।

“हज़ूर ! यह पानी उसी खाई का है जिसके प्रान्त भाग में पहुँचकर आपने और प्रजाजनो ने दुर्गन्ध के कारण नाक बन्द कर ली थी और मेरी हँसी उडाने हुए मुझे पीनस का रोगी बताया था।” मन्त्री ने बडी शालीनता से राजा को

उत्तर दिया।

“यह बात सर्वथा असभव है। मैं इसे कभी नहीं मान सकती।” राजा ने मंत्री की बात का प्रत्याख्यान किया।

“हम आपके सामने जलशोधन की सारी प्रक्रिया करके दिग्मा देगे, तब ता आप मानेंगे ?”

मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा।

राजा ने स्वीकृति दे दी। जैसा का जैसा जलशोधन का प्रयोग प्रधानमंत्री ने अपने घर पर किया था वैसा का वैसा राजमहल में राजा के सामने करके वता दिया। राजा ने जब वह शुद्ध पानी पिया तो उसको विश्वास हो गया। मंत्री से पूछा, “आपने यह विद्या कहाँ से सीखी ?” इसके उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा, “हज़ूर! यह तो एक सामान्य बात थी, आपको इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिये। हमारे सर्वज्ञों के सिद्धान्तों में आता है कि विश्व में पुद्गलों का परिवर्तित होने का और परिणामित होने का स्वभाव होता है। कल शाम को हमने बहुत बढ़िया से बढ़िया भोजन खाया था। भोजन में दाल का सीरा, खीर, पिश्ता की चक्कियाँ, बादाम का हलवा आदि-आदि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और सुगन्धित पदार्थ थे। वे सारे पदार्थ हमारे पेट में जाकर रात-भर में सड़ गये और दुर्गन्धित हो गये। जब शुभ पुद्गलों का अशुभ पुद्गलों के रूप में परिणमन हो सकता है तो अशुभ पुद्गलों का भी शुभ के रूप में परिणमन हो सकता है। यह तो प्रतिदिन के अनुभव की बात है कि रात तो पडती है किन्तु वह निरन्तर तो नहीं रहती, इसी प्रकार दिन आता है तो वह भी सदा स्थायी रूप से नहीं रहता। रात और दिन दोनों का स्वाभाविक चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार पुद्गलों का स्वभाव भी परिवर्तनशील है। पेट में रखे पदार्थ के अतिरिक्त आप किसी सुगन्धित खाद्य पदार्थ को एक कटोरदान में ही बन्द करके रख दो, सात दिन के बाद ढक्कन खोलो तो आप वहाँ दुर्गन्ध पाओगे। यह दुर्गन्ध कहीं बाहर से नहीं आती, यह तो पदार्थ में ही अन्तर्निहित होती है। पदार्थ की ताजगी के समय वह दबी रहती है, गौणरूप में होती है, ताजगी समाप्त होते ही दुर्गन्ध मुख्य रूप धारण कर लेती है।”

राजा के मन में इस सिद्धान्त ने घर कर लिया और उसने प्रधानमंत्री से पूछा “आपने यह सिद्धान्त किससे सीखा जरा और विस्तार से इस पर प्रकाश डालिये।”

प्रधानमंत्री ने राजा को समग्र सिद्धान्त विस्तार से समझाया और यह भी बताया कि इसका विस्तृत विवेचन हमारे आगमों में आता है। राजा मंत्री से सर्वज्ञों की वाणी सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और श्रावक के व्रतों को ग्रहण करके शुद्ध सम्यक्त्वी बन गया। अच्छे श्रावक ऐसे-ऐसे महान् कार्य कर देते

हे । अब वह राजा प्रधानमंत्री का शिष्य बन गया था । साधुओं के द्वारा श्रावक बनाना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है जबकि कई श्रावक भी ऐसी धार्मिक बुद्धि के धनी होते हैं कि वे बड़े राजाओं तक को श्रावक बना डालते हैं । जिस काम को एक साधु अपने पूरे जीवन में नहीं कर सका उस महान् कार्य को जम्बुकुमार ने एक रात्रि में कर डाला था । गृहस्थ ही तो था उस समय वह, किसी धर्मस्थानक में तो नहीं बैठा था । वह तो भोग-भवन की चित्रशालिका में विराजमान था । सबत्र विलास और रगमगल का वातावरण था । उसने एक रात्रि में ही पाँच सौ सत्ताईस जनो को प्रतिबुद्ध व विरक्त कर दिया । ऐसी वैराग्य की भावना जागृत कर दी उन सबमें कि सबने दीक्षा ग्रहण कर ली । ऐसे होते थे प्राचीनकाल में श्रावक जो दूसरों को भी पक्का कर देते थे । आज खुद की ही सुध-बुध नहीं है ।

सारांश यह है कि अवस्था व स्तर की अपेक्षा से आत्मा जो उन्नति करता है, वही वास्तविक उन्नति होती है । उन्नत होने के पश्चात् भी कई आत्माएँ असावधानी से पुनः पतित हो जाती हैं किन्तु जो सम्यक्त्व में आकर स्थिर, दृढ़ व अटल हो जाती है उन पर किसी भी बाह्य पदार्थ का प्रभाव नहीं पड़ सकता । सम्यक्त्वी व्यक्ति बुरी से बुरी बात को भी अपने अन्दर अच्छे रूप में परिणत करने की शक्ति से सम्पन्न होता है । वह तो उपासक ही 'सचाई और अच्छाई' का होता है । 'आप भला तो जग भला' इस कहावत को वास्तव में वही चरिताथ करता है ।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१४ अगस्त, १९७६



धर्मक्रियाएँ और धर्मध्यान

शुद्ध सम्यक्त्व ही शाश्वत सुखो का जनक है। बल हमने ध्यान के विषय में प्रसंग आरम्भ किया था। ध्यान चार प्रकार का होता है (१) आतध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान और (४) शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यानों में से सन्त लोग धर्मध्यान का सन्देश आपको दिया करते हैं। सामान्य और विशेष नभी प्रसंगों पर वे आपको धर्मध्यान का उपदेश दिया करते हैं। वस्तुतः धर्मध्यान का कोई खास प्रसंग नहीं कहा जा सकता। फिर भी व्यवहारतः धर्मध्यान के कुछ खास प्रसंग हैं। चातुर्मास भी धर्मध्यान का खास प्रसंग है और उसके अतिरिक्त जब मुनिराज नगरी और देहातो में प्रवेश करते हैं वे भी धर्मध्यान के प्रसंग होते हैं। सन्तों के अभाव में भी अष्टमी, चतुर्दशी, पाक्षिक तिथि आदि बड़ी तिथियों के दिनों में भी लगनशील व्यक्ति अनेक प्रकार के त्याग और व्रत ग्रहण किया करते हैं। सामायिक और प्रतिक्रमण भी उन दिनों में विशेष रूप से करते हैं। पाँच तिथियाँ, बड़ी तिथियों के रूप में मानी जाती हैं—द्वितीया, पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। इन तिथियों में भी धर्मध्यान का विशेष महत्त्व और प्रसंग होता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इन तिथियों के अतिरिक्त धर्मध्यान का कोई महत्त्व ही नहीं है। असली बात तो यह है कि जिन व्यक्तियों में धर्म के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है और लगन है वे तो प्रत्येक तिथि को ही यथाशक्ति अष्टमी-चतुर्दशी की ही तरह धर्मध्यान करते हैं। विशेष प्रसंगों का संकेत तो उन व्यक्तियों के लिये किया जाता है जिनका धर्म के प्रति प्रेम शिथिल है। चार मास के चातुर्मास में क्या सब दिन एक सरीखे होते हैं? उत्तर 'नहीं' में है। कुछ दिन विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं। पर्युपणपर्व के आठ दिन वैसे ही तो हैं जिनमें सबत्सरी का महापर्व भी समाविष्ट है।

जब-जब धर्मध्यान की बात का प्रसंग आता है तब-तब लोग यही समझते हैं कि सामायिक करना, पौष्य करना, उपवास, दया, आयविल करना, प्रतिक्रमण करना इसी का नाम धर्मध्यान है। वास्तव में ये धर्मध्यान नहीं हैं, ये तो धर्म-क्रियाएँ हैं। या तो कहो कि ये धर्म के कार्य हैं। एक स्थान पर बैठ जाना, यत्न से

बोलना, खुले मुँह नहीं बोलना, कच्चे पानी का सस्पर्श नहीं करना, विजातीय का स्पर्श नहीं करना, सच्चित्त को न छूना—ये सारी की सारी धर्म की क्रियाएँ हैं। ऐसा करने से धर्म की आराधना होती है। धर्मक्रियाएँ और धर्मध्यान दोनों का पृथक् अस्तित्व है। लोग प्रायः कहा करते हैं, “कि हम तो निम्नकथित वातों को ही धर्मध्यान समझते आये हैं, जैसे गुरुमहाराज की तीन बार वन्दना की तो वे पहली बार फरमाते हैं ‘दयापालो’ दूसरी बार में कहते हैं ‘धर्मध्यान करो’ और तीसरी बार जब सुखसाता पूछी जाती है तो कहते हैं ‘देव, गुरु और धर्म की कृपा से सब आनन्द ही आनन्द है।’ इस प्रकार महाराज के धर्मध्यान करने के सदेश में हम तो इन्हीं क्रियाओं को समझते हैं।” इस प्रकार का समझना भ्रान्तिपूर्ण है। धर्मध्यान और धर्मक्रिया में तो बड़ा अन्तर है। हमें ज्ञात है कि धर्मक्रिया और धर्मध्यान में जो भी सरल मार्ग है, आप सब वही पसन्द करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप यह समझने का प्रयत्न करें कि धर्मक्रिया और धर्मध्यान में अन्तर क्या है? धर्मक्रिया तो एक स्थान पर बैठकर भगवान् का नाम लेना, भजन स्मरण करना, सामायिक-प्रतिक्रमण करना, पौषध, दया, तपस्या आदि करना ये तो धर्म की क्रियाएँ हैं। अब धर्मध्यान के विषय में समझिये। धर्मध्यान में ध्यान शब्द बड़ा ही सारगर्भित है। सामान्य व्यवहार में भी हम कई बार कहा करते हैं ‘किधर है ध्यान तुम्हारा,’ कई बार पुकारने पर भी जब वह उत्तर नहीं देता तो और जोर से कहना पड़ता है कि ‘अरे श्रीमान् जी, कहाँ खो रहे हो?’ इससे स्पष्ट है कि ध्यान अलग चीज है और क्रिया अलग। क्रिया तो देखी जा सकती है किन्तु ध्यान दिखाई नहीं देता। सामने वाला व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है, यह तो स्पष्ट दिखाई देता है किन्तु उसका ध्यान किधर जा रहा है और कहाँ केन्द्रित है इसका तो कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार क्रिया वहिरंग है और ध्यान अन्तरंग है। सामायिक, पौषध आदि धर्मक्रियाएँ हैं और समभाव के विचारों का चलना, साधुता का चिन्तन करना आदि धर्मध्यान है। आप क्रियाएँ तो करते हैं किन्तु आपका ध्यान भी क्रियाओं में केन्द्रित रहता है या नहीं यह बात सन्देहात्मक है। यदि हमारी क्रिया के साथ-साथ हमारा ध्यान भी उधर ही केन्द्रित हो जाये तो क्रिया में ध्यान का पुट लग जाने से ध्यान का सहयोग क्रिया को मिल जाता है। इससे क्रिया में दुगुना बल आ जाता है और क्रिया की शक्ति अधिक बलवती हो जाती है। क्रिया में शक्ति का समागम ध्यान से ही सम्भव है। अब आप भली-भाँति समझ गये होंगे कि धर्मक्रिया और धर्मध्यान में क्या अन्तर होता है।

अब प्रश्न है सरलता का, क्रिया सरल है अथवा ध्यान सरल है। दोनों का विवेचन आपके सामने कर दिया गया है। कार्यरूप से बाहर दीखने में आने वाला कुछ भी हो वह क्रिया कहलता है और मनन-चिन्तन के रूप में विचारों का प्रवाह ध्यान है। क्रिया समय पर आश्रित होती है। सामायिक के लिए आपको कम से

कम अड़तालीस मिनट का समय चाहिये, तभी आप सामायिक कर सकते हैं। प्रतिक्रमण के लिए उससे भी अधिक समय अपेक्षित है। दया, तपस्या, जप, माता, स्मरण आदि सभी क्रियाओं के लिए अल्पाधिक समय की आवश्यकता रहती है। विना निश्चित समय के किसी भी धर्मक्रिया को करना सम्भव नहीं है। किन्तु ध्यान किसी निश्चित समय की माँग नहीं करता। मन में विचार करने में, चिन्तन करने में, ध्यान करने में आपको अलग समय की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप किसी भी अवस्था में मार्ग में चलते हुए, दुकान पर बैठे हुए, माल तोलते हुए, खरीदते हुए, बेचते हुए, कुछ भी करते हुए धार्मिक विचार अपने मन में रख सकते हैं। धर्मध्यान कर सकते हैं, कोई समय का बन्धन धर्मध्यान के लिये नहीं है। अब आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि क्रिया सरल है अथवा ध्यान सरल है। सब एकम्बर से यही कहेंगे कि धर्मध्यान सरल है और क्रिया कठिन है।

आज के व्याख्यान में धर्मध्यान का ही विश्लेषण मुझे करना है और इसकी सरलता पर प्रकाश डालना है। वर्षों से धर्म की क्रिया करते आये हैं, इसलिये सामायिक कैसे करना यह सब आपको ज्ञात है। सबप्रथम घर से चलकर स्थानक में आते हैं, मार्ग में जाने-अनजाने में हुई जीव-विराधना का ईर्ष्यापथिक करना, इच्छा कारण की पाटी बोलना, पापों की विशेष शुद्धि के लिये प्रतिक्रमण करना, उन महापुरुषों का जिन्होंने समता में धर्म बताया है और ममता का क्रियात्मक रूप जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है—उनकी स्तुति करना 'लोगस्स' के शब्दों में, सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए, अमुक समय अठारह ही पापों से बिलग रहने के लिये 'करेमि मते' की पाटी बोलना (इसमें मन, वचन, काया से स्वयं पाप करने के एव दूसरों से पाप करवाने के प्रत्याख्यान रहते हैं) अन्त में ली हुई प्रतिज्ञा पर मुहरछाप लगाने के लिये 'नमोत्थुण' की पाटी से नमस्कार करना आदि-आदि धर्म की क्रियाओं से आपका भलीभाँति परिचय है।

सामायिक का चरम लक्ष्य सिद्ध-पद की प्राप्ति है। इस परम लक्ष्य की पूर्ति के लिये सामायिक में की जाने वाली धर्मक्रियाओं का जितना महत्त्व है, उससे कहीं अधिक धर्मध्यान व धर्मचिन्तन का महत्त्व है। लेकिन आपको तो ज्ञान ही नहीं कि धर्मध्यान कैसे किया जाता है। अपने विचारों में धर्मचिन्तन की रति कैसे रखी जाये? शास्त्रों में चारों ही प्रकार के ध्यानों का विस्तृत विवेचन मिलता है। निजरतत्त्व के बारह भेद हैं (१) अनशन, (२) ऊनोदरी, (३) भिक्षाचर्या, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) प्रतिसलीनता, (७) प्रायश्चित्त, (८) विनय, (९) वैद्यावृत्य, (१०) स्वाध्याय, (११) ध्यान और (१२) व्युत्सर्ग। ध्यान निर्जरा तत्त्व का एक भेद है। बारह प्रकार के तपों का वणत निर्जरा तत्त्व में किया गया है जिसमें ध्यान का ग्यारवा स्थान या

भेद है। निर्जरा तत्व में केवल धर्मध्यान और शुक्लध्यान का ही वर्णन नहीं आया है किन्तु आर्तध्यान और रौद्र ध्यान का भी वहाँ वर्णन है। इसका कारण है कि आर्त और रौद्र ध्यान के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा होती है। बिना चाहे हुए भी जो आपत्ति आ जाती है एव उस आपत्ति को सहन करते समय जो आर्तरौद्र ध्यान आना है, उस अवस्था में पूर्व के बँधे कर्म क्षय हो जाते हैं परन्तु नये कर्म भी बँध जाते हैं। इसके विपरीत धर्मध्यान और शुक्लध्यान में पूर्व-आवद्धकर्मों का मात्र क्षय ही क्षय होता है, नये कर्मों का बंध नहीं होता। इस प्रकार चारों ही ध्यान निर्जरा के कारण हैं। दो ध्यानो में पुराने कर्मों का क्षय और नये कर्मों का बंध साथ-साथ होता है, एव शेष दो ध्यानो में कर्मों का केवल क्षय होता है, बंध नहीं होता। धर्मध्यान के विवेचन में शास्त्रकार फरमाते हैं कि चार प्रकार से धर्मध्यान होता है जिसमें पहला भेद है 'आज्ञाविचय'। जिनेन्द्र भगवान् ने हमें क्या आज्ञाएँ दे रखी हैं और अन्य सर्वज्ञो ने भी हमारे आत्मकल्याण के लिए कौन-कौन-सी आज्ञाएँ प्रदान की हैं, किन्-किन बातों का विधान और किन्-किन बातों का निषेध किया है—इस बात का बार-बार चिन्तन-मनन करना चाहिये। मनुष्य सदा यह सोचे, "मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह भगवान् की आज्ञा के अनुसार है या विरुद्ध है? जिस कार्य को करने में उद्यत हूँ उसका भगवान् ने विधान किया है या निषेध कर रखा है?" किसी भी कार्य को करते समय मन में इस प्रकार का विचार रहना चाहिये। यह तो आपके हाथ की बात है, आप बड़ी सरलता से इसे कर सकते हैं। शास्त्र में प्रधान रूप से यह बात कही गई है कि प्रत्येक कार्य करते समय केवल मन में यह विचार करते रहना चाहिये कि "मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह वीतराग की आज्ञानुसार है या नहीं?" आपको यदि वीतराग भगवान् की आज्ञा का ज्ञान नहीं हो कि उनकी आज्ञा क्या है तो भी उक्त प्रकार का चिन्तन करने से अपने-आप आपको अन्दर से उत्तर मिल जायेगा। आत्मा स्वयं साक्षी दे देगा कि अमुक काम करना अच्छा है अथवा बुरा। आत्मा आपको स्वयं बता देगा जिस काम का परिणाम भविष्य में अच्छा नहीं है वह नहीं करना चाहिये। आपके आत्मा की आवाज ही भगवान् की आज्ञा का प्रतीक बन जायेगी। इसी प्रकार जिस काम का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा उसको करने के लिए आपकी आत्मा प्रेरणा देगी, ऐसी आत्मा की आवाज को वीतराग भगवान् की आज्ञा का पालन समझ लेना चाहिये। मनुष्य अपने आत्मा की आवाज को सुने चाहे न सुने परन्तु आत्मा शुभ और अशुभ परिणाम की सूचना देता रहता है। यह तो आन्तरिक संसार है, ये सारी की सारी बातें आत्मचिन्तन से सम्बन्ध रखती हैं। जिस व्यक्ति का चिन्तन जितना ही निर्विकार एव पवित्र होगा उतनी ही पवित्र आवाज का उसके आत्मा से आविर्भाव होगा। यदि किसी भी कार्य को करते समय

धर्मक्रियाएँ और धर्मध्यान

मन में प्रसन्नता है, तो समझ लेना चाहिये कि यह भगवान् की आज्ञा के अनुकूल है और यदि इसके विपरीत किसी काय को करते समय मन में ग्लानि है, दुःख है, सन्देह है, भय है तो समझ लेना चाहिये कि यहाँ भगवान् की आज्ञा नहीं है। ये विचार हूँ धर्मध्यान से सम्बन्ध रखने वाले। ऐसे लोग जिनको शास्त्र-श्रवण का सुयोग नहीं मिल पाता और जो शास्त्र-ज्ञान से सवथा अनभिज्ञ हैं उनका आत्मा के अन्दर से ही शुभाशुभ अनुभूति हो जाये—इसके लिए धर्मध्यान की परमावश्यकता है।

भगवान् तो सब के हे। भगवान् के ऊपर जो दावा करता है, उन पर जो अपना अधिकार जमाता है, उनकी अधिक भक्ति करने के कारण अथवा उनकी अधिक आज्ञा पालन करने के कारण—एक ओर तो ऐसा व्यक्ति है या भक्त है और दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो न तो कभी भगवान् का भजन करता है, न उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, न कभी उनकी प्रायश्चा करता है और न ही उन पर अपना किसी प्रकार का अधिकार जमाता है—इन दोनों में से भगवान् को कौन-सा प्रिय होगा, पहला या दूसरा? यदि पहला मानेंगे तब तो भक्तों की संख्या बहुत कम रह जायेगी क्योंकि अधिक संख्या वाले तो वे हूँ जो भगवान् की अपेक्षा करते हैं। इससे तो भगवान् घाटे में रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि भक्ति, स्तुति अथवा आज्ञा-पालन को ही आधार मानकर यह निर्णय लिया जाये कि भगवान् तो भक्तों के ही हैं जैसा कि लोक में भगवान् के मुख से ये शब्द कहलाये गये हैं, 'हम भक्तन के भक्त हमारे' तब तो भगवान् के उपासक बहुत थोड़े मिलेंगे। भगवान् का कार्यक्षेत्र, उनका साम्राज्य और आधिपत्य बहुत कम लोगों पर रह जायेगा। इन सब बातों को और विरोधी तर्कों को देखते हुए हम तो यहीं कहेंगे कि भगवान् तो सबके हैं—भक्तों के भी और उनके भी जो उनके भक्त नहीं हैं। इस प्रकार सब उनके हैं, वे भी जो उनको भला-बुरा कहते हैं। भगवान् के घर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान् तो अत्यन्त निर्मल आत्मा हैं। उनका ध्येय तो यही रहता है कि ससार के सभी प्राणियों का हित हो, सभी प्राणी सुखी रहे और सभी प्राणियों को आनन्द की प्राप्ति हो। वे तो किसी का भी अमंगल नहीं चाहते। ऐसे भगवान् की जो आज्ञा है उनका पालन हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में करना चाहिये। यदि इस प्रकार के विचारों से हम सदा अनुप्राणित रहेंगे तो हमारी आत्मा में एक दिन स्वतः ज्ञान का प्रकाश हो जायेगा और हमको यह बोध हो जायेगा कि अमुक कार्य हमारे लिये और प्राणीमात्र के लिए लाभदायक है और परिणाम में सुखावह है। इसी तरह अमुक कार्य हमारे लिये भी बुरा है, अन्य प्राणियों के लिये भी अहितकर है और भविष्य में इसका परिणाम भी दुःखावह है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य भविष्य की अपेक्षा कर देता है और वर्तमान को ही महत्त्व देकर चलता है। वह

भेद है। निजरा तत्व में केवल धर्मध्यान और शुक्लध्यान का ही वर्णन नहीं आया है किन्तु आर्तध्यान और रौद्र ध्यान का भी वहाँ वर्णन है। इसका कारण है कि आर्त और रौद्र ध्यान के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा होती है। विना चाहते हुए भी जो आपत्ति आ जाती है एव उस आपत्ति को सहन करते समय जो आर्तरौद्र ध्यान आना है, उस अवस्था में पूर्व के बँधे कर्म क्षय हो जाते हैं परन्तु नये कर्म भी बँध जाते हैं। इसके विपरीत धर्मध्यान और शुक्लध्यान में पूर्व-आवद्धकर्मों का मात्र क्षय ही क्षय होता है, नये कर्मों का बंध नहीं होता। इस प्रकार चारों ही ध्यान निर्जरा के कारण हैं। दो ध्यानों में पुराने कर्मों का क्षय और नये कर्मों का बंध साथ-साथ होता है, एव शेष दो ध्यानों में कर्मों का केवल क्षय होता है, बंध नहीं होता। धर्मध्यान के विवेचन में शास्त्रकार फरमाते हैं कि चार प्रकार से धर्मध्यान होता है जिसमें पहला भेद है 'आज्ञाविचय'। जिनेन्द्र भगवान् ने हमें क्या आज्ञाएँ दे रखी हैं और अन्य सर्वज्ञों ने भी हमारे आत्मकल्याण के लिए कौन-कौन-सी आज्ञाएँ प्रदान की हैं, किन्-किन बातों का विधान और किन्-किन बातों का निषेध किया है—इस बात का वारवार चिन्तन-मनन करना चाहिये। मनुष्य सदा यह सोचे, "मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह भगवान् की आज्ञा के अनुसार है या विरुद्ध है? जिस कार्य को करने में उद्यत हूँ उसका भगवान् ने विधान किया है या निषेध कर रखा है?" किसी भी कार्य को करते समय मन में इस प्रकार का विचार रहना चाहिये। यह तो आपके हाथ की बात है, आप बड़ी सरलता से इसे कर सकते हैं। शास्त्र में प्रधान रूप से यह बात कही गई है कि प्रत्येक कार्य करते समय केवल मन में यह विचार करते रहना चाहिये कि "मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह वीतराग की आज्ञानुसार है या नहीं?" आपको यदि वीतराग भगवान् की आज्ञा का ज्ञान नहीं हो कि उनकी आज्ञा क्या है तो भी उक्त प्रकार का चिन्तन करने से अपने-आप आपको अन्दर से उत्तर मिल जायेगा। आत्मा स्वयं साक्षी दे देगा कि अमुक काम करना अच्छा है अथवा बुरा। आत्मा आपको स्वयं बता देगा जिस काम का परिणाम भविष्य में अच्छा नहीं है वह नहीं करना चाहिये। आपके आत्मा की आवाज ही भगवान् की आज्ञा का प्रतीक बन जायेगी। इसी प्रकार जिस काम का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा उसको करने के लिए आपकी आत्मा प्रेरणा देगी, ऐसी आत्मा की आवाज को वीतराग भगवान् की आज्ञा का पालन समझ लेना चाहिये। मनुष्य अपने आत्मा की आवाज को सुने चाहे न सुने परन्तु आत्मा शुभ और अशुभ परिणाम की सूचना देता रहता है। यह तो आन्तरिक सप्सर है, ये सारी की सारी बातें आत्मचिन्तन से सम्बन्ध रखती हैं। जिस व्यक्ति का चिन्तन जितना ही निर्विकार एव पवित्र होगा उतनी ही पवित्र आवाज का उसके आत्मा से आविर्भाव होगा। यदि किसी भी कार्य को करते समय

मन में प्रसन्नता है, तो समझ लेना चाहिये कि यह भगवान् की आज्ञा के अनुकूल है और यदि इसके विपरीत किसी कार्य को करते समय मन में ग्लानि है, दुःख है, सन्देह है, भय है तो समझ लेना चाहिये कि यहाँ भगवान् की आज्ञा नहीं है। ये विचार हैं धर्मध्यान से सम्बन्ध रखने वाले। ऐसे लोग जिनको शास्त्र-श्रवण का सुयोग नहीं मिल पाता और जो शास्त्र-ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं उनका आत्मा के अन्दर से ही शुभाशुभ अनुभूति हो जाये—इसके लिए धर्मध्यान की परमावश्यकता है।

भगवान् तो सब के हैं। भगवान् के ऊपर जो दावा करता है, उन पर जो अपना अधिकार जमाता है, उनकी अधिक भक्ति करने के कारण अथवा उनकी अधिक आज्ञा पालन करने के कारण—एक ओर तो ऐसा व्यक्ति है या भक्त है और दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो न तो कभी भगवान् का भजन करता है, न उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, न कभी उनकी प्रार्थना करता है और न ही उन पर अपना किसी प्रकार का अधिकार जमाता है—इन दोनों में से भगवान् को कौन-सा प्रिय होगा, पहला या दूसरा? यदि पहला भानेगे तब तो भक्तों की सरया बहुत कम रह जायेगी क्योंकि अधिक सख्या वाले तो वे हैं जो भगवान् की अपेक्षा करते हैं। इससे तो भगवान् घाटे में रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि भक्ति, स्तुति अथवा आज्ञा-पालन को ही आधार मानकर यह निष्पत्ति लिया जाये कि भगवान् तो भक्तों के ही हैं जैसा कि लोक में भगवान् के मुख से ये शब्द कहलाये गये हैं, 'हम भक्तन के भक्त हमारे' तब तो भगवान् के उपासक बहुत थोड़े मिलेंगे। भगवान् का कार्यक्षेत्र, उनका साम्राज्य और आधिपत्य बहुत कम लोगों पर रह जायेगा। इन सब बातों को और विरोधी तर्कों को देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि भगवान् तो सबके हैं—भक्तों के भी और उनके भी जो उनके भक्त नहीं हैं। इस प्रकार सब उनके हैं, वे भी जो उनको भला-बुरा कहते हैं। भगवान् के घर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान् तो अत्यन्त निर्मल आत्मा हैं। उनका ध्येय तो यही रहता है कि ससार के सभी प्राणियों का हित हो, सभी प्राणी सुखी रहें और सभी प्राणियों को आनन्द की प्राप्ति हो। वे तो किसी का भी अमंगल नहीं चाहते। ऐसे भगवान् की जो आज्ञा है उनका पालन हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में करना चाहिये। यदि इस प्रकार के विचारों से हम सदा अनुप्राणित रहेंगे तो हमारी आत्मा में एक दिन स्वतः ज्ञान का प्रकाश हो जायेगा और हमको यह बोध हो जायेगा कि अमुक कार्य हमारे लिये और प्राणीमात्र के लिए लाभदायक है और परिणाम में सुखावह है। इसी तरह अमुक कार्य हमारे लिये भी बुरा है, अन्य प्राणियों के लिये भी अहितकर है और भविष्य में इसका परिणाम भी दुःखावह है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य भविष्य की उपेक्षा कर देता है और वर्तमान को ही महत्त्व देकर चलता है। वह

सोचता है कि 'भविष्य मे जो होना होगा होता रहेगा, वर्तमान का लाभ उठाना चाहिए।' कुछ लोग ऐसे भी हे जो भूत और भविष्यत दोनो की उपेक्षा करते है, वे महत्त्व, मात्र वर्तमान को देते है। किसी कवि ने कहा भी है

“गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वाछा नाँय ।
वर्तमान वर्ते खरो, सो ज्ञानी जग माँय ॥”

इस पद्य के अनुसार तो भूत और भविष्यत् की तनिक भी परावाह न करके मनुष्य को वर्तमान की ही चिन्ता करनी चाहिये। यह ठीक नहीं हे। लोगो ने उक्त पद्य का 'भावार्थ' सही नहीं समझा हे, उसका अर्थ अपने मतलब का कर डाला है। वास्तव मे तो उसका अर्थ है कि वीती बात का ध्यान करके आर्तध्यान नहीं करना चाहिए, चिन्ता मे नहीं डूवना चाहिए क्योंकि जो जैसा होना था वह तो हो चुका है, उसमे अब परिवर्तन सम्भव नहीं है। जब व्यर्थ का चिन्तन किया जाता है तो उसका बुरा प्रभाव आवश्यक चिन्तन पर पडता है, इसीलिये वीती बात की चिन्ता न करने का ज्ञानी पुरुषो ने उपदेश दिया है।

'आगम वाछा नाँय' का अर्थ है कि बहूत-से व्यक्ति शेखचिल्ली के दिमाग के होते हे। बैठे-बैठे बेसिर-पैर के मनसूवे बाँधा करते है। 'आज हमने यह किया है, इसका फल भविष्य मे यह निकलेगा, भविष्य मे जो होने वाला है उसका परिणाम यह होगा, वह होगा।' इत्यादि-इत्यादि। ऐसे लोग वर्तमान के सरक्षण का तथा वर्तमान से लाभान्वित होने का प्रयत्न नहीं करते। केवल भविष्य के मनसूवो का महल खडा करने मे डूबे रहते है। मारवाडी भाषा मे एक उक्ति भी है

“मारवाड मनसूवा डूबी पूर्व डूबी गानासूँ ।
खानदेश खाना सूँ डूबी, दक्षिण डूबी दाना सूँ ॥

इस प्रकार की भविष्य के लिए निरर्थक कल्पनाएँ करते रहने से और मनसूवो के पुल बाँधते रहने से मनुष्य वर्तमान मे क्रियाशील नहीं बन सकता, वर्तमान मे प्राप्त साधनों का सदुपयोग नहीं कर सकता। इसी आशय को ध्यान मे रखकर ज्ञानी पुरुषो ने 'गई बात सोचे नहीं' की उक्ति प्रसारित की है। इस शिक्षा की गति सासारिक कार्यों तक ही सीमित है। बाकी आत्मार्थी जो पुरुष होते है, धर्मध्यान करने वाले जो श्रावक होते हे, वे तो जीवन के कदम-कदम पर यही सोचा करते हे, “भूतकाल मे हमने अनेक प्रकार के पापकर्म किये है, दुष्कर्म किये है, उन सबका हमको प्रायश्चित्त लेना हे, आलोचना करना है। ऐसा करने से हमारी आत्मा निष्पाप, निष्कलक एव निर्मल बनेगी। भविष्य मे वर्तमान के अन्दर किए जाने वाले किसी कार्य का हमे बुरा फल न भोगना पड़े, इसके लिये सँभल-सँभल कर चलना है।” धर्मध्यान का पहला ही भेद है

‘आज्ञा विचय’ । हर समय भगवत्-आज्ञा का विचार करते रहना’ धर्मध्यान का लक्षण है ।

आज के व्याख्यान में आपको यही बताया गया है कि धर्मक्रिया अलग है और धर्मध्यान अलग है । धर्मध्यान में हर व्यक्ति को जितनी स्वतन्त्रता है उतनी धर्मक्रिया में नहीं है । धर्मध्यान के चार भेदों में से पहला भेद है ‘आज्ञा विचय’ । विस्तार से देखना हो तो ‘ओववाइय’ में देखा जा सकता है । सम्यक्त्व सहित वारह व्रत, श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ, पाच महाव्रत, भिक्षु की वारह प्रतिमाएँ, शुद्ध योग, शुद्ध ध्यान, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और छह काय की रक्षा आदि सब क्रियाएँ वही कर सकता है जो जीव वीतराग की आज्ञा का आराधक होगा । इसमें सम्यक्त्वों, श्रावक व साधु—तीनों की ऊँची से ऊँची क्रियाओं का समावेश हो जाता है । साधु की उत्कृष्ट क्रिया के रूप में वारह भिक्षु प्रतिमाएँ, श्रावक की उत्कृष्ट क्रिया में ग्यारह प्रतिमाएँ तथा सम्यक्त्वों की उत्कृष्ट क्रिया में धार्मिक सम्यक्त्व की आराधना—ये सारी की सारी क्रियाएँ भगवान् की आज्ञा ही समझनी चाहिये ।

धर्मध्यान का दूसरा भेद है ‘अपाय विचय’ । इसका अभिप्राय है जीवन में होने वाले दुःख, कष्ट एवं विघ्नो पर विचार करना । वर्तमान में हमारे द्वारा ऐसी कौन-सी क्रियाएँ हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है । वर्तमान में अच्छे प्रतीत होने वाले कार्य की सामर्थ्य न भी हो तो भविष्य में होने वाली सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रखना चाहिये । इस श्रद्धान से जब भी आत्मा विकसित होगा और आत्मबल जागृत होगा तो आत्मा को कृतकर्मों पर आक्रमण करने का अवसर मिलेगा । धर्मध्यान का यह दूसरा लक्षण है । ‘भविष्य में मेरे कौन-कौन-से काय बुरे परिणाम के रूप में प्रकट होंगे एवं किन-किन कार्यों के फलस्वरूप मुझे दुःख झेलने पड़ेंगे’ इस प्रकार का चिन्तन तो प्रत्येक व्यक्ति को सदा करते रहना चाहिये । बुरे काम करने बड़े आसान होते हैं किन्तु फल भोगते समय नानी याद आती है । इस भाव को किसी ने लोकोक्ति के रूप में व्यक्त भी किया है

“पाप करता सोहिलो,
भोगवता दोहिलो ।”

पाप करते हुए तो अच्छा लगता है किन्तु भोगते समय बड़ा दुःखी होना पड़ता है ।

धर्मध्यान का तीसरा भेद है ‘विपाक विचय’ । किस कर्म का किस प्रकार का विपाक आयेगा इसको कहते हैं ‘विपाक विचय’ । जीव को दो प्रकार के विपाक आते हैं सुख और दुःख । वि—अर्थात् विशेष रूप से पाक—पक जाने को ही विपाक कहते हैं । वि+पाक—अर्थात् विशेषरूप से पका फल । फल भी दो प्रकार के होते हैं—मीठे और कड़े । कुछ फल तो जब पकते हैं, बड़े सुन्दर

और मीठे होते हैं। जो फल पकने के बाद मीठे लगते हैं, वे जब तक पकते नहीं, अधपके रहते हैं तब तक मीठे नहीं होते। उनका पकने के बाद ही मीठे लगना विशिष्ट पाक होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं कि पकने के बाद एकदम कड़वे लगते हैं। पकने की पूर्व अवस्था में वे कड़वे नहीं होते। यहाँ जो विपाक शब्द आया है वह सुख-दुःख का परिचायक है। ग्यारहवें अगसूत्र में इसका विवेचन देखा जा सकता है। सूत्र के दो विभागों के क्रमशः नाम हैं सुख विपाक और दुःख विपाक। हम जो पुण्य करते हैं, शुभ-कर्म कमाते हैं, उसका विपाक सुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो पाप करते हैं, मन को अच्छा या सुहावना लगने वाला काय करते हैं—उसका विपाक दुःख के रूप में हमें मिलता है। यह धर्मध्यान का 'विपाक विचय' नाम का तीसरा लक्षण है। 'विपाक विचय' के अनुसार 'कर्मों का भविष्य में क्या विपाक आयेगा' इसका बार-बार चिन्तन करते रहना चाहिये।

यह धर्मध्यान के तीन भेदों का संक्षेप में विश्लेषण है। चौथे का प्रसंग फिर समय आने पर चलेगा। उक्त विवेचन का थोड़े शब्दों में यही सार है कि धर्म-क्रिया करते समय तो आपके सामने समय का बन्धन रहता है किन्तु धर्मध्यान के लिये वैसा कोई बन्धन नहीं है। बन्धनरहित होने के कारण से धर्मध्यान अत्यन्त सरल भी है। आप धर्मध्यान की कभी उपेक्षा नहीं करेंगे—ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं।

जैन-भवन, डेहू (नागौर)

१६ अगस्त, १९७६





त्याग ही वास्तविक जीवन है

आत्मा के लिये शाश्वत सुखो की प्राप्ति बिना पुरुषार्थ के मभव नहीं है। नि सन्देह पौरुष तो सासारिक अशाश्वत सुखो के लिए और क्षणभंगुर आनन्द के लिये भी करना पडता है किन्तु सासारिक पुरुषार्थ मे और आध्यात्मिक पुरुषार्थ मे अन्तर होता है। जो लोग यह समझते है कि शरीर के द्वारा श्रम करने का नाम ही पुरुषार्थ है वे भूल करते है। मन को नियन्त्रण मे करने के लिये भी पुरुषार्थ करना पडता है। शारीरिक शक्ति के द्वारा तो आप बड़े-बड़े सगम भी जीत सकते है परन्तु मन को जीतना तो उन सबसे कठिन है। तभी तो किमी ने कहा है कि "मन जीते जग जीत" अर्थात् - जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने तो मानो सारे ससार को ही जीत लिया है। मन को जीतना ससार के जीतने से भी अधिक महत्त्व का है। इसका कारण है कि मन की भ्रान्त प्रवृत्ति के कारण अनेक बार आत्मा को असह्य यातनाओ का सामना करना पडता है। जो परम्परा से चले आ रहे दकियानूसी और अन्धविश्वासपूर्ण मस्कार है उनको भी मन से मिटा देना सरल काम नहीं, इस प्रकार मन की शुद्धि भी पुरुषार्थ की अपेक्षा रखती है। शरीर की सुरक्षानिमित्त कई बार मन ऐसी प्रवृत्तियाँ करने लगता है जिनके परिणामस्वरूप आत्मा अनेक प्रकार के पापबन्धनो मे बन्ध जाता है। 'अमुक (मासादि) वस्तु के सेवन न करने से शरीर दुबल हो जायेगा, अस्वस्थ रहने लगेगा' ऐसी-ऐसी भ्रान्त धारणाएँ कई बार मन को परेशान कर दिया करती है।

जोव दो प्रकार के होते ह कुछ तो ऐसे है जिनको रहने के लिये एक शरीर मिला है, स्वतन्त्र शरीर जिसमे अकेला जीव निवास करता है। कुछ ऐसे भी जीव है जो एक-एक शरीर मे बहुत सारे रहते ह। शरीर तो एक ही है किन्तु उसमे दो से लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त जीव तक रहते है। उनको अनन्तकायिक जीव भी कहा जाता है। अनन्तकाय का अभिप्राय उस काय से है जिस काय मे सूई की नोक की जगह मे अनन्त जीव रहते हो। शास्त्रकार इसको साधारण वनस्पतिकाय कहते है। वनस्पतिकाय मे ही ऐसा सभव है वाकी वनस्पति के

अतिरिक्त जितनी भी काय है पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु और त्रस—उनके तो एक शरीर मे एक जीव ही हुआ करता है। हमारे इतने बड़े शरीर मे एक जीव हे। यो किसी प्रकार की शारीरिक विकृति के कारण और जीवो की उत्पत्ति मी हो सकती हे, किन्तु उस दशा मे उन सब जीवो के शरीर अलग-अलग होणे। वनस्पतिकाय की यह अपनी विशेषता होती है कि जिसमे एक शरीर के अन्दर ही अनत जीव भी रह सकते ह। पचेन्द्रिय शरीर मे निवास करने वाला जीव अपने इन्द्रिय-वर्ग की ऋद्धि-समृद्धि के साथ रहता है। अपने इस शरीर के पोषण के लिये ही कितने जीवो की हत्या का पाप वान्धते ह लोग, क्या इतने पाप के बिना हमारे शरीर का पोषण नही हो सकता ? यदि थोडे-से पाप से ही हमारा शरीर स्वस्थ एव प्रसन्न रह सकता है तो फिर उसके लिये बहुत-से जीवो का सहार करना कोई बुद्धिमत्ता नही हे। जो लोग जैन धम के तत्त्व को समझते नही हे, वे तो अज्ञान-दशा मे अन्धकार मे भटकते हुए अनेक प्रकार के पाप करके अपनी आत्मा को मलिन करते ही हे। मनुष्य जन्म पाकर भी दुर्भाग्य से उनका जन्म ऐसे घरो मे नही हुआ जहाँ आत्मचिन्तन की चर्चा होती है। मनुष्य भव, जिसकी प्राप्ति कर्मबन्धनो को तोडने के लिये हुई हे, पाकर भी वे असम्यक् वातावरण के कारण दुष्कर्मो मे प्रवृत्त रहते है। किन्तु जिनको मनुष्य भव भी प्राप्त हो गया हे, उत्तम कुल भी मिल गया है, वे भी यदि इसी तरह से कर्म बाँधते रहेगे, तो फिर तोडने का अवसर कब आयेगा ? किसी कवि ने इसीलिये तो कहा है

‘अन्यस्थाने कृत पाप धर्मस्थाने विमुच्यते’

दूसरे-दूसरे स्थान मे किया हुआ पाप धर्मस्थान मे आकर धोया जा सकता है। बाँधे हुए कर्मो से मुक्ति पाने के लिये ही तो आप धर्मस्थानक मे आते हे। धर्मस्थानक मे आने का आपका उद्देश्य यही है कि आपने अन्यान्य स्थानो पर जो कम बाँधे हे, पापकम किये है उनका छुटकारा यहाँ धार्मिक क्रिया से हो जाये। जो पापो का भार आपके सिर पर लदा है, वह हल्का हो जाये। परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि धर्मस्थानक मे आकर कोई पाप आप न बाध ले। यहाँ आकर भी यदि पापकर्म बाँध लिया तो फिर उसका छुटकारा बडी कठिनाई से होगा। तभी तो कहा है किसी कवि ने

‘धर्मस्थाने कृत पाप वज्रलेपो भविष्यति’

धर्मस्थान तो पाप के त्याग के लिये होता हे। यहाँ आकर भी यदि पापकर्म किये जाते ह तो वे निश्चित ही वज्रलेप के समान पक्के हो जाते हे। जिस प्रकार सीसे के गारे से बाँधे मकान को टूटने का कोई खतरा नही होता, क्योंकि वह पक्का होता हे, इसी प्रकार के पक्के और दृढ धर्मस्थान मे किये गये पाप भी होते हे।

मनुष्य भव को इसी कारण सब भवों से उत्तम माना गया है कि इसमें पूर्वकृत पापों से मुक्ति पाई जा सकती है या कर्मों के बन्धन तोड़े जा सकते हैं, यदि इस भव में भी चूक गये तो फिर कोई ठिकाना नहीं। मैंस जिम प्रकार गेत में जाकर सब प्रकार काहरा चारा—जमीकद आदि अवाधुव चरती जाती ह और फिर तृप्त होकर जहाँ भी जैमा पोररे आदि का साफ या गदा जन मिल जाये तो उसमें लेट कर स्वर्ग के आनन्द का अनुभव करती है। मैंस के समान ही अनन्त जीवों से भरी हरी सन्जियो का जो भक्षण करेगा तो वह ऐसा पापकर्म वांगेगा जिसको अनेक जन्मों तक भोगने के लिए उसे विवश होना पड़ेगा। जल के भी श्रत्यधिक प्रयोग से पापकर्म का बंध होता है। हजारों मन पानी से स्नान करके भी क्या कभी अन्दर की मैल धोई जा सकती है? अल्प जल से जो काम हो सके उसके लिये अधिक का प्रयोग क्यों किया जाये?

हमारा प्रसंग यह चल रहा था कि शाश्वत सुखों की प्राप्ति के लिये पीरूप परमावश्यक है। शारीरिक पुरुषाय के अतिरिक्त, मानसिक पुरुषाय भी कम महत्त्व का नहीं है क्योंकि मन के ऊपर नियन्त्रण के लिये पुरुषाय अपेक्षित है। बड़े साहस की आवश्यकता होती है पुरुषार्थ के लिये।

श्रेणिक राजा का नाम तो आपने सुन ही रखा है। बाल्यावस्था से ही वह बड़ा बुद्धिमान था। श्रेणिक राजा के सौ भाई थे। पिता ने जानबूझकर श्रेणिक को घर से निकाल दिया। उसके शेष ९९ भाई निरे मूख थे। कल्पना से नहीं, पिता ने कई बार उनका बौद्धिक परीक्षण किया था, हर बार वे बज्रमूढ ही निकले थे। राजा ने सोचा कि कहीं सारे के सारे एकमति ही गये तो श्रेणिक की हत्या कर देगे। बुद्धिमान से मूख को जलन होना स्वाभाविक बात है। पिता ने ऊपर से अप्रसन्न होकर श्रेणिक से कहा "तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है।"

पिता के इस आदेश से श्रेणिक निदानवे भाई बड़े प्रसन्न हुए। श्रेणिक राज्य छोड़कर चला गया। मार्ग में इन्द्र नाम का व्यापारी उसे मिला। वह गावों में व्यवसाय करके वापिस अपने नगर को आ रहा था। श्रेणिक से व्यापारी की जो बातें हुईं उनमें श्रेणिक व्यापारी पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। बातों के अतिरिक्त व्यवहार में भी व्यापारी ने श्रेणिक को निरा मूर्ख समझा। मार्ग में जहाँ धूप आती थी वहाँ तो श्रेणिक छाता समेटकर चलता था और वृक्ष की छाया में वह छाता तानकर बैठता था। मार्ग में कण्टकाकीर्ण पथ पर तो वह जूते हाथ में लेकर चलता था और जहाँ नदी आ जाती या पानी में होकर चलना पड़ता तो जूते पहन लेता था। इन सब बातों से व्यापारी ने श्रेणिक को मूर्ख समझा और अपने नगर का द्वार आते ही उससे पूछा, "क्यों भाई, तुम और कहीं जाने वाले हो, या मेरे साथ चलोगे?" बड़े उपेक्षा भाव से कहा इन्द्र ने श्रेणिक

को । श्रेणिक उसकी उपेक्षा को जानकर बोला “मुझे आपके साथ जाकर क्या करना है, आप जाइये ।”

इन्द्र व्यापारी अपने घर आ गया । उसकी लडकी नन्दा बड़ी बुद्धिमती थी । उसने पूछा, “पिता जी ! सदा तो आप समय पर आ जाया करते थे, आज विलम्ब से क्यों आये ह ?” “क्या बताऊँ बेटी, आज तो एक महामूर्ख से पाला पड गया था, वस इसी कारण देर हो गई ।” पिता ने पुत्री को उत्तर दिया । “क्या मूर्खता दिखाई उसने ?” पुत्री ने पुन पिता से कौतूहलवश पूछा । “क्या बताऊँ, उसमे सारी बातें ही मूर्खता की थी । धूप में छाता समेटता था और छाया में तान लेता था, माग में जूती हाथ में रखता था और पानी में पहन लेता था । ये सारी मूर्खता की ही तो बातें थी ।” पिता ने पुत्री के कौतूहल को शान्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, “पिता जी ! ये तो सारी बातें उसकी बुद्धिमत्ता की प्रतीक ह । वह जो वस्त्र पहने हुए था वे बहुत बढ़िया किस्म के होंगे, धूप में उनका कुछ भी नहीं विगडता होगा किन्तु छाया में वृक्ष पर से पक्षियों के विण्ठा से खराब होने के डर के कारण वह छाता तान लेता होगा । मार्ग के काटे और ककरो को तो वह आँखों से देखकर चलता होगा किन्तु पैरो की कोमलता के कारण वह पानी में जूते इसलिये पहन लेता होगा कि कोई ककर न चुभ जाये, कोई काँटा न लग जाये । पानी में पडे ककर-काटो को तो आँखे नहीं देख सकती इस कारण वह जूती का प्रयोग पानी में करता था । आपने बड़ी भारी भूल की कि ऐसे बुद्धिमान को साथ नहीं लाये ।”

नन्दा ने बड़े निराशापूर्ण शब्दों में पिता से कहा । नन्दा की इच्छा थी कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो घर बुलाना चाहिये । उसने अपनी दासी को इस काम के लिये कहा । दासी तो उस लडके को जानती नहीं थी, फिर वह कैसे ला सकेगी उसको ? नन्दा को बात सूझ गई । उसने दासी को सम्बोधन करते हुए कहा “जाओ, तुम बाजार में जाओ, और दो चीजे लाओ, एक तो पिउ की प्यारी और दूसरी प्यारी की प्यारी ।”

“जो कुछ आपने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझी ।” दासी ने नन्दा को कहा ।

“समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति तुमको ये दो वस्तुएँ दिलवा दे उसको साथ ले आना । यहाँ आने के लिये भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहना है किन्तु संकेत से कहना है ।” दासी ने स्वीकृति दी और चली गई ।

दासी कुछ भी तो नहीं समझती थी, हर एक दुकानदार से कहने लगी, “पिउ की प्यारी दो, प्यारी की प्यारी दो ।”

“अरे क्या बक रही है यह ? पिउ की प्यारी अपने-अपने घरों में होगी, यहा दुकान पर किस लिए आएँगी ? प्यारी की प्यारी तो कुछ भी नहीं होती, हाँ प्यारी का प्यारा अवश्य होता है ।” सब दुकानदार उसकी हसी उडाने लगे ।

एक दुकान पर श्रेणिक बैठा था। उसने दुकानदारों से कहा, "अरे तुम बेचारी की हसी क्यों उडते हो ? जो यह मागती है इसे दो।" "दे क्या ? यह तो पिउ की प्यारी और प्यारी की प्यारी दो चीजे मागती है, ये दो चीजे कुछ हो तो इसको दे।" दुकानदारों ने श्रेणिक को उत्तर दिया।

"होती क्यों नहीं, पिउ की प्यारी होती है 'भाँग' और प्यारी की प्यारी होती है 'मेहदी'। तुम्हारी दुकानों में हो तो दे दो।" श्रेणिक ने कहा।

"अरे हाँ, यह बात तो ठीक लगती है," दुकानदारों ने कहा।

दासी ने उस लडके को देखा लिया और समझ गई कि हमारी बाईजी ने इसी लडके को बुलाया है। दासी ने माल ले लिया और लडके से कहा, "आपको हमारी बाईजी ने बुलाया है। हमारा घर का तो मैं आपको क्या बताऊँ।" दासी ने एक हाथ तो अपने दाहिने कान पर लगाया और दात दिखाकर चली गई। लोगों ने दासी के दात दिखाने को पागलपन समझा किन्तु श्रेणिक उसके इशारे को समझ गया। वह दासी के इशारे से तुरन्त इस नियम पर पहुँच गया कि उसके घर के दाहिनी ओर दाडिम का पेड़ है और यही उस घर की पहचान है। बुद्धिमानों के काम तो इशारों से ही चलते हैं। लाखों मनुष्यों के बीच में वे इशारों से चोट कर दिया करते हैं। लोगों को पता भी नहीं चल पाता।

"बाई जी, बाई जी ! ये दोनों वस्तुएँ आ गई हैं।" दासी ने दोनों वस्तुओं को बाई जी को देते हुए कहा।

"कौसा है लडका ?" बाईजी ने पूछा।

"बहुत अच्छा है लडका, भाग्यवान दीखता है।" दासी ने विश्वास दिलाते हुए उत्तर दिया।

"हा, घर पर आने का निमन्त्रण दिया कि नहीं तुमने ? क्या उसको इशारे से समझाया ?"

बाई जी ने उत्कण्ठा से पूछा।

दासी ने स्वीकृति में उत्तर दिया। नन्दा को विश्वास हो गया वह अवश्यमेव आयेगा। उसने अपने द्वार से छह कदम पर दो तरह के मार्ग तैयार किये—एक पर तो पानी डाल दिया और कीचड़ ही कीचड़ हो गया। पानी भी इतना डाल दिया कि चलने वाला घुटनों तक धँस जाये। दूसरे मार्ग पर बालू-रेत मखमल की तरह बिछा दी। नन्दा स्वयं झरोखे में बैठ गई यह देखने के लिये कि वह किस प्रकार आता है ?

सकेत के अनुसार श्रेणिक आया और दो रास्ते देखकर सोचने लगा, "यह जो बालू-रेत का रास्ता है इसमें तो पता नहीं चल सकता कि नीचे क्या है ? हो सकता है नीचे गड्ढा हो और उसको बॉस-फूस आदि बिछाकर ऊपर रेत से ढक दिया हो। इस पर से चलने से गिर कर हँसी का पात्र बनने की सम्भावना

है। इसलिये इस रास्ते पर से चलने के स्थान पर कीचड़ के मार्ग से चलना अच्छा रहेगा।” यह सोचकर वह कीचड़ के रास्ते से आया। अपने ऋषडों को ऊपर टॉक लिया वह कीचड़ में से अन्दर आया। नन्दा ऊपर से सब दृश्य देख रही थी, सोच रही थी, “यह युवक वास्तव में बुद्धिमान है, यह ऊपर के आकर्षण को देखकर ठगाने वाला नहीं है।” वह आया। चतुर तो वह था ही, आकर चतुरते पर बैठ गया और इस आसन से बैठे कि सारा कीचड़ नीचे झड़ जाये और दूसरे स्थान पर कीचड़ का अशन लगने पाये। इतने ही में दासी के हाथ से नन्दा ने छोटा-सा पानी का कलशिया भरकर भोज दिया और कहला दिया, पैर साफ धो लेना और पानी वचाना क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है।” यह तो चतुराई और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, यहाँ रंग-रूप देखकर नम्बर नहीं दिये जा सकते थे। श्रेणिक ने पानी का कलशिया देखा और सोचा, “स्थिति बड़ी सारगर्भित है।” उसने इधर-उधर देखा तो एक बाँस की खापटिया, जो गड्ढे को ढकने वाली खापटियों से बच गयी थी, उठाया और उससे पैरों से लगा कीचड़ उतारने लगा। सारा कीचड़ ही उससे साफ कर दिया और जो शरीर पर सूख गया था उसको हाथों से मसल-मसलकर उतार दिया। इसके पश्चात् चुल्लू में पानी लेकर दोनों पैरों को क्रमशः धो डाला। चुल्लू-भर पानी से ही हाथ भी धो डाले। इस प्रकार तीन-चार चुल्लू-भर पानी में ही सारा काम कर डाला। लोटे में पर्याप्त पानी बच गया। विलकुल अपटुडेट हो गया। इतने में दासी आ गई और उसे लोटा सम्भला दिया। कथानक लम्बा-चौड़ा है किसी अन्य प्रसंग पर आपको सुनाया जायेगा।

हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि चातुर्य बड़ा ही उच्चकोटि का गुण है। बाहर के मैल को धो-वाकर हम अपने जीव को तसल्ली दे देते हैं कि हम निर्मल बन गये, स्वच्छ बन गये। और फिर ऐसे स्थान पर बैठना पसन्द करते हैं जहाँ पर हमारे ऊपर धूल न पड़ सके और हमारा शरीर पुनः गन्दा न हो सके। इस प्रकार की धारणा मिथ्या है। मैल बाहर से नहीं आता किन्तु अन्दर से आता है। शरीर के अन्दर क्या है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। शरीर के अन्दर जो गन्दगी है उसी गन्दगी के कारण ही तो बाहर के ससार में गन्द फैला हुआ है। इस शरीर रूपी नगरी के नौ दरवाजे हैं, कुछ लोग दस दरवाजे भी मानते हैं। नौ दरवाजे मानने वाले सम्भवतः दसवें द्वार को बन्द मानते हैं।

यह दसवाँ द्वार है—मस्तिष्क, जिसे शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द में गगन-मडल भी कहा गया है। सारे शरीर में सबसे ऊँचा और महत्त्वपूर्ण स्थान यही है। आँखें, नाक, कान आदि तो खुले दरवाजे हैं किन्तु गगनमडल तो बन्द है। कुछ विद्वान् सूड़ी (नाभि) को भी दसवाँ द्वार मानते हैं। सूड़ी को ब्रह्मरन्ध्र भी कहा जाता है। सबके शरीर में दस ही दरवाजे होते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। किन्हीं के शरीरों में अधिक भी होते हैं। यह तो खुले दरवाजों की बात हुई। बाकी

शरीर से बाहर मँल निकालने वाले भी अनेक द्वार हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती।

हमारे शरीर से निकलने वाले मँल को बहुत-से लोग तो मँल के रूप में जानते ही नहीं हैं। ये शरीर पर के केश, रोम, नाखून आदि शरीरके अन्दर के मँल ही तो हैं। मँल होते हुए भी केशों को शरीर की शोभा माना जाता है। प्राचीन काल में लोग नाखूनो और केशों को साफ करवा लिया करते थे। आजकल की तो बात ही निराली है, केश तो बहुत बढ़ाते ही हैं किन्तु नाखूनो को भी बढ़ाना आरम्भ कर दिया है। नाखूनो का बढ़ाना भी शृंगार में गिना जाता है। हमारे शरीर में सढे तीन करोड़ रोम कूप हैं, खड्डे हैं जिनमें एक-एक में से एक, किमी में दो और किसी में तीन-तीन तक केश निकल आते हैं। इन केशों के आधार पर भी शुभ-अशुभ भविष्य का कथन किया जाता है। जिसके रोमकूप में से तीन केश निकलें वह पुण्यशाली नहीं माना जाता। एक खड्डे में से दो केश निकलें तो वह व्यक्ति मध्यम कोटि का होता है और एक में एक ही निकले तो उस व्यक्ति को उत्तम कोटि का और पुण्यवान् माना जाता है। मेरे कथन का सकेत तो यह था कि हमारे शरीर से निकलने वाला मल भी हमारी शोभा का कारण बन जाता है। आपने देखा ही होगा कि केशों को किस प्रकार अनेक रूपों में सिगारा जाता है। वास्तव में तो केशों का शृंगार मनुष्यों के लिये नहीं है, वह तो स्त्रियों के हिस्से में आता है। यही कारण है कि वाइयों के केशों पर कतरनी नहीं चला ऋती। परन्तु आजकल तो सब कुछ होने लग गया है, स्त्रियाँ भी बाल कटाने लगी हैं और नवयुवक स्त्रियों के समान बाल बढ़ाने लगे हैं। दोनों की वेशभूषा ऐसी होती जा रही है कि कई बार तो यह पहचानना भी कठिन हो जाता है कि दृष्टिगोचर व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। अस्तु, यह जमाने की हवा है, सिनेमाओं का ससार है जो कुछ लोग वहाँ देखकर आते हैं वही समाज में फ़ैशन बन जाता है।

हमारे कहने का अभिप्राय तो यही था कि मनुष्य के शरीर के चर्म से मँल बाहर निकलने के अनेक स्थान हैं। चर्म में अनेक छिद्र हैं। यह शरीर की चमड़ी जाली के समान है। जिस प्रकार जाली में छेद ही छेद होते हैं, उसी प्रकार चमड़ी में भी छेद ही छेद हैं। उन्ही छेदों में से तो हमें पसीना आया करता है। हथेली तक में पसीना आया करता है। हथेली के पसीने की बात भी सुना दे आपको। एक अत्यन्त लोभी सेठ थे। खर्च करने में वे कम ही विश्वास रखते थे। एक बार वे कलदार रूपया लेकर मालिन के यहाँ साग-पात खरीदने के लिये गये। मालिन कुछ द्वारी पर बैठी थी। माल ले लिया, जब रूपया देने का समय आया तो मुट्ठी खोलकर देखा, रूपया रो रहा है। सेठ बोले "ओ-हो-हो! मालिन! तुम अपना साग-पात अपने पास ही रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरा तो रूपया रो रहा है।"

मालिन ने कहा, “अरे सेठ जी ! रुपया भी रोया है कभी आज तक ?”

“तू स्वयं देख सकती है, आँसू बहा-बहाकर यह कितना गीला हो गया है, मेरा हाथ भी इसके आँसुओं से भीग गया है। यह रो-रोकर मुझसे कह रहा है कि ‘आप तो मुझे इतने प्यार से सुरक्षित स्थान पर रखते थे, आज बाहर निकाल दिया है आपने, अब पता नहीं मेरी क्या दुर्दशा होगी?’ जिस प्रकार ससुराल जाते समय लडकिया रोया करती है, उसी तरह रो रहा है बेचारा यह। यह तो मेरे से दूर जाना ही नहीं चाहता। इसने तो मुझे भी रुला दिया है। मेरे मन में भी बड़ी ममता उमड़ पडी है, इस रुपये पर, “मैं तो इस रुपये को अपने से दूर नहीं जाने देता।” मालिन को समझाते हुए सेठ ने अपना रुपया अपने पाकेट में रख लिया।

कहने का आशय है कि जो पसीने के रूप में शरीर से मैल निकला करता है, वह वही रोमकूप में ही जम जाता है। उस जमे पसीने को साफ करने के लिये थोड़ा पानी काम में लेने से भी हो जाता है किन्तु उसके लिए बहुत अधिक परिमाण में पानी का उपयोग करने से हम अधिक निमल बन जायेंगे, इस प्रकार की धारणा या नियम मारहीन होते हैं। सवथा रहने वाली सफाई तब तक सम्भव नहीं जब तक शरीर के अंदर का मैल निकलना बन्द न हो जाये। जब तक शरीर में कोई न कोई पदार्थ पड़ता रहेगा तब तक उसका निकलना बन्द नहीं हो सकता। कहने का आशय है कि कच्चा पानी अधिक गिराना पाप का काम है, पापकर्म से शरीर-शुद्धि का प्रयत्न विडम्बना मात्र है। प्राचीन समय में जब पानी को अत्यन्त गहरे कुओं से निकाला जाता था तो पानी की बड़ी कदर होती थी। बड़ी समझ-बूझ से ही पानी का उपयोग किया जाता था। आजकल तो नल ही नल लग गये हैं। मनुष्य को जितनी अधिकाधिक सुविधाएँ मिलती जाती हैं उतना ही वह विवेकहीन बनता जा रहा है। उसके मन से पाप का भय भी निकलता जा रहा है।

तो हम आपसे यही कह रहे थे जिस घर में, जिस समाज में और जिस धर्म में ज्ञान की चर्चा नहीं होती, ज्ञान और समझदारी का अभाव होता है वहाँ लोग तरह-तरह के पाप करते हैं, तरह-तरह के छोटे विचार मन में लाते हैं। उनके लिये तो यही कहा जा सकता है कि उन बेचारों को ज्ञान नहीं है। किन्तु जिन घरों में छह काय के जीवों का ज्ञान होते हुए भी जमीकद और वनस्पति का अत्यधिक प्रयोग होता है, तो यह निश्चित ही जल में लाय लगने के समान आश्चर्यजनक बात है। बिना जमीकद के और वनस्पतियों के परिमित मात्रा में प्रयोग से भी जीवन का निर्वाह हो सकता है। ज्ञान के सद्भाव में भी जब अन्धा-धुन्ध वनस्पति और पानी का प्रयोग किया जाता है तो बहुत बड़ी विवेकहीनता है। वनस्पतिकाय में अनन्तानन्त जीवों का विवरण हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं।

शास्त्रों का कथन है कि एक शरीर में एक जीव वाली वनस्पति को अपनी

खुराक बनाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से अनन्त भाग न्यून हिस्सा का भागी बनता है जो एक शरीर में अनन्त जीवों वाली वनस्पति को खाता है। दूसरे शब्दों में अनन्तकाय वनस्पति को खाने वाले व्यक्ति को अनन्त जीवों की हिंसा लगती है। इसके अतिरिक्त, एक शरीर में एक जीव वाले, वेदन्द्रिय में लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी जीव हैं, उनकी जीवन-शक्ति उत्तरोत्तर अधिक विकसित होती है इसलिये उनको अपना भोज्य पदार्थ बनाने वाले व्यक्ति को उत्तरोत्तर महान् से महान् हिस्सा का भागी बनना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि यह तर्क पेश करे कि "अनन्तजीवों वाली वनस्पति को न खाकर एक ही जीव वाले पचेन्द्रिय को भोजन के रूप में काम में लाया जाये तो कैसे रहेगा?" इसका उत्तर यह है कि एक जीव वाला विशाल शरीर बहुत पुण्यवान् होता है और उसकी पुण्यवानी उन अनन्त सूक्ष्म जीवों से अनन्त गुणा अधिक होती है। इस कारण उस एक की हिंसा अधिकतम लगती है। आप लौकिक जीवन में ही देख लीजिये, एक ओर तो किसी साधारण व्यक्ति की हत्या हो जाये और दूसरी ओर कोई राजा की हत्या कर दे। राजा में तो सारे देश की शक्ति निहित होती है, इसलिये उसके मरने से सारा देश अनाथ हो जाता है किन्तु सामान्य व्यक्ति का अभाव किसी को नहीं खलता जबकि राजा का सबको खलता है। यही कारण है कि पचेन्द्रिय जीव की हत्या में महान् से महान् पाप शास्त्र ने बताया है। इसी प्रकार अनन्तकायिक वनस्पति को भी अपनी खुराक बनाने से प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा अधिक पाप लगता है। आचार्यों ने इसीलिये मध्यम मार्ग निकाला है। मध्यम भाग यही है कि प्रत्येक वनस्पति के प्रयोग में अधिक से अधिक मर्यादा रखनी चाहिये। मन पर नियन्त्रण रखने से परिमाण के नियम को सरलता से निभाया जा सकता है। किसी भी वस्तु का अधिकतम मात्रा में उपयोग तो वैसे भी व्यसन माना जाता है। बुद्धिमत्ता यही है कि जीवन में प्रत्येक पदार्थ का कम से कम उपयोग किया जाये एवं पापान्धव से अधिकाधिक बचने का प्रयत्न किया जाये। त्याग ही वास्तविक जीवन है।

जैन-भवन, हेड (नागौर)

१८ अगस्त, १९७३



धर्मध्यान और शाश्वत सुख

वहुत दिनों से हम शाश्वत सुखो को प्राप्त करने के उपाय बताते आ रहे हैं। अभी यहाँ धर्म-सम्बन्धी प्रसंग चल रहा है। इसके पूर्व आपको ध्यान के चार भेद बताये जा चुके हैं। वे थे आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान। आर्तध्यान और रौद्रध्यान के वास्तविक अर्थों की ओर भी सकेत किया जा चुका है। स्वयं पीड़ित होना, स्वयं दुःखित अवस्था का अनुभव करना आर्तध्यान होता है। दूसरो को दुःखी बनाना, दूसरो को पीड़ित करने के उपाय करना या पीड़ा पहुँचाने की भावना मन में लाना रौद्रध्यान है। इन दोनों—आर्तध्यान और रौद्रध्यान से जीव अनादिकाल से परिचित है। जन्म-जन्मान्तर से जीव इन दोनों प्रकार के विकारों से आक्रान्त है। जिस वस्तु का हमारे पास अभाव है उसकी प्राप्ति का हम चिन्तन करते हैं और उसके बिना दुःख का अनुभव करते हैं परन्तु जो वस्तु हमारे पास में तो है परन्तु अनिष्टकर है या हमारी इच्छा के प्रतिकूल है उसको हम अलग करना चाहते हैं। हमारे हितों को, हमारे स्वार्थ को जो हानि पहुँचाता है, उसका हम बुरा सोचते हैं। बुरा सोचते-सोचते बुराई की इस सीमा तक पहुँच जाते हैं कि हम ससार से उसका उन्मूलन करने पर ही तुल जाते हैं। इस प्रकार का विकृत चिन्तन रौद्रध्यान के अन्तर्गत आता है। ये आर्त और रौद्रध्यान अनेक बार हमने किये किन्तु इनसे हमारे साध्य की साधना नहीं हो पाई। शास्त्रकारों का कथन है कि जिन आर्त और रौद्र ध्यानों के करने से हमारा एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई उनके करने से क्या लाभ? स्वयं के दुःख के विनाश के लिए हमने आर्तध्यान किया परन्तु हमारा दुःख मिट नहीं पाया। दूसरो को दुःख पहुँचाने के लिए हमने रौद्रध्यान किया किन्तु हमारे रौद्रध्यानमात्र से उद्दिष्ट व्यक्ति दुःखी नहीं हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति को मोचना चाहिये कि जिस क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं, किसी भी प्रकार की इष्ट-सिद्धि नहीं, उसको करने के लिए व्यर्थ में मानसिक और शारीरिक शक्ति को बयो खराब किया जाये। विवेकशील व्यक्ति ऐसा सोचकर आर्तध्यान और रौद्रध्यान दोनों को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यह सोचना कि जो आर्तध्यान

और रौद्रध्यान मनुष्य की प्रकृति वन चुके हैं उनका त्याग कैसे सम्भव हो सकता है, ठीक नहीं है। केवल मार्ग-परिवर्तन की आवश्यकता है, मन को दूसरी दिशा की ओर मोड़ने की आवश्यकता है।

आर्तध्यान और रौद्रध्यान का परिणाम देखने के पश्चात् अब ज़रा धर्मध्यान का भी प्रयोग करके देखो। पहले से ही यह कल्पना कर लेना कि 'पता नहीं धर्मध्यान में सफलता मिलेगी या नहीं', मन की शिथिलता का सूचक है। किसी कार्य के आरम्भ करने से पूर्व ही मन में उसकी सफलता के विषय में सशय, सन्देह और शक़ाएँ कदापि अच्छी नहीं होती। इसका कारण है कि सन्देहशील व्यक्ति कभी भी किसी कार्य को मन खोलकर और उत्साह से नहीं कर सकता। सशय के वातावरण में मनुष्य का मन किसी काम को करने में साथ ही नहीं देता और बिना मन के सफलता कभी किसी के कदमों में आकर नहीं झुका करती। आप धर्मध्यान करके तो देखो। प्रयोग से और अनुभूति से आपको स्वयं ज्ञात हो जायेगा कि धर्मध्यान में और धर्मक्रिया में कितना अन्तर है और धर्मध्यान का क्या महत्त्व है। यह आपको पहले बता ही दिया गया है कि सामायिक, पौषध आदि धर्मक्रियाएँ हैं और धर्मसम्बन्धी चिन्तन करते रहना जिससे मन धर्म में रमा रहे 'धर्मध्यान' है। यह भी आपको बता दिया गया है कि धर्मक्रिया से धर्मध्यान की पद्धति सरल भी है।

अब आपको बताना यह शेष है कि धर्मध्यान कहना किसे चाहिये। किस प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आने चाहिये जिनसे धर्मध्यान की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे। इसके लिये धर्मध्यान के चार भेदों का जिक्र हम आपसे कर चुके हैं। पहला भेद तो धर्मप्रवर्तकों की विधि और निषेधात्मक आज्ञा से सम्बन्ध रखता है। धर्म किसलिये किया जाता है इसका समाधान भी उसमें निहित है। धर्म का आचरण सुखी बनने के लिये किया जाता है। अच्छी क्रिया से व्यक्ति सुखी बनता है। हमारी सुख प्राप्ति की अच्छी क्रिया से केवल हम को ही सुख प्राप्त हो, यह धारणा स्वार्थपूर्ण है। हमारे सुख की परिधि केवल हम ही न हो किन्तु उस सुख का प्रसार हमारे पड़ोसियों में तथा सम्पक में आने वाले व्यक्तियों में हो तो अच्छी बात है। दूसरो को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनना चाहिये या स्वयं सुखी बनकर दूसरो को भी सुखी बनाना चाहिये? इसका उत्तर यदि आपको आत्मा पवित्र है तो अन्दर से ही मिल जायेगा। यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिये कि दूसरो को दुखी रखने की भावना वाला व्यक्ति स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। आग दूसरो को जलाती है तो क्या स्वयं जहाँ पैदा होती है, वह स्थान सुरक्षित रह जाता है? अपने स्थान को पहले जलाकर तब दूसरो को जलाती है। इसीलिये शास्त्रकार ने आग का नाम रखा है 'आश्रयाश' अर्थात् अपने आश्रय का ही भक्षण

करने वाली । इस अग्नि के उदाहरण से शास्त्रकारो ने यही सिद्ध किया है कि दूसरो को दु खी बनाने वाला व्यक्ति स्वय भी कभी सुखी नहीं रह सकता ।

दूसरा धर्म का भेद हमने बताया था 'अपाय विचय' । अपाय का अर्थ है—दु ख । "इस ससार मे जीव को जिन कार्यों से दु ख प्राप्त होता हो वे कार्य मुझे नहीं करने चाहिये । जिन कार्यों से मुझे दु ख प्राप्त होता है उनसे दूसरो को भी तो दु ख प्राप्त होगा । मुझे दु ख कब होगा ? जब मेरी अशुभ वाम मे प्रवृत्ति होगी । मुझे मन, वचन और काया से अशुभ काम मे प्रवृत्त नहीं होना है । प्रवृत्त होऊंगा, तो मुझे पाप-कर्मों के बन्धन मे बँधना पडेगा ।"

इस प्रकार का चिन्तन मनुष्य को करना चाहिए । जीवन की घुरा चिन्तन पर ही आश्रित है । चिन्तन के द्वारा कर्म बाँधे भी जा सकते हैं और काटे भी जा सकते है । शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप । बडा ही सरल मार्ग है कर्मबन्ध और कर्ममुक्ति को समझने का । आवश्यकता है केवल अनादिकाल से सुषुप्त आत्मा को जाग्रत करने की । जब नीद खुल जायेगी, आत्मा जाग जायेगी तो उसे स्वय ससार की और अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा । यदि आँखें मूदी रही, नीद से न जग सकी तो जिस चक्कर मे घूम रही थी उसी मे घूमघुमा कर पुन पड जायेगी । काता-पीना सब कपास हो जायेगा ।

हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पुण्य बाँधने का, आत्मा को पवित्र करने का और सुखी बनने का ऐसा सरलतम तरीका भी है जिसके द्वारा जीवन सुखी बन सकता है, वह तरीका है मन मे शुभ विचार रखने का । पुण्य के नौ भेद बताये गये है जिनमे पाँच भेद तो ऐसे है जिनमे अपने घर से कुछ न कुछ निकालना पडता है—दान के रूप मे, जैसे अन्नदान, जलदान, स्थान-दान, विस्तर-दान, वस्त्र दान—आदि-आदि । इन पाँच भेदो के आगे के जो चार पुण्य बताये गये है, 'मन पुण्ये' अर्थात्—मन से अच्छे विचार करना और सब का भला चाहना । सब के भले मे ही अपना भला होता है । 'सब जीव ससार मे सुखी रहे', ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वय भी सुखी रहता है । थोड़ी देर के लिए मान लो कि ससार के सारे जीव तो सुखी हो गये और हम अपने ही कर्मों के उदय से दु खी बने रहे, उस अवस्था मे भी हमको सबके कल्याण की ही कामना करनी चाहिये । सब प्राणी सुखी होंगे तो हमको सतायेगे तो नहीं । यह भी हमारे लिये बहुत बडा लाभ है । सब जीवो की मंगलकामना को अभिव्यक्ति देते हुए इसीलिये शास्त्र मे कहा गया है

"सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु खमाग भवेत् ।"

ज्ञानी पुरुषो का कथन है, कि 'ससार मे दु ख कयो आता है ? मनुष्य दु खी

क्यों बन जाता है, अचानक ही किसी पर आपत्तियों के पहाड़ क्यों टूट पड़ते हैं ?' इस प्रकार के विचार मनुष्य के मन में निरन्तर आते रहने चाहिये । ऐसे विचारों के आने से किसी दिन स्वतः स्फुरणा होती है कि

“धन बिना निर्धन दुःखी, तृष्णावश धनवान्”

सुख-दुःख का कारण वस्तु नहीं हुआ करती । निर्धन व्यक्ति के पास यदि धन के अभाव को दुःख का कारण माना जाये तो धनवान् के पास तो धन का सद्भाव है, वह क्यों दुःखी रहता है । इससे स्पष्ट है कि धन नाम की वस्तु दुःख का कारण नहीं है । इसी प्रकार पुत्र का अभाव यदि दुःख का कारण हो तो जो लोग पुत्रवान् हैं, वे दुःखी क्यों देखे जाते ? प्रायः ऐसा ही जाता है कि पुत्रहीन लोगों की अपेक्षा पुत्रों वाले अधिक दुःखी हैं । सुपान पुत्र होता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य की चिन्ता सताती रहती है और कुपान पुत्र तो दुःख का कारण होता ही है । मारवाड़ी कहावत के अनुसार वह तो 'छाती का छोड़ा उतारता' ही है । सारांश यह है कि सुख-दुःख का कारण वस्तु न होकर वास्तव में हमारा मन ही है । मन यदि प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुष्ट रहने वाला है तो व्यक्ति सुखी रहता है । मन यदि भ्रान्त है, असन्तुष्ट है, तो उसका अवश्यभावी परिणाम दुःख ही होता है । विवेकहीन मन ही वस्तु के अभाव की चिन्ता भी करता है, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करता है और न करने योग्य जो काम है उनको भी वह वस्तु को पाने के लिए कर बैठता है । आज तक आपने अनेक कहानियाँ भी सुनी होंगी, अनेक जीवन चरित्र भी पढ़े होंगे और स्वयं भी दुनियाँ में बहुत कुछ देखा होगा । विश्व की सारी वस्तुएँ क्या कभी किसी को मिल पाई हैं ? मनुष्य को मनुष्य के पद के अनुसार वस्तुएँ मिलती हैं, देवताओं को उनकी योग्यता के अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति होती है । योग्यता के अनुसार ही वस्तु की प्राप्ति अच्छी होती है । योग्यता का अतिक्रमण करके यदि वस्तुओं की प्राप्ति हो जाये तो संभव है कि मनुष्य से न तो उनकी व्यवस्था ही हो पाये और न ही उनकी सुरक्षा ही । मन को तृष्णा से रोककर प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुलित रहना चाहिये । सन्तुलित और समभाया हुआ जो मन है, सब के लिये मंगलकामना करने वाला जो मन है, उस मन का धनी व्यक्ति अपने घर से बिना कुछ लिये-दिये ही पुण्य का उपाजन कर लेता है । यह भी एक प्रकार का प्रयोग है भविष्य में सुख-प्राप्ति का ।

दूसरा है 'वचन पुण्ये' । वाणी द्वारा भले शब्द बोलना भी पुण्य का उपाजन है । भले शब्दों में पुण्य के भले शब्द अलग हैं और धर्मध्यान के भले शब्द अलग हैं । धर्मध्यान के भले शब्द उन्हें दर्ज के होते हैं । इन शब्दों

में पाप का लवलेश तक नहीं होता। उदाहरण के लिये किसी को कहना, “अरे! तुमको पानी पीना है न! तो छानकर पीना।” इन शब्दों से सामने वाले व्यक्ति को पानी पीने की सहूलियत हो गई, उसकी प्यास मिट गई, इससे पानी पिलाने का पुण्य उसको मिल गया। परन्तु धर्म-सम्बन्धी भले शब्द इनसे भिन्न होते हैं। धर्म से सम्बन्ध रखने वाले शब्द तो होंगे, ‘अनछाना पानी मत पीना’ इसमें तो निषेधमात्र है। दूसरे शब्दों में, यहाँ निषेध की आज्ञा है। आखिरकार छानकर भी यदि पानी पीया जायेगा तब भी वह कच्चा तो है ही, वह तो सच्चित्त है। असरय जीवों का अस्तित्व उसमें है। तो हम आपसे कह रहे थे कि वचन से भले शब्द बोलना भी पुण्यार्जन का कारण है। पाप को सर्वथा टालते हुए निरवद्य भाषा बोलना धर्मध्यान के अन्तर्गत ही आता है।

इसी प्रकार ‘कायपुण्य’ अर्थात् शरीर से यदि हम अच्छी चेष्टाएँ करें और कुचेष्टाओं से बचे रहे तब भी पुण्यार्जन होता है। इसके अतिरिक्त यदि काय-गुणित से शरीर को प्रवृत्त कराया जाये तो धर्म भी हो जाता है। जो व्यक्ति ठीक ढंग से चेष्टा करता है तो उसके आसपास का वातावरण भी ठीक रहता है। इसके विपरीत यदि बुरी चेष्टाएँ की जायें तो सामने वाला व्यक्ति रुष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिये आप ‘अगूठा दिखाने’ को ही ले लीजिये। अगूठा दिखाने के रूप में यदि अगूठा दिखाया जाये तो देखने वाला चिढ़ जायेगा कि उसे अगूठा दिखाया जा रहा है। तिलक करने के लिये यदि अगूठा दिखाया जाये तो देखने वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ये दोनों काया की ही तो क्रियाएँ हैं किन्तु एक क्रिया तो पाप, कलह और क्लेश को जन्म देने वाली है और दूसरी क्रिया शान्ति और पुण्य को पैदा करने वाली है। कायगुणितपूर्वक शरीर से व्यवहार इसलिये करना चाहिये कि किसी भी जीव को कष्ट न होने पाये। निरवद्य काया की प्रवृत्ति धर्म में आ जाती है। ससार में प्राणी दुःखी क्यों होते हैं—इस प्रकार के विचार सदा करना चाहिये। यह धमध्यान का दूसरा भेद है।

‘विपाक विचय’ यह तीसरा भेद है। यह हमारी क्रियाओं के परिणाम का सूचक है। क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं पाप की क्रिया और पुण्य की क्रिया। पाप की क्रिया का परिणाम दुःख होता है और पुण्य की क्रिया का परिणाम सुख। यह विपाक का साधारण नियम है। विशेष नियम तो साधारण नियम के ऊपर होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमने पाप क्रिया की जिसका कि फल हमको दुःख के रूप में मिलना चाहिये था किन्तु कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनके सम्पादन से वह पाप क्रिया भी सुख के परिणाम में परिवर्तित हो जाया करती है। इसी प्रकार सामान्यरूप से पुण्यक्रिया का परिणाम तो सुख के रूप में ही मिलना चाहिए किन्तु कतिपय ऐसी पद्धतियाँ भी हैं जिनके कारण

सुख, दुःख के रूप में बदल जाता है। यह साधारण वान नहीं है, साधारण बात ता यह है कि पाप क्रिया का परिणाम दुःख होगा और पुण्यक्रिया का परिणाम सुख होगा। परन्तु 'पाप के बदले सुख मिलना और पुण्य के बदले दुःख मिलना' यह विशेष बात है। इस विशेष बात को समझने के लिये मन्त्रितक की स्थिरता की आवश्यकता है। उदाहरण से आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायेगी। आकड़े के पत्ते हैं नीम के पत्ते हैं—ये कड़वे होते हैं। यह कोई रहस्य की बात नहीं है, इसे सभी जानते हैं। परन्तु इन कड़वे पत्तों को भी विशेष प्रक्रिया से मीठा बनाया जा सकता है। विशेष प्रकार की औषधियों का पट्ट देने से ये कड़वे पत्ते भी मीठे बन जाते हैं। इसी प्रकार बरतले और करवीर (कैर) के फल कितने कड़वे होते हैं किन्तु उनका मुरब्बे और आचार मीठे भी होते हैं और खट्टे भी। पुट चीज ही ऐसी है जो न केवल वनस्पतियों में किन्तु मनुष्यों में भी परिवर्तन ला देता है। कोई विवेकशील व्यक्ति यदि वेतुका बोल जाये तो लोग उसे कहने लगते हैं, इसको दूसरी का पट्ट लग गया है। 'पुट लगने' का यहाँ अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी विचार-धारा को बदल दिया है। जब पट्ट से मनुष्य की विचारधारा बदल सकती है तो पट्ट के प्रयोग से वनस्पतियों में परिवर्तन आ जाता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह विषय तो बहुत विस्तृत है किन्तु संक्षेप में जो पुण्य पाप में और पाप पुण्य में परिवर्तित होते हैं उनको जैन-शास्त्र में 'सकमणकरण' कहा जाता है। सकमण शब्द से ही भिन्नता-जुलता शब्द है 'सकान्ति'। सकान्तिर्था बरह होती है। आपने मोटे तौर पर दो ही सकान्तियों के नाम सुन रखे हैं मकर सकान्ति और कर्क सकान्ति। इन दो सकान्तियों में सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में सूर्य एक राशि से बदलकर जब दूसरी राशि में आता है तो उसको सकान्ति कहा जाता है। इसी से मिलता-जुलता अर्थ सकमण का है, वह भी एक दशा से बदलकर दूसरी में आना है। कमवन्ध के आठ करण होते हैं जिनमें से यह (सकमण) दूसरा करण है। सकमण में यह विशेषता होती है कि पहले सत्ता में जो प्रकृति बन्धी हुई है, मान लो वह अशुभ रूप में बन्धी हुई है और वर्तमान में जो प्रकृति बँध रही है वह शुभ रूप में है, उस समय कुछ ऐसे परिणामों की धारा चल जाती है कि वह शुभरूप में बँधने वाली प्रकृति भी उस अशुभरूप में बँधी प्रकृति के साथ जाकर अशुभरूप में बँध जाती है। शुभ का अशुभ में सकमण हो जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में अशुभरूप में बँध रही प्रकृति में भी विशिष्ट परिणामों की धाराएँ पहले बन्धी हुई शुभ प्रकृति में जाकर शुभरूप में परिणत हो जाती है। यह अशुभ का शुभ में सकमण है। हम जानते हैं कि इतने गूढ़ विषय को समझ पाना आपके दश

की बात नहीं है। हम और मरल शैली में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपने पापकर्म करके अशुभ कर्म बाँध लिया किन्तु पाप करने के पश्चात् आपने पश्चात्ताप भी कर लिया, उस समय पाप का पश्चात्ताप के द्वारा सन्मरण हो गया, ऐसा समझना चाहिये। उस पाप करने वाले व्यक्ति ने पश्चात्ताप द्वारा कर्मों को इस ढंग में निर्जरा कर ली कि उसकी आत्मा तुम्हें शुद्ध हो गई। पाप के परिणामस्वरूप जितना दुःख भविष्य में भोगा जाता, वह पश्चात्ताप के जरिये सब कम हो गया। अशुभ का शुभ में रूपान्तरण हो गया। नीम और आक के कड़वे पत्तों का भी आचार लोग कितना स्वादिष्ट बना देने हैं, इसकी हमें भी अनुभूति है। मुरब्बा तब बनता है उन कड़वे पत्तों का। इसी प्रकार आपने धर्म का काम किया जो वास्तव में अच्छा प्रशसनीय था और बाद में यदि यह पश्चात्ताप करने लग गया कि 'व्यथ में ही सामाजिक लेकर्स बैठ गये, महाराज साहब ने भी व्याख्यान में बड़ा लम्बा समय लगा दिया, इससे तो अच्छा था अपने घर पर ही बैठते या कुछ काम काज करते' तो ममभ्रमेता चार्चित्ये त्रि मारे क्रिये-फराये धर्म के काय पर पानी फिर गया। किसी अतिथि को मानताल पिलाकर अन्त में यदि यह कह दिया जाये कि, "साहब! आपने कभी ऐसे पदाथ अपने बाप-दादों के समय में भी नहीं खाये होंगे।" तो खिलाया-पिलाया सभी जहर बन जायेगा। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्तित्व मन में यह चिन्तन किया करता है कि 'मनुष्य दुःखी क्यों हो जाता है' उसके मन में किसी अवस्था में यह स्फुरणा स्वयं ही जाती है कि अमुक कार्यों का परिणाम दुःख होता है और अमुक कार्यों का परिणाम सुख होता है। यह सारी विचारधारा 'विपाक विचय' के अन्तर्गत आती है।

धर्मध्यान का चौथा भेद है 'सस्थान विचय'। सस्थान कहते हैं आकार को। आकार भी त्रिन-किन का? हमारी आत्मा का आकार, इस ससार में हमारी आत्मा जिस जगह पर परिभ्रमण कर रही है उस जगह का आकार, हमारे सरीर का आकार, यह सब सस्थान विचय के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, इस ससार में परिभ्रमण करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब का आकार भिन्न भिन्न क्यों है? सबके आकर एक सरीखे क्यों नहीं है? एक ही जाति के प्राणियों में आकृति की पारस्परिक भिन्नता क्यों है? इस प्रकार का विचार 'सस्थान विचय' कहलाता है। ये सब धर्मध्यान के अन्तर्गत है।

शाश्वत सुखों की नींव ही समझना चाहिये धर्मध्यान को। शुद्ध विचारों की भूमि में बोया गया प्राकाररूपी बीज, तपश्चरण रूपी जलवायु का ससग प्राप्त करके अकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होता हुआ, आत्मा को शाश्वत सुखों के भण्डार अनन्त एवं अशय मोक्ष में ले जाता है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१६ अगस्त, १९७६

“जयध्वज प्रकाशन समिति के सदस्यों की नामावली”

वशपरम्परागत सदस्य	निवास	वतन
१ सवश्री सुगन चन्दजी प्रेमचन्दजी श्रीमाल	रायपुर (म० प्र०)	सियाट
२ सवश्री लालचन्दजी मरलेचा	मद्रास	सोजत रोड
३ सवश्री मार्गलालजी चम्पालालजी गोटावत	बैंगलौर	सोजत सिटी
४ सवश्री जवरचन्दजी रतनचन्दजी बोहरा	मद्रास	कुचेरा
५ सवश्री मिश्रीमल जी लूणकरण जी नाहृ	लखनऊ	कुचेरा
६ सवश्री जवगीमल जी सज्जनराज जी वोहरा	बैंगलौर	ब्यावर
७ सर्वश्री नेमीचन्दजी प्रेमचन्दजी खीचा	बैंगलौर बैंगलौर	ब्यावर ब्यावर
८ सवश्री सुगान चन्द जी सिधवी	मद्रास	सियाट
आजीवन सदस्य		
१ श्रीमान् फूलचन्दजी लूणिया श्रीमान् भवरलाल जी विनायकिया	बैंगलौर मद्रास	पीपलिया करमावास (पट्टा)
३ श्रीमान् रणजीतमल जी मरलेचा	मद्रास	सोजत रोड
४ श्रीमान् पन्नालाल जी सुराणा	मद्रास	कालाउना
५ श्रीमान् लालचन्द जी डागा	मद्रास	रायपुर
६ श्रीमान् भवरलाल जी गोठी	मद्रास	ब्यावर

७ श्रीमान् ऋद्धकरणजी वेताला	मद्रास	कुचेरा
८ श्रीमान् मोहनलालजी चोरडिया	मद्रास	नागौर
९ श्रीमान् अमोलकचन्दजी सिधवी	मद्रास	सियाट
१० श्रीमान् राजमलजी मरलेचा	मद्रास	सोजत रोड
११ श्रीमान् कपूरचन्द भाई	मद्रास	सौराष्ट्र
१२ श्रीमान् सम्पतराज जी सिधवी	रायपुर (म० प्र०)	सियाट
१३ श्रीमान् फतेचन्द जी कटारिया	बेंगलौर	देवली कला
१४ श्रीमान् भवरलाल जी डूगरवाल	मद्रास	करमावास (मालिया)
१५ श्रीमान् पारसमल जी साखला	बेंगलौर	साडिया
१६ श्रीमान् मोतीलाल जी भूथा	बेंगलौर	राम
१७ श्रीमान् जुगराज जी वरमेचा	मद्रास	अटवडा
१८ श्रीमान् नथमल जी सिधवी	मद्रास	सियाट
१९ श्रीमान् केवलचन्द जी वाफणा	मद्रास	आगेवा
२० श्रीमान् रिखवचन्द जी सिधवी	तिरुवेलोर	सियाट
२१ श्रीमान् मोहनलाल जी कोठारी	विरचिपुरम्	विराटिया
२२ श्रीमान् भानीराम जी सिधवी	तिरुवेलोर	सियाट
२३ श्रीमान् चान्दमल जी कोठारी	बेंगलौर	रायपुर
२४ श्रीमान् घनराज जी वोहरा	बेंगलौर	व्यावर
२५ श्रीमान् जगलीमल जी भलगट	भडारा	रीयाँ
२६ श्रीमान् भूमरमल जी भलगट	भडारा	रीयाँ
२७ श्रीमान् हम्तीमल जी वणिगगोता	बेंगलौर	दासपा
२८ श्रीमान् रगलाल जी राका	पट्टाभिराम	कुशालपुरा
२९ श्रीमान् प्राणजीवन भाई	बम्बई	सौराष्ट्र
३० श्रीमान् रमिकलाल भाई	बम्बई	सौराष्ट्र
३१ श्रीमान् शान्तिलाल भाई	बम्बई	सौराष्ट्र
३२ श्रीमान् रजनीकान्त भाई	बम्बई	सौराष्ट्र
३३ श्रीमान् जवाहर लाल जी वोहरा	रत्नागिरि	रीयाँ
३४ श्रीमान् हीरालाल जी वोहरा	रावर्टसनपेट	व्यावर
३५ श्रीमान् जयवन्तराज जी लूणिया	मद्रास	चण्डावल
३६ श्रीमान् जवरचन्द जी वोकडिया	मद्रास	खांगटा
३७ श्रीमान् पुखराज जी वोहरा	मद्रास	सत्यपुर
३८ श्रीमान् गजराज जी मेहता	मद्रास	सत्यपुर
३९ श्रीमान् मिट्ठालाल जी वोहरा	मद्रास	सत्यपुर
४० श्रीमान् श्रीखमचन्द जी गादिया	तिरुवेलोर	सत्यपुर

४१ श्रीमान् पारसमलजी बोहरा	तिरुवेलोर	सत्यपुर
४२ श्रीमान् चम्पालालजी बोहरा	मद्रास	सत्यपुर
४३ श्रीमान् भैरूलालजी बोहरा	ऊत्कोटा	सत्यपुर
४४ श्रीमान् जुगराजजी चोपडा	मद्रास	सत्यपुर
४५ श्रीमान् मोतीलालजी चोपडा	ऊत्कोटा	सत्यपुर
४६ श्रीमान् मागीलालजी बोहरा	मद्रास	सत्यपुर
४७ श्रीमान् घमचन्दजी बोहरा	मद्रास	सत्यपुर
४८ श्रीमान् माणकचन्दजी मूथा	मद्रास	सत्यपुर
४९ श्रीमान् भीखमचन्दजी बोहरा	पट्टाभिराम	सत्यपुर
५० श्रीमान् जवरचन्दजी बोहरा	पट्टाभिराम	सत्यपुर
५१ श्रीमान् जयवन्तराजजी गादिया	मद्रास	सत्यपुर
५२ श्रीमान् सैसमलजी सेठिया	वैंगलीर	कटालिया
५३ श्रीमान् किशनलालजी मकाणा	दौडवालापुर	हाजीवास
५४ श्रीमान् लूणकरणजी सोनी	भिलाई	
५५ श्रीमान् भवरलालजी कोठारी	व्यावर	खागटा
५६ श्रीमान् लालचन्द्रजी श्रीश्रीमाल	व्यावर	गिरि
५७ श्रीमान् मिश्रीमलजी छाजेड	वैंगलीर	बलाडा
५८ श्रीमान् सम्पतराजजी सिधवी	तिरुवेलोर	सियाट
५९ श्रीमान् शान्तिलालजी साखला	तिरुवेलोर	साडिया
६० श्रीमान् हस्नीमलजी गादिया	मद्रास	साडिया
६१ श्रीमान् दुलीचन्दजी चोरडिया	मद्रास	नोखा
६२ श्रीमान् इन्द्रचन्दजी सिधवी	मद्रास	सियाट
६३ श्रीमान् पारसमलजी बागचार	मद्रास	कुचेरा
६४ श्रीमान् जवाहरलालजी चोपडा	अमरावती	पीपाड
६५ श्रीमान् शान्तिलालजी गाधी	बम्बई	पीपाड
६६ श्रीमान् देवीचन्दजी सिधवी	मद्रास	सियाट
६७ श्रीमान् रतनलालजी बोहरा	केलशी	पीपाड
६८ श्रीमान् पारसमलजी बोकडिया	मद्रास	खागटा
६९ श्रीमान् पूसालालजी कोठारी	बीकानेर	खागटा
७० श्रीमान् अमरचन्दजी बोकडिया	मद्रास	खागटा
७१ श्रीमान् दीपचन्दजी बोकडिया	मद्रास	खागटा
७२ श्रीमान् केवलचन्दजी कोठारी	मद्रास	खागटा
७३ श्रीमान् चैनमलजी सुराणा	मद्रास	कुचेरा
७४ श्रीमान् जुगराजजी कोठारी	मद्रास	खजवाणा